माला, खंड 4, अंक 13

शुक्रवार, 26 जुलाई, 1996
4 श्रावण, 1918 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(ग्यारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 4 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: पचास रुपये

लोक सभा के दिनांक 26 जुलाई, 1996 के
वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
67	नीचे से 12	विदेशी ऋण पर मूल्य वृद्धि	विदेश ऋण पर मूल्य वृद्धि का प्रभाव
75	नीचे से 5	एक विवरण संलग्न से पूर्व "(क)" पढ़िए ।	
90	1 और 5	आरक्षित निधि	नवीकरण निधि
90	5	(एम आर एफ)	(एन आर एफ)
127	नीचे से 5	श्री महेश कनोडिया	श्री महेश कुमार एम॰कनोडिया
173	प्रश्न सं॰ 2003	श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	डा॰ लक्ष्मी नारायण पाण्डेय
	प्रश्न सं॰ 2050	श्री महेश कुमार एन॰कनोडिया	श्री महेश कुमार एम॰कनोडिया
233	2	संसदीय कार्य तथा पर्यटन मंत्री	संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री
339	नीचे से 6	श्री सत्य फल जैन	श्री सत्य पाल जैन

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्रीमती रेवा नैयर
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री बलराम सूरी
सहायक सम्पादक

श्री देवेन्द्र कुमार
सम्पादक

श्रीमती सरिता नागपाल
सहायक सम्पादक

श्री मुन्नी लाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उसका अनुवाद नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 4, दूसरा सत्र, 1996/1918 (शक)
अंक 13, शुक्रवार, 26 जुलाई, 1996/4 श्रावण, 1918 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	241 और 243 से 245	1—38
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	242, 246 से 260	38—55
अतारांकित प्रश्न संख्या	1886 से 1978	
	1980 से 2006 और	
	2008 से 2057	56—224
सभा पटल पर रखे गये पत्र		224—232
सभा का कार्य		233
समिति के लिए निर्वाचन		241—242
राजभाषा समिति		
कार्य मंत्रणा समिति		242
तीसरा प्रतिवेदन—स्वीकृत		
लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), 1996-97		
और		
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1993-94—**स्वीकृत**		244—255
विनियोग (लेखानुदान) संख्यांक 2 विधेयक, 1996—**पारित**		255
विचार करने के लिए प्रस्ताव		256
खंड 2 से 4 और 1		256
पारित करने के लिए प्रस्ताव		256
विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1996—**पारित**		257
विचार करने के लिए प्रस्ताव		257
खंड 2, 3 और 1		258
पारित करने के लिए प्रस्ताव		258
विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) विधेयक—**पारित**		258—282
विचार करने के लिए प्रस्ताव		260
श्री पी. चिदम्बरम		258—260, 278—281
श्री भगवान शंकर रावत		261—264
श्री रमेन्द्र कुमार		264—265
श्री बी.के. गढ़वी		265—266

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
श्री वी. धनन्जय कुमार	266—269
श्री गिरधारी लाल भार्गव	269—273
श्री पिनाकी मिश्र	273—278
खंड 2 और 1	282
पारित करने के लिए प्रस्ताव	282
स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण (संशोधन) विधेयक—**पारित**	282—303
विचार करने के लिए प्रस्ताव	283
श्री पी. चिदम्बरम	282—283, 299—302
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	284—288
श्री ए.सी. जोस	288—290
श्री दाऊ दयाल जोशी	290—293
श्री अजय चक्रवर्ती	293
डा. सत्य नारायण जटिया	293—296
श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका	296—297
श्री जार्ज फर्नान्डीज	297—299
खंड 2 और 1	303
पारित करने के लिए प्रस्ताव	303
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक	304—314
विचार करने के लिए प्रस्ताव	304
श्री रमाकान्त डी. खलप	304—306
श्री भगवान शंकर रावत	306—307
श्री सत्य पाल जैन	307—309
श्री संतोष कुमार गंगवार	309
श्री मनोरंजन भक्त	310
स्थगन के लिए प्रस्ताव—**स्वीकृत**	314
लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक	314—376
विचार करने के लिए प्रस्ताव	314
श्री रमाकान्त डी. खलप	316—319
श्री संतोष मोहन देव	319—326
श्री सत्य पाल जैन	326—333
श्री बीजू पटनायक	333—334
श्री सुधीर गिरि	334—336
श्री जार्ज फर्नान्डीज	336—341
श्रीमती गीता मुखर्जी	341—344
श्री संतोष कुमार गंगवार	345—349
श्री चित्त बसु	349—351

विषय	कालम
श्री मनोरंजन भक्त	351—354
श्री जी.एम. बनातवाला	354—359
श्री प्रमथेस मुखर्जी	361—365
श्री आई.डी. स्वामी	365—367
श्री एस.के. कारवेंधन	367—368
डा. सत्य नारायण जटिया	368—370
श्री राजीव प्रताप रूडी	370—372
श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह	372—373
श्री विजय गोयल	373—375
श्री कल्पनाथ राय	375—376

लोक सभा

शुक्रवार, 26 जुलाई, 1996/4, श्रावण, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

विदेशी ऋण

+

***241. श्री दादा बाबूराव परांजपे :**

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा 31 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार विभिन्न देशों से देशवार कितना ऋण प्राप्त किया गया;

(ख) देशवार 31 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार कितना ऋण चुकाया गया और इस पर कितने ब्याज का भुगतान किया गया;

(ग) क्या कुछ देशों से प्राप्त ऋण राशि अप्रयुक्त पड़ी है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्यवार और परियोजना तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर वचनबद्धता प्रभार के रुप में कितनी राशि का भुगतान किया गया; और

(च) संबंधित राज्यों द्वारा ऋण राशि का उपयोग न कर पाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (च). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख). सूचना संलग्न विवरण-I में दी गयी है।

(ग) जी हां। ऋणों की उपयोग में न लायी गई राशि पिछली बकाया राशियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। यह केवल उस राशि को निर्दिष्ट करती है जिसे किसी भी समयावधि में आहरित किया जा सकता है और विभिन्न परियोजनाओं की समयावधि पर निर्भर होती है।

(घ) वर्ष 1994-95 तक ऐसे ऋणों के ब्यौरे जिनकी बचनबद्धता की गयी लेकिन उपयोग में नहीं लाया गया, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित विदेशी सहायता पुस्तिका 1994-95 में दिए गए हैं। पुस्तिका की एक प्रति सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध है। वर्ष 1995-96 के बारे में सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है। उपयोग में न लाई गई राज्य वार राशि के संबंध में सूचना संलग्न विवरण-III में दी गयी है।

(ङ) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान असंवितरित ऋणों पर अदा किए गए वचनबद्धता प्रभारों की राशि क्रमशः 69.70 करोड़ रुपए, 59.63 करोड़ रु. और 58.94 करोड़ रुपए थी।

(च) सरकार ने विदेशी सहायता के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकारों को सभी क्षेत्रों में ए.सी.ए. के रुप में 100 प्रतिशत का भुगतान, राज्य सरकारों को अग्रिम ए.सी.ए. के रुप में वार्षिक व्यय के 25 प्रतिशत का भुगतान, बजटीय प्रक्रिया में होने वाले विलंब पर नियंत्रण करने के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सहायता प्रवाह में मध्यस्थों को हटाना, जहां भी आवश्यक हो परियोजनाओं को निरस्त करना और उनका पुनर्निर्माण करना, परियोजनाओं का गहन अनुवीक्षण और वित्त मंत्रालय में परियोजना अनुवीक्षण एकक का गठन करने के साथ-साथ नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करना, जैसे अनेक कदम उठाए हैं।

विवरण-I

31 मार्च, 1996 तक कुल प्राप्तियां पुनर्भुगतान और ब्याज के भुगतान को दर्शाने वाला विवरण

(दाता देशों की मुद्रा, मिलियन में)

क्र.सं.	देश/संस्था का नाम	मुद्रा	प्राप्तियां	पुनर्भुगतान	ब्याज
1	2	3	4	5	6
बहुपक्षीय					
1.	ए.डी.बी.	अमरीकी डालर	1607.580	76.706	332.849
2.	आई बी आर डी	अमरीकी डालर	11459.923	4705.866	6093.897
3.	आई डी ए	अमरीकी डालर	8157.069	1368.460	1058.503
4.	आई डी ए	एस डी आर	7246.754	135.619	385.594

1	2	3	4	5	6
5.	आई एफ ए डी	एस डी आर	163.769	18.567	14.398
6.	ओ पी ई सी	अमरीकी डालर	172.429	120.795	13.368
द्विपक्षीय					
7.	आबुधाबी	यू ए ई दिरहम	68.000	67.999	26.402
8.	आस्ट्रिया	आस्ट्रियन शिलिंग	1672.826	1072.312	488.540
9.	बेल्जियम	बेल्जियम फ्रांक	4958.446	2183.750	592.778
10.	कनाडा	कनाडी डालर	924.846	357.286	70.461
11.	चैक और स्लोवाकिया गणराज्य	भारतीय रुपया	1569.861	1183.935	252.447
12.	डेनमार्क	दानिश क्रोनर	1148.753	286.460	10.817
	डेनमार्क	अमरीकी डालर	0.000	0.000	0.071
13.	ई ई सी (एसएसी)	यू.के. पौंड	30.332	1.887	2.693
14.	जर्मनी	ड्यूश मार्क	11242.881	5741.884	2973.322
15.	फ्रांस	फ्रेंच फ्रांक	10842.179	4920.486	4100.434
16.	आई एम एस न्यास निधि	एस डी आर	529.009	529.009	9.331
17.	ईरान	अमरीकी डालर	496.944	496.944	196.327
18.	ईरान	एस डी आर	438.539	438.539	66.131
19.	इटली	ड्यूश मार्क	144.200	0.000	14.700
20.	इटली	अमरीकी डालर	161.187	38.756	20.940
21.	इटली	इटालियन लीरा	33125.000	33125.000	9675.779
22.	पोलैंड	भारतीय रुपया	366.355	366.355	65.665
23.	कतार	यू.के. पौंड	7.158	7.158	0.000
24.	जापान	जापानीयेन	1064723.064	295276.397	324425.334
25.	कुवैत निधि	कुवैती दीनार	78.981	45.303	28.934
26.	नीदरलैंड	डच गिल्डर	2555.347	1023.833	767.371
27.	सऊदी निधि	सऊदी रियाल	581.830	465.688	20.077
28.	स्पेन	अमरीकी डालर	46.000	0.000	5.108
29.	स्वीडन	स्वीडिशक्रोनर	1093.642	0.000	55.695
30.	स्वीडन	स्वीडिश फ्रांक	157.000	0.000	31.668
31.	स्वीडन	अमरीकी डालर	0.000		0.083
32.	युगोस्लाविया	भारतीय रुपया	267.008	267.008	40.300
33.	स्विटजरलैंड	स्विस फ्रांक	283.888	211.544	124.280
34.	यू ए ई	अमरीकी डालर	70.000	70.000	20.734
35.	यू के	यू के पौंड	744.086	708.987	166.073
36.	यू एस ए	अमरीकी डालर	5063.630	3115.189	1916.374
37.	यू एस एस आर	भारतीय रुपया	28402.024	3903.704	967.781

1	2	3	4	5	6
38.	आस्ट्रेलिया	अमरीकी डालर	11.131	0.000	0.218
39.	हंगरी	भारतीय रुपया	122.647	122.647	21.519
40.	ईराक	अमरीकी डालर	182.746	182.746	6.310
41.	आई एस ओ	अमरीकी डालर	5.708	0.000	0.000
42.	बहरीन	यू के पौंड	5.891	5.891	0.000
43.	रोमानिया	भारतीय रुपया	53.260	53.260	0.000

विवरण–II

31 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार परियोजना वार उपयोग में न लाई गयी राशि दर्शाने वाला विवरण

(दाता देशों की करेंसी मिलियन)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	ऋण/उधार की राशि	अनुप्रयुक्त शेष
1	2	3	4
एशियाई विकास बैंक (अमरीकी डालर)			
1.	उत्तरी मद्रास तापीय विद्युत	150.00	31.02
2.	रेलवे परियोजना	190.00	151.52
3.	दूरसंचार परियोजना	97.50	33.17
4.	सड़क सुधार परियोजना	188.00	54.98
5.	रायलसीमा तापीय विद्युत परियोजना	190.00	38.30
6.	दूसरी पत्तन परियोजना	122.69	38.43
7.	द्वितीय उत्तरी मद्रास तापीय विद्युत	200.00	83.67
8.	द्वितीय सड़क परियोजना	250.00	105.46
9.	हाइड्रोकार्बन क्षेत्र कार्यक्रम	250.00	125.00
10.	द्वितीय रेलवे परियोजना	107.70	60.62
11.	विद्युत कारगरता परियोजना	250.00	217.86
12.	टी.ए. अंडर कोल प्रोजेक्ट	285.00	274.55
13.	ऊर्जा संरक्षण सुधार	39.30	39.30
14.	राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना	245.00	244.94
15.	पूंजी बाजार विकास कार्यक्रम	250.00	125.00
आस्ट्रेलिया (आस्ट्रेलियन डालर)			
1.	भूमिगत जल की खोज और प्रबंधन-किश्त-II	8.10	1.96
आस्ट्रिया (आस्ट्रियाई शिलिंग)			
1.	आस्ट्रियाई पूंजीगत सामान	120.00	8.06
बेल्जियम (बेल्जियाई फ्रांक)			
1.	20 वां पूंजीगत सामान ऋण	250.00	207.09
2.	19 वां सामान्य प्रयोजनार्थ उधार	250.00	89.98
डेनमार्क (अमरीकी डालर)			
1.	आई आर ई डी ए परियोजना	15.00	15.00
फ्रांस (ड्यूश मार्क)			
1.	राष्ट्रीय इस्पात निगम	8.69	0.32
फ्रांस (फ्रेंच फ्रांक)			
1.	सामान्य ऋण (परियोजना 510 एम)	440.00	48.31
2.	1130 एम ऋण परियोजना	1054.35	144.97
3.	सीपीआरआई के लिए उपकरण का परीक्षण	75.35	12.56
4.	पूर्व कटरास परियोजना उपलब्धि	3.72	1.83
5.	ड्राफ्ट ऋण करार	125.15	-10.86
6.	कोयला चटखने के उपकरण हेतु अध्ययन	560.00	479.79
7.	डीडब्ल्यूएसएसडीयू हेतु जल-प्रबन्ध	207.90	207.90
8.	जयपुर में वेव मार्किटिंग परियोजना और कोटाडिह कोल माइन के लिए टी ए	43.00	43.00
9.	मिश्रित परियोजनाएं	371.35	371.35
जर्मनी (ड्यूश मार्क)			
1.	एन एल सी (II)	517.00	10.04
2.	रामागुंडम एनटीपीसी	129.54	3.89

1	2	3	4
3.	एन एल सी (III)	532.00	25.50
4.	मध्य प्रदेश ग्रामीण जलापूर्ति	45.00	42.91
5.	रेलवे के एच डी ब्रेकडाउन क्रेनस	30.07	0.98
6.	फरक्का तापीय विद्युत केन्द्र	50.58	23.43
7.	राजस्थान लघु सिंचाई परियोजना-I	12.30	1.43
8.	रामागुंडम ओपन कास्ट माइन्स-II	172.39	34.16
9.	रेल कोच फेक्टरी, कपूरथला	8.55	0.88
10.	दादरी विद्युत परियोजना (एनटीपीसी)	484.90	82.06
11.	यूरेन मिश्रित साईकिल विद्युत केन्द्र	310.00	12.33
12.	रेलवे निवेश कार्यक्रम	77.70	56.43
13.	लिफ्ट सिंचाई उड़ीसा	55.00	46.26
14.	राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति चरण-I	40.00	32.50
15.	उर्वरक क्षेत्र कार्यक्रम IV	70.00	7.70
16.	महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड	29.74	29.74
कृषि विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निधि (अमरीकी डालर)			
1.	राज कामन क्षेत्र	55.00	6.78
2.	सुन्दरवन विकास परियोजना	17.50	1.83
3.	II उत्तर प्रदेश ट्यूबवैल्स	35.30	0.75
4.	उड़ीसा जनजाति विकास	12.20	4.97
5.	तमिलनाडु महिलाओं की विकास परियोजना	13.15	5.04
6.	आंध्र प्रदेश जनजाति विकास	21.61	13.01
7.	महाराष्ट्र ग्रामीण ऋण	29.44	27.10
8.	आंध्र प्रदेश भागीदारिता जनजाति विकास	26.71	24.91
9.	मेवाट क्षेत्र विकास	15.08	13.88
जापान (जापानी येन)			
1.	पूर्वीय गंडक केनाल हाईड्रो परियोजना	1630.00	11.30
2.	उज्जैनी हाईड्रोन बिजली परियोजना	1500.00	187.90
3.	तिस्सा केनाल	8025.00	1439.70

1	2	3	4
4.	असम गैस टर्बाइन	30000.00	1939.10
5.	सिरीसेल्म लेफ्ट बैंक विद्युत केन्द्र	26101.00	7485.30
6.	असम गैस विद्युत केन्द्र	13552.00	1247.10
7.	तमिलनाडु पैमाने के उद्योगों का विकास	3198.00	3153.20
8.	रायचुर तापीय विद्युत केन्द्र	23142.00	4013.80
9.	घाटगडं पम्प स्टोरेज परियोजना	11414.00	11378.00
10.	पर्यटन आधारभूत विकास	9244.00	5838.10
11.	ऊपरी कोलाब सिंचाई परियोजना	3769.00	1590.40
12.	ऊपरी इंद्रावती सिंचाई परियोजना	3744.00	1791.70
13.	रामागुंडम उर्वरक संयंत्र	11132.00	11132.00
14.	मैसूर पेपर मिलों का आधुनिकीकरण	2381.00	2315.10
15.	बेसिन ब्रिज गैस आधारित मिश्रित चक्र	11450.00	1888.90
16.	गंधार गैस टर्बाइन-II	13046.00	689.60
17.	कोलाघाट तापीय विद्युत केन्द्र	171.00	5.70
18.	तिस्सा केनाल	6222.00	3747.50
19.	इंदिरा गांधी वन-रोपण	7869.00	6137.50
20.	किस्त नियंत्रण स्वास्थ्य	7954.00	7767.50
21.	विद्युत प्रणाली सुधार	24379.00	23845.40
22.	अनपारा विद्युत पारेषण प्रणाली	19318.00	14711.70
23.	कर्नाटक राज्य मिश्रित भूमि प्रबंध	16050.00	16050.00
24.	गंधार गैस आधारित विद्युत	42599.00	1873.60
25.	शहरी सिटी जलापूर्ति	6788.00	5009.20
26.	वन-रोपण परियोजना अरावली	8095.00	4424.90
27.	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या II	4855.00	4724.00
28.	अजन्ता एलौरा संरक्षण	3745.00	3206.30
29.	अनपारा "ख" तापीय विद्युत	13224.00	94.70
30.	यमुना कार्रवाई योजना परियोजना	17773.00	17761.50
31.	सिरीसेल्मं विद्युत पारेषण प्रणाली	3806.00	3804.00
32.	गंधार गैस आधारित मिश्रित साईकल चक्र	19538.00	7523.60

1	2	3	4
33.	उद्योग मंडल अमोनिया संयंत्र परियोजना	24482.00	20842.10
34.	अनपारा ख तापीय विद्युत परियोजना	17638.00	14330.30
35.	बक्रेश्वर तापीय विद्युत परियोजना	27069.00	26862.90
36.	फरीदाबाद तापीय विद्युत परियोजना	23536.00	23536.00
37.	यमुना नदी पर पुल, नैनी	10037.00	10036.90
38.	चार लाइनों वाला राष्ट्रीय राजमार्ग V	11360.00	11360.00
39.	सिरीसेल्म बायो किनारा विद्युत परियोजना	22567.00	14708.10
40.	सरिसेलम विद्युत पारेषण परियोजना II	9546.00	9546.00
41.	असम गैस टर्बाइन विद्युत परियोजना II	15821.00	13350.50
42.	बक्रेश्वर तापीय विद्युत केन्द्र 3	8659.00	8613.40
43.	पुरूलिया पम्प भंडारण परियोजना	20520.00	20479.70
44.	कथा गुंडम क तापीय पुनर्स्था- परियोजना	5092.00	4769.80
45.	राष्ट्रीय राजमार्ग 5 महत्वपूर्ण परियोजना II	5836.00	5835.00
46.	राष्ट्रीय राजमार्ग 24 महत्वपूर्ण परियोजना	4827.00	4827.00
47.	मद्रास मल-निकासी व्यवस्था सुधार और महत्वपूर्ण परियोजना का कार्य	17098.00	17098.00
48.	लेक भोपाल कोनसर एण्ड मेनि-फेक्चरिंग परियोजना	7055.00	6997.00
49.	राजस्थान वानिकी विकास परियोजना	4219.00	4033.00
50.	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण	1525.00	1524.60
51.	हाइड्रोकार्बन क्षेत्र	33000.00	-85.00
कुवैत (कुवैती दीनार)			
1.	काली नदी पन बिजली परियोजना II	7.00	2.98
2.	केरल मछली झींगा पालन विकास परियोजना	7.00	6.88

1	2	3	4
ओ पी ई सी (अमरीकी डालर)			
1.	रामागुंडम परियोजना	30.00	0.93
2.	रीवा अस्पताल परियोजना म.प्र.	10.00	9.89
3.	बस्ती जिला अस्पताल	6.50	4.89
4.	रायचूर जिला अस्पताल	9.00	9.00
5.	केरल वर्षा पोषित कृषि विकास परियोजना	10.00	10.00
साऊदी फंड (साऊदी रियाल)			
1.	कोरापुट रेलवे परियोजना	103.20	41.37
2.	रामागुंडम ताप बिजली परि. II	172.00	109.96
3.	जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास परियोजना	141.00	32.33
स्वीडन (स्वीडन क्रोनर)			
1.	यूआरआई परि.	765.00	8.00
2.	चन्द्रपुर पोडमेह महाराष्ट्र	535.00	206.35
स्वीटजरलैंड (स्विस फ्रैंक)			
1.	स्विस मिश्रित उधार	60.00	-1.29
2.	स्विस मिश्रित उधार I	60.00	24.94
अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (अमरीकी डालर)			
1.	द्वितीय राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान	77.174	5.503
2.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार-III परियोजना	77.528	-0.116
3.	तृतीय राष्ट्रीय बीज	155.851	19.656
4.	समेकित जल सम्भर विकास मैदान	65.189	38.744
5.	समेकित जल सम्भर विकास (पर्वतीय)	86.237	46.778
6.	तमिलनाडु कृषि विकास परि.	96.914	40.408
7.	झींगा और मछली पालन परि.	98.475	89.341
8.	महाराष्ट्र वानिकी परि.	138.307	105.938
9.	पश्चिम बंगाल वानिकी	37.084	14.799
10.	उत्तर प्रदेश क्षारीय भूमि सुधार परि.	61.851	51.384
11.	बिहार पठार विकास परि.	126.159	109.735
12.	ए डी पी राजस्थान कृषि विकास परि.	113.415	72.900
13.	आन्ध्र प्रदेश वानिकी परि.	87.282	79.258

1	2	3	4
14.	वन अनुसंधान शिक्षा विस्तार परि.	52.323	43.933
15.	रबर परि.	103.905	92.369
16.	कृषि एवं मानव संसाधन	59.500	56.272
17.	असम ग्रामीण आधारभूत संरचना	126.000	124.000
18.	मध्य प्रदेश वानिकी	58.000	54.915
19.	झरिया खान अग्नि नियंत्रण परि.	13.487	9.925
20.	नवीकरणीय संसाधन विकास परि.	128.272	122.790
21.	राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परि.	148.875	44.840
22.	औद्योगिक तकनीक विकास परि.	66.697	40.110
23.	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परि.	36.617	31.364
24.	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण	27.887	26.882
25.	गुजरात ग्रामीण सड़क परि.	116.704	17.720
26.	दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग परि.	181.636	125.371
27.	ऊपरी गंगा सिंचाई परियोजना	125.358	0.000
28.	महाराष्ट्र सिंचाई परियोजना	169.083	-7.518
29.	राष्ट्रीय जल प्रबंध परि.	130.536	0.019
30.	ऊपरी कृष्णा चरण-II सिंचाई	169.208	18.396
31.	पंजाब सिंचाई परि.	171.429	77.554
32.	बांध सुरक्षा परि.	148.884	125.064
33.	जल संसाधन दृढ़ीकरण	294.289	262.026
34.	तमिलनाडु जल संसाधन दृढ़ीकरण परि.	282.900	270.462
35.	भारत में जल विज्ञान	142.000	137.997
36.	उड़ीसा जल संसाधन दृढ़ीकरण	290.900	276.693
37.	पांचवीं(मुम्बई और मद्रास) जनसंख्या	57.099	15.102
38.	व्यावसायिक प्रशिक्षण परि.	182.409	88.379
39.	छठी जनसंख्या परि.	83.025	30.859
40.	दूसरी तमिलनाडु पोषण परि.	77.657	24.084
41.	तकनीकी शिक्षा परि.	239.490	115.187
42.	समेकित बाल विकास सेवाएं	85.811	38.370
43.	सातवीं जनसंख्या परि:	73.054	22.637
44.	तकनीकी शिक्षा II परि.	274.334	193.487
45.	आईसीडीएस II परि.	221.813	205.338

1	2	3	4
46.	शिशु उत्तर जीविता और सुरक्षित मातृत्व	240.374	35.880
47.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परि.	91.230	60.441
48.	राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण	94.106	71.449
49.	उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परि.	181.942	128.106
50.	मोतियाबिंद अंधता नियंत्रण परि.	134.212	123.180
51.	जिला प्राथमिक शिक्षा परि.	283.490	262.597
52.	परिवार कल्याण (शहरी गंदी बस्ती)	79.000	74.008
53.	परिवार कल्याण परि.	98.606	93.409
54.	आन्ध्र प्रदेश परामर्शक स्वास्थ्य प्रणाली	142.937	140.951
55.	तमिलनाडु जलापूर्ति परि.	78.747	29.958
56.	तमिलनाडु जलापूर्ति नियंत्रण परि.	36.500	-11.567
57.	गुजरात शहरी विकास परि.	66.125	1.481
58.	उत्तर प्रदेश शहरी विकास परि.	142.190	33.419
59.	तीसरी बम्बई जलापूर्ति परि:	130.682	23.281
60.	तमिलनाडु शहरी विकास परि.	264.889	73.734
61.	हैदराबाद जलापूर्ति और स्वच्छता	95.293	46.560
62.	महाराष्ट्र ग्रामीण जलापूर्ति परि.	117.276	79.374
63.	कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता परियोजना	103.794	93.054
64.	महाराष्ट्र आपातकालीन भूकंप पुनर्निर्माण परि.	276.822	198.674
65.	बम्बई मलजल निष्कासन परि.	25.000	20.000
पुनर्निर्माण और विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैंक			
1.	दूसरी राष्ट्रीय डेयरी परि.	200.000.	110.371
2.	तमिलनाडु कृषि विकास	20.000	20.000
3.	कोयला खनन और गुणता परियोजना	322.776	16.221
4.	केरल विद्युत परि.	126.000	26.425
5.	राष्ट्रीय राजधानी विद्युत आपूर्ति	373.000	50.357
6.	तलचर तापीय विद्युत परियोजना	367.000	128.812
7.	नाथपा झाकरी विद्युत परि.	485.000	293.854
8.	महाराष्ट्र विद्युत परि.	354.000	183.155

1	2	3	4
9.	उत्तरी क्षेत्र पारेषण परि.	485.000	363.455
10.	विद्युत उपयोगिता प्रभावी परि.	265.000	184.301
11.	दूसरी महाराष्ट्र विद्युत परि.	350.000	270.444
12.	औद्योगिक वित्तीय और तकनीकी सहायता परि.	289.372	0.000
13.	निर्यात विकास परि.	120.000	7.428
14.	इलैक्ट्रोनिक विकास परि.	8.000	3.676
15.	औद्योगिक तकनीकी विकास	135.000	38.592
16.	सीमेंट उद्योग पुनर्निर्माण परि.	293.180	45.707
17.	दूसरी पेट्रो-रसायन परि.	12.000	8.798
18.	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परि.	124.000	45.588
19.	वित्तीय क्षेत्र परि.	350.000	200.000
20.	रेलवे नवीकरण परियोजना	252.500	3.563
21.	राज्य सड़क परि.	115.000	31.673
22.	दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग	153.000	153.000
23.	बांध सुरक्षा परि.	23.00	23.000
24.	मद्रास जलआपूर्ति और स्वच्छता	53.000	17.296
25.	तीसरी बम्बई गन्दा पानी निकास	20.000	20.000
26.	दूसरी मद्रास जलापूर्ति परि.	275.000	269.806
27.	बम्बई मलजल निकास परियोजना	167.000	167.000

विवरण-III

31.3.1994, 31.3.1995 और 31.3.1996 के अंत में अनुपयोगित ऋण का राज्यवार ब्यौरा

(करोड़ रु.)

राज्य/केन्द्र	31.3.94	31.3.95	31.3.96
1	2	3	4
1. केन्द्र	36850.64	22390.78	22011.43
2. आंध्र प्रदेश	1386.18	1338.43	2466.21
3. बिहार	359.70	324.35	379.34
4. गुजरात	-157.99	-44.39	65.42
5. हरियाणा	-35.56	781.71	943.92
6. कर्नाटक	2073.23	1831.60	1161.01
7. केरल	334.11	230.33	201.13
8. मध्य प्रदेश	113.63	129.29	544.64
9. महाराष्ट्र	3564.13	3920.12	5102.09
10. उड़ीसा	238.95	199.51	1181.37
11. पंजाब	310.31	239.02	264.23
12. राजस्थान	758.22	826.70	824.05
13. तमिलनाडु	2832.30	1262.95	2699.65
14. उत्तर प्रदेश	2635.97	2669.83	2001.38
15. पश्चिम बंगाल	1048.61	1190.58	2065.34
16. बहुराज्यीय	4811.11	4839.31	5243.87
जोड़	57123.52	42130.12	47155.07

[हिन्दी]

श्री दादा बाबूराव परांजपे (जबलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को कदम उठाने के संबंध में लिखा था। क्या वे कदम राज्य सरकारों ने उठाए हैं तथा उनके परिणाम क्या केन्द्र सरकार की अपेक्षा के अनुसार हैं?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, हमने केन्द्रीय सहायता के उपयोग में वृद्धि करने के लिये अनेक उपाय किये हैं। अनेक समस्याएं हैं। मुख्य कारण अपर्याप्त प्रावधान हैं। यदि राज्य अपने बजट में परियोजना के उस भाग के लिये प्रावधान नहीं करते, जिसके लिये उन्हें प्रावधान करना है, तो परियोजना के लिये विदेशी सहायता का उपयोग उस सीमा तक नहीं किया जा सकता।

अधिप्राप्ति और ठेका सम्बन्धी विलम्ब भी है। परियोजना आरम्भ करने तथा प्रक्रिया सम्बन्धी अन्य विलम्ब भी हैं। मैं विदेशी सहायता के उपयोग किये जाने की स्थिति के बारे में प्रसन्न नहीं हूं। यदि केन्द्रीय सहायता के उपयोग की स्थिति में सुधार करना है तो राज्यों को अपने बजट में अवश्य प्रावधान करना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री दादा बाबूराव परांजपे : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी स्वयं कहा है कि यह संतोषजनक नहीं है, तो उसके लिये केन्द्रीय शासन विशेष प्रयत्न करने वाला है, यह कृपया बताइये?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, हम इस बारे में विशेष प्रयास कर रहे हैं और अब मैं कुछ उपायों का उल्लेख करुंगा जो हमने किये हैं। उदाहरणार्थ, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रुप में इस समय शतप्रतिशत विदेशी सहायता दी जा रही है। इसमें से उनके द्वारा प्रावधान करने और व्यय करने से पूर्व ही अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

के रुप में 25 प्रतिशत अग्रिम धनराशि दी जाती है। हमने कुछ विभागों का युक्तियुक्तकरण करने का प्रयास किया है और कुछ परियोजनाओं *जिनमें केन्द्रीय सहायता का उपयोग बहुत कम हुआ है*, को छोड़ ही दिया है। हमने बोली लगाने संबंधी दस्तावेजों का मानकोकरण करने *का प्रयास किया है। हमने सरकारी उपक्रमों को दी जा रही विदेशी* सहायता के बारे में बिचौलियों को समाप्त कर दिया है। अब वित्त मंत्रालय के अधीन परियोजना निगरानी यूनिट है।

इस सबके बावजूद वितरण अनुपात अभी तक बहुत असंतोषजनक है। यह कम से कम 20 प्रतिशत होना चाहिए। वर्ष 1994-95 में यह 18.7 प्रतिशत था जो इससे पहले वर्ष की तुलना में काफी अधिक था। वर्ष 1995-96 में यह गिरकर 15.3 प्रतिशत रह गया। मैं ऐसे अन्य उपायों पर भी विचार कर रहा हूं जो राशि वितरण अनुपात में सुधार लाने के लिये किये जा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार : उपाध्यक्ष महोदय, यह अनयूटिलाइज्ड लोन विगत वर्षों से बढ़ता ही चला आ रहा है। 1992 में यह 61 हजार करोड़ था, 1993 में 65 हजार करोड़ रुपए और 31 मार्च 1994 को यह लोन बढ़कर 83 हजार करोड़ रुपए हो गया और इसीलिए गवर्नमेंट और फायनेंस मिनिस्ट्री ने भी इस पर एक हाइ पावर कमेटी बनाई जिसके चेयरमैन आर.वी.आर.के. राव बनाए गए। इस कमेटी ने जो सुझाव दिए थे, अनयूटिलाइज्ड लोन का पूरा उपयोग करने के, उनको लागू नहीं किया गया और न उनके ऊपर कोई असरकारक प्रभाव पड़ा और इसी कारण अनयूटिलाइज्ड लोन इतना बढ़ता रहा और उस पर गवर्नमेंट को ब्याज देना पड़ रहा है और रुपया भी वैसे ही पड़ा रहता है और न यूज होता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस लोन को पूरी तरह से उपयोग में लाने के लिए फिर से संसद के सदस्यों की समिति बनाकर इसकी जांच करवाएगी कि यह अभी तक अनयूटिलाइज्ड क्यों पड़ा रहा?

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि जो विदेशी ऋण है वह बढ़ता चला जा रहा है और इसके बढ़ते चले जाने के कारण आज लाखों करोड़ रुपया हो गया है तथा आज हमारी स्थिति यह हो गई है कि पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज लेना पड़ रहा है, तो क्या सरकार पार्लियामेंट के सामने कोई ऐसा बिल संविधान की धारा 292 के अन्तर्गत लाएगी कि एक ऐसी स्टेट्यूटरी सीलिंग या सांवैधानिक सीमा तय कर दी जाए कि इस विषय पर सरकार अब विदेशों से कोई ऋण नहीं लेगी?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, प्रश्न का दूसरा भाग वास्तव में नीति से सम्बन्धित है जिसके बारे में मैं प्रश्न के उत्तर के रुप में प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकता। यह नीति सम्बन्धी मामला है।

जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य द्वारा निकाले गये आंकड़े मेरे पास उपलब्ध आंकड़ों से इतने अधिक कैसे हैं? अप्रयुक्त ऋण की राशि 31.3.94 तक 57,000 करोड़ रुपये थी। मैं विषम आंकड़े नहीं दे रहा हूं। विभागों में पुनरीक्षण के कारण 31.3.95 को यह राशि घट कर 42,000 करोड़ रुपये रह गई और 31.3.96 को यह राशि 47,155 करोड़ रुपये *थी।*

राशि वितरण का आदर्श अनुपात "अप्रयुक्त ऋणराशि का 20 प्रतिशत होना चाहिये। हमें 20 प्रतिशत राशि वितरण अनुपात की दिशा में अवश्य प्रयास करना चाहिये। इस समय हमारी यह दर 15 अथवा 16 प्रतिशत है। इसीलिये, मैंने यह कहा है कि मैं इसके वितरण से सन्तुष्ट नहीं हूं। हम विशेष श्रेणी राज्यों को छोडकर राज्यों को सामान्य फार्मूले के अनुसार शत प्रतिशत ऋण देते हैं। लेकिन विदेशी ऋण से कभी भी परियोजना की लागत पूरी नहीं होती। परियोजना की लागत राज्यों के अपने स्त्रोतों तथा विदेशी ऋण से पूरी करनी पड़ती है।

मान लो किसी परियोजना का क्रियान्वयन पांच वर्ष में किया जाना है परन्तु यदि राज्य अपने बजट में उसके लिये प्रावधान नहीं करते, तो उनका कार्यान्वयन दस वर्ष में होगा।अतः इस सीमा तक राज्यों को दिये जाने वाले ऋण का संवितरण इस वर्ष की अवधि में होगा और राशि का एक बडा भाग अप्रयुक्त ऋण के रुप में रहेगा। जब तक राज्य अपने बजट में धनराशि का प्रावधान नहीं करेंगे, जब तक वह ऋण का व्यय निर्धारित समय सीमा के अनुसार नहीं करेंगे, जब तक वे अपनी निगरानी व्यवस्था में सुधार नहीं लायेंगे, ऋण का अप्रयुक्त भाग इसी प्रकार रहेगा। इस बारे में मैं राज्य सरकारों से योजनागत परियोजनाओं पर व्यय में सुधार करने का ही अनुरोध कर सकता हूं। मैं यह कह सकता हूं कि यही बात केन्द्रीय सरकार के विभागों पर भी लागू होती है। केन्द्रीय सरकार के विभागों को भी अपनी आय संबंधी बजट तैयार करना चाहिये और खर्च करना चाहिये। अन्यथा, विदेशी स्त्रोतों से प्राप्त धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। मेरे विचार से अन्य समिति की नियुक्ति आवश्यक नहीं है। समस्याएं सर्वविदित हैं, समाधान सर्वविदित हैं। इस मामले में राज्य सरकारों द्वारा समस्याओं के समाधान में इच्छा शक्ति का अभाव है। मुझे माननीय सदस्यों से सलाह करने में अति प्रसन्नता होगी। मेरे विचार से अन्य संसदीय समिति की आवश्यकता नहीं है।

श्री सुधीर गिरि : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या विदेशी ऋण पर राज्य सरकारों द्वारा भुगतान किये जाने वाली ब्याज की दर विदेशों से लिये जाने वाले ऋण के लिये निर्धारित ब्याज की दर से अधिक है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों से लिये जाने वाले ब्याज की दर विदेशों से लिये जाने वाले ऋण पर ब्याज की दर की तुलना में अधिक है। यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्री पी. चिदम्बरम : जी, हां। यह अधिक है। कारण स्पष्ट है। कारण यह है विनिमय जोखिम केन्द्रीय सरकार द्वारा सहन किया जाता है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो स्टेटमेंट दिया है, उसमें जैसे रामागुंडम फर्टिलाईजर प्लांट पर 11,132 करोड़ रुपये लोन लिया है जो कि अनयूटिलाईज्ड है। दूसरा पावर सिस्टम इम्प्रूवमैंट के लिए 24,379 करोड़ रुपये का लोन लिया है और उसमें से 23,845 करोड़ रुपये का लोन अनयूटीलाइजड है। हमने जनरल टर्म्स में लोन लिया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो लोन का रुपया हमारे पांस आ गया, वह कहां पड़ा है। उस पर ब्याज देना है। अनयूटिलाईज्ड का मतलब वह रुपया कहां पर है? क्या उस पर हमको इंटरस्ट आता है या इंटरस्ट अर्न करते हैं या वह फालतू पड़ा हुआ है? उसकी क्या पोजिशन है?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, सर्वप्रथम यदि माननीय मंत्री रामगुंडम उर्वरक परियोजना का उल्लेख कर रहे हैं तो यह करोड़ों में नहीं है, यह येन में है। ...**(व्यवधान)**

श्री बनवारी लाल पुरोहित : इसी प्रकार ...**(व्यवधान)**

श्री पी. चिदम्बरम : मैं इन आकंडों में शुद्धि चाहता हूं । अन्यथा यह धारणा बनी रहेगी कि यह 11.132 करोड़ है। यह येन में है। ...**(व्यवधान)**

श्री बनवारी लाल पुरोहित : जो भी है, वह धनराशि कहां पड़ी है? ...**(व्यवधान)**

श्री पी. चिदम्बरम : हम केवल उसी राशि पर ब्याज देते हैं, जो वास्तव में निकालते हैं। हम वचनबद्धता मूल्य की ही अदायगी करते हैं। मैंने अपने उत्तर में उल्लेख किया है कि वचनबद्धता मूल्य की राशि बहुत अधिक नहीं होती है। यदि आप प्रश्न के भाग (ङ) का उत्तर देखें तो इसमें कहा गया है "गत तीन वर्षों में असंवितरित ऋणों पर अदा किये गये बचनबद्धता मूल्य की राशि क्रमशः 69करोड़, 59 करोड़ और 58 करोड़ रुपये थी। अतः ऋण की असंवितरित भाग दाता के पास ही रही। हम इसे तब तक नहीं निकालते जब तक व्यय नहीं हो जाता।

अतः वचनबद्धता मूल्य के रुप में हम बहुत कम राशि का भुगतान करते हैं।

श्री जी.जी. स्वैल : स्पस्टतया यह कठिन समस्या है। माननीय मंत्री ने हमे बड़े आंकडे और सूचना प्रदान की है। उनकी ओर थोड़े से समय में ध्यान देना कठिन है। उन्होंने विदेशी सहायता पुस्तिका का भी उल्लेख किया है। यह ग्रंथालय में उपलब्ध है। इसका काफी अध्ययन करने की आवश्यकता है

जहां तक विवरण में दिये गये ब्याज का सम्बन्ध है, स्पष्टतया ब्याज का भुगतान विभिन्न मुद्राओं मे किया गया है। लेकिन इन में से कुछ ऋण बहुत विशाल दिखाई देते हैं। उदाहरणार्थ जापान को हम 3,24,425.334 रुपये का ब्याज के रुप में भुगतान कर रहे हैं। यदि विभिन्न मुद्राओं में किये गये ब्याज की भुगतान डालर में किया जाता और यदि कुल किये ब्याज की गणना, जो नहीं की गई है, की गई होती तो हमें समझने में आसानी होती।

उन्होंने दी गई ऋण की राशि का पूर्णतया उपयोग न करने का आरोप राज्यों पर लगाया है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि इसके लिये सामान्यता दो राज्यों के नाम क्या है और राज्यों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? स्थिति को अच्छी तरह समझने के लिये यह बेहतर होगा।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, यह कठिन होगा, लेकिन असम्भव नहीं। सदस्य इस बात से अवगत हैं कि ब्याज का भुगतान समय समय पर किया जाता है और विनिमय दर वर्ष प्रति वर्ष भिन्न होती है, कभी कभी यह प्रत्येक महीने भिन्न होती है। यदि यह करना आवश्यक हुआ तो मैं ऐसा करुंगा । लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ब्याज का भुगतान तभी करते हैं जब वास्तव में राशि निकालते हैं। हम ब्याज का भुगतान तब नहीं करते जब राशि का उपयोग न किया गया हो और वह दाता के पास ही हो। हम मामूली से वचनबद्धता मूल्य का भुगतान करते हैं, जैसा कि मैंने आकंड़े दिये हैं। यह राशि समस्त अप्रयुक्त विदेशी सहायता पर एक वर्ष में लगभग 60 करोड़ है।

जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है मैं इस बारे में राज्यों को दोषी नहीं ठहराता। मैं उनकी कठिनाइयां समझता हूं। मैंने यह भी कहा है कि केन्द्रीय विभाग भी विदेशी सहायता का उपयोग करने में शिथिल रहे हैं। अतः मेरा आशय राज्यों को दोषी ठहराना तथा केन्द्रीय सरकार के विभागों को दोष मुक्त करना नहीं है। कठिनाइयां हैं, लेकिन हमें उन कठिनाइयों को दूर करना है।

जहां तक उन राज्यों का सम्बन्ध है जिनके पास अप्रयुक्त ऋण की सबसे अधिक राशि हैं, किसी पर दोष लगाने का प्रयास किये बिना, मैं कहना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश के पास राशि 2,466 करोड़ रुपये है। यह आंकड़े 31 मार्च, 1996 तक के हैं। महाराष्ट्र का स्थान सबसे ऊपर है। उसके पास अप्रयुक्त राशि 5102 करोड़ रुपये है। तमिलनाडु के पास 2699 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश के पास 2001 करोड़ रुपये ,पश्चिम बंगाल के पास 2065 करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश के पास 2,466 करोड़ रुपये हैं, और अन्यों राज्यों के पास यह राशि 1000 करोड़ रुपये अथवा इससे कम है।

यह अकुशलता आदि का मापदण्ड नहीं है। यह इस तथ्य का मापदण्ड है कि वे अनेक परियोजनाऍं प्रस्तुत करने और विदेशी सहायता वचनबद्धता प्राप्त करने में सफल रहे हैं। तथ्य यह है कि राज्यों को और अच्छा कार्य करना चाहिए। इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार के विभागों को भी विदेशी सहायता का उचित उपयोग करना चाहिये।

श्री वी. धनन्जय कुमार : सभापति महोदय, विदेशी ऋणों में भारी वृद्धि आज देश की सबसे बड़ी चिन्ता है। अक्सर यह स्पष्टीकरण दिया जाता है कि एक विकासशील देश की अर्थव्यवस्था के लिये यह नियमित बात है।

महोदय, वित्त मंत्री ने बजट में ऋण सेवा के भुगतान रुप में 60,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। ऋण पर ब्याज भी इसके अन्तर्गत आता है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या इस विदेशी ऋण राशि तथा अप्रयुक्त धनराशि जो, ऋण के रुप में ली गई है, से विदेशी ऋण की राशि में और अधिक वृद्धि हुई है।

मेरे प्रश्न का भाग (ख) यह है कि मंत्री महोदय, इस बात का स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है कि धनराशि का उपयोग न करने की स्थिति क्यों पैदा हुई। मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार ने इस सम्बन्ध में स्थिति को सामान्य बनाने, ऋण भार और ब्याज भार को कम करने के लिये क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : 60,000 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान किया गया है।

श्री वी. धनन्जय कुमार : बजट में 60,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह केवल ब्याज ही है। यही बात मैंने कही थी। क्या ऐसा धनराशि का उपयोग न करने के कारण है?

श्री पी. चिदम्बरम : प्रश्न के भाग दो का उत्तर मैं पहले ही सम्बद्ध माननीय समस्या द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते समय दे चुका हूं।

विदेशी ऋण का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिये की गई कार्यवाही पहला उपाय आन्तरिक ऋण और विदेशी ऋण पर 60,000 करोड़ रुपये ब्याज है। यदि हमारे आन्तरिक और विदेशी ऋण अधिक होंगे, तो निश्चित रुप से ब्याज की दर अधिक होगी। हम निश्चित रुप से ऋण लेते हैं। हम देश में बाजार से तथा विदेशों से ऋण लेते है। हम देश में बाजार से ऋण इसलिये लेते हैं क्योंकि वित्तीय घाटा अधिक है। यही एक कारण है कि मैंने वित्तीय घाटा 4 प्रतिशत से कम करने का आश्वासन दिया है। हम विदेशी बाजार से इसलिये ऋण लेते हैं क्योंकि हमें अपनी परियोजनाओं की लागत पूरी करने के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता घरेलू संसाधनों और पूंजी परिव्यय के बीच अन्तर को पूरा करने के लिये भी होती हे।

जैसाकि मैंने अभी कुछ समय पहले बताया कि हम विदेशी सहायता के असंवितरित भाग पर ब्याज नहीं देते। हम ब्याज केवल तभी देते हैं जब हम वास्तव में धन निकालते हैं। यह दाता के पास रहता है। हम 'वचनबद्ध प्रभार' का ही भुगतान करते हैं। यदि हमारी धनराशि की उपयोगिता दर में वृद्धि होती है, तो हमें और अधिक ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि हमने धनराशि निकाल ली होगी। इसके साथ ही हमें लाभ भी होगा क्योंकि धनराशि को योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं में विनियोजित किया जायेगा और उनसे हमें लाभ प्राप्त होने लगेंगे।

श्री वी. धनन्जय कुमार : समस्या धनराशि का उपयोग न किये जाने की है।

श्री पी. दिम्बरम : मैं इस बात का पहले ही उत्तर दे चुका हूं। मुझे पता नहीं कि जब मैं उत्तर दे रहा था उस समय माननीय सदस्य सभा में उपस्थित थे अथवा नहीं। मैं दूसरे अनुपूरक प्रश्न का पहले ही उत्तर दे चुका हूं, मैंने धनराशि के उपयोग न किये जाने के कारण भी बताये हैं। ...**(व्यवधान)** मैं इस बात का उत्तर पहले ही दे चुका हूं।

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण : महोदय, 31 मार्च, 1996 के अन्त तक उपयोग न किये गये ऋणों की राशि 47,000 करोड़ से अधिक थी। यह भी उल्लेख किया गया था कि उक्त ऋण राशि का उपयोग न किये जाने का मुख्य कारण राज्य सरकारों द्वारा इनके लिये धनराशि का उचित प्रावधान न किया जाना है। क्या यह तथ्य नहीं है कि इनमें से कुछ योजनाओं और ऋणों को केन्द्रीय सरकारी उपक्रम क्षेत्र के लिये निर्धारित किया गया था? उन्होंने स्वयं ऐसा उत्तर दिया है।

क्या माननीय मंत्री केन्द्रीय सरकार के विभागों और केन्द्रीय उपक्रमों के क्षेत्र के अन्तर्गत सीधे दायित्व वाली बकाया ऋण राशि की प्रतिशतता का ब्यौरा देंगे? क्या वह विभागवार और केन्द्रीय उपक्रम क्षेत्रवार ब्यौरा देंगे? वह यह जानकारी बाद में भी दे सकते हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मेरे विचार से मैं यह आकंडे दे चुका हूं। लेकिन मैं इन्हें फिर दे सकता हूं। 31 मार्च, 1996 को उपयोग न की गई 47,155 करोड़ की राशि में केन्द्रीय सरकार द्वारा उपयोग न की गई राशि 22,011 करोड़ रुपये है। मैं इस समय इनका विभागवार अथवा सरकारी उपक्रमवार ब्यौरा नहीं दे सकता। लेकिन केन्द्रीय सरकार 22,011 करोड़ की राशि का उपयोग न करने के लिये जिम्मेदार है। इसीलिये मैंने अपने पहले उत्तर और अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में यह बताया था कि न केवल राज्य सरकारें बल्कि केन्द्रीय सरकार भी ऋणों का उचित उपयोग नहीं कर रही है। अतः मैंने यह कहा कि केन्द्रीय सरकार के विभागों और मंत्रालयों को इन परियोजनाओं के लिये बजट में अवश्य प्रावधान करना चाहिये और इनके उपयोग की दर में भी अवश्य वृद्धि करनी चाहिये।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अगले प्रश्न पर जाने से पहले मैं आप सब को मुबारकबाद देना चाहता हूं। कल सदन जब शुरु हुआ था, तब से आज सुबह 7.20 बजे तक चलता रहा। इस के लिए मैं आप सब को मुबारकबाद देता हूं। सभी सदस्यों को बोलने का मौका मिल गया है और एक ऐतिहासिक रिकार्ड बना है। बहुत अच्छी बात है और इस का सारा श्रेय आप सब को जाता है।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : सदन इतनी देर तक चलने का यह एक रिकार्ड बना है, इसलिए सदन के सभी सदस्यों को बधाई और साथ ही सदन के सभी कर्मचारी बन्धुओं को बधाई। ओलैम्पिक सीजन चल रहा है और इस सदन ने भी एक रिकार्ड बनाया है। इतने लम्बे समय तक बैठे, इसके लिए सदन के सदस्यों को बहुत-बहुत बधाई आपकी तरफ से दी जानी चाहिए और मैं भी अपनी बधाई प्रस्तुत कर रहा हूं।

[अनुवाद]

लोक अदालत

***243. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में कितनी लोक अदालतें आयोजित की गई;

(ख) इन अदालतों से लोगों को कितनी सहायता मिल पाई है;

(ग) उपरोक्त अवधि में लोक अदालतों द्वारा कितने मामलों विवादों को निपटाया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन अदालतों को अधिकाधिक तथा नए क्षेत्रों में आयोजित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्यमंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) से (ग). कर्नाटक विधिक सहायता बोर्ड, द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 1993,1994,और 1995 के दौरान 713 लोक अदालत आयोजित की गई थीं जिनमें, बैंकवादों, सिविल आपराधिक, श्रम मामलों, यातायात अपराधों, उपभोक्ता मामले, मोटर यान दावों और भूमि अर्जन से संबंधित मामलों की प्रकृति के 89,755 मामलों का निपटान किया गया। मोटरयान दावा के 14710 मामलों में और भूमि अर्जन के 7346 मामलों में क्रमशः 3425,43,747 रुपए और 21,10,67,144 रुपए का प्रतिकर अधिनिर्णीत किया गया था।

(घ) और (ङ). लोक अदालतें, सुलहकारी और आग्रही पद्धतियों के माध्यम से विवादों के समाधान के लिए स्वैच्छिक प्रयास हैं और राज्य विधिक सहायता तथा सलाह बोर्ड आदि द्वारा समय-समय पर मुकदमा पूर्व और विधि न्यायालयों में लंबित मामलों को निपटाने के लिए आयोजित की जाती हैं।

श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : महोदय, लोक अदालतों के विचाराधीन ऐसे विचाराधीन मामलों की संख्या कितनी है जिनका निपटारा अथवा समाधान किया जा सकता है। लोक अदालतें कितने कितने समय बाद आयोजित की जाती हैं। क्या मामलों को शीघ्र निपटाने की दृष्टि से सरकार का विचार बड़ी संख्या में विचाराधीन मामलों को लोक अदालतों को अन्तरित करने का है?

श्री रमाकान्त डी. खलप : सरकार का लोक अदालतों को जनता का अभियान बनाने का उद्देश्य है। हम समस्त देश में लोक अदालतों को आयोजित किये जाने की बारम्बारता में वृद्धि करना चाहेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि लोक अदालतों के माध्यम से अधिकाधिक मामलों का निपटारा यथा सम्भव शीघ्रता से किया जा सके।

श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : मेरा प्रश्न विशिष्ट था ऐसे विचाराधीन मामलों की विशेषकर कर्नाटक राज्य में, संख्या कितनी है जिनको लोक अदालतों द्वारा निपटाया या समाधान किया जा सकता है।

श्री रमाकान्त डी. खलप : लोक अदालतों द्वारा निपटाये जाने वाले विशिष्ट मामलों की संख्या इस समय उपलब्ध नहीं है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि उन आपराधिक मामलों को छोड़कर जो संयोजनीय नहीं हैं, सब दीवानी, सब मोटर दुर्घटना दावे और भूमि अधिग्रहण मामले और ऐसे सब मामले जो लोक अदालतों में भेजकर निपटाये जा सकते हैं, को समाधान के लिये लोक अदालतों को भेजा जायेगा।

श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न है क्या राज्य सरकार उन लोगों की कानूनी सहायता देती है जो वित्तीय दृष्टि से कमजोर हैं, अथवा समाज के निर्धन वर्ग हैं? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि निपटाये गये मामलों का जिलावार ब्यौरा क्या है और क्या सरकार का विचार पारिवारिक विवादों के लिये गठित परिवार न्यायालयों को लोक अदालतों के अन्तर्गत लाने का है।

श्री रमाकान्त डी. खलप : महोदय, जिलावार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। मैं वर्षवार ब्यौरा दे सकता हूं। वर्ष 1993 में 258 लोक अदालत शिविर आयोजित किये गये और कुल 54,289 मामले इस वर्ष में निपटाये गये। 1994 में 205 लोक अदालत शिविर आयोजित किये गये और इनमें 15019 मामले निपटाये गये। 1995 में 250 लोक अदालत शिविर आयोजित किये गये और इन में 20,447 मामले निपटाये गये। कर्नाटक सरकार ऐसे लोगों को कानूनी सहायता की व्यवस्था करती है जिनकी आय 9000 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होती।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, लोक अदालत के बारे में देश में काफी चर्चा है कि यह बहुत अच्छी चीज है और जल्दी-जल्दी मामले निपट रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या यह सिर्फ कागज तक ही सीमित है? यह मैं इस लिए कह रहा हूं, क्योंकि अभी आपने बताया है कि आपके पास हर जिले के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इससे ऐसा लगता है कि यह सिर्फ कागज में ही पड़ी हुआ योजना है और आपके पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मैं मंत्री महोदय से भी यह जानना चाहता हूं, क्या बिहार में भी लोक अदालत ...

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कर्नाटक से संबंधित है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : लेकिन यह पूरे देश का मामला है। कर्नाटक का ही प्रश्न नहीं है, पूरे देश का मामला है। देश में लोक अदालत चलाई जा रही है, इसलिए मैं यह प्रश्न गलत नहीं पूछ रहा हूं। बिहार के बारे में भी हम जानना चाहते हैं कि लोक अदालत की कार्रवाई शुरु है या नहीं?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न केवल कर्नाटक राज्य से सम्बधित है। मैं इसकी अनुसात नहीं देता।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह : महोदय,कई छोटे-छोटे मामले प्रदेशों के न्यायालयों में लम्बित पड़े हुए हैं। इन मामलों को निपटाने की दृष्टि से लोक अदालत वास्तव में एक अनुपम प्रयोग है।

लेकिन व्यावहारिक रुप से यह देखा गया है कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी लोक अदालतें लगती हैं, लेकिन रस्मी तौर पर एक साल में एक-आध बार ही जिले में लोक अदालत का आयोजन होता है। उसमें हजारों की तादाद में प्रकरण आते हैं, उनका ठीक से निपटारा नहीं होता। कई बार केवल औपचारिकता पूरी करके मामले को छोड़ दिया जाता है जिससे बाद में झगड़े प्रारम्भ हो जाते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लोक अदालतों की कार्यवाही को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए जिससे अधिक प्रभावी तरीके से मामले निपटाए जाएं जिससे ज्यादा मामले निपट सकें, इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? क्या लोक अदालतें जिलास्तर के अलावा ब्लाक स्तर पर भी लगाएंगे और ऐसे मामले ज्यादा प्रभावी तरीके से निपटाने का प्रयास करेंगी? इस संबंध में सरकार क्या प्रयास कर रही है, यह मैं जानना चाहता हूं?

श्री रमाकान्त डी. खलप : इसमें हमारा प्रयास रहेगा कि लोक अदालते पूरे देश में, हर राज्य में आर्गनाइज की जाएं, हर डिस्ट्रिक्ट में की जाएं, बल्कि हर ताल्लुका में भी की जाएं। इसके लिए कुछ स्टेप्स हम ले रहे हैं और शायद अगली बार जब मैं आपके सामने आऊंगा तब निश्चित रुप से इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। मैं पूरे देश में एक मूवमेंट फैलाने की कोशिश कर रहा हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति दी है। **(व्यवधान)**

श्री पी. कोदंडारमैया : कानूनी क्षेत्र और सामान्य जनता में यह भावना है कि लोक अदालतों का गठन न्यायालयों में मामलों के निपटाये जाने में विलम्ब के परिणाम स्वरुप किया गया है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या लोक अदालतों का गठन न्यायिक प्रक्रिया में विलम्ब होने के परिणाम स्वरूप किया गया है। क्या वह न्यायपालिका से मामलों के निपटारे में होने वाले विलम्ब को रोकने को सुनश्चित करने के लिये बातचीत करेंगे? दूसरे...

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री पी. कोदंडा रमैया : यह एक छोटा अनुपूरक प्रश्न है। यह सरकार द्वारा भूमि विवाद और आवासों सम्बन्धी विवादों को संज्ञेय अपराध न मानने के लिये निश्चित प्रक्रिया तैयार करने सम्बन्धी अनुपूरक प्रश्न है ताकि इनका निर्णय स्थानीय आधार पर या तो ग्रामीण पंचायतों अथवा पुलिस स्टेशन स्तर पर किया जा सके।

श्री रमाकान्त डी. खलप : हम न्यायपालिका से अनेक बार वार्ता कर चुके हैं। वास्तव में, मुख्य न्यायधीशों, विधि मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों के सम्मेलनों का अनेक अवसरों पर आयोजन किया गया है। इस प्रणाली का विकास राष्ट्रव्यापी चर्चा के परिणाम स्वरुप विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन मामलों की संख्या में भारी वृद्धि होने के कारण किया गया था। अब इस प्रणाली का विकास किया गया है। यह अब तक का सबसे सफल अभियान है। हमारा अनुभव है कि अभी भी अनेक राज्यों को अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न प्राधिकरणों का संविधान तैयार करना है और इसे ताल्लुका स्तर पर विभिन्न जिलों में लागू करना है अतः मेरे विचार से न्यायाधीशों से और विचारविर्मश करना आवश्यक नहीं हैं। अन्यथा हम केवल सम्मेलनों का ही आयोजन करते रहेंगे। अब समय समय पर की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने का समय आ गया है।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं और आप भी इस बात को जानते हैं कि गुजरात लोक अदालतों के मामले में मेरे ख्याल से पहले नम्बर पर है ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल कर्नाटक के बारे में ही प्रश्न पूछ सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। मेरा यह कहना है कि गुजरात की प्रजा बहुत अधिक न्यायप्रिय और शांतिप्रिय रही है। जिस राज्य में लोक अदालत अधिक सफल हुई हो उस राज्य को इनसेंटिव के लिए तथा लोक अदालतों को तहसील स्तर तक ले जाने के लिए तथा केन्द्र की ओर से कोई आर्थिक सहायता देने पर सरकार विचार कर रही है?

श्री रमाकान्त डी. खलप : अब तक तो विचार नहीं कर रही थी लेकिन आगे चल कर आपके इस सुझाव पर विचार करना नामुमकिन नहीं है।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि लोक अदालत कब लगेगी, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता। इसका नतीजा यह होता है कि जो गरीब या छोटा आदमी है उसे वकीलों को बहुत पैसा देना पड़ता है और इस काम में उसका बहुत पैसा बेकार जाता है। क्या आप यह सुझाव मानेंगे कि लोक अदालत के लिए कोई समय तय हो, साल में कोई एक महीना

या दिन या हफ्ता आप तय कर दें कि उस समय लोक अदालत लगेगी, ताकि लोगों को जो पैसा खर्च करना पड़ता है वह खर्च न हो, वह पैसा बच सके।

श्री रमाकान्त डी. खलप : जब जजेस के बिल पर इस हाउस में बहस हुई थी उस समय मैंने अपने रिप्लाई से कहा था कि आल्टरनेटिव डिस्प्यूट सिस्टम को हम बढ़ावा देंगे। अब जो नया बिल आ रहा है और अभी राज्यसभा में एज्यूडिकेशन एंड कंसीलिएशंन बिल पास हुआ। उस बिल के सहारे और लोक अदालत के सहारे जितने मामले कोर्ट में पैंडिग हैं, टू एंड ए हाफ करोड़ केसेस कोर्ट में पैंडिग हैं। **(व्यवधान)**

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या आप कोई समय निश्चित करेंगे कि इस समय लोक अदालत लगेगी या कभी भी लग सकती हे, जब आप एडवरटाइजमेंट करेंगे।

श्री रमाकान्त डी. खलप : मैं इस पर विचार करुंगा।

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब गरीबों के कल्याण के लिए यह योजना लागू की गई है तो उनकी जानकारी के लिए क्या कोई कार्यबद्ध योजना है और क्या उसके प्रचार-प्रसार के लिए, कि लोक अदालतों मे इस तरह के मामले जाते हैं, जो मामले गरीबों के वहां लम्बित हैं उनका निष्पादन कितने वर्षों में, कितने महीनों में सरकार कराना चाहती है?

श्री रमाकान्त डी. खलप : इस पर मैं बड़े गौर से विचार कर रहा हूं।

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : आप बताइए, सदन को स्पष्ट आश्वासन दीजिए कि गरीबों के लम्बित मामले कितने दिनों मे तय करेंगे। ...**(व्यवधान)**

श्री रमाकान्त डी. खलप : यह गरीबों के लिए ही है। हमारे कोर्ट भी गरीबों के लिए ही हैं। **(व्यवधान)** हम सब लोग भी गरीबों के लिए हैं। आपका जो सुझाव है इस पर हम सीरियसली विचार करेंगे।

श्री थावरचन्द गेहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो लोक अदालत आयोजित की जा रही है और कुछ जिलों में पायलट प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत मामले निपटाए जा रहे हैं, उसमें जो साल भर का टारगेट एक न्यायालय का रहता है कि 300 प्रकरण निपटाएंगे और उन 300 में जितने एविडेंस आते हैं उनको जो भत्ता देने की व्यवस्था है उतना ही पैसा उसमें मंजूर होता है। लोक अदालतों में अधिक प्रकरण निपटाए जाते हैं, वहां अधिक गवाह आते हैं तो उनको भत्ता देने की पर्याप्त व्यवस्था न्यायालय के पास नहीं है। क्या आप केन्द्र सरकार की ओर से ऐसी कोई योजना बना कर कार्यान्वित करने की कार्यवाही करेंगे कि पायलट प्रोजेक्ट योजना और लोक अदालत योजना के अंतर्गत जो भी गवाह आते हैं उनको समय पर भत्ता दे दिया जाए? नहीं तो यह हो रहा है कि बहुत से लोग गवाही देने के लिए आना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके पास आवागमन के लिए जो पैसा लगता है, रेल भाड़ा या बस भाड़ा लगता है वह उनके पास नहीं है। इस कारण से वे आना ही नहीं चाहते हैं तो क्या आप इसमे सुधार करने के लिए कोई कार्यवाही करेंगे?

[अनुवाद]

श्री रमाकान्त डी. खलप : महोदय, हम लोक अदालतों सम्बन्धी सभी मामलों पर विचार कर रहे हैं। जैसाकि मैंने पहले ही कहा हैं कि न केवल लोक अदालत, बल्कि उपलब्ध अन्य वैकल्पिक प्रणाली के बारे में भी विचार किया जायेगा। हम ऐसी प्रणाली तैयार करने पर विचार कर रहे हैं, जिससे आगामी कुछ वर्षों में देश में न्यायालयों में विचाराधीन मामलों की संख्या में उचित स्तर तक कमी की जा सके। इस में गवाह को दिये जाने वाला भत्ता आदि भी शामिल है। हम इस प्रणाली को और प्रभावी बनाने के लिये अन्य बातों पर भी विचार करेंगे और इस प्रणाली का विस्तार उच्चतम स्तर से निम्नतम स्तर तक किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भत्ते के मामले में पूछा था उसकी तो इन्होंने जानकारी दी ही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : इन्होंने बताया है।

श्री दत्ता मेघे : उपाध्यक्ष महोदय, लोक अदालत में कहा गया है कि दो करोड़ के ऊपर केसेस पेंडिंग हैं और ताल्लुक लेवल पर आप यह पूरा सिस्टम ले जाने वाले हैं, अभी आपने अपने उत्तर में कम से कम 3-4 बार एश्योरेंस दे दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो सिविल कोर्टस हैं वहां 10-10, 12-12 साल छोटे-छोटे लिटिगेशन होते हैं और वहां पर कोई भी वकील जाता है तो वह पैसा देकर तारीख पोस्टपोन कराते रहते हैं। इन लोक अदालतों का जो इस समय सहारा है उसको आप बढ़ाकर सही मायनों में ताल्लुका लेवल पर जब आप यह अदालत लेकर जायेंगे तो गरीब लोगों को इससे फायदा होगा। यह टाइम बाउंड प्रोग्राम कितने दिनों में कितने महीनों में या कितने सालों मे आप पूरा करने जा रहे हैं? आप टाइम बांउड प्रोग्राम कितने दिनों में कर लेंगे? यह जयादा से ज्यादा लोगों का महत्व पूर्ण सबजेक्ट है। आपने कहा है कि ताल्लुक लेवल पर हम करने वाले हैं। आप कितने दिनों में करने वाले हैं, 3-6 महीने या साल भर में ताकि पूरे देश की जनता यह जाने कि लोक अदालत का काम इतने दिनों में पूरा हो जायेगा?

[अनुवाद]

श्री रमाकान्त डी. खलप : महोदय इस अवस्था में मैं इस प्रश्न का विशिष्ट उत्तर नहीं दे सकता ।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : मेरा तो कहना है कि साल भर में या 6 महीने में करिए। इससे पूरे देश की जनता को मालूम हो जाए कि ताल्लुका लेवल पर हम लोक अदालत 6 साल के अंदर लोगों को उसका पूरा इस्तेमाल करने देंगे। इसके लिए ऐसा कोई टाइम बाउंड बताइए, नहीं तो क्या फायदा है।

[अनुवाद]

श्री रमाकान्त डी. खलप : महोदय, इस प्रयोजनार्थ मैं सभा को यह बताना चाहूंगा कि यह प्रणाली राज्य सरकारों द्वारा राज्य स्तर पर क्रियान्वित की जानी चाहिये। अतः राज्य सरकारों को नियम बनाने चाहिये और अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न प्राधिकरणों को लाना चाहिये। माननीय सदस्य की जानकारी के लिये, मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि अनेक राज्यों ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : हमारे स्टेट में लोक अदालत शुरु हो गई है। महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम चल रहा है। आपने जो कहा है कि ताल्लुका लेवल पर हम करने जा रहे हैं तो क्या आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट को या दूसरे लोगों को कोई ऐसा प्रोग्राम देने वाले हैं?

आपने जो कहा कि ताल्लुका लेवल पर हम करने जा रहे हैं तो क्या महाराष्ट्र सरकार या किसी दूसरे राज्य की सरकार को आप कोई ऐसा कार्यक्रम देने जा रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री रमाकान्त डी. खलप : उपाध्यक्ष महोदय, हमने कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम को व्यवस्था की है और इस अधिनियम का अध्याय तीन,18 राज्यों पर लागू होता है। वे राज्य हैं आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश । तीन राज्यों, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में कानूनी सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। मणिपुर राज्य ने नियमों को अन्तिम रुप दे दिया है और अध्याय तीन को लागू करने सम्बन्धी अधिसूचना शीघ्र ही जारी कर दी जायेगी। जहां तक अन्य राज्यों का सम्बन्ध है, यह कार्य नहीं किया गया है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करुंगा कि जिस राज्य से भी वे आये हों, उस पर प्रभाव डालें कि वे नियम बनायें और यह सुनिश्चित करें कि अधिनियम का सब जगह पूर्णतया पालन हो और हम इस अधिनियम के अन्तर्गत निकायों का गठन करें ताकि ताल्लुका स्तर से उच्च न्यायालय स्तर तक ये लोक अदालतें कार्य करना आरम्भ कर दें।

[हिन्दी]

सोने का आयात और आभूषण निर्यातकों को इसकी आपूर्ति

+

***244. श्री राम कृपाल सिंह यादव :**

श्री मृत्युंजय नायक :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा विशेष लाइसेंस के अन्तर्गत प्रति वर्ष कुल कितने सोने का आयात किया गया;

(ख) क्या भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लि. द्वारा शुरु की गई "सोना उधार देना" (गोल्ड आन लोन) योजना के अन्तर्गत आभूषण निर्यातकों को यह सोना दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान किन-किन स्थानों पर किन निर्यातकों को कितनी मात्रा में सोना दिया गया, इसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या निर्यातकों ने इस निगम द्वारा विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार आभूषणों का निर्यात करने के बाद भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लि. को सोने का भुगतान कर दिया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम को कुल कितनी राशि का भुगतान किया जाना है और मार्च, 1996 तक इस निगम को कुल कितना भुगतान किया गया;

(च) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई जांच की गई है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ज) क्या इस धोखाधड़ी में कोई अधिकारी लिप्त है; और

(झ) यदि हां, तो इसमें लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध और ऐसी धोखाधड़ियों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

[अनुवाद]

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (झ). एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) एक्जिम नीति के पैराग्राफ 88 के अंतर्गत आभूषणों के निर्यातकों को आपूर्ति करने के लिए शुल्क मुक्त सोने के आयात के लिए एम.एम.टी.सी. सरकार द्वारा नामित किए गए अभिकरणों में से एक है। यह एम.एम.टी.सी. द्वारा संचालित संवर्धनात्मक योजना है ताकि आभूषणों के निर्यातकों को सोना अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर प्राप्त हो सके इस योजना के अतिरिक्त एम.एम.टी.सी. सुपर स्टार

व्यापारिक घराना होने के कारण निर्यात लाभ के रुप में विशेष आयात लाइसेंस पाने की भी हकदार है जो इसका प्रयोग घरेलू बाजार में बिक्री के लिए 220/- रु. प्रति 10 ग्राम की दर से रियायती दर पर सीमा शुल्क का भुगतान करके सोने का आयात करने के लिए करते हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान एम.एम.टी.सी. द्वारा आयात किए गए सोने की कुल मात्रा के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :-

वर्ष	एस.आई.एल.के अंतर्गत आयात (कि.ग्रा.में)	निर्यात संवर्धन के अंतर्गत आयात (कि.ग्रा. में)
1993-94	0	13673
1994-95	3000	17369
1995-96	7000	20438

(ख) जी, हां।

(ग) सोने के आभूषणों के लगभग 400 निर्यातकों को एम.एम.टी.सी. द्वारा ऋण पर सोना दिया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान एम.एम.टी.सी. द्वारा ऋण पर दिए गए सोने की राज्य-वार कुल मात्रा नीचे दी गई हैं : -

(मात्रा कि.ग्रा. में)

राज्य	1993-94	1994-95	1995-96	कुल
दिल्ली	5571	5125	3993	14689
उत्तर प्रदेश	1253	1107	1518	3878
महाराष्ट्र	2760	3749	3564	10073
कर्नाटक	676	1581	2376	4633
आंध्र प्रदेश	0	82	166	248
पश्चिम बंगाल	619	474	1225	2318
राजस्थान	0	0	74	74
गुजरात	63	311	200	574
जोड़	10942	12429	13116	36487

(घ) निर्यातकों को एम.एम.टी.सी. द्वारा ऋण पर दिए गए 36487 कि.ग्रा. सोने की इस मात्रा में से एम.एम.टी.सी. को 362 कि. ग्रा. सोने के लिए भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। यह पिछले तीन वर्षों के दौरान आभूषणों के निर्यातकों को एम.एम.टी.सी. द्वारा ऋण पर दिए गए कुल सोने का 1 प्रतिशत बैठता है।

(ङ) इस 362 कि.ग्रा. सोने का ब्यौरा निम्नानुसार है

(1) ऋण पर दिया गया सोना तथा अब तक निर्यात नहीं किए गए आभूषण — 202 कि.ग्रा.

(2) आभूषण निर्यात किए गए परन्तु इस सोने के लिए भुगतान नहीं किया गया — 160 कि.ग्रा.

उपर्युक्त के कारण मुख्यतः निम्नानुसार है :—

1. निर्यात करने के लिए समय वृद्धि हेतु कुछ निर्यातकों द्वारा किए गए अनुरोध।
2. बॉन्डिड परिसरों से सोने को अप्राधिकृत तरीके से हटाना।
3. निर्यात आय की वूसली न होना।

(च) से (झ). इन सभी मामलों में एम.एम.टी.सी. द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरों सहित विदेश व्यापार महानिदेशालय, सीमाशुल्क विभाग, प्रवर्तन विभाग तथा अन्य प्रवर्तन अभिकरणों के सहयोग से कार्रवाई की जा रही है। जिन अधिकारियों पर लापरवाही या मिली-भगत का सन्देह है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरु की गई हैं।

सरकार ने स्वर्ण आभूषण के दोषी निर्यातकों के विरुद्ध समन्वित कार्रवाई करने के लिए सीमा-शुल्क आयुक्त, दिल्ली की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समूह का गठन किया है। सरकार ने ऋण पर दिए जाने वाले सोने के निर्यात के लिए अनुमत अवधि को घटाकर 60 दिन करके क्रियाविधि को भी सख्त बना दिया है। निर्यात संवर्धन क्षेत्र/निर्यात-अभिमुख इकाइयों में आभूषण इकाइयों को पिछले निर्यात्त निष्पादन पर निर्भर करते हुए अब 10 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक ग्रेडिड स्केल पर बैंक गारंटी भी देनी होती हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण था, लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने बहुत ही असंतोषजनक जवाब दिया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि सिक्योरिटी के बिना गोल्ड दिया गया, क्या यह सच है?

[अनुवाद]

श्री बोला बुल्ली रमैया : महोदय, भारत सरकार की नीति के अनुसार देश से आभूषणों का निर्यात करने के लिये विभिन्न आयोगों की स्थापना की गई है। ये हैं -स्टेट बैंक आफ इंडिया हैन्डी क्राफ्टस एण्ड हैडलूम एक्सपोर्ट ऑगनाइजेशन, एम.एम.डी.सी और स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन यह प्रमुखतः लघु क्षेत्र के लिये है जहां उनकी प्रसिद्धि आभूषणों के निर्यातकों के रुप में है और सोना ऋण के रुप में दिया गया था। लेकिन हमने महसूस किया कि कुछ विशेष मामलों में, हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा और ऐसे सब मामलों में हमने कार्यवाही की थी। यदि आप कुल जारी किये गये सोने की मात्रा देखें, तो आपको पता लगेगा कि कुल एक प्रतिशत से कम सोने की वसूली अभी भी की जानी है। हम ऐसे मामलों की जांच कर रहे हैं। 78.5 करोड़ रुपये के कुल लाभ में 11.6 करोड़ रुपये की राशिं मुकदमों में फंसी है। हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि आभूषणों के निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाये। हमने सितम्बर, 1995 से ऐसे सब

मामलों पर भी विचार करना आरम्भ किया है। अब हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि निर्यातक पूरी राशि की बैंक गारंटी दें अथवा अपनी (क्षमता और पूर्व कार्य निष्पादन की संपार्श्विक साथ-साथ) प्रतिभूति दें।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का प्रश्न बहुत विशिष्ट है। वह यह जानना चाहते कि क्या बिना जमानत के कुछ लोगों को सोना दिया गया था।

[हिन्दी]

श्री रामकृपाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने बहुत ही सिम्पल प्रश्न पूछा था।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी तरफ से कह दिया है आपका दूसरा सप्लीमेंटरी बच गया।

[अनुवाद]

श्री बोला बुल्ली रमैया : हमने कुछ मात्रा में सोना लघु क्षेत्र को निर्यात प्रयोजनार्थ दिया है। यह सोना उनके पूर्व कार्य निष्पादन के आधार पर दिया गया था। संभवतया हमने उस समय पूरी राशि की संपार्श्विक (साथ-साथ) प्रतिभूति नहीं ली थी। लेकिन अब कार्य निष्पपादन को देखने के बाद, हमने यह महसूस किया कि हमें इस बारे में सख्त होना चाहिये और हम उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही भी कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न का अभी भी जवाब नहीं दिया गया है। माननीय मंत्री यह जानना चाहते हैं कि क्या किसी व्यक्ति को प्रतिभूति के बिना सोना दिया गया था।

श्री बोला बुल्ली रमैया : जी, हां। हमने प्रतिभूति के बिना कुछ मात्रा में सोना उनके पूर्व निर्यात प्रधान लक्ष्य के आधार को ध्यान में रखते हुए दिया था।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : जब मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि बिना सिक्योरिटी के गोल्ड दिया गया तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन पदाधिकारियों, चेयरमैन से लेकर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ क्या ये सी.बी.आई. से इंक्वारी कराने की सोच रहे हैं क्या कोई कार्रवाई कर रहे हैं? ...**(व्यवधान)** गोल्ड जो दिया गया, उसकी मात्रा क्या थी? ...**(व्यवधान)**

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि गोल्ड की मात्रा क्या थी?

[अनुवाद]

श्री बोला बुल्ली रमैया : हमने उन अधिकारियों के विरुद्ध पहले ही कार्यवाही आरम्भ कर दी है जिन पर लापरवाही बरतने, सांठ-गांठ करने की आशंका थी और जो महानिदेशक (प्रर्वतन) सीमा शुल्क और अन्य विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री अपने कागजात देख रहे हैं। उन्हें देखने दीजिये।

श्री बोला बुल्ली रमैया : हमने अब तक 36,484 किलो सोना दिया है। उसमें से कुल 360 किलो सोने की वसूली की गई है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, मैंने यह पूछा था कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने के बारे में आपने सोचा है? क्या इस मामले की सी.बी.आई. से इनक्वायरी करायेंगे क्योंकि देश की बहुत बड़ी सम्पत्ति का नुकसान हुआ है और यह बहुत बड़ा घोटाला है।

[अनुवाद]

श्री बोला बुल्ली रमैया : जी, हां। हमने सी.बी.आई., डी.ओ.ई. और डी.आर.आई. के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही की है। इन लोगों के विरुद्ध विभिन्न प्रकार की कार्यवाही की जा रही है। ...**(व्यवधान)**

श्री मृत्युंजय नायक : मैं यह जानना चाहता हूं कि जमानत राशि को ध्यान में रखते हुए क्या ऐसे पहले भी कोई उदाहरण अथवा परम्परा है, जिसमें सरकार ने ऐसी छूट देने पर विचार किया है। यदि नहीं, तो सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसने उस प्रकार की छूट दी?

श्री बोला बुल्ली रमैया : पूर्व कार्य निष्पादन के आधार पर हमने निर्यात प्रधान लघु उद्योगों के बारे में विचार किया है, लेकिन अब हमने यह महसूस करने के बाद कि कुछ निश्चित जमाराशि अवश्य होनी चाहिये, इस मामले में सख्त कार्यवाही करनी आरम्भ कर दी है। सितम्बर, 1995 से हम पूरी बैंक गारंटी देने पर जोर दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब मंत्री जी ने कहा कि मात्र एक परसैंट सोना इस तरह से चला गया। उन्होंने बहुत हल्के ढंग से यह बात कही । एक परसैंट सोने का मतलब, उसपर ब्याज और कस्टम डयूटी मिलाकर लगभग 100 करोड़ रुपए बनते हैं। 100 करोड़ रुपया इस देश का चला गया। उन्हें इसकी चिन्ता नहीं है। वह आंकड़े देकर हम को बता रहे हैं कि इसे कैसे दिया गया। यह बिना बैंक गारंटी के दिया गया। 36 हजार किलो सोना यानी दो हजार करोड़ रुपए का सोना बैंक गारंटी के बगैर दिया गया। मंत्री जी ने अपने जवाब में तीन कारण बताए हैं। उनमें से एक कारण यह है कि ।

[अनुवाद]

(एक) निरोधित परिसर से अनधिकृत रुप से सोना निकालना

[हिन्दी]

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अनऑथोराइज्ड ढंग से बॉन्डिड वेअर हाउस से सोना कैसे गया, आपको कब पता चला, कौन जिम्मेदार था, कितने लोगों को पकड़ा गया और अगर पकड़ा गया तो उनके खिलाफ क्या हो रहा है? मंत्री जी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया है। आपने बार-बार यह कहा है कि छोटे-छोटे लोगों को हम दे रहे हैं। ये छोटे लोग नहीं हैं, ये एक्सपोर्ट हाउसिज हैं। ये मशीन के जरिये जेवर बनाते हैं और इन्होंने सोनारों के रोजगार को समाप्त किया है। देश में 50 लाख सोनार इस समय भूखों मर रहे हैं। यह चोरी करने वाली जमात है। आप इनको सोना देना बंद करके, छोटे सोनारों के जरिये सारे जेवर बनाकर निर्यात करने का इंतजाम करने के लिए तैयार हैं?

[अनुवाद]

श्री बोला बुल्ली रमैया : हमने इस बारे में उचित सावधानी बरती है। अब डी.ओ.ई में 80 मामले लम्बित पड़े हैं। डी.आर.ई. में 9 मामले लम्बित हैं, और सी.बी.आई. में पांच मामले लम्बित हैं। हम इन लोगों के विरुद्ध इन आधारों पर कार्यवाही कर रहे हैं। हमने इन सब लोगों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या बड़े लोगों से हटा करके छोटे सोनारों के हाथों से करवाने के लिये तैयार हैं?

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मुझे विश्वास है कि उत्तर और अधिक संतोषजनक हो सकता है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : यह बहुत उत्साहवर्धक है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मेरे प्रश्न का पहला भाग है क्या जुर्माना लगाया गया है? कितने व्यक्ति इसमें शामिल पाये गये और उनके नाम क्या हैं? यह मेरे प्रश्न का पहला भाग है। श्री जार्ज फर्नान्डीज ने उचित रुप से ही हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित कराया है कि इसमें बड़ी धनराशि अन्तर्गस्त है। छूट देने का एक कारण यह बताया गया है कि छूट देने से तस्करी रुक जायेगी अथवा कम हो जायेगी। क्या वह इस बात के आंकड़े प्रस्तुत करेंगे कि इसके परिणामस्वरुप सोने की तस्करी में कितनी कमी आई। यह मेरे प्रश्न का दूसरा भाग हैं।

इसके बाद, मैं यह जानना चाहता हूं कि उक्त प्रस्ताव किस वर्ष में दिये गये थे। कितनी राशि का जुर्माना किया गया? जुर्माने का स्वरुप क्या था? क्या किसी पर प्रभाव डाला गया था? मेरे विचार से इसमें कोई सांठ-गांठ थी। कुछ अधिकारी इसमें शामिल थे। क्या उनको सेवा से निकाला गया है? उनको किस प्रकार की सजा दी गई है?

उपाध्यक्ष महोदय : केवल एक अनुपूरक की अनुमति है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह मेरे प्रश्न का एक भाग है। माननीय वित्त मंत्री यहां हैं। अन्य विवरण रुचिकर है। न केवल सोने के निर्यात में वृद्धि हुई है, बल्कि देश में सोने की खपत शून्य से बढ़कर 3000 से 7000 किलोग्राम हो गई है। और सोने की कुछ मात्रा रास्ते में ही गुम हो जाती है। एक प्रतिशत निर्यात प्रयोजार्थ लेकिन इसका पांच प्रतिशत अर्थात 3000 किलोग्राम सोना खपत पांच प्रतिशत के बराबर देश में लाया गया है। क्या उनका ऐसा विचार है कि घरेलू क्षेत्रों में सोने के अपवर्तन व्यय से हमारी बचत प्रभावित हो रही हे?

श्री बोला बुल्ली रमैया : वर्ष 1993,1994 और 1995 में विभिन्न मामलों में इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का मैंने ब्यौरा दे दिया है, मैंने आपको कुल मामलों के बारे में भी जानकारी देनी है। इसमें शामिल लगभग 32 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। हमने सितम्बर, 1995 में भी उचित सावधानी बरती थी। सब मामले चल रहे हैं। ई.पी.जैड/ई.ओ.यू. के बारे में यह सब कुछ है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कितने लोगों को सजा दी गई? किस प्रकार की सजा दी गई?

श्री बोला बुल्ली रमैया : कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है; कुछ लोगों की जांच की गई है। कुछ मामलों में बातचीत चल रही है ...(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उनकी पहचान क्या है। उन्होंने बताया है कि इसमें धनवान व्यक्ति शामिल हैं। उसमें छोटे मालिक शामिल नहीं हैं बल्कि धनवान लोग शामिल हैं। वे कौन हैं?

श्री बोला बुल्ली रमैया : जहां तक हमारा सवाल है, हम केवल उन छोटे व्यापारियों को दे रहे हैं जो ई.पी.जैड/ई.ओ.यू. के अन्तर्गत आते हैं। हम ऐसा ही कर रहे हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या कोई बिचौलिया नहीं है।

श्री बोला बुल्ली रमैया : यह उन लोगों को सीधे दिया जाता है।

जहां हम सोने की ऋण के रुप में सप्लाई कर रहे हैं। यह योजना के लिये है और यह योजना इसी आधार पर चल रही है।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि किन-किन निर्यातकों को इसके अन्तर्गत बिना सिक्योरिटी के सोना दिया गया? उन में से कितनों के खिलाफ कार्यवाही की और किन किन मुद्दों पर कार्यवाही की?

[अनुवाद]

श्री बोला बुल्ली रमैया : हमारे पास ऐसे लोगों की सूची है। यदि आप चाहें, तो मैं सभा में प्रस्तुत कर सकता है। जैसाकि मैंने पहले बताया, 32 मामले लम्बित हैं और हम उन मामलों में आगे कार्यवाही कर रहे हैं ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह : इसकी कौन जांच कर रहा है और किन-किन मुद्दों पर कार्यवाही हो रही है?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब वह अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री बोला बुल्ली रमैया : सी.बी.आई. द्वारा उक्त कार्यवाही की जा रही है। हमारे पास डी.ओ.ई. और डी.आर.आई. हैं। हम उनका उपयोग कर रहे हैं। तीनों एजेंसियां इन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही कर रही हैं।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह : पिछली सरकार से सम्बन्धित मंत्री इसमें शामिल हैं। इसलिये यह नाम नहीं बता रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री शरत पटनायक : यह ठीक उत्तर नहीं है। वह पिछली सरकार को इसमें शामिल कर रहे हैं। इसीलिये वे इसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। यह ठीक उत्तर नहीं हैं। इसे कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाना चाहिये। ...**(व्यवधान)**

श्री बोला बुल्ली रमैया : हमने इस मामले में किसी अधिकारी का नाम नहीं लिया है। जैसाकि मैंने सभा में कहा है कि लापरवाही/सांठ गांठ में शामिल होने की शंका वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। अतः इन सब लोगों के विरुद्ध इन सब मामलों में कार्यवाही की गई हैं। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह : आप सूची सभा पटल पर रख दें ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें पूछ लेने दें।

श्री बी.के. गढवी : प्रश्न का सम्बन्ध गत तीन वर्षों में किये गये सौदों से है। जैसा श्री जार्ज फर्नान्डीज ने उचित रुप से मामला उठाया है कि यह मामला साढ़े तीन क्विन्टल से अधिक सोने का है तथा इसे अनधिकृत रुप से निरोधित गोदामों में से निकालना है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या सोने के अनधिकृत रुप से निकाले जाने के कार्य से जुड़े निरोधित गोदामों और एम.एम.टी.सी. को वापिस भुगतान न करने वालों को सरकार ने काली सूची में शामिल किया है?

दूसरे, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने इन व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक आधार और अन्य आधार पर कार्यवाही की है। और क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने का प्रयास किया है कि क्या इन मालगोदामों के सीमाशुल्क अधिकारियों के बीच कोई सांठ-गांठ है। यदि हां, तो इनके बीच क्या षड़यंत्र रचा गया?

श्री बोला बुल्ली रमैया : इस सम्बन्ध में कार्यवाही की गई है। सरकार ने सीमा शुल्क आयुक्त की अध्यक्षता में एक अन्तर मंत्रालय ग्रुप का गठन किया है जो इस मामले में समन्वित कार्यवाही करता है और इन सब लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करता है। हम यह कार्य कर रहे हैं।

श्री बी.के. गढ़वी : मैं यह जानना चाहता हूं कि गत तीन वर्षों में इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई अथवा नहीं?

औद्योगिक विकास

***245. श्री पी.आर. दासमुंशी :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1995-96 के लिए औद्योगिक विकास की घोषणा कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में क्षेत्र-वार कितना विकास हुआ तथा वर्ष 1994-95 के तुलनात्मक आंकड़ों सहित राज्य-वार उपलब्धि क्या रही?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख). औद्योगिक उत्पादन के नवीनतम सूचकांक के अनुसार, समग्र औद्योगिक विकास की दर 1994-95 की 9.4 प्रतिशत की तुलना में 1995-96 में 12.1 प्रतिशत थी। औद्योगिक उत्पादन का क्षेत्रवार विकास और आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में परिकल्पित औसत वार्षिक विकास दर नीचे दर्शायी गई है :

औद्योगिक विकास (प्रतिशत)

क्षेत्र	(वेट)	परिकल्पित वार्षिक विकास दर (1992-97)	विकास दर (1994-95)	विकास दर (1995-96)
खनन	11.464	8.9	7.3	6.9
विद्युत	11.429	7.6	8.5	8.1
विनिर्माणकारी	77.107	8.2	9.8	13.7
समग्र	100	8.2	9.4	12.1

राज्य स्तर पर औद्योगिक उत्पादन के तुलनात्मक सूचकांक तैयार नहीं किए जाते हैं।

श्री पी.आर. दासमुंशी : उपाध्यक्ष महोदय, समय बहुत कम है और मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। प्रश्न का पूरी तरह जवाब नहीं दिया गया है। यदि आप मेरे प्रश्न को देखें, तो भाग (ग) का उत्तर नहीं दिया गया है। भाग (क) और भाग (ख) का उत्तर दिया गया है और भाग (ग) में यह कहा गया है कि राज्य स्तर पर औद्योगिक उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़े तैयार नहीं किये गये हैं। यदि यही तरीका है, तो मैं प्रश्न कैसे पूछ सकता हूं? मैं यह जानने के लिये अधिक उत्सुक था।

श्री शिवराज सिंह : प्रश्न में भाग 'ग' नहीं है।

श्री पी.आर. दासमुंशी : भाग 'ग' है ...(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

यह स्टेटवाइज पार्ट "बी" सी जुड़ा हुआ था।

[अनुवाद]

प्रश्न के अन्तिम भाग में यह कहा गया है कि राज्य स्तर पर औद्योगिक उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़े तैयार नहीं किये गये हैं। मैं माननीय मंत्री से एक बात जानना चाहूंगा। बजट से कुछ दिन पूर्व, आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि औद्योगिक विकास 11.7 प्रतिशत था और माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में यह बताया है कि यह 12.1 प्रतिशत है। मैं आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन और उद्योग मंत्री के वक्तव्य के बीच अन्तर के बारे में बहस नहीं करना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय : अपना प्रश्न पूछें। समय बहुत कम है।

श्री पी.आर. दासमुंशी : मेरा प्रश्न यह है कि कुल मिलाकर निर्माण प्रक्रिया की क्रियान्वित विकास दर 13.7 प्रतिशत है। खनिज क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में सुधार न होने के क्या कारण हैं? इन में गिरावट की प्रवृति क्यों हैं?

श्री मुरासोली मारन : माननीय सदस्य ने प्रश्न के अन्तिम भाग में यह पूछा है कि राज्य में विकास के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं। सामान्यतः इसका संकलन नहीं किया जाता है। आजकल, औद्योगिक विकास के राष्ट्रीय स्तर पर सूचकांक तैयार किये जाते हैं। राज्यों के तुलनात्मक सूचकांक बहुत आवश्यक हैं, मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं। लेकिन अब प्रयास किये जा रहे हैं। सभा में मैं पहले ही आश्वासन दे चुका हूं। कुछ कठिनाइयां हैं। आप पूछ सकते हैं कि राज्यों के औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े उनकी विशेष प्रकार की गतिविधियों के अनुसार अध्यारोपित क्यों नहीं करते। यह सम्भव नहीं है। उदाहरणार्थ राज्य स्तर के तुलनात्मक आंकड़े प्राप्त करने के लिये भारी मानचित्र अध्यारोपित नहीं किये जा सकते। प्रत्येक उद्योग का महत्व एक राज्य से दूसरे राज्य में विभिन्न होता है। उदाहरणार्थ, आप पश्चिम बंगाल के लिये भारी मानचित्र तैयार करते हुए सूची तैयार करें, तो आपको पटसन उद्योग पर अधिक बल देना होगा जबकि तमिलनाडु के मामले में पटसन उद्योग पर बल देने की आवश्यकता नहीं है। अतः इन आंकड़ों को अध्यरोपित नहीं किया जा सकता।

मध्याह्न 12.00 बजे

इसी प्रकार उत्पादन सुविधाएं हैं। ' 'जैसी कम्पनियों को अनेक राज्यों में उत्पादन सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन वे केवल मुख्यालयों में ही खाते रखती हैं। यह कठिनाइयां हैं।

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन और मंत्रालय राज्यवार आंकड़े तैयार करने के कार्य में पहले से संलग्न है। सी.एस.ओ. द्वारा गठित तकनीकी सलाहकार समिति ने पहले ही राज्य स्तर के आंकड़ों को अन्तिम रुप दे दिया है। मानचित्रों पर बल देने और सामग्री के लिये बास्केट का चयन करने के बारे में आर्थिक और सांख्यिकी राज्य ब्यूरो के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। मेरे विचार से सुदूर भविष्य में वे राज्य स्तरीय आंकड़े तैयार करेंगे।

माननीय सदस्य ने खनिज क्षेत्र के बारे में प्रश्न पूछा है। विकास दर 7.3 से घटकर 6.9 रह गई है। वह इसके कारण जानना चाहते हैं। यह चिन्ता का विषय है क्योंकि खनिज क्षेत्र में दर में कमी आई है। अन्य बातों के अलावा, विद्युत क्षेत्र में यद्यपि कमी आई है, लेकिन यह बहुत मामूली है। यह चिन्ता का विषय है। अतः इसका अभिप्राय है कि हमें विद्युत उत्पादन करने के मामले में स्पष्ट नीति अपनानी होगी इस समय पनबिजली उत्पादन बहुत कम है। अतः विद्युत क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये। वित्त मंत्री महोदय वर्तमान बजट में भी इस ओर ध्यान दे रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

म्युचुअल फंड्स

***242. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में संचालित म्युचुअल फंड्स वित्तीय दुरुपयोग तथा अवांछित कारोबार में संलिप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण करवाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा विभिन्न म्युचुअल फंड्स को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड)

विनियम, 1993 के अन्तर्गत म्यूचुअल फंडों का संचालन सेबी द्वारा किया जाता है। सेबी ने मार्च, 1995 से पहले शुरु हुए 21 म्यूचुअल फंडों का निरीक्षण किया है। इन निरीक्षणों से कार्य प्रचालन त्रुटियों, सेबी म्यूचुअल फंड विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन आदि का पता लगा है।

(घ) जहां भी आवश्यकता हुई भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 और सेबी (म्यूचुअल फंड विनिमय 1993) के अन्तर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार कारण बताओं नोटिस जारी करके और अधिनिर्णय प्रक्रिया शुरु करके सेबी ने अपने निरीक्षणों पर आगे कार्रवाई की है।

[हिन्दी]

कोयले पर रायल्टी

***246. श्री थावर चन्द गेहलौत :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मई, 1996 की स्थिति के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा कोयले पर रायल्टी के रुप में दी जाने वाली राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान मध्य प्रदेश को कोयले की रायल्टी के रुप में कितनी राशि दी गई; और

(ग) वर्तमान में राज्यवार कोयले की रायल्टी दर क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) कोल इंडिया लि. तथा सिंगरेनी को लियरीज कंपनी लि. द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार 31 मई, 1996 की स्थिति के अनुसार उनके द्वारा राज्यों को कोयले पर देय रायल्टी की राशि नीचे दर्शायी गई है :-

(करोड़ रु. में)

राज्य	31.5.1996 को स्थिति के अनुसार रायल्टी की देय बकाया राशि
पश्चिम बंगाल	2.96
बिहार	8.10
उड़ीसा	11.80
महाराष्ट्र	2.03
मध्य प्रदेश	0.19
आंध्र प्रदेश	36.66

(ख) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. तथा साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि., जोकि कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनियां हैं, उनके द्वारा मध्य प्रदेश को 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान अदा की गई कोयले पर रायल्टी की राशि नीचे दर्शायी गई है: -

(करोड़ रु. में)

वर्ष	राशि
1994-95	438.91
1995-96	666.77

(ग) कोयले पर रायल्टी की विद्यमान दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

(ए) पश्चिम बंगाल और मेघालय राज्यों को छोडकर सभी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में उत्पादित कोयले पर रायल्टी की दरें नीचे दी गई हैं

(एक) ग्रुप-I कोयला :

(क) कोककारी कोयला इस्पात ग्रेड-I इस्पात ग्रेड-II वाशंरी ग्रेड-I	केवल एक सौ पचानवे रुपए प्रति टन
(ख) अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड में उत्पादित हाथ से उठाया गया कोयला	केवल एक सौ पचास रुपए प्रति टन

(दो) ग्रुप-II कोयला :

(क) कोककारी कोयला वाशरी ग्रेड-II कोककारी कोयला वाशरी ग्रेड-III	केवल एक सौ पैंतीस रु. प्रति टन

(ख) अर्द्ध-कोककारी कोयला ग्रेड-I अर्द्ध-कोककारी कोयला ग्रेड-II	केवल एक सौ पैंतीस रु. प्रति टन
(ग) गैर-कोककारी कोयला ग्रेड-ए गैर-कोककारी कोयला ग्रेड-बी	
(घ) अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड में उत्पादित बिना ग्रेड का खान से निकाला हुआ कोयला	केवल एक सौ बीस रु. प्रति टन

(तीन) ग्रुप-III कोयला :

(क) कोककारी कोयला वाशरी ग्रेड-4 (ख) गैर-कोककारी कोयला ग्रेड-सी	केवल पचानवे रुपए प्रति टन

(चार) ग्रुप-IV कोयला :

(क) गैर-कोककारी कोयला ग्रेड-डी (ख) गैर-कोककारी कोयला ग्रेड-ई	केवल सत्तर रुपए प्रति टन

(पांच) ग्रुप-V कोयला :

(क) गैर-कोककारी कोयला ग्रेड-एफ (ख) गैर-कोककारी कोयला ग्रेड-जी	केवल पचास रुपए प्रति टन

लिग्नाइट : केवल दो रुपए पचास पैसे प्रति टन

(छः) ग्रुप-VI कोयला :

आंध्र प्रदेश राज्य में उत्पादित कोयला	केवल पचहत्तर रुपए प्रति टन

(बी) पश्चिम बंगाल और मेघालय राज्यों में उत्पादित कोयले पर रायल्टी की दरें नीचे दी गई हैं

(एक) ग्रुप-I कोयला :

(क) कोककारी कोयला इस्पात ग्रेड-I इस्पात ग्रेड-II वाशंरी ग्रेड-I	केवल सात रुपए प्रति टन
(ख) मेघालय राज्य में उत्पादित हाथ से उठाया गया कोयला	केवल एक सौ पचास रुपए प्रति टन

(दो) ग्रुप-II कोयला :

(क) कोककारी कोयला वाशरी ग्रेड-II कोककारी कोयला वाशंरी ग्रेड-III (ख) अर्द्ध-कोककारी ग्रेड-I अर्द्ध-कोककारी कोयला ग्रेड-II (ग) गैर-कोककारी कोयला ग्रेड-ए गैर-कोककारी कोयला ग्रेड-बी	केवल छह रुपए पचास पैसे प्रति टन
(घ) मेघालय राज्य में उत्पादित बिना ग्रेड का खान से निकाला हुआ कोयला	केवल एक सौ बीस रुपए प्रति टन

(तीन) ग्रुप-III कोयला :

(क) कोककारी कोयला वाशरी ग्रेड-4 (ख) गैर-कोककारी कोयला ग्रेड-सी	केवल पांच रुपए पचास पैसे प्रति टन

(चार) ग्रुप-IV कोयला :

(क) गैर-कोककारी कोयला ग्रेड-डी (ख) गैर-कोककारी कोयला ग्रेड-ई	केवल चार रुपए तीस पैसे प्रति टन

(पांच) ग्रुप-V कोयला :

(क) गैर-कोककारी कोयला ग्रेड-एफ (ख) गैर-कोककारी कोयला ग्रेड-जी	केवल दो रुपए पचास पैसे प्रति टन

[अनुवाद]

पूंजी-पर्याप्तता मानदंड

***247. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों से कहा था कि वे पूंजी-पर्याप्तता मानदंड संबंधी अपनी उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए वर्ष 1995-96 के अपने कार्यनिष्पादन संबंधी परिणाम प्रस्तुत करें;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी बैंकों द्वारा इस संबंध में सूचना दे दी गई हे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) बैंकों के पूंजी पर्याप्तता मानदंड में सुधार करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). भारतीय रिजर्व बैंक की सूचना के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जोखिमभारित अनुपात के लिए निर्धारित पूंजी बनाए रखने में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सक्षम बनाने हेतु उनके पूंजी गत ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(एक) भारत सरकार ने पिछले पांच वर्षों में राष्ट्रीयकृत बैंकों के पुनर्पूंजीकरण में अंशदान किया है।

(दो) सरकारी क्षेत्र के सात बैंकों को टियर II पूंजी बढ़ाने के लिए गैर सरकारी नियोजन के माध्यम से बांड जारी करने की अनुमति दी गई है।

(तीन) दो बैंकों को जनता के लिए शेयर जारी करने की अनुमति दी गई थी।

(चार) बैंकों पर इस बात के लिए जोर दिया गया था कि अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए उन्हें अपने ऋण मूल्यांकन तंत्र को मजबूत बनाना चाहिए और अग्रिमों तथा अनिष्पादित अग्रिमों की वसूली का निकट से पर्यवेक्षण करना चाहिए और उस पर नियंत्रण रखना चाहिए।

विवरण

क्र.सं.	सरकारी क्षेत्र के बैंक	पूंजी पर्याप्तता अनुपात 31.3.1996 की स्थिति के अनुसार
1	2	3
1.	भारतीय स्टेट बैंक	11.60
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	9.21
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	9.90
4.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	8.80
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	8.81
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	*
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	12.38
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	9.40
9.	इलाहाबाद बैंक	*
10.	आंध्र बैंक	5.07
11.	बैंक आफ बड़ौदा	11.20
12.	बैंक आफ इंडिया	8.40
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	8.49
14.	केनरा बैंक	10.38
15.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	2.63
16.	कारपोरेशन बैंक	11.30
17.	देना बैंक	8.27
18.	इण्डियन बैंक	*
19.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	*
20.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	16.99
21.	पंजाब नेशनल बैंक	*

1	2	3
22.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	*
23.	सिण्डिकेट बैंक	8.40
24.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	9.50
25.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	3.50
26.	यूको बैंक	*
27.	विजया बैंक	-

* तुलन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है

विदेशी बैंक

***248. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1995 तथा 1996 के दौरान अब तक विदेशी बैंकों की खोली गई शाखाओं के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में विदेशी बैंकों की और शाखाएं खोलने हेतु प्रोत्साहन देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1995 और 1996 के दौरान देश में खोली गई विदेशी बैंकों की शाखाओं का विवरण, नीचे दिया गया है :-

क्र.सं.	बैंक का नाम	स्थान	खोलने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
	1995		
1.	क्रेडिट लियोनेस	अहमदाबाद	18.2.95
* 2.	डिवलपमेंट बैंक आफ सिंगापुर	मुम्बई	15.3.95
3.	बैंक आफ बहरीन एंड कुवैत	हैदराबाद	23.3.95
4.	बैनक्यू नैशनल डी पैरिस	बंगलौर	05.7.95
* 5.	ड्रैसडनर बैंक	मुम्बई	21.8.95
6.	ऐबीएन आमरो बैंक	मद्रास	15.9.95
* 7.	बैंक आफ सीलोन	मद्रास	30.10.95
8.	बैनक्यू नैशनल डी पैरिस	पुणे	03.7.95
9.	सोसीटी जनरेल	बंगलौर	23.11.95
*10.	कामार्ज बैंक	मुम्बई	01.12.95
*11.	सियाम कामर्शियल बैंक	मुम्बई	14.12.95
	1996		
* 1.	बैंक इंटरनेशनल इण्डोनेशिया	मुम्बई	4.4.96
* 2.	चाइना ट्रस्ट कामर्शियल बैंक लि.	नई दिल्ली	8.4.96
* 3.	अरब बंग्लादेश बैंक	मुम्बई	6.4.96
* 4.	चो हंग बैंक	मुम्बई	6.5.96
* 5.	फयूजी बैंक	मुम्बई	20.5.96

* इन बैंकों ने भारत में अपनी पहली शाखा खोली है और ये नए विदेशी बैंक हैं। शेष भारत में पहले ही परिचालन कर रहे विदेशी बैंकों द्वारा खोली गई अतिरिक्त शाखाएं हैं।

भारत में शाखाएं खोलने के लिए विदेशी बैंकों से प्राप्त हुए अनुरोधों पर अन्य बातों के साथ-साथ विनिमय के सिद्धान्त, बैंक की वित्तीय स्थिति और सुदृढ़ता, सम्पूर्ण विश्व में उसकी शाखा नेटवर्क, पूंजी और आस्तियों का आकार, अपने संस्थापन के देश में बैंक की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति, राष्ट्रीय लाभ और दो देशों के बीच आर्थिक और वित्तीय/व्यापार सम्बन्ध, बैंकों के पर्यवेक्षण के बारे में देश में विद्यमान प्रणाली आदि, को ध्यान में रखना होता है।

लम्बित मामले

***249. श्री आर.एल.पी. वर्मा : क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 दिसम्बर,1993 को तत्कालीन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुए मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में की गई सिफारिशों के बारे में अनुवर्ती कार्यवाही की कोई समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और न्यायालय-वार न्यायाधीशों के कितने नए पदों का सृजन किया गया है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्यमंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) जी हां।

(ख) मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों द्वारा, 4 दिसंबर, 1993 को हुई बैठक में अंगीकृत संकल्प में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन में की गई प्रगति का, विधि मंत्रियों द्वारा 17 नवंबर, 1994 को कलकत्ता में और 25 नवंबर, 1995 को हैदराबाद में हुए खुले अधिवेशनों में पुनर्विलोकन किया गया था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	सृजित किए जाने के लिए मंजूर किए गए नए पदों की संख्या			
		1993	1994	1995	1996 (30.6.96 तक)
1.	इलाहाबाद	–	–	–	–
2.	आंध्र प्रदेश	–	–	–	3
3.	मुंबई	–	–	–	–
4.	कलकत्ता	–	–	–	–
5.	दिल्ली	–	–	–	–
6.	गौहाटी	–	–	–	–
7.	गुजरात	–	6	–	–
8.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	6
9.	जम्मू-कश्मीर	–	–	–	–
10.	कर्नाटक	–	–	10	–
11.	केरल	–	5	–	–
12.	मध्य प्रदेश	–	–	–	–
13.	मद्रास	–	–	10	–
14.	उड़ीसा	–	–	–	–
15.	पटना	–	–	–	–
16.	पंजाब	7	–	–	–
17.	राजस्थान	–	–	–	–
18.	सिक्किम	–	–	–	–
	योग	7	11	20	9

व्यापार संतुलन

***250. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**

डा. जी.आर. सरोदे :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1996-97 के दौरान किये गये आयात और निर्यात के मूल्यों में अनुमानित अंतराल कितना है;

(ख) चालू वर्ष के पहले तीन महीनों के दौरान अनुमानित अंतराल कितना था;

(ग) क्या इस अंतराल के बढ़ने का मुख्य कारण आयात मूल्य का निर्यात मूल्य से अधिक हो जाना है;

(घ) यदि हां, तो गत वर्ष के इन्हीं महीनों की तुलना में आयात और निर्यात में कितनी बढ़ोतरी या कमी हुई है; और

(ङ) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). चालू वित्तीय वर्ष के दौरान व्यापार घाटा अर्थात् आयात और निर्यात के मूल्य के बीच अन्तर अप्रैल-जून, 1996 में 0.938 बिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान लगाया गया है। अप्रैल-जून, 1996 वह अद्यतन अवधि है जिसके अनंतिम आंकड़े डी.जी.सी.आई. ऐंड एस. से उपलब्ध हुए हैं। जहां तक पूरे वर्ष 1996-97 के व्यापार घाटे का संबंध है 1995-96 में दर्ज किए गए 4.53 बिलियन अमरीकी डालर से काफी कम होने की आशा है।

(ग) और (घ). अप्रैल-जून, 1996 के दौरान निर्यातों में डालर के रुप में 14.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है जबकि आयातों में पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में 14.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

(ङ) निर्यात में अधिक वृद्धि करने से व्यापार घाटे को कम किया जा सकता है। सरकार नीति तथा संवर्धनात्मक योजनाओं के जरिए संवर्धन संबंधी उपाय निरंतर करती रहती है जिनमें ये शामिल हैं : निर्यात-आयात नीति संबंधी क्रियाविधियों को सरल बनाना, कार्यक्षमता तथा प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार लाना, गुणवत्ता तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन पर अधिक ध्यान देना, निर्यात संवर्धन में राज्य सरकारों को सक्रिय रुप से शामिल करने के लिए प्रयास करना। निर्यात संवर्धन रिनंतर चलता रहने वाला कार्य है जो उद्योग, व्यापार तथा अन्य निर्यात संवर्धनात्मक संस्थाओं के साथ परस्पर सम्पर्क पर निर्भर करता है।

लघु उद्योगों को कर की छूट

***251. श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लघु उद्योगों को विभिन्न करों इत्यादि में छूट दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). आयकर अधिनियम की धारा 80-एच.एच.ए. के अंतर्गत लघु औद्योगिक उपक्रमों को उनके लाभ और अभिलाभ पर 20 प्रतिशत कटौती अनुज्ञेय है बशर्ते कि वे उस धारा में उल्लिखित विभिन्न शर्तें पूरी करते हों। इसके अतिरिक्त ऐसे उपक्रम अपने लाभ और अभिलाभ पर उपर्युक्त अधिनियम की धारा 80-आई/80-आई क के अन्तर्गत 20 से 25 प्रतिशत की कटौती पाने के पात्र हैं।

लघु उद्योगों को अनुज्ञेय उत्पाद शुल्क की छूट निम्नप्रकार है :-

निकासी की कीमत	छूट
30 लाख रुपए की आय तक	उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट
30 लाख रुपए की आय से अधिक किन्तु 50 लाख रुपए तक	सामान्य शुल्क घटा 10 प्रतिशत किन्तु न्यूनतम 5 प्रतिशत
50 लाख रुपए की आय से अधिक किन्तु 75 लाख रुपए तक	सामान्य शुल्क घटा 5 प्रतिशत किन्तु न्यूनतम 5 प्रतिशत

इसके अतिरिक्त कतिपय विशिष्ट वस्तु योजनाएं भी उपलब्ध हैं जिनके अन्तर्गत लघु उद्योग की विशिष्ट माल बनाने वाली इकाइयों को उत्पाद शुल्क से छूट दी जाती है।

बैंकों द्वारा "कंप्यूटर इंजिनयर" के लिए अतिरिक्त प्रभार

***252. श्री मंगल राम प्रेमी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 मार्च, 1996 के "द इकॉनोमिक टाइम्स" नई दिल्ली में प्रकाशित "चार्जिंग एक्स्ट्रा कंप्यूटर इंजिनयरः बैंक्स "राउंड ऑफ टू नेट रुपीज थ्री हण्ड्रेड कंडोर्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) बैंकों की ऐसी अवांधित गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). दिनांक 2 सितम्बर, 1991 को भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को यह परामर्श दिया था कि उन्हें ब्याज के कर के भार को, यथानुपात अपने उधारकर्ताओं को अन्तरित कर देना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह परामर्श भी दिया था कि वे इस संबंध में भारतीय बैंक संघ (आई.बी.ए.) के परामर्श से एक समान पद्धति अपनाए। आई.बी.ए. ने दिनांक 9 अक्तूबर, 1991 के परिपत्र के तहत अपने सदस्य बैंकों को यह परामर्श दिया था कि ब्याज दरों पर 3 प्रतिशत का ब्याज कर भी प्रभावित किया जा सकता है और अधिकतम 0.25 प्रतिशत तक पूर्णांकित किया जा सकता है। बैंकों द्वारा कर सहित ब्याज का अधिकतम 0.25 प्रतिशत तक पूर्णांकन आई.बी.ए. द्वारा निर्धारित एक समान पद्धति के अनुसार किया जा रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से ऋण

***253. श्री प्रभु दयाल कठेरिया :**

श्री विजय गोयल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्य सरकारों को अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से सीधे ही ऋण/सहायता प्राप्त करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एशियाई विकास बैंक ने अब राज्यों को सीधे ही ऋण देने की प्रक्रिया शुरु कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). भारत के संविधान के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से विदेशी ऋण केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा ही अनुबन्धित किए जा सकते हैं। अतः राज्य सरकारों को अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से सीधे ही ऋण/सहायता प्राप्त करने की अनुमति देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्राकृतिक रबड़ का आयात

*** 254. श्री एन. डेनिस :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कुल कितनी मात्रा में प्राकृतिक रबड़ का आयात किया गया; और

(ख) सरकार द्वारा ऐसे आयात हेतु अपनाई गई नीति का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अग्रिम लाइसेंसों पर आयात किए गए प्राकृतिक रबड़ समेत आयातित प्राकृतिक रबड़ की कुल मात्रा नीचे दी गयी है :-

वर्ष	मात्रा टनों में
1993-94	21384
1994-95	8531
1995-96	53225 (अनंतिम)

(ख) भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक रबड़ आयात करने का निर्णय इसकी मांग और घरेलू उपलब्धता के बीच अन्तर अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कीमतों तथा इस वस्तु के उपजकर्ताओं एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं के हितों पर विचार करने के पश्चात लिया जाता है।

[हिन्दी]

रियायती दर पर विश्व बैंक ऋण

*255. **श्री चुनचुन प्रसाद यादव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने केन्द्र सरकार को रियायती दरों पर ऋण देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड का पुनर्गठन

*256. **श्री शरत पटनायक** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड के पुनर्गठन का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख). जी, हां। सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये लाभप्रद समझी जाने वाली परियोजनाओं में, अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों को भारत में आमंत्रित करने तथा निवेश में सहायता पहुंचाने के लिये, 11 जुलाई, 1996 से विदेशी निवेश उन्नयन बोर्ड का पुनर्गठन किया है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में पता लगाये जाने वाले विदेशी निवेश प्रस्तावों पर विचार करने के लिये विदेशी निवेश उन्नयन बोर्ड का अब केवल एक ही सचिवालय होगा जो कि विदेशी निवेश उन्नयन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये आवेदन प्राप्त करेगा तथा कार्यवाही करेगा। 600 करोड़ रु. या इससे कम के शामिल कुल निवेश प्रत्येक परियोजना प्रस्तावों के संबंध में विदेशी निवेश उन्नयन बोर्ड की सिफारिशों पर उद्योग मंत्री द्वारा विचार किया जायेगा तथा अनुमोदित किया जायेगा। 600 करोड़ रु. से अधिक निवेश के मामलों के लिये विदेशी निवेश उन्नयन बोर्ड की सिफारिशों को निर्णय के लिये विदेशी निवेश सम्बन्धी मंत्रिमण्डल समिति को प्रस्तुत किया जायेगा। संशोधित पद्धति का उद्देश्य अनुमोदन प्रक्रिया में विलम्ब कम करना तथा इसमें अधिक पारदर्शिता लाना है।

[हिन्दी]

कम्पनी कर

*257. **श्री नीतीश कुमार** :

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में तथा विश्व के अन्य विकासशील देशों में कम्पनियों पर लगाए जा रहे करों की तुलनात्मक दर क्या है;

(ख) क्या कम्पनी कर की उच्चतर दर होने के बावजूद भारत में कम्पनियों पर प्रभार भी लगाया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कर ढांचे का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार देशी कम्पनियों के मामले में 43 प्रतिशत की प्रस्तावित नई कर दर (7.5 प्रतिशत की दर से अधिभार सहित) की तुलना में कुछ विकासशील देशों में निगम कर की दरें निम्नानुसार हैं :-

देश का नाम	देशी कम्पनियों के लिए कर की दर (प्रतिशत)
1. गुयाना	45
2. बार्बाडोस	40
3. मलावी	45
4. केन्या	35
5. म्यांमार	30
6. जमैका	$33\frac{1}{2}$
7. मलयेशिया	30
8. माल्टा	35
9. मारीशस	35
10. नाइजीरिया	35
11. श्रीलंका	35

(ख) तथा (ग). आरंभ में अधिभार आयकर के 5 प्रतिशत की दर से लगाया गया था ताकि वर्ष 1987-88 के सूखे के बाद के प्रभावों से निपटा जा सके और तत्पश्चात् समय-समय पर संसाधन जुटाने के लिए उसे 15 प्रतिशत तक बढ़ाया गया था। तथापि, वित्त (सं.-2) विधेयक, 1996 में 75,000 रु. से अधिक की आय रखने वाली देशी कम्पनियों के मामले में उक्त अधिभार को घटाकर आयकर के 7.5 प्रतिशत तक करने का प्रस्ताव है। विदेशी कम्पनियां अधिभार के दायरे से बाहर बनी रहेंगी।

कोयला उद्योग

***258. डा. महादीपक सिंह शाक्य :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कोयला उद्योग के विकास के लिए कोई योजना तैयार की है जिसके परिणामस्वरुप 1996-97 में कोल इंडिया लि. द्वारा पन्द्रह करोड़ रु. मूल्य का लाभ अर्जित किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लाभार्जन के लिए किन-किन स्रोतों की पहचान की गई है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) सरकार द्वारा हाल ही में कोल इंडिया लि. के वित्तीय आधार को सुदृढीकृत किए जाने हेतु और दक्ष रुप में कोयला का उत्पादन करके इसकी क्षमता में वृद्धि किए जाने हेतु एक योजना शुरु की गई है। इन सभी निर्णयों के परिणामस्वरुप कोल इंडिया लि. द्वारा वर्ष 1996-97 के दौरान एक औचित्यपूर्ण लाभ कमाए जाने की संभावना है।

(ख) इस योजना का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(एक) 31.3.1992 की स्थिति के अनुसार 432.64 करोड़ रुपए की राशि के ब्याज सहित आयोजनागत ऋण पर 3 वर्ष की अवधि के लिए ऋण स्थगन अर्थात् 1998-99 तक और इसके बाद सामान्य ब्याज सहित तीन समान वार्षिक किश्तों में इस राशि का प्रतिसंदाय किया जाएगा।

(दो) 31.3.1992 की स्थिति के अनुसार योजनागत ऋण की 904.18 करोड़ रु. की देय बकाया राशि को अनावर्ती 10 प्रतिशत तरजीह शेयरों में परिवर्तित कर दिया जाएगा, जोकि वर्ष 2003-04 में परिशोधन-योग्य होगी।

(तीन) 891.75 करोड़ रु. (आयोजनागत ऋणों) की अधिक अवधि की देय बकाया ब्याज की राशि और 1.4.1995 से देय दंडनीय ब्याज की राशि में छूट दिया जाना।

(चार) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. को, जोकि कोल इंडिया लि. की एक सहायक कंपनी है, उसे सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. द्वारा अधिसूचित की गई कोयले की ग्रेड कीमतों को प्रभारित किए जाने की अनुमति दिया जाना।

(पांच) कोककर कोयले तथा "ए", "बी" एवं "सी" ग्रेड के अकोककर कोयले की कीमतों तथा वितरण को विनियमित किया जाना।

(ग) उपर्युक्त उपायों के आवर्ती प्रभाव से कोल इंडिया लि. का वित्तीय आधार सुदृढ़ीकृत होगा और, इसके परिणामस्वरुप, भूमिगत क्षमता उपयोगिता में सुधार किए जाने से, प्रतिव्यक्ति प्रतिपाली उत्पादन में वृद्धि करके, उत्पन्न की जाने वाली नई क्षमता उपयोगिता में सुधार करके और अंततः, कोककर कोयले की तथा "ए", "बी" एवं "सी" ग्रेड के अकोककर कोयले की कीमतों में वृद्धि किए जाने से इसके लाभ में वृद्धि होगी।

[अनुवाद]

आयात कोटा प्रणाली

***259. श्री अनंत कुमार :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय संघ द्वारा सामान्यीकृत प्राथमिकता प्रणाली (जेनेरैलाइज्ड सिस्टम आफ प्रेफ्रेंसेज) के अन्तर्गत शुल्कमुक्त आयात कोटा प्रणाली के अन्तर्गत पटसन के सामान से भारतीय पटसन उद्योग को लाभ होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने भारतीय पटसन उद्योग के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल.जालप्पा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). सामान्यकृत अधिमान प्रणाली (जी एस पी) के अन्तर्गत भारतीय पटसन के सामान के शुल्क मुक्त अभिगम से यूरोपीय संघ को भारतीय पटसन के सामान के निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने में सहायता मिलेगी तथा साथ ही यह भारतीय पटसन उद्योग के लिए भी लाभप्रद होगा। भारत द्वारा अधिकारिक रुप से इस मामले को यूरोपीय कमिशन के साथ उठाने के फलस्वरुप कमिशन ने 1-7-1995 से पूर्वगामी प्रभाव से भारतीय पटसन के सामान के शून्य शुल्क पर अभिगम को बहाल करने के प्रति सहमति प्रकट की है। इससे भारतीय पटसन के सामान को यूरोपीय संघ के बाजार में पर्याप्त रुप से अधिक अभिगम मिला है।

[हिन्दी]

कपास का निर्यात

***260. श्री देवी बक्स सिंह :**
श्री जी.एल. कनौजिया :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान कपास की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार कपास निर्यात नीति में परिवर्तन करने और इसके निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को हटाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) वर्ष 1996-97 में कपास का निर्यात करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) वर्ष 1995-96 के मौसम के दौरान 18.7.1996 तक प्राप्त सूचना के अनुसार कपास की लगभग 5.57 लाख गांठ का निर्यात हो चुका है जिसमें स्पीलोवर लदान भी शामिल है।

(ख) और (ग). कपास का निर्यात वस्त्र मंत्रालय द्वारा विनियमित तथा घोषित मात्रा संबंधी प्रतिबंधों के अध्यधीन होता है। सरकार समय-समय पर अपरिष्कृत कपास का उत्पादन, मांग, पूर्ति तथा कीमत आदि का आकलन करने के बाद ही अपरिष्कृत कपास का निर्यात कोटा जारी करती है जिसका उद्देश्य एक और कपास उपजकर्ताओं को लाभप्रद कीमतें तथा दूसरी ओर उपभोक्ता क्षेत्र को विशेषकर विकेन्द्रीकृत हथकरघा तथा विद्युतकरघा बुनकरों को उचित कीमतों पर उसकी आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इस समय देश से कपास के निर्यात पर लगे मात्रा संबंधी प्रतिबंधों को हटाने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(घ) और (ङ). निर्यात के लिए स्वीकृत की जाने वाली कपास की मात्रा की घोषणा किसी भी कपास वर्ष में सभी संबद्ध कारकों को ध्यान में रखने तथा उपज की मात्रा, कपास की उपलब्धता, संभावित मांग आदि के विश्वसनीय प्राक्कलन उपलब्ध होने के बाद ही की जाती हे। वर्ष 1996-97 का कपास मौसम 1 सितंबर, 1996 से शुरु होगा तथा 1996-97 के लिए अभी तक निर्यात के लिए किसी भी प्रकार के कोटे की घोषणा नहीं की गई है।

न्यायालय भवनों का निर्माण

1886. श्री राम नाईक : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार न्यायालय भवनों और आवास निर्माण हेतु 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराती है;

(ख) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को अपना 50 प्रतिशत हिस्सा नहीं दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं और शेष धनराशि के पूरे भुगतान हेतु क्या समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्यमंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) न्यायपालिका के संबंध में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए 1993-94 से आरम्भ की गई केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम का उद्देश्य राज्य सरकारों के प्रयासों को अपुनूरित करना और यह न्यायालय भवनों और न्यायाधीशों के लिए निवासों के विनिर्माण तक सीमित है। केन्द्रीय आबंटन के, योजना आयोग द्वारा स्कीम के लिए प्रदान किए गए बजट आबंटन पर निर्भर रहते हुए, राज्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए समरुप उपबंध करें।

(ख) जी नहीं, पात्र राज्यों को केन्द्र का पूर्ण अंश प्रदान किया गया है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अधीन राज्य सरकारों को जारी की गई राशि

क्र.सं.	राज्य का नाम	1993-94	1994-95	1995-96	योग
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	221.20	439.98	369.40	1030.58
2.	अरुणाचल प्रदेश	20.00	14.00	34.00	68.00
3.	असम	79.80	156.89	153.52	390.21
4.	बिहार	174.90	147.00	334.79	656.69
5.	गोवा	20.00	34.00	34.00	88.00
6.	गुजरात	100.80	197.45	193.28	491.53
7.	हरियाणा	47.90	94.14	92.21	234.25
8.	हिमाचल प्रदेश	20.00	34.00	71.50	125.50
9.	जम्मू-कश्मीर	20.00	34.00	71.50	125.50
10.	कर्नाटक	146.70	286.72	304.23	737.65

1	2	3	4	5	6
11.	केरल	94.90	140.00	186.98	421.88
12.	मध्य प्रदेश	179.90	351.67	344.24	875.98
13.	महाराष्ट्र	193.80	377.35	369.41	940.56
14.	मिजोरम	20.00	34.00	34.00	88.00
15.	मणिपुर	20.00	34.00	34.00	88.00
16.	मेघालय	20.00	17.00	शून्य	37.00
17.	नागालैंड	20.00	17.00	71.50	108.50
18.	उड़ीसा	114.80	224.30	219.50	558.60
19.	पंजाब	50.90	100.87	98.74	250.51
20.	राजस्थान	138.70	270.90	265.32	674.92
21.	सिक्किम	20.00	शून्य	71.50	91.50
22.	तमिलनाडु	193.60	379.45	371.51	944.56
23.	त्रिपुरा	20.00	34.00	34.00	88.00
24.	पश्चिमी बंगाल	288.60	243.00	शून्य	531.60
25.	उत्तर प्रदेश	430.50	841.28	892.87	2164.65

दिल्ली की लम्बित परियोजनायें

1887. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कुछ औद्योगिक परियोजनायें स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो परियोजनावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत क्या है;

(घ) इन परियोजनाओं के संबंध में निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ङ). शहरी विकास मंत्रालय की दिनांक 1.8.1990 की अधिसूचना सं. का.आ. 606(अ) के अनुसार दिल्ली क्षेत्र में मझोली तथा बड़ी परियोजनाएं स्थापित करने पर रोक है। औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृति पर निर्णय अन्य बातों के साथ-साथ राज्य/केन्द्र की स्थान-निर्धारण संबंधी नीति द्वारा नियंत्रित होते हैं। तथापि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सिले-सिलाये वस्त्र तैयार करने के लिए औद्योगिक एकक लगाने का एक औद्योगिक लाइसेंस आवेदन जून, 1996 में प्राप्त हुआ है और वह निपटान की नियत समय-सीमा के अंदर है। उपर्युक्त प्रस्ताव में अचल संपत्ति में प्रस्तावित निवेश 88 लाख रु. हैं।

[अनुवाद]

मुद्रास्फीति की दर

1888. श्री कचरु भाऊ राउत :
श्री दत्ता मेघे :
श्री आर. साम्बासिवा राव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के सन्दर्भ में मुद्रास्फीति की दर की गणना की है;

(ख) क्या इस मुद्रास्फीति का प्रतिकूल प्रभाव आवश्यक वस्तुओं पर तथा गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के साथ-साथ आम लोगों पर भी पड़ने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो दैनिक उपयोग की वस्तुओं के मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी; और

(घ) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि तथा मुद्रास्फीति की दर को नियन्त्रित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में हाल की वृद्धि के परिणामस्वरुप मुद्रास्फीति दर में लगभग 1.2 प्रतिशत की एक बारगी वृद्धि होने की संभावना है।

तेल पूल खाते में घाटे को कम करने की बाध्यता के बावजूद सरकार ने समाज के कमजारे वर्गों विशेषकर ग्रामीण उपभोक्ताओं और

परिवारों के संरक्षण के लिए केरोसीन की कीमतों को अपरिवर्तनीय रखने का सोचा समझा निर्णय लिया। एल पी जी के मामले में भी जिसका प्रयोग तुलनात्मक रुप से समाज के सम्पन्न वर्गों द्वारा किया जाता है। एल पी जी मूल्यों को समानान्तर बाजार के विक्रेताओं द्वारा वसूले जा रहे मूल्यों की तुलना में सापेक्ष रुप से कम रखने का निर्णय किया गया है।

(ग) 30 आवश्यक वस्तुओं में से प्रत्येक पर पैट्रोलियम उत्पादों की हाल की वृद्धि के प्रभाव का मूल्यांकन करना अभी काफी जल्दी होगा।

(घ) सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं में मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए विचारित महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार है। :

(1) भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल और गेहूं की खुली बाजार बिक्री जारी रखना।

(2) शून्य अथवा घटे शुल्क पर चीनी, खाद्य तेलों,दालों और कम वसा वाले दूध पाउडर जैसी चुनिन्दा आवश्यक वस्तुओं के लिए ओ जी एल आयात नीति को जारी रखना। खाद्य तेलों पर आयात शुल्क को 20 प्रतिशत तक कम किया गया।

(3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति हेतु सरकारी खाते पर खाद्य तेलों का आयात।

(4) राजकोषीय घाटे को स.घ.उ. के 5 प्रतिशत तक नियंत्रित करने के लिए प्रयास करना।

(5) मौद्रिक अभिवृद्धि को उचित स्तर तक नियंत्रित करना।

(6) अधिकतर वस्तुओं के लिए आयात शुल्कों में कमी करने के साथ-साथ, उदारीकृत आयात नीति को बनाए रखना।

(7) कुछ उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पाद शुल्कों में कमी करना।

नारियल जटा उत्पादों का निर्यात

1889. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 और 1995-96 के दौरान नारियल जटा उत्पादों के निर्यात का ब्यौरा क्या है; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान नारियल जटा उत्पादों के निर्यात का क्या लक्ष्य रखा गया है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क)

वर्ष	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रु. में)
1994-95	48086	171.64
1995-96	48276	205.85

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान कॅयर उत्पादों के निर्यात के लिए 60 मिलियन अमरीकी डालर (211.00 करोड़ रुपये) का लक्ष्य निर्धारित किया है।

शेयर के उत्तराधिकार की समस्या

1890. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शेयर और डिबेंचर में नामांकन खंड न होने की वजह से इसमें होने वाली उत्तराधिकार की समस्या की जानकारी हे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रतिभूति प्रपत्रों में नामांकन खंड शामिल करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रतिभूतियों के उत्तराधिकार को आसान बनाने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं/उठाने का विचार है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) ऊपर भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

नायक समिति की रिपोर्ट को लागू करना

1891. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग संघ ने नायक समिति की रिपोर्ट को अविलम्ब लागू करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार का क्या निर्णय रहा है; और

(ग) नायक समिति द्वारा की गई सिफारिशें जिन्हें अब तक लागू नहीं किया गया है, का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने सूचित किया है कि उसने नायक समिति की लगभग सभी सिफारिशें मंजूर कर ली हैं और बैंकों को आवश्यक निर्देश/अनुदेश दे दिए गए हैं। आर बी आई द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दिए गए निदेश/अनुदेश इस प्रकार हैं :-

(एक) उन लघु उद्योगों को, जिनकी ऋण सीमा अलग-अलग मामलों में एक करोड़ रुपए से कम है उनके अनुमानित वार्षिक कारोबार के न्यूनतम 20 प्रतिशत के आधार पर परिकलित कार्यशील पूंजी ऋण सीमा मंजूर करना।

(दो) इस क्षेत्र की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते समय ग्रामोद्योगों, अत्यंत लघु उद्योगों और अन्य लघु उद्योग एककों को उसी क्रम में वरीयता देना।

(तीन) "निचले स्तर" (बाटर अप) पर वार्षिक बजट तैयार करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लघु उद्योगों की विधि सम्मत आवश्यकताओं को आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान पूर्ण रुप में पूरा किया जाता है।

(चार) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की "एकल खिड़की योजना" को सभी जिलों में लागू करना।

(पांच) यह सुनिश्चित करना कि लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण की मंजूरी और संवितरण में कोई देरी न हो।

(छ:) बैंकों को ऋणसीमाओं को मंजूर करने के लिए "मुआवजे" के रुप में अनिवार्य जमाराशियों पर जोर नहीं देना चाहिए।

(सात) विशेषज्ञ लघु उद्योग शाखाएं खोलना अथवा उन शाखाओं को विशेषज्ञ शाखाओं में परिवर्तित करना, जिनके पास लघु उद्योग उधार खातों की संख्या काफी अधिक है।

(आठ) अर्थक्षम रुग्ण एककों की पहचान की जानी चाहिए और उनको पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत लाने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए।

(नौ) ऋणों के लिए आवेदन करने के वास्ते लघु उद्योग एककों द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले मानकीकृत ऋण आवेदन पत्रों को और सरल बना दिया गया है।

आर बी आई ने आगे यह भी सूचित किया है कि जो सिफारिशें व्यवहारिक नहीं थीं, उन्हें मंजूर नहीं किया गया है।

कोयले का उत्पादन

1892. श्री संदीपान थोरात :

श्री प्रमोद महाजन :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयले का उत्पादन, मांग के अनुरुप नहीं होने के फलस्वरुप विगत तीन वर्षों में इसका आयात बढ़ता रहा है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में कोयले के उत्पादन तथा आयात का वर्षवार ब्यौरा क्या है तथा इसके साथ-साथ कोयले की अनुमानित मांग तथा आपूर्ति क्या है तथा आगामी पांच वर्षों में इसका कितना आयात होने की संभावना है; और

(ग) बढ़ती हुई आवश्यकता के अनुरुप और अधिक कोयले का उत्पादन करके, हाई ग्रेड कोयले के आयात में कमी लाने के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख). देश में कोयले के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादित (अखिल भारतीय) कोयले की वर्षवार मात्रा नीचे दी गई है :-

	(मिलियन टन में)
1993-94	246.04
1994-95	253.73
1995-96	270.12

वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में देश में किए गए कोयले के कुल आयात (कोक, आदि सहित) को नीचे दर्शाया गया है :-

वर्ष	कोक, आदि सहित कोयले का कुल आयात (मिलियन टन में)
1993-94	7.5
1994-95	11.4
1995-96	13.2

वर्ष 1996-97 के लिए कोयले की समग्र मांग 325 मि.ट. मूल्यांकित की गई है, जबकि देशीय स्रोतों से कोयले की उपलब्धता 290.65 मि.ट. प्रक्षिप्त की गई है। नौंवी योजनावधि अर्थात् 1997-2002 के लिए प्रक्षिप्त मांग को निश्चित नहीं किया गया है। किन्तु, योजना आयोग द्वारा नौंवी योजना के लिए एक प्रस्ताव दस्तावेज तैयार करने हेतु कोयला और लिग्नाइट पर एक कार्यकारी दल गठित किया गया है। इस कार्यकारी दल का अनंतिम प्रतिवेदन यह इंगित करता है कि वर्ष 2001-02 में सभी देशीय स्रोतों से कोयले की आपूर्ति, ग्रहीत खनन ब्लाकों को छोड़कर, जिनके द्वारा निजी क्षेत्र में उत्खनन कार्य किए जाने की संभावना है, 348 मि.टन होगी।

(ग) धातुकर्मीय उद्देश्यों के लिए अपेक्षित कोककर कोयले के आयात को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता है। चूंकि इनकी गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए, देशीय कोयले में मिश्रण किए जाने हेतु भी आवश्यकता होती है। देश में कोककर कोयले तथा उच्च ग्रेड के अकोककर कोयले के भी सीमित भंडार हैं। किन्तु, कोककर कोयले तथा अकोककर कोयले के देशीय उत्पादन में वृद्धि किए जाने के लिए व्यवहार्य सीमा तक कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें निम्नलिखित कदम शामिल हैं :-

(1) नई खानों का खोला जाना और आधुनिकीकरण द्वारा नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में लेकर विद्यमान खानों की उत्पादकता तथा कार्यक्षमता में वृद्धि किया जाना और आगतों की तथा आधारभूत ढांचे की सुविधाओं की उपलब्धता का समय पर सुनिश्चय किया जाना।

(2) कोयले की कीमतों को आंशिक रुप में विनियंत्रित किए जाने से कोयला कंपनियों के आंतरिक संसाधनों के

जुटाने में सुधार आने की संभावना है, जिससे कि नई परियोजनाओं को शुरु किया जा सकेगा। इससे नई खनन परियोजनाओं में वित्तीय व्यवहार्यता में भी सुधार आ जाएगा।

(3) कोल इंडिया लि. के पूंजीगत आधार का पुनर्गठन कर दिया गया है ताकि यह पूंजी बाजार में अतिरिक्त संसाधन जुटा सकें, नई कोयला उत्पादन क्षमता को जोड़े जाने के लिए अपेक्षित है।

(4) रेलवे के साथ ऐसे कोयला क्षेत्रों में परिवहन संबंधी कठिनाइयों को हटाए जाने के लिए, जिनमें कि उत्पादन में वृद्धि की संभावना है, समन्वय रुप से कदम उठाए जा रहे हैं।

(5) भूमि अधिग्रहण करने संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

(6) लौह तथा इस्पात, सीमेंट और विद्युत के उत्पादन में कार्यरत निजी क्षेत्र की कंपनियों को कोयले के उत्खनन की अनुमति दी गई है। यह संभावना है कि इससे कोयले के घरेलू उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी।

प्रोमोटरों द्वारा स्टाक इन्वेस्ट का दुरुपयोग

1893. श्री मंगल राम प्रेमी :

श्री आर.एल.पी. वर्मा :

क्या **वित्त मंत्री** प्रोमोटरों द्वारा स्टाक इन्वेस्ट का दुरुपयोग के बारे में 8 मार्च, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1023 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक जानकारी इकट्ठी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों का अनुपालन न करने के लिए जिम्मेवार सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र दोनों बैंकों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कारों का निर्माण

1894. श्री एन.एस.वी. चित्तन : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में विदेशी सहयोग से कारों के निर्माण की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान भारतीय कार निर्माताओं तथा कारों के उत्पादन पर इसके प्रभाव की जांच कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख). जी, हां। यू.एस.ए. की फोर्ड मोटर्स के साथ महिन्द्रा एंड महिन्द्रा के संयुक्त उद्यम द्वारा और कोरिया की एक 100 प्रतिशत हाइउन्डाई अनुषंगी एकक द्वारा तमिलनाडु को अपनी कार विनिर्माण सेवाएं स्थापित करने के लिए चुना गया है।

(ग) और (घ). सितंबर, 1993 से कार विनिर्माण को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है। अतः मौजूदा एककों द्वारा अतिरिक्त क्षमता सृजन करने अथवा नई एककों की स्थापना करने पर इस समय कोई प्रतिबंध नहीं है। आशा है कि इससे प्रतिस्पर्धा, तकनालाजी में सुधार और निर्यात में वृद्धि होगी।

सामूहिक बीमा योजनाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष

1895. श्री सनत मेहता : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामूहिक बीमा योजनाओं जैसे सामाजिक सुरक्षोपायों के लिए आर्थिक सहायता देने हेतु जीवन बीमा निगम को 100 करोड़ रुपये का सामाजिक सुरक्षा कोष मुहैया कराया है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं के अन्तर्गत अब तक कितने कृषि श्रमिकों तथा छोटे कारीगरों को लाया गया है; और

(ग) इन योजनाओं पर निगरानी रखने संबंधी प्रणाली का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) 31.3.1996 की स्थिति के अनुसार सामाजिक सुरक्षा निधि द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त जीवन बीमा निगम की भूमिहीन कृषि श्रमिक समूह बीमा योजना के अन्तर्गत लगभग 1.2 करोड़ भूमिहीन कृषि श्रमिकों को कवर किया गया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न व्यवसायों से संबंधित लगभग 40 लाख लोगों को (विवरण संलग्न है) जीवन बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना, इसको भी सामाजिक सुरक्षा निधि से आर्थिक सहायता प्राप्त होती है, के अन्तर्गत कवर किया गया है।

(ग) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि भूमिहीन कृषि श्रमिक समूह बीमा योजना के अन्तर्गत दावे ब्लाक स्तर के अधिकारियों अथवा जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी अन्य विभाग द्वारा दायर किए जाते हैं। अन्य सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजनाओं के अन्तर्गत दावे

सम्बद्ध नोडल एजेन्सियों द्वारा दायर किए जाते हैं। दावों के निपटान का पुनरीक्षण, ब्लाक, जिला और राज्य स्तर की पुनरीक्षण बैठकों में किया जाता है जिसमें राज्य सरकार और जीवन बीमा निगम के अधिकारी उपस्थित होते हैं।

विवरण

क्र.सं.	व्यवसाय	31.3.96 की स्थिति के अनुसार व्यक्तियों की संख्या
1.	बीड़ी कामगार	8,59,994
2.	ईंट भट्टा कामगार	0
3.	बढ़ई	0
4.	मोची	42
5.	मछुआरे	65,729
6.	बोझा ढोने वाले मजदूर	24,074
7.	विकलांग शिल्पकार	18,712
8.	हथकरघा बुनकर	1,60,892
9.	हथकरघा और खादी बुनकर	4,563
10.	महिला दरजी	16,258
11.	चमड़ा और चर्मशोधन कामगार	589
12.	'सेवा' से जुड़े पापड कामगार	15,105
13.	शारीरिक रुप से विकलांग स्वरोजगाररत व्यक्ति	1,765
14.	प्राथमिक दुग्ध उत्पादक	2,95,001
15.	रिक्शाचालक/आटो ड्राइवर	41,504
16.	सफाई कर्मचारी	14,456
17.	नमक बनाने वाले	45,801
18.	तेंदु पत्ता एकत्रित करने वाले	21,20,499
19.	शहरी गरीबों के लिए योजना	1,32,454
20.	वन कर्मचारी	1,47,519
21.	रेशम कीट पालन	221
22.	ताड़ी निकालने वाले	526
23.	बिजली करघा कामगार	0
	जोड़	39,65,704

औद्योगिक अलकोहल

1896. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों, विशेषतः महाराष्ट्र मेंऔद्योगिक अलकोहल पर लगाई गई लेवियों और शुल्कों को तर्कसंगत बनाने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या औद्योगिक अलकोहल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए खांडसारी एककों से प्राप्त शीरे का उपयोग किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख). सरकार औद्योगिक अल्कोहल सहित विभिन्न मदों के विनिर्माण पर लगाई जाने वाली लेवियों और शुल्कों के संबंध में अपनी नीतियां और योजनाएं बनाती है जिन्हें वार्षिक बजट में सम्मिलित कर लिया जाता है।

(ग) और (घ). केन्द्र सरकार 10 जून, 1993 को सीरा नियंत्रण आदेश, 1961 रद्द किए जाने के बाद खांडसारी सीरे सहित सीरे के वितरण पर नियन्त्रण नहीं करती है।

सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवा का उपयोग

1897. श्री सौम्य रंजन : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों में कमी लाने के लिए उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाओं का उपयोग करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्यमंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) से (ग). सरकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के पक्ष में नहीं हैं।

बैंकों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जाली प्रमाण पत्रों पर नियुक्ति

1898. श्री राजीव प्रताप रुडी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि पूरे देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों में सैकड़ों गैर-अनुसूचित जाति एवं गैर अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जाति संबंधी जाली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके नियुक्ति प्राप्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान बैंकवार ऐसे कितने मामलों का पता चला है;

(ग) ऐसे उम्मीदवारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

भारत–जापान के बीच संयुक्त उद्यम

1899. डा. साहेबराव सुकराम बागूल : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त उद्यम लगाने के संबंध में भारत और सुजुकी मोटर कारपोरेशन के बीच हाल ही में कोई बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हां,तो इस बातचीत का क्या परिणाम निकला और इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी हां। उद्योग मंत्री तथा श्री ओ. सुजुकी, अध्यक्ष, सुजुकी मोटर कारपोरेशन के बीच बातचीत 4 और 5 जुलाई, 1996 को हुई थी।

(ख) दोनों पक्षों की संतुष्टि से हुई बातचीत से मारुति उद्योग लिमिटेड के विस्तार, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण आदि के लिए विस्तृत प्राचलों जैसे अनेक मुद्दों पर अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण का समाधान कर लिया गया ।

[अनुवाद]

विदेशी ऋण पर मूल्य वृद्धि

1900. श्री सुशील चन्द्र : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि हाल ही में कई राज्यों द्वारा विद्युत शुल्कों तथा केन्द्र सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में भारी वृद्धि किये जाने के कारण सरकार द्वारा अनुमानित थोक मूल्य सूचकांक में 1.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में साधारण लोगों के जीवन निर्वाह व्यय में कम से कम 20 प्रतिशत तक की वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मूल्यों में इस वृद्धि का देश के भुगतान संतुलन को स्थिति एवं विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ने वाले परिणामी प्रभावों का कोई वास्तविक अनुमान लगाया है; और

(ग) उक्त वृद्धि के पश्चात होने वाले आयात न होने देने तथा देश के निर्यातकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को आसान बनाने को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जीवन निर्वाह व्यय में वृद्धि की सीमा बहुत से कारकों पर निर्भर करेगी, जैसे अन्य उत्पादों में निवेश साधनों के रुप में विद्युत और पैट्रोलियम उत्पादों के प्रयोग की मात्रा, इन क्षेत्रों में उत्पादकता में वृद्धि सब्सिडी की मात्रा और मौद्रिक नीति की समग्र अवस्थिति आदि। बढ़ी हुई ऊर्जा क्षमता भी जीवन निर्वाह व्यय में बढ़ोतरी को नियंत्रित करेगी।

तथापि, पैट्रोलियम मंत्रालय का यह अनुमान है कि पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में हुई वृद्धि का प्रत्यक्ष परिणाम जीवन निर्वाह व्यय में लगभग एक प्रतिशत के उछाल के रुप में होगा। इसके अतिरिक्त 7 जुलाई 1995 से 6 जुलाई 1996 की अवधि के दौरान बिजली की कीमत में वृद्धि 4.4 प्रतिशत की समग्र बिंदु-प्रति-बिंदु मुद्रा-स्फीति में आये प्रतिशतांक बिंदु से कम का कारण बनी।

(ख) पैट्रोलियम उत्पादों के घरेलू प्रशासित मूल्यों में लम्बे समय से विलम्बित बढ़ोतरी से इन उत्पादों पर सब्सिडी में कमी आएगी, ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहन मिलेगा और ऐसे उत्पादों की मांग में कमी आएगी। भुगतान संतुलन और हमारे विदेशी प्रारक्षित भंडार पर पैट्रोलियम उत्पादों से अवहनीय दबाव को बनने से नियंत्रित रखने में सहायता करेगा।

(ग) विदेशी मुद्रा में आयातों की लागत अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर निर्भर करती है और निर्भर करती रहेगी।

हमारे निर्यातों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता हमारे व्यापार भागीदारों की मुद्राओं की तुलना में रुपए की वास्तविक विनिमय दर पर निर्भर करती है। हालांकि विनिमय दर बाजार द्वारा निर्धारित होती है नीतियों का समग्र दबाव भारत के निर्यातों की प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने की ओर बना रहता है । विभिन्न निर्यात संवर्द्धन उपाय भी हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ करते हैं। इसके अतिरिक्त भा.रि. बैंक व्यवस्थित बाजार स्थिति को बनाए रखने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करता है।

तम्बाकू उद्योग संबंधी नीति

1901. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तम्बाकू संबंधी नई नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त उद्योग के बहुराष्ट्रीय निर्माताओं की राय भी आमंत्रित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विदेशी पूंजी निवेश

1902. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उदारीकरण के बाद देश में कुल कितना विदेशी पूंजी निवेश हुआ और इसमें उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में कितनी धनराशि लगायी गई;

(ख) इस संबंध में सरकार का वर्तमान दृष्टिकोण क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा देश की जनता और उद्योग पर पड़ने वाले इसके प्रभाव का कोई आकलन किया गया है; और

(घ) क्या सरकार लघु और मध्यम उद्योगों को कोई क्षति होने से बचाने के लिए उन क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश को प्रतिबंधित करेगी जहां स्वदेशी उद्योग प्रतिस्पर्धात्मक नहीं है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ). सकल पूंजी निवेश 1991-92 के 1,44,024 करोड़ रुपये से बढ़कर 1994-95 में 2,38,410 करोड़ रु. हो गया है। 1.8.91 से 31.05.96 की अवधि के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र सहित 71036.68 करोड़ रुपये का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। विदेशी निवेश का संचालन करने वाली नीति के तहत, 22 विशिष्ट उपभोक्ता क्षेत्रों में लाभांश संतुलन की शर्त लागू होती है अर्थात् 7 वर्षों तक मुनाफों (लाभांशों) का स्वदेश भेजा जाना नियति से प्राप्त मुनाफों के बराबर होना अनिवार्य है।

800 से भी अधिक मदों का लघु क्षेत्र के लिए आरक्षण का प्रावधान है। यदि कोई गैर लघु एकक लघु एकक क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों का विनिर्माण करना चाहता है तो उन्हें 75 प्रतिशत निर्यात बाध्यता का वचन देता होता है।

[अनुवाद]

पारंपरिक वस्तुओं के निर्यात में कमी

1903. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपां करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान पारंपरिक वस्तुओं जैसे काजू, नारियल, जटा-उत्पाद, मसाले तथा कृषि उत्पादों के निर्यात में मात्रा तथा मूल्य दोनों प्रकार से कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा ब्या है;

(ग) क्या इन उत्पादों के लिए नए बाजार तलाशने संबंधी कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक कितनी उपलब्धि प्राप्त हुई है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों के दौरान काजू, जूट-उत्पाद, मसाले और अन्य कृषि-उत्पादों के निर्यात का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ). मध्य-पूर्व के देशों, पश्चिमी यूरोप और जापान में नए गंतव्यों को गैर-पारंपरिक मदों जैसे-पुष्पोत्पाद, ताजा फल एवं सब्जियां, प्रसंस्कृत फल और जूस तथा मांस और मांस से बने पदार्थों के निर्यात में काफी वृद्धि हुई है। भारतीय कृषि उत्पादों के लिए नए बाजारों का पता लगाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनमें शामिल हैं :- ब्रांड संवर्धन अभियान, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना, बिक्री-सह अध्ययन टीम भेजना तथा अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदशनियों में भाग लेना।

विवरण

(मात्रा टनों में)
(मूल्य अमरीकी डालर मिलियन में)

	1993-94		1994-95		1995-96	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1. काजू	68968	333.27	76897	396.40	97792	368.06
2. मसाले	185082	181.38	154954	194.99	211515	234.96
3. अन्य कृषि उत्पाद	-	1981.19	-	1802.27	-	3587.42
4. जूट-उत्पाद	-	41.41	-	55.02	-	62.94

स्रोत : डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता

पूर्वोत्तर क्षेत्र में रबड़ बागान लगाने हेतु सर्वेक्षण

1904. डा. प्रवीन चन्द्र शर्मा : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ बोर्ड ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बागान लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में रबड़ बागान के विकास के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). जी, हां। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रबड़ बागान के लिए उपलब्ध क्षेत्र का जायजा लेने के लिए रबड बोर्ड ने एक अन्वेषणात्मक सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षण के अनुसार, रबड की खेती के लिए 4.5 लाख हैक्टेयर क्षेत्र उपलब्ध हैं, जिसका राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

राज्य	उपलब्ध क्षेत्र (हैक्टे. में)
आसाम	200000
त्रिपुरा	100000
मेघालय	50000
मिजोरम	50000
अन्य उ.पू. राज्य	50000
कुल	450000

(ग) उ. पूर्वी क्षेत्र में रबड़ बागानों का संवर्धन करने के उद्देश्य से सरकार ने 1984 में उ.पू. क्षेत्र के लिए रबड़ बागान के त्वरित विकास की एक योजना को मंजूरी दी थी। वर्ष 1984-85 में इस क्षेत्र में रबड़ के अन्तर्गत 9250 हैक्टेयर क्षेत्र था जो बढ़ाकर अब 35000 हैक्टेयर कर दिया गया है। रबड़ बोर्ड ने उ.पू. क्षेत्र की विशेष जरुरतों के अनुरुपअपनी कुछ योजनाओं को नया रुप दिया है और स्थानांतरित कृषकों के पुनर्वास के लिए विशेष योजनाएं शुरु की हैं। इस क्षेत्र में वर्ष 1997-98 तक रबड़ के अन्तर्गत 6000 हैक्टेयर अतिरिक्त बागान क्षेत्र और पुनर्रोपण के लिए 13,050 हैक्टेयर क्षेत्र का विकास करने के लिए वर्ष 1993-94 में विश्व बैंक द्वारा समर्थित एक रबड़ परियोजना भी चलाई गयी है।

[हिन्दी]

स्टाम्प पेपर की कमी

1905. श्री भीमराव विष्णुजी वडाडे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पांच और दस रुपये मूल्य के स्टाम्प पेपरों की कमी होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). क्षमता दबावों को देखते हुए, नासिक और हैदराबाद के दो विद्यमान प्रतिभुति मुद्रणालय देश में गैर-अदालती स्टाम्प पेपर की अचानक तेजी से बढ़ी मांग को पूरी तरह से पूरा करने में समर्थ नहीं हो सके हैं। तथापि, विद्यमान उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए सुधार पहले ही शुरु किए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

सामान्य बीमा निगम के विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण

1906. श्री भूपिन्द्र सिंह हुड्डा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमा निगम ने उन व्यवसायिक छात्रों को प्रशिक्षुता प्रशिक्षण दिया है जिन्होंने 1994 के दौरान सामान्य बीमा निगम विषयों के साथ बारहवीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1995 के छात्रों को प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए कब तक बुलाए जाने की संम्भावना है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). जी, हां। जिन छात्रों ने वर्ष 1994 में निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हुए 10+2 सामान्य बीमा व्यावसायिक पाठ्यक्रम पास किया था। उन्हें प्रशिक्षु सहायकों के रुप में नियुक्त किया गया है। प्रशिक्षु प्रशिक्षण का एक वर्ष पूर्ण होने पर वे साधारण बीमा निगम तथा उसकी सहायक कम्पनियों में सहायक के रुप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

(घ) संशोधित स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1995 के बैच के लिए नौकरी की कोई गारन्टी नहीं है । तथापि, सफल अभ्यार्थियों को "सहायक" के रुप में भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक मानकों को पूरा करने वालों के रुप में माना जाएगा और जब कभी भी भर्ती की जाएगी तो वे भर्ती की प्रक्रिया के अनुसार सामान्य श्रेणी के अभ्यार्थियों के साथ-साथ चयन के लिए पात्र समझे जाएंगे।

मतदाता सूची तैयार करने वाले जॉब वर्कर

1907. कुमारी ममता बनर्जी : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रति वर्ष हजारों युवकों को मतदाता सूची तैयार करने के लिए जॉब वर्कर के रुप में नियुक्त किया जाता है और वे वर्षों से एक ही स्थिति में काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन कामगारों को स्थाई रुप से नियुक्त करने का है ताकि उनका जीवन सुचारु ढंग से चलने लगे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्यमंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपतन में लाये जाने वाला सामान

1908. डा. एस.पी. जायसवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपतन में लाये जाने वाले सामान की एक्सरे जांच नहीं की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). आगमन क्षेत्र में, सामान्यतया, संवेदनशील क्षेत्रों से आने वाली उड़ानों द्वारा लाए गए सामान की एक्स-रे जांच की जाती हैं। जहां तक गैर-संवेदनशील क्षेत्रों से आने वाली उड़ानों द्वारा लाए गए ऐसे सामान का संबंध है, उसकी एक्स-रे जांच केवल यादृच्छिका चयन आधार पर ही की जाती है।

तथापि, प्रस्थान क्षेत्र में, सामान्यतया एयरलाइन कंपनियों द्वारा सामान की मदों की एक्स-रे जांच की जाती है, यदि सुरक्षा संबंधी कारणों से ऐसा करना अपेक्षित हो।

भारतीय और विदेशी कम्पनियों के बीच विवादों का निपटान

1909. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, भारतीय और विदेशी कम्पनियों के बीच विवादों को शीघ्र निपटाने हेतु किसी विवाचन प्राधिकरण की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की इक्वीटी में राज्यों का हिस्सा

1910. श्री हरिन पाठक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने चुनिंदा ग्रामीण बैंकों में अपने हिस्से की इक्वीटी का अंशदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा विनिमय नियंत्रणों का उल्लंघन

1911. डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने यह पता लगाने के लिए आन्तरिक जांच पूरी कर ली है कि इसकी शाखाओं द्वारा विनिमय नियंत्रणों के उल्लंघन के कुछ और भी मामले हैं जैसाकि नेशनल फर्टीलाइजर लिमिटेड (एन एफ एल) द्वारा यूरिया खरीद सौदे में किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). भारतीय स्टेट बैंक (एस बी आई) ने सूचित किया है कि अब तक भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं के संबंध में बैंक गारंटी या भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बगैर भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं द्वारा आयातों के बदले किए गए अग्रिम भुगतानों के लिए धन के कुछ विप्रेषणों को जानकारी प्राप्त हुई है। बैंक ने इन सभी शाखाओं से कहा है कि वे उनके द्वारा किए गए विप्रेषणों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करने हेतु तत्काल कार्रवाई करें।

आर्थिक विकास

1912. श्री सन्तोष मोहन देव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक विकास को तेज करने के तरीके ढूंढ लिए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). पिछले पांच वर्षों में विभिन्न आर्थिक सुधार उपायों जैसे व्यापार उदारीकरण,उद्योगों में नियंत्रण को समाप्त करना, राजकोषीय और वित्तीय क्षेत्र में सुधार आदि के कारण पुनः आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उपादान लागत पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) में वृद्धि तीव्र हो कर 1994-95 में 6.3 प्रतिशत से 1995-96 में और अधिक बढ़ कर 7 प्रतिशत हो गई।

चावल की तस्करी

1913. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा से बंगलादेश में चावल की भारी मात्रा में की जा रही तस्करी की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस तस्करी को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) सरकार को उड़ीसा से बंगलादेश को चावल की तस्करी करने के किसी मामले की सूचना नहीं मिली है।

(ख) उपर "क" को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

परिवार न्यायालय

1914. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 के अंतर्गत अब तक राज्य-वार कितने परिवार न्यायालय स्थापित किए गए हैं;

(ख) इन न्यायालयों को उन स्थानों में स्थापित करने में हुए विलंब के क्या कारण हैं जहां ये स्थापित नहीं किए गए हैं; और

(ग) ये न्यायालय सभी राज्यों में कब तक स्थापित कर दिए जाएंगे?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्यमंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग). कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 एक सामर्थ्यकारी अधिनियम है कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार का है। अतः सभी राज्यों में ये न्यायालय कब तक स्थापित कर दिए जाएंगे यह बताना संभव नहीं है।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 के अधीन स्थापित किए गए कुटुम्ब न्यायालयों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	स्थापित किए गए कुटुंब न्यायालयों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	6
2.	असम	1
3.	बिहार	2
4.	कर्नाटक	4
5.	केरल	5
6.	महाराष्ट्र	13
7.	मणिपुर	1
8.	उड़ीसा	2
9.	राजस्थान	5
10.	उत्तर प्रदेश	16
11.	तमिलनाडु	5
12.	पांडिचेरी (संघ राज्यक्षेत्र)	1

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा विकास कार्य

1915. श्री आर.एल.पी. वर्मा : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कोयला खानों के पांच किलोमीटर की परिधि में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के गिरीडिह कोल फील्ड्स द्वारा क्या विकास कार्य किया गया।

(ख) सामुदायिक विकास पर सकल राजस्व का कितना प्रतिशत खर्च हुआ और साथ ही सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिशत क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र के विकास के लिए अधिक धन मुहैया करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. के गिरीडीह कोयला क्षेत्रों में सामुदायिक विकास संबंधी शुरु किए गए विभिन्न कार्य, जोकि कोयला क्षेत्र के 8 किलो मीटर की परिधि में फैले हुए हैं वे शिक्षा, स्वास्थ्य देखरेख, पेयजल आदि से संबंधित हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान सामुदायिक विकास कार्यों पर किए गए वास्तविक व्यय की प्रतिशतता उक्त अवधि अर्थात् 1993-94 से 1995-96 के दौरान सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. द्वारा

अर्जित किए गए राजस्व का 0.3 प्रतिशत है। सरकार द्वारा ऐसे कार्यों के लिए कोई प्रतिशतता निर्धारित नहीं की जाती है।

(ग) चूंकि वास्तविक व्यय बजटीय आवंटन से कम रहा है, अतः अधिक निधियों को उपलब्ध किए जाने का इस स्थिति में कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

क्रेडिट कार्ड

1916. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशी बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड प्रयोक्ताओं से अत्यधिक ब्याज वूसल किये जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि उनके जाल में फंसे व्यक्ति अधिकांशतः कम आय वाले सरकारी कर्मचारी और निजी संगठनों के अन्य जरुरतमंद कर्मचारी हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कोई ऐसा सर्वेक्षण कराने का है जिससे कि उन बैंकों का उचित कार्यकरण सुनिश्चित किया जा सके ताकि इसदेश के निर्धन व्यक्तियों के हितों की अनदेखी न होने पाये; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन व्यक्तियों को एक बेहतर और सस्ता विकल्प उपलब्ध कराने का भी है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि क्रेडिट कार्ड परिचालन के बारे में विदेशी बैंकों द्वारा उच्च्च ब्याज दर प्रभारित करने संबंधी कुछ शिकायतें उन्हें प्राप्त हुई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे यह भी सूचित किया है कि बैंक तब ब्याज दर प्रभारित करते हैं जब कार्ड धारक क्रेडिट कार्ड से उसके द्वारा की गई खरीद या अन्य, परिचालन संबंधी अपने बिल का भुगतान निर्धारित तारीखक करने में असफल होता है। पनुः चूंकि कार्डधारक, से यह आशा की जाती है कि वह क्रेडिट कार्ड धारण के रुप में नामांकन से पहले शर्तों से अवगत है अतः भारतीय रिजर्व बैंक ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है।

(घ) जी, नहीं।

कोयले की बिक्री

1917. श्री चुन चुन प्रसाद यादव : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार के गोड्डा जिले में राजमहल कोयला परियोजना की लालमटिया कोयला खानों की स्थानीय बिक्री पर रोक लगा दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख). जी, नहीं। कोल इंडिया लि. से प्राप्त सूचना के अनुसार, बिहार के गोड्डा जिले में राजमहल समूह की खानों की लालमटिया कोयला खानों से उत्पादित किए गए कोयले की निरन्तर रुप में उदारीकृत बिक्री योजना (संशोधित) के अन्तर्गत बिक्री की जा रही है।

कोयले का मूल्य

1918. श्री अनंत कुमार :
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनियों को विभिन्न प्रकार के कोयले के लिए अपनी दो मूल्य सूची निर्धारित करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह प्रस्ताव कब तक लागू हो जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग). कोककर कोयले तथा "ए" "बी" और "सी" ग्रेड के अकोककर कोयले की कीमतें तथा वितरण को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 22.3.96 से विनियंत्रित कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरुप कोल इंडिया लिमिटेड (को.इं.लि.) द्वारा कोककर कोयले तथा "ए" "बी" तथा "सी" ग्रेड के अकोककर कोयले की कीमतों को 31.3.96 से निर्धारित किया गया है। सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (सिं. को.कं.लि.) ने 19.4.96 से "बी" तथा "सी" ग्रेड के अकोककर कोयले की कीमतों को निर्धारित किया है। सिं.को.कं.लि. द्वारा कोककर कोयले तथा "ए" ग्रेड के अकोककर कोयले का उत्पादन नहीं किया जाता है।

"डी", "ई", "एफ" तथा "जी" ग्रेड के अकोककर कोयले की कीमतें अभी भी सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती हैं।

[हिन्दी]

कोयले की चोरी

1919. श्री देवी बक्स सिंह :
श्री राधा मोहन सिंह :
श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी समय से देश, विशेष रुप से बिहार और वेस्टर्न कोलफील्ड्स आफ इंडिया लि. कोयला खानों से बड़ी मात्रा में

कोयले की चोरी हो रही है जिसके परिणामस्वरुप सरकार को प्रति वर्ष लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन-वर्षों के दौरान राज्यवार कोयले की चोरी के कितने मामलों का पता चला; और

(ग) कोयले की चोरी रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख). कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार कोयला कंपनियों में नियोजित किए गये सुरक्षा कार्मिकों द्वारा समय-समय पर पकड़ी गई कोयले की चोरी संबंधी रिपोर्ट प्रबंधन के नोटिस में आई है। पिछले 3 वर्षों के दौरान हुए ऐसे मामलों के राज्य-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

राज्य	वर्ष		
	1993-94	1994-95	1995-96
बिहार	262	211	206
पश्चिम बंगाल	2,412	1,843	1,371
मध्य प्रदेश	17	28	15
महाराष्ट्र	2	2	4
उड़ीसा	20	10	12
असम	-	2	-
जोड़	2,713	2,096	1,608

(ग) कोयले की चोरी को रोकने के लिए उठाए गए कदम नीचे दिए गए हैं :-

1. कोयले के स्टाकों के चारदिवारी का निर्माण/स्थापना किया जाना।
2. कोलियरियों की तरफ जाने वाली मुख्य सड़कों पर जांच चौकियों की स्थापना किया जाना।
3. निगरानी टावरों की स्थापना तथा कोयला स्टॉक क्षेत्रों के चारों ओर प्रकाश की व्यवस्था किया जाना।
4. आसूचना का संग्रहण किया जाना।
5. स्थानीय पुलिस तथा कोलियरी सुरक्षाकार्मिकों के साथ अचानक जांच किया जाना।
6. कोलियरी सुरक्षाकार्मिकों द्वारा 24 घंटे गश्त लगाया जाना।
7. इस समस्या से निपटने हेतु एक कार्यक्रम बनाये जाने के लिए जिला प्राधिकारियों के साथ बैठक करना।
8. स्थानीय पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाना।

[अनुवाद]

कोयले की आपूर्ति

1920. श्री महेन्द्र सिंह भाटी :

श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार द्वारा उसके विभिन्न उद्योगों के लिए कोयले की कितनी मात्रा की आवश्यकता है;

(ख) क्या मांग तथा आपूर्ति में अंतर है;

(ग) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान को कोयले की पर्याप्त मात्रा की आपूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (घ). कोयले की आवश्यकताओं का मूल्यांकन समग्र देश के लिए उद्योग-वार/क्षेत्र-वार किया जाता है। इनका मूल्यांकन राज्य-वार नहीं किया जाता है। कोयला कंपनियां कोयले की आपूर्ति संबद्ध प्रायोजन प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रायोजनों के अनुसार उपभोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों के आधार पर की जाती है। विद्युत तथा सीमेंट उद्योग को कोयले की आपूर्ति इन क्षेत्रों की स्थायी संयोजन समिति (एस.एल. सी.) द्वारा स्थापित अल्पावधि संयोजनों के आधार पर की जाती है।

राजस्थान के महत्वपूर्ण तथा गैर महत्वपूर्ण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को कोयले का समग्र रुप में वर्ष 1994-95 में 54.44 लाख टन प्रेषण किया गया जबकि इसकी तुलना में 1995-96 के दौरान 57.28 लाख टन (अनंतिम) का प्रेषण किया गया, जो कि 5.2 प्रतिशत को दर्शाता है।

कोयला कंपनियां कोयले के उत्पादन में वृद्धि करके देश के सभी उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास कर रही हैं जिसमें राजस्थान के उपभोक्ता भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त उदारीकृत बिक्री योजना, के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत संयोजनों/प्रायोजनों के बिना कोयले की आपूर्ति की जा सकती हैं, उक्त योजना के अधीन कई कोलियरियों द्वारा कोयले की आपूर्ति की पेशकश की जा रही है।

एन टी सी मिल के कर्मचारियों की बकाया राशि

1921. श्री दिलीप संघानी : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले सेवान्त लाभ अभी तक नहीं दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रभावित कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन कर्मचारियों को उनके सेवान्त लाभ कब तक मिल जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) से (ग). आवश्यकताओं के अनुरुप कार्यशील पूंजी की जटिल कमी के कारण एन टी सी गुजरात में स्थित एन टी सी मिलों के कामगारों/कर्मचारियों को केवल निवल मजदूरियों का भुगतान ही कर पाया है। इसके फलस्वरुप एन टी सी के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को भविष्य निधि तथा ई एस आई के प्रति सेवा निवृत्ति के पश्चात देय बकाया राशि का भुगतान करने में कुछ दोषी रहा है। एन टी सी (गुजरात) के सेवा निवृत्ति कर्मचारियों को पी एफ और ई एस आई के प्रति देय बकाया राशि 43.21 लाख रु. है।

(घ) एन टी सी के 9 में से 8 सहायक निगमों की निवल पूंजी में कमी आने के कारण 8 सहायक निगमों, जिनमें एन टी सी (गुजरात) लि. भी शामिल है, के मामले बी आई एफ आर को भेजे गए हैं जिसने उन्हें रुग्ण घोषित कर दिया है। सरकार ने गुजरात स्थित एन टी सी मिलों के लिए एक संशोधित सुधार योजना का अनुमोदन किया है जिसमें 11 मिलों में से 6 मिलों का आधुनिकीकरण करना तथा 5 गैर-अर्थक्षम मिलों को 3 अर्थक्षम एककों में मिलाकर उनका पुनर्निर्माण करना निहित है। इस योजना में 158,25 करोड़ रु. का परिव्यय अन्तर्ग्रस्त है। निधियों का सृजन एन टी सी मिलों की वेशी भूमि तथा परिसम्पत्तियों को बेच कर किया जाएगा। जब तक बी आई एफ आर द्वारा पुनर्वासन योजना का अनुमोदन तथा उसका क्रियान्वयन नहीं हो जाता, तब तक सरकार एन टी सी के सामने मजदूरियों और वेतन का भुगतान करने में पेश आ रही कमी को सरकार पूरा करेगी। जैसे ही बी आई एफ आर एन टी सी (गुजरात) के लिए पुनर्वास योजना का अनुमोदन कर देता है तथा निधियां उपलब्ध हो जाती हैं, वैसे ही यह आशा की जाती है कि एन टी सी (गुजरात) अपनी मिलों के सेवा निवृत्ति कर्मचारियों की समस्य देय अन्तिम बकाया राशि का भुगतान कर देगा। फिलहाल कम्पनी देय बकाया राशि का भुगतान करने के लिए यथासंभव प्रयास कर रही है।

कताई मिलों के लिए ऋण

1922. श्री मोहन रावले : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय वित्तीय संस्थान नई सहकारी कताई मिलों को वित्त पोषित करने को इच्छुक नहीं हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में सहकारी कताई मिलों को परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तक दीर्घावधि ऋण सहायता स्वीकृत करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं को तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) ने सूचित किया है कि वित्तीय संस्थाएं नई सहकारी कताई मिलों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करेंगी, बशर्ते कि, ये अर्थक्षम पाई जाए और संबंधित राज्यों में स्थित विद्यमान सहकारी कताई मिलों ने वित्तीय संस्थाओं के प्रति कोई चूक न की हो।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ). महाराष्ट्र सरकार ने आई डी बी आई को सूचित किया था कि आठवीं योजनावधि के दौरान महाराष्ट्र राज्य में 50 सहकारी कलाई मिलें स्थापित की जाएंगी। इनमें से, अब तक 14 मिलों ने सहायता के लिए आई डी बी आई से और 20 मिलों ने इण्डस्ट्रियल फाइनेंस कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (आई एफ सी आई) से सम्पर्क स्थापित किया है।

आई डी बी आई ने सूचित किया है कि अब तक वित्तीय संस्थाओं द्वारा कोई सहायता मंजूर नहीं की गई है, क्योंकि यह महसूस किया गया था कि इतनी अधिक क्षमता के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। निर्यात पर अपेक्षाकृत अधिक बल को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय संस्थाएं उन व्यक्तियों द्वारा प्रवर्तित निर्यातोन्मुख एककों को वरीयता देती रही हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में अनुभव प्राप्त है और जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के धागे का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक उपकरण लगाने की परिकल्पना की गई हो। विद्यमान सहकारी मिलों का कार्यकरण सामान्यतया असंतोषजनक रहा है और वित्तीय संस्थाओं के नाम उनकी अतिदेय राशियां बहुत अधिक हैं । आई डी बी आई ने महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि वे विद्यमान सहकारी कताई मिलों की अतिदेय राशियों का निपटान करें और उनके संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बनाएं।

[हिन्दी]

बैंकों में कम्प्यूटरीकरण

1923. श्री सत्य देव सिंह :

कुमारी उमा भारती :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बैंकों में पूर्ण कम्प्यूटरीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) इस पर कितनी धनराशि व्यय किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) बैंकों के कार्यालय/शाखाओं में कम्प्यूटरीकरण का मामला भारतीय बैंक संघ एवं बैंक-कर्मचारी यूनियनों के बीच हुए

29.10.1993 के उद्योग-स्तर समझौते के तहत नियंत्रित होता है। इस समझौते की शर्तों के अनुसार,बैंक अपनी उन शाखाओं में परिचालनों को पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत तभी कर सकते हैं जो समझौते में कुछ निहित मानदण्डों को पूरा करते हों।

(ख) जैसाकि आर बी आई द्वारा सूचित किया गया है, मार्च 1997 तक कुल/समग्र शाखा कम्प्यूटरीकरण के लिए निर्धारित शाखाओं की संख्या 2834 है। इस लक्ष्य में से 31 मार्च, 1996 तक 1244 शाखाएं पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत की जा चुकी हैं।

(ग) उद्योग के लिए समग्र रुप से पूर्ण शाखा कम्प्यूटरीकरण हेतु किए जाने वाले खर्च की मात्रा अलग से नहीं बताई जा सकती क्योंकि प्रति बैंक शाखा लागत उस शाखा के आकार तथा कई अन्य कारकों पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

गुजरात के विकास केन्द्र में सुविधाएं

1924. श्री शान्तिलाल पुरषोतमदास पटेल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य विशेषकर गुजरात में विभिन्न विकास केन्द्रों में अब तक उपलब्ध कराई गई मौलिक सुविधाओं के बारे में ब्यौरा क्या हैं;

(ख) वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान इन केन्द्रों में किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या धन के अभाव के कारण कुछ केन्द्रों द्वारा विकास कार्य शुरु नहीं किया जा सका है; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति से उबरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ). विकास केन्द्र योजना, 1988 के अधीन भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विकास केन्द्रों का विकास संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपनी कार्यान्वयनकारी एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। विकास केन्द्रों को बिजली, पानी, दूरसंचार तथा बैंकिंग जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी । एक विकास केन्द्र की लगभग 25-30 करोड़ रु. की अनुमानित कुल परियोजना लागत में, केन्द्र सरकार का योगदान केवल 10 करोड़ रु. तक ही सीमित है।

2. वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान विभिन्न विकास केन्द्रों को क्रमशः 80.39 करोड़ रु. और 47.16 करोड़ रु. की कुल केन्द्रीय सहायता जारी की गयी थी।

गुजरात को आवंटित तीन विकास केन्द्र कच्छ में गांधीधाम, जिला बनासकांठा में पालनपुर और जिला भड़ोच में बागरा में हैं। जिला कच्छ में गांधीधाम और जिला बनासकांठा में पालनपुर विकास केन्द्रों में से प्रत्येक को 100 लाख रु. की केन्द्रीय सहायता जारी की गयी है और राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के रुप में कार्यान्वयन की प्रक्रिया पहले ही आरंभ कर दी गयी है। जिला भड़ोच के वागरा विकास केन्द्र के लिए 1,000 लाख की पूरी केन्द्रीय सहायता पहले ही जारी कर दी गयी है। विकास केन्द्रों के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा दी गयी प्रगति की सूचना के आधार पर केन्द्रीय निधि जारी की जाती है। इस प्रकार, केन्द्र सरकार विकास केन्द्रों को धन उपलब्ध कराने तथा इनके कार्यान्वयन के मामले में राज्य सरकार को सहायता व प्रोत्साहन देती है।

वियतनाम के साथ व्यापार

1925. श्री धीरेन्द्र अग्रवाल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश से वियतनाम को किए जाने वाले निर्यात में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस निर्यात से देश को कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई; और

(घ) वर्ष 1996-97 में उस देश को किए जाने वाले निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या अग्रेतर कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ग). जी हां, भारत से वियतनाम को वर्ष 1994-95 में 58.57 मिलीयन अमेरीकी डालर का निर्यात हुआ था जो वर्ष 1995-96 में बढ़कर 123.21 मिलियन अमेरीकी डालर हो गया। इस प्रकार इसमें 110.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(घ) सरकार की हमेशा यह कोशिश रही है कि वह वियतनाम सहित पूर्वी देशों को भारत के निर्यात में वृद्धि करें। इस दिशा में और आगे किए गए उपायों में व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना, प्रदर्शनियों एवं मेलों में भाग लेना और व्यापार से संबंधित सेमीनार इत्यादि आयोजित करना शामिल है।

[हिन्दी]

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड

1926. श्री सोहन वीर :

डा. जी.आर. सरोदे :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा अर्जित मुनाफे का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड का विचार एक नये एकक की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा अर्जित कर पूर्व लाभ निम्नानुसार है :-

(करोड़ रुपए में)

	1993-94	1994-95	1995-96
कर पूर्व लाभ	317	365	575*

*सरकारी लेखा परीक्षा के अधीन

(ख) फिलहाल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की कोई नया एकक स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान

1927. श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए गठित राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण द्वारा किए गए फैसले के कार्यान्वयन के परिणामस्वरुप देय हो रही बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और इसका भुगतान कब तक कर दिए जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उसने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर आर बी) से कहा है कि वे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के पंचाट के अनुसरण में 1991 में किए गए वेतन संशोधन के परिणामस्वरुप देय बकाया राशि का भुगतान कर दें।

[हिन्दी]

भारतीय और विदेशी कम्पनियों द्वारा वाहनों का उत्पादन

1928. जस्टिस गुमान मल लोढा :
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत अनेक स्वदेशी और विदेशी कम्पनियों ने स्वतंत्र रुप से अथवा संयुक्त रुप से देश में वर्षों से कारों, ट्रकों, टेम्पो, दो-पहिया और अन्य वाहनों का उत्पादन आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक कम्पनियों की उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने इन कम्पनियों से अपने उत्पादन के एक भाग का निर्यात करने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 1993-94,1994-95 और 1995-96 के दौरान देश में कितने वाहनों का उत्पादन किया गया है और निर्यात किए गए वाहनों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख). ऐसी कंपनियों, जिन्हें नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद विभिन्न प्रकार के आटोमोटिव वाहनों के विनिर्माण के लिए सरकार द्वारा अनुमति दी गई है, के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :-

क्र.सं.	विदेशी कम्पनी का नाम	भारतीय भागीदारी	मद	परिकल्पित क्षमता(सं.)
1.	मेरसेड्स बेन्ज, जर्मनी	मैं. टेल्को	कार	20,000
2.	डाएउ, कोरिया	मैं. डी सी एम	कार	1,60,000
3.	पेउगेवट, फ्रांस	मैं. प्रिमियर आटोमोबाइल लि.	कार	60,000
4.	जनरल मोटर्स, यू एस ए	मैं. हिन्दुस्तान मोटर्स	कार	25,000
5.	फोर्ड मोटर्स, यू एस ए	मैं. महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा	कार	1,25,000
6.	रोभर ग्रुप, यू.के.	मैं. सिपानी आटो	कार	15,000
7.	होन्डा मोटर्स, जापान	मैं. सेल	कार	30,000
8.	मित्यूबिशी, जापान	मैं. हिन्दुस्तान मोटर्स	कार	30,000
9.	हयनडाई, कोरिया	100 प्रतिशत राजसहायता	कार	2,00,000
10.	बी एम डब्लू, जर्मनी	मैं. हीरो साईकिल लि.	कार	10,000
11.	वोलवो ए बी स्वीडन	100 प्रतिशत राजसहायता	ट्रक	

(ग) और (घ). वर्तमान नीति के अनुसार, सरकार इन कंपनियों पर कोई विशेष निर्यात बंधन नहीं लगा रही है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान वाहनों का उत्पादन और निर्यात निम्न प्रकार रहा :

उत्पादन	1993-94	1994-95	1995-96
कारें	2,09,695	2,64,007	3,55,658
जीपें	49,896	49,371	67,679
मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहन-	65,975	1,02,002	1,29,753
ट्रक और बसें हल्के वाणिज्यिक वाहन	75,461	92,997	1,29,383
थ्री व्हीलर	91,608	1,28,833	1,72,602
टू व्हीलर	17,56,155	21,95,609	26,56,017
निर्यात (कुल वाहन)	1,27,342	1,78,756	1,93,994

[अनुवाद]

बीमा उद्योग संबंधी नीति

1929. श्री चित्त बसु : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारी फेडरेशन, जनरल इंश्यूरेंस एम्पलाईज आल इंडिया एसोसिएशन और अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी एसोसिएशन से बीमा उद्योग संबंधी सरकार की प्रस्तावित नीतियों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों में किन प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). बीमा क्षेत्र को विदेशी और भारतीय निजी कम्पनियों के लिए खोलने के प्रतिरोध में सरकार को काफी संख्या में प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं।

सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकिंग क्षेत्र के कार्य संचालन से प्राप्त अनुभव के आधार पर बीमा उद्योग की पुनर्संरचना करने और जीवन बीमा निगम एवं साधारण बीमा निगम जैसी सरकारी क्षेत्र की बीमा कम्पनियों को सुदृढ़ करने पर विचार किया गया है।

न्यायालयों में हिन्दी का प्रयोग

1930. श्री परसराम भारद्वाज : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायालयों में, कम से कम हिन्दी भाषा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले राज्यों के न्यायालयों में अंग्रेजी के स्थान पर राजभाषा हिन्दी के प्रयोग, प्रसार और प्रचार में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने इस उद्देश्य हेतु कोई सुविचारित योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्यमंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) से (ग). संविधान का अनुच्छेद 348 (1) यह उपबंध करता है कि जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करें तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में होगी। अनुच्छेद 348(2) के अधीन किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिन्दी या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा, परन्तु ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा पारित डिक्री, निर्णय या आदेश अंग्रेजी में होंगे। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 के अधीन किसी राज्य में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों, आदि के प्रयोजन के लिए, राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की सहमति से प्राधिकृत किया जा सकेगा। अब तक चार उत्तरी राज्यों अर्थात्, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यपालों ने अपने राज्यों के उच्च न्यायालयों के लिए कार्यवाहियों और निर्णयों डिक्रियों आदि में अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी के प्रयोग को प्राधिकृत कर दिया है।

भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने अक्तूबर, 1991 में यह सूचना दी थी कि न्यायपालिका के निचले स्तर में अंग्रेजी के स्थान पर राज्य की भाषा प्रतिस्थापित करने का कार्य पूरे भारत में पहले ही क्रियान्वित कर दिया गया था।

राष्ट्रीय बचत योजना

1931. डा. मुरली मनोहर जोशी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बचत योजना को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) 31 मार्च, 1996 को राष्ट्रीय बचत योजनाओं में कितनी जमा राशि शेष थी;

(घ) क्या सरकार को राष्ट्रीय बचत योजना को जमा राशि पर दिए जाने वाले ब्याज को दर में वृद्धि करने तथा सेवानिवृत्त एवं वरिष्ठ नागरिकों द्वारा जमा राशि निकालते समय आयकर में छूट देने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). धारा 80ग ग क के अंतर्गत कर रियायत की वापसी के साथ ही राष्ट्रीय बचत योजना, 1987 बंद कर दी गई थी और 1.10.1992 से एक नई राष्ट्रीय बचत योजना, 1992 शुरु की गई जिसमें आयकर अधिनियम, 1996 की धारा 88 एवं 80 ट के अंतर्गत के अंतर्गत कर रियायत उपलब्ध हैं।

(ग) 31 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अंतर्गत जमा राशि शेष (अनन्तिम) इस प्रकार है—

(एक)	एन.एस.एस.	87	3998.53 करोड़ रुपए
(दो)	एन.एस.एस.	92	780.95 करोड़ रुपए
		जोड़	4779.48 करोड़ रुपए

(घ) जी, हां।

(ङ) सरकार ने इन अभ्यावेदनों की विस्तृत जांच की है। तथापि, इन्हें स्वीकार करना संभव नहीं है।

साड़ियों का निर्यात

1932. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पाकिस्तान को बनारसी साड़ी, बंगाली तांती साड़ी और साउथ सिल्क साड़ियां निर्यात करने का है क्योंकि ये साड़ियां उस देश में काफी लोकप्रिय हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) से (ग). पाकिस्तान ने गाट/डब्ल्यू टी ओ के आपने दायित्वों का उल्लघंन करते हुए भारत को परम मित्र राष्ट्र (एम एफ एन) का दर्जा नहीं दिया है, बल्कि उसके स्थान पर हाल में केवल 573 मदों को एकपक्षीय सूची के आधार पर ही भारत से आयात की अनुमति देता है। सूची में "बनारसी साड़ियां", बंगालो तांती साड़ियां अथवा साउथ सिल्क साड़ियां शामिल नहीं हैं। भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को भारत को परम मित्र राष्ट्र का दर्जा देने के बारे में नीति-परिवर्तन करने का औपचारिक प्रस्ताव भेजा है, जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है।

राष्ट्रीय आरक्षित निधि से गुजरात को सहायता

1933. श्री रतिलाल कालिदास वर्मा : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात की रुग्ण कपड़ा मिलों के पुनरुद्धार हेतु राष्ट्रीय आरक्षित निधि (एम आर एफ) से सहायता प्राप्त करने के लिए गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) से (ग). गुजरात राज्य सरकार ने गुजरात राज्य वस्त्र निगम के पुनर्निर्माण तथा पुनर्वासन के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि में से 96.83 करोड़ रु. की सहायता देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उद्योग मंत्रालय राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता स्वीकृत करने की प्रचालन संबंधी रुपात्मकताओं को अन्तिम रुप दिए जाने के बाद ही प्रस्ताव उठाएगा।

[हिन्दी]

निर्यात संवर्धन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

1934. कुमारी उमा भारती :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने निर्यात संवर्धन के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु करने के संबंध में कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) सरकार ने कोई नयी योजना तैयार नहीं की है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाओं का बन्द किया जाना

1935. श्री अमर पाल सिंह :
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 अप्रैल, 1996 के "इकोनामिक टाइम्स" में प्रकाशित समाचार "बैंक्स क्लोजड 253 रुरल ब्रांच इन 1995 आर.बी.आई" की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) बैंकों द्वारा इतनी बड़ी संख्या में ग्रामीण शाखाओं को बंद किए जाने के मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की अधिकाधिक शाखाओं को खोलने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) से (ग). भारजीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिसम्बर, 1994 में ग्रामीण शाखाओं की संख्या 35,142 थी, जो दिसबर, 1995 में घटकर 34,889 हो गई। यह कमी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 265 ग्रामीण शाखाएं तथा अन्य वाणिज्यिक बैंकों की 5 शाखाएं कम हो जाने के कारण आई थी, जबकि सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 17 ग्रामीण शाखाएं बढ़ी हैं। ग्रामीण शाखाओं मे कमी मुख्यतः क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 227 ग्रामीण शाखाओं को अर्द्ध-शहरी केन्द्रों में तथा 33 ग्रामीण शाखाओं को शहरी/महानगरीय केन्द्रों में बदलने के कारण आई थी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि बेहतर व्यावसायिक संभावनाओं तथा कार्य में सुधार के उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे अपनी घाटा उठाने वाली शाखाओं को बाजार स्थान, ग्रामीण मंडियों तथा खंड/जिला मुख्यालयों जैसे केन्द्रों में पुनर्स्थापित करें।

भारतीय रिजर्व बैंकों ने बैंक से यह भी कहा है कि जबकि ग्रामीण केन्द्रों पर घाटा उठाने वाली शाखाओं को बन्द करते समय एकमात्र वाणिज्यिक बैंक शाखा को बन्द करना अपेक्षित नहीं समझा गया है तथापि, संबंधित बैंकों द्वारा एक-दूसरे से परामर्श करके दो वाणिज्यिक बैंक शाखाओं (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) वाले केन्द्रों में एक शाखा को बन्द करने का निर्णय लिया जा सकता है।

[हिन्दी]

राज्यों में केन्द्र द्वारा निवेश

1936. श्री काशीराम राणा :

श्री जेवियर अराकल :

श्री महेश कुमार एम. कनोडिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष विभिन्न राज्यों में विशेषकर गुजरात और केरल में कितना निवेश किया गया;

(ख) क्या यह घटता जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा निवेश की सीमा बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए पूरे देश के लिए केन्द्रीय योजना राशि का निवेश किया जाता है। यह न तो योजनाबद्ध होता है और न ही राज्यवार। तथापि पिछले तीन वर्षों से गुजरात और केरल सहित विभिन्न राज्यों को दी जाने वाली निवल केन्द्रीय सहायता में वर्षवार वृद्धि ही हुई है।

भारतीय नागरिकों के विदेशी बैंकों में खाते

1937. श्री राम टहल चौधरी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशी बैंकों में जमा कराई गई धनराशि का पता लगाने के लिए कोई कार्यविधि है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). यद्यपि भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशी बैंकों में जमा कराई गई धनराशि का पता लगाने के लिए कोई सामान्य व्यवस्था नहीं है, भारत के निवासी द्वारा विदेश में बैंक खाते खोलने/चलाने पर विशेष रिपोर्ट मिलने पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 73 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में औद्योगिक विकास हेतु सहायता

1938. श्री मुरलीधर जेना : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में औद्योगिक विकास हेतु मंजूर की गयी केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख). औद्योगिक विकास की प्राथमिक मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। उद्योग मंत्रालय ने राज्यों में औद्योगिक विकास में मदद पहुंचाने हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए विकास केन्द्र योजना को प्रायोजित किया है। राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जाने हेतु उड़ीसा राज्य को तीन विकास केन्द्रों का आबंटन किया गया था। गत तीन वर्षों में इन केन्द्रों को कोई भी केन्द्रीय सहायता जारी नहीं की जा सकी क्योंकि परियोजनाओं का मूल्यांकन अभी पूरा किया जाना शेष है। राज्य सरकार से विशेष रिपोर्टों की प्रतीक्षा है।

काली मिर्च का निर्यात

1939. श्री सुरेश कोडीकुनील : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काली मिर्च के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1995-96 के दौरान कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को अखिल भारतीय मसाला निर्यातक मंच से काली मिर्च के लिए उपकर में छूट प्रदान करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, हां। पिछले दो वर्षों के दौरान हुए काली मिर्च के निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है

वर्ष	मात्रा(मी.टन)	कीमत(करोड़ रु.)
1994-95	36,536	234.61
1995-96(पी)	25,401	193.50

(पी) अनंतिम; स्रोत डी जी सी आई एण्ड एस, कलकत्ता)

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान काली मिर्च के निर्यात में आयी गिरावट का मुख्य कारण यह रहा कि यू एस ए में इसकी कम मांग थी जो कि इसका प्रमुख आयातक देश है।

(ग) से (घ). काली मिर्च समेत (ब्राइन में हरी मिर्च को छोड़कर) कतिपय मसालों के निर्यात पर लगने वाले उपकर से 31.3.96 तक छूट दी गयी थी। उपकर से छूट देने का एक सुझाव अखिल भारतीय मसाला निर्यातक मंच की ओर से प्राप्त हुआ था।

(ङ) उपकर समेत निर्यातों पर लगने वाले करों के भार की समीक्षा करना एक सतत प्रक्रिया है, और आवश्यकतानुसार विशिष्ट मदों पर छूट संबंधी अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं।

भारतीय चाय व्यापार निगम के श्रमिकों को वेतन का भुगतान न करना

1940. श्री आर.बी.राई : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चाय व्यापार निगम के अंतर्गत दार्जिलिंग में चाय बागानों के श्रमिकों को कई महीनों से वेतन और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने देयों का भुगतान किया जाना है, चाय बागानों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक चाय बागान के कितने श्रमिकों को देयों का भुगतान नहीं किया गया है और ये भुगतान कब से नहीं किया गया है; और

(ग) भारतीय चाय व्यापार निगम के अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों को वेतन का भुगतान कराने और अन्य सुविधाएं दिलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). भारतीय चाय व्यापार निगम लि. के स्वामित्व में दार्जिलिंग के चाय बागानों के श्रमिकों के संबंध में 1 अप्रैल, 1996 तक बकाया वेतन/मजदूरी से संबंधित स्थिति संलग्न विवरण में दर्शायी गयी है।

(ग) टी टी सी आई लि. के स्वामित्व में दार्जिलिंग जिले के बागानों सहित सभी बागानों में होने वाली स्थायी हानि को ध्यान में रखते हुए इन बागानों को तत्काल बिक्री के जरिए बेचने का निर्णय लिया गया है। श्रमिकों के वेतन/मजदूरी की बकाया देनदारियों को, टी टी सी आई लि. द्वारा बिक्री से प्राप्त आमदनी में से पूरा करने का प्रस्ताव है। यद्यपि बिक्री कार्य को अविलम्ब पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं, तथापि अदालती मामलों के कारण बिक्री प्रक्रिया को पूरा करने में कठिनाई आ रही है। बिक्री के कार्य को जल्दी सम्पन्न करने के लिए सभी संभव कदम उठाए गए हैं। इस बीच कम्पनी से कहा गया है कि वे उत्पाद और विनिर्माण कार्यकलापों को जारी रखें ताकि मौजूदा देनदारियों का जहां तक संभव हो सके, भुगतान सुनिश्चित कराया जा सके।

विवरण

भारतीय चाय व्यापार निगम लि. के स्वामित्व में पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग के जिले मे चाय बागानों के श्रमिकों की बकाया मजदूरी और वेतन से संबंधित विवरण।

चाय बागान	1.4.96 तक देय बकाया मजदूरी और वेतन (लाख रु. में)	बागान में श्रमिकों की संख्या	देय राशि की अवधि	1.4.96 तक बकाया राशन (लाख रु. में)
वाह-तुकवार चाय बागान	69.36	748	लगभग 90 हफ्ते	26.95
पाशोक चाय बागान	65.08	959	लगभग 70 हफ्ते	28.98
पोटोंग चाय बागान	10.00	344	लगभग 70 हफ्ते	7.61

ऑर्किड के फूलों का निर्यात

1941. श्री के. प्रधानी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम एवं दार्जिलिंग में पैदा किए जाने वाले आर्किड फूलों का बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश-वार प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में ऑर्किड फूलों का निर्यात किया गया तथा उनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) देश से ऑर्किड फूलों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सरकार क्या अग्रेतर कदम उठा रही है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 (अप्रैल, 1995 से जनवरी, 1996) के दौरान आर्किड फूलों सहित कट-प्लावर्स के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा का विवरण निम्नानुसार है :-

मूल्य करोड़ रु. में

	1993-94	1994-95	1995-96 (अप्रैल, 95 से जनवरी, 96)
तोड़े गए फूल तथा फूल को कलियां*	11.92	22.57	35.23

इंटरनेशनल ट्रेड क्लासिफीकेशन (हारमोनाइज्ड सिस्टम) कोड में सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिए "आर्किड फ्लावर्स" मद अलग से विनिर्दिष्ट नहीं की गई है, इसलिए इस मद के निर्यात से संबंधित जानकारी देना संभव नहीं है।

(स्रोत डोजीसीआईएंडएस, कलकत्ता)

कट-फ्लावर्स तथा फूल की कलियों के निर्यात से संबंधित देशवार ब्यौरे वाणिज्यिक जानकारी तथा सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित मंथली स्टैटिस्टिकस ऑफ दी फोरेन ट्रेड आफ इंडिया में उपलब्ध है, जिसकी प्रतियां संसद-पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

* तोड़े गए फूलों के निर्यात के लिए कोई मात्रा निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) भारत से आर्किड फूलों सहित पुष्पोत्पादों के निर्यातों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं :-

(एक) प्रशीतित/इंसुलेटिड वैनों तथा प्री-कूलिंग/कोल्ड स्टोरेज इकाईयों की स्थापना जैसी अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय सहायता की व्यवस्था करना;

(दो) क्लीयरेंस के लिए प्रतीक्षारत निर्यात खेपों के लिए हवाईपत्तनों पर पांच चलते-फिरते शीत भंडारों की स्थापना करना;

(तीन) कार्गो की शीघ्रातिशीघ्र क्लीयरेंस के लिए पौध संगरोध क्रियाविधि को सरल और कारगर बनाना;

(चार) पौध घरों (ग्रीन हाउसिंज) के लिए अपेक्षित विशिष्ट वस्तुओं पर रियायती सीमाशुल्क;

(पांच) पुष्प-उद्योग में लगी इकाइयों को निर्यात-उन्मुख एकक/निर्यात संसाधन क्षेत्र योजनाओं के अंतर्गत शुल्क मुक्त आयातों के लाभ उपलब्ध कराना तथा उनके 50 प्रतिशत उत्पादन को घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिक्री करने की अनुमति देना;

(छः) कट फ्लावर्स का उत्पादन तथा निर्यात बढ़ाने के लिए यू.एन.डी.पी. से सहायता प्राप्त पुष्प-उद्योग संबंधी परियोजना को क्रियान्वित करना। इस परियोजना में शुरु किए जाने वाले कुछेक क्रियाकलापों में ये शामिल हैं : फूलों के उत्पादन के संबंध में उद्यमियों को सलाह देना, फसल मैनुअल तैयार करना, बाजार सर्वेक्षण करना और बाजार आसूचना उपलब्ध कराना आदि

(सात) अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना।

बीमा क्षेत्र में वेतन में संशोधन

1942. श्रीमती वसुंधरा राजे :
श्री सुरेश कोडीकुनील :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बीमा अधिकारियों के वेतन में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय जीवन बीमा निगम एवं साधारण बीमा निगम के कर्मचारियों के लिए वेतन में उक्त संशोधन किस तिथि से प्रभावी हुआ है;

(ग) उनके वेतन पैकेजों में श्रेणीवार किए गए संशोधन का ब्यौरा क्या है;

(घ) बीमा क्षेत्र के अधिकारियों के लिए शुरु की गई पेंशन योजना की स्थिति क्या है; और

(ङ) कर्मचारियों की लम्बित मांगों का ब्यौरा क्या है और उनमें से प्रत्येक पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). जी, हां। वेतन संशोधन के प्रमुख तत्वों का वर्ग वार विवरण संलग्न है।

(घ) बीमा उद्योग में 1.11.93 से पेंशन योजना कार्यान्वित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत उन कर्मचारियों को भी लिया गया है जो 1.1.86 से 1.11.93 के बीच भविष्यनिधि में ब्याज सहित नियोजक के योगदान की वापसी करने पर सेवा निवृत्त हुए हैं।

(ङ) श्रेणी III और श्रेणी IV के कुछ कर्मचारी संशोधित वेतनमानों और वेतन निर्धारण पर वेतन वृद्धि को निर्धारित करते समय उच्च तटस्थीकरण की मांग कर रहे हैं। वेतन बिल में कुल वृद्धि को एक उपयुक्त सीमा में रखने और बैंकिंग तथा बीमा उद्योगों के बीच समानता बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा ये मांगें स्वीकार नहीं की जा सकेंगी।

विवरण

बीमा उद्योग में वेतन संशोधन का विवरण

क्र.सं.	पद का नाम	संशोधन-पूर्व वेतनमान	संशोधित वेतनमान	लागू होने की तिथि
1.	जीवन बीमा निगम में क्षेत्रीय प्रबंधक (चयन श्रेणी) और साधारण बीमा निगम में महा प्रबंधक	6400-7000 रु.	12650-14000 रु.	1.8.1992
2.	जीवन बीमा निगम में क्षेत्रीय प्रबंधक (सामान्य श्रेणी) और साधारण बीमा निगम में प्रबंधक	5950-6550रु.	11450-12650 रु.	तदैव
3.	एल आई सी में उप क्षेत्रीय प्रबंधक और जी आई सी में प्रबंधक	5350-5950 रु.	10450-11450 रु.	तदैव
4.	एल आई सी में मंडलीय प्रबंधक और जी आईसी में उप प्रबंधक	4520-5350 रु.	8970-10450 रु.	तदैव
5.	एल आई सी में सहायक मंडलीय प्रबंधक और जी आई सी में सहायक प्रबंधक	3660-5050 रु.	7360-9950 रु.	तदैव
6.	एल आई सी में शाखा प्रबंधक और जी आईसी में ए ओ	2940-4520 रु.	5980-8970 रु.	तदैव
7.	एलआईसी में एबीएम और जी आईसी में एएओ	2100-4260 रु.	4250-8510 रु.	तदैव
8.	जी आईसी में विकास अधिकारी श्रेणी-I	1430-3880 रु.	2815-7520 रु.	1.4.1995
9.	जीवन बीमा निगम में विकास अधिकारी	1350-3880 रु.	2660-7520 रु.	तदैव
10.	जी आई सी में विकास अधिकारी ग्रेड-II	1050-1410 रु.	2050-2790 रु.	तदैव
11.	एलआईसी में और जी आई सी में अधीक्षक	1910-3700 रु.	3725-7160 रु.	1.8.1992
12.	एल आईसी में उच्च वर्ग सहायक	1470-3460 रु.	2880-6700 रु.	तदैव
13.	जी आई सी में वरिष्ठ सहायक और आशुलिपिक	1390-3460 रु.	2725-6700 रु.	तदैव
14.	एलआईसी में अनुभाग प्रमुख	1270-3220 रु.	2510-6240 रु.	तदैव
15.	एलआईसी में आशुलिपिक	1240-3090 रु.	2425-5960 रु.	तदैव
16.	एलआईसी और जीआईसी में सहायक	1000-2860 रु.	1950-5500 रु.	तदैव
17.	एलआईसी और जीआईसी में रिकार्ड क्लर्क	930-2010 रु.	1830-3990 रु.	तदैव
18.	एलआईसी और जीआईसी में ड्राइवर	930-1810 रु.	1830-3590 रु.	तदैव
19.	एलआईसी में सिपाही	815-1520 रु.	1600-3020 रु.	तदैव
20.	जी आईसी में अन्य अधीनस्थ कर्मचारी	815-1520 रु.	1600-3220 रु.	तदैव
21.	एलआईसी में झाडूकश	785-1465 रु.	1540-2900 रु.	तदैव

महंगाई भत्ता

पूर्व संशोधित		संशोधित	
(I) 2500/- रुपए तक	मूल वेतन का 0.67 प्रतिशत	(I) 4800 रु. तक	मूल वेतन का 0.35 प्र.श.
(II) 2501/- रु. से 4000/- रु.	2500 रु. का 0.67 प्र.श. जमा 2500 रु. से अधिक मूलवेतन का 0.55 प्र.श.	(II) 4800 रु. से 7700/- रु.	4800/- रु. का 0.35 प्र.श. जमा 4800/- रु. से अधिक मूलवेतन का 0.29 प्र.श.
(III) 4001 रु. से 4260 रु.	2500 रु. का 0.67 प्र.श. जमा 4000 रु. और 2500 रु. के बीच के अंतर का 0.55 प्र.श. जमा 4000 रु. से अधिक मूलवेतन का 0.33 प्र.श.	(III) 7701 रु. से 8200 रु.	4800 रु. का 0.35 प्र.श. जमा 7700 रु. और 4800 रु. के बीचअंतर का 0.29 जमा 7700 रु. से अधिक मूलवेतन का 0.17 प्र.श.
(IV) 4261 रु. और अधिक	2500 रु. का 0.67 प्र.श. जमा 4000 रु. और 2500 रु. के बीच अंतर का 0.55 प्र.श. जमा 4260 रु. और 4000 रु. के बीच अंतर का 0.33 प्र.श. जमा 4260 रु. से अधिक मूलवेतन का 0.17 प्र.श.	(IV) 8201 रु. से अधिक	4800 रु. का 0.35 प्र.श. जमा 7700 रु. और 4800 रु. के बीच अंतर का 0.29 प्र.श. जमा 8200 रु. और 7700 रु. के बीच अंतर का 0.17 प्र.श. जमा 8200 रु. से अधिक मूलवेतन का 0.09 प्रतिशत

श्रेणी-I के अधिकारियों और विकास अधिकारियों के लिए मंहगाई भत्ते की वृद्धि 1.4.1993 से और श्रेणी III और IV के कर्मचारियों के लिए 1.8.1992 से संशोधित की गई है।

मकान किराया भत्ता

श्रेणी I अधिकारी -1.8.1992 से

संशोधन पूर्व	संशोधित
1	2
मूलवेतन का 12.5 प्र.श. लेकिन अधिकतम 500/- रु.	मूलवेतन का 12.5 प्र.श. लेकिन 875 रु. से अधिक नहीं

विकास अधिकारी-1.4.1993 से

3000/-रु. तक के मूल वेतन का 12.5 प्र.श. और 3000/-रु. से अधिक होने पर मूलवेतन के 10 प्र.श. की दर से लेकिन अधिकतम 425 रुपए तक।	5900 रु. तक मूलवेतन का 12.5 प्र.श. और 5900 रु. से अधिक होने पर मूल वेतन का 10 प्र.श. की दर से

श्रेणी III और IV के कर्मचारी 1.8.1992 से

वेतन का 10 प्रतिशत	(1)	12 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर	12 प्र.श.
	(2).	कोई अन्य स्थान	10 प्र.श.

नगर भत्ता (सी सी ए)

श्रेणी I अधिकारी 1.8.1993 से

(I) 12 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहर	मूलवेतन का 7 प्र.श. लेकिन अधिकतम 220 रु.।	मूलवेतन का 4.5 प्र.श. लेकिन अधिकतम 335 रु. प्रति माह।

1		2	
(II)	अन्य शहर	मूलवेतन का 4 प्र.श. लेकिन 135 रु. से अधिक नहीं	मूलवेतन का 3.5 प्र.श. लेकिन प्रति माह 230 रु. से अधिक नहीं।

विकास अधिकारी 1.8.1993 से

(I)	12 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहर	मूलवेतन का 7 प्र.श. लेकिन 165 रु. से अधिक नहीं।	मूलवेतन का 4.5 प्र.श. लेकिन 220 रु. प्रतिमाह से अधिक नहीं।
(II)	अन्य शहर	मूलवेतन का 4 प्र.श. लेकिन 110 रु. से अधिक नहीं।	मूलवेतन का 3.5 प्र.श. लेकिन 165 रु. प्रति माह से अधिक नहीं।

श्रेणी III और IV के कर्मचारी 1.8.1993 से

		संशोधन पूर्व	संशोधित
(I)	12 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहर	मूल वेतन का 7 प्र.श. लेकिन 150 रु. से अधिक नहीं।	मूलवेतन का 4.5 प्र.श. लेकिन न्यूनतम 100 रु. और अधिकतम 200 रु.
(II)	अन्य शहर	मूलवेतन का 4 प्र.श. लेकिन श्रेणी IV के लिए 30 रु. न्यूनतम और श्रेणी III के लिए न्यूनतम 45 रु. और अधिकतम 100 रु.	मूलवेतन का 3.5 प्र.श. लेकिन न्यूनतम 75 रु. और अधिकतम 150 रु.

वाहन भत्ता

संशोधन पूर्व	संशोधित
शून्य	सभी कर्मचारियों के लिए 1.8.1994 से 100 रु. प्रतिमाह।

कम्प्यूटर वेतन वृद्धि

सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 1.11.1993 से कम्प्यूटर वेतन वृद्धि की अनुमति दी गयी है।

पहाड़ भत्ता

श्रेणी I के अधिकारी 1.8.1992 से

	संशोधन पूर्व	संशोधित
1500 मीटर और उससे अधिक की ऊंचाई पर स्थित स्थानों पर तैनाती	मूलवेतन का 7 प्र.श. लेकिन अधिकतम 180 रु.	मूल वेतन का 4 प्र.श. लेकिन अधिकतम 180 रु.।
1500 मीटर से कम की ऊंचाई पर स्थित स्थानों पर तैनाती	मूलवेतन का 5 प्र.श. लेकिन अधिकतम 150 रु.।	मूल वेतन का 3 प्र.श. लेकिन अधिकतम 150 रु.

विकास अधिकारी 1.4.1995 से

1500 मीटर और उससे अधिक की ऊंचाई पर स्थित स्थानों पर तैनाती	मूलवेतन का 7 प्र. श. लेकिन अधिकतम 150 रु.	मूलवेतन का 4 प्र.श. लेकिन अधिकतम 150 रु.
1500 मीटर से कम की ऊंचाई पर स्थित स्थानों पर तैनाती	मूलवेतन का 5 प्र.श. लेकिन अधिकतम 125 रु.।	मूल वेतन का 3 प्र.श. लेकिन अधिकतम 125 रु.

1	2	
	चिकित्सा दावे (मेडिक्लेम)	
5 वर्ष तक की सेवा अवधि वाले कर्मचारी	350 रु.	870 रु.
5 वर्ष से अधिक की सेवा अवधि वाले कर्मचारी	500 रु.	1070 रु.

अस्पताल में रखने हेतु

संशोधन से पूर्व कर्मचारी और नियोक्ता कम्पनी द्वारा मेडिक्लेम प्रीमियम 1:2 के अनुपात में चुकाया जाता था। संशोधन के उपरांत कर्मचारी के हिस्से को 25 प्रतिशत कम करते हुए अनुपात को बदलकर 1:3 कर दिया गया है।

[हिन्दी]

ऊनी सामानों का निर्यात

1943. श्री महेश कुमार एम. कनोडिया : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश से ऊनी सामानों के निर्यात में काफी वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कितने मूल्य का ऊनी सामान निर्यात किया गया और 1994-95 की तुलना में 1995-96 में कितनी अतिरिक्त विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) और (ख). देश से ऊनी वस्त्र मदों के निर्यात वर्ष 1994-95 में 341.50 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़ कर वर्ष 1995-96 में 370.03 मिलियन अमरीकी डालर के हो गए जोकि 28.53 मिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि दर्शाते हैं।

[अनुवाद]

कोयले का मूल्य

1944. प्रो. अजित कुमार मेहता : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कोकिंग और गैर-कोकिंग कोयले के मूल्यों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो कोयले के मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश के औद्योगिक उत्पादन, निर्मित वस्तुओं के बाजार मूल्यों, तथा विद्युत क्षेत्र पर इस वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) सरकार द्वारा कोकक़र कोयले तथा "ए", "बी" और "सी" ग्रेड के अकोकक़र कोयले की कीमतें दिनांक 22.3.1996 की अधिसूचना द्वारा विनियंत्रित कर दी गई है। कोयला कंपनियां अब इन किस्मों के कोयले की कीमतें निर्धारित करने में सक्षम हैं। इसके अलावा, औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो(बी.आई.सी.पी.) की सिफारिशों के अनुसार सिंगरेनी को लियरीज कंपनी लि. (सिं.को.कं.लि.) के लिए अधिसूचित स्तर पर वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (वे.को.लि.) में उत्पादित कोयले के नियमित ग्रेड की कीमतों में वृद्धि किए जाने हेतु दिनांक 22.3.1996 को अधिसूचना जारी की गई थी। सिं.को.कं.लि. की रामागुंडम ओ.का. खान-II के लिए अलग से कीमतों में वृद्धि किए जाने के लिए 9.1.1996 को भी अधिसूचना जारी की गई थी तथा ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की राजमहल ओ.का. परियोजना के लिए दिनांक 22.4.1996 को अधिसूचा जारी की गई थी।

(ख) वे.को.लि. की खानों और रामागुंडम ओ.का. खान-II तथा राजमहल ओ.का. खान से उत्पादित किए गए कोयले की कीमतों में हुई वृद्धि की प्रतिशतता संलग्न विवरण में दी गई है।

सिं.को.कं.लि. की खानों से उत्पादित किए गए कोयले की उच्च कीमत का निर्धारण इस बात को देखकर किया जाता है कि यह किन भू-खनन परिस्थितियों में कार्य करता है, चूंकि वे.को.लि. भी उन्हीं भू-खनन परिस्थितियों में कार्यचालन करती है, अतः बी.आई.सी.पी. ने वे.को.लि. की खानों से उत्पादित किए गए कोयले की कीमतों को सिं.को.कं.लि. की खानों से उत्पादित किए जाने वाले कोयले की प्रभारित कीमतों के स्तर पर निर्धारण किए जाने की सिफारिश की है।

(ग) विभिन्न क्षेत्रों पर कोयले की कीमतों में वृद्धि की संभावित प्रभावकारिता को नीचे दर्शाया गया है :-

इस्पात : 293/- रु. प्रति टन

विद्युत : 2 पैसा प्र.कि.वा. घं.

सीमेंट : 14.16/- रु. प्रति टन

विवरण

16.6.94 को निर्धारित की गई कीमतों की तुलना में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. में उत्पादित और रामागुण्डम ओपन कास्ट खान-II में उत्पादित कोयले तथा राजमहल ओपनकास्ट परियाजना में उत्पादित कोयले की कीमतों में वृद्धि की प्रतिशतता।

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

कोयले का ग्रेड	22.3.96 से प्रति टन हुई वृद्धि की प्रतिशतता
अकोककर	
ग्रेड-"डी"	43.84 प्रतिशत
ग्रेड-"ई"	50.93 प्रतिशत
ग्रेड-"एफ"	57.58 प्रतिशत

रामागुण्डम ओपनकास्ट -II खान

	9.1.96 से प्रति टन हुई वृद्धि की प्रतिशतता
रामागुण्डम ओपनकास्ट खान-II से उत्पादित कोयला	43.18%

राजमहल ओपनकास्ट परियोजना

	22.4.96 से प्रति टन हुई वृद्धि की प्रतिशतता
राजमहल ओपनकास्ट परियोजनाओं से उत्पादित कोयला	57.20%

विपणन परिसर और रंगाई केन्द्र

1945. श्री के.डी. सुल्तानपुरी : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के प्रत्येक राज्य में विपणन परिसर तथा रंगाई केन्द्र हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली राज्य में भी ऐसा विपणन परिसर तथा रंगाई केन्द्र खोलने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो इसके लिए समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) जी नहीं।

(ख) यह निर्णय लिया गया है कि दिल्ली में भीकाजी कामाप्लैस में एक विपणन काम्पलैक्स स्थापित किया जाए। दिल्ली में रंगाई केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ). यह काम्पलैक्स वर्ष 1997 से आरंभ हो जाएगा।

रुग्ण उद्योगों का प्रबन्धन

1946. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न श्रम सहकारी समितियों ने रुग्ण उद्योगों का प्रबंधन उन्हें सौंपने के लिए सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार की सहकारी समितियों को सौंपे गए या सौंपे जाने वाले उद्योगों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के पुनरुज्जीवन के बारे में कामगारों की सहकारी समितियों (वर्कर्स कोआपरेटिव) से जब कभी भी प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो बाइफर उन पर उचित रुप से विचार करता है। दिनांक 30.6.1996 की स्थिति के अनुसार, कामगारों की सहकारी समितियों से सम्बद्ध निम्नलिखित पांच औद्योगिक कम्पनियों को बाइफर ने पुनरुज्जीवन योजना के अन्तर्गत मंजूरी दी थी :

कम्पनी का नाम	राज्य, जिसमें कम्पनी स्थित है
1. न्यू सेन्ट्रल जूट मिल्स	पश्चिम बंगाल
2. कमानी ट्यूब्स	महाराष्ट्र
3. पाउडर मेटल्स	महाराष्ट्र
4. एच.ई.एस. लिमिटेड	महाराष्ट्र
5. के.एम.ए. लिमिटेड	महाराष्ट्र

गेहूं का निर्यात

1947. श्री विनय कटियार :

श्री दादा बाबूराव परांजपे :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देशवार कुल कितनी मात्रा में गेहूं का निर्यात किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान गेहूं के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई; और

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान देशवार कितनी मात्रा में गेहूं का निर्यात किया जाएगा और इससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए गेहूं की कुल मात्रा तथा मूल्य नीचे दिए गए हैं :-

वर्ष	मात्रा (मी.टन)	मूल्य(करोड़ रु.)
1993-94	390	0.20
1994-95	86628	42.34
1995-96	617211	360.90

निर्यात किए गए गेहूं की मात्रा तथा मूल्य से संबंधित देशवार ब्यौरे वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित मासिक बुलेटिन/वार्षिक अंकों में उपलब्ध है, जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) निर्यातों की सम्भावित मात्रा के बारे में अनुमान लगाना संभव नहीं है क्योंकि यह व्यापार की जाने वाली विभिन्न किस्मों, गुणवत्ता में अंतर तथा व्यापार, की अन्य शर्तों के कारण अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू बाजारों में प्रचलित कीमतों पर निर्भर करेगा। तथापि, भारतीय खाद्य निगम को, 1995-96 में की गई अवशेष वचनबद्धता की तुलना में सार्वजनिक स्टॉक में से 1996-97 में 5 लाख मी.टन तक गैर-डुरुम गेहूं के निर्यात के प्रयोजन के लिए निर्यात/बिक्री की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त, 1996-97 वर्ष के लिए, भारतीय खाद्य निगम को छोड़कर अन्य स्रोतों से गेहूं के निर्यात के लिए 10 लाख मी.टन की अधिकतम सीमा रिलीज की गई है।

मोटर कारों का निर्यात

1948. श्री माधव राव सिंधिया : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993-94 तथा 1994-95 की तुलना में 1995-96 के दौरान मोटर कारों के निर्यात में कोई कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मोटर कार के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). वर्ष 1993-94 और 1994-95 की तुलना में 1995-96 में मोटर वाहनों के निर्यात में कोई गिरावट नहीं हुई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान मोटर वाहनों का निर्यात निम्नानुसार रहा है :

(मूल्य करोड़ रु. में)

वर्ष	मूल्य
1993-94	792.24
1994-95	1319.83
1995-96	1586.31

(स्रोत : डीजीसी आईएण्डएस)

वास्तविक रुप में निर्यात किए गए वाहनों की संख्या निम्नानुसार है

वर्ष	संख्या
1993-94	1,27,342
1994-95	1,78,756
1995-96	1,93,944

(स्रोत : उद्योग मंत्रालय)

(ग) निर्यात को बढ़ाने का सरकार का सतत प्रयास रहा है। मोटर वाहनों सहित इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में निर्यात-आयात नीति के अन्तर्गत दिए गए विभिन्न प्रोत्साहन शामिल हैं जिनमें शुल्क छूट योजना, निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान योजना, विशेष आयात लाइसेंस, शुल्क वापसी योजना, आयकर अधिनियम की धारा 80 एच.एच.सी. के अन्तर्गत छूट, बाजार विकास निधि से सहायता शामिल है। इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यातकों को इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद के विभिन्न कार्यकलापों के अन्तर्गत भी संवर्धनात्मक सहायता दी जाती है।

विदेशी प्रसारण कम्पनियों पर कर

1949. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विदेशी प्रसारण कम्पनियों को उन्हें प्राप्त होने वाली आय पर कर देने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). विदेशी प्रसारण कम्पनियों को भारत से प्राप्त अपनी आय पर कर का भुगतान करने का एक दायित्व होता है। परन्तु, विदेशी प्रसारण कम्पनियों के मामले में, जिनका भारत में कोई शाखा कार्यालय या स्थायी प्रतिष्ठान नहीं होता या वह देशवार खाते नहीं रख रही हैं, आय की संगणना की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने विदेश भेजी जाने वाली सकल आय के 10 प्रतिशत की अनुमानित

मुनाफा दर को अपनाकर या ऐसी कम्पनियों द्वारा दी गई आय-विवरणी के आधार पर, जो भी अधिक हो, कर योग्य आय की संगणना करने और इस पर वर्तमान 55 प्रतिशत की निर्धारित दर से कर लगाने के लिए मार्ग-निर्देशिकायें जारी की हैं।

आम जनता के लिए कंपनियों द्वारा शेयर जारी किया जाना

1950. श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 से 1995-96 के दौरान सभी श्रेणी की नई व कार्यरत निगमित कंपनियों द्वारा कुल कितनी राशि के शेयर आम जनता को जारी किए गए;

(ख) इनमें से निगमित पूर्वोत्तर राज्यों में कंपनियों द्वारा कितनी राशि के शेयर जारी किए गए;

(ग) क्या सरकार इन राज्यों में निगमित निवेश में वृद्धि में तेजी लाने और उसको प्रोत्साहन देने के लिए कोई वित्तीय और अन्य उपाय लागू करने के बारे में विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर देश में तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (एन.ई.आर.) में कम्पनियों द्वारा जुटाई गई पूंजी की कुल राशि नीचे दी गई है :-

	(करोड़ रुपए) सभी कम्पनियों द्वारा जुटाई गई पूंजी	(करोड़ रुपए) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में कंपनियों द्वारा जुटाई गई पूंजी
1993-94	24371.96	5.25
1994-95	27632.49	154.85
1995-96	20811.52	19.03

(ग) और (घ). केन्द्र सरकार ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। सरकार, सिक्किम सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों के लिए एक परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता स्कीम चला रही है जिसके तहत उद्योगों से संबंधित कच्ची सामग्री और निर्मित वस्तुओं की परिवहन लागतों की प्रतिपूर्ति की जाती है। इसके अलावा, सरकार ने वित्त अधिनियम, 1996 (सं. 2) में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में औद्योगिक उपक्रमों और आधारभूत संरचना वाली परियोजनाओं के सृजन, विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए वित्तपोषण के उद्देश्य से गुवाहाटी में स्थापित उत्तर-पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड की आय पर 10 वर्ष की अवधि के लिए आय-कर से छूट देने का प्रस्ताव किया है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कम लगाये जाने के कारण राजस्व घाटा

1951. श्री राम सागर : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1994-95 के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों और अन्य केन्द्रीय करों के कम मूल्यांकन/कम लगाये जाने के कारण 1110.31 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने इन घाटों की जांच करवाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) इस प्रकार के राजस्व घाटे को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान देश में और विशेष रुप से दिल्ली में उत्पाद शुल्क की चोरी करने के लिए कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के वापसी दावे

1952. श्री सुरेश कलमाडी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के कार्य दल ने वापसी दावों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए अपनी सिफारिशें दी हैं;

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). जी, हां। प्रतिअदायगी दावों के भुगतान पर कार्यदल-समूह की रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है। कार्यदल-समूह की मुख्य सिफारिशों में प्रतिअदायगी दावों को तैयार करने हेतु अलग-अलग दावों को दायर करने की जरुरत को समाप्त करके और प्रतिअदायगी संबंधी शिपिंग बिलों को ही प्रतिअदायगी हेतु दावों के रुप में मानकर 1986 से पूर्व की कार्य-प्रणाली को अपनाना, परीक्षण हेतु नमूने लेने में कमी करना, सीमाशुल्क गृह की प्रयोगशालाओं की आधार-संरचना में वृद्धि करना, निर्यात और प्रतिअदायगी कार्य-प्रणाली का कम्प्यूटीकरण करना, प्रतिअदायगी की राशि के भुगतान की कार्य-प्रणाली में परिवर्तन करना और संप्रेषण की आधुनिक विधियों को अपनाना शामिल है।

सरकार इन सभी सिफारिशों पर सक्रियता से विचार कर रही है।

[हिन्दी]

ग्रामीण बैंकों का पुनर्वित्त पोषण

1953. श्री सुख लाल कुशवाहा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आवास बैंक, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के ग्रामीण बैंकों को भवन निर्माण व मरम्मत के लिए पुनर्वित्त पोषण की सुविधा दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विगत दो वर्षों में इस संबंध में प्रतिवर्ष कितनी राशि प्रदान की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). राष्ट्रीय आवास बैंक (एन एच बी) ने सूचित किया है कि वह ग्रामीण आवास के लिए कृषि ग्रामीण विकास बैंकों के माध्यम से विशेष ग्रामीण आवास लाभांशों (एस आर एच डी) में अभिदान की एक योजना चला रहा है। एन एच बी, उत्तर प्रदेश में कृषि ग्रामीण विकास बैंकों को उनके द्वारा जारी एस आर एच डी में अभिदानों के रुप में पुनर्वित्त सुविधा प्रदान कर रहा है। एन एच बी ने सूचित किया है कि उसने अभी तक, वर्ष 1991-92 के दौरान उत्तरकाशी में भूकम्प राहत के लिए 10 करोड़ रु. के तदर्थ बाण्डों में अभिदान के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में कृषि ग्रामीण विकास बैंकों में 9.78 करोड़ रु. की राशि का अभिदान किया है। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश के कृषि ग्रामीण विकास बैंक को 2 करोड़ रु. की सीमा आबंटित की गई है।

एन एच बी ने सूचित किया है कि अभी तक मध्य प्रदेश से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

दिल्ली के विद्युत संयंत्रों को कोयले की सप्लाई

1954. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली के विद्युत संयंत्रों को अनियमित और घटिया कोयले की हो रही सप्लाई के संबंध में कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली के विद्युत संयंत्रों में अच्छे किस्म के कोयले की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग). अप्रैल से जून 1996 की अवधि के लिए दिल्ली में विद्युत गृहों को कोयले का कुल प्रेषण 12.04 लाखटन (अनंतिम) किया गया जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 13.08 लाखटन कोयले का प्रेषण किया गया था। दिल्ली के विद्युत गृहों को प्रेषण के मामले में कोयले की वर्तमान आपूर्ति के एवज में विद्युत गृहों द्वारा अदायगी न किए जाने के कारण उसे विनियमित करना पड़ा।

तापीय विद्युत गृहों को, अधिकांशतः सहमति हुई कोयले की गुणवत्ता में तथा पर्याप्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति की गई, जिसके लिए उनके बायलरों को अभिकल्पित किया गया है। सामान्यतः गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति विद्युत गृहों को किए जाने के संबंध में शिकायतें कोयले में अपशिष्ट सामग्री होने तथा बड़े आकार के कोयले की आपूर्ति किए जाने के संबंध में शिकायतें मिलती हैं। इन शिकायतों पर प्रत्येक मामलों में गुणावगुण आधार पर जांच की जाती है और उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर किए जाने हेतु सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

गुणवत्ता संबंधी शिकायतों को कम किए जाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं, जैसे-फीडर ब्रेकरों की स्थापना किया जाना, कोयले का लदान करते समय पत्थरों को अलग किया जाना, बेहतर पर्यवेक्षण और कोयला कंपनियों द्वारा गुणवत्ता वाले कोयले का लदान किए जाने हेतु लदान स्थल पर अपने प्रतिनिधियों को तैनात किए जाने के संबंध में उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जाना।

[अनुवाद]

प्रतिबंधित वस्तुओं का निर्यात और आयात

1955. श्री पी.आर. दासमुंशी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 और 1995-96 की निर्यात-आयात नीति में मुक्त सामान्य लाइसेंस से बाहर रखी गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान अधिकतमर प्रतिबंधित वस्तुओं में से निर्यात और आयात की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) वर्तमान निर्यात और आयात नीति, जो 1 अप्रैल, 1992 से अस्तित्व में आई और 31 मार्च, 1997 तक वैद्य है, वह पूंजीगत वस्तुओं, कच्चे माल, मध्यवर्ती सामान, संघटकों उपभोज्य वस्तुओं,फालतू पुर्जों, हिस्सों, उपकरणों, औजारों और अन्य वस्तुओं के मुक्त रुप से आयात और निर्यात की अनुमति देती है। इसमें ऐसी वस्तुएं शामिल नहीं हैं जो कि आयात और निर्यात की निषेधात्मक सूची के अन्तर्गत आती हैं या जिनका नियमन कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून के द्वारा होता है। कोई वस्तु आयात करने योग्य तथा निर्यात करने योग्य है या नहीं इस बात का विशेष उल्लेख निर्यात और आयात मदों के आई.टी.सी. (ए.एस.) वर्गीकरण में मदवार दिया गया है।

(ख) आयातों या निर्यातों की निषेधात्मक सूची के अन्तर्गत आने वाली मदों के आयात या निर्यात की अनुमति विशेष लाइसेंस

या इस संबंध में अधिसूचित सामान्य निर्देशों के द्वारा दी जाती है। निर्यात के लिए इन मदों में उर्वरक दोहरे कामों में आने वाले रसायन, दालें, मोर-पंख, अरण्डी के बीज इत्यादि शामिल हैं और आयात के लिए इनमें पेंसिलिन जी, रिफाम्पीसीन, सी.के.डी./एस.के.डी. में कारें, स्टेलियन और ब्रुडमेयर्स, प्रशिक्षण हवाई जहाज इत्यादि शामिल हैं। ऐसे लाइसेंसों का विस्तृत विवरण पाक्षिक एक्जिम अपडेट में प्रकाशित किया जाता है, जिनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में भी उपलब्ध होती हैं।

नेपाल में 500 रुपये मूल्य के नोटों पर प्रतिबंध

1956. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नेपाल में पांच सौ रुपये के करेंसी नोट पर प्रतिबंध के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का प्रतिबंध लगाए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के विद्यमान प्रावधानों के अनुसार, 100 रुपए मूल्यवर्ग तक के भारतीय करेंसी/बैंक नोटों का कार्यव्यापार केवल भारत और नेपाल के बीच अनुमत है। अक्टूबर, 1993 में नेपाल स्थित हमारे दूतावास द्वारा यह सूचित किया गया कि सीमा के बीच लोगों के बड़े पैमाने पर आवागमन के कारण, उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन करना लगभग असम्भव हो गया था और परिणामस्वरुप 500 रुपए के नोट स्वतंत्र रुप से उपलब्ध थे तथा विभिन्न कारोबारी लेन देनों में तथा नेपाल के स्थानीय बैंकों में भी स्वीकार किए जा रहे थे जबकि नेपाली करेंसी को भारतीय करेंसी में बदलवाने पर प्रायः 500 रुपए के नोट दिए जाते थे। सामान्यतया, जब नेपाली बैंकों में भारतीय करेंसी नोटों (100 रुपए मूल्यवर्ग के नोटों तक) की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो ऐसे नोट नेपाल राष्ट्रीय बैंक (एन.आर.बी.) के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक (आर. बी.आई) की पटना शाखा को हस्तांतरित किए जाते हैं। तथापि, फेरा के प्रतिबंधों के कारण भा. रि. बैंक नेपाली बैंकों से 500 रुपए के नोट स्वीकार नहीं कर रहा था इस प्रकार, यह सूचित किया गया था कि नेपाल राष्ट्रीय बैंक (एन.आर.बी) के पास 500 रुपए के नोटों की कुल जमा धनराशि का मूल्य 57 करोड़ रुपए है।

इस विषय पर दोनों स्तरों राजनयिक माध्यमों के जरिए और भा. रि. बैंक के गवर्नर, द्वारा नेपाल राष्ट्रीय बैंक के गवर्नर के साथ समय-समय पर विचार विमर्श किया गया। यद्यपि, पहले दृष्टिकोण अपनाया गया था कि ने.रा. बैंक द्वारा धारित 500 रुपए के नोटों की स्वीकृति को अनुमति न दी जाए क्योंकि यह भारत सरकार के फेरा विनियमनों का उल्लंघन होगा, मामले की पुनः समीक्षा की गई और यह निर्णय किया गया कि यदि इस मामले में नेपाली सरकार अपने सभी बैंकों को 500 रुपए के नोटों को क्रय और विक्रय नहीं करने के लिए अधिसूचना जारी करे, के मामले पर पुनः विचार किया जा सकता है। ने.रा. बैंक द्वारा 15 अगस्त, 1994 को एसी अधिसूचना जारी की गई। अतः यह निश्चय किया गया कि एक बारगी उपाय के रुप में भा. रि. बैंक 15-8-1994 को ने.रा. बैंक में जमा 500 रुपए के सभी नोटों को स्वीकार करेगा।

अतः भा.रि. बैंक ने अपने पटना कार्यालय को 15.8.1994 को ने.रा. बैंक में जमा 57,56,10,500 रुपए मूल्य के 500 रुपए मूल्यवर्ग के नोटों को स्वीकार करने की सलाह दी।

चूंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में 500 रुपए के नोटों की जालसाजी के अनेक मामलों की सूचना प्राप्त हुई है, अतः भारत और नेपाल के बीच 500 रुपए के नोटों के कार्यव्यापार पर वर्तमान प्रतिबंध को हटाने को उचित नहीं समझा गया है।

यू टी आई की कर-बचत योजनाएं

1957. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा गत चार वर्षों के दौरान वर्षवार इक्विटी प्लान जैसी विभिन्न कर बचत योजनाओं के माध्यम से कितनी धनराशि जुटाई गई;

(ख) इस योजना का वर्तमान "निवल परिसम्पत्ति मूल्य" और "बाजार मूल्य" कितना कितना हैं;

(ग) इन योजनाओं के बट्टागत मूल्य के कारण निवेशकर्ताओं को कुल कितनी राशि का घाटा हुआ;

(घ) निवेशकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या निवेशकर्ता इन घाटों का अपनी आय में समायोजन कराने के हकदार हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (च). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बी.आई.एफ.आर. द्वारा मामलों के निपटान की समय-सीमा

1958. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी. आई.एफ.आर.) के अंतरिम आदेशों पर औद्योगिक एवं वित्तीय

पुनर्निर्माण संबंधी अपीलीय प्राधिकरण (ए.ए.आई.एफ.आर.) के निर्णय देने के अधिकार संबंधी प्रावधान को समाप्त करके इसके अधिकार क्षेत्र को सीमित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है;

(ग) इससे मामलों को निपटाने में कितनी सहायता मिलेगी और क्या मामलों को निर्धारित समय-सीमा में निपटाने को सुनिश्चित करने हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). "केवल औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) के अन्तिम आदेश ही अपील योग्य होने चाहिए न कि सम्पूर्ण कार्यवाही", सहित कतिपय सुझाव सरकार के विचाराधीन है तथापि,अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

कपड़ा कारखानों का पुनरुद्धार

1959. श्री संदीपान थोरात : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की कपड़ा मिलों के पुनरुद्वार का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र की रुग्ण कपड़ा मिलों का पुनरुद्वार करने/आधुनिकीकरण करने हेतु कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) और (ख). महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य वस्त्र निगम लि. तथा मराठवाड़ा वस्त्र निगम लि. के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अन्तर्गत उपदान तथा क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि में से 74.83 करोड़ रु. की सहायता देने का अनुरोध किया है। तथापि, केवल केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के क्रियान्वयन के लिए ही राष्ट्रीय नवीकरण निधि में से सहायता प्रदान की गई है।

(ग) सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के कार्यचालन की जांच करने तथा उनका पुनरुद्धार करने के लिए यथोचित योजनाएं बनाने तथा उनकी स्वीकृति देने के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) की स्थापना की है।

सरकारी कर्मचारी का वकील के रुप में नामांकन

1960. श्री मंगल राम प्रेमी : क्या **विधि और न्याय मंत्री** सरकारी कर्मचारी का वकील के रुप में नामांकन के बारे में 3 अगस्त, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1506 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा बार काउंसिल आफ इंडिया के परामर्श से मामले की जांच कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्यमंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) से (ग). प्रश्न की बाबत दिया गया आश्वासन पूरा कर दिया गया है। विवरण में निर्दिष्ट अतारांकित प्रश्न सं. 4530,तारीख 25-8-93 के उत्तर के साथ आश्वासन को पूरा करने वाला विवरण तारीख 14-2-95 को सदन के पटल पर रख दिया गया था। उपरोक्त प्रश्नों की बाबत पूरा करने वाले विवरणों की प्रतियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय, विधि कार्य विभाग **पूरा करने की तारीख 25-1-1995**

प्रश्न सं., तारीख और संसद, सदस्य का नाम.	विषय	दिया गया वचन	कब और कैसे पूरा किया गया	विलंब के लिए कारण
1	2	3	4	5
श्री जीवन शर्मा द्वारा तारीख 3.8.94 को पूछा गया अतारांकित प्रश्न सं. 1506	**सरकारी कर्मचारियों का वकील के रुप में नामांकन** तारीख 25 अगस्त, 1993, 22 दिसंबर, 1993 और 23 फरवरी, 1994 के अतारांकित प्रश्न सं. 4520, 3245 और 371 के दिए गए उत्तरों का संदर्भ देते हुए यह पूछा गया था कि : (क) क्या यह सूचना एकत्र की गई है;	(घ) कार्मिक और प्रशिक्षण	(घ) तारीख 25-8-1993 के	

1	2	3	4	5
	(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; (ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और (घ) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?	विभाग तथा भारतीय विधिज्ञ परिषद् से परामर्श करके मामले की समीक्षा की जा रही है।	अतारांकित प्रश्न सं. 4520 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को पूरा करने वाला एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।	
श्री जीवन शर्मा द्वारा तारीख 25.8.93 को पूछा गया अतारांकित प्रश्न सं. 4520	**सरकारी कर्मचारियों का अधिवक्ता के रूप में नामांकन** जिसमें पूछा गया था कि :— (क) क्या अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत जारी किए गए व्यावसायिक व्यवहार एवं शिष्टाचार संहिता और वकालत करने के अधिकार की शर्तों के अनुसार विधि अधिकारी को छोड़कर एक पूर्णकालिक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारी का अधिवक्ता के रूप में नामांकन नहीं किया जा सकता है और न ही वकालत कर सकता है, (ख) यदि हां, तो क्या कार्मिक विभाग और ए.आर.यू.ओ.डी. 207/74-ई. एम.टी.टी. (ए.) दिनांक 16.1.1974 अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के प्रतिकूल हैं, (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं, और (घ) पूर्णकालिक वेतन पाने वाले भारत सरकार के कितने कर्मचारी, जिनकी नियुक्ति विधि अधिकारी के रूप में नहीं की गई हैं, का अधिवक्ता के रूप में नामांकन किया गया है और जो सरकार की ओर से अथवा अन्यथा वकालत कर रहे हैं?	(क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।	(क) जी, हां। (ख) और (ग). कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने तारीख 23.12.1993 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न सं. 319 का उत्तर देते हुए कहा था कि 1974 में जारी किया गया स्पष्टीकरण की केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम के संदर्भ में सीमित प्रासंगिकता है, जबकि विधिज्ञ परिषद् में नामांकन का विनिश्चय विधिज्ञ परिषद् द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाता है। (घ) भारतीय विधिज्ञ परिषद ने सूचित किया है कि एक सरकारी कर्मचारी के नामांकन के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई है और परिषद् संबंधित व्यक्ति के नामांकन को रद्द करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रही है।	

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

1961. श्री सनत मेहता : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के एककों की संख्या कितनी है जिन्होंने वर्ष 1995-96 के दौरान राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ उठाया है;

(ख) छंटनी किये गये कर्मचारियों में से कितने कर्मचारियों को राष्ट्रीय नवीकरण कोष की सहायता से वर्ष 1995-96 तक कर्मचारी सहायता केन्द्र योजना के अन्तर्गत पुनः प्रशिक्षित किया गया था; और

(ग) आज तक उक्त योजना पर कुल कितना खर्च हुआ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) 1995-96 के संशोधित अनुमानों के अनुसार, नियंत्रक कम्पनियों सहित 61 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय नवीकरण निधि से बजटीय आवंटन किये गये थे।

(ख) और (ग). केन्द्रीय अभिकरणों से उपलब्ध सूचना के अनुसार कर्मचारी सहायता केन्द्र योजना के अन्तर्गत 10,775 यौक्तियुक्त श्रमिकों को पुनः प्रशिक्षण संबंधी सहायता प्रदान की गई है और केन्द्रीय अभिकरणों को 1995-96 तक 8.58 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

व्यापार समझौते

1962. श्री सौम्य रंजन : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के संबंध में ब्यौरा क्या है जिनका भारत के साथ व्यापार संबंध है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सरकार द्वारा उन देशों में से प्रत्येक के साथ हुए समझौते का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) महोदय, भारत के पूर्वी एशिया, पश्चिम एशिया, पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप, अमरीका, अफ्रीका, सीआईएस, लेटिन अमरीका तथा अन्य क्षेत्रों के लगभग सभी प्रमुख देशों के साथ व्यापार-संबंध हैं।

(ख) संक्षेप में, अधिकांश व्यापार करारों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने, टैरिफ, सीमाशुल्क विनियमों आदि के मामलों में प्रत्येक देश के साथ परम मित्र राष्ट्र व्यवहार के अनुसार द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने के लिए प्रयास करने, मुक्त रुप से परिवर्तनीय मुद्राओं में भुगतान करने, व्यापार मेले तथा प्रदर्शनियां आयोजित करने में सहायता देने, संयुक्त आयोगों/व्यापार समितियों के तंत्र के माध्यम से करार के कार्यान्वयन की आवधिक समीक्षा करने, सूचना/शिष्टमंडल का आदान-प्रदान करने आदि की व्यवस्था है। पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन देशों के साथ व्यापार करार किए गए हैं, उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जिन देशों के साथ व्यापार करार किए गए, उनके नाम

1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3
आइवरी कोस्ट	दक्षिण अफ्रीका	बुरकीना फासो
यूरोपीय संघ	करोएशिया	नामीबिया
स्लोवाक	ट्यूनीशिया	जार्जिया
चैक	इजराईल	
स्लोवेनिया	म्यामांर	
तजाकिस्तान	(सीमावर्ती व्यापार करार)	
अरमीनिया		
माल्डोवा		
बेलारुस		
उजबेकिस्तान		
लिथुआनिया		
लात्विया		
एस्टोनिया		
ओमान		

पटसन मिलें

1963. डा. प्रवीन चन्द्र शर्मा : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में कितनी पटसन मिलें चल रही हैं तथा उनमें मिल-वार कितने मजदूर कार्यरत हैं;

(ख) क्या कम मूल्य वाले वैकल्पिक कृत्रिम पटसन से प्रतिस्पर्धा के फलस्वरुप बिक्री में कमी के कारण इन मिलों के लिए समस्या हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क)

राज्य	जूट मिल का नाम	कामगारों की औसत संख्या
असम	असम कोआपरेटिव जूट मिल्स लि.	800
त्रिपुरा	त्रिपुरा जूट मिल्स लि.	1,300

(ख) और (ग). देश में पटसन मिलें सामान्यतः अन्य बातों के साथ-साथ पटसन की उच्च कीमतों की कमी तथा सस्ते सिथैटिक संस्थापनों से प्रतिस्पर्धा की समस्याओं का सामना कर रही है। पूर्वोत्तर राज्यों का परिदृश्य सीमित बाजार की संभाव्यता, उच्चतर यातायात लागत, उच्च उत्पादन लागत के अतिरिक्त मशीनों की घटिया दशा, श्रमिक तथा मशीन की कम उत्पादकता आदि से भी प्रभावित होता है। सरकार के उपाय किए हैं जिनका उद्देश्य पटसन मिलों के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ मूल्य-वर्धित विविधीकृत पटसन उत्पादों का विकास करना है ताकि फाईबर के नए प्रयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

मुद्रास्फीति दर

1964. श्री सुशील चन्द्र : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत में थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कितना अंतर रहा, और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या थोक मूल्य सूचकांक में बिन्दु-दर बिन्दु अंतर से उसी अवधि में मूल्यों में लगभग 45 प्रतिशत की वास्तविक औसत वृद्धि पर मुद्रास्फीति की दर का अनुमान लगाने में सहायता मिलती हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार आगे से वास्तविक आधार पर मुद्रास्फीति की गणना के लिए अपने फार्मूले में संशोधन करने का हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) पिछले तीन वर्षों के लिए थोक मूल्य सूचकांक (डब्लू पी आई) और औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी पी आई-आई डब्लू) की चालू श्रृंखला में संलग्न विवरण में सूचीबद्ध की गई है। दोनों सूचकांकों की मात्रा में परिवर्तन उनके वस्तू समूहों के संयोजन और सम्बन्धित भारांश में अन्तर के कारण है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). अन्य सम्बन्धित मुद्दों के साथ-साथ थोक मूल्य सूचकांक की चालू श्रृंखला और मुद्रास्फीति दर के परिकलन को अपनाए जाने वाली रीति के पुनरीक्षण का प्रस्ताव प्रौ. वाई.के. अलघ की अध्यक्षता में इस उद्देश्य के लिए गठित कार्यदल के विचाराधीन है।

विवरण

थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आई डब्लू) का मासिक सूचकांक

महीना	थो.मू.सू. आधार: 81-82	उ.मू.सू. (आई डब्लू) आधार :1982	वास्तविक अन्तर
1	2	3	4
अप्रैल 1993	234.6	245	10.4
मई	237.0	246	9.0
जून	239.8	250	10.2
जुलाई	243.1	253	9.9
अगस्त	247.0	256	9.0
सितम्बर	250.9	259	8.1
अक्तूबर	252.2	262	9.8
नवम्बर	251.6	265	13.4
दिसम्बर	251.7	264	12.3
जनवरी	252.7	263	10.3
फरवरी	254.8	265	10.2
मार्च	257.6	267	9.4
अप्रैल 1994	262.3	269	6.7
मई	265.4	272	6.6
जून	268.1	277	8.9
जुलाई	271.3	281	9.7
अगस्त	272.1	284	11.9
सितम्बर	273.2	288	14.8
अक्तूबर	274.7	289	14.3
नवम्बर	276.2	291	14.8
दिसम्बर	279.9	289	9.1
जनवरी	283.3	289	5.8
फरवरी	284.7	291	6.3
मार्च	284.9	293	8.1
अप्रैल 1995	288.4	295	6.6
मई	291.7	300	8.4
जुन	292.6	306	13.4
जुलाई	294.2	313	18.8
अगस्त	296.1	315	18.9
सितम्बर	297.4	317	19.6
अक्तूबर	297.9	319	21.1
नवम्बर	299.2	321	21.8
दिसम्बर	297.8	317	19.2
जनवरी 1996	297.4	315	17.6
फरवरी	297.9	316	18.1
मार्च	299.4	319	19.6
अप्रैल	301.4	324	22.6
मई	304.1	328	23.9

'भेल' की बकाया राशि

1965. डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि. की राज्य विद्युत बोर्डों पर 1600 करोड़ रुपए की बकाया राशि को केन्द्र सरकार के विनियोजन के माध्यम से राज्यों को योजना राशि से मिलने वाली धनराशि से वसूल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वसूली के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी;

(ग) क्या राज्यों ने इस प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया है कि राज्यों को योजना राशि से मिलने वाली धनराशि से राज्य विद्युत बोर्डों की बकाया राशि की वसूली केन्द्रीय आवंटन पर उनके संवैधानिक अधिकार का हनन होगा; और

(घ) यदि हां, तो राज्य विद्युत बोर्डों पर भेल की बकाया राशि को परिसमाप्त करने के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख). सरकार के निर्णय के अनुसार, संबंधित राज्यों की योजना सहायता में से भेल को 509 करोड़ रुपए की कुल धनराशि (मई, 1990 को राज्य विद्युत बोर्डों/अन्य विद्युत परियोजनाओं से निर्विवाद रूप से बकाया) का 1990-91 से 1993-94 तक चार वार्षिक किस्तों में भुगतान किया गया था। उसके बाद, राज्यों को आवंटित योजना निधियों में से समायोजन द्वारा इस प्रकार की कोई वसूली नहीं की गई है।

(ग) और (घ). राज्यों को आवंटित योजना निधियों में समायोजन द्वारा भेल के बकायों की वसूली का राज्यों ने इस आधार पर समर्थन नहीं किया कि इससे इन राज्यों की वार्षिक योजनाओं के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध संसाधनों में कमी हो जाएगी, जिससे वार्षिक योजनाओं के कार्यान्वयन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

तथापि, भेल संबंधित राज्य विद्युत बोर्डों तथा राज्य सरकारों से बकाया देयताओं के भुगतान हेतु मामले का अनुसरण कर रहा है। भेल की बकाया देयताओं के भुगतान हेतु राज्य सरकारों को सहमत करने में भारी उद्योग विभाग भी भेल को समय-समय पर आवश्यक सहायता दे रहा है।

मतदाताओं के लिए पहचान-पत्र

1966. श्री मृत्युन्जय नायक : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मतदाताओं के पहचान-पत्रों का चुनाव में मत देने के अलावा अन्य कई प्रयोजनों हेतु प्रयोग किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने चुनाव आयोग के जरिए राज्य सरकारों को कहा है कि वे मतदाताओं को 31 मार्च, 1997 तक पहचान-पत्र जारी कर दें?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्यमंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) जी हां।

(ख) निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से संपूर्ण विषय का पुनर्विलोकन कर रहा है कि सभी पात्र निर्वाचकों को पुनरीक्षित समय-सीमा के भीतर पहचान पत्र जारी कर दिए गए हैं। तथापि, आयोग ने सभी निर्वाचकों को फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए अभी तक कोई पुनरीक्षित निश्चित समय-सीमा नियत नहीं की है।

[हिन्दी]

मूल्य सूचकांक

1967. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

श्री नीतीश कुमार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1996 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई बढ़ोतरी का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भारी अंतर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सी पी आई (आई डब्ल्यू) और थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू पी आई) में वृद्धि के ब्यौरे और दोनों श्रृंखलाओं के बीच अंतर संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

वर्ष 1996 के दौरान उ.मू.सू (आई डब्ल्यू) में जनवरी, 1996 में 315 से मई, 1996 में 328 तक की वृद्धि हुई। अप्रैल, 1993 से मई, 1995 के दौरान थो.मू.सू. और उ.मू.सू. (आई डब्ल्यू) के बीच अंतर न्यूनतम 6.6 से लेकर अधिकतम 14.8 के बीच रहा। इसके बाद मई, 1996 में अंतर में 23.9 तक की वृद्धि हुई।

(ग) दोनों सूचकांकों के बीच वृद्धि की मात्रा में परिवर्तन उनके संबंधित वस्तु समूहों की संरचना और संबंधित भारांश में अंतर के कारण है। साप्ताहिक आधार पर अनुवीक्षित थो.मू.सू. में सभी व्यापारिक वस्तुओं की 440 वस्तुओं के थोक मूल्य की घट-बढ़ का अनुवीक्षण किया जाता है। उ.मू.सू. (आई डब्ल्यू) 260 वस्तुओं और सेवाओं के खुदरा मूल्यों में मासिक घट-बढ़ को प्रतिबिंबित करता है। उ.मू.सू. (आई डब्ल्यू) में उच्च सापेक्ष वृद्धि खाद्य और खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि के प्रभाव को प्रदर्शित करती है जिनका थो.मू.सू. की अपेक्षा उ.मू.सू. (आई डब्ल्यू) में उच्चतर भारांश है।

विवरण

थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आई डब्लू) का मासिक सूचकांक

महीना	थो.मू.सू. आधार: 81-82	उ.मू.सू. (आई डब्लू) आधार :1982	वास्तविक अन्तर
1	2	3	4
अप्रैल 1993	234.6	245	10.4
मई	237.0	246	9.0
जून	239.8	250	10.2
जुलाई	243.1	253	9.9
अगस्त	247.0	256	9.0
सितम्बर	250.9	259	8.1
अक्तूबर	252.2	262	9.8
नवम्बर	251.6	265	13.4
दिसम्बर	251.7	26	12.3
जनवरी	252.7	263	10.3
फरवरी	254.8	265	10.2
मार्च	257.6	267	9.4
अप्रैल 1994	262.3	269	6.7
मई	265.4	272	6.6
जून	268.1	277	8.9
जुलाई	271.3	281	9.7
अगस्त	272.1	284	11.9
सितम्बर	273.2	288	14.8
अक्तूबर	274.7	289	14.3
नवम्बर	276.2	291	14.8
दिसम्बर	279.9	289	9.1
जनवरी	283.3	289	5.8
फरवरी	284.7	291	6.3
मार्च	284.9	293	8.1
अप्रैल 1995	288.4	295	6.6
मई	291.7	300	8.4
जून	292.6	305	13.4
जुलाई	294.2	313	18.8
अगस्त	296.1	315	18.9
सितम्बर	297.4	317	19.6
अक्तूबर	297.9	319	21.1
नवम्बर	299.2	321	21.8
दिसम्बर	297.8	317	19.2
जनवरी 1996	297.4	315	17.6
फरवरी	297.9	316	18.1
मार्च	299.4	319	19.6
अप्रैल	301.4	324	22.6
मई	304.1	328	23.9

[अनुवाद]

हथियारों/मादक पदार्थों की तस्करी

1968. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में भारत-पाक सीमाओं से बड़ी मात्रा में हथियार तथा मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस तस्करी को रोकने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां। प्रवर्तन एजेन्सियों की रिपोर्टों से यह पता चलता है कि भारत-पाकिस्तान की सीमा हथियारों और नशीले औषध द्रव्यों की तस्करी के लिए सुगम्य बनी हुई है।

(ख) क्षेत्रीय कार्यालय हथियारों और नशीले औषध द्रव्यों की तस्करी सहित तस्करी का पता लगाने और उसे रोकनें के लिए सतर्क हैं। तस्करी को रोकने के लिए किए गए उपायों में तस्करी-रोधी कार्यालयों को सुदृढ़ करना, सीमा पर तारों की बाढ़ लगाना, गश्त तेज करना, हाथ में पकड़े जाने वाली सर्च लाइटों, रात्रि में उपयोग में लाई जाने वाली दूरबीनों जैसे उपस्करों का प्रयोग करना और आसूचना संजाल को सुदृढ़ बनाना शामिल है। भारत-पाक सीमा पर हथियारों और नशीले औषध द्रव्यों सहित निषिद्ध माल की तस्करी के प्रयासों को निष्फल करने के लिए केन्द्र और राज्यों की तस्करी-रोधी एजेन्सियां संयुक्त रुप से कार्य करती हैं।

[हिन्दी]

निर्यात बढ़ाने के लिए भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल परिसंघ द्वारा दिए गए सुझाव

1969. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निर्यात को प्रोत्साहन देते हेतु भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल परिसंघ से कोई योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का विचार निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाने का है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). महोदय,भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल परिसंघ (फिक्की) नई दिल्ली ने एक्जिम नीति, और निर्यात बढ़ाने के उपायों के संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं। इसके साथ-साथ पत्र में कई कठिनाइयों का भी उल्लेख किया गया है जैसे-विद्युत की आपूर्ति और कीमत, पत्तन सुविधाएं, अवस्थापना संबंधी कठिनाइयां, आर्थिक संसाधनों की कमी, करों और उपकरों का प्रभाव आदि। एक्जिम नीति में परिवर्तन के सुझावों के अतिरिक्त सूचना आधार और वाणिज्यिक आसूचना को मजबूत करना, विदेशों में भारतीय निवेश को बढ़ाना और भारतीय उत्पादों की ब्राण्ड छवि निर्मित करने की आवश्यकता के सुझाव दिये गये हैं।

(ग) और (घ). व्यापार, उद्योग और अन्य संबंधित संस्थानों से विचार-विमर्श करके निर्यात बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें शामिल हैं :- निर्यात-आयात नीति और क्रियाविधि का सरलीकरण, दक्षता और प्रतिस्पर्धा को सुधारना, गुणवत्ता और तकनीकी उन्नयन पर ध्यान देना आदि। हाल ही में इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड स्थापित किया गया है, 1996-97 के केन्द्रीय बजट में भी बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु निवेश को आकर्षित करने पर बल दिया है।

कंपनियों द्वारा उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क का अपवंचन

1970. श्री राम कृपाल यादव :
श्री महेश कनौडिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन कंपनियों के विरुद्ध 100 करोड़ से अधिक राशि के उत्पाद शुल्क और/अथवा सीमा शुल्क अपवंचन के लिए विभागीय और/अथवा न्यायिक कार्यवाही की जा रही है;

(ख) किन-किन कंपनियों के खिलाफ ऐसे मामले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्वर्ण नियंत्रण अपीलीय न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालयों अथवा उच्चतम न्यायालय में तीन वर्षों से अधिक समय से लंबित पड़े हैं; और

(ग) उक्त राशि की शीघ्र वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). जिन कंपनियों के विरुद्ध सौ करोड़ रु. से अधिक के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और/या सीमाशुल्क उपवंचन किए जाने के आरोप के आधार पर कार्यवाही आरंभ की गई है, उनके नाम इस प्रकार हैं :—

(1) मैसर्स आई.टी.सी. लि.

(2) मैसर्स जी.टी.सी. लि.

(3) मैसर्स नेशनल तम्बाकू कंपनी/डंकन एग्रो इंडस्ट्रीज लि.

(4) मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लि.

(5) मैसर्स मेहता ट्रेडिंग हाउस प्रा.लि.

(6) मैसर्स इंडियन चार्ज क्रोम लि.

सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय अधिकरण (सीगेट), उच्च न्यायालयों अथवा उच्चतम न्यायालय के समक्ष तीन वर्षों से अधिक अवधि से कोई भी मामला लम्बित नहीं पड़ा है।

अधिकरण और न्यायालयों के समक्ष न्यायनिर्णयन और अपील के स्तर पर पड़े मामलों को शीघ्रता से अंतिम रुप दिए जाने के संबंध में विभिन्न उपाए किए जा रहे हैं। इन में विशेष रुप से कुछेक ऐसे मामलों का निपटान करने के लिए जो कि जटिल स्वरुप के हैं, सामान्य न्याय निर्णायक की नियुक्ति करना, विभाग का प्रतिनिधित्व करने हेतु वरिष्ठ वकील की नियुक्ति करना और शुल्क की विलम्बित राशि पर ब्याज प्राप्त करने के लिए व्यवस्था करने हेतु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 और सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन करना शामिल है।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री रोजगार योजना

1971. श्री थावर चन्द गेहलोत : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 के दौरान प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्य-वार कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया और उसकी तुलना में क्या उपलब्धि रही;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार की तत्संबंधी उपलब्धि 31 मार्च, 1996 तक निर्धारित लक्ष्य के अनुरुप नहीं है; और

(ग) 31 मार्च, 1996 तक उक्त योजना के अन्तर्गत कुल कितने व्यक्तियों को ऋण प्रदान किया गया और यह ऋण राशि कितनी थी?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 के लिए 2,60,000 लाभ भोगियों का लक्ष्य निधारित किया गया था जिसमें पूर्व वर्षों का बकाया भी शामिल था। राज्य/संघ राज्य सरकारों को लक्ष्यों की सूचना दे दी गई थी ताकि राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। प्रधान मंत्री रोज़गार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 के लिए राज्यवार उपलब्धि दर्शाने वाला संलग्न विवरण पर दिया गया है।

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के लिए निर्धारित लक्ष्य 27,050 था। मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि 31,566 व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत किये गये हैं।

(ग) एक विशिष्ट वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत मामलों का वितरण भी अनुवर्ती वर्ष में शामिल होता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्टों के आधार पर 31.3.96 तक स्वीकृत मामलों मे से अब वितरित किए गए मामलों की संख्या 3,12,797 बताई गई है जिसकी राशि 1,61,911.55 लाख रु. है।

विवरण

1995-96 के दौरान प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त की गई राज्य वार उपलब्धियां दर्शाने वाला विवरण।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य (संख्या)	बैंकों द्वारा स्वीकृत किये गये आवेदनों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	31900	32556
2.	असम	9900	9852
3.	बिहार	22150	15751
4.	दिल्ली	4550	3799
5.	गोवा	550	499
6.	गुजरात	8500	10190
7.	हरियाणा	7200	9353
8.	हिमाचल प्रदेश	2100	2578
9.	जम्मू और कश्मीर	3100	2435
10.	कर्नाटक	17700	16887
11.	केरल	15000	14135
12.	मध्य प्रदेश	27050	31566
13.	महाराष्ट्र	35900	40392
14.	मणीपुर	4000	1242
15.	मिजोरम	250	240
16.	उड़ीसा	8250	8229
17.	पंजाब	15000	15531
18.	राजस्थान	10400	10272
19.	तमिलनाडु	21800	19304
20.	त्रिपुरा	1300	1225
21.	उत्तर प्रदेश	25813	37324
22.	प. बंगाल	22900	8416
23.	अण्डमान और निकोबार	100	101
24.	अरुणाचल प्रदेश	300	287
25.	चण्डीगढ़	150	171
26.	दादर और नगर हवेली	150	156
27.	दमन और द्वीव	100	116
28.	नागालैंड	300	267
29.	लक्षद्वीप	50	26
30.	मेघालय	550	566
31.	पाण्डिचेरी	500	513
32.	सिक्किम	200	169
	योग		294148

टिप्पणी : 1994-95 के लम्बित मामलों में से संस्वीकृत/स्वीकृत किये गये कुछ राज्यों के आवेदनों के मामले में।

फिक्की द्वारा दिए गए सुझाव

1972. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिक्की ने नकदी की कमी से निपटने के लिए एक 16-सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) ने एक ज्ञापन में भारतीय अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास के लिए ऋण और निवेश योग्य निधियों के प्रवाह को बढ़ाने के लिए कुछ दीर्घावधिक और अल्पावधिक उपाय सुझाए हैं।

(ख) इन सुझावों में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं : ऋण बाजार का विकास, राजकोषीय घाटे में कमी, विदेशी पूंजी के अंत प्रवाह को बढ़ाने के लिए उपाय, मुद्रा बाजार म्युचुअल फंडों की स्थापना, वित्तपोषक संस्थानों की शेयर धारिताओं के एक भाग का विनिवेश, बीमा क्षेत्र में निजी क्षेत्र को अनुमति निजी क्षेत्र के बैंकों को और अधिक प्रोत्साहन, बीमा क्षेत्र में निजी क्षेत्र को अनुमति निजी क्षेत्र के बैंकों को और अधिक प्रोत्साहन और सांविधिक नकदी अनुपात (एस.एल.आर.) और नकदी प्रारक्षित अनुपात (सी.आर.आर.) में कमी।

(ग) सरकार और भा.रि.बैंक हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था में उत्पादन और व्यापार के लिए पर्याप्त निधियों के प्रवाह को सुनिश्चित करने की आवश्यकता से पूरी तरह परिचित है और पिछले चार महीनों में इस दिशा में कई उपाय पहले ही आरम्भ किए जा चुके हैं।

निवल घरेलू मांग और समय देयताओं पर नकदी प्रारक्षित अनुपात (सी.आर.आर.) को 14 प्रतिशत से घटा कर 12 प्रतिशत कर दिया गया है और अनिवासी (बाह्य) रुपया जमा राशियों को भी सी.आर.आर. से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। बकाया एन.आर.ई. आर. खातों पर नकदी सांविधिक अनुपात (एस.एल.आर.) को 30 प्रतिशत से घटा कर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। जी.डी.आर. और विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों पर मार्गदर्शिकाओं को उदार किया गया है। मुद्रा बाजार म्यूच्युअल फंडों को निगमों और अन्यों के लिए खोल दिया गया है न्यूनतम परिपक्वता में 30 दिन तक की कमी करने के अतिरिक्त, एक वर्ष से अधिक की सावधि जमा राशियों पर ब्याज दर पर नियंत्रण हटा दिया गया है ताकि बैंकों को अधिक जमा-राशियां आकर्षित करने में मदद मिल सके।

चालू वर्ष के बजट में अन्य बातों के साथ-साथ विदेशी निधियों के अंतर्प्रवाह को प्रोत्साहित करने अधिक निजी क्षेत्र के बैंकों को खोलने का प्रयास किया गया है और इसमें सकल राजकोषीय घाटे को कम करके जी.डी.पी. के 5 प्रतिशत तक करने का कार्यक्रम रखा गया है।

गैर सरकारी क्षेत्र के बैंक

1973. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जून, 1996 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "प्राईवेट सेक्टर बैंक्स फार लेवल प्लेईंग फिल्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने के प्रस्ताव हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक संघ के अध्यक्ष ने कुछ मुद्दे उठाए हैं, जैसेः भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा आयोजित ऋण नीति सम्बन्धी बैठक के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित न करना, सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा गैर-सरकारी बैंकों की गारंटियों को स्वीकार न करना, गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास एस एल आर के लिए उपयुक्त परिसम्पत्तियों के रुप में रखे गए चालू लेखा-शेष को गणना में न लेना, गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां (एन बी एफ सी) उनके द्वारा रखी जाने वाली अपेक्षित नकदी केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही जमा कर सकते हैं आदि।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुछ प्रतिनिधियों को नियमित आधार पर आमंत्रित करने का मुद्दा उसके विचाराधीन है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि केन्द्रीय सरकार के विभागों, रेलवे और राज्य सरकारों द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से बैंक गारंटियां स्वीकार की जा सकती हैं। जहां तक एस एल आर के अभिकलन का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 24 के उपबन्धों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा रखे जाने वाला चालू लेखा शेष ही एस एल आर के अभिकलन के लिए उपयुक्त है।

जहां तक एन बी एफ सी की नकदी राशि जमा करने का संबंध है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के साथ कोई भेद-भाव नहीं किया जाता। शर्त केवल यह है कि बैंक को अनुसूचित होना चाहिए।

उच्च मूल्य वर्ग के नोट

1974. श्री आनन्द रत्न मौर्य :
श्री सत्यदेव सिंह :
श्री महेश कुमार एम. कनोडिया :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में एक हजार, पांच हजार और दस हजार मूल्य के करेंसी नोट जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) वर्तमान में 1000, 5000 और 10000 मूल्य वर्ग के करेंसी नोट शुरु करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

ऋण अदायगी कोष के अंतर्गत रुस को निर्यात

1975. श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

श्री अनन्त कुमार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋण अदायगी कोष के अंतर्गत रुस को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को अवैध रुप से तीसरे देशों में भेज दिये जाने के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आये हैं;

(ख) यदि हां, तो 1995 और 1996 के दौरान अब तक पता लगाये गये ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). रुस को किए जाने वाले निर्यातों को अन्य देशों को भेजे जाने के कुछेक मामलों के बारे में सरकार को सूचित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 9 मामलों के बारे में, राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा एक मामले में और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा तीन मामलों में इस प्रकार माल भेजने की सूचना दी गई है। जांच कार्य और न्यायनिर्णयन कार्यवाहियां चल रही हैं।

(ग) सभी जांच कार्यों और न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों के पूरा होने के बाद ही इस संबंध में की गई कार्रवाई का पता चलेगा।

लघु उद्योगों को बैंक ऋणों का संवितरण

1976. श्री एन. डेनिस : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि लघु उद्योग आरंभ करने के लिए ऋण का संवितरण करने तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि जारी करने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में बैंकों को जारी दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : ऋणों के संवितरण के बारे में सरकार वाणिज्यिक बैंकों को कोई मार्गनिर्देश जारी नहीं करती है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मार्च 1984 में जारी किए गए मार्ग-निर्देश में यह प्रावधान है कि 25,000 रु. तक की ऋण सीमा वाले सभी ऋण आवेदनों को एक पखवाड़े के भीतर और 25,000 रु. से अधिक की ऋण सीमा वाले ऋण आवेदनों को 8 से 9 सप्ताह के भीतर निपटा दिया जाएगा। बैंकों से कहा गया है कि ऋण सीमाओं में वृद्धि के अनुरोध पर शीघ्रतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए और इस पर तत्परतापूर्वक निर्णय लिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, लघु उद्योग एककों को दी जानेवाली ऋण सीमाओं की अस्वीकृति/इसमें कटौती की जांच अगले उच्च प्राधिकारी द्वारा की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उद्यमियों को अनावश्यक कटिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

नायक समिति की रिपोर्ट को सिफारिशों की स्वीकृति के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को जारी किए गए विस्तृत मार्ग निर्देशों के ब्यौरे में, अन्य बातों के साथ-साथ, ये शामिल हैं :-

(एक) उन लघु उद्योगों को, जिनकी ऋण सीमा अलग-अलग मामलों में एक करोड़ रुपए से कम है उनके अनुमानित वार्षिक कारोबार के न्यूनतम 20 प्रतिशत के आधार पर परिकलित कार्यशील पूंजी ऋण सीमा लघु उद्योग एककों को मंजूर करना।

(दो) इस क्षेत्र की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते समय ग्रामोद्योग अत्यंत लघु उद्योगों और अन्य लघु उद्योग एककों को उसी क्रम में वरीयता देना।

(तीन) "निचले स्तर" (बाटम अप) पर वार्षिक बजट तैयार करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लघु उद्योगों की विधि सम्मत आवश्यकताओं को आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान पूर्ण रुप से पूरा किया गया है।

(चार) यह सुनिश्चित करना कि लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण की मंजूरी और संवितरण में कोई देरी न हो।

(पांच) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की "एक खिड़की योजना" को सभी जिलों में लागू करना।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी), के अन्तर्गत अन्तिम (बैक-एण्ड) सब्सिडी प्रणाली फरवरी, 1996 से प्रारम्भ की गई है। योजना के अनुसार, बैंकों द्वारा सब्सिडी सहित कुल परियोजना लागत, ऋण के रुप में उधारकर्ताओं को संवितरित की जाएगी। बैंकों के ग्रहणाधिकारी की शर्त के तहत लाभार्थी के नाम में सावधि जमा के रुप में सब्सिडी राशि रखी जाएगी। ऋण की वापसी अदायगी अनुसूची को इस पर तैयार किया जाएगा ताकि सावधि जमा राशि (सब्सिडी) के साथ-साथ जमाराशि की सम्पूर्ण अवधि के लिए चक्रवृद्धि रुप में उपचित ब्याज अन्तिम कुछ किस्तों के समायोजन के लिए पर्याप्त हो। सब्सिडी का लाभ केवल उन उधारकर्ताओं को ही दिया जाएगा जो ऋण का सही उपयोग करेंगे साथ ही वापसी अदायगी तेजी से करेंगे तथा परिसम्पत्ति का रख-रखाव ठीक प्रकार से करेंगे।

शहरी व्यष्टि उद्यम योजना के अन्तर्गत, नेहरु रोजगार योजना (एन आई वाई) के तहत गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में, भारतीय रिजर्व बैंक ने जून, 1990 में, अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों को कहा था कि जहां तक सम्भव हो, कुल ऋण राशि और सब्सिडी एक ही किस्त में एक साथ संवितरित की जाए। ऋण का संवितरण स्तरों में (जो किसी अवस्था में तीन से अधिक न हो) केवल विशिष्ट मामलों व मान्य कारणों में ही किया जाये। जैसे ही स्वीकृत ऋण राशि का 25 प्रतिशत संवितरित हो, बैंकों को आर्थिक सहायता (सब्सिडी) की सम्पूर्ण राशि पात्र उधारकर्ताओं को संवितरित कर देनी चाहिए।

प्रधानमंत्री के समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन योजना (पी एम आई यू पी ई पी) के तहत, भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 1996 में

बैंकों को सलाह दी है कि सरकार द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता (सब्सिडी) को शहरी स्थानीय निकायों (यू एल बी) के माध्यम से अग्रिम रुप से बैंकों में भिजवा दिया जाए ताकि ऋण संवितरण करने वाली बैंक शाखा सब्सिडी की राशि को उधारकर्ता के नाम से सावधि जमा मान सके।

कृषि उत्पादों का निर्यात

1977. श्री शरत पटनायक :
श्रीमती वसुंधरा राजे :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश-वार और मद-वार कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्न का निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई;

(ख) क्या सरकार का वर्ष 1996-97 के दौरान कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए खाद्यान्न की मात्रा तथा मूल्य नीचे दिए गए हैं :-

मात्रा : मी.टन में
मूल्य : करोड़ रु. में

मद	1993-94		1994-95		1995-96	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1. चावल	767687	1286.71	890620	1205.79	5512601	4553.01
2. गेहूं	390	20.58	86628	42.34	617211	360.90
3. मोटा अनाज	148316	34.02	50507	28.03	28047	17.15
योग	916393	1341.31	1027755	1276.16	6157859	4931.06

(स्रोत : डीजीसीआईएण्डएस, कलकत्ता)

निर्यात के देशवार आंकड़े डीजीसीआईएंडएस, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित विदेश व्यापार सांख्यिकी के मासिक बुलेटिन वार्षिक अंक में उपलब्ध हैं, जिनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) से (घ). कृषि-उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए किए गये उपायों में ये शामिल हैं :- निरीक्षण क्रियाविधियों का सरलीकरण, चुनिंदा मदों पर से न्यूनतम निर्यात मूल्य तथा मात्रा संबंधी प्रतिबंधों को हटाना, रियायती ऋण का प्रावधान, अन्तर्राष्ट्रीय जरुरतों को पूरा करने के लिए उत्पाद-विकास, ई.ओ.यू./ई.पी.जैड स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध लाभ कृषि क्षेत्र को भी उपलब्ध कराना और घरेलू टैरिफ क्षेत्र में 50प्रतिशत बिक्री की अनुमति देना, घरेलू पूर्ति को बढ़ाने के लिए कच्चे काजूओं के मुक्त रुप से आयात की अनुमति देना, गुणवत्ता की जांच करना तथा कोल्ड स्टोरेज के रख-रखाव हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराना।

बैंकों का निरीक्षण

1978. श्री अनंत कुमार :
श्री विजय गोयल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के निरीक्षण की शैली और उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन के संबंध में सुझाव देने के लिए गठित कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो कार्यदल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां। कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक को 8 नवम्बर, 1995 को प्रस्तुत की है।

(ख) इस दल की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

(एक) **कार्यनीति :** कार्यदल ने पर्यवेक्षण कार्यनीति में परिवर्तन करते हुए सिफारिश की है कि आवधिक निरीक्षण के स्थान पर निरंतर/सतत पर्यवेक्षण एवं आवधिक निरीक्षण की प्रणाली अपनाई जाए। इस प्रणाली में स्थल पर आवधिक निरीक्षणों के साथ नई शुरु की गई स्थलेतर निगरानी प्रणाली शामिल है। निरीक्षण में शोधक्षमता, पूंजी पर्याप्तता, नकदी, कार्य-सुदृढ़ता तथा प्रबंधकीय विवेक पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

(दो) **आवधिकता :** इस दल ने सूचित/मूल्यांकित वित्तीय एवं कार्य संचालन संबंधी दशाओं और अनुपालन रिकार्ड के आधार पर कमजोर बैंकों के लिए वार्षिक आधार पर सुदृढ़ बैंकों के लिए और

द्विवार्षिक आधार पर स्थल पर निरीक्षण की सिफारिश की है। निरीक्षण की आवधिकता संबंधी निर्णय लेने के लिए बैंकों का श्रेणी-निर्धारण एक महत्वपूर्ण कारक है।

(तीन) **निरीक्षण परिणाम :** निरीक्षणों में निम्नलिखित तीन व्यापक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए तथा उनके मूल्यांकनों के आधार पर परिणाम प्राप्त होने चाहिए :

(क) वित्तीय दशा;

(ख) कार्य-संचालन की दशाएं, (प्रणाली एवं नियंत्रण) तथा प्रबंधन-गुणवत्ता; तथा

(ग) विनियामक अनुपालन : वित्तीय स्थिति के मूल्यांकन में आस्ति-गुणवत्ता, शोध-क्षमता, पूंजी पर्याप्तता, नकदी तथ अर्जन निष्पादन संबंधी अलग-अलग मूल्यांकन शामिल है।

इस दल ने निरीक्षणों के बीच स्थल-पर लक्ष्यगत मूल्यांकन, नियंत्रण स्थलों पर लक्ष्यगत मूल्यांकन, अधिकृत लेखा परीक्षा तथा निगरानी दौरे नामक पूरक स्थलीय (आन साइट) मूल्यांकनों की भी सिफारिश की है।

स्थल पर निरीक्षणों के तहत पता लगाए गए संस्थाओं को शामिल करते हुए कार्य योजनाओं की निगरानी पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) द्वारा नियमित आधार पर ही जाएगी।

(चार) **बैंकों का श्रेणी निर्धारण :** दल ने बैंकों के लिए श्रेणी निर्धारण प्रणालियां अपनाने की सिफारिश की है। श्रेणी निर्धारण (क) से (ङ) तक पांच अंकों का होगा और यह उनकी क्षमता और श्रेणी निर्धारण कारकों की सुदृढ़ता पर निर्भर करेगा। भारतीय बैंकों के लिए ये कारक हैं : पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंधन, उपार्जन, नकदी, प्रणाली एवं नियंत्रण (सीएमईएलएस) तथा विदेशी बैंकों के लिए ये कारक हैं : पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, अनुपालन, प्रणाली एवं नियंत्रण (सीएसीएस) ।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि कार्यकारी दल की प्रमुख सिफारिशें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकाशतः स्वीकार कर ली गई हैं।

महाराष्ट्र सरकार पर बकाया राशि

1980. **श्री मोहन रावले :**

श्री जगतवीर सिंह द्रोण :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम को समय-समय पर कपास की खरीद करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास संघ को कुछ बकाया धनराशि का भुगतान करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से इस बकाया राशि का भुगतान किये जाने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) से (घ). 31-5-1996 तक की स्थिति के अनुसार एन टी सी को कपास की खरीद के लिए महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उपजकर्ता विपणन परिसंघ को 98.30 करोड रु. की राशि का भुगतान करना पड़ा था। चूंकि एन टी सी मिलों द्वारा कपास की खरीद उधार पर की जाती है, इस लिए किसी भी निश्चित समय पर कुछ बकाया देश राशि का सदैव रहना स्वभाविक है। एन टी सी कार्यशील पूंजी की जटिल कमी के कारण सभी देय बकाया राशि का भुगतान करने में असमर्थ है। राज्य सरकार महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उपजकर्ता विपणन परिसंघ के अनुरोध को एन टी सी को इस आग्रह के साथ संप्रेषित कर दिया गया है कि वह यथाशीघ्र देय बकाया राशि का भुगतान कर दे। आशा है कि एन टी सी देय बकाया राशि का भुगतान शीघ्र कर देगा जोकि उनकी कार्यशील पूंजी की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

नेपाल के साथ व्यापार

1981. **डा. साहेबराव सुकराम बागूल :**

श्री सोहनवीर :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हाल ही में द्विपक्षीय व्यापार को तथा संयुक्त निवेश को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए नेपाल को और भी अधिक छूट देने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो भारत तथा नेपाल के वाणिज्य सचिवों के बीच इस माह में पहले काठमांडु में हुई अधिकारिक बातचीत की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) वाणिज्य सचिव स्तर की बातचीत के परिणाम पर अपने-अपने वाणिज्य मंत्रियों की क्या प्रतिक्रिया रही?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) नेपाल से भारत को होने वाले निर्यात का संवर्धन करने तथा नेपाल में भारतीय निवेश को बढ़ाने के उपाय सुझाने हेतु 4-7 जुलाई, 1996 को काठमांडु में भारत और नेपाल के वाणिज्य सचिवों के बीच विचार-विमर्श हुआ था।

(ख) जिन मामलों पर विचार-विमर्श किया गया उनमें ये शामिल हैं :- अधिमान्य प्रवेश के लिए मानदंड तथा क्रियाविधियों का उदारीकरण, नेपाल में निर्मित वस्तुओं पर भारत में सीमाशुल्क तथा मात्रात्मक प्रतिबंध से मुक्त करना, नेपाल से भारत में आयात पर प्रतिकारी शुल्क लगाने के लिए क्रियाविधि में सुधार, भारत के जरिए नेपाल के ट्रांजिट कार्गो की आसानी से क्लीयरेंस संबंधी क्रियाविधि का सरलीकरण, नेपाल-बंगलादेश व्यापार के लिए पारगमन सुविधाएं,

नेपाल में भारतीय संयुक्त उद्यमों का संवर्धन, भारत की सहायता तथा सहयोग से नेपाल में निर्यात-उन्मुख इकाइयों/निर्यात क्षेत्रों की स्थापना करना तथा अवैध व्यापार को नियंत्रित करने हेतु सहयोग करना।

(ग) काठमांडु में कथित विचार-विमर्श के दौरान हुए समझौते का दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रियों ने व्यापक रुप से स्वागत किया है।

[हिन्दी]

आयकर विभाग का कंप्यूटरीकरण

1982. **श्री सत्यदेव सिंह :**

श्री पंकज चौधरी :

डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग के कंप्यूटरीकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो कंप्यूटर प्रणाली कितने चरणों में आरम्भ की जाएगी;

(ग) प्रथम चरण में देश के कितने तथा कौन-कौन से स्थानों में यह प्रणाली आरम्भ की जायेगी;

(घ) इस पर कितनी राशि खर्च होने की संभावना है; और

(ङ) इस कंप्यूटरीकरण प्रणाली का लाभ देश को कब तक प्राप्त होने की संभावना है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). जी, हां। आयकर विभाग में तीन चरणों में व्यापक कंप्यूटरीकरण के लिए एक कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। पहले चरण में, दिल्ली, मुंबई तथा मद्रास में व्यापक कंप्यूटरीकरण को लागू किया जा रहा है जहां क्षेत्रीय कंप्यूटर केन्द्र स्थापित कर दिए गए हैं। दूसरे चरण में, राष्ट्रीय कंप्यूटर केन्द्र की स्थापना किए जाने के साथ-साथ देश में बाकी बचे केन्द्रों पर व्यापक कंप्यूटरीकरण को लागू कर दिया जाएगा। तीसरे चरण में सभी आयकर कार्यालयों को संबंधित क्षेत्रीय कंप्यूटर केन्द्रों के साथ जोड़ दिया जाएगा।

(घ) अब तक दिल्ली, मुंबई तथा मद्रास के तीन शहरों में व्यापक कंप्यूटरीकरण के लिए 31.14 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

(ङ) कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों के पुरा हो जाने पर कंप्यूटरीकरण के लाभ मिलने आरम्भ हो जाएंगे। समय के बीतने और कार्यान्वयन में प्रगति के साथ, लाभों की मात्रा बढ़ जाएगी।

[अनुवाद]

तम्बाकू कंपनियों का सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में प्रवेश

1983. **श्री कृष्ण लाल शर्मा :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू कंपनियां देश में अपने बाजार शेयरों का उपयोग कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई कंपनियां खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रवेश कर गई हैं तथा तम्बाकू उत्पादकों को सब्जी उगाने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उन किसानों को सहायता प्रदान करने का है जो सब्जी उगाने के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). तम्बाकू कंपनियां घरेलू खपत और साथ ही साथ निर्यात के लिए अपनी आवश्यकता का एफ.सी.वी. तम्बाकू (फ्ल्यू क्योर्ड वर्जीनिया) की खरीदारी तम्बाकू बोर्ड द्वारा प्रचालित नीलामी मंचों से करना जारी रखे हुए हैं।

(ग) और (घ). कुछ तम्बाकू कंपनियों ने अपनी सकल व्यापार रणनीति के एक भाग के रुप में खाद्य-प्रसंस्करण सहित अन्य क्षेत्रों में विविधीकरण किया है और उन्होंने यह एफ.सी.वी. तम्बाकू फसल के प्रतिस्थापन के उद्देश्य से नहीं किया है।

(ङ) और (च). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार

1984. **डा. जी.आर. सरोदे :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार में लिप्त राज्य-वार कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार में लिप्त कुछ विदेशी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि में ऐसे कितने विदेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदंबरम) : (क) उपलब्ध सूचना के आधार पर पिछले तीन वर्षों के दौरान एन.डी.पी. एस. अधिनियम, 1985 के अंतर्गत राज्य-वार गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) उपलब्ध सूचना के आधार पर वर्ष 1993,1994 तथा 1995 के दौरान एन. डी. पी. एस. अधिनियम 1995 के अंतर्गत स्वापक औषध अवैध व्यापार में लिप्त क्रमशः 144,136 तथा 148 विदेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए।

विवरण

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1993	1994	1995
	1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	218	404	945
2.	अरुणाचल प्रदेश	12	50	14
3.	असम	201	122	104
4.	बिहार	126	198	32
5.	गोवा	36	37	24
6.	गुजरात	212	294	458
7.	हरियाणा	154	143	104
8.	हिमाचल प्रदेश	72	93	58
9.	जम्मू और काश्मीर	37	43	51
10.	कर्नाटक	217	137	1
11.	केरल	22	152	183
12.	मध्य प्रदेश	752	1110	134
13.	महाराष्ट्र	1404	694	622
14.	मणिपुर	328	941	186
15.	मेघालय	40	92	10
16.	मिजोरम	122	104	211
17.	नागालैंड	116	79	85
18.	उड़ीसा	92	217	7
19	पंजाब	324	316	386
20.	राजस्थान	203	424	224
21.	सिक्किम	-	-	-
22.	तमिलनाडु	2503	2850	2411
23.	त्रिपुरा	16	32	1
24.	उत्तर प्रदेश	5732	5969	7479
25.	पश्चिम बंगाल	173	255	109
26.	दिल्ली	597	679	812
27.	दमन और दीव	-	-	-
28.	पांडिचेरी	4	1	5
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	3	2
30.	लक्षद्वीप	-	-	-
31.	दादर और नागर हवेली	-	-	-
32.	चंडीगढ़	9	13	15
	कुल	13723	15452	14673

[अनुवाद]

आयुर्वेदिक और भेषजों का निर्यात

1985. डा. मुरली मनोहर जोशी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देशवार निर्यात की गई आयुर्वेदिक और अन्य परंपरागत स्वदेशी औषधियों और भेषजों का मूल्य कितना-कितना था;

(ख) क्या उपरोक्त औषधियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रोत्साहन दिया गया है अथवा दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) 1993-94, 1994-95 और अप्रैल, 95 से जनवरी, 96 के दौरान निर्यात की गई आयुर्वेदिक और अन्य परम्परागत स्वदेशी औषधियों और भेषजों का मूल्य उपलब्ध ताजा स्थिति के अनुसार इस प्रकार है :-

	(मूल्य करोड़ रु. में)
1993-94	45.10
1994-95	83.40
1995-96 (अप्रैल 95-जून, 96)	69.00

देशवार ब्यौरे संसद लाइब्रेरी में उपलब्ध डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रकाशित "भारत के विदेश व्यापार के आंकड़े" में उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग). सरकार द्वारा आयुर्वेदिक और भेषजों के निर्यातों का बाजार विकास सहायता, प्रतिनिधिमण्डलों का आदान-प्रदान, क्रेता-विक्रेता बैठकों, व्यापार मेलों में भागीदारी और नीति और क्रियाविधियों के उदारीकरण के माध्यम से संवर्धन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

वस्तु-विनिमय व्यापार

1986. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश के कुल निर्यात में वस्तु-विनिमय व्यापार का प्रतिशत बढ़ाने हेतु कोई नई व्यापार नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूरे विश्व में काउंटर व्यापार में वृद्धि हो रही है जबकि भारत इस क्षेत्र में प्रमुख भागीदार नहीं रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस संबंध में सरकार की वर्तमान नीति क्या है;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान काउंटर व्यापार के अंतर्गत हस्ताक्षरित व्यापार समझौते का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) उक्त अवधि के दौरान राज्य वित्त निगम, भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम तथा प्राजेक्ट और इक्विपमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा किए गए कुल निर्यात का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ङ). वर्तमान नीति में प्रति व्यापार की तीन मुख्य श्रेणियां हैं :-

(1) सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख खरीदारियों के बदले में प्रति व्यापार;

(2) एस्क्रो खाते के जरिए प्रति व्यापार;

(3) साक्ष्य लेखा व्यवस्था के जरिए प्रति व्यापार।

मुख्य खरीदारियों के बदले प्रति व्यापार के प्रावधान इस समय सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के द्वारा किये जाने वाले मुख्य आयातों की कुछ श्रेणियों पर लागू होते हैं। ऐसे मामलों में सकारात्मक सूची से निर्यात करना होता है और वह बढ़ोतरी के मानदण्ड के भी अधीन होता है। एस्क्रो खाते के जरिए प्रति व्यापार अब बिना किसी बाधा के किसी भी देश के साथ किया जा सकता है। इस व्यवस्था से उन देशों के साथ व्यापार सुकर होता है, जिनके पास दुर्लभ मुद्रा की कमी है। साक्ष्य-लेखा व्यवस्था के जरिए व्यापार मुख्यतः मलेशिया के साथ होने वाले व्यापार पर लागू है जहां हमारे अधिकांश निर्यात परियोजना के रुप में हैं।

प्रति व्यापार की व्यवस्था के जरिए भारतीय निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से प्रति व्यापार नीति की समीक्षा की जा रही है।

कुल विश्व व्यापार के संबंध में प्रति व्यापार की मात्रा के बारे में आंकड़े की कमी है।

(च) यद्यपि पी.ई.सी. ने पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी प्रति व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए, तथापि, पिछले तीन वर्षों में एस.टी.सी. ने तीन प्रति व्यापार समझौता ज्ञापनों पर हसताक्षर किए और एम.एम.टी.सी. ने 52 प्रति व्यापार संविदाओं पर हस्ताक्षर किए।

(छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान पी.ई.सी. ने प्रति व्यापार के अन्तर्गत कोई निर्यात नहीं किया। परन्तु पिछले तीन वर्षों के दौरान एस.टी.सी. और एम.एम.टी.सी. द्वारा प्रति व्यापार व्यवस्था के अन्तर्गत किए गए कुल निर्यात का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :-

(मिलियन अमरीकी डालर)

	एस.टी.सी.	एम.एम.टी.सी.
1993-94	131.75	48.43
1994-95	114.85	23.15
1995-96	69.06	0.23 (अनन्तिम)

[अनुवाद]

गुजरात में बैंकों की शाखाएं

1987. **श्री हरिन पाठक :**

डा. बलिराम :

श्री विश्वेश्वर भगत :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार, विशेषकर गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बैंक-वार, विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) इस संबंध में राज्यवार, वर्षवार तथा बैंकवार प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) निकट भविष्य में राज्यवार तथा बैंकवार खोली जाने वाली बैंक शाखाओं का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की वर्तमान नीति के अनुसार, यह वाणिज्यिक बैंकों के विवेकपर छोड़ दिया गया है कि वे शाखाएं खोलने की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के बाद शाखाएं खोलें। बैंकों द्वारा केन्द्रों/ग्रामों में शाखाएं खोलने के प्रस्तावों पर आरबीआई द्वारा गुणावगुण आधार पर विचार किया जाता है। तथापि, आरबीआई ने निम्नलिखित अतिरिक्त मापदण्डों को पूरा करने वाले बैंकों की नई शाखाएं खोलने/विस्तार काउंटरों को पूर्ण शाखा में परिवर्तित करने की स्वतंत्रता दी है :-

(क) 8 प्रतिशत पूंजी पर्याप्तता का अनुपालन;

(ख) 100 करोड़ रुपए की न्यूनतम स्वधारित निधि

(ग) बैंक लगातार तीन वर्षों से शुद्ध लाभ दिखा रहा हो; और

(घ) अनुपयोज्य परिसंपत्ति 15 प्रतिशत से अधिक न हो। आरबीआई ने उक्त मानदण्ड पूरे करने वाले बैंकों को नई शाखाएं खोलने के लिए अपने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना भेजने का परामर्श दिया है। उपरोक्त को ध्यान में रख कर शाखा विस्तार कार्यक्रम के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। 31.3.1992, 31.3.1993, 31.3.1994 और 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार, परिचालित बैंक-वार और राज्य-वार बैंक शाखाओं के विवरण क्रमशः संलग्न विवरण -I और विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 31.3.1995 के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में बैंकों को आबंटित परन्तु अभी जो शाखाएं नहीं खोली गई केन्द्रों के नाम विवरण-III में दी गई है। शाखाएं खोलने के लिए केन्द्र आबंटित करते समय आरबीआई ने बैंकों को यह परामर्श दिया है कि वे परिसर संबंधी बुनियादी सुविधाएं जुटाने के बाद संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों से अपेक्षित लाइसेंस प्राप्त करें और लाइसेंस की वैध अवधि, जो कि एक वर्ष है, के अन्दर-अन्दर शाखाएं खोलें।

विवरण-I

मार्च 1992,1993,1994 और 1995 के अंत की स्थिति के अनुसार देश में बैंक वार शाखाओं की संख्या

बैंक	मार्च 1992	मार्च 1993	मार्च 1994	मार्च 1995
भारतीय स्टेट बैंक	8563	8632	8715	8748
भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंक	3752	3800	3890	3982
इलाहाबाद बैंक	1793	1805	1927	1840
आंध्रा बैंक	948	957	967	970
बैंक आफ बड़ौदा	2285	2310	2375	2391
बैंक आफ इंडिया	2323	2340	2370	2430
बैंक आफ महाराष्ट्र	1120	1124	1131	1131
केनरा बैंक	2031	2044	2091	2120
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	2998	3021	3051	3061
कारपोरेशन बैंक	441	445	456	482
देना बैंक	1084	1092	1102	1087
इंडियन बैंक	1358	1361	1386	1412
इंडियन ओवरसीज बैंक	1293	1300	1326	1332
न्यू बैंक आफ इंडिया	592	593	0	0
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	533	537	576	604
पंजाब एंड सिन्ध बैंक	675	682	683	688
पंजाब नेशनल बैंक	3006	3041	3684	3693
सिंडिकेट बैंक	1548	1553	1559	1569
यूको बैंक	1779	1779	1785	1795
यूनियन बैंक आफ इंडिया	1843	1854	1886	1911
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	1309	1320	1331	1330
विजया बैंक	722	730	770	787
अन्य अनुसूचित वा. बैंक	3820	3849	3952	4034
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	14525	14526	14526	14519
विदेशी बैंक	139	141	143	151
गैर-अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	48	48	48	33

विवरण-II

मार्च 1992,1993,1994, और 1995 के अन्त की स्थिति के अनुसार राज्य-वार बैंक शाखाओं की संख्या

बैंक	मार्च 1992	मार्च 1993	मार्च 1994	मार्च 1995
आन्ध्र प्रदेश	4620	4650	4732	4784
अरुणाचल प्रदेश	68	68	68	68
असम	1218	1219	1223	1225
बिहार	4862	4876	4902	4911
गोवा	256	258	262	268
गुजरात	3374	3396	3444	3470
हरियाणा	1269	1279	1310	1335
हिमाचल प्रदेश	735	738	753	756
जम्मू एण्ड कश्मीर	783	786	785	787
कर्नाटक	4281	4307	4344	4381
केरल	2842	2863	2939	3009
मध्य प्रदेश	4358	4384	4416	4423
महाराष्ट्र	5596	5626	5691	5745
मणिपुर	85	85	85	86
मेघालय	173	174	178	179
मिजोरम	75	75	76	78
नागालैण्ड	70	70	71	71
उड़ीसा	2098	2112	2135	2142
पंजाब	2140	2159	2206	2236
राजस्थान	3058	3079	3130	3156
सिक्किम	29	33	40	42
तमिलनाडु	4299	4341	4414	4465
त्रिपुरा	178	179	181	181
उत्तर प्रदेश	8499	8538	8601	8620
पश्चिम बंगाल	4208	4220	4250	4262
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	26	26	29	30
चंडीगढ़	109	112	115	120
दादर व नगर हवेली	7	7	7	7
दमन व दीव	10	10	10	11
दिल्ली	1125	1136	1153	1172
लक्षद्वीप	8	8	8	8
पांडिचेरी	69	70	72	72

विवरण-III

गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में शाखाएं खोलने के लिए 1.4.95 से 31.3.96 की अवधि के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को जारी किए गए प्राधिकार पत्र।

गुजरात

क्र.सं.	बैंक का नाम	केन्द्र	जिला
1	2	3	4
1.	पंजाब नैशनल बैंक	नवरंगपुरा	अहमदाबाद
2.	तदैव	सेटलीट रोड	तदैव
3.	तदैव	माहीना	माहीना
4.	तदैव	जामनगर	जामनगर
5.	तदैव	भावनगर	भावनगर
6.	तदैव	बडोदरा	बडोदरा
7.	तदैव	आदित्यनगर	सूरत
8.	धनलक्ष्मी बैंक	सूरत	सूरत
9.	तदैव	अहमदाबाद	अहमदाबाद
10.	कारपोरेशन बैंक	तदैव	तदैव
11.	सिटी यूनियन बैंक लि.	सूरत	सूरत
12.	वैश्य बैंक लि.	राजकोट	राजकोट
13.	इंडूस इंड. बैंक लि.	अहमदाबाद	अहमदाबाद
14.	सांगली बैंक लि.	मानवदार	जुनागढ़
15.	बैंक आफ महाराष्ट्र	पिरामन	भरुच
16.	बैंक आफ इंडिया	वतवा इंड. एस्टेट	अहमदाबाद
17.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	जामनगर	जामनगर
18.	वैश्य बैंक लि.	भावनगर	भावनगर
19.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	राजकोट	राजकोट
20.	बैंक आफ पंजाब लि.	अहमदाबाद	अहमदाबाद
21.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	सिधपुर	मेहसाना
22.	बैंक आफ इंडिया	भुज	कच्छ
23.	एचडीएफसी बैंक लि.	नवरंगपुर	अहमदाबाद
24.	केनरा बैंक	अहमदाबाद	अहमदाबाद
25.	बैंक आफ इंडिया	करचीबाग	बडोदरा
26.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	अंकलेश्वर	भरुच
27.	तदैव	भुज	कच्छ
28.	स्टेट बैंक आफ बीका. एंड जयपुर	गांधीधाम	तदैव
29.	देना बैंक	सानंद	अहमदाबाद
30.	बैंक आफ इंडिया	तापी	वलसाद
31.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	राजपिपला	भरुच

1	2	3	4
32.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	तालोद	साबरकांथा
33.	तदैव	जुनागढ़	जुनागढ़
34.	बैंक आफ इंडिया	अहमदाबाद	अहमदाबाद
35.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	सेटलीट रोड	तदैव
36.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	सूरत	सूरत
37.	बैंक आफ राजस्थान लि.	राजकोट	राजकोट
38.	तदैव	भावनगर	भावनगर
39.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	आसरवा	अहमदाबाद
40.	तदैव	नवपुरा	सूरत
41.	तदैव	निजामपुर	बडोदरा
42.	तदैव	मेहसाना	मेहसाना
43.	तदैव	एस.आर. रोड, अहमदाबाद	अहमदाबाद
44.	तदैव	अल्कापुरी	बडोदरा
45.	यूटीआई बैंक लि.	बडोदरा	बडोदरा
46.	इंडियन ओवरसीज बैंक	प्रेमचंद नगर	अहमदाबाद
47.	केनरा बैंक	सूरत	सूरत
48.	तदैव	अहमदाबाद	अहमदाबाद
		मध्य प्रदेश	
1.	यूको बैंक	कोरबा	बिलासपुर
2.	ओरियंटल-बैंक आफ कामर्स	राजनांदगांव	राजनांदगांव
3.	तदैव	कोरबा	बिलासपुर
4.	तदैव	रायगढ़	रायगढ़
5.	तदैव	सेंदवा	पश्चिम निमार
6.	भारतीय स्टेट बैंक	हिरमी	रायपुर
7.	बैंक आफ मदुरा लि.	इंदौर	इंदौर
8.	बैंक आफ इंडिया	एचसीएल क्षेत्र	भोपाल
9.	तदैव	देवास	देवास
10.	तदैव	लक्ष्मी नगर	इंदौर
11.	तदैव	बिओरा	रायगढ़
12.	तदैव	खारगोन	पश्चिम निमार
13.	भारतीय स्टेट बैंक	महाराजपुर, ग्वालियर	ग्वालियर
14.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	सुलकिया	इंदौर
15.	इलाहाबाद बैंक	सतना	सतना
16.	केनरा बैंक	रतलाम	रतलाम
17.	विजया बैंक	इंदौर	इंदौर
18.	आईडीबीआई बैंक लि.	इंदौर	इंदौर

1	2	3	4
19.	बैंक आफ पंजाब लि.	इंदौर	इंदौर
20.	इंड्स इंड. बैंक लि.	तदैव	तदैव
21.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	नेपर टाउन, जबलपुर	जबलपुर
22.	तदैव	कटनी	तदैव
23.	तदैव	सागर	सागर
24.	यूटीआई बैंक लि.	भोपाल	भोपाल
25.	केनरा बैंक	महु	इंदौर
26.	तदैव	कटनी	जबलपुर
27.	तदैव	सतना	सतना
28.	तदैव	बिलासपुर	बिलासपुर
29.	तदैव	खंडवा	खंडवा
		उत्तर प्रदेश	
1.	आई.सी.आई.सी.आई. बैंकिग कारपोरेशन लि.	नोयडा	गाजियाबाद
2.	केनरा बैंक	गोरखनाथ	गोरखपुर
3.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	लोनी बोर्डर	गाजियाबाद
4.	ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स	भदोही	बनारस
5.	तदैव	मोगरा बादशाहपुर	जौनपुर
6.	तदैव	गोमतीनगर	लखनऊ
7.	तदैव	बाजपुर	नैनीताल
8.	तदैव	किंचहा	तदैव
9.	तदैव	खातिमा	तदैव
10.	तदैव	काशीपुर	तदैव
11.	तदैव	सितारगंज	तदैव
12.	तदैव	पीलीभीत	पीलीभीत
13.	तदैव	बहराइच	बहराइच
14.	तदैव	मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर
15.	तदैव	सहारनपुर	सहारनपुर
16.	तदैव	देहरादून	देहरादून
17.	तदैव	मोदीनगर	गाजियाबाद
18.	तदैव	चिकाम्बीपुर	तदैव
19.	स्टेट बैंक आफ इंडिया	मेहमूदाबाद	सीतापुर
20.	बैंक आफ इंडिया	ऐशबाग	लखनऊ
21.	तदैव	कौशलपुरी	कानपुर
22.	तदैव	चौडा रघुनाथपुरा	गाजियाबाद
23.	बरेली कारपोरेशन बैंक	राजेन्द्र नगर	बरेली
24.	बैंक आफ इंडिया	आगरा	आगरा
25.	इंडियन ओवरसीज बैंक	गोमतीनगर	लखनऊ

1	2	3	4
26.	द कर्नाटका बैंक लि.	कानपुर	कानपुर
27.	इलाहाबाद बैंक	बनारस	बनारस
28.	केनरा बैंक	रुद्रपुर	नैनीताल
29.	तदैव	ऋषिकेश	देहरादून
30.	तदैव	बर्रा कानपुर	कानपुर
31.	विजया बैंक	बनारस	बनारस
32.	बैंक आफ पंजाब लि.	मेरठ	मेरठ
33.	तदैव	नोयडा	गाजियाबाद
34.	पंजाब नैशनल बैंक	आरआईएस डिपो सहारनपुर	सहारनपुर
35.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	लखनऊ	लखनऊ
36.	बरेली कार्पो. बैंक लि.	चांदपुर	बिजनोर
37.	बरेली कार्पो. बैंक लि.	धामपुर	बिजनोर
38.	पंजाब नैशनल बैंक	रुडकी	हरिद्वार
39.	तदैव	यमुना नगर	देहरादून
40.	तदैव	गांधी कालोनी	मुजफ्फरनगर
41.	देना बैंक	सहारनपुर	सहारनपुर
42.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	कानपुर	कानपुर
43.	तदैव	देहरादून	देहरादून
44.	तदैव	क्लाकर्स अवध	लखनऊ
45.	तदैव	दयालबाग	आगरा
46.	तदैव	आजमगढ़	आजमगढ़
47.	तदैव	दालीगंज	लखनऊ
48.	तदैव	इलाहाबाद	इलाहाबाद
49.	तदैव	जनरल गंज	कानपुर
50.	तदैव	गाजीपुर	गाजीपुर
51.	तदैव	आगरा मेन	आगरा
52.	तदैव	बरेली मेन	बरेली
53.	यूटीआई बैंक लि.	लखनऊ	लखनऊ
54.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	भदोही	बनारस
55.	इंडियन ओवरसीज बैंक	मझौला	मुरादाबाद
56.	केनरा बैंक	रुद्रपुर	नैनीताल
57.	तदैव	वृन्दावन	मथुरा
58.	तदैव	आगरा कालेज	आगरा
59.	तदैव	नोयडा	गाजियाबाद
60.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर
61.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	डिवीजनलरेलवे मेनेजर्स आफिस बरेली	बरेली
62.	तदैव	एडमीन कम्पलेक्स नोयडा	गाजियाबाद
63.	तदैव	सुभाष नगर	देहरादून

"मॉडवेट" ऋण

1988. श्री अमर पाल सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड का विचार उन वस्तुओं के लिए प्रतिबंधित सूची जारी करने का है जिनके लिए "मॉडवेट" (संशोधित मूल्यविर्धित कर) ऋण उपलब्ध कराया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). मॉडवेट की स्वीकार्यता के प्रयोजन के लिए निविष्टियों की प्रतिबन्धित सूची जारी करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, 22 जुलाई, 1996 को सदन में प्रस्तुत किए गए वर्ष 1996-97 के बजट में ऐसे पूंजीगत माल के विशेष शीर्षों और उपशीर्षों को दिया गया है जिनपर क्रेडिट स्वीकार्य होगा। प्रस्तावित संशोधन से विवादों में काफी कमी आएगी।

आयकर बकाया

1989. श्री एन.एस.वी. चित्थन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर-निर्धारितियों पर राज्य-वार आयकर की कुल कितनी राशि बकाया है और आज की तिथि में ऐसे चूककर्ताओ की संख्या क्या है;

(ख) प्रत्यक्ष करों के संग्रह का वार्षिक लक्ष्य क्या है; और

(ग) इन चूककर्ताओं से कर की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) बकाया मांग से संबंधित राज्यवार सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, वित्तीय वर्ष 1995-96 के अन्त में निगम कर और आयकर की कुल बकाया मांग 28987.14 करोड़ रु. थी। 31-12-1995 की स्थिति के अनुसार आयकर की बकाया धनराशि और एक करोड़ रु. से अधिक की बकाया मांग वाले मामलों की संख्या से संबंधित राज्य-वार उपलब्ध ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

क्र. सं.	राज्य का नाम	31-12-1995 की स्थिति के अनुसार मामलों की कुल सं.	बकाया मांग
1	2	3	4
			(रु. करोड़ों में)
1.	पश्चिम बंगाल	143	869.59
2.	महाराष्ट्र	493	13527.51
3.	दिल्ली	167	1024.05
4.	पंजाब	14	57.57
5.	हरियाणा	6	19.10
6.	जम्मू और कश्मीर	3	15.60
7.	मध्य प्रदेश	14	48.38
8.	गुजरात	73	224.98
9.	राजस्थान	15	68.70
10.	केरल	4	6.84
11.	आन्ध्र प्रदेश	22	59.92
12.	बिहार	11	73.73
13.	उड़ीसा	8	30.47
14.	उ.पू. क्षेत्र	11	24.75
15.	कर्नाटक	43	227.51
16.	तमिलनाडु	72	246.53
17.	उत्तर प्रदेश	40	180.37

(ख) वर्ष 1996-97 के लिए बजट अनुमान नीचे दिए गए हैं :-

	(रु. करोड़ों में)
निगम कर	19600
आयकर	17843
ब्याज कर	1250
व्यय कर	190
धनकर	110
उपहार कर	10

(ग) बकाया मांग की वसूली के लिए आयकर अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित विभिन्न कार्रवाइयां की जाती हैं, जैसे चूककर्ताओं की चल और अचल सम्पत्तियों की कुर्की, अभियोजन, अर्थदंड लगाना, जेल में रखना, चूककर्ता की सम्पत्तियों के प्रबंध के लिए रिसीवर की नियुक्ति। इसके अलावा, किस्तों की मंजूरी सहित मांग की वसूली को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए जाते हैं और जहां मामले अपील में रूके हुए हों वहां अपीलों का शीघ्रता से निपटान करने के लिए अपीलीय प्राधिकारियों से अनुरोध किया जाता है।

प्रतिभूति घोटाले में शामिल अधिसूचित व्यक्तियों से देय कर की बकाया धनराशि के मामलों में विशेष न्यायालय अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अधिसूचित व्यक्ति से संबंधित चल और अचल सभी सम्पत्तियों को अधिसूचना जारी होने के साथ-साथ कुर्की किया गया

माना जाता है। अतः ऐसी सभी मांगों के संबंध में जो अब बकाया हो गई हैं, विभाग ने बकाया करों के लिए निधियां रिलीज करने हेतु अभिरक्षक को निर्देश जारी करने के लिए विशेष-न्यायालय में याचिकाएं दायर की हैं।

[हिन्दी]

किसानों को बैंक ऋण दिया जाना

1990. श्री काशीराम राणा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक सरकारी बैंकों द्वारा किसानों को राज्य-वार और वर्ष-वार ऋण की कितनी धनराशि मुहैया की गई;

(ख) इससे राज्य-वार कितने किसान लाभान्वित हुए; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त ऋणों की वसूली की बैंक-वार स्थिति क्या है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कृषि संबंधी बकाया ऋण नीचे दिए गए हैं :-

समाप्त वर्ष	खातों की संख्या (लाख में)	बकाया राशि (करोड़ रुपए)
मार्च, 1992	209.59	18311.35
मार्च, 1993	210.94	19934.69
मार्च, 1994	203.51	20930.19

उक्त अवधि के राज्यवार आकंड़े संलग्न विवरण -I, II और III में दिए गए हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली की बैंक-वार स्थिति विवरण-IV में दी गई है।

विवरण-I

मार्च, 1992 को समाप्त वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कृषि संबंधी बकाया ऋणों की राज्य-वार स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(राशि लाख रु. में)
(खातों की संख्या हजार में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	खाते	बकाया राशि
1	2	3
हरियाणा	457.56	72267.92
हिमाचल प्रदेश	113.77	8548.58
जम्मू और कश्मीर	47.90	2762.10
पंजाब	673.19	128015.51
राजस्थान	706.90	86410.28
चंडीगढ़	3.77	16938.89
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	16.83	11748.40
असम	241.51	13782.89
मणिपुर	6.92	583.06
मेघालय	21.06	1066.68
नागालैंड	21.44	2253.78
त्रिपुरा	58.16	2046.65
अरुणाचल प्रदेश	5.50	440.25
मिजोरम	1.89	233.36
सिक्किम	12.83	321.28
बिहार	1438.55	86106.96
उड़ीसा	881.31	39185.74
पश्चिम बंगाल	1169.94	62278.02
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	4.54	282.74
मध्य प्रदेश	1102.57	129877.18
उत्तर प्रदेश	2425.12	209485.90
गुजरात	924.94	98904.64
महाराष्ट्र	1588.71	183329.92
दमन एवं दीव	1.18	76.02
गोवा	29.81	3457.76
दादर व नागर हवेली	1.56	74.63
आंध्र प्रदेश	2877.71	227444.33
कर्नाटक	1763.76	151985.76
केरल	1211.95	69214.81
तमिलनाडु	3084.12	218887.40
पांडिचेरी	48.23	3058.53
लक्षद्वीप	0. 64	35.55
अखिल भारत	20958.85	1831135.52

विवरण-II

मार्च, 1993 को समाप्त वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कृषि संबंधी बकाया ऋणों की राज्य-वार स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(राशि लाख रु. में)

(खातों की संख्या हजार में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	खाते	बकाया राशि
1	2	3
हरियाणा	445.89	79852.29
हिमाचल प्रदेश	111.47	8998.17
जम्मू और कश्मीर	44.11	3199.64
पंजाब	665.58	136245.93
राजस्थान	718.08	96685.62
चंडीगढ़	3.38	17378.79
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	15.49	10849.29
असम	215.60	15207.84
मणिपुर	11.03	920.43
मेघालय	25.21	1242.21
नागालैंड	23.49	2668.97
त्रिपुरा	64.84	2664.87
अरुणाचल प्रदेश	9.08	563.08
मिजोरम	3.80	283.78
सिक्किम	12.13	446.40
बिहार	1483.37	95537.04
उड़ीसा	906.98	43159.12
पश्चिम बंगाल	1143.31	68792.25
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	4.51	286.53
मध्य प्रदेश	1113.90	141830.47
उत्तर प्रदेश	2371.30	227398.50
गुजरात	929.72	107752.27
महाराष्ट्र	1628.25	196030.31
दमन एवं दीव	0.90	90.62
गोवा	26.76	3640.82
दादर व नगर हवेली	1.45	70.50
आंध्र प्रदेश	3072.72	249366.62
कर्नाटक	1701.46	163594.24
केरल	1139.15	71684.87
तमिलनाडु	3152.00	243540.32
पांडिचेरी	48.39	3459.27
लक्षद्वीप	0.59	28.00
अखिल भारत	21093.95	1993469.06

विवरण-III

मार्च, 1994 को समाप्त वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कृषि संबंधी बकाया ऋणों की राज्य-वार स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(राशि लाख रु. में)

(खातों की संख्या हजार में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	खाते	बकाया राशि
1	2	3
हरियाणा	410.40	84253.41
हिमाचल प्रदेश	101.99	9476.96
जम्मू और कश्मीर	41.29	3374.68
पंजाब	643.75	142910.49
राजस्थान	705.37	102650.03
चंडीगढ़	3.23	15194.90
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	12.40	13454.21
असम	212.57	16988.16
मणिपुर	12.50	1345.86
मेघालय	25.13	1298.23
नागालैंड	24.08	2965.01
त्रिपुरा	67.82	3169.73
अरुणाचल प्रदेश	10.88	668.50
मिजोरम	4.54	316.20
सिक्किम	12.52	534.12
बिहार	1472.45	97414.56
उड़ीसा	898.97	46383.09
पश्चिम बंगाल	1085.43	78920.71
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	4.40	228,04
मध्य प्रदेश	1104.35	142349.24
उत्तर प्रदेश	2346.73	232638.46
गुजरात	889.18	115543.75
महाराष्ट्र	1518.07	208142.41

1	2	3
दमन एवं दीव	0.73	87.26
गोवा	21.15	3654.25
दादर व नगर हवेली	1.39	100.78
आंध्र प्रदेश	2708.78	257030.75
कर्नाटक	1640.26	171651.30
केरल	i186.01	74922.21
तमिलनाडु	3135.33	261886.30
पांडिचेरी	49.09	3434.66
लक्षद्वीप	0.56	30.43
अखिल भारत	20351.33	2093018.69

विवरण-IV

पिछले तीन वर्षों के लिए अर्थात जून, 1993, 1994 और 1995 को समाप्त वर्ष के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

	बैंक का नाम	मांग की तुलना में वसूली का प्रतिशत		
		1993	1994	1995*
	1	2	3	4
1.	भारतीय स्टेट बैंक	53.90	56.10	58.47
2.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	35.40	42.97	48.76
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	63.95	60.13	52.69
4.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	36.70	43.33	46.71
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	43.80	51.26	52.39
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	80.30	82.85	85.72
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	51.44	50.70	59.19
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	57.30	64.32	65.15
9.	इलाहाबाद बैंक	54.70	59.01	54.39
10.	आंध्रा बैंक	59.70	65.15	68.68
11.	बैंक आफ बड़ौदा	59.38	61.73	64.32
12.	बैंक आफ इंडिया	47.50	49.90	51.60
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	42.00	49.35	51.31
14.	केनरा बैंक	65.20	68.48	71.89
15.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	41.70	40.00	42.34
16.	कारपोरेशन दैंक	42.10	48.79	42.71
17.	देना बैंक	44.10	44.19	50.14
18.	इंडियन बैंक	66.80	62.13	65.00
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	57.00	74.52	75.00
20.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	66.00	73.12	74.72
21.	पंजाब नैशनल बैंक	60.00	60.00	64.00
22.	पंजाब एंड सिंध बैंक	41.00	49.50	53.00
23.	सिंडिकेट बैंक	41.10	38.34	43.22
24.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	59.22	63.29	68.16
25.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	31.30	34.68	38.41
26.	यूको बैंक	39.80	36.92	34.72
27.	विजया बैंक	34.99	47.62	62.72

[अनुवाद]

केरल में एन.आई.एफ.टी. की शाखा

1991. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की शाखा स्थापित करने के बारे में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संस्थान को स्थापित करने में केरल सरकार की प्रस्तावित सहभागिता क्या है; और

(ग) केरल में यह संस्थान कब तक और कहां स्थापित किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की कोई और नई शाखा खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है जिसमें केरल की शाखा भी शामिल है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

व्यपगत हुई पालिसियां

1992. श्री के. प्रधानी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम के पालिसी धारकों द्वारा प्रीमियम का भुगतान न करने के कारण बड़ी संख्या में पालिसी व्यपगत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या व्यपगत हुई पालिसियों की प्रीमियम की धनराशि को निगम द्वारा जब्त कर लिया जाता है और इसे लाभ के रूप में माना जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि 1992-93, 1993-94 और 1994-95 में जारी की गई नई पालिसियों में से वर्ष 1994-95 के दौरान व्यपगत हुई पालिसियों की संख्या इस प्रकार है :-

नए कारोबार का वर्ष	जारी की गई पालिसियों की संख्या	वर्ष 1994-95 के दौरान व्यपगत पालिसियों की संख्या
1992-93	99,57,848	9,80,579
1993-94	1,07,25,633	22,38,085
1994-95	1,08,74,682	1,20,451

(ग) और (घ). भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि लेखन सामग्री, मुद्रण, कमीशन आदि जैसी मदों पर उनके द्वारा किए गए ऊपरी खर्चों के कारण पालिसी को, यदि वह उसके जारी होने के तीन वर्षों के अन्दर व्यपगत होती है, चुकता मूल्य भी प्राप्त नहीं होता है। व्यपगत पालिसियों के कारण निगम को प्राप्त होने वाली प्रीमियम की राशि "जीवन निधि" में जमा कर दी जाती है। जीवन बीमा निगम लाभ या हानि के सिद्धान्त पर कार्य प्रचालन नहीं करता है। "जीवन निधि" का बीमांकित मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जाता है और बीमांकित अधिशेष की 95 प्रतिशत राशि पालिसी-धारकों के बीच बोनस आदि के रूप में वितरित की जाती है और शेष 5 प्रतिशत राशि केन्द्रीय सरकार को भारतीय जीवन बीमा निगम का मालिक होने के कारण भुगतान किया जाता है।

अमेरिका के साथ व्यापार संबंध

1993. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन क्षेत्रों में भारत-अमेरिका व्यापार आरम्भ किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार अमेरिका के साथ व्यापार संबंध पुनःबढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) भारत से यू.एस.ए. को होने वाले प्रमुख निर्यातों में शामिल हैं : रत्न एवं आभूषण, वस्त्र, इंजीनियरी उत्पाद, कॉयर, जूट एवं हस्तशिल्प, रसायन एवं संबद्ध उत्पाद, चर्म उत्पाद एवं काजू, इत्यादि। यू.एस.ए. से भारत को आयात होने वाले प्रमुख उत्पादों में शामिल हैं : इंजीनियरी सामान, रसायन एवं सबंद्ध उत्पाद, खनिज एवं अयस्क, उर्वरक एवं इलैक्ट्रानिक सामान, इत्यदि।

(ख) और (ग). संयुक्त राज्य अमरीका के साथ व्यापार संबंधों को और व्यापक बनाने के लिए दोनों देशों की सरकारों और निजी क्षेत्रों के बीच अधिक द्विपक्षीय सम्पर्क हुए हैं। इन सम्पर्कों में शामिल हैं। मई, 1994 में भारतीय प्रधानमंत्री की यू.एस.ए. की यात्रा, जनवरी, 1995 में अमरीका वाणिज्य सचिव की भारत यात्रा, जून, 1995 में भारतीय वाणिज्य मंत्री की यू.एस.ए. की यात्रा, भारत-अमरीका की संयुक्त व्यापार परिषद् की वाशिंगटन में अक्तूबर, 1994 में और नई दिल्ली में नवम्बर, 1995 में बैठकें। जनवरी, 1995 में भारत-अमरीकी वाणिज्यिक एलायंस शुरू किया गया था जो व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों के विस्तार के लिए दोनों देशों के निजी उद्यमों के बीच हृदय सम्पर्कों के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। बोर्ड की बैठकें यू.एस.ए. के सान्ताक्लारा में 19 जून, 1995 को और नई दिल्ली में 12 मार्च, 1996 को आयोजित की गयी। व्यापार शिष्ट मण्डलों को भेजने के लिए क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करने, भारत और विदेशों, इत्यादि में व्यापार मेलों में भागीदारी के लिए सरकार वाणिज्य मण्डलों, निर्यात संवर्धन परिषदों, वस्तु बोर्डों, और निर्यातकों को प्रोत्साहित करती है।

साधारण बीमा निगम के कर्मचारियों के लिए मकान

1994. डा. रमेश चन्द्र तोमर : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साधारण बीमा निगम द्वारा उसकी चार अनुषंगी कम्पनियों के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मकान खरीदे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या साहिबाबाद और नोएडा में न्यू इंडिया एश्यूरेंस कम्पनी लिमिटेड के बड़ी संख्या में मकान खाली पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कम्पनी द्वारा अर्ह कर्मचारियों को उक्त मकान आवंटित न किए जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). भारतीय साधारण बीमा निगम की अनुषंगी कम्पनियां अपने कर्मचारियों की आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु समय-समय पर मकान/फ्लैट खरीदती हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संबंध में भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा दी गई अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ). यह सूचित किया गया है कि न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के स्वामित्वाधीन 39 फ्लैटों में से 6 फ्लैटो खाली पड़े हैं। ये फ्लैट न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त की गई समिति पर पूर्वाग्रह तथा पक्षपात के आरोप के कारण कर्मचारियों को आबंटित नहीं किए जा सके हैं। न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी ने आबंटन पद्वति की समीक्षा करने और संशोधित आबंटन का सुझाव देने हेतु एक नई समिति नियुक्त की है। समिति द्वारा जल्दी ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है, जिसके आधार पर आबंटन किए जाएंगे।

विवरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में साधारण बीमा निगम की अनुषंगी कम्पनियों द्वारा खरीदे गए मकानों के ब्यौरे

राष्ट्रीय	फ्लैटों की संख्या	न्यू इंडिया	फ्लैटों की संख्या	ओरियंटल	फ्लैटों की संख्या	यूनाइटिड इंडिया	फ्लैटों की संख्या
पालमोहन आपार्टमैंट दिल्ली	8	साहिबाबाद	23	जोर बाग	2	एशियाई खेलगांव	2
साहिबाबाद	10	नौएडा	8	ग्रीन पार्क	2	नौएडा	12
नौएडा, गाजियाबाद दिल्ली	5	कौशम्बी	3	ग्रेटर कैलास	12	ग्रेटर कैलास	3
				राजौरी गार्डन	2		
एशियाई खेलगांव	1	सागर अपार्टमैंट	2	जनक पुरी	12		
		सी-94, ग्रेटर कैलास I	3	लारेन्स रोड	20		
				नौएडा	20		
				एशियाई खेलगांव	2		

न्यायाधिकरणों की स्थापना

1995. श्री राम सागर : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायाधिकरणों की स्थापना करने संबंधी कोई मामला उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समय इसकी क्या स्थिति है; और

(ग) इस मामले को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्यमंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) से (ग). माननीय सदस्य ने उस अधिकरण की पहचान नहीं बताई, जिससे उनका आशय है। तथापि, 1993 की रिट याचिका सं. 518 और संबद्ध मामलों में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध सिविल अपील संख्या 169/94, **भारत संघ बनाम शकिनाला हरी नाथ तथा अन्य**-उच्चतम न्यायालय की सात न्यायाधीशों की न्यायपीठ के समक्ष लंबित है। यह विषय, माननीय उच्चतम न्यायालय की 1996 की टर्मिनल सूची सं. 1 के पृष्ठ 642 पर क्रम सं. 9 पर सूचीबद्ध है। निकट भविष्य में इसके सुनवाई के लिए आने की संभावना है।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को बन्द करना

1996. डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की संख्या क्या है तथा इनमें कितना निवेश किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्यमों को बन्द करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) 31-3-1995 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 241 उद्यम परिचालन में हैं जिनमें 170602 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।

(ख) और (ग). सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों को उपयुक्त निर्णय के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को सौंपा जाता है।

परिधान की निर्यात कोटा नीति

1997. श्री सुरेश कलमाडी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान परिधान एवं वस्त्र निर्यात कोटा नीति की समीक्षा करने एवं नई नीति के लिए परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए किसी कार्य बल की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यबल के निदेश पद क्या हैं; और

(ग) उक्त कार्यबल द्वारा कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) जी हां।

(ख) कार्य दल की विचारार्थ मदें निम्न अनुसार हैं :-

(1) फैब्रिकों, मेड अप्स, यार्न, परिधानों तथा निट वीयर के संबंध में विगत कुछ वर्षों तथा चालू वर्ष के लिए निर्यात हकदारी वितरण नीतियों के कार्यचालन का मूल्यांकन करना।

(2) चालू परिधान तथा निट वीयर नीति में यथावश्यक परिवर्तन करने तथा दिनांक 1.1.1997 से शुरू होने वाली नई दीर्घ कालिक फैब्रिक, मेडअप्स तथा यार्न नीति के संबंध में सरकार को सिफारिशें देना।

(ग) कार्य दल संभवतः 31 जुलाई, 1996 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा।

वस्त्र निर्यात

1998. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय देशों ने उन वस्त्रों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है जिनमें "अर्जो डाइज" का प्रयोग किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस समस्या और मल्टी फाइबर व्यवस्था के तहत वस्त्र आयात कोटे से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) और (ख). जर्मन सरकार ने ऐसे वस्त्र उत्पादों में कुछ ऐजो रंजकों और रसायनों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का कानून बनाया है जो कि जर्मनी में बिक्री के लिए रखे जाते हैं।

जर्मन सरकार के इस कानून के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार ने संबंधित रंजकों की पुनरीक्षा करने तथा स्वीकार्य योग्य वैकल्पिक रंजकों को अभिज्ञात करने के लिए कदम उठाए हैं ताकि निर्यात की गति को बनाए रखा जा सके। इसके अतिरिक्त सरकार पारिअनुकूल वस्त्रों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रमुख उत्पादन केन्द्रों में पारिस्थितिकी परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने में सहायता देने, संगोष्ठियों/कार्यशालाओं द्वारा पारिस्थितिकी अनुकूल सुरक्षित रंजकों और रसायनों के बारे में जानकारी प्रसारित करने तथा प्रचार सामग्री का वितरण करने जैसे अनेक कदम उठा रही है।

एजो रंजकों पर जर्मन का प्रतिबंध, भारत-ई सी वस्त्र करार के अंतर्गत निर्धारित वस्त्र आयात कोटा नीति से संबद्ध नहीं है।

नोटरी की नियुक्ति

1999. श्री सौम्य रंजन : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में नोटरी की नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम योग्यता निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा राज्यवार कितने नोटरी की नियुक्ति की गई है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्यमंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) और (ख). नोटरी के पद की नियुक्ति के लिए अर्हताएं नोटरी अधिनियम, 1952 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट हैं।

(ग) 1-1-96 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने पूरे देश में 574 नोटरियों की नियुक्ति की है और राज्यवार नोटरियां का ब्यौरा निम्नानसुार है :-

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	नोटरियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	08
2.	बिहार	05
3.	गुजरात	27
4.	हरियाणा	55
5.	कर्नाटक	42
6.	केरल	02
7.	महाराष्ट्र	64
8.	मध्य प्रदेश	04
9.	उड़ीसा	02
10.	पंजाब	57
11.	राजस्थान	71
12.	तमिलनाडु	11
13.	त्रिपुरा	01
14.	उत्तर प्रदेश	58
15.	पश्चिमी बंगाल	64
16.	दिल्ली	69
17.	चंडीगढ़	01
18.	पूरे भारत में व्यवसाय के लिए हकदार	33
	योग	574

ए.पी.इ.डी.ए. द्वारा कृषि वस्तुओं के निर्यात पर राजसहायता

2000. श्री पी.आर. दासमुंशी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए.पी.इ.डी.ए.) द्वारा कृषि उत्पाद निर्यातकों को राजसहायता की कितनी राशि दी गई अथवा कितना निर्यात समर्थन दिया गया;

(ख) जिन क्षेत्रों के लिए राजसहायता दी गई उसके संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान ए.पी.इ.डी.ए. को राजसहायता राशि के दुरुपयोग के बारे में कोई सूचना मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), जो वाणिज्य मंत्रालय के अधीन एक वस्तु-बोर्ड है, निम्नलिखित क्षेत्रों में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की अनुसूची में शामिल उत्पादों के निर्यातकों को निर्धारित मात्रा में वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है :-

(1) बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए जैसे :-
   - (क) विशेषीकृत परिवहन इकाईयों की खरीद;
   - (ख) पूर्व-प्रशीतन सुविधाओं की खरीद;
   - (ग) मशीनीकृत फसल पश्चात् रख-रखाव सुविधाओं की स्थापना और श्रेणीकरण, छटाई, गुणवत्ता नियंत्रण तथा पैकेजिंग के लिए शैडों की व्यवस्था;

(2) ब्रांड प्रोमोशन, प्रचार और विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी के जरिए विदेशों में बाजार विकास;

(3) उत्पादों, बुनियादी सुविधाओं की जरुरतों के बारे में व्यवहार्यता अध्ययन कराना;

(4) भारत में प्रशिक्षण के जरिए उपजकर्त्ता एवं विनिर्माता निर्यातकों के पर्यवेक्षी, तकनीकी एवं प्रबंधकीय कार्मिकों की तकनीकी कुशलता का उन्नयन करना;

(5) अनुसंधान संस्थानों द्वारा निर्यात संवर्धन प्रयासों के एक भाग के रुप में अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्य किया जाना;

(6) विशिष्ट गन्तव्य स्थलों को कतिपय उद्यानोत्पाद, पुष्पोत्पाद एवं चुनिंदा वनस्पति-उत्पादों का वायुमार्ग के जरिए निर्यात करने के लिए वायुभाड़ा इमदाद।

वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान एपीडा द्वारा प्रदान की गयी वित्तीय सहायता की राशि नीचे दी गयी है :-

	(लाख रु. में)
1993-94	511.65
1994-95	615.14
1995-96	675.00

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

दल -बदल कानून

2001. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दल-बदल कानून में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें कब तक संशोधन किये जाने की संभावना है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्यमंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) से (ग). क्या पीठासीन अधिकारियों के विनिश्चयो के संबंध में अपीलों को सुनने के लिए किसी अपील प्राधिकरण की व्यवस्था की जानी चाहिए, के प्रश्न पर सरकार द्वारा विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श करने का प्रस्ताव किया गया है और संविधान की दसवीं अनुसूची में संशोधन किए जाने के संबंध में मतैक्य न होने की दशा में सरकार इस प्रयोजन के लिए एक विधेयक लाने पर विचार करेगी।

सोने की तस्करी

2002. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उदारीकृत स्वर्ण नीति लागू किए जाने के बावजूद सोने की तस्करी अभी भी जारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितना सोना जब्त किया गया?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) पकड़े गए निषिद्ध सोने के आंकड़ों और सोने की तस्करी से संबंधित आसूचना रिपोटों के अनुसार सोने की तस्करी में कमी आने का पता चलता है। तथापि, सोने की तस्करी अभी भी की जा रही है

और चूंकि तस्करी एक चोरी-छिपे किए जाने वाला धंधा है, इसलिए तस्करी के परिमाण की स्पष्ट प्रवृत्ति के बारे में पक्के तौर पर नहीं बताया जा सकता है।

(ख) देश में सोने की तस्करी को रोकने के लिए किए गए उपायों में भारत में खपत के लिए वैध रुप से आयातित सोने को बड़ी मात्रा में उपलब्ध कराने हेतु यात्री असबाब योजना के अंतर्गत वर्ष 1992 से सोने के आयात को उदार बनाना, तस्करी रोधी एजेंसियों द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों पर निगरानी रख करके देश में सोने की तस्करी रोकने और उसका पता लगाने में अत्यधिक सतर्कता बरतना, विशेष आसूचना एकत्र करना, पत्तनों और हवाई अड्डों में धातु खोजी यंत्रों, रंगीन असबाब एक्सरे मशीनों आदि जैसे अत्याधुनिक उपस्करों का प्रयोग करना शामिल है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पकड़े गए सोने के मूल्य का ब्यौरा इस प्रकार है :-

वर्ष	पकड़ा गया सोना (लाख रुपयों में)
1993-94	5502
1994-95	5543
1995-96	5087

[हिन्दी]

नेपाल के साथ व्यापार समझौता

2003. श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत-नेपाल व्यापार समझौता को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु चयनित क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में नेपाल के साथ किसी नये व्यापार समौते पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समझौते के कब तक लागू होने की सम्भावना है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). भारत और नेपाल दोनों 1991 के भारत-नेपाल व्यापार समझौते के ढांचे के अन्दर अपना द्विपक्षी व्यापार बढ़ाने के लिए वचनबद्ध है। दोनों देशों के वाणिज्य सचिवों की अध्यक्षता में व्यापार संबंधी अन्तर सरकारी समिति द्वारा द्विपक्षीय व्यापार के विभिन्न पहलुओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इस संबंध में, नेपाल में निर्मित वस्तुओं के लिए भारतीय बाजार में अधिक पहुंच उपलब्ध कराने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ग) हाल में नेपाल के साथ कोई नया समझौता नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कर अपवंचन

2004. श्री मंगल राम प्रेमी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्र-वार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क अपवंचन के कितने मामले पकड़े गए;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) इस संबंध में राज्य/संघ शासित क्षेत्रानुसार आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ख) और (ग). कर अपवंचन के संबंध में जब भी कभी कोई विशिष्ट सूचना प्राप्त होती है तो पूछताछ/जांच की जाती है।

[हिन्दी]

निर्यात में वृद्धि की योजना

2005. श्री प्रभुदयाल कठेरिया :

श्री पंकज चौधरी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्यात में वृद्धि हेतु कोई मध्य आधारित कार्यक्रम तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ग). निर्यात निष्पादन अनेक कारकों पर निर्भर करता है जिसमें उत्पादों की मांग, ऐसे उत्पादों को आयात करने वाले देशों की आर्थिक परिस्थितियों, ऐसे उत्पादों का निर्यात करने वाले अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा, निर्यात संवर्धन प्रयास इत्यादि शामिल हैं। तथापि, पिछले निष्पादन के आधार पर, वाणिज्य मंत्रालय वर्ष 1996-97 के लिए डालर के रूप में 20 प्रतिशत निर्यात वृद्धि बनाए रखने का अनुमान लगा रहा है।

निर्यात संवर्धन एक सतत् प्रक्रिया है और समय-समय पर व्यापार और उद्योग तथा निर्यात संवर्धन से जुडे संगठनों के साथ विचार

विमर्श करके निर्यात बढ़ाने के उपाय किए जाते हैं। निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में व्यापार मेले और प्रदर्शनियां आयोजित करना, आयात और निर्यात नीति संबंधी क्रियाविधियों का सरलीकरण, दक्षता और प्रतिस्पर्धा में सुधार, गुणवत्ता और तकनीकी उन्नयन पर ध्यान देना और राज्य सरकारों को निर्यात संवर्धन में सक्रिय रूप से शामिल करने के प्रयास शामिल हैं।

[अनुवाद]

उड़ीसा में पत्तनों की क्षमता में वृद्धि

2006. श्री शरत पटनायक : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के पत्तनों की लदाई-दुलाई क्षमता बढ़ाने के लिए भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम ने उड़ीसा सरकार के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). एम.एम.टी.सी. लिमिटेड ने उड़ीसा सरकार के साथ 15 फरवरी, 1996 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है जो पत्तन पर अच्छे मौसम से सभी मौसमों में गहरे पानी में सीधे लंगर डालने हेतु गोपालपुर पत्तन के संपूर्ण विकास के लिए एक विस्तृत संभाव्यता अध्ययन शुरू करने से संबंधित है।

[हिन्दी]

वस्त्र आयात

2008. श्री देवी बक्स सिंह :

श्री राधा मोहन सिंह :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वस्त्र आयात का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान कितनी मात्रा में वस्त्र आयात किया गया; और

(घ) इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गयी?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) और (ख). सरकार का वस्त्र आयात करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ). वर्ष 1995-96 के दौरान वस्त्रों के आयात पर 3258.48 करोड़ रु. (लगभग) के बराबर की विदेशी मुद्रा खर्च हुई।

[अनुवाद]

कपड़ा श्रमिकों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना

2009. श्री मोहन रावले :

श्री राम नाईक :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय नवीकरण कोष योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य वस्त्र निगम तथा मराठवाड़ा वस्त्र निगम लिमिटेड द्वारा चलाई जा रही मिलों के श्रमिकों/कर्मचारियों के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा मंजूर की गई स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना के अनुसार लौटाई जाने वाली राशि के संबंध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) से (ग). महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य वस्त्र निगम लि., तथा मराठवाडा वस्त्र निगम लि. के कर्मचारियों को सर्वेच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अन्तर्गत उपदान तथा क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि में से 74.83 करोड़ रु. की सहायता देने का अनुरोध किया है। तथापि, राष्ट्रीय नवीकरण निधि में से सहायता केवल केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के क्रियान्वयन के लिए ही प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

विदेशी निर्माताओं को रियायत

2010. श्री सत्यदेव सिंह :

कुमारी उमा भारती :

श्री विजय गोयल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आर्थिक सुधारों के कारण विदेशी निर्माताओं को पर्याप्त रियायतें दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार स्वदेशी निर्माताओं को भी उक्त रियायतें देने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). कर नीति विदेशी और स्वदेशी निर्माताओं के बीच अन्तर नहीं करती है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दिल्ली को वित्तीय सहायता

2011. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और अब तक वित्तीय सहायता हेतु दिल्ली के उद्यमियों की ओर से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान दिल्ली और अन्य राज्यों से प्राप्त कितने आवेदन स्वीकृत किये गए और कितने आवेदन अस्वीकृत किए गए;

(ग) इस अवधि के दौरान एक बार उपलब्ध करायी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को उद्यमियों को वित्तीय सहायता स्वीकृत किए जाने में हुई कतिपय अनियमितताओं की जानकारी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष (अप्रैल, 1996-जून, 1996) के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की प्रत्यक्ष वित्त योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली (एनसीटी) के उद्यमियों से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) द्वारा प्राप्त हुए आवेदनों की संख्या निम्नानुसार है :-

वर्ष	प्राप्त आवेदन
1993-94	95
1994-95	95
1995-96	46
अप्रैल, 1996-जून, 1996	4

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष (अप्रैल, 1996-जून, 1996) के दौरान, आईडीबीआई द्वारा अपनी प्रत्यक्ष, वित्त योजना के अन्तर्गत मंजूर और अस्वीकृत आवेदनों की संख्या निम्न प्रकार है :-

वर्ष	मंजूर आवेदन		अस्वीकृत आवेदन	
	अखिल	एनसीटी दिल्ली	अखिल	एनसीटी, दिल्ली
1993-94	1558	82	44	3
1994-95	1794	83	37	3
1995-96	1258	31	35	1
अप्रैल, 1996-जून, 1996	112	2	3	शून्य

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्यक्ष वित्त योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में उद्यमियों को आईडीबीआई द्वारा मंजूर की गई वित्तीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है :-

(करोड़ रुपए)

वर्ष	मंजूर राशि
1993-94	414.3
1994-95	649.6
1995-96	1212.9
अप्रैल,1996-जून, 1996	9.5

तथापि, बैंकों में प्रचलित प्रथाओं और रीति रिवाजों और बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों के अनुपालन और साथ ही लोक वित्तीय संस्थाएं (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के उपबंधों के अनुसार, इकाई-वार वितरण प्रकट नहीं किया जा सकता है।

(घ) जी, नहीं। आईडीबीआई ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में उद्यमियों को आईडीबीआई द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता की मंजूरी में कोई अनियमितता नहीं हुई है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में रिक्त पद

2012. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में इस समय अध्यक्ष और सचिव के दो उच्च स्तरीय पद रिक्त पड़े है;

(ख) यदि हां, तो ये पद कब से रिक्त पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन पदों के कब तक भर दिये जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) के तत्कालीन अध्यक्ष श्री आर.आर. गुप्ता के सेवानिवृत्त हो जाने पर (अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर) बाइफर के अध्यक्ष का पद दिनांक 6 मई, 1996 से रिक्त हो गया है।

रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 6(5) के उपबंधों के अनुसार सरकार ने बाइफर के सदस्य श्री एम.एम.एस. श्रीवास्तव को दिनांक 11 जून, 1996 से नियमित

अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक अध्यक्ष के पद के लिए प्राधिकृत कर दिया है। बाइफर के सचिव का पद दिनांक 12 सितम्बर, 1995 से रिक्त है। सक्षम प्राधिकारी ने इस पद के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया है, परन्तु उसे अभी कार्यभार ग्रहण करना है।

सहकारी क्षेत्र के लिए विश्व बैंक का ऋण

2013. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

श्रीमती शीला गौतम :

श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक देश के सहकारी क्षेत्र में वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि जारी की गयी है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं। विश्व बैंक की सहायता से सहकारी क्षेत्र में चल रही ऐसी कोई परियोजना नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) 360.0 मिलियन अमरीकी डालर की कुल सहायता से विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय डेयरी-II परियोजना 31.12.1995 को बंद हो गयी थी। यह एक केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजना थी जिसे देश में राज्य, जिला और ग्राम स्तरों पर दुग्ध सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के आपरेशन फ्लड-III कार्यक्रम को समर्थित करने के लिए तैयार किया गया था। इस प्रयोजनार्थ वर्ष 1993-94, 1994-95, और 1995-96 में उपयोग में लायी गयी राशि क्रमशः 51.7 मिलियन अमरीकी डालर, 37.3 मि. अ.डा. और 0.622 मिलियन अ. डा. है।

राष्ट्रीय नवीकरण कोष

2014. **श्री सनत मेहता :**

श्री विश्वेश्वर भगत :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना के समय से कितनी राशि आबंटित की गई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन क्षेत्रों में उपक्रम-वार यह आवंटित राशि खर्च की गयी;

(ग) क्या एन.ए.वी. की समिति द्वारा एक योजना की सिफारिश की गई थी तथा इसे केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर नहीं किया गया; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना फरवरी, 1992 में की गई थी। वर्ष 1992-93 से 1995-96 के दौरान 1769.66 करोड़ रु. राष्ट्रीय नवीकरण कोष में अन्तरित किये गये हैं।

(ख) वस्त्र मंत्रालय के केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों में निवेश सहित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवा-निवृति के कार्यान्वयन तथा युक्तिकृत कामगारों को परामर्श पुनः प्रशिक्षण तथा उन्हें पुनः नियोजित करने की योजना के कार्यान्वयन के लिये राष्ट्रीय नवीकरण कोष से सहायता उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 1994-95 तक उपलब्ध व्यय के उपक्रम-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय नवीकरण कोष का प्रबन्ध एक उच्च अधिकार प्राप्त प्राधिकरण द्वारा किया जाता है जिसका सचिव (औद्योगिक विकास) होता है। युक्तिकृत कामगारों को परामर्श, पुनः प्रशिक्षण तथा पुनः नियोजित करने सम्बन्धी एन.आर.एफ. योजना को सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम आदि के मामलों मे कामगार मुआवजा भुगतान तथा क्षेत्र पुर्नसृजन योजना के सम्बन्ध में प्रस्तावों को राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता के लिये प्रचालन रुपात्मकताओं को अन्तिम रुप दिये जाने के पश्चात् आरम्भ किये जायेंगे।

विवरण

राष्ट्रीय नवीकरण कोष से पूरे किए गए व्यय के ब्यौरे

(रु. करोड़ में)

मंत्रालय/विभाग तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4
क. स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना			
रसायन तथा पैट्रो-रसायन विभाग			
1. स्मिथ स्टॅस्ट्रीट फार्मास्युटिकल लि.	1.40	2.00	0.50
2. बंगाल केमिकल और फार्मास्युटिकल लि.	2.00	2.00	2.50

1		2	3	4
3.	बंगाल इम्युनिटी लि.	1.00	2.00	1.00
4.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि.	15.60	34.00	21.00
5.	हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड लि.	1.60	1.20	0.50
उर्वरक विभाग				
1.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पो.लि.	22.00	–	2.20
2.	फर्टिलाइजर कार्पो. आफ इंडिया लि.	25.00	–	–
3.	पाइराइटस फास्फेट्स एंड केमिकल्स लि.	0.50	0.50	0.80
4.	प्रोजेक्ट एंड डेबलपमेंट इंडिया लि.	15.00	–	–
पर्यटक विभाग				
1.	इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कार्पो.	–	8.64	–
	नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय			
1.	हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयलस कार्पो.	–	7.00	–
	रक्षा मंत्रालय (गैर-योजनागत)			
1.	भारत अर्थमूवर्स लि.	–	10.00	7.90
2.	विज्ञान इंडस्ट्रीज लि. (सब्सडिअरी आफ बीईएम एल)	–	–	0.15
3.	मझगाव डॉक लि.	–	–	9.45
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय				
1.	मार्डन फूड इंडस्ट्रीज लि.	0.34	2.00	–
भारी उद्योग विभाग				
1.	भारत भारी उद्योग निगम लि.	9.10	24.80	9.19
2.	भारत ऑपथालमिक ग्लास लि.	0.50	0.61	0.43
3.	भारत यंत्र निगम लि.	20.00	11.64	7.00
4.	साइकिल कार्पो.आफ इंडिया लि.	5.00	3.74	–
5.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लि.	2.50	–	1.00
6.	हैवी इंजीनियरिंग कारपो. लि.	41.00	33.97	10.41
7.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि.	7.15	30.00	27.89
8.	इन्स्टूमेंटेशन लि., कोटा	3.00	5.50	5.30
9.	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कार्पो.	17.12	24.44	2.26
10.	नेशनल बाइसिकल कार्पो. इंडिया लिमिटेड	0.50	0.50	–
11.	नेशनल इन्स्ट्रूमेंटेशन लि.	1.50	1.75	–
12.	रिहेबिटेशन इंडस्ट्रीज कार्पो. लि.	6.10	4.60	3.30
13.	स्कूटर्स इंडिया लि.	2.40	13.20	–
14.	भारत लैदर कार्पोरेशन लि.	0.50	0.34	0.14
15.	टेनरी एंड फुटवियर कार्पो. ऑफ इंडिया	1.65	2.00	–
16.	टायर कार्पो. आफॅ इंडिया लि.	4.00	6.50	4.50

1		2	3	4
17.	हिन्दुस्तान फोटोमिल्मस लि.	-	4.25	5.00
18.	हिन्दुस्तान पेपर कार्पो. ऑफ इं.	3.85	2.00	3.00
19.	नेपा मिल्स लि.	2.00	2.00	2.00
20.	सीमेंट कार्पो. आफ ईंडिया लि.	-	2.50	-
21.	नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पो.	0.50	-	-
22.	हिन्दुस्तान साल्ट लि.	-	0.50	0.50
23.	एन्ड्रू यूले एंड कं. लि.	-	3.65	3.30
खान मंत्रालय				
1.	भारत गोल्ड माइन्स लि.	-	16.28	6.50
2.	हिन्दुस्तान कॉपर लि.	-	48.20	-
3.	मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पो. लि.	-	7.00	4.00
4.	भारत एल्युमिनियम कं.लि.	-	1.00	2.50
5.	हिन्दुस्तान जिंक लि.	-	10.00	22.00
इस्पात मंत्रालय				
1.	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लि.	10.80	30.00	20.00
2.	भारत रिफैक्ट्रीज लि.	1.00	2.00	1.52
3.	बर्ड ग्रुप आफ कम्पनीज	8.00	2.00	5.50
4.	सैल (आईआईएस सीओ के लिए)	-	-	10.00
भूतल परिवहन मंत्रालय				
1.	दिल्ली ट्रांसपोर्ट कार.	30.00	30.00	10.00
2.	सेन्ट्रल इनलेंड वाटर ट्रांसपोर्ट कार.	8.00	3.00	5.00
3.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.	10.00	3.20	-
4.	हुगली डक एण्ड पोर्ट इंजीनियरस लि.	4.66	-	2.00
5.	इण्डिन रोड कंसट्रक्शन कं.लि.	-		0.07
वस्त्र मंत्रालय				
(1992-93 तथा 1993-94 में सीपीएसयू में निवेश सहित)				
1.	नेशनल जूट मैन्यु.कार.	2.20	10.00	6.00
2.	ब्रिटिश इण्डिया कार.	-	0.75	7.00
3.	जूट कार. आफ इण्डिया	0.50	0.20	2.00
4.	नेशनल टेक्सटाइल कार. लि.	348.00	90.00	20.00
5.	एल्जिन मिल्स	35.25	26.50	5.00
6.	कानपोरी टैक्सटाइल, मिल्स	7.50	2.50	-
जल संसाधन मंत्रालय				
1.	नेशनल प्रोजक्ट्स कंसट्रक्शन लि.	10.00	-	-
2.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि. -	-	6.00	-

1	2	3	4
परमार्ण उर्जा विभाग			
1. इलेक्ट्रोनिक्स कार. आफ ईंडिया लि.		5.00	5.00
बी. कामगार परामर्श तथा पुनः प्रशिक्षण योजना			
औद्योगिक विकास विभाग	-	0.10	1.00
लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग	-	0.02	-

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में पंजीकृत रूग्ण उद्योग

2015. **श्री हरिन पाठक :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1996 की स्थिति के अनुसार औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में पंजीकृत रूग्ण उद्योग की अधिकतम संख्या गुजरात के ऐसे उद्योगों की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इतनी भारी संख्या में राज्य में औद्योगिक एककों की रूग्णता के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा; और

(घ) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है कि दिनांक 30.6.1996 की स्थिति के अनुसार, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास पंजीकृत रूग्ण औद्योगिक कम्पनियों की अधिकतम संख्या महाराष्ट्र राज्य की थी, जो 282 है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की रूग्ण औद्योगिक कम्पनियों की संख्या 211, उत्तर प्रदेश की 185, पश्चिम बंगाल की 176 और गुजरात की 161 है।

(ख) और (ग). भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च, 1995 के अंत की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रस्तुत रूग्ण और कमजोर औद्योगिक एककों से संबंधित व्यापक छःमाही विवरणियों के आधार पर रूग्ण/कमजोर औद्योगिक एककों की समीक्षा की थी। बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश के 2391 रूग्ण/कमजोर गैर लघु उद्योग एककों के संबंध में औद्योगिक रूग्णता के प्रमुख कारण कई कारकों पर आधारित थे जिसमें आंतरिक कारक (जैसे परियोजना मूल्यांकन परियोजना प्रबंध और परियोजना के कार्यान्वयन में कमियां) और बाहय कारक (जैसे कच्चे माल की अनुपलब्धता, बिजली की कमी, वित्तीय कठिनाइयां, बाजार की परिपूर्णता और उत्पाद का अप्रचलन) दोनों शामिल है। इस समीक्षा से यह भी पता चला है कि गुजरात और कुछ अन्य राज्यों में औद्योगिक रूग्णता की अधिकता का कारण बड़ी संख्या में वैसे कपड़ा, इंजिनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और रासायनिक एककों का विद्यमान होना है जिनमें औद्योगिक रूग्णता व्याप्त थी।

(घ) संभावित रूप से अर्थक्षम पाए गए रूग्ण/कमजोर एककों के लिए पुनर्वास पैकेज तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये हैं। पुनर्वास पैकेज में, अन्य बातों के साथ-साथ इन बातों का भी प्रावधान है : चरणबद्ध रूप में देयराशियों की वापसी अदायगी के लिए बढ़ी हुई अवधि (7-10 वर्ष) सहित बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की विद्यमान देयराशियों का निधिकरण, ब्याज रियायतें, नये सावधि ऋण और नई कार्यशील पूंजी सुविधाओं का अनुदान। जहां तक गैर-लघु उद्योग रूग्ण औद्योगिक कंपनियों का संबंध है, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, जो कि रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत स्थापित एक अर्द्धन्यायिक निकाय है, रूग्ण एककों के पुनर्वास के लिए निवारक, सुधारात्मक,उपचारात्मक और अन्य उपायों के निर्धारण और ऐसे उपायों को शीघ्रतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करता है। जहां औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा कम्पनी के पुनर्वास के लिए किसी योजना को मंजूरी दी जाती है, वहां बैंक/वित्तीय संस्थाएं मंजूर योजना के अनुक्रम में राहत/रियायत सहित सुविधाएं प्रदान करती हैं।

न्यायालयों में लंबित मामले

2016. **श्री मृत्युन्यज नायक :**
श्री एन.एस.वी. चित्यन :
श्री के.डी. सुल्तानपुरी :
श्री संदीपान थोरात :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1996 तक कितनी रिट याचिकाएं, आपराधिक अपीलें और ।। अपीलें/पुनरीक्षण सिविल अपीलें/।। अपीलें/पुनरीक्षण के मामले विभिन्न उच्च्व नयायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं;

(ख) 30 जून, 1996 तक इस प्रकार की कितनी रिट याचिकाएं, अपीलें/II अपीलें तथा पुनरीक्षण के मामले प्रत्येक न्यायालय में तथा उच्चतम न्यायालय में 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं; और

(ग) 30 जून, 1996 तक कितनी रिट याचिकाएं, अपीलें/II अपीलें तथा पुनरीक्षण के मामले 15 वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्यमंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दसवां वित्त आयोग

2017. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दसवें वित्त आयोग ने भारत सरकार की कुल प्राप्ति को राज्य सरकारों में बांटने के लिए एक नया फार्मूला बनाया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने राज्यों के अंश में वृद्धि करने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). 1995-96 से 1999-2000 तक केन्द्र और राज्यों के बीच कर राजस्व हिस्सेदारी (अंश) सरकार द्वारा यथास्वीकृत दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार होगी। दसवें वित्त आयोग ने आय कर की निवल प्राप्तियों के 77.5 प्रतिशत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की निवल प्राप्तियों के 47.5 प्रतिशत और उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त 97.797 प्रतिशत के अलावा रेल यात्री किराए के एवज में 380 करोड़ रुपए की वार्षिक राशि को अनुदान के रुप में राज्यों को वितरित करने की सिफारिश की है।

दसवें वित्त आयोग ने अंतरण की एक वैकल्पिक स्कीम, जिसमें केन्द्रीय करों को एकत्रित करके इसके एक भाग को राज्यों को सौंपने की भी सिफारिश की है। अंतरण की वैकल्पिक स्कीम का राज्यों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो इसके लिए संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है।

(ग) और (घ). जी,हां, दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर निर्णय लेते समय राज्य सरकारों के सुझावों पर भी यथेष्ठ विचार किया जाएगा।

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की विदेशी शाखायें

2018. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से भारत में अपनी शाखायें खोलने के लिए प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार के पास इस समय ऐसे कितने प्रस्ताव लम्बित हैं; और

(ग) सरकार की प्रत्येक प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया है और सरकार और विदेशी बैंकों के बीच किन शर्तों पर सहमति हुई है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भारत में शाखाएं खोलने के लिए विदेशी बैंकों से चार प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए गठित अंतर-विभागीय समिति ने इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

देश की न्याय प्रणाली

2019. श्री संदीपान थोरात : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विधि शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने तथा विभिन्न स्तरों पर न्यायाधीशों की आवश्यकता को सुचारू बनाने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विधि आयोग की वे महत्वपूर्ण सिफारिशें क्या हैं जिस पर सरकार द्वारा प्रभावी ढंग से विचार किया जा रहा है; और

(घ) देश की न्याय प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए वे अन्य उपाय कौन-कौन से हैं जिन पर सरकार प्राथमिकता के आधार पर विचार कर रही है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्यमंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

वस्त्र उद्योग

2020. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा .
श्री नीतीश कुमार :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वस्त्र उद्योग के प्रत्येक खंड जैसे क्रमशः कपड़ा मिल, विद्युत करघे, थकरघे के विकास और विस्तार संबंधी योजनाएं तैयार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो खंड-वार कौन कौन सी योजनाएं अब तक शुरू की गई हैं; और

(ग) 1995-96 के दौरान प्रत्येक खंड पर कितना व्यय किया गया और चालू वर्ष में प्रत्येक खंड का योजना-परिव्यय ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) से (ग). भारतीय वस्त्र उद्योग में विभिन्न संघटक शामिल हैं नामतः मिल क्षेत्र, विद्युत करघा, हथकरघा, रेशम उत्पादन तथा हस्तशिल्प आदि। इन संघटकों के लिए सरकार द्वारा कार्यक्रम/योजनाएं बनाने की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए वर्ष 1985 की वस्त्र नीति में निर्धारित व्यापक लक्ष्यों तथा उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। वर्ष 1995-96 के दौरान "योजना" के अंतर्गत व्यय (गैर-लेखा परीक्षित) के ब्यौरे तथा वर्ष 1996-97 के लिए उनका संभावित आवंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

योजना (करोड़ रु. में)

क्र.सं.	क्षेत्र	1995-96 के दौरान व्यय (अनंतिम)	1996-97 के लिए संभावित आवंटन
1.	हथकरघा	85.96	118.50
2.	विद्युतकरघा	2.75	3.50
3.	रेशम उत्पादन	67.79	75.85
4.	हस्तशिल्प	50.72	45.95
5.	ऊन	3.50	4.50
6.	वस्त्र अनुसंधान संघ	7.27	4.50
7.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान/नए निफ्ट	4.40	4.00
8.	पटसन	10.96*	19.75**
9.	निर्यात संवर्धन	0.74	2.00
10.	अनुसंधान व विकास	-	25.00
	योग	234.09	303.55

* इसमें विशेष पटसन विकास निधि से प्राप्त 8.86 करोड़ रु. शामिल हैं।

** इसमें विशेष पटसन विकास निधि से 18 करोड़ रु. शामिल हैं।

दंगा पीड़ितों के ऋणों की माफी

2021. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1984 के दंगा-पीड़ितों के सभी ऋणों को माफ करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन मिले हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) 1984 के दंगा-पीड़ितों को दी गई/दी जाने वाली अन्य वित्तीय सहायताओं का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ). गृह मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार,नवम्बर, 1984 में हुए दंगों के सभी पीड़ितों को दिए गए ऋणों और ब्याज को माफ करने के बारे में एक ज्ञापन हाल ही में प्राप्त हुआ है। मामला विचाराधीन है और इस संबंध में अभी अन्तिम निर्णय लिया जाना है।

(ङ) उपायुक्त, दिल्ली के कार्यालय ने सूचित किया है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के 5 जुलाई, 1996 के आदेश के अनुसार, यह निदेश दिया गया है कि उन दंगा पीड़ित व्यक्तियों की विधवाएं और परिवार, जो 1984 के दिल्ली के दंगों में मारे गए थे, को मृत्यु के मुआवजे के रूप में, प्रत्येक मृतक व्यक्ति के लिए 3.50 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया जाए। पीड़ित व्यक्तियों को प्रत्येक मामले में, 20,000/- रुपए की राशि का भुगतान पहले ही कर दिया गया है।

जहां तक नवम्बर, 1994 के दंगा प्रभावित उधारकर्ताओं को बैंक ऋण देने का संबंध है, सरकार द्वारा पहले ही दी गई छूटों/रियायतों में अन्य बातों के साथ-साथ ये सम्मिलित हैं :-

(एक) 1984 के दंगा पीड़ित उधारकर्ताओं को, पात्र मामलों में, 1 नवम्बर, 1984 से या ऋण का अनुदान देने की तारीख से, यदि तत्पश्चात 31 दिसम्बर, 1989 तक दिया गया हो तो, ब्याज दर में कमी करके 6प्रतिशत वार्षिक करना।

(दो) बकाया ब्याज के साथ उन ऋणों को बट्टे-खाते डालना, जिन मामलों में ऋण की मंजूरी के समय मूल ऋण 25,000/- रुपए तक था।

(तीन) उन पात्र मामलों में जहां 1 नवम्बर, 1984 अथवा ऋण की मंजूरी की तारीख से यदि ऋण बाद में 31 मार्च, 1992 तक मंजूर किया गया है, ब्याज को एक प्रतिशत वार्षिक(साधारण) कम करना।

[अनुवाद]

बहुराष्ट्रीय और गैर-बहुराष्ट्रीय एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार घराने

2022. श्री पी.आर. दासमुंशी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मार्च, 1991 को कितने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार घराने थे;

(ख) देश में 31 मार्च, 1996 को कितने बहुराष्ट्रीय एकक कार्यरत थे; और

(ग) 31 मार्च, 1995 को लाभ दिखाने वाली गैर-बहुराष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय एककों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) 31 मार्च, 1991 तक की स्थिति के अनुसा, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार घरानों की संख्या 95 थी और प्रत्येक घराने की परिसम्पत्ति 100 करोड़ रुपए से कम नहीं थी।

(ख) और (ग). सामान्य तौर पर बहुराष्ट्रीय/गैर-बहुराष्ट्रीय कम्पनी की स्वीकार्य परिभाषा नहीं है। इसलिए सरकार बहुराष्ट्रीय या गैर-बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के तथाकथित वर्गीकरण के आधार पर देश में कार्यरत कम्पनियों से सम्बन्धित कोई आंकड़ा नहीं रखती है।

ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट तथा विदेशी वाणिज्यिक ऋणों पर निगरानी रखना

2023. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट और विदेशी वाणिज्यिक ऋणों की सुलभता का पता लगाने के लिए कोई नए प्रस्ताव बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न भारतीय कम्पनियों द्वारा ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट और विदेशी वाणिज्यिक ऋणों पर निगरानी रखने के लिए किसी प्रकोष्ठ/एजेंसी का गठन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इन पर निगरानी रखने वाली प्रणाली का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). जी हां। आधार-ढांचे और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों में विदेशी पूंजी जुटाने और वृद्धि करने की दृष्टि से सरकार ने भारतीय कंपनियों द्वारा सार्वभौम निक्षेप प्राप्तियों (जी डी आर) और विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बाण्डों(एफ सी सी बी) के निर्गम हेतु 19 जून, 1996 को प्रेस नोट के जरिए संशोधित दिशानिर्देशों की घोषणा की ।

जी डी आर/एफ सी सी बी इश्युओं के लिए दिशानिर्देशों में अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित की व्यवस्था की गई है :

(एक) आधार-ढांचे संबंधी सुविधाओं वाली परियोजनाओं में निवेशों को वित्त पोषित करने के लिए यूरो-इश्यू जारी करने वाली भारतीय कंपनियों के लिए ट्रैक-रिकार्ड संबंधी अपेक्षा में छूट;

(दो) किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी कंपनी अथवा कंपनियों के समूह द्वारा जारी किए जा सकने वाले यूरो-इश्युओं की संख्या पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाना;

(तीन) इश्यू से हुई आय के प्रयोग को व्यापक बनाना;

(चार) बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत) को जी.डी.आर./एफ.सी.सी.बी. इश्यू जारी करने की अनुमति देना बशर्ते कि इश्यू से हुई आय को स्टाक बाजार और स्थावर संपदा के क्षेत्र में न लगाया जाए।

वर्ष 1996-97 हेतु विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं के संबंध में दिशानिर्देशों की भी 19 जून, 1996 को एक अलग प्रेस नोट के जरिए घोषणा की गई। विदेशी वाणिज्यिक ऋण संबंधी नीति में विवेकपूर्ण उधार प्रबंध के समनुरूप विदेशी वाणिज्यिक ऋणों की प्राप्ति पर वार्षिक सीमा लगाने का प्रयास किया गया है।

विदेशी वाणिज्यिक ऋण संबंधी दिशानिर्देशों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हैं :

(एक) परियोजना से संबंधित रुपया-व्यय पूरा करने के लिए निर्यातकों, 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एककों और ई.पी.सी.जी. लाइसेंस-धारकों को 15 मिलियन अमरीकी डालर के समकक्ष अथवा पिछले तीन वर्षों के दौरान वार्षिक निर्यातों की औसत राशि, जो भी कम हो, के बराबर विदेशी वाणिज्यिक ऋण जुटाने की अनुमति दी गई है।

(दो) विद्युत, दूरसंचार और रेलवे के क्षेत्र में आधार-ढांचा संबंधी परियोजनाओं के लिए परियोजना से संबंधित रुपया-व्यय हेतु विदेशी वाणिज्यिक ऋणों से हुई आय का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

(तीन) 1 मिलियन अमरीकी डालर की मौजूदा योजना की वह सीमा जिसके अंतर्गत विदेशी वाणिज्यिक ऋण का उपयोग रुपया-व्यय के लिए किया जा सकता है, बढ़ाकर 3 मिलियन अमरीकी डालर कर दी गई है।

(चार) दूरसंचार और तेल की खोज तथा विकास (इसमें शोधन शामिल नहीं है) से संबंधित आधार-ढांचे वाली परियोजनाओं से जुड़े कार्पोरेटों को पांच वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता-आधार पर विदेशी वाणिज्यिक ऋण जुटाने की अनुमति दी गई है।

(पांच) आधार-ढांचे और ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के संबंध में, विदेशी वाणिज्यिक ऋण परियोजना की कुल लागत जो किसी मान्यताप्राप्त वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा मूल्यनिर्धारित की गई हो, के 35 प्रतिशत की सीमा तक प्राप्त किए जा सकेंगे; तथापि विद्युत परियोजनाओं को अधिक छूट दी जाएगी।

(ग) और (घ). जी डी आर/एफ सी सी बी इश्युओं का जारी किया जाना, विदेशों में संबंधित व्यय, इश्यू से हुई आय का देश में प्रत्यावर्तन, आदि पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन तंत्र लागू होता है। जी डी आर/एफ सी सी बी जारी करने वाली कंपनियों को इश्यू से हुई आय,

जब तक कि वह अनुमोदित प्रयोजनों के लिए अंतिम रूप में खर्च न कर ली जाए, के प्रयोग से संबंधित ब्यौरे तिमाही आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार को प्रस्तुत करने होते हैं।

भारतीय कंपनियों द्वारा लिए गए विदेशी वाणिज्यिक ऋण भारतीय रिजर्व बैंक का केन्द्रीय कार्यालय अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ मिलकर मानीटर करता है।

बैंकों में ऋण/जमा राशि का अनुपात

2024. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1995-96 के वित्तीय वर्ष के दौरान वाणिज्यिक बैंकों में जमा तथा ऋण राशि की वृद्धि दर में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी कमी आई तथा इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (ग). भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि वर्ष 1995-96 (31 मार्च, 1995 से 29 मार्च, 1996 तक) के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में कुल जमाराशियों और बैंक ऋण दोनों के वृद्धि दर में गिरावट आई है। जबकि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशियों की वृद्धि 22.8 प्रतिशत (71,726 करोड़ रुपए) से घटकर 11.8 प्रतिशत (45,486 करोड़ रुपए) रह गई है, बैंक ऋण की वृद्धि 28.7 प्रतिशत (47,143 करोड़ रुपए) से घटकर 19.0 प्रतिशत (40,540 करोड़ रुपए) हो गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे यह सूचित किया है कि बैंककारी चर वस्तुओं (वेरियेबल्स) की वृद्धि दरें 1994-95 और 1995-96 के बीच पूर्णतः तुलनीय नहीं हैं। प्रथमतः आम तौर पर 26 पखवाड़ों की तुलना में वर्ष 1994-95 में 27 पखवाड़े थे। दूसरे, वर्ष 1994-95 का अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार संयोगवश 31 मार्च को था और इस तरह वर्ष 1994-95 के लिए बैंकिंग आंकड़े में वर्षांत वृद्धि परिलक्षित होती है। अतः वर्ष 1994-95 का अनुचित ढंग से बढ़े हुए आधार के परिणामस्वरूप वर्ष 1994-95 में अपेक्षाकृत कम वृद्धि दर परिलक्षित हुई अन्यथा यह मामला कुछ और ही होता।

ब्याज दर के अविनियम की प्रक्रिया को जारी रखते हुए बैंकिंग प्रणाली के संसाधनों का संवर्धन करने की दृष्टि से, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1995-96 के उत्तरार्द्ध से कई नीतिगत उपाय किए हैं। आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 11 नवम्बर, 1995 से 6 जुलाई, 1996 के बीच कई चरणों में कम करके घरेलू मांग और समय देयताओं (एनडीटीएल) के 15 प्रतिशत से 12 प्रतिशत कर दिया गया था। इन उपायों ने इस प्रणाली में चल निधि उपलब्ध कराई है जो जमाराशियों की वृद्धि को भी बढ़ावा देते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में घोषित अन्य नीतिगत उपायों में ये शामिल हैं : न्यूनतम परिपक्वता अवधि को 46 दिन से कम करके 30 दिन करना और एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता के लिए जमाराशियों की दरें निर्धारित करने के लिए बैंकों को स्वतंत्रता प्रदान करना। आशा है इससे जमाराशियों की वृद्धि पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

विश्व व्यापार संगठन समझौते का प्रभाव

2025. डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नेशनल वर्किंग ग्रुप के प्रख्यात विधि वेत्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन के संबंध में दिनांक 28 मार्च, 1996 के "द स्टेट्समैन" में "गवर्नमेंट हैंडलिंग ऑफ गैट निगोशिएशन क्रिटिसाइजड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अध्ययन गैट समझौते/विश्व व्यापार संगठन समझौते के जीविकोपार्जन अधिकारों, किसानों के अधिकारों, स्वास्थ्य तथा सस्ती औषधियां प्राप्त करने के अधिकारों पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष और अपरिहार्य प्रभावों के बारे में किया गया है तथा क्या इससे आर्थिक सम्प्रभुता समाप्त हो जाएगी और भारतीय संघीय व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की प्रत्येक पहलू तथा सिफारिशों पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न में उल्लिखित अध्ययन में गैट के अंतर्गत लेखकों ने बहुपक्षीय उरुग्वे व्यापार वार्ता दौर करार की संभावित सामाजिक-आर्थिक कठिनाइयों के बारे में राय व्यक्त की हैं। इन रायों में शामिल हैं :—

(1) अंतिम अधिनियम का घरेलू अर्थव्यवस्था के हरेक पहलु में व्यापक रूप से प्रवेश हुआ;

(2) भारत सरकार को शेष विकासशील देशों का कम समर्थन मिला;

(3) अंतिम अधिनियम पर हस्ताक्षर कार्य को वास्तविक संपन्न कार्य बनाने के लिए हर कीमत पर अनिवार्य रूप से अंतर्राष्ट्रीयकरण का आह्वान किया गया है। फिर भी अंतिम अधिनियम पर हस्ताक्षर करने के बाद भी, भारत प्रथक देश रह गया है और यही एक ऐसा प्रमुख औद्योगिक शक्ति है जो उरुग्वे वार्ता दौर के परिणामों के बाद भी किसी क्षेत्रीय गुट का हिस्सा नहीं बनेगा;

(4) घरेलू कृषि और भेषज उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना अपरिहार्य है; और

(5) संघीय संसद और राज्य विधान मण्डलों को उनकी विधायी प्रभु सत्ता से वंचित कर दिया गया है।

(ग) भारत गैट, 1947 का एक संविदाकारी पक्ष था और उरुग्वे वार्ता दौर के सभी पहलुओं पर विचार करने तथा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने के बाद एवं अंतिम अधिनियम बनने तक डंकल प्रस्तावों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक सार्वजनिक परिचर्चा के पश्चात् ही भारत ने डब्ल्यू टी ओ का संस्थापक सदस्य बनने के लिए इस करार के लागू होने की तारीख से पहले बहुपक्षीय व्यापार करारों समेत विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) के स्थापनाकारी करार का अनुसमर्थन किया। उरुग्वे वार्ता दौर करार को अंगीकार करने में प्रभु सत्ता का समर्पण शामिल नहीं है।

डब्ल्यू टी ओ की सदस्यता यह सुनिश्चित करेगी कि भारत विदेश व्यापार नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के अनुसार होगा जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थायित्व आएगा उसका पूर्वानुमान संभव हो सकेगा और उसमें भेदभाव समाप्त हो सकेगा। इस व्यवस्था के तहत भारत को आशा है कि वह सामानों एवं सेवाओं के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि कर सकेगा।

डब्ल्यू टी ओ की अल्प प्रचालन अवधि को देखते हुए यह जायजा लेना कठिन है कि इस व्यवस्था के नियम किस प्रकार से भारत के विशिष्ट व्यापार हितों की अच्छी तरह रक्षा कर पायेंगे और यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि व्यवहार में ये नियम कैसे प्रभावकारी ढंग से प्रवृत्त होंगे, इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था के लाभों और लागतों के संतुलन का भारत के लिए मूल्यांकन करते समय दिमाग में रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि डब्ल्यू टी ओ की स्थापना मात्र से ही वे सभी कारक समाप्त नहीं हो जायेंगे जिनकी वजह से भारतीय व्यापार संभाव्यताएं सीमित हुई हैं और भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियम वार्ता के परिणाम अन्य बातों के साथ-साथ बहुपक्षीय वार्ताओं में भारत की उत्तोलक शक्ति पर निर्भर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अथवा बहुपक्षीय व्यापार करारों को लागू करते समय भारतीय कृषि, उद्योग के प्रमुख क्षेत्रों और हमारे आनुवांशिक स्रोतों का संरक्षण जारी रहेगा।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा राज्यों को सहायता

2026. श्री शरत पटनायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा पिछल तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यवार कितनी सहायता प्रदान की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार इसके पूंजी आधार को बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान राज्य-वार संवितरित वित्तीय सहायता संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सहायता

करोड़ रुपए

	सभी योजनाओं के अन्तर्गत संवितरण		
	1993-94	1994-95	1995-96
	1	2	3
पूर्वी क्षेत्र			
बिहार	9.34	17.22	51.95
उड़ीसा	29.31	29.40	53.35
सिक्किम	0.39	0.44	1.86
पश्चिम बंगाल	85.47	100.42	157.84
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.08	0.08	0.00
जोड़	124.59	147.56	265.00
उत्तर पूर्वी क्षेत्र			
अरुणाचल प्रदेश	0.84	0.43	1.05
असम	11.20	3.55	17.85
मणिपुर	1.05	0.20	2.30
मेघालय	2.44	2.04	1.97
मिजोरम	0.16	0.10	0.43
नागालैण्ड	0.40	0.03	1.13
त्रिपुरा	0.64	1.08	3.40
जोड़	16 73	7.43	28.13
उत्तरी पूर्वी			
हरियाणा	126.03	128.54	280.85
हिमाचल प्रदेश	17.35	10.01	32.51
जम्मू व कश्मीर	2.71	3.10	9.85
पंजाब	92.56	107.32	218.70
राजस्थान	95.47	121.47	195.52
उत्तर प्रदेश	160.80	184.91	434.14
चण्डीगढ़	2.36	0.83	7.64
संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली	214.94	428.36	211.17
जोड़	712.22	984.54	1390.38

	1	2	3
पश्चिमी क्षेत्र			
गोवा	22.05	18.38	31.82
गुजरात	80.43	935.63	514.76
मध्य प्रदेश	88.24	103.23	153.03
महाराष्ट्र	435.23	559.37	750.71
दादर और नागर हवेली	0.48	0.54	1.77
दमन और दीव	1.08	3.64	2.53
जोड़	927.51	1122.14	1454.62
दक्षिण क्षेत्र			
आन्ध्र प्रदेश	111.78	149.18	258.41
कर्नाटक	281.40	286.00	488.29
केरल	100.24	129.34	187.52
तमिलनाडु	358.04	503.95	694.63
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
पाण्डिचेरी	4.31	1.58	3.31
जोड़	855.77	1070.05	1632.16
कुल जोड़	2636.82	3331.72	4770.29

निगमित कर

2027. श्री अनंत कुमार :

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

श्री राजीव प्रताप रुडी :

श्री के.सी. कोंड्य्या :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कम्पनियां उनको मिलने वाली अनेक प्रकार की कर रियायतों के परिणामस्वरूप निगमित कर का भुगतान किए बिना अपने शेयर धारकों को लाभांश का भुगतान कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी कम्पनियों से न्यूनतम निगमित कर वसूल करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना को लागू करने से कितनी राशि प्राप्त हो जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख). जी, हां। आयकर विभाग द्वारा किए गए एक नमूना अध्ययन से यह पता चला है कि कुछेक ऐसी कम्पनियां हैं, जो आयकर अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत उनके लिए उपलब्ध अनेक छूटों, कटौतियों और प्रोत्साहन के कारण निगम कर का भुगतान किए बिना अपने शेयर धारकों को लाभांशों का भुगतान करती आ रही हैं। तथापि, आयकर विभाग द्वारा शून्य कर वाली ऐसी कम्पनियों के ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ). लोकसभा में दिनांक 22 जुलाई, 1996 को पेश किए गए वित्त (सं.-2) विधेयक, 1996 में कम्पनियों पर "न्यूनतम एकान्तर-कर" (एम.ए.टी.) लगाने का एक प्रस्ताव निहित है। ऐसे किसी मामले में, जहां पर आयकर अधिनियम के अन्तर्गत यथा-संगणित उक्त कम्पनी की कुल आय सभी पात्र कटौतियों का लाभ उठाने के पश्चात् खाता लाभ के 30% से कम है, वहां ऐसी किसी कम्पनी की आय को खाता लाभ का 30% समझा जाएगा और उस पर तद्नुसार कर लगाया जाएगा। तथापि विद्युत और बुनियादी सुविधा सैक्टर में लगी कम्पनियों को एम.ए.टी. के उद्ग्रहण से छूट प्रदान की जाएगी।

(ङ) न्यूनतम एकान्तर कर का प्रस्ताव उन कम्पनियों पर कुछ कर लगाने की दृष्टि से किया गया है, जो काफी अधिक खाता लाभ अर्जित कर रही हैं और आकर्षक लाभांश अदा कर रही हैं किन्तु राजकोष में योगदान नहीं कर रही हैं।

सावधि जमा पर ब्याज दर

2028. श्री मोहन रावले : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए सावधि जमा पर कोई भी ब्याज दर निश्चित करने के लिए देश में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को छूट दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में कार्य कर रहे विदेशी बैंकों ने ऐसे जमा पर 2 जुलाई, 1996 से ब्याज दर बढ़ाकर जमाकर्ताओं को आकर्षित करना शुरू कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका भारतीय बैंकों द्वारा दी जाने वाली जमा पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि 2 जुलाई, 1996 से वाणिज्यिक बैंकों को एक वर्ष से अधिक के घरेलू मियादी जमा खातों के लिए उनकी अपनी ब्याज-दरें नियत करने की अनुमति दी गई है।

(ग) से (ङ). आर.बी.आई. ने आगे यह भी सूचित किया है कि जिस प्रकार विदेशी बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंकों को एक वर्ष से अधिक की जमाराशियों के लिए अपनी ओर से ब्याज-दरें निर्धारित

करने की अनुमति दी गई है, उसी प्रकार, व्यक्तिगत बैंकों को भी यह छूट है कि वे निधियों पर आने वाली लागत, उनसे होने वाली आय और बैंकों की परस्पर उधार लेने/उधार देने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी दरें निर्धारित करें।

आर.बी.आई. के अनुसार, कुछ विदेशी बैंकों ने मियादी जमाराशियों को जो ब्याज-दरें दी हैं वे उन ब्याज राशियों से आमतौर पर अधिक हैं, जो सरकारी क्षेत्र के भारतीय बैंकों द्वारा दी गई है। आर. बी.आई. ने बताया है कि विदेशी बैंकों के परिचालन का एक सीमित दायरा है, अधिकतर महानगरों में कुछेक शाखाएं हैं और उनका जमाराशियों पर अधिक ब्याज-दर देने से भारतीय बैंकों के समग्र जमा-संग्रहण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

दिल्ली में लोक अदालतें

2029. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में किन-किन स्थानों पर लोक अदालतों का आयोजन किया गया;

(ख) उपरोक्त अवधि में वर्षवार कितने मामलों को निपटाया गया;

(ग) क्या सरकार के पास लोक अदालतों के कार्य-क्षेत्र का विस्तार करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा इस है और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, पिछले तीन वर्षों, अर्थात् 1993, 1994 और 1995 के दौरान तथा जुलाई, 1996 तक दिल्ली में निम्नलिखित स्थानों पर 23 लोक अदालतें आयोजित की गई थीं :—

	स्थान का नाम	आयोजित की गई लोक अदालतों की संख्या
(एक)	पटियाला हाउस न्यायालय प्रक्षेत्र	13
(दो)	तीस हजारी न्यायालय प्रक्षेत्र	04
(तीन)	करकरडूमा न्यायालय प्रक्षेप	04
(चार)	कैम्पस ला सेंटर, दिल्ली विश्वविद्यालय	01
(पांच)	विद्या भवन महा विद्यालय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लोधी एस्टेट	01

(ख)

वर्ष	निपटाए गए मामलों की संख्या
1993	598
1994	949
1995	2898
1996 (जुलाई तक)	6871

(ग) से (ङ). लोक अदालत जो इससे पूर्व सुलहकारी और आग्रही पद्धतियों के माध्यम से विवादों के समाधान के लिए स्वैच्छिक प्रयास थे को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तारीख 19 नवंबर, 1995 से प्रवर्तन के साथ कानूनी आधार अनुदत्त किया गया है।

उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 5 के अनुसार लोक अदालतें निम्नलिखित की बाबत पक्षकारों के बीच किसी विवाद का अवधारण करने और समझौता या निपटान करने की अधिकारिता रखेंगी :—

किसी भी न्यायालय, जिसके लिए लोक अदालत आयोजित की गई है—

(एक) के समक्ष लंबित कोई मामला; या

(दो) कोई भी मामला जो इसकी अधिकारिता में आता है और जिसे इसके समक्ष नहीं लाया गया है।

तथापि, लोक अदालतों की किसी ऐसे अपराध, जो किसी विधि के अधीन शमनीय नहीं हैं, से संबंधित किसी मामले या विषय की बाबत अधिकारिता नहीं होगी।

कोयले की आपूर्ति

2030. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला उद्योग द्वारा इस शताब्दी के अंत तक कोयले की निर्धारित आपूर्ति को 270 मीट्रिक टन के वर्तमान स्तर से बढ़कर 400 मीट्रिक टन कर दिये जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोयला खानों के कार्यकरण को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग). 1997-2002 की अवधि हेतु 9वीं योजना के प्रक्षेपणों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। किन्तु, योजना आयोग द्वारा नौवीं योजना हेतु कोयला तथा लिग्नाइट पर प्रस्ताव दस्तावेज तैयार करने के लिए एक कार्यकारी दल का गठन कर लिया गया है। इस कार्यकारी दल का अनंतिम प्रतिवेदन यह इंगित करता है कि वर्ष 2001-02 में सभी स्रोतों से कोयले की आपूर्ति ग्रहीत खनन ब्लॉकों को छोड़कर, जो कि निजी क्षेत्र में उत्खनन कार्य किए जाने की संभावना है, 348 मि. टन होगी।

इनमें निम्नलिखित स्रोत शामिल हैं :—

(एक) नई खानों का खोला जाना व आधुनिकीकरण द्वारा विद्यमान खानों में कार्यकुशलता व उत्पादकता में वृद्धि, किया जाना, नई तकनीकों का लागू किया जाना और संगठनात्मक सुविधाओं तथा निवेश की समयबद्ध रूप में उपलब्धता का सुनिश्चय करना।

(दो) पूर्व में, कोयला कंपनियां नई खनन परियोजनाओं को आरम्भ करने में असमर्थ थी क्योंकि ये लाभकारी नहीं थी। सरकार ने हाल ही में कोककर कोयले तथा "ए", "बी" तथा "सी" ग्रेड के अकोककर कोयले की कीमतों को विनियमित कर दिया है। यह आशा है कि इससे कुछ परियोजनाएं लाभकारी हो जाएंगी और इन कोयलों के उत्पादन में कोयला कंपनियां वृद्धि कर सकेंगी।

(तीन) कोयले की कीमतों को आंशिक रूप में विनिर्यंत्रित किया जाना, जिससे कोयला कंपनियों के पास कुछ अतिरिक्त निधियां उपलब्ध होने की भी संभावना है। जिससे कि अधिक उत्साह के साथ नई परियोजनाओं को शुरू किया जा सकेगा।

(चार) कोल इंडिया लिमिटेड के पूंजीगत आधार का पुनर्गठन कर लिया गया है ताकि घरेलू तथा विदेशी वित्तीय संस्थाओं से अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाए जा सकें ताकि नई कोयला उत्पादन किए जाने की क्षमता जोड़ी जा सके।

(पांच) रेलवे के साथ समन्वय, ताकि संभावित कोयला क्षेत्रों में परिवहन संबंधी समस्याओं को दूर किया जा सके।

(छः) राज्य सरकारों के साथ समन्वय, ताकि भूमि अधिग्रहण से संबंधित समस्याओं को दूर किया जा सके।

(सात) निजी क्षेत्र की कंपनियां, जो कि लौह एवं इस्पात, सीमेंट तथा विद्युत के उत्पादन में कार्यरत हैं, उन्हें अब कोयले का उत्खनन किए जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इससे घरेलू कोयले के उत्पादन में वृद्धि किए जाने की संभावना है।

(आठ) विद्यमान वाशरियों में संशोधन तथा नई वाशरियों का निर्माण शुरू किया जा रहा है ताकि देश में धुले कोककर कोयले की उपलब्धता में वृद्धि की जा सके।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

2331. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहां-कहां है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश में इन बैंकों की शाखाएं स्थापित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो राज्य में इन बैंकों की शाखाएं कब तक स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है और ये किन-किन स्थानों पर स्थापित की जाएंगी?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है उत्तर प्रदेश में 40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, जिनके मुख्यालय मुरादाबाद, गोरखपुर, आज़मगढ़, बाराबंकी, रायबरेली, फर्रूखाबाद सीतापुर, बलिया, सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर, बहराइच, इटावा, बदायूं, मैनपुरी, वाराणसी, बस्ती, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, फैजाबाद, फतेहपुर, बरेली, गोंडा, व अलीगढ़, बांदा, एटा, जौनपुर, उरई, झांसी, बिजनौर, शाहजहांपुर, नैनीताल, मिर्जापुर, लखीमपुर खीरी, आगरा, मुजफ्फरनगर, पिथौरागढ़, देहरादून, पौड़ी और गाजियाबाद में है।

(ख) और (ग). नई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेन्स भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक से उपयुक्त लाइसेन्स प्राप्त करने के बाद ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नई शाखाएं खोल सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश के पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से नई शाखाएं खोलने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

[अनुवाद]

रुग्ण कपड़ा मिलें

2032. **श्री सनत मेहता :**
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष रूप से गुजरात और कर्नाटक में राष्ट्रीय वस्त्र निगम को रुग्ण कपड़ा मिलों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय वस्त्र निगम की कुछ कपड़ा मिलों को बंद करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम का विचार के.आर. मिल्स, मैसूर को अधिगृहीत करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) एनटीसी के 9 में से 8 सहायक निगमों के मामले बी आई एफ आर को भेजे गए हैं जिसने उन्हें रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के रूप में घोषित कर दिया है। इन 8 सहायक निगमों के नियंत्रण अधीन 91 मिलें हैं। इन मिलों की राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण-संलग्न है।

(ख) और (ग). एनटीसी के अधीन किसी भी मिल को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, वस्त्र अनुसंधान संघों द्वारा तैयार की

गई आधुनिकीकरण योजना के अनुसार 36 गैर-अर्धक्षम मिलों को 18 अर्धक्षम मिलों में मिला कर उनका पुनर्निर्माण करने का प्रस्ताव है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्य का नाम	मिलों की संख्या
दिल्ली	1
पंजाब	4
राजस्थान	4
मध्य प्रदेश	7
उत्तर प्रदेश	9
महाराष्ट्र	22
गुजरात	12
आंध्र प्रदेश	6
कर्नाटक	4
केरल	5
पांडिचेरी	1
असम	1
बिहार	2
उड़ीसा	1
पं. बंगाल	12
योग :	91

राष्ट्रीय नवीकरण कोष से सहायता

2033. श्री हरिन पाठक : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राष्ट्रीय नवीकरण कोष से वित्तीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं तो यह निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग). जी, हां। गुजरात सरकार से परिसमापन के अंतर्गत गुजरात स्टेट टैक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड के पुनर्गठन और बन्द पड़ी टैक्सटाईल मिलों हेतु क्षेत्रीय पुनरूज्जीवन योजना के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता संबंधी दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उपर्युक्त दो प्रस्तावों हेतु राष्ट्रीय नवीकरण निधि से मांगी गई सहायता राशि क्रमशः 96.83 करोड़ रुपये और 168.37 करोड़ रुपयें है। राष्ट्रीय नवीकरण निधि से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं और युक्तिकृत श्रमिकों को परामर्श देने, पुनः प्रशिक्षण देने और पुनः तैनाती संबंधी योजनाओं के लिए ही सहायता उपलब्ध है।

इलेक्ट्रानिक तथा कंप्यूटर साफ्टवेयर का निर्यात

2034. श्री मृत्युंजय नायक : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान इलेक्ट्रानिक तथा कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात में वृद्धि हुई;

(ख) यदि, तो हां तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इसमें कितनी वृद्धि हुई;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई; और

(ङ) इन वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (घ). जी हां, निर्यात, प्रतिशत वृद्धि और अर्जित विदेशी मुद्रा का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :—

(मूल्य करोड़ रु. में)

	1993-94	1994-95	1995-96
इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर	1078.00	1507.00	2400.00
(% वृद्धि)		(39.80)	(59.26)
कंप्यूटर साफ्टवेयर	1020.00	1474.00	2650.00
(% वृद्धि)		(44.51)	(79.72),
कुल	2098.00	2981.00	5050.00
अर्जित विदेशी मुद्रा (% वृद्धि)		(42.09)	(69.41),

स्रोत : (इलैक्ट्रानिक्स एण्ड कंप्यूटर साफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन कांउसिल)

(ङ) इन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए जिनमें शामिल हैं- अनन्य भारतीय प्रदर्शनी/अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी बाजार सर्वेक्षण इत्यादि प्रयोजित करना आदि। इसके अतिरिक्त, निर्यात बढ़ाने के सामान्य उपायों में शामिल हैं :—इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर तक्नालाजी पार्क योजना (ई.एच.टी.पी.) और साफ्टवेयर तक्नालॉजी पार्क योजना (एस.टी.पी.) की शुरूआत, कच्चे माल/पूंजीगत सामान का निःशुल्क आयात, विशेष आयात लाइसेंस, निर्यात से अर्जित लाभों पर आयकर से छूट, बाजार विकास निधि के अंतर्गत सहायता आदि।

संदूषित गेहूं का निर्यात

2035. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाज द्वारा भेजी भारतीय गेहूं की खेप के मामले में तुर्की और मोरक्को में उस समय समस्या पैदा हो गई जब वहां के अधिकारियों ने गेहूं की इस खेप को संदूषित घोषित किया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संदूषित गेहूं की खेप का क्या किया गया;

(ग) क्या 21 देशों ने "करनाल बंद वायरस फंगस" से प्रभावित गेहूं के आयात पर प्रतिबंध लगाने की अधिकारिक रूप से घोषणा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गेहूं की खेप को भेजने से पहले उसकी समुचित जांच करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). भारत से गेहूं की कुछ खेपों को तुर्की और मोरोक्को प्राधिकारियों ने रोक दिया क्योंकि उन्होंने इन खेपों को तिलेशिया इंडिका फफूंदी (कार्नल बंट) से संक्रमित पाया। एक खेप को छोड़कर सभी खेपों का तुर्की/मोरोक्को से पुनर्निर्यात किया गया है।

(ग) और (घ). जी, हां। नार्वे, बल्गारिया, हंगरी मैसिडोनिया, ट्यूनिसिया, तुर्की, रूसी परिसंघ (अजरबेजान, बेलारूस, जार्जिया, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, युक्रेन और उजबेकिस्तान गणराज्यों, समेत) अल्जीरिया, मोरक्को, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, चीन, विएतनाम, न्यूजीलैण्ड, एलस्लवाडोर, होण्डरस, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, उरुग्वे, पराग्वे ने तिलेशिया इंडिका (कार्नल बंट) फफूंदी से संक्रमित गेहूं के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इसके अतिरिक्त पता चला है कि कनाडा और मैक्सिको उन देशों से गेहूं के आयात को विनियमित कर दिया जहां कार्नल बंट रोग हो रहा है।

(ङ) संगरोध उद्देश्य के लिए निर्यात के समय वनस्पति स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु गेहूं के निरीक्षण का कार्य पौद्य संरक्षण एवं संगरोध निदेशालय, कृषि मंत्रालय द्वारा अथवा इस उद्देश्य के लिए पौध संरक्षण संगरोध एवं भण्डारण निदेशालय द्वारा प्राधिकृत राज्य सरकार के कृषि निदेशकों द्वारा किया जा रहा है।

फलों पर राजसहायता

2036. श्री पी.आर. दासमुंशी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष लीची, खुंभी उत्पादकों एवं निर्यातकों को (कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) (ए.पी.इ.डी.ए.) द्वारा राजसहायता की कुल कितनी राशि दी गयी;

(ख) क्या उन्हें दी गई राजसहायता का वस्तुतः उपयोग किया गया तथा उक्त अवधि के दौरान अच्छा-खासा निर्यात हुआ और उक्त वस्तुओं की खेती की गई;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र में वास्तविक कार्यकरण का कभी मौके पर जांच करती है;

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) राज सहायता राशि के सही उपयोग की जांच के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान चुनिंदा पुष्पोत्पाद और उद्यानोंउत्पाद और वनस्पतियों (लीची, आम और मशरूम सहित) के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदत्त कुल वित्तीय सहायता तथा वायु भाडा इमदाद की राशि नीचे दी गई है :—

(लाख रु. में)

1993-94	511.65
1994-95	615.14
1995-96	675.00

(ख) से (घ). एपीडा द्वारा वित्तीय सहायता प्रतिपूर्ति आधार पर दी जाती है। वित्तीय सहायता की राशि लाभ प्राप्तकर्ता को तभी जारी की जाती है जबकि उसके द्वारा अनुमोदित मदों पर अपेक्षित खर्चकर दिया गया हो। कतिपय मामलों में जैसे बुनियादी सुविधाओं का विकास अर्थात् पूर्वप्रशितन इकाइयां, ग्रेडिंग/पैकेजिंग ईकाइयां, रेफ्रीजरेटेड वाहन, गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली के मामलों में वित्तीय सहायता, एपीडा द्वारा इन सुविधाओं की जांच किए जाने के बाद दी जाती है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बचत दर

2037. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बचत दर में काफी कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं तथा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के पास उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार चालू बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद से सकल घरेलू बचतों के अनुपात के रूप में मापित बचत दर ने वर्ष 1993-94 (अनंतिम) में 21.4 प्रतिशत से वर्ष 1994-95 (त्वरित अनुमान) में 24.4 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर्शाई।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मांस और पशुओं का निर्यात

2038. डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 की तुलना में 1995-96 के दौरान देश-वार क्रमशः कुल कितनी मात्रा और संख्या में क्रमशः मांस और पशुओं का निर्यात किया गया और इनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या सरकार ने देश में बूचड़खानों और अनुषंगी फैक्ट्रियों का आधुनिकीकरण करने और कृषि और प्रसंस्कृत पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण के माध्यम से मांस और मांसोत्पादों के निर्यातकों को यह सुविधा प्रदान करने पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान निर्यात किए गए मांस और पशुधन की कुल मात्रा और अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है :—

मांस का निर्यात

(मात्रा : लाख एम.टी. में)
(मूल्य : करोड़ रु. में)

1994-95		1995-96	
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1.31	397.25	1.82	624.72

जीवित पशुओं का निर्यात

(मात्रा : लाख एम.टी. में)
(मूल्य : करोड़ रु. में)

1994-95		1995-96	
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
28.00	2.65	87.91	8.78

(पी) अनन्तिम

(स्रोत : डी.जी. सी.आई. एंड एस कलकत्ता)

देश-वार और मद-वार विस्तृत विवरण वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित भारत के विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी भाग-1 (निर्यात) में उपलब्ध है, जिसकी दिसम्बर, 1995 तक की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। जनवरी-फरवरी और मार्च, 1996 महीने के देश-वार और मद-वार निर्यात आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग). जी, हां। एपीडा निर्यात उत्पादन में हमें हुए सार्वजनिक क्षेत्र के बूचड़खानों/प्रसंस्करण संयंत्रों के उन्नयन/आधुनिकीकरण की कीमत का 50% तक वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिससे कि वे अंतर्राष्ट्रीय मानवकों को पूरा कर सकें। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता 1989-90 से प्रदान की जा रही है और 1995-96 तक प्रदत्त वित्तीय सहायता, स्थान निम्नानुसार हैं :—

वर्ष	दी गई सहायता	स्थान
	(लाख रु. में)	
1989-90	3.93	ईदगाह बूचड़खाना दिल्ली
1990-91	63.00	देवनगर वर्धशाला मुम्बई

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मेनेजमेंट का कार्य क्षेत्र

2039. श्री शरत पटनायक : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मेनेजमेंट के कार्य क्षेत्र का विस्तार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

व्यापार समझौता

2040. श्री जयप्रकाश अग्रवाल : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः माह के दौरान किन-किन देशों ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के प्रति अपनी दिलचस्पी दिखाई है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान भारत द्वारा इन देशों के साथ कोई समझौता भी किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में चयन किए गए क्षेत्रों का देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) भारत और इसके व्यापारिक साझेदारी, दोनों द्वारा द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के प्रयास करना एक सतत् प्रक्रिया है। पिछले छः महीने के दौरान उत्तरी अमरीका, लेटिन अमरीका और केरिबियन क्षेत्र बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी अरब, यू.ए.ई., ईरान, इजराइल, जार्डन, लेबनान, यमन गणराज्य, सीरिया, अल्जीरिया, मिश्र, लीबिया, मोरक्को, ईराक, सुडान, टयूनीशिया, इन्डोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैण्ड, फिलिपीन्स, ब्रूनेई, वियतनाम, म्यामार आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सी.आई.एस. देश पूर्व यूरोपीय क्षेत्र के सभी प्रमुख देश आदि समेत अनेक देशों ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने में रूचि दिखाई है।

(ख) से (घ). पिछले छः महीनों के दौरान, सरकार ने किसी व्यापार करार पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं तथापि, 27.1.1996 को ब्राजील के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान भारत ब्राजील वाणिज्यिक परिषद की स्थापना की स्थापित शर्तों से संबंधित एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। यह परिषद दोनों देशों के बीच व्यापार तथा वाणिज्यिक एवं निवेश संबंधों को और अधिक विकसित और सुदृढ़ करेगा।

[अनुवाद]

न्यायिक सुधार

2041. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के एक प्रमुख औद्योगिक संगठन ने देश में आवश्यक न्यायिक सुधार के संबंध में एक प्रतिवेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने संगठन की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग न्याय विभाग के राज्यमंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) से (घ). भारतीय वाणिज्य और औद्योगिक चैम्बर्स परिसंघ द्वारा गठित कृतिक बल द्वारा न्यायिक सुधारों के संबंध में तैयार की गई एक रिपोर्ट, फरवरी 1996 के दौरान कर्नाटक उच्च न्यायलय में श्री डी.सी. सिंघानियां और अन्य द्वारा अपने सुझावों/सिफारिशों के क्रियान्वयन पर बल देते हुए फाइल की गई एक रिट याचिका के माध्यम से सरकार की जानकारी में आई। अतः इस समय मामला न्यायाधीन है।

निर्यात संबंधी नीति में परिवर्तन के लिए उत्तर-दक्षिण वार्ता तथा गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों की अपील

2042. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-दक्षिण वार्ता तथा गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों की अपील के पश्चात् विकासशील देशों के निर्यात को शामिल करने के संबंध में विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है;

(ख) क्या विकसित देशों द्वारा अपनाये गये संरक्षणात्मक उपायों में किसी प्रकार की ढील दी गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वर्ष 1995 के दौरान विकसित देशों के साथ हमारे निर्यात में कमी आयी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा विकसित देशों के साथ निर्यात को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ग). उत्तर-दक्षिण वार्ता, गुट निरपेक्ष आन्दोलन और अन्य इसी प्रकार के मंचों के द्वारा विकासशील देश एक समर्थनकारी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक वातावरण जुटाने का प्रयास करते रहे हैं जिसमें विकासशील देशों की विकास संबंधी आवश्यकताओं को स्थान मिलता है और विश्व अर्थव्यवस्था में उनकी अधिक भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकासशील देशों की चिन्ताओं जैसे संरक्षात्मक बाधाओं को कम करना (टैरिफ और गैर-टैरिफ दोनों) और व्यापार को विकृत करने वाले तथा प्रतिबंधित करने वाले उपायों से बचने जैसे मुद्दों को भी इन मंचों पर उजागर किया जाता है, जिनमें पर्यावरण के आधार पर अथवा विकासशील देशों द्वारा श्रम मानकों का पालन नहीं किए जाने के आधार पर सम्भावित व्यापार प्रतिबंध के मुद्दे भी शामिल हैं।

विकसित देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नीतिगत परिवर्तनों तथा उत्तर-दक्षिण वार्ता/गुट निरपेक्ष आन्दोलन अपील इत्यादि के बीच सीधा संबंध स्थापित करना संभव नहीं है क्योंकि इस समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुख्यतः बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था से शासित होता है। तथापि उरुग्वे दौर के विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। उरुग्वे दौर के परिणामस्वरूप नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था का काफी सुदृढ़ीकरण हुआ है, व्यापार व्यवस्था में पारदर्शिता आई है और पूर्वानुमान लगाने की क्षमता में वृद्धि हुई है। टैरिफ को बांधने में और उसमें कमी करके व्यापार का स्थायीकरण और उदारीकरण किया जा रहा है और किया जाता रहेगा। इस प्रकार बाजार पहुंच प्राप्त होगी। विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के विरूद्ध बार-बार लगाए जा रहे संरक्षणवादी उपायों, प्रतिकारी और प्रतिपादन शुल्कों तथा इमदादों के उपयोग सहित अनेक क्षेत्रों में अनुशासन सख्त किया गया है। दो मुख्य क्षेत्र, अर्थात कृषि और वस्त्र एवं पोशाक, जो कि विकासशील देशों के विशेष निर्यात हित के हैं को बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था की परिधि में लाया गया है। इसके अलावा मजबूत विवाद निपटारा प्रक्रियाओं से बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था की विश्वसनीयता बढ़ेगी तथा विकासशील देशों को बराबर का अवसर मिलेगा। विकासशील देशों और सबसे कम विकसित देशों के लिए विशेष और विभेदी व्यवहार के प्रावधान अनेक समझौतों और व्यवस्थाओं में प्रदान किए गए हैं जो कि उरूग्वे दौर के अन्तिम अधिनियम का हिस्सा है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए किए गए उपायों में निर्यात-आयात नीति और प्रक्रियाओं का सरलीकरण, निर्यात उत्पादन में वृद्धि, कार्यक्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार, गुणवत्ता सुधार और प्रौद्योगिकी उन्नयन पर ध्यान केन्द्रित करना, अवस्थापना में सुधार

और निर्यात संवर्धन में राज्य सरकारों को शामिल करना शामिल है। सरकार वाणिज्य-मण्डलों, निर्यात संवर्धन परिषदों, वस्तु-बोर्डों को व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेजने, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करने व्यापार मेलों में भाग लेने इत्यादि के लिए भी प्रोत्साहित करती है। निर्यात संवर्धन एक सतत् क्रियाकलाप है और सरकार निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए जरूरी उपायों के बारे में निर्यातक समुदाय के लगातार सम्पर्क में है।

न्यायालयों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों के न्यायाधीश

2043. श्री मृत्युन्जय नायक : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1996 तक प्रत्येक उच्च न्यायालय में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग के न्यायाधीशों की क्रमशः कितनी संख्या है; और

(ख) 30 जून, 1996 तक उच्चतम न्यायालय में उपरोक्त श्रेणियों के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग न्याय विभाग के राज्यमंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) और (ख). उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में, व्यक्तियों की जाति या वर्ग के आधार पर कोई आरक्षण न होने के कारण जाति या वर्ग आदि के संबंध में अलग से जानकारी नहीं रखी जाती।

अनिवासी भारतीयों को हल्दी का पेटेंट दिया जाना

2044. श्री ए.सी. जोस : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार ने हल्दी के घाव भरने के गुणधर्मों के संबंध में दो अनिवासी भारतीयों को पेटेंट प्रदान किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इससे भारतीय उत्पादकों को होने वाली क्षति का जायजा लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा भारतीय हित्तों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) ऐसी सूचना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में घाव से पीड़ित किसी रोगी का हल्दी पाउडर से उपचार कर घाव जल्दी भरने की पद्धति का पेटेंट दो अनिवासी भारतीयों को दिया गया है।

(ख) से (घ). संयुक्त राज्य अमेरिका में दिया गया पेटेंट उसी देश में वैध है और भारत में उसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। फिर भी, सी.एस.आई.आर. और भारत सरकार इस विषय में कार्यवाही कर रही है।

टोमको का हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के साथ विलय

2045. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टोमको का हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड में विलय से देश में निगमित क्षेत्र में विलय और अधिग्रहण की एक परंपरा बनी है;

(ख) क्या भारत में यूनीलीवर समूह द्वारा अनेक कम्पनियों का अधिग्रहण करने से इसकी स्थिति में पूरी तरह से बदलाव आया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने जहां इकोनोमिक्स ऑफ स्केल समाप्त होता है और एकाधिकार शुरू होता है एक अन्तर निर्धारित करने के लिए कोई स्पष्ट नीति तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) टोमको का हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड (एचएलएल) के साथ विलयन से देश में एक नई प्रवृत्ति नहीं बनी है।

(ख) और (ग). समूह के अन्दर ही कम्पनियों के विलयन के माध्यम के साथ-साथ समूह से बाहर की कम्पनियों के विलयन/अधिग्रहण द्वारा इस समूह से संबंधित कम्पनियों की पुनः संरचना हुई है। उनकी व्यापारिक गतिविधियों का विकास, विविधिकरण तथा समेकन हुआ है जिसके परिणामस्वरूप व्यापारावर्त में पर्याप्त बढ़ोत्तरी हुई है।

(घ) और (ङ). एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 2(ञ) के अन्तर्गत यथा परिभाषित "एकाधिकारिक उपक्रम" की अवधारणा को अधिनियम से 1.8.84 से एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार (संशोधन) अधिनियम, 1984 द्वारा हटा दिया गया था। इस दृष्टि से कारण-कार्य-न्याय के अनुसार एकाधिकार तथा इकोनोमिज ऑफ स्केल के बीच कोई अंतर निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, एम आर टी पी आयोग को एम आर टी पी अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत एकाधिकारी, प्रतिबन्धात्मक तथा अनुचित व्यापार प्रथाओं से सम्बन्धित आरोपों की जांच करने की शक्तियां प्राप्त हैं।

मैसर्स परसरामपुरिया सिन्थेटिक्स लि. द्वारा निवेशकर्ताओं को प्रोत्साहन

2046. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 जुलाई, 1996 के "द फाइनेंशियल एक्सप्रेस" नई दिल्ली में "परसरामपुरिया आर्स गिफ्टफस टूवू इनवेस्टर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कम्पनी कार्य विभाग ने कम्पनी के दलालों द्वारा निवेशकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए भारी प्रोत्साहनों की पेशकश के प्रभावों की मौजूदा कम्पनी अधिनियम, 1956 और इसके अन्दर दिए गए नियमों के संदर्भ में जांच पड़ताल की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या यह मौजूदा कानून के अनुरूप है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस प्रकार की गलत कार्यवाहियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ). शेयर दलालों तथा उन-दलालों के आचरण को भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी किये गये शेयर दलाल तथा उप-दलाल विनियमन, 1992 के अन्तर्गत विनियमित किया जाता है। कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के संन्दर्भ में विवधा की किसी जांच को सरल बनाने के लिए कम्पनी कार्य विभाग ने सेबी से इस मामले की जांच करने तथा यह सामग्री भेजने के लिए अनुरोध किया है कि क्या भारी प्रोत्साहनों की पेशकश कम्पनी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता से की गई थी।

जीवन बीमा निगम में वेतन निर्धारण तथा वरिष्ठता तय किया जाना

2047. श्री राम नाईक : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को गृह मंत्रालय के आदेशों के अनुसार वेतन तथा वरिष्ठता निर्धारण के लाभ नहीं देने पर जीवन बीमा निगम और वित्त मंत्रालय के बीमा प्रभाग के अधिकारियों के विरूद्ध कोई दंडात्मक कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में जीवन बीमा निगम को कोई आदेश जारी किए गए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो आदेश कब तक जारी कर दिए जाऐंगे; और

(ङ) क्या जीवन बीमा निगम को इसके लिए ब्याज अदा करने के लिए कहा जाएगा?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (ग). गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना केन्द्रीय सरकार के सशस्त्र बलों के सेवा मुक्त आपातिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों और अल्प कालिक सेवा के लिए कमीशन प्राप्त अधिकारियों पर उन्हें केन्द्रीय सिविल सेवाओं में पुनः रोजगार देने के लिए लागू है। ये आदेश जीवन बीमा निगम में पदों के संबंध में स्वतः ही लागू नहीं होते हैं। सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात ये आदेश जारी किए गए थे कि भूतपूर्व आपातकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक सेवा के लिए कमीशन प्राप्त अधिकारियों द्वारा आहरित केवल अंतिम वेतन को ही संरक्षण प्राप्त होगा न कि उनकी वरिष्ठता को।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

2048. श्री हरिन पाठक : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन जिलों में खादी ग्रामोद्योग आयोग रोजगार उपलब्धि कार्यक्रम लागू किया जा रहा है; और

(ख) उक्त कार्यक्रम के लिए जिलों को अपनाने के क्या मानदंड हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) इस समय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विशेष रोजगार कार्यक्रम निम्नलिखित जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है :—

जिले का नाम	राज्य
1	2
करनूल	आन्ध्र प्रदेश
आदिलाबाद	आन्ध्र प्रदेश
पूर्वी गोदावरी	आन्ध्र प्रदेश
बनासकांठा	गुजरात
अम्बाला	हरियाणा
चम्बा	हिमाचल प्रदेश
अनन्तनाग	जम्मू और कश्मीर
जम्मू	जम्मू और कश्मीर
कोलर	कर्नाटक
अलेप्पी	केरल
पठाननथिट्टा	केरल
त्रिसर	केरल
कोशीकोड	केरल
सरगुंजा	मध्य प्रदेश
झबुआ	मध्य प्रदेश
चन्द्रपुर	महाराष्ट्र
कालाहांडी	उड़ीसा
डोसा	राजस्थान
टोंक	राजस्थान

1	2
जयपुर	राजस्थान
रामनाथपुरम	तमिलनाडु
तिरुनेलवेल्ली	तमिलनाडु
माऊ बलिया	उत्तर प्रदेश
जौनपुर	उत्तर प्रदेश
बीरभूम	पश्चिम बंगाल

(ख) जिलों का चुनाव अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के एकीकरण तथा खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र में जीव्यक्षम परियोजनाओं के लिए संभाव्यता, जिलों का औद्योगिक पिछड़ापन इत्यादि जैसे मानदण्डों के आधार पर किया गया है।

हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड

2049. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, वैल्लूर, कोट्टायम, केरल का विस्तार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) अखबारी कागज हेतु बाजार की प्रतिकूल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, केरल ने फिलहाल अपनी विस्तार योजना स्थगित कर दी है।

[हिन्दी]

विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार

2050. श्री महेश कुमार एन. कनोडिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में विदेशी मुद्रा के अवैध व्यापार संबंधी मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता चला है और कितने मूल्य की विदेशी मुद्रा जब्त की गई है; और

(ग) सरकार ने विदेशी मुद्रा के अवैध व्यापार को रोकने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख). प्रवर्तन निदेशालय के दिल्ली कार्यालय ने विदेशी मुद्रा के अवैध व्यापार के आठ मामलों का पिछले छह महीनों में पता लगाया है। जिसके परिणामस्वरूप 78 लाख रु. (लगभग) की विदेशी मुद्रा पकड़ी गई।

(ग) कड़ी निगरानी रखी जाती है और जब कभी ऐसे किसी मामले का पता चलता है तो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम '73' के अंतर्गत दिए गए उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

विदेशी निवेश

2051. डा. कृपासिंधु भोई : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की उन परियोजनाओं एवं क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें विदेशी निवेश के इच्छुक हैं; और

(ख) प्राप्त प्रस्तावों पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) नयी नीति के बाद अर्थात् 1.8.91 से 31.5.96 तक की अवधि में विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के 4679 प्रस्ताव अनुमोदित किये गये जिनमें 71058.23 करोड़ रुपये का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्ग्रस्त है।

ऐसे प्रस्तावों के ब्यौरे अर्थात् भारतीय कंपनी का नाम, विदेशी सहयोगी का नाम तथा देश, अंतर्ग्रस्त ईक्विटी निवेश, विनिर्माण कार्यकलाप की मदें भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा मासिक न्यूजलैटर के पूरक के रूप में प्रकाशित किये जाते हैं और इन की प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

(ख) प्रवृत्त औद्योगिक नीति के अनुसार प्रस्तावों पर विचार किया गया तथा अनुमोदन प्रदान किये गये थे।

उद्योगों का बंद किया जाना

2052. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक नीति की घोषणा किए जाने के बाद बंद किये गए अथवा रुग्ण घोषित किए गए उद्योगों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन उद्योगों का ब्यौरा क्या है जिनका औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद बहुराष्ट्रीय कम्पनियों अथवा बड़े औद्योगिक घरानों ने अधिग्रहण कर लिया है; और

(ग) इन उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) उद्योगों के बन्द होने से संबंधित प्रावधान औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में अन्तर्विष्ट हैं। श्रम ब्यूरो से प्राप्त सूचना के अनुसर वर्ष 1992, 1993, 1994, 1995 तथा 1996 (जनवरी से मई) के दौरान बन्द किए गए एककों की संख्या क्रमशः 187, 493, 228, 183 तथा 29 है। रुग्ण औद्योगिक एककों के संबंध में संगत आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित किए जाते

हैं। मार्च, 1995 के अन्त में उपलब्ध भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, लघु तथा गैर-लघु क्षेत्रों में रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या निम्न प्रकार है :—

के अन्त में	रुग्ण लघु औद्योगिक एककों की संख्या	रुग्ण गैर-लघु औद्योगिक एककों की संख्या
मार्च,1992	245575	1536
मार्च, 1993	238176	1867
मार्च, 1994	256452	1909
मार्च, 1995	268815	1915

(ख) इस प्रकार की सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

(ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम एकक के न्यूनीकरण बन्द होने की अवस्था में श्रमिकों को क्षतिपूर्ति अदायगी के लिए व्यवस्था प्रदान करता है जब भी किसी एकक/ कम्पनी के विलय के लिए प्रस्ताव प्राप्त होता है तो इस बात पर जोर दिया जाता है कि इस प्रकार के विलय/समामेलन के फलस्वरूप श्रमिकों के रोजगार की परिस्थितियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

लघु उद्योग बोर्ड

2053. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग बोर्ड ने छोटे रुग्ण उद्योगों की समस्याओं से निपटने के लिए एक न्यायाधिकरण स्थापित करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक एकक किस हद तक रुग्णता की स्थिति में थे; और

(घ) इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख). जी, हां। लघु उद्योग बोर्ड ने 16 दिसम्बर, 1994 को हुई अपनी बैठक में सिफारिश की है कि न्यायाधिकरण के रूप में एक संस्थागत व्यवस्था की जानी चाहिए जो सम्भावी जीव्यक्षम अपितु रुग्ण लघु उद्योग एककों के पुर्नस्थापना के लिए एक प्रणाली के रूप में कार्य करेगा ताकि रुग्णता का प्रारम्भिक अवस्था में पता लगाया जा सके और निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पुनःस्थापना संबंधी पैकजों को क्रियान्वित किया जा सके।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से एकत्र किये गये आंकड़ों के अनुसार, मार्च, 1993, 1994 और 1995 के अन्त तक की स्थितिनुसार रुग्ण लघु उद्योग एककों की कुल संख्या क्रमशः 2,38,176, 2,56,452 और 2,68,815 थी और इनकी तरफ क्रमशः 3442.97, 3680.37 और 3547.16 करोड़ रुपये की राशियां बकाया थीं। इनमें से क्रमशः 798.79, 685.93 और 597.93 करोड़ रुपये की बकाया राशियों वाले क्रमशः 21649, 16580 और 15539 एककों को सम्भावी जीव्यक्षम एकक माना गया था।

(घ) लघु उद्योग क्षेत्र में औद्योगिक रुग्णता की समस्या से निपटने के लिए और रुग्ण एककों के पुनःस्थापना हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 1987 में (जून, 1989 और अप्रैल, 1993 में संशोधित) वाणिज्यिक बैंकों को दिशानिर्देश जारी किये हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ रुग्ण लघु उद्योग एककों, जीव्यक्षमता संबंधी नियमों, प्रारम्भिक रुग्णता की परिभाषा निहित है और सम्भावी जीव्यक्षम रुग्ण (लघु उद्योग) एकक्कों संबंधी पैकेजों के क्रियान्वयन के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों से प्राप्त होने वाली सहायता/रियायतें भी निहित हैं।

केरल में औद्योगिक इकाई का स्थापित किया जाना

2054. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए विदेश से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों का क्या ब्यौरा है तथा इसमें कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस पर कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ). केरल राज्य में 109.17 करोड़ रुपये के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की परिकल्पना करते हुये नीति के बाद की अवधि अर्थात् 1.8.91 से 31.5.96 के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश निहित वाले 43 विदेशी प्रस्ताव प्राप्त हुए तथा अनुमोदित किये गये।

ऐसे प्रस्ताव नामतः भारतीय कम्पनी का नाम, विदेशी सहयोगकर्ता का नाम तथा देश, अंतर्ग्रस्त इक्विटी निवेश, विनिर्माण/कार्यकलाप की मद को भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा मासिक न्यूजलैटर के पूरक के रूप में प्रकाशित किया जाता है तथा इसकी प्रतियां नियमित रूप से संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

राज्यों में नशाबंदी

2055. श्री एन. रामकृष्ण रेड्डी :
श्री एल. रमन्ना :
श्रीमती भावना बेन देवराजभाई चिखलिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में नशाबन्दी लागू की है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने नशाबंदी के कारण हुए नुकसान की भरपाई हेतु इन राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त राज्यों में से कुछ राज्यों ने इस नुकसान की भरपाई हेतु विभिन्न क्षेत्रों में भारी कर भी लगा दिए हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसका आम व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(च) क्या केन्द्र सरकार ने इस राज्य सरकारों को भारी कर लगाने संबंधी अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का निदेश दिया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) नशाबन्दी राज्य का मामला होने के कारण, इस सम्बन्ध में सूचना राज्यों से एकत्र की जानी है जिसे एकत्र होने पर बाद में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

(ख) और (ग). इस समय नशाबन्दी के कारण राज्यों को हुए नुकसान की भरपाई हेतु उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की केन्द्र सरकार की कोई स्कीम नहीं है।

(घ) से (छ). राज्यों द्वारा लगाए गए कर संसाधनों को बढ़ाने और सामान्य आर्थिक वातावरण को देखकर उनकी आवश्यकता पर निर्भर करते हैं। यह कहना मुश्किल है कि नशाबन्दी के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए ही कोई कर लगाया गया है अथवा उनमें वृद्धि की गयी है। कोई कर भारी है अथवा नहीं केन्द्र सरकार के लिए यह निर्णय करना असंभव है। चूंकि सभी राज्य स्वायत्तशासी हैं इस लिए कर लगाने में राज्यों की विधायी सक्षमता में केन्द्र सरकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा।

बासमती चावल का निर्यात

2056. श्री अचित कुमार मेहता : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बासमती चावल के निर्यात में कोई कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो बासमती चावल के निर्यात में आयी कमी के कारण 1995 तथा 1996 के दौरान अर्जित विदेशी मुद्रा में कितने प्रतिशत गिरावट आई;

(ग) इसके निर्यात में तेजी से गिरावट के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) बासमती चावल के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए बासमती चावल की मात्रा और मूल्य एवं पिछले वर्षों की संगत अवधि की तुलना में मात्रा और मूल्य दोनों के रूप में निर्यात में प्रतिशत परिवर्तन निम्नानुसार है :—

वर्ष	मात्रा (एम.टी.)	मूल्य (करोड़ रु. में)	पिछले वर्ष की संगत अवधि की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	
			(मात्रा के रूप में)	(मूल्य के रूप में)
1993-94	527233	1061.27	—	—
1994-95	442125	865.32	(—) 16.14	(—) 18.46
1995-96	392258	851.16	(—) 11.27	(—) 1.63
1996-97 (अप्रैल, 96)	57260	119.65	49.41	25.80
अप्रैल, 95	38322	88.77		

(ग) आयातक देशों में घटी हुई मांग और उच्च घरेलू कीमतों के कारण बासमती चावल के निर्यात में गिरावट आई।

(घ) चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किए गए कुछ उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ, प्रचार अभियानों का आयोजन, विदेश में प्रतिनिधिमंडल भेजना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी, सम्भावित क्रेताओं को आमन्त्रित करना, और निर्यातकों को गुणवत्ता व पैकेजिंग में सुधार करने, उत्पादकों के ब्राण्ड संवर्धन, और बाजार सर्वेक्षण के लिए वित्तीय सहायता देना शामिल है।

बीमा क्षेत्र के लिए नियामक प्राधिकरण

2057. श्री सौम्य रंजन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमा नियामक प्राधिकरण ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कार्य क्षेत्र और कार्यावधि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान में इसमें प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अध्यक्ष, सदस्य और अधिकारियों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख). जी, हां। सरकार ने 23.1.1996 से एक अंतरिम बीमा विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की है। बीमा विनियामक प्राधिकरण की स्थापना किए जाने के सरकारी प्रस्ताव की प्रति और इसके कार्यप्रचालन के व्याप्ति-क्षेत्र के विषय में ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) वर्तमान में अंतरिम बीमा विनियामक प्राधिकरण का कोई अध्यक्ष नहीं है। अंतरिम बीमा विनियामक प्राधिकरण में जिन दो सदस्यों की नियुक्ति की गई है वे श्री के.सी. मित्तल, जो बीमा विनियामक प्राधिकरण में नियुक्ति से पहले ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे और श्री एन.एम. गोवर्धन, जो जीवन बीमा निगम म्यूचुअल फंड में मुख्य कार्यपालक के रूप में कर रहे थे, हैं। चूंकि अंतरिम बीमा विनियामक प्राधिकरण के लिए भरती नियम आदि को अंतिम रूप देने का कार्य प्रगति पर है इसलिए यह जीवन बीमा निगम और साधारण निगम से उधार के आधार पर लिए गए कुछ अधिकारियों की सहायता से अपना कार्य चला रहा है।

विवरण

भारत के राजपत्र असाधारण भाग-1 के खण्ड-1 में दिनांक 1996 को प्रकाशित

फा.सं. 17(2)/94-बीमा-V

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

(बीमा प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 जनवरी, 1996

संकल्प

जबकि कुछ समय पूर्व भारत सरकार बीमा मार्किट के बढ़िया विनियमन, संवर्धन और सुव्यवस्थित विकास के बारे में चिन्तित रही है; और

जबकि सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि बीमा अधिनियम 1938 की धारा 2(ख) के अन्तर्गत किये गये प्रावधान में बीमा नियंत्रक के संस्थान को प्रतिस्थापित करने के लिए एक बीमा विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए एक विस्तृत विधान पारित करने; और जहां तक कि ये इस उद्योग के विनियमन संवर्धन तथा सुव्यवस्थित विकास से सम्बन्धित हैं इस अधिनियम, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की सम्बन्धित धाराओं में संशोधन करना आवश्यक है; और

जबकि सरकार इस बात से संतुष्ट है कि इस प्रकार के व्यापक विधान का अधिनियमन होने तक प्रस्तावित संवैधानिक प्राधिकरण, जिसके साथ अन्तरिम निकाय का अन्त में विलय हो जाएगा अथवा प्राधिकरण का गठन होने पर यह उसमें परिवर्तित हो जाएगा के प्रारम्भिक निकाय के रूप में एक अन्तरिम निकाय का गठन करना एवं उसे संचालनात्मक बनाना आवश्यक है; और

अतः अब भारत सरकार एतद्द्वारा वित्त मंत्रालय के समग्र प्रशासनिक नियंत्रणाधीन बीमा विनियामक प्राधिकरण का गठन करती है।

(एक) बीमा विनियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष भी बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2(ख) के प्रयोजनों हेतु बीमा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया जाएगा और वह उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो वर्तमान में बीमा नियंत्रक के पास हैं।

(दो) अंतरिम निकाय यह जांच करेगा कि कौन सी शक्तियों, जो बीमा नियंत्रक से वापस ली गई अथवा समय-समय पर जारी की गई सरकारी अधिसूचनाओं के माध्यम से संशोधित की गई, अथवा बीमा कारोबार के राष्ट्रीयकरण अधिनियमों के अधीन भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय साधारण बीमा निगम को प्रत्यायोजित की गई, को बीमा नियंत्रक को वापस दिये जाने की आवश्यकता है। हालांकि इस शक्ति का प्रयोग करते हुए बीमा विनियामक प्राधिकरण बीमा उद्योग के पूर्णतः अथवा अंशतः निजीकरण की सम्भावना को ध्यान में रखेगा और इसकी भूमिका तथा शक्तियों के संबंध में उपयुक्त सिफारिशें करेगा, जिनकी ऐसे परिदृश्य में बीमा विनियामक प्राधिकरण द्वारा प्रयोग किये जाने की आवश्यकता होगी।

(तीन) यह अंतरिम निकाय बीमा अधिनियम, 1938 के अधीन केन्द्रीय सरकार की उन शक्तियों की भी जांच करेगा, जिन्हें जैसे ही बीमा विनियामक प्राधिकरण स्थापित हो जायेगा उन्हें उसी समय प्राधिकरण को अंतरित किया जा सकेगा।

(चार) सरकार अंतरिम बीमा विनियामक प्राधिकरण को ऐसे अतिरिक्त असांविधिक कार्य सौंप सकती है, जो आवश्यक समझे जाएं ताकि यह बीमा उद्योग के सुव्यस्थित विकास को प्रभावी रूप से नियमित, संवर्धित और सुनिश्चित कर सके।

(पांच) बीमा विनियामक प्राधिकरण की अध्यक्षता केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

(छः) बीमा विनियामक प्राधिकरण के अन्य सदस्य जिनकी संख्या सात से अधिक न हो, जिनमें से पूरे समय की सेवा में तीन से अधिक न हों, केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत किए

जाएंगे और वे उन व्यक्तियों में से होंगे जिन्हें जीवन बीमा, साधारण बीमा, वित्तीय, आर्थिक, विधि और प्रशासनिक मामलों का अनुभव एवं जानकारी हो।

(सात) बीमा विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य जब तक सरकार चाहे तब तक अपने पद पर बने रहेंगे और समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर ही निर्यत्रित किए जाएंगे।

(आठ) बीमा विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के पास बीमा विनियामक प्राधिकरण के कार्यों को प्रभावी रूप से पूरा करने के लिए उपयुक्त अधिकार होंगे। इस प्रयोजना हेतु और पर्याप्त संसाधन जुटाने के लिए बीमा विनियामक प्राधिकरण को उपयुक्त सहायक स्टाफ प्रदान किया जायेगा।

(नौ) बीमा विनियामक प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले व्यय की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार पर्याप्त अनुदान प्रदान करेगी।

(दस) सरकार समस्त निर्देशों ओर मार्गदर्शी सिद्धान्तों के होते हुए बीमा विनियामक प्राधिकरण :—

(क) बीमा बाजार के संवर्धन एवं सुव्यवस्थित विकास से संबंधित सभी मामलों पर विचार करेगा;

(ख) उपरोक्त उद्देश्यों के लिए विस्तृत कानून का प्रस्ताव करना; और

(ग) (क) और (ख) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य गैर-सांविधिक कार्यों को पूरा करना जो केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकरण/अध्यक्ष का प्रत्यायोजित किए जा सकें।

(ग्यारह) बीमा विनियामक प्राधिकरण अपनी कार्य प्रणाली निर्धारित करने के लिए स्वतन्त्र होगा और सरकारी तथा गैर-सरकारी निकायों से अपने कार्यों से अपने कार्य प्रचालन के लिए संबंधित रिकार्ड, विवरणियां टिप्पणियां, ज्ञापन, आंकड़े अथवा कोई भी अन्य सामग्री मंगवाने और उनके साथ विचार-विमर्श करने के लिए भी अधिकार होंगे।

(बारह) बीमा विनियामक प्राधिकरण का मुख्यालय दिल्ली में होगा और वह सरकार को बीमा कम्पनियों के विभिन्न पहलुओं पर आवधिक रिपोर्ट और समय-समय पर सरकार द्वारा ऐसे अन्य विशेष मामलों पर मांगी गई रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(सी.एस. राव)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपियां सभी संबंधितों को दी जाएं।

यह भी आदेश दिया जाता है कि आम सूचना के लिए संकल्प भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

(सी.एस. राव)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

अपराह्न 12.01 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1995 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन और लेखाओं की पुनरीक्षा

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1995 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन-संघ सरकार (1996 का संख्यांक 1)-(वाणिज्यिक)-लेखाओं की पुनरीक्षा।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 167/96]

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1995 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन-संघ सरकार (1996 का संख्यांक 2)-(वाणिज्यिक)-लेखाओं पर टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 168/96]

(तीन) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1995 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन-संघ सरकार (1996 का संख्यांक 3)-(वाणिज्यिक)-लेखाओं पर टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 169/96]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) ओमनिबस इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ दमन एण्ड दीव एण्ड दादरा एण्ड नागर हवेली लिमिटेड, मोती दमन के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ओमनिबस इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ दमन एण्ड दीव एण्ड दादरा एण्ड नागर हवेली लिमिटेड, मोती दमन का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 170/96]

(4) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का.आ. 213(अ), जो 19 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा श्री इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम राजोड़ा, तहसील बावला, गुजरात को अखबारी कागज का उत्पादन करने वाली मिल के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ. 213(अ), जो 19 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा रामा न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर्स लिमिटेड, बारबोधन, तहसील ओलपाड़, गुजरात को अखबारी कागज का उत्पादन करने वाली मिल के रूप में अधिसूचित किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 171/96]

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक—संघ सरकार (1996 का संख्यांक 3) (अन्य स्वायत्तशासी निकाय) का वर्ष 1994-95 का प्रतिवेदन

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1995 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन-संघ सरकार (1996 का संख्यांक 3)-(अन्य स्वायत्तशासी निकाय)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 172/96]

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1995 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन-संघ सरकार (1996 का संख्यांक 10)-(रेल)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 173/96]

(2) वर्ष 1994-95 के लिए विनियोग लेखे, भारतीय रेल, भाग-दो-विस्तृत विनियोग लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 174/96]

(3) वर्ष 1994-95 के लिए भारत सरकार, रेल के ब्लाक लेखे (ऋण लेखाओं के साथ पूंजीगत विवरणों सहित) तुलनपत्र और लाभ तथा हानि खातों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 175/96]

(4) वर्ष 1994-95 क लिए विनियोग लेखे, भारतीय रेल, भाग-एक-समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 176/96]

(5) 31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निम्नलिखित ग्रामीण बैंकों के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन :—

(एक) पलामू क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डाल्टनगंज, (बिहार)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 177/96]

(दो) सूरत भरूच ग्रामीण बैंक, भरूच, (गुजरात)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 178/96]

(तीन) वर्धमान ग्रामीण बैंक, बर्दमान, (पश्चिम बंगाल)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 179/96]

(चार) श्री सरस्वती ग्रामीण बैंक, आदिलाबाद, (आंध्र प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 180/96]

(पांच) वरदा ग्रामीण बैंक, कुम्टा, (कर्नाटक)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 181/96]

(6) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का अभिरक्षक) विनियम, 1996, जो 16 मई, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 344(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेन्ट बैंकर्स) विनियम, 1996, जो 6 जून, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 396(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 182/96]

(7) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत सिक्का निर्माण ["मां का स्वास्थ्य बच्चे का स्वास्थ्य है" विषय पर निर्मित पांच रुपए के स्मारक सिक्कों, (75 प्रतिशत तांबा और 25 प्रतिशत निकल वाले) का मानक वजन और गुणवत्ता के अंतर की सीमा] नियम, 1996 जो 2 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 264(अ) में प्रकाशित हुए थे, की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 183/96]

(8) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी-तीन कर्मचारी (परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विशेष भत्ता) संशोधन नियम, 1996 जो 1 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 109(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 184/96]

(9) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सिन्डीकेट बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के बाद निजी क्षेत्र के समुत्थानों में नौकरियों की स्वीकृति) (संशोधन) विनियम, 1994, जो 4 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 430/एस/0089/पीडीः आई आरडी(ओ) में प्रकाशित हुये थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र (केवल हिन्दी संस्करण) जो 9 दिसम्बर, 1995 की अधिसूचना संख्या 3439/एस/0089/पीडीः आईआरडी(ओ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) देना बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के बाद निजी क्षेत्र के समुत्थानों में नौकरियों की स्वीकृति) (संशोधन) विनियम, 1996, जो 2 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईआर/संशोधन-1 96 में प्रकाशित हुए थे।

(10) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 185/96]

(11) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा.का.नि. 69(अ), जो 29 जनवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 13/95-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 97(अ), जो 16 फरवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो इम्युसाइस्ट (कैंसर-रोधी औषधि) को उस पर उद्ग्रहणीय मूल और अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 103(अ), जो 23 फरवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 फरवरी, 1993 की अधिसूचना संख्या 86/93-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 104(अ), जो 23 फरवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 12 अगस्त, 1992 की अधिसूचना संख्या 257/92-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 111(अ), जो 4 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अप्रैल, 1995 की अधिसूचना संख्या 85/95-सी. शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 145(अ), जो 22 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 जून, 1993 की अधिसूचना संख्या 128/93-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 180(अ), जो 9 अप्रैल, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 57/92-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 227(अ), जो 28 मई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 12 अगस्त, 1992 की अधिसूचना संख्या 257/92-सी. शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 233(अ), जो 7 जून, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 10 नवम्बर, 1994 की अधिसूचना संख्या 187/94-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 236(अ), जो 15 जून, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 10 जून, 1994 की अधिसूचना संख्या 128/94-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 237(अ), जो 15 जून, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 7 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 10/95-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 238(अ), जो 15 जून, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 79/95-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 239(अ), जो 15 जून, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 80/95-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 240(अ), जो 15 जून, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 81/95-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 241(अ), जो 15 जून, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 जून, 1995 की अधिसूचना संख्या 106/95-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 242(अ), जो 15 जून, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 जून, 1995 की अधिसूचना संख्या 107/95-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 243(अ), जो 15 जून, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 सितम्बर, 1995 की अधिसूचना संख्या 148/95-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठारह) सा.का.नि. 244(अ), जो 15 जून, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 सितम्बर, 1995 की अधिसूचना संख्या 149/95-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 186/96]

(12) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा.का.नि. 110(अ), जो 4 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 40/95-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 131(अ), जो 15 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 सितम्बर, 1994 की अधिसूचना संख्या 126/94-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 132(अ), जो 15 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सूरत स्थित सूरत निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र को एक "मुक्त व्यापार क्षेत्र" के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 140(अ), जो 20 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या 48/94-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 187/96]

(13) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 की उपधारा (8) के अन्तर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) इंडियन बैंक के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 188/96]

(दो) इंडियन ओवरसीज बैंक के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 189/96]

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : मैं श्री आर.एल. जालप्पा की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (क) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) :—

(एक) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 190/96]

(ख) (एक) भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 191/96]

(3) कपड़ा मंत्रालय की वर्ष 1996-97 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 191क/96]

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 192/96]

तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर का वार्षिक प्रतिवेदन और बोर्ड के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री बोला बुल्ली रमैया : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 193/96]

वर्ष 1996-97 के लिये कोयला मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगें

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : मैं वर्ष 1996-97 के लिए कोयला मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 194/96]

वर्ष 1996-97 के लिये संसदीय कार्य मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगें

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : वर्ष 1996-97 के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 195/96]

अपराह्न 12.03 बजे

सभा का कार्य

संसदीय कार्य तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : श्रीमान् आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि मंगलवार, 30 जुलाई, 1996 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जायेगा :—

(1) आज की कार्य सूची से आगे लाये गये सरकारी कार्य सम्बन्धी अन्य मद पर विचार।

(2) वर्ष 1996-97 के रेल बजट पर आगे सामान्य चर्चा।

(3) वर्ष 1996-97 के लिए अनुदानों की मांगों (रेल) पर चर्चा और मतदान।

(4) निम्नलिखित अध्यादेशों का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्पों पर आगे चर्चा और इन अध्यादेशों का स्थान लेने वाले विधेयक पर आगे विचार और पारित करना।

(क) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन और सेवा शर्त विनियमन) अध्यादेश, 1996

(ख) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर, अध्यादेश, 1996

(5) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996 का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1996 पर विचार तथा पारित करना।

(6) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध (संशोधन) अध्यादेश, 1996 का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण (संशोधन) विधेयक, 1993 पर विचार और राज्यसभा द्वारा यथापारित रूप में पारित करना। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कल मैंने एक ब्रीच ऑफ प्रीविलेज का नोटिस दिया है। यह बहुत सीरियस मैटर है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उसकी जांच कर रहा हूं। मैंने कागजात मांगे हैं। लेकिन यह मद समाप्त होने दीजिये।

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : महोदय, इससे पूर्व मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। मेरा व्यवस्था का प्रश्न भारत के संविधान के अनुच्छेद 86 के साथ पढ़े जाने वाले प्रक्रिया के नियम 23 के अन्तर्गत है। इसकी कृपया जांच करें। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

प्रक्रिया ने नियम 23 में यह सुझाव दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त संदेश और निदेश अध्यक्ष के निदेशानुसार अथवा जैसा उन्हें संदेश प्राप्त हुआ के अनुसार सभा द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिये। संविधान के अनुच्छेद 86 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को सभा को संदेश भेजने और निदेश देने का अधिकार है। निदेश यह था कि श्री एच.डी. देवेगौड़ा को एक निश्चित अवधि में सभा का आदेश प्राप्त करना चाहिये। श्री एच.डी. देवेगौड़ा को प्रधान मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद इस सभा का आदेश प्राप्त करना चाहिये। राष्ट्रपति के निदेशानुसार हमने भी सभा में उन्हें विश्वासमत दिया उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 75 के अन्तर्गत शपथ ली। अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने किसी व्यक्ति द्वारा दायर याचिका के आधार पर...**(व्यवधान)** यह सभा की अवमानना है। यह सभा का अपमान है। यह सभा की सर्वोपरिता का अपमान है।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय, हम न्यायपालिका का पूरा सम्मान करते हैं लेकिन न्यायपालिका को प्रतिदिन विधायी प्रक्रिया के कार्य पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिये। क्या हो रहा है? हमारा अपमान हो रहा है...**(व्यवधान)**

संविधान के उपबंधों के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा सभा का आह्वान किया गया था। सभा का आह्वान विशिष्ट कार्य के लिये किया गया था और वह कार्य था सर्वप्रथम श्री अटल बिहारी वाजपेयी का समर्थन अथवा अस्वीकृति अथवा चयन और श्री एच.डी. देवेगौड़ा को बाद में भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 75 के अन्तर्गत शपथ दिलाई गई और सभा की दो बार तदानुसार बैठकें हुईं। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा। अब मुझे अन्य माननीय सदस्यों की बातें सुनने दें।

श्री पी.आर. दासमुंशी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा केवल यह अनुरोध है। क्या आप यह नहीं समझते कि इस सभा का यह औचित्य है इस सभा का पावन कर्त्तव्य है और इस सभा को जनता की स्वीकृति प्राप्त है? हम यहां केवल मात्र कार्य कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में जाता है और उच्च न्यायालय, जो मर्जी आये कहती है, क्या यह न्यायिक गतिविधि है? देश में यह क्या हो रहा है? क्या यह जो कुछ हो रहा है उस पर संसद अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे अथवा नहीं?...**(व्यवधान)**

श्री मृत्युंजय नायक फूलबनी : हम संसदीय कार्य मंत्री को सुनना चाहते हैं...**(व्यवधान)**

श्री ए.सी. जोस (इदुक्की) : महोदय, यह मजाक नहीं है। उन्होंने अपनी सीमा का...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपके विचार सुन लिये हैं। कृपया मेरी बात सुनें।

श्री ए.सी. जोस : न्यायपालिका अपनी सीमा का उल्लंघन कर रही है। न्यायिक गतिविधियों के नाम पर... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह ली, मुझे औरों की सुनने दीजिये। आप अपनी बात कह चुके हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, गृह मंत्री सभा में उपस्थित हैं। संसदीय कार्य मंत्री की सभा में उपस्थित हैं। श्री पी.आर. दासमुंशी द्वारा उठाये गये मामले पर हमें उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिये। माननीय संसदीय कार्य मंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिये और बताना चाहिये कि श्री पी.आर. दासमुंशी द्वारा उठाये गये मामले में उनकी क्या प्रतिक्रिया है... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें।

श्री मृत्युंजय नायक : क्या इस पर आप चर्चा की अनुमति देंगे?... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। वह अपनी बात कह चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री मृत्युंजय नायक : यह संसद को चुनौती है। यह संसद का अपमान है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : जी हां। यह संसद को चुनौती है। न्यायपालिका अपनी सीमा से आगे बढ़ गई है।... **(व्यवधान)**

इसी प्रकार वह राष्ट्रपति की अनुमति से यहां आये और बैठे इसी प्रकार श्री देवेगौड़ा यहां आये और विश्वास मत प्राप्त किया। छः महीने के भीतर, वह चुने जा सकते हैं। यह सभा का अपमान है। यह क्या हो रहा है?... **(व्यवधान)** जनता इस बारे में क्या सोचेगी? क्या हम सब यहां बेवकूफ बैठे हैं?

श्री बसुदेव आचार्य : इस मामले में हम आपकी टिप्पणी चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी को कुछ कहने दें। कृपया बैठ जायें।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र श्री प्रियरंजन दास मुंशी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है और मैं चाहता हूं कि सदन में उस पर चर्चा होनी चाहिए। इस सवाल पर सदन की एक राय बननी चाहिए। लेकिन शोर-शराबे में तो एक राय नहीं बन सकती।... **(व्यवधान)** जब यहां शोर-शराबा ज्यादा होता है तो फिर बाहर टिप्पणियां करने का मौका मिलता है।

(अध्यक्ष महोदय **पीठासीन हुए**)

अपराह्न 12.11 बजे

इन्होंने एक गंभीर मामला उठाया है और अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आप इस पर सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका दें। फिर आपको जो कुछ कहना है वह आप कहें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक-एक करके बोलें। मुझे समझने दें।

श्री पी.आर. दासमुंशी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न था, जिसका श्री वाजपेयी ने उल्लेख किया है। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि लोकसभा की कार्यसंचालन प्रक्रिया के नियम 23 के अन्तर्गत, राष्ट्रपति के किसी संदेश अथवा निर्देश की सूचना सभा को दी जानी चाहिये। भारतीय संविधान की धारा 86 में यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। भारत का राष्ट्रपति विधेयक से संबंधित अथवा अन्यथा सभा को संदेश भेज सकता है।

उक्त निर्देश के अनुसार श्री देवेगौड़ा ने सभा से उन्हें विश्वास मत देने को कहा था। इसी प्रकार गणतंत्र के सम्मानीय राष्ट्रपति के निर्देशानुसार श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी सभा का विश्वास मत प्राप्त करने का प्रस्ताव किया था।

आपकी अध्यक्षता में, अध्यक्ष महोदय, हमने सभा में इस बारे में विचार किया और श्री देवेगौड़ा को प्रधान मंत्री के रूप में विश्वास मत दिया और जिन्हें भारत के संविधान की धारा 75 के अन्तर्गत छः महीने के भीतर निर्वाचित होना है। इन परिस्थितियों में (क) राष्ट्रपति की इच्छा का सम्मान किया गया (ख) संसद की सर्वोपरिता स्थापित हुई और (ग) जनता का विश्वास मत प्रतिबिम्बित हुआ।

इसके कुछ समय बाद, किसी व्यक्ति ने इलाहाबाद संविधान बैंच में याचिका दायर की जिसमें भारत सरकार से प्रश्न करने और उसे समन जारी करने की बात कही गई थी। क्या यह संसद और राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार का मजाक नहीं है? क्या यह न्यायपालिका का संसदीय कार्यवाही, राष्ट्रपति के अधिकार संविधान और प्रक्रिया की सीमाओं पर अतिक्रमण नहीं हैं? यह महत्वपूर्ण है। श्री वाजपेयी ने भी यह कहा है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है और इस विषय पर सदन में अवश्य चर्चा की जानी चाहिये ताकि अन्य माननीय रूदायो को इस बारे में अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिल सके।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं। मैं विपक्ष के नेता की बात से सहमत हूं। यह एक गम्भीर मामला है। हमारे पास इस मामले पर चर्चा करने के लिए समय और अवसर है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह काफी है। मैंने अन्तिम विनिर्णय दे दिया है। अब श्री दाऊदयाल जोशी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम सब सहमत हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सब राजनीतिक दल इस बात से सहमत हैं कि शून्य काल को समाप्त कर दिया जाये। चूंकि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मैंने इसकी अनुमति दे दी है।

[हिन्दी]

श्री जयप्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक, दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय...**(व्यवधान)**

दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के रिश्तेदार गुंडागर्दी कर रहे हैं।*...**(व्यवधान)**

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में एक अस्पताल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस प्रकार से दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का नाम लेकर डाक्टरों और नर्सों को तंग किया और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

राज्य की कानून व्यवस्था कैसी होगी?

अध्यक्ष महोदय : नहीं श्री अग्रवाल इस प्रकार नहीं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आपने औरों को मौका दिया है, मुझे मौका क्यों नहीं देंगे...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह काफी है। कृपया पार्टी सम्बन्धी मामले यहां नहीं उठायें। श्री दासमुंशी को पार्टी सम्बन्धी मामला उठाने की अनुमति नहीं दी गई थी। कृपया पार्टी सम्बन्धी मामले यहां न उठायें।

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : अध्यक्ष महोदय, जम्मू कश्मीर में कत्लेआम हो रहा है। उन्होंने वहां पर 16 लोगों को मार दिया है। उनकी भेड़-बकरियों को वे ले गये हैं...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपका नोटिस मिल गया है। मैं उसकी जांच कर रहा हूं। मुझे उन व्यक्तियों की टिप्पणियां प्राप्त होनी हैं जिनके विरूद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है। मैं इस बारे में निर्णय लूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इन बातों का कोई अन्त नहीं है। हमें आज लेखानुदान पास करने हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं गुप्ता जी, इस प्रकार से नहीं।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, डोडा का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। कल ही 16 लोग वहां पर कत्ल कर दिए। जो भेड़-बकरी चराने वाले लोग थे, उनको कत्ल कर दिया गया और उनकी भेड़-बकरियों को वे ले गए। यहां पर होम मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं। वे वहां चुनाव कराने की बात करते हैं। वहां के हालात बहुत खराब हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी इस बात को सीरियसली लिया जाए और डोडा में पिछले छः महीने से हालत खराब हैं।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है। आप गृह मंत्री से बात कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री चमन लाल गुप्त : सर, इसका सवाल नहीं है, वहां लोगों का कत्ल किया जा रहा है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपने यहां पांच वर्ष रहना है। आप भविष्य में अपने बोलने के अवसर को न बिगाड़ें

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता। सब पार्टियों ने शून्य काल को समाप्त करने का निर्णय लिया था।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाए—

1. राजस्थान के एक नए जिले के लिए दो वर्ष पूर्व एक गैस एजेंसी दी गई थी। जिला बन जाने के बाद बारा नगर की

आबादी में तेजी से वृद्धि हुई है। इसलिए एक और गैस की एजेंसी दी जाए।

2. डाकघरों में नई भर्ती पर गत 20 वर्षों से प्रतिबंध लगाया हुआ है। नई बस्तियां बन जाने के बावजूद भी डाक वितरण के लिए स्टाक न बढ़ाए जाने से डाक समय पर लोगों को नहीं मिल पाती। अतः इस हेतु तुरन्त नई भर्ती की जाए जिससे डाक वितरण समय पर हो सके।

डा. लक्ष्मी नरायण पांडेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में सी.सी.आई. द्वारा संचालित जो सीमेंट फैक्ट्री है, उसको कोयला नहीं मिल रहा है जिसके कारण हजारों मजदूर वहां पर होने की स्थिति में आ गए हैं। देकर इसलिए इस पर तुरन्त विचार किया जाए। एक इकाई बंद हो गई है। दूसरी भी बंद हो जायेगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने जो अनुरोध किया है उसका प्रयोजन भिन्न है। मैंने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। यह ठीक है।

श्री वी.एम. सुधीरन (अलेप्पी) : महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपके अनुरोध के बारे में नोटिस नहीं मिला है।

श्री वी. धनन्जय कुमार (मंगलौर) : अध्यक्ष महोदय अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल करने की कृपा करें :—

1. देश में विद्युत सप्लाई की स्थिति के बारे में विस्तृत चर्चा और कोजन्ट्रिक्स लिमिटेड सहित, विभिन्न विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति देना।

2. देश के राष्ट्रीय राजपथों की स्थिति के बारे में चर्चा और कर्नाटक के विशेष संदर्भ में, नये राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण की आवश्यकता।

[हिन्दी]

डा. रमेश चन्द्र तोमर (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय को शामिल करने की कृपा करें;

1. गाजियाबाद जिले के 28 गांवों में ग्रामीण स्तर पर जनप्रतिनिधि न होने की वजह से विकास के कार्य बंद पड़े हैं। इन गांवों में शीघ्र पंचायत चुनाव कराये जायें।

2. हापुड़ जंक्शन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण की व्यवस्था शीघ्र की जाये।

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूढ़ी (छपरा) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय शामिल करने की कृपा करें :—

1. अटलान्टा में भारतीय टीम का आलिम्पिक खेलों में निराशाजनक प्रदर्शन के बारे में चर्चा।

2. नेपाल और बिहार के कार्य संचालन आधारों तथा उत्तर प्रदेश में आई.एस.आई. की गतिविधियों से राष्ट्रीय खतरे की आशंका।

श्री जी.एम. बनातवाला (पुन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय को शामिल करने की कृपा करें :—

1. अनेक राज्यों द्वारा किये गये आरक्षण कोटे को संरक्षण देने के लिये संविधान (संशोधन) विधेयक की आवश्यकता। उच्चतम न्यायालय द्वारा कुल कोटा 50 प्रतिशत से अधिक न होने पर जोर दिये जाने से गम्भीर स्थिति का उत्पन्न होना।

2. सरकार को प्रस्तावित उच्चतम न्यायालय (क्षेत्राधिकार का विस्तार) विधेयक, 1996 उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार करने के लिये बाबरी मस्जिद विवाद पर निर्णय।

[हिन्दी]

श्री नन्द कुमार साय (रायगढ़) : अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय को सम्मिलित करने का कष्ट करें

1. मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिलान्तर्गत पत्थल गांव एवं लड़ेग आदि में टमाटर की खेती की बहुतायत को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा वहां के अनुसूचित जनजाति एवं अन्य गरीब लोगों के घर-घर में टमाटर सॉस बनाने हेतु लघु उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

2. संगीत के गरिमामय इतिहास को देखते हुए विश्वविख्यात संगीत स्थली रायगढ़ में संगीत का विश्वविद्यालय अविलम्ब स्थापना करने की आवश्यकता है।

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची मे निम्न विषय सम्मिलित करें :

1. अगली शताब्दी में महानगरों की आबादी, प्रदूषण का स्तर, आवश्यकताएं और उपलब्ध संभावित संसाधन आदि पहलुओं पर बारीकी से विचार कर यातायात के लिए न्यूनतम उत्पन्न करने वाली सार्वजनिक परिवहन विकसित करने पर विचार किया जाना चाहिए।

2. वर्तमान एवं पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में पूर्वाध्यक्ष द्वारा नियुक्त श्री ए. आर. अन्तुले की अध्यक्षता में गठित संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों को शीघ्र लागू करने के लिए विधेयक लाया जाये।

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय जोड़ा जाए:

1. बिहार राज्य के बेगूसराय जिले के अन्तर्गत बखरी, अलौली जैसे अनुसूचित क्षेत्र एवं बछबाड़ा, तेघड़ा, चेरियाबरियारपुर तथा बलिया जैसे पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्र सरकार विशेष अनुदान दे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सुधीरन, यदि प्राप्त नोटिसों की संख्या दस से अधिक होती है, तो उन पर बैलट द्वारा निर्णय लिया जाता है। दुर्भाग्य से आपका नाम बैलट में नहीं आया है। मुझे अत्यधिक खेद है।

अब गृह मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय संसदीय कार्य मंत्री यहां बैठे हैं, उन्हें कुछ इस बारे में आश्वासन देना चाहिये। ये महत्वपूर्ण मामले हैं, जिन्हे हमने आपकी अनुमति से उठाया और सौभाग्य से वे बैलट में भी आ गये हैं। मंत्री महोदय को इस बारे में अवश्य कुछ कहना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, सामान्य प्रक्रिया यह है कि ये मामले कार्यमंत्रणा समिति को भेजे जाते हैं।

श्री जी.एम. बनातवाला : कम से कम मंत्री यह कह सकते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : सामान्यतः इन्हें कार्य मंत्रणा समिति को भेजा जाता है।

अध्यक्ष महोदय : इन्हें कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखा जाता है।

अपराह्न 12.25 बजे

समिति के लिए निर्वाचन

राजभाषा समिति

गृहमंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में लोक सभा के सदस्य, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा, श्रीमती रत्नमाला डी. सवान्नूर, जिन्होंने राजभाषा समिति से त्याग-पत्र दे दिया है, के स्थान पर समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"...**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। एक सदस्य का चुनाव आनुपातिक आधार पर कैसे किया जा सकता है। मैं सभा से इस बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं। उन्होंने सुझाव दिया है कि एक सदस्य को चुना जाना चाहिये और उनका आनुपातिक प्रतिनिधित्व में विश्वास है। मैं चाहता हूं कि वह अपनी बात पर दृढ़ रहें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कितने प्रत्याशी हैं?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह हैं :

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में लोक सभा के सदस्य, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा, श्रीमती रत्नमाला डी. सवान्नूर, जिन्होंने राजभाषा समिति से त्याग-पत्र दे दिया है, के स्थान पर समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अपराह्न 12.26 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

तीसरे प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा 25 जुलाई, 1996 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मंत्रणा समिति के तीसरे प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा 25 जुलाई, 1996 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मंत्रणा समिति के तीसरे प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : मद संख्या 11 और 12 साथ साथ लिये जायेंगे

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : कल यह निर्णय लिया गया था कि निर्वाचन सम्बन्धी सुधारों पर संशोधन के लिये दो घंटे का समय दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : जी, हां। यह बुलेटिन में भी है

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : लेकिन अनेक सदस्यों को विधेयक प्राप्त नहीं हुआ है, यहां तक कि बुलेटिन भी समय पर प्राप्त नहीं हुआ था। इन्हें भेजने में विलम्ब हुई है। यह ठीक है। लेकिन उनका अनुरोध है कि इसके लिये समय एक घंटा बढ़ाया जाना चाहिये। चूकि यह कुछ समय बाद आने वाला है, अतः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस मांग को स्वीकार करें।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आपकी मांग स्वीकार की जाती है। जो माननीय सदस्य लोक प्रधिनिधित्व, विधेयक के बारे में संशोधन देना चाहते हैं वह एक बजे तक दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इसके लिये समय निर्धारित होना चाहिये। हमें विधेयक प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन हमें उनके द्वारा विधेयक पर दिये गये संशोधन प्राप्त हो गये हैं...**(व्यवधान)**

श्री वी. धनन्जय कुमार : क्या आप यह समझते हैं कि विधेयक प्राप्त होने के बाद आप हमें एक घंटे का समय देंगे चूंकि विधेयक अभी तक प्रस्तुत नहीं हुआ है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह कुछ समय बाद प्रस्तुत किया जायेगा। यह चर्चा की लगभग समाप्ति पर प्रस्तुत किया जायेगा। आपको प्रतियां प्राप्त होंगी। मुझे बताया गया है कि विधेयक पहले ही परिचालित कर दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री अनिल बसु (आराम बाग) : सभा में जो माननीय सदस्य उपस्थित थे उन्हें विधेयक प्राप्त हो गया है, जो सदस्य उपस्थित नहीं थे उन्हें विधेयक मिलना चाहिये। ऐसा नहीं किया गया है।

श्री संतोष मोहन देव : सुबह नहीं। यह अपेक्षा की जाती है कि सब सदस्य सभा में उपस्थित होंगे। फिर भी इसकी छूट दी जाती है और विधेयक अभी भी परिचालित किया जा सकता है और समय एक घंटे बढ़ाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे बताया गया है कि यह कल परिचालित कर दिया गया था। अनेक माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे। यह ठीक है। इस समय यह पब्लिक काउंटर पर उपलब्ध है। माननीय सदस्य वहां से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री आई.डी. स्वामी (करनाल) : कुछ माननीय सदस्यों ने काउंटर से इसे प्राप्त कर लिया है लेकिन जब मैंने उनसे विधेयक की प्रति देने को कहा, तो उनका उत्तर था—उपलब्धता नहीं है। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया उपलब्ध करायें। माननीय सदस्यों के पास समय बहुत कम है।

श्री वी. धनन्जय कुमार : यह स्पष्ट है कि इसे प्राप्त करने के बाद हम...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी प्रतियां हमें एक बजे तक मिल जायेंगी। अन्यथा, हमें इसे पुनः मुद्रित और परिचालित करवाना होगा?

श्री वी. धनन्जय कुमार : इसे अभी तक परिचालित नहीं किया किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक ऐसा विधेयक है जिसे सब पार्टी नेताओं की सहमति के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। मेरे विचार से इसमें अधिक संशोधन की गुंजाइश नहीं है। इसके बावजूद हम माननीय सदस्य को उसके अधिकार से वंचित नहीं रखना चाहते। अतः एक बजे तक का समय पर्याप्त है।

अपरान्ह 12.29 बजे

लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), 1996-97
और
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1993-94

अध्यक्ष महोदय : अब मद संख्या 11 और 12 को साथ-साथ लेंगें। कल रात देर तक चली कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि लेखानुदानों को बिना चर्चा किये पास कर दिया जायेगा।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

> "कि कार्य सूची के स्तम्भ में मांग संख्या 1 से 26, 28, 29, 31 से 59, 61 से 91, 93, 94 और 96 से 101 के सामने दिखाये गये मार्गशीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या उसके संबंध में, कार्य सूची के स्तम्भ 3 ये दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से लेखे पर राष्ट्रपति को दी जायें।"

> "कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों की संख्या 14, 33, 57, 61, 65 और 96 के सम्बन्ध में 31 मार्च 1994 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान सम्बन्धित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक समाधित अतिरिक्त राशियां भारत की सचिंत निधि में से को दी जायें"

लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई 1996-97 की लेखा अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग	मांग का भाग	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई लेखा अनुदान की मांगों की राशि (लोक सभा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 1996 को स्वीकृत की जा चुकी राशियों सहित)	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
कृषि मंत्रालय			
1.	कृषि	1588,86,00,000	8,22,00,000
2.	कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं	106,25,00,000	128,41,00,000
3.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	266,69,00,000	—
4.	पशु पालन और डेयरी कार्य विभाग	146,58,00,000	55,55,00,000
रसायन और उर्वरक मंत्रालय			
5.	रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	205,42,00,000	31,00,00,000
6.	उर्वरक विभाग	3694,87,00,000	423,00,00,000
नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय			
7.	नागर विमानन विभाग	59,70,00,000	26,59,00,000
8.	पर्यटन विभाग	48,01,00,000	6,55,00,000
नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय			
9.	नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	54,40,00,000	46,00,000
कोयला मंत्रालय			
10.	कोयला मंत्रालय	92,93,00,000	177,51,00,000
वाणिज्य मंत्रालय			
11.	वाणिज्य विभाग	425,43,00,000	30,50,00,000
12.	पूर्ति विभाग	19,78,00,000	—
संचार मंत्रालय			
13.	डाक विभाग	1308,14,00,000	34,85,00,000
14.	दूरसंचार विभाग	6289,79,00,000	4047,49,00,000
रक्षा मंत्रालय			
15.	रक्षा मंत्रालय	1078,28,00,000	11,84,00,000
16.	रक्षा पेंशन	1649,81,00,000	—
17.	रक्षा सेवा-थल सेना	7288,88,00,000	—
18.	रक्षा सेवा-नौसेना	1006,78,00,000	—
19.	रक्षा सेवा-वायु सेना	2028,67,00,000	—
20.	रक्षा आयुध कारखाने	640,02,00,000	—
21.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	—	4820,38,00,000

1	2	3	
पर्यावरण और वन मंत्रालय			
22.	पर्यावरण ओर वन मंत्रालय	272,81,00,000	3,55,00,000
विदेश मंत्रालय			
23.	विदेश मंत्रालय	638,47,00,000	31,02,00,000
वित्त मंत्रालय			
24.	आर्थिक कार्य विभाग	1529,77,00,000	86,58,00,000
25.	करेंसी, सिक्का निर्माण और स्टाम्प	362,97,00,000	192,66,00,000
26.	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	1061,98,00,000	1297,87,00,000
28.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	5297,34,00,000	787,50,00,000
29.	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	—	148,25,00,000
31.	व्यय विभाग	2007,14,00,000	—
32.	पेंशन	608,58,00,000	—
33.	लेखा परीक्षा	223,92,00,000	—
34.	राजस्व विभाग	105,20,00,000	2,25,00,000
35.	प्रत्यक्ष कर	235,99,00,000	88,00,00,000
36.	अप्रत्यक्ष कर	350,97,00,000	135,03,00,000
खाद्य मंत्रालय			
37.	खाद्य मंत्रालय	3057,62,00,000	47,34,00,000
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय			
38.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	20,28,00,000	5,25,00,000
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय			
39.	स्वास्थ्य विभाग	625,97,00,000	220,04,00,000
40.	भारतीय चिकित्सा प्रणालियां एवं होम्योपैथी विभाग	22,09,00,000	1,00,000
41.	परिवार कल्याण विभाग	975,32,00,000	67,00,000
गृह मंत्रालय			
42.	गृह मंत्रालय	142,19,00,000	9,10,00,000
43.	मंत्रिमंडल	44,90,00,000	7,50,00,000
44.	पुलिस	2019,64,00,000	244,59,00,000
45.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	139,23,00,000	117,13,00,000
46.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के अन्तरण	113,70,00,000	116,81,00,000
मानव संसाधन विकास मंत्रालय			
47.	शिक्षा विभाग	2239,21,00,000	26,00,000
48.	युवा कार्य और खेलकूद विभाग	67,25,00,000	86,00,000

1	2	3	
49.	संस्कृति विभाग	101,62,00,000	—
50.	महिला और बाल विकास विभाग	484,20,00,000	—
उद्योग मंत्रालय			
51.	औद्योगिक विकास और औद्योगिक नीति तथा संवर्धन	246,76,00,000	76,00,000
52.	सरकारी उद्यम विभाग	97,00,000	—
53.	भारी उद्योग विभाग	257,13,00,000	111,36,00,000
54.	लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग	329,77,00,000	148,29,00,000
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय			
55.	सूचना, फिल्म तथा प्रचार	67,86,00,000	5,92,00,000
56.	प्रसारण सेनाएं	709,81,00,000	156,52,00,000
श्रम मंत्रालय			
57.	श्रम मंत्रालय	344,71,00,000	72,00,000
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय			
58.	विधि और न्याय	272,30,00,000	—
59.	चुनाव आयोग	2,98,00,000	—
61.	कम्पनी कार्य विभाग	8,74,00,000	1,00,000
खान मंत्रालय			
62.	खान मंत्रालय	112,33,00,000	17,69,00,000
गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय			
63.	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	110,29,00,000	57,66,00,000
संसदीय कार्य मंत्रालय			
64.	संसदीय कार्य मंत्रालय	1,78,00,000	—
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय			
65.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	56,69,00,000	1,45,00,000
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय			
66.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1,81,00,000	—
योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय			
67.	योजना	52,52,00,000	22,84,00,000
68.	सांख्यिकी विभाग	36,04,00,000	2,70,00,000
69.	कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	395,80,00,000	—
विद्युत मंत्रालय			
70.	विद्युत मंत्रालय	284,32,00,000	1224,85,00,000

1	2	3	
ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय			
71.	ग्रामीण विकास विभाग	1107,79,00,000	—
72.	बंजर भूमि विकास विभाग	30,17,00,000	—
73.	ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग	3218,50,00,000	—
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
74.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	224,54,00,000	17,48,00,000
75.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	216,74,00,000	3,25,00,000
76.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	46,08,00,000	2,25,00,000
इस्पात मंत्रालय			
77.	इस्पात मंत्रालय	21,01,00,000	10,10,00,000
भूतल परिवहन मंत्रालय			
78.	भूतल परिवहन	31,58,00,000	44,80,00,000
79.	सड़कें	378,31,00,000	601,46,00,000
80.	पतन, दीपस्तम्भ और नौवहन	118,30,00,000	132,39,00,000
कपड़ा मंत्रालय			
81.	कपड़ा मंत्रालय	262,62,00,000	250,96,00,000
शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय			
82.	शहरी विकास, शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन	280,88,00,000	113,06,00,000
83.	लोक निर्माण कार्य	204,42,00,000	97,47,00,000
84.	लेखन सामग्री और मुद्रण	74,10,00,000	2,25,00,000
जल संसाधन मंत्रालय			
85.	जल संसाधन मंत्रालय	228,58,00,000	20,75,00,000
कल्याण मंत्रालय			
86.	कल्याण मंत्रालय	339,97,00,000	92,84,00,000
परमाणु ऊर्जा विभाग			
87.	परमाणु ऊर्जा	308,44,00,000	300,13,00,000
88.	नाभिकीय विद्युत योजनाएं	265,56,00,000	175,12,00,000
इलेक्ट्रॉनिकी विभाग			
89.	इलेक्ट्रानिकी विभाग	67,00,00,000	11,10,00,000
महासागर विकास विभाग			
90.	महासागर विकास विभाग	30,04,00,000	3,37,00,000
अन्तरिक्ष विभाग			
91.	अन्तरिक्ष विभाग	496,16,00,000	52,73,00,000

1	2	3	
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय			
93.	राज्य सभा	10,79,00,000	—
94.	लोक सभा	26,00,00,000	—
96.	उपराष्ट्रपति का सचिवालय	26,00,000	—
संघ राज्य क्षेत्र बिना विधान मंडल वाले			
97.	अंडेमान और निकोबार द्वीप समूह	170,34,00,000	102,08,00,000
98.	चंडीगढ़	188,72,00,000	26,65,00,000
99.	दादर और नगर हवेली	45,98,00,000	10,15,00,000
100.	दमन और दीव	35,04,00,000	7,44,00,000
101.	लक्षद्वीप	62,52,00,000	7,84,00,000
जोड़ राजस्व/पूंजी		62530,70,00,000	17181,06,00,000

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई 1993-94 की अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई मांगों की राशि
1	2	3
1.	राजस्व से पूरा किया जाने वाला व्यय	
14	डाक सेवाएं	16,79,91,247
33	पेंशनें	6,41,12,316
61	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	1,57,430
2.	पूंजी से पूरा किया जाने वाला व्यय	
57	श्रम मंत्रालय	4,29,764
65	योजना	9,13,192
96	दादर और नगर हवेली	22,477

श्री संतोष मोहन देव : हम माननीय मंत्री से केवल एक आश्वासन चाहते हैं। विधेयक पारित होने के पश्चात् जब वह अपने कार्यालय जायें तो संसद सदस्यों के स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिये धनराशि जारी करें। हम मानीय मंत्री से यही आश्वासन चाहते हैं, इससे अधिक नहीं। उन्हें इसके बारे में कुछ कहना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इस बात का अश्वासन दे सकता हूं कि इस योजना के लिये धनराशि उपलब्ध है। मैंने इस बारे में जांच की है। वित्त मंत्री के लिये अब धनराशि जारी करना आवश्यक नहीं है। मैं आश्वासन देता हूं कि धनराशि की पहले ही व्यवस्था है।

अब मैं वर्ष 1996-97 की लेखानुदानों की मांगे (सामान्य) मतदान के लिये रखता हूं :

प्रश्न यह है :

> "कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में भाग संख्या 1 से 26, 28, 29, 31 से 59, 61 से 91, 93, 94 और 96 से 101 के सामने दिखाये गये मार्गशीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या उसके संबंध में, कार्य सूची के स्तम्भ 3 ये दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से लेखे पर राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं वर्ष 1993-94 की अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

> "कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों को संख्या 14, 33, 57, 61 65 और 96 तक के

सम्बन्ध में 31 मार्च 1997 को समाप्त हुये वर्ष के दौरान सम्बन्धित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 ये दिखाई गई राशियों से अनधिक सम्बन्धित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एस. बंगारप्पा (शिमोगा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक अनुरोध है। माननीय वित्त मंत्री ने चालू वर्ष के बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय यह सुझाव दिया था कि प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये धनराशि में वृद्धि की जायेगी। यह उनके पास है। अब मैं यह बात माननीय अध्यक्ष महोदय पर छोड़ता हूं। अब यह देखना है कि इस बारे में अध्यक्ष निर्णय लेते हैं अथवा वित्त मंत्री। मुझे यह नहीं पता कि अब वास्तव में कौन निर्णय लेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं आप संसद सदस्यों के प्रयोजनार्थ क्या कार्यवाही करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष भी आपके जैसे सदस्य हैं। आप चिन्ता न करें।

अपरान्ह 12.32 बजे

विनियोग (लेखानुदान) संख्यांक 2 विधेयक*, 1996

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1996-97 के एक भाग की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने के लियें उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1996-97 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री पी. चिदम्बरम : मैं विधेयक पुरः**स्थापित करता हूं।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 26-796 में प्रकाशित

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित तथा प्रस्तुत।

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष 1996-97 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत को संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1996-97 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खंडवार चर्चा करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अपराह्न 12.36 बजे

विनियोग (संख्याक 2) विधेयक, 1996*

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि 31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक जितनी रकमें उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गई है। उनको चुकाने के लिए भारत की संचित निधि में से धनराशियों का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक जितनी रकमें उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गई है। उनको चुकाने के लिए भारत की संचित निधि में से धनराशियों का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम् : मैं विधेयक पुरः**स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब विचार करने का प्रस्ताव।

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी.चिदम्बरम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक जितनी रकमें उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गई है। उनको चुकाने के लिए भारत की संचित निधि में से धनराशियों का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक जितनी रकमें उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गई है। उनको चुकाने के लिए भारत की संचित निधि में से धनराशियों का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो खण्ड 2, दिनांक 26.7.96 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित तथा प्रस्तुत।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खंडवार चर्चा आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री पी. चिदम्बरम् : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.38 बजे

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) विधेयक*

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : महोदय, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) विधेयक, 1994 (कोफेपोसा) कुछ मामलों में नजरबन्दी निवारक के निम्न प्रयोजन के लिये लागू किया गया :—

(क) विदेशी संरक्षण और संवर्धन (विदेशो मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1993 अथवा फैरा के संदर्भ में); और

* भारत के राजपत्र -असाधारण भाग दो खंड 2 दिनांक 26.7.96 में प्रकाशित।

(ख) तस्करी निवारण अधिनियम और इससे सम्बन्धित मामले

हाल ही के वर्षों में भारत को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और बन्दरगाहों पर तस्करी से सम्बन्धित गतिविधियों की गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय सामान्य सीमा शुल्क अदाकर पांच किलो ग्राम सोना और 100 किलोग्राम चांदी आयात करने की अनुमति दे दी गई है तथापि तस्करी के मामलों में कमी नहीं आई है। यद्यपि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत पहले भी न्याय-निर्णय, अभियोग चलाने और निवारक नजरबन्दी उपबन्ध जैसे अनेक उपाय किये गये थे, फिर भी हमारी अर्थव्यवस्था के लिये तस्करी अभी भी गम्भीर समस्या बनी हुई है।

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम में तस्करी में लगे व्यक्ति को पकड़ने के लिये दो प्रकार की व्यवस्था की गई है। पहले का सम्बन्ध अधिनियम की धारा 3(1) के अन्तर्गत जारी नजरबन्दी आदेश से है जिसमें नजरबन्दी की अधिकतम सीमा एक वर्ष है। किसी व्यक्ति को नजरबन्द किये जाने के बाद मामले को 35 दिन के अन्दर सलाहकार बोर्ड को जिसमें उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीश होते हैं, राय जानने के लिये भेज दिया जाता है। यदि सलाहकार बोर्ड की यह राय होती है कि नजरबन्दी न्यायोचित नहीं हैं, तो नजरबन्द व्यक्ति को उसी समय छोड़ दिया जाता है। अन्य मामलों में नजरबन्दी के आदेश की पुष्टि 90 दिन के भीतर कर दी जाती है।

दूसरे मामलों का सम्बन्ध अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत "अत्यधिक संवदेनशील क्षेत्रों" की श्रेणियों में आने वाले क्षेत्रों में तस्करी की गतिविधियों में लगे व्यक्तियों से है। इन क्षेत्रों में पश्चिम तट, दक्षिण पूर्व तट, भारत-पाकिस्तान सीमा और दिल्ली हवाई अड्डा शामिल है। एक अन्य खंड में अन्य क्षेत्रों में इन परिभाषाओं के विस्तार की व्यवस्था है। दिसम्बर, 1985 में कलकत्ता हवाई अड्डे को इस उपबन्ध में अन्तर्गत "अत्यधिक संवेदनशील" क्षेत्र घोषित किया गया था। इसी प्रकार भारतीय सीमा शुल्क जल क्षेत्र आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी में यनम और भारत के तट से 50 किलोमीटर चौड़े आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और यनम के भीतरी क्षेत्रों में शामिल क्षेत्रों को दिसम्बर 1991 में अत्यधिक संवेदनशील" क्षेत्र घोषित किया गया था। यदि सक्षम प्राधिकरण अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत यह घोषणा करता है कि किसी व्यक्ति के "अत्यन्त संवदेनशील क्षेत्र" में तस्करी की गतिविधियों में शामिल होने की आशंका है, तो अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत अधिकतम नजरबन्दी को अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दी जाती है। ऐसे मामलों में सलाहकार बोर्ड की राय नजरबन्दी तीन महीने की अवधि के बजाये छः महीने में प्राप्त होनी आवश्यक है। जहां तक फेरा के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिये नजरबन्द किये गये व्यक्तियों के मामले का सम्बन्ध है, नजरबन्दी की अधिकतम अवधि एक वर्ष है। इन मामलों में धारा 9 के उपबन्ध लागू नही होंगे।

पिछले अनुभवों से यह पता लगता है कि अधिनियम की धारा 9 के उपबन्ध तस्करी को रोकने में भारी निवारक सिद्ध हुए हैं। अतः 31 जुलाई 1996 के बाद जारी नजरबन्दी आदेशों से सम्बन्धित अधिनियम की धारा 9 के उपबन्धों को और तीन वर्ष की अवधि के लिये जारी रखना आवश्यक समझा गया। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः

"कि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के लिये एक घंटे का समय निर्धारित किया गया है। मुझे केवल एक माननीय सदस्य का नाम मिला है, जो इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं। मैं श्री रमेन्द्र कुमार को बोलने के लिये पुकारता हूं। कृपया संक्षिप्त में बोलें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वी. धनन्जय कुमार (मंगलौर): हम दो लोगों का नाम हैं। हमें भी मौका मिलना चाहिये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री भवानी शंकर रावत का नाम पुकारता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर विचार करने के पूर्व मैं आपका ध्यान एक बिन्दु की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। शून्यकाल में कोई नोटिस नहीं लिया जाता था, इसलिए नियम 377 और सबमिशन की प्रक्रिया प्रारम्भ की थी। दुर्भाग्य की बात है कि प्रक्रिया प्रारमी करते समय यह निर्णय लिया था कि इसका रिप्लाई माननीय सदस्यों को भिजवाया जाएगा। हम नियमित रूप से 9.30 बजे आकर अपना सबमिशन देते हैं, 377 देते हैं लेकिन आज तक किसी भी मंत्री ने 377 का नोटिस नहीं लिया, हमें जवाब नहीं भिजवाया। इस सबमिशन और 377 देने के पीछे भी भावना यह थी कि व्यर्थ की जो लोक सभा में शून्यकाल में चर्चा होती थी, वह नोटिस में नहीं ली जाती। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार के माननीय मंत्री जो सात दिनों के अन्दर 377 और सबमिशन उठाने वालों व्यक्ति को उसका रिप्लाइ भेजेंगे।

अपराह्न 12.43 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

माननीय उपाध्यक्ष जी, कृपा करके मंत्रियों को दिशा-निर्देश दें कि जो हम सबमिशन और 377 देते हैं, उनका रिप्लाई माननीय सदस्यों को भेजें नहीं तो 377 और सबमिशन की प्रक्रिया की स्थिति भी शून्यकाल जैसी हो जाएगी। कृपा करके आप माननीय मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री को दिशा-निर्देश दें कि सबमिशन और 377 का रिप्लाई निश्चित रूप से भेजा करें, यह मेरा आपसे आग्रह है।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, वे चर्चा में हस्तक्षेप नहीं कर सकते और अन्य मामला नहीं उठा सकते। अध्यक्ष ने माननीय सदस्य को बोलने के लिये पुकारा है...**(व्यवधान)** विधेयक पर चर्चा आरम्भ हो गई है।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : माननीय उपाध्यक्ष जी, ऐसी परम्परा रही है कि 377 में जो विषय उठाया जाता है, उसका जवाब संबंधित मंत्रालय से आता है किन्तु प्रतीक्षा के बावजूद भी इस प्रकार के जबाव नहीं आते हैं। कृपया इस व्यवस्था को लागू करने के लिए आप निर्देश जारी करेंगे कि जो विषय उठाया गया है, उसका उत्तर मंत्रालय दे जिससे विषय का महत्व ओर अधिक हो जाएगा और उसका उद्देश्य सार्थक हो जाएगा।...**(व्यवधान)**

श्री वी. धनन्जय कुमार : यह तो ठीक है, मगर हम आपकी जानकारी में ला रहे हैं।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप नियम 377 के बारे में कुछ कहना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम् : परम्परा यह है कि नियम 377 के अन्तर्गत नोटिस सम्बद्ध मंत्रियों को दिया जाना चाहिये। मंत्रियों को माननीय सदस्य को उत्तर देना चाहिये। यदि कोई मंत्री उत्तर नहीं देता है, तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि मंत्री नियम 377 के अधीन सदस्य को उत्तर दें।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : उपाध्यक्ष महोदय, कन्जरवेशन ऑफ फॉरन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज (अमेंडमेंट) बिल, 1996, जो विचारार्थ सदन में प्रस्तुत है, उसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन उससे पहले मैं इस बिल के बारे मं कुछ कहना चाहूंगा। इस विधेयक को स्टेचुटरी-बुक्स में लाने से कोई फायदा नहीं है, जब तक सरकार में इस विधेयक को अमलीजामा पहनाने की इच्छाशक्ति न जगाई जाए। देश के अन्दर आर्थिक अपराधों में निरन्तर गतिविधियां चल रही हैं। इसलिए इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मामला बहुत खतरनाक है। इस एक्अ के माध्यम से इसको रोका जा सकता है। इस समय स्मलिंग एटिविटीज के कारण आर्थिक अपराधों में अधिकता हो गई है। इससे देश की एकता और अखण्डता गम्भीर खतरे में हैं। चूंकि आतंकवादियों द्वारा धन अर्जन किया जाता है तो इससे आतंकवादियों को प्रोत्साहर मिलता है। ऐसे जो आर्थिक संसाधन हैं, उनसे देश के अन्दर आतंकवादी गतिविधियां पैदा होती हैं, चाहे वह आरडीएक्स के माध्यम से हो या अवैध हथियारों के माध्यम से हो या अन्य प्रकार से हो। हाल ही में आपकी जानकारी में आया होगा कि पुरुलिया में हथियारों की वर्षा हुई है। यह वर्षा कोई मुफ्त में आकाश से नहीं हुई है। यह हथियारों की वर्षा कराई गई है और इस सब के पीछे अवैध धन है, जिसके माध्यम से हथियारों को खरीदा गया है और डालने की कोशिश की गई है। हथियारों की तस्करी हो रही है और इस साधन से देश के अन्दर अन्य प्रकार से सैबोटाज किए जा रहे हैं, चाहे वह पंजाब हो, चाहे काश्मीर हो, चाहे तमिलनाडु हो या पूर्वी भारत का हिस्साा हो। इस प्रकार के उपद्रवों पर अंकुश लगयाा जाना आवश्यक है। केकवल कानून बना देने से काम नहीं चलता है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह अवैध समानान्तर चल व्यवस्था कर देश की अर्थ-व्यवस्था को नष्ट कर रहा है। इसलिए भी इस कानून को राइट अर्नेस्ट दृष्टि से लागू किया जाना आवश्यक है, लेकिन भारत सरकार की इच्छाशक्ति नहीं है। इस इच्छाशक्ति के अभाव में इतने वर्षों से चले आ रहे कानून में परिवर्तन नहीं हो रहा है और देश में खतरा पैदा हो रहा है।

अब मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। इस कानून के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है और राजनीतिक लोगों से आर्थिक अपराधियों का गठजोड़ नैक्सन बन रहा है, जिसके कारण इस देश की अर्थ व्यवस्था को रसातल में ले जाया राह है। 133 करोड़ रुपए का यूरिया घोटाला हुआ। यूरिया घोटाले के मामले में डायरैक्टोरेट ऑफ एन्फोर्समेंट ने कहा है कि फैरा कानून का उल्लंघन हुआ है और उसकी जांच करनी हैं, लेकिन सीबीआई उसमें सहयोग नहीं दे रही है। इन्होंने इस बारे मे जो पत्र लिखा है, उसका उत्तर नहीं दिया गया है। मैं यह कहना चाहूंगा राजनीतिक दबाव के अन्दर यूरिया स्कैंडल को दबाने की कोशिश हो रही है। यह मैं पहले ही कह चुका हूं कि अधिनियम का उल्लंघन हुआ है, लेकिन अधिनियम के उल्लंघन के बावजूद भी डायरैक्टोरेट ऑफ एन्फोर्समेंट द्वारा पहल किए जाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मेरा निवेदन है कि उनको पूरा अवसर दिया जाना चाहिए जिससे कि पूरे आस्पैक्ट की जांच-पड़ताल हो सके। इसके अन्दर जग-जाहिर है कि श्री प्रकाश यादव, जो अभियुक्त है, ने कहा है कि दुबई में सारी पेमेंट्स धर्मेश यादव और रंजन भंडारी के माध्यम से हुई है।

लेकिन उसके बाद भी उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। इसी प्रकार से यूरिया घोटाले में एक और भी उदाहरण (इनस्टांस) इसमें आया है लेकिन उसके अंदर भी कानून का इम्पीलीमेटेशन नही किया जा रहा है। जब कि इसमें दिया है कि इसको सख्ती से और पूरी

पावर से इम्पलीमेंट किया जाए। सी.बी.आई. जानती थी कि फेरा का उल्लंघन हो रहा है। 38 मिलियन डालर का जो धन एम.बी.आई. द्वारा दिया है वह गलत है। लेकिन एस.बी.आई. ने यूरिया स्कैम का जांच में कोई गंभीर रूचि नहीं ली है और इस पर कोई रोक लगाई है। जब तक कानून का एन्फोर्समेंट वित्त मंत्री जी गंभीरता से नहीं कराते तब तक ये सब बेकार है।

इसके साथ ही दस अरब रुपए का चीनी घोटाला हुआ। उसमें से चार अरब रुपये विदेशों में गये, लेकिन उस चीनी घोटाले के तहत विदेशी मुद्रा जमा नहीं की गई। उसके खिलाफ कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई। बैंकिंग स्कैम, जिसे हर्षद मेहता घोटाले के रूप में जाना जाता है इसमें भी कोइ प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई। इसमें जो अधिकारी दोषी थे उनको बचाया जा रहा है उनके रिरटायरमेंट की पांच साल की अवधि के अंदर अगर कार्यवाही नहीं की गई तो वे जिम्मेदारी ग मुक्त हो जाएंगे। डिसइनवेस्टमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक सैक्टर अंडरटैकिंग्स का घोटाला है, जिसे पी.ए.सी ने लगभग आठ हजार करोड़ क्वांटिफाई किया था, सी एंड एजी ने 2800 करोड़ का क्वांटिफाई किया था। उसमें भी जो धन विदेशों में गया उसके कारण इस कानून9 में अनियमितता बढ़ती गई। उस मामले में भी इस कानून के अंतर्गत कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई।

महोदय, बोफोर्स के रथ पर सवार होकर जनता दल ने 1981 में सत्ता हासिल की थी, अब जनता दल के मित्र उस बोफोर्स को भूल गए हैं। उसके अंदर भी फेरा का उल्लंघन हुआ है। राजनैतिक सुविधाओं के कारण उनकी पोलिटिकल कनविनियंस है इसलिए वे इसको छिपा रहे हैं। जैन हवाला कांड हुआ, जिसने सारे देश की राजनैतिक व्यवस्था को उलट-पलट कर दिया। फेरा में उचित समय पर अगर कार्यवाही कर दी गई होती तो यह स्थिति न बनती। इस कारण से सारे देश की राजनैतिक व्यवस्था हिल गई है। लेकिन ये सब सरकार की कमजोरी के कारण हुआ है।

महोदय, अभी मैं पढ़ रहा था कि उत्तर प्रदेश के आई.ए.एस. आफिसर्स की मीटिंग होने जा रही है। वह तय् करेगी कि उत्तर प्रदेश के 15 केडर में तीन भ्रष्टतम अधिकारी कौन से हैं। उनकी तलाश की जा रही है। ये लोग भी अवैध रूप से धन अर्जित करके विदेशों में रखते हैं। उनकी राजनीतिज्ञों से सांठ-गांठ है। उसी के आधार पर यह भ्रष्टाचार करते हैं और विदेशों में धन जमा करते हैं। चुनाव में भी इस धन का दुष्प्रभाव देखने में आया है। इसलिए मेरा कहना यह है कि सरकार इच्छाशक्ति जगाए और इसको प्रभावशाली ढंग से लागू करे, तभी इसका लाभ है अन्यथा कानूनों की पुस्तकों में एक नया कानून बनाकर बढ़ा देने से कोई लाभ नहीं है। एक मेरा कहना यह भी है कि जिस प्रकार से विदेशी बैंकों में काला धन जम होता है उसके लिए सख्ती करने की आवश्यकता है। इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए सरकार पहल करे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से यह कार्य कराया जाए या सरकार स्वयं यह कार्य करे। आजादी के इतने दिनों बाद भी अभी तक इसके लिए कोई आर्थिक प्रयास नहीं किया गया है। विदेशी बैंकों में काला धन जमा करके हवाला के माध्यम से फिर से यह धन भारत में आता है, इसको रोका जाए। देश में यह समांतर अर्थव्यवस्था चल रही है।

सरकार ने कुछ प्रयास किए थे, हवाला एक्टीविटीज को रोकने के लिए। लेकिन वे एक्टीविटीज रूकी नहीं, उसके वांछित परिणाम नहीं मिल सके। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने एक एरिया बनाया है कंट्राबेंड गुड्स के लिएर, जिसे ये और वलनेरेबल एरिया बोलते हैं। आज तो समूचा देश ही वलनेरेबल एरिया है और इसलिए यह नियम नहीं रहना चाहिए कि एरिया के अंदर अगर कोई औफेंस करे तो वह ग्रेव औफेंस है लेकिन बाकी देश के हिस्से में वह करे तो उसकी ग्रेविटी समाप्त हो जाए। मैं कहना चाहूंगा कि सारे देश को वलनेरेबल एरिया मानते हुए सब जगह अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मुझे तकलीफ है इस बात की कि देश में मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है, विदेशों से विदेशी गुड्स का आना बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो आंकड़े दर्शाते हैं कि 1992-93 में 498 करोड़ रुपए का अवैध माल जब्त किया गया, 1993-94 में 456 करोड़ रुपए का और उसके बाद के वर्षों में और कम हो गया। तो भारत सरकार इसके लिए क्यों नहीं कड़े प्रयास करती है? इसके प्रयास किए जाएं और जो कोस्टल गार्डस हैं या अन्य तस्करों से निपटने वाले संस्थान हैं उनको सभी प्रकार से आधुनिक उपकरण, आयुध, तेजी से दौड़ने वाली नौकाएं व अन्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए जिससे कि वे तेजी से तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा।

मैं इस बिल का इस आग्रह के साथ समर्थन करता हूं कि यह केवल एक रस्मो-अदायगी ही न जाए बल्कि सरकार इसके लिए कुछ कड़े कदम उठाए और जो राजनैतिक व्यक्तियों का और अपराधियों का नैक्सन बना हुआ है उसको तोड़ने के लिए प्रभावकारी कदम उठाए जाएं।

श्री रमेन्द्र कुमार (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। समर्थन तो इसका वे सभी लोग करते हैं जिन्हें इस देश से प्यार है और जो लोग इस देश की एकता और अखंडता में विश्वास करते हैं। यह बिल देखने में बहुत छोटा है। देखन में छोटा लगे, घाव करे गंभीर।

उपाध्यक्ष महोदय, ये कानून हमारे देश पिछले 22 वर्षों से लागू हैं। मगर इन 22 वर्षों के दौरान क्या हमारे देश में तस्करों की संख्या घटी है या बढ़ी है। मैं समझता हूं कि हमारे देश में तस्करों की संख्या बढ़ी है। जो लोग दो नम्बर से पैसा कमाते हैं, धनोपार्जन करते हैं उनकी संख्या बढ़ी है। यही बिंदु है जिस पर हमें सोचना है कि क्यों इस देश में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है। इसके क्या कारण हैं? उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं और जैसी कि हमारे इलाके में एक कहावत है कि सरसों में ही भूत है, यानि जिस सरसों से हम भूत को झाड़ते हैं उसी सरसों में भूत आ गया है। यानि इस कानून को जो लागू करने वाले हमारे अधिकारी हैं कहीं उनकी भी तो इसमें सांठ-गांठ नहीं है। क्या कारण है कि हमारे देश में दूसरे देश से आर्म्स चले आते हैं, हवाई-जहाज से चले आते हैं, एक्सप्लोसिव चले आते हैं और इसका

हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कौन आया कौन गया, इसके पीछे कौन लोग हैं। अगर यह पता नहीं चलता है तो कहीं हमारी व्यवसीा में ही गड़बड़ी है।

अपराह्न 1.00 बजे

यदि कानून बना दें, उस कानून को कड़ाई से लागू न करें और उसका पालन न हो तो कानून बनाने से क्या होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप जो भी कानून बनाते हैं, जिस पर आपको हम सबका समर्थन प्राप्त होता है, उसका सख्ती से पालन करें और पालन करने में कोई भेदभाव न हो, कोई पक्षपात न हो।

मेरी अपनी यह समझ है कि तस्करों का सामाजिक, राजनैतिक सम्बन्ध हैं वे हमारे देश की राजनीति में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का कुछ खोट दिखलायी पड़ रहा है। तस्करों पर कड़ाई के साथ जैसा प्रहार होना चाहिए, वैसा हमारी सरकार प्रहार नहीं कर रही है। इसलिए हम सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि जो भी कानून आपके पास है और उसने आपको जो अधिकार दिये हैं, उनका आप सख्ती से पालन करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर इस बिल का समर्थन करता हूं। मुझे उम्मीद है कि यह सरकार तस्करों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करेगी। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री बी.के. गढ़वी (बनासकांठा) : उपाध्यक्ष महोदय, तकनीकी दृष्टि से यह एक छोटा विधेयक है जिसमें केवल समयावधि बढ़ाने की मांग की गई है। लेकिन, महोदय तस्करी देश के लिये आगे शाप है और आज यह विश्वव्यापी प्रवृत्ति है। देश में विभिन्न प्रकार की तस्करी की गतिविधियां चल रही हैं। पहले चांदी की देश के बाहर तस्करी की जाती थी अथवा देश में बाहर से सोना चोरी तस्करी की जाती थी। सोने का आयात किये जाने के बाद, समान के साथ अथवा विशेष आयात लाइसेंस के अन्तर्गत अधिक लाने की अनुमति दिये जाने के बाद सोने की तस्करी में कमी आई थी, लेकिन इसमें पुनः वृद्धि हो रही है। आर.डी.एक्स., हथियारों और नशीली दवाइयों की तस्करी में भारी वृद्धि हुई है। यह देश के लिये अभिशाप है। अतः मै। सरकार को सुझाव देता हूं कि तस्करों को नजरबन्द करने के अथवा जिनके तस्करी की गतिविधियों में शामिल होने की आशंका है अथवा जो उतराई एजेंट क्षेत्र में कार्यरत है, के बारे में दो बातें किये जाने की आवश्यकता है। जो लोग नशीली दवाइयों, आर.डी.एक्स, हथियारों, विस्फोटकों आदि की तस्करी में लगे हैं, उन्हें कम से कम तीन वर्ष की सजा होनी चाहिये और जो व्यक्ति अन्य वस्तुओं की तस्करी में लगे हैं, उन्हें इस विधेयक के अन्तर्गत नजरबन्द किया जा सकता है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, तो हम जो प्रतिरोधक कार्यवाही तस्करों के विरूद्ध करने का इरादा रखते हैं, वह प्रभावी नहीं होगी।

दूसरे, मुझे खुशी है कि तटरक्षक दल प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। मैं अपने सीमाशुल्क अधिकारियों की गतिविधियों और दक्षता की भी सराहना करता हूं। यह अच्छा है कि हम सूचना देने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार देते हैं लेकिन सीमा शुल्क अधिकारियों को भी पुरस्कार दिये जा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप सीमा शुल्क अधिकारियों में असंतोष पैदा हो रहा है क्योंकि यदि किसी सक्षम सीमा शुल्क अधिकारी को तट पर नियुक्त न कर देश में अन्यत्र, मध्य भारत में जहां उसे तस्करों को पकड़ने का कोई खास अवसर नहीं है नियुक्त किया जाता है तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, जबकि जिन अधिकारियों की नियुक्ति तटीय चुंगी पर अथवा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में की जाती है, उन्हें पुरस्कार प्राप्त होता है। पुरस्कार अवश्य दिया जाना चाहिये, लेकिन मेरा सुझाव है कि ऐसे सुझावों को 'पूल' में रखकर सीमा शुल्क अधिकारियों के कल्याण के लिये उपयोग किया जाना चाहिये।

उन्हें व्यक्तिगत लाभ नहीं दिया जाना चाहिये। अन्यथा स्थानान्तरण करवाने के लिये जोड़-तोड़ किया जायेगा, जिसे रोका जाना चाहिये।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह कि तटरक्षक जो सब जगह प्रभावशाली ढंग से कार्य कर रहे उनकी विभिन्न गतिविधियां हैं। उनका कार्य ने केवल तस्करी की गतिविधियों को रोकना है बल्कि अन्य गतिविधियां भी है। मेरे विचार से अन्य विकसित देशों में तटरक्षक अथवा इसी प्रकार के बलों को प्राप्त सुविधाओं की तुलना में हमारे देश के तटरक्षकों के पास उपकरणों, परिवहन सुविधाओं का अभाव है। उनके पास नाविक बेड़े और विमान बेड़े को भी अभाव है। अतः सरकार को इन क्षेत्रों की ओर और अधिक ध्यान देना चाहिये और तस्करी का मुकाबला करने के लिये और अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिये।

तस्करी की गतिविधयां अब विश्व स्तर पर फैल गई है। इस पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। इससे देश की समस्त अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवसीा प्रभावित होती है। उसके परिणामस्वरूप समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों में आपराधिक प्रवृत्ति पैदा होती है। विपक्ष के मेरे मित्र ने ठीक ही कहा है कि जब पूरे देश की सीमा ही तस्करी के प्रति संवेदनशील है तो किसी विशेष क्षेत्र और बंग्लादेश नेपाल से जुड़ी सीमा अथवा अन्य क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने से, क्या लाभ? यदि ऐसी बात है तो इनकी अवधि थोड़े-थोड़े समय पर बढ़ाने की मांग का क्या औचित्य है। ये दो बातें विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निरन्तर जारी रहने वाली गतिविधियां हैं। अतः इसकी अवधि एक अथवा दो वर्ष के लिये बढ़ाने की बजाये। सरकार इसको स्थायी क्यों नहीं कर देती ताकि इस विधेयक को बार-बार सभा में प्रस्तुत न करना पड़े।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। यह बहुत छोटा विधेयक है। मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। लेकिन मैं आशा करता हूं और मुझे विश्वास है कि मैंने जो सुझाव दिये हैं सरकार उन पर विचार तथा उचित कार्यवाही करेगी।

श्री वी. धनन्जय कुमार (मंगलौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक में अन्तर्ग्रस्त उपबन्धों का समर्थन करता हूं। यद्यपि ये

उपबन्ध पूर्णतया संतोषजनक नहीं हैं, जैसाकि कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने भी कहा है कि उपबन्धों को और तीन वर्ष अर्थात् 31 जुलाई 1999 तक बढ़ाये जाने की बजाये स्थायी किया जाना चाहिये। आज हम सब लोग जानते हैं कि समस्त देश में राष्ट्रविरोधी और विघटनकारी गतिविधियां चल रही हैं और हम प्रतिदिन ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते हैं जिनसे पता लगता है कि देश के नागरिकों का जीवन और सम्पत्ति खतरे में है। अनेक निर्दोष लोग मारे जाते हैं। बम्बई में हुए दंगे इस बात का उदाहरण है।। इन दंगों में आर.डी.एक्स. विस्फोटक की निर्दोष की हत्या करने में बड़ी मात्रा में प्रयोग किया गया। दुर्भाग्य से हम अपराधियों को पकड़ने में असफल रहे, जबकि इस जघन्य घटना को घटित हुए तीन अथवा चार वर्ष से अधिक समय हो गया है।

मूल अधिनियम में, परिभाषा में उन विशेष क्षेत्रों की पहचान की गई है जो तस्करी की गतिविधियों के कारण प्रकाश में रहे हैं। मैं कर्नाटक राज्य से हूं। कर्नाटक राज्य का तट 300 किलोमीटर लम्बा है। विभिन्न विशिष्ट पत्तनों और कर्नाटक तट से लगे अन्य पत्तन नगरों के माध्यम से भी देश में अवैध रूप से हथियार लाये जा रहे हैं। हमारे सामने बटकल का उदाहरण हैं।

अभी कल ही सदन में एक माननीय सदस्य को अपने जीवन की रक्षा के लिये अनुरोध करना पड़ा: हथियारों और आर.डी.एक्स. जैसे विस्फोटकों की अवैध तस्करी में सफलतापूर्वक लगे ऐसे व्यक्तियों ने देश मं भय की वातावरण उत्पन्न कर दिया है। वे कानून और व्यवस्था में भी हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे हैं।

अनेक बार कानून और व्यवस्था तंत्र अपने को असहाय महसूस करता है। निसंदेह, इन गतिविधियों को नियंत्रित करने और अपराधियों को पकड़ने के लिये अनेक एजेंसियां हैं। लेकिन माननीय वित्त मंत्री ने इन एजेंसियों अर्थात तटरक्षकों को सुदृढ़ बनाने के लिये पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करने की उदारता नहीं दिखाई है। यद्यपि तटरक्षक दल प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं, उनके लिये आधुनिक नौकाओं, जो अपराध कर भागने वालों का तेजी से पीछा करने के लिये आवस्यक है, की व्यवस्था नहीं की गई है। अनेक वार तटरक्षक दल अपराधियों को पकड़ने में असमर्थ रहते हैं।

इसी प्रकार सरकार को अन्य एजेंसियों को भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता होती है। यह कहना पर्याप्त नहीं है कि हम इस विशेष सेक्शन में उल्लिखित अवधि को बढ़ायेंगे ताकि ऐसे मामलों में जिनमें निवारक नजरबन्दी आदेश, जिन्हें 31 जुलाई, 1999 से एक दिन पूर्व भी पास कर दिया गया होगा, सलाहकार बोर्ड की राय जानेबिना नजरबन्दी आदेश विशिष्ट अवधि तक लागू रखे जा सकेंगे। मैं कह सकता हूं कि अधिनियम में यह स्थायी व्यवस्था होनी चाहिये। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या इस प्रकार के उल्लंघन और तस्करी पर वर्ष 1999 तक नियंत्रण किया जा सकेगा ताकि विशिष्ट समय को और बढ़ाये जाने के लिये जाने के लिये अन्य संशोधन लाने की आवश्यकता न पड़े। उपबन्ध को स्थायी उपबन्ध न बनाये जाने के क्या कारण हैं? शायद माननीय मंत्री के दिमाग में यह बात हो कि ऐसे उपबन्धों का किसी को बन्दी बनाने में राजनीतिक अथवा बदले की भावना से दुरुपयोग किया जाये। इससे किसी व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का खतरा उत्पन्न होगा क्योंकि उसे सलाहकार की सहाल और कहने का अवसर दिये बिना लम्बे समय तक जेल में रहना पड़ेगा। मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि वह एक वैकल्पिक तंत्र पर विचार करे और ऐसे सब मामलों मं पुनरीक्षा की व्यवस्था करे।

उच्चतम प्राधिकरण समय समय पर इस बात का पुनरीक्षण कर सकता है। लेकिन अधिनियम के उपबन्धों में निर्धारित समय के भीतर हमें सलाहकार बोर्ड की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है।

अपराह्न 1.15 म.प.

(श्रीमती गीता मुखर्जी पीठासीन हुई)

अनेक बार यह कहा जाता है परहेज इलाज से बेहतर है। अतः हमें ऐसे अपराधों को रोकने के लिये यथा सम्भव सख्त उपाय करने चाहिये। देश में लोकतंत्र को समाप्त करने वाले लोगों के बीमार दिमाग में भय की भावना विकसित की जानी चाहिये। समस्त विश्व में इसी प्रकार की समस्याएं व्याप्त हैं और विश्व का समस्त समुदाय इस बारे में चिन्तित है। हम जानते हैं कि यहां तक कि राज्य के प्रमुखों को भी इन लोगों के रोष का सामना करना पड़ता है। ये अवैध रूप से चोरी छिपे लाये गये हथियारों को प्रयोग कर विश्व में अशान्ति को बढ़ावा देते हैं। अतः भारत को इस मामले में पहल करनी चाहिये। हमें स्थायी रूप से इन गतिविधियों को रोकने में सक्षम होना चाहिये। हमें इस बात का दृढ़ निश्चय करना चाहिये कि हमारे देश में ऐसी गतिविधियों के लिये कोई स्थान नहीं होगा। तस्करी द्वारा देश में अवैध हथियार लाकर उनसे लोगों पर हमला करने वालों को हम कभी भी सहन नहीं करेंगे।

मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहूंगा कि वह विशेष रूप से इस धारा में उल्लिखित क्षेत्रों के सम्बन्ध में यह सर्वेक्षण कराये कि इन क्षेत्रों में घातक हथियारों ओर आर.डी.एक्स. जैसे विस्फोटकोंकी क्या समभावनाएं हैं। उद्देश्य और कारण विवरण में यह उल्लेख किया गया है कि हमारे देश में न केवल घातक आर.डी.एक्स. की तस्करी के मामले सामने आये हैं, बल्कि इन्हें विभिन्न क्षेत्रों में गिराया तक गया है। दुर्भाग्य से कानूनी तंत्र उन अपराधियों का पता लगाने और पकड़ने में असफल रहा और न ही कानूनी प्रक्रिया से उन्हें सजा दिलवा सका है। अतः हमें अग बहुत सतर्क होना पड़ेगा। हमे इस मामले में अनुमान लगाना होगा। हमें इस प्रकार के लोगां की, विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में जहां इस प्रकार की गतिविधियां अधिक होती हैं, खोज करनी होगी।

आज आधुनिक तकनीक के विकास होने पर, हम यह कहकर सन्तुष्ट नहीं हो सकते कि केवल कुछ ही क्षेत्र ऐसी गतिविधियों से प्रभावित हैं। आज किसी विशेष पत्तन नगर अथवा तटवर्ती क्षेत्रों के माध्यम से देश में अवैध रूप से लाये जा रहे घातक विस्फोटक देश के किसी भाग में कम से कम अवधि में पहुंच सकते हैं।

प्रत्येक वर्ष, विशेष अवसरों जैसे स्वतंत्रता दिवस और अन्य पावन अवसरीं पर, हम पूरी सावधानी बरतते हैं। यहां तक कि राजधानी दिल्ली में भी किसी कोने से हमले की आशंका बनी रहती है। इस दौरान हम सतर्क रहते हैं।

इस दौरान हम सतर्क हो जाते हैं। और फिर ऐसे लोगों की खोज करने में जुट जाते हैं जो इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने में समक्ष हैं।

मुझे पूरी जानकारी है कि सरकार के पास ऐसे लोगों के अते-पते की नियमित सूची है। सरकार उस पूरी सूची का पुनरीक्षण कर अग्रिम कार्यवाही क्यों नहीं करती और फिर उपचारात्मक उपाय क्यों नहीं करती? संदिग्ध लोगों की गतिविधियों पर निकट से निगरानी रखी जानी चाहिये। यह विशेष उपबन्ध ऐसे ही मामलों के लिये किया गया है। यदि सरकार वास्तव में कानून के उपबन्धों के अनुसार कार्य करती है तो सरकार के लिये ऐसे मामलों का पता लगाना कठिन नहीं होगा। ऐसे लोगों का पता लगाना कठिन नहीं होगा जिनके इन गतिविधियों में शामिल होने की आंशका है और उनको पकड़ा जा सकेगा और इस प्रकार की गतिविधियों की पुनरावृत्ति को पहले ही रोका जा सकेगा।

माननीय मंत्री को इस मामले में पुनः विचार करना चाहिये और अधिनियम में इस उपबन्ध को स्थायी स्थान दिया जाना चाहिये ताकि लोगां के दिमाग में व्याप्त भय को हमेशा के लिये दूर किया जा सके और वे इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होने से भयभीत हों।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक के उपबन्धों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय सभापति जी, इस बिल का नाम ही विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) विधेयक, 1996 हे। विदेशी मुद्रा का संरक्षण करना जरूरी है और तस्करी बन्द हो जाए, मूलतः इस बिल की यही भावना है। जैसे मेरे पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि आपने एक एडवाइजरी बोर्ड बना रहा है। और आप अपना तीन वर्ष का शपथ और बढ़ाना चाहते हैं यानी 1999 तक का समय बढ़ाना चाहते हैं। मैंने संशोधन दिया है 1996 तक का। अब तो वह बाद में आएगा। जब एडबाइजरी बोर्ड द्वारा गया और मालूम है कि जब तस्करी होती है तो इस तस्करी को रोकने के हित में रोका जाना जरूरी है।

दो वर्ष पहले इसमें अमेंडमेट किया गया था। तब भी मुझे इसका विरोध करने का अवसर मिला था। इसमें बार-बार अमेंडमेंट लाना और तीन-तीन वर्ष का समय बढ़ाना, यह उचित नहीं है और यह पार्लियामेंट को शोभ नहीं देता। अब तब युनाइटेड फ्रंट की सरकार है, यह तो उस समय बार-बार इस प्रकार से अमेंडमेंट लाकर कानून बनाने का विरोध करती रही है फिर जब अब आपकी ही सरकार है, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप तो इक्कीसवीं सदी में जाने का इरादा रखते हैं, आप तो नई सदी में जाना चाहते हैं इसलिए इस सरकार को बार-बार इस प्रकार से आडीनेंस नहीं लाने चाहिए।

महोदय, चूंकि भूतपूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री ने इसका स्वागत कर दिया है इसलिए मैं भी इसका स्वागत करता हूं, लेकिन मेरा एक निवेदन है कि इसका वांछित परिणाम देश में नहीं निकला है और इसमें राजनीतिक अपराधीकरण बढ़ा है। मुझे क्षमा करेंगे आप कौन सी पार्टी से हैं मुझे ध्यान नहीं हैं, मगर कांग्रेस के भी कई सांसद ऐसे हैं जो तस्करी में लिप्त हैं जिनके नाम मैं यहां नहीं बोल सकता हूं और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको गुपचुप में नाम भी बता दूंगा। वे तस्करी चुनाव लड़ते हैं।

सौभाग्य से हमारे लक्ष्मी नारायण पाण्डे साहब यहां पर विराजमान हैं। इनका और मेरा प्रदेश पास-पास लगा हुआ है। वहां मंदसौर, झालावाड़ ओर वितीह में तस्करी होती है। पिछली बार भी 12 हजार करोड़ रुपये की तस्करी हुई। मेरा यहां पर निवेदन करना है कि इसमें सी.बी.आई. का कोई सहयोग नहीं है। वहां असरदार असर नहीं हो रहा। इसका कारण यह है कि मंदसौर में, दालावाह में, चित्तौड़ में अगर किसी इंसपेक्टर की पोस्टिंग करवानी हो तो वह सूद भी मालामाल हो जाता है और दूसरों को भी मालामाल कर देता है क्योंकि वहां जो भी तस्करी होती है, उनसे उसे कमाई होती है। उन सभी स्तानों पर यह पोस्ट निकसी है। जिस तरह से कस्टम और चुंगी विभाग में ट्रांसफर नहीं होती उसी प्रकार इस विभाग में भी ट्रांसफर होना बहुत मुश्किल है। वहां कोई शक्तिशाली काम होना चाहिये।

आपने कहा है कि विदेशों से गोल्ड और सिल्वर भारत में ला सकते हैं जिससे कि यहां इनकी ब्लैक नहीं होगी। मैं समझता हूं कि इस छूट के आधार पर 1992 में आपने 582 करोड़ रुपये का सोना जब्त किया और 1990-91 में 474 करोड़ रुपये का सोना जब्त किया। इससे यदि आप यह अनुमान लगाना चाहें कि यहां सोना सीधे नहीं आयेंगी, ऐसा नहीं है। इस देश में दूसरी चीजों का भी तस्करी होगी। मेरा एक और निवेदन है कि यदि किसान अफीम का काम करता है तो उसे 10 साल की सजा होती है ओर यदि तस्कर पकड़ा जाता है तो उसे दो साल की सजा दी जाती है। यह कितनी अजीब बात है कि गरीब किसान को अफीम की खेती करने पर 10 साल की सजा मिलती है जबकि तस्कर जेल में मौज उड़ाता है। होता यह है कि वह घर पर सोता है, सिनेमा देखता है और जेल में भी उसके लिए बढ़िया कमरा होता है। वह वहां टी.वी. देखता है, न्यूज सुनता है, अखबार देखता है और मौज करने के बाद दो साल में वापिस आ जाता है। अब यदि संयुक्त मोर्चा की सरकार में तस्करी करने वाला है तो आप दो साल रखिये और हमारे प्रधान मंत्री भी किसान के चेहते हैं। वे कहा करते हैं कि हमारी सरकार किसानों की समर्थक है। आपको किसानों को लाभ देना चाहिए, तस्करी की सजा बढ़ानी चाहिए।

मैं तस्कर के पक्ष में नहीं हूं क्योंकि तस्कर इस देश का दुश्मन है। वे माफिया के सदस्य हो गये हैं। वे यहां पर हीरो और हेरोईन भी लाते हैं। वे दोनों की तस्करी कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि हीरो-हेराईन की तस्करी करने वालों को ज्यादा सजा मिलनी चाहिए।... ..(व्यवधान) मेरा मामला यह है कि वह हथियारों की तस्करी करते हैं। पाकिस्तान की सीमा हमसे मिली हुई है, कश्मीर की सीमा हमसे

मिला हुई है, नेपाल की सीमा हमसे मिली हुई है। ये यहां पर आते ह और यहां हथियारों की सप्लाई करते हैं। इस देश में यूं ही कश्मीर की समस्या का समाधान न हो, लोग छावनी बना सकें, आतंकवादियों का ट्रेनिंग दे सके, भारतवर्ष में रोजाना आक्रमण हों। इसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए।

मैंने पिछली बार निवेदन किया था कि मेरे जयपुर के छः व्यक्ति कश्मीर घूमने के लिए गये थे और कुछ इलाहाबाद के गये थे। वह वहां मां वैष्णों देवी के दर्शन करके होटल चले गये। होटल में उनसे एक सज्जन ने कहा कि आपने क्या देखा है? अगर आपने वह झील नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा। आजकल वहां बहुत शांति है इसलिए आप उसे देखने चलो और वे उन्हें बहका कर झील दिखाने ले गये। उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं तो वे कहने लगे कि हम आपको पांच हजार रुपये देते हैं और वह उन नौजवानों को वहां ले गये। वहां ले जाने के वाद उनसे पूछा गया कि तुम किस जात के हो, हिन्दु हो तो उन नौजवानों ने कहा कि हम हिन्दु हैं। हिन्दु हो तो हम तुम्हारे पास एक मूर्ति रखते हैं। आप लोग इस मूर्ति को हिलाकर दिखाओं। उन्होंने कहा कि मूर्ति को हिल नहीं सकती तो वे कहने लगे कि तुम भगवान में क्यों विश्वास करते हो। क्यों तुम राम जी के चक्कर में अयोध्या गये? वहां जाकर तुमने भवंडर किया, बाबरी मस्जिद गिराई आदि यह सच करने के बाद उन छः नौजवानों की, जिनमें एक राजस्थान कालेज का विद्यार्थी है, एक एम.आर. में पढ़ता है आदि उन लोगों की निमर्म हत्या कर दी गयी। उनकी लाशों को पानी में बहा दिया गया।

आज कश्मीर की यह हालत है और गृह मंत्री जी बयान देते हैं कि वहां सैर-सपाटे के लिए नहीं जाना चाहिए। जब कश्मीर हमारा अविभाज्य अंग है और आप वहां सड़क का पैकेज देने जा रहे हैं, चुनाव की घोषणा करने जा रहे हैं, वहां हर प्रकार की शांति हो गयी, फिर गरीब परिवार के लड़के चले गये तो क्या हुआ? वे मियां जाति के लोग थे। मैं उनके घर जाकर आया हूं, उनका बयान लेकर आया हूं। मेरे पास उनके बयान की कापी पड़ी है। अगर आप पढ़ें तो आपकी आंखों में आंसू आ जायेंगे। उनकी दो छोटी-छोटी बच्चियां हैं। मैं समझता हूं कि यह सब दशा तस्करी के कारण है। यदि आप देश की सुरक्षा को ठीक प्रकार से करना चाहते हैं तो आपको तस्करों के प्रति ज्यादा सख्ती का भाव रखना पड़ेगा। मेरा कहना यह है कि जो किसान अफीम की खेती करता है, उसे उसकी पूरी रकम नहीं मिलती है। उसका अंतर्राष्ट्रीय सौदा होता है और उसको ज्यादा कीमत देते हैं। चरस, गांजा और अफीम की बाजार में सबसे ज्यादा बिक्री हो रही है। इसका कारण यह है कि उनको वहां से नहीं मिलने के कारण राजस्थान की सीमा, मध्य प्रदेश की सीमा, नेपाल की सीमा और कश्मीर की सीमा से नौजवान लोग, जिनको ट्रेनिंग देकर भारत वर्ष के खिलाफ विश्वम्भर के खतरनाक हथियार देते हैं। यहां खतरनाक हथियार आ रहे हैं जिससे देश की सुरक्षा नहीं हो रही है। आप केवल तीन साल का समय बढ़ायें, एडवाईजरी बोर्ड से सलाह न लें, इस कानून को परमानेंट न करें तो इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है।

मेरा मतलब यह है कि आपको जो कुछ भी रियायत देनी है तो जो रियायत आप तस्करों को देते हैं, वह रियायत आप तस्करों को न देकर भारत के किसानों को दें। यदि यहां पर अफीम का पूरा-पूरा बाजार हो जाये, उनको ठीक प्रकार से यहां उसकी कीमत मिले तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के जो लोग यहां आकर अफीम खरीदते हैं उनको अफीम नहीं मिलेगी। यह अफीम दवाइयों में भी मिलती है। आजकल आपने देखा होगा कि स्मैक की छोटी-छोटी पुड़िया मिलती हैं। श्री सन्तोष जी जानते होंगे कि उसे जवान लोग खाते हैं। वे अपनी जुबान के नीचे दबाकर गाड़ियां चलाते हैं।...**(व्यवधान)** मैंने आपने लिए नहीं कहा। मैंने कहा है कि यह आपकी जानकारी में होगा। आप मुझे क्षमा करें, आप तो मेरे लीडर हैं। मैंने कुछ कह दिया है तो मैं आपसे माफी मांगता हूं।

मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार से जवान लोग बिगड़ रहे हैं। आप इसके लिए कोशिश करें। मैं यह समझता हूं कि भारत सरकार इसका सर्वे कराये कि यहां कितने हथियार आये, कितने तस्कर पकड़े गये और कितने तस्कर हमारी जेलों में बंद हैं। वे घुसपैठ से हमारे यहां हथियार भेजते हैं जिस कारण भारत की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इसलिए मंत्री जी यह तीन वर्ष का समय बढ़ाने से कोई पार नहीं पड़ेगी। आप इस सारे कानून को सख्ती से पालन करें। जो वास्तव में तस्कर है उनको जो दो साल की सजा देने का प्रावधान है और किसानों को 10 साल की सजा देने का प्रावधान है, उसे उल्टा करें। उनको ज्यादा सजा मिलनी चाहिये व जल में सहूलियतें न मिले। उनको सहूलियतें मिलती हैं क्योंकि वे कांग्रेस पार्टी को पैसे देते हैं और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भी बन जाते हैं। जब ऐसे पैसा मिलेगा तो कांग्रेस पार्टी समझती है कि देश जाये भाड़ में। जिसको देश की परवाह नहीं, भारत माता की परवाह नहीं।...**(व्यवधान)** मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लोग ही करते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है। ...**(व्यवधान)** हमारा तस्करों से कोई लेना-देना नहीं है। हमने उनकी शक्ल तक नहीं देखी।...**(व्यवधान)** मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। आप तो माननीय सदस्य बनकर आ गये हैं, पार्लियामेंट के मेम्बर बनकर आ गये हैं।...**(व्यवधान)** आप विशेषाधिकार का प्रश्न खड़ा कर देंगे।...**(व्यवधान)** मैं तो चुप हो रहा हूं, नहीं तो विशेषाधिकार का प्रश्न खड़ा हो जायेगा। मैं माननीय सदस्य को थोड़ा कह सकता हूं। मेरा निवेदन यह है कि देश हित में तस्करों को ज्यादा सजा दें और भारत वर्ष में जो किसान अफीम पैदा करता है, उसको पूरा-पूरा पैसा मिले। उसकी सजा का प्रावधान कम हो, तस्करी की सजा का प्रावधान जितना चाहें उतना कर दें। बिल तो अच्छी भावना से लाए हैं लेकिन बार-बार बिल लाना, दो साल के लिए, तीन साल के लिए बढ़ाना, मैं उस प्रवृत्ति का विरोध करते हुए बिल की भावना का निश्चित रूप से समर्थन करता हूं। लेकिन भारतवर्ष के किसानों को लाभ हो, तस्करी रुके, यहां पर हथियार आने रुकें, देश की पाकिस्तान से सुरक्षा हो और हमारे बार्डर की सीमा जो मध्य प्रदेश, नेपाल, कश्मीर से मिली हुई है, उसका ध्यान रखा जाए। देश हित सर्वोपरि है, तस्करी सर्वोपरि नहीं है। ...**(व्यवधान)**

मैं इस भावना के साथ कि आपने मुझे समय दिया, कुछ माननीय सदस्यों ने ध्यान से सुना, कुछ ने मुझे डिस्टर्ब करने का प्रबंध किया, उनको क्षमा करता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अफीम की सबसे ज्यादा पैदावार लक्ष्मी नारायण पांडेय जी के वहां होती है और हीरे की तस्करी का सबसे ज्यादा माल जयपुर में आता है।

[अनुवाद]

श्री पिनाकी मिश्र (पुरी) : मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक का अनिच्छा से समर्थन करता हूं। इस बारे में मेरी कुछ आपत्तियां हैं।

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम वर्ष 1974 से प्रभावी है और समय-समय पर इसमें कुछ संशोधन होते रहे हैं उक्त अधिनियम में कुछ विस्तार भी किया जाता रहा है। यह खेद की बात है कि माननीय वित्त मंत्री को अपनी प्रस्तावना में ही यह कहना पड़ा कि यद्यपि यह अधिनियम काफी लम्बे समय से प्रभावी है, भारत सरकार द्वारा तस्करी को रोकने के लिये समय-समय पर अनेक उपाय किये, लेकिन इस सम्बन्ध में अधिक सफलता नहीं मिली। हमें फिर धारा 9 के उपबन्धों को तीन वर्ष और बढ़ाने के लिये, इसे संसद में पुनः प्रस्तुत करना पड़ा। मेरे विचार से माननीय वित्त मंत्री को इस सम्बन्ध में कुछ अन्तर्दर्शन करना होगा।

आज वित्त मंत्रालय में स्वच्छ खून का संचार हो रहा है। यह बहुत प्रसन्नता की बात है हमारे वित्त मंत्री एक प्रसिद्ध अधिवक्ता हैं। अतः वह न केवल मंत्रालयों बल्कि सभा के अन्य वर्गों से राय लेने में सक्षम हैं। उन्हें, इस ओर भी ध्यान देना चाहिये कि हम 'कोफेपोसा' के उपबन्धों को लागू करने में क्यों और कहां असफल हुए। क्या इस अधिनियम को प्रभावकारी ढंग से लागू करने के लिये पर्याप्त शक्तियां नहीं दी गई थी जिसके परिणामस्वरूप तस्करी में बेरोकटोक वृद्धि हुई। और विदेशों में हमारी विदेशी मुद्रा का अपव्यय हुआ।

'कोफीपोसा' जो निवारक नजरबन्दी कानून की भावना है, भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक सभाग का अनिवार्य अंग हैं।

देश में सभी, निवारक नजरबन्दी कानूनों का विरोध हुआ है। हमें 'मीसा' की याद है, और अन्य निवारक नजरबन्दी कानून भी समय समय पर लागू किये गये हैं। उन सबका शिक्षित वर्गों द्वारा विरोध किया जाता रहा है।

निवारक नजरबन्दी कानून का सम्बन्ध आर्थिक अपराधों से है। इसे विश्व में हितकर कानून की संज्ञा दी गई है। सभा में जब यह मुद्दा उठाया गया तो इसका सब दलों ने समर्थन किया। माननीय वित्त मंत्री ने और अन्य माननीय सदस्यों ने यह ठीक ही कहा है कि 'कोफीपोसा' के उपबन्ध भय उत्पन्न करने के उद्देश्य से लागू किये गये हैं। कुछ समय पूर्व यह बहुत अधिक निवारक सिद्ध हुआ था तथापि उदारीकरण के वातावरण में, जो हमने 1991 के बाद देश में पैदा किया है, 'कोफीपोसा' के उपबन्ध शायद असंगत हो गये हैं। इसके परिणामस्वरूप गत तीन चार वर्षों में कोफीपोसा के अन्तर्गत पास किये गये नजरबन्दी के आदेशों में काफी कमी आई है। यह स्पष्ट है कि इस कानून का कोई प्रभाव नहीं रहा है। अतः धारा 9 को बिना सोचे समझे एक अथवा दो क्षेत्रों में और तीन वर्षों तक बढ़ाये जाने पर ध्यान से विचार किया जाना चाहिये। हमें न केवल इसके संचालन क्षेत्र पर, जैसाकि धारा 9 में उल्लेख किया गया है, ध्यान देना चाहिये, बल्कि इसके अन्तर्गत किस प्रकार की सामग्री के लिये किस प्रकार की कार्यवाही करनी चाहिये तथा इसके अन्तर्गत अपराधियों के विरूद्ध तथा अन्य मामलों में क्या कार्यवाही की जानी चाहिये। पर भी विचार करने की आवश्यकता है। यद्यपि मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। तथापि मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह भविष्य में इस सम्बन्ध में व्यापक विधेयक लायें, जो बदलते समय की मांगों के अनुरूप हो।

1974 से 1996 तक देश में बहुत परिवर्तन हो गये हैं। भारत में अश्चर्यजनक परिवर्तन आये हैं। 1990-91 के बाद उदारीकरण का नयायुग आरम्भ हुआ है अब हम 1978 से 1980 की अवधि वाले उस पिछड़े आर्थिक समाज में नहीं रह रहे हैं मेरा विचार है कि 'कोफीपोसा' पर सब सम्बद्ध पक्षों द्वारा निम्न दिशा में और अधिक ध्यान से विचार किया जाना चाहिये

एक अधिवक्ता के नाते मुझे 'कोफीपोसा' के अन्तर्गत, अनेक मुकदमे लड़ने का अनुभव रहा है। मैंने 'कोफीपोसा' के अनेक आदेशों को रद्द करवाया है। अतः मैं यह जानता हूं कि इस कानून में क्या खामियां हैं। सम्मानीय सभा की सदस्य होने के कारण मैं यह महसूस करता हूं कि यह मेरा कर्त्तव्य है कि मैं उन त्रुटियों के बारे में सदन को बताऊं और उनको दूर करने की ओर ध्यान दिया जाये। यदि पिछले वर्षों के आंकड़ों पर नजर डाली जाये, यदि आप 'कोफीपोसा' के अन्तर्गत जारी किये गये नजरबन्दी आदेशों को देखे और नजरबन्दियों के बारे में ध्यान दें तो हमें पता लगेगा मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री भी मेरी बात से सहमत होंगे कि आमतौर पर तस्करी का समान लाने ले जाने वाले वाहनों को ही पकड़ा जाता है। जैसाकि हम फिल्मों में देखते हैं। वे अपने आलीशान भवनों से तस्करी की प्रक्रिया पर निगरानी रखती हैं और खुफिया विभाग के जाल में हवाई अड्डों अथवा पत्तनों पर केवल वही गरीब समान ले जाने वाले फंसते हैं। ये समान वाहक छोटी-छोटी राशि के लिये काम करते हैं। उन्हें लाभ का बहुत ही तुच्छ भाग दिया जाता है। कभी कभी यह .5 प्रतिशत अथवा .75 प्रतिशत होता है। यह कभी भी एक प्रतिशत से अधिक नहीं होता। वास्तविक खर्च 2000 से 3000 रुपये होता है और पुरस्कार की राशि 3000 रुपये 10,000 रुपये 15,000 रुपये होती है, जहां तस्करी किये जाने वाले माल की कीमत 50 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपये अथवा पांच करोड़ रुपये से अधिक होती है और लाभ बहुत होता है। यदि तस्करी का माल पकड़ा भी जाये और यदि मालवाहक अपना मुंह न खोले तो मालिक या फाइनेंसर इस प्रकार की हानि को बट्टे खाते में डाल देते है। यदि एक दो बार तस्करी का माल पकड़ भी लिया जाये तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें

इतना अधिक लाभ होता है कि वे भविष्य में अपनी गतिविधियां जारी रख सकते हैं। अतः मेरे विचार से यदि 'कोफेपोसा' आदेश केवल गरीबों पर, जो माल वाहक हैं, लागू होने हैं, वास्तविक फाइनेंसरों और बड़े अपराधो इससे बच निकलें, तो इससे इसका महत्व कम हो जायेगा। दुर्भाग्य से यही हो रहा है।

माल वाहक पूछताछ के दौरान अपना मुंह कभी नहीं खोलते। उन्हें पता है कि यदि उन्हें तीन महीने, चार महीने या छः महीने की सजा हो भी गई तो सलाहकार बोर्ड द्वारा उनकी नजरबन्दी के आदेश रद्द करा दिये जायेंगे, फाइनेंसर उनके परिवारों की देखभाल करेंगे और जब वो जेल से छूटेंगे तो उनकी अच्छी देखभाल होगी और चुप रहने के लिये अतिरिक्त पुरस्कार भी मिलेगा। अतः हमें कानून के अन्तर्गत कुछ हितकर सिद्धान्त और उपबन्ध शामिल करने चाहिये जिनसे वास्तविक अपराधियों, फाइनेंसरों, बड़ी मछलियों और गरीब माल वाहकों में विभेद किया जा सके। गरीब माल वाहक यह कार्य केवल दो समय की रोटी कमाने के लिये करते हैं।

वह ऐसा नहीं करना चाहता। लेकिन बेरोजगार होने के कारण उसे लगता है कि ऐसा करने से उसे शीघ्र ही बड़ी राशि मिल जायेगी। अतः वह इस प्रकार के छोटे पुरस्कार के लालच का शिकार होता है। इसके लिये मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि मालवाहकों के लिये "टूस्ट्राइक लॉ" होना चाहिये, जैसा कि कैलिफोर्निया में अब 'थ्रीस्ट्राइक लॉ' होता है। 'कोफीपोसा' के अन्तर्गत हम 'टूस्ट्राइक लॉ' की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके अनुसार यदि मालवाहक पहली बार अपराध करता है तो उसे धारा 3 में एक वर्ष अथवा धारा 9 में 2 वर्ष की सजा होगी। उसे यह स्पष्ट रूप से बता दिया जाना चाहिये कि वह दूसरी बार अपराध करेगा तो उसे और अधिक सख्त सजा होगी। उसे धारा 3 के अन्तर्गत 2 वर्ष और धारा 9 के अन्तर्गत सम्भवतया तीन वर्ष की सजा होगी। यह वाहकों के लिए निवारक उपाय होगा।

जहां तक बड़े अपराधियों का सम्बन्ध है, यह पता लगाया जाना चाहिये कि वे कैसे लगातार अपराध कर रहे हैं। मेरा विचार है कि धारा 3 जिसके अन्तर्गत एक वर्ष और धारा 9 जिसके अन्तर्गत इस समय 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है, वह अपर्याप्त है। अतः इसमें उचित संशोधन किया जाना चाहिये। अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत दो वर्ष और धारा 9 के अन्तर्गत तीन वर्ष की सजा का प्रावधान होना चाहिये। ऐसा किये जाने से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि वास्तव में यह भय पैदा करने वाला प्रावधान है। क्योंकि अन्यथा धारा 3 के अन्तर्गत नजरबन्दी आदेश सामन्यतया पहले तीन अथवा चार महीने में सलाहकार बोर्ड द्वारा रद्द कर दिये जाते हैं।

मैं इस बारे में अभी बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया जाता है। यहां तक कि बड़े अपराधियों को भी वास्तव में सजा का भय नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के मेरे विद्वान मित्र निवारक नजरबन्दी कानून के पहलू को समझ नहीं पाये हैं क्योंकि 'कोफेपोसा' में निवारक नजरबन्दी के अन्तर्गत आप पर शीघ्र मुकदमा चलाकर आपको 10 वर्ष अथवा इससे अधिक समय की सजा हो सकती हैं। अतः जब उन्होंने यह कहा कि गांजा के लिये किसानों को दस वर्ष की सजा हो रही है जबकि तस्करी के लिये दो वर्ष की सजा हो रही है, तो यह सच नहीं है। यह निवारक सजा है। प्रभावी सजा काफी अधिक होने की सम्भावना है। लेकिन दुर्भाग्य से न्यायालयों की विलम्बकारी प्रक्रिया के कारण निवारक नजरबन्दी कानून वास्तव में प्रभावी उपाय है।

अतः मेरा पहला सुझाव यह है कि हमें अपराधियों का वर्गीकरण करना चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि बड़ी मछलियों को छोटी मछलियों से अलग किया जाये और बड़ी मछलियों के लिये 'कोफेपोसा' एक प्रभावी निवारक के रूप में कार्य करेगा।

मेरा दूसरा सुझाव माननीय मंत्री से यह है, जिनका श्री गढ़वी सहित अनेक माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है, वह यह है कि भारत में आतंकवाद शुरू होने के बाद अब सोने, चांदी आभूषणों और विदेशी मुद्रा की तस्करी नही होती। अब जिन वस्तुओं की तस्करी होती है उनमें हैं आर.डी.एक्स. और घातक हथियार। अतः जिन वस्तुओं की तस्करी होती है उनके अनुसार विभिन्न उपबन्ध होने चाहिये। सोने आदि जैसी वस्तुओं की तस्करी करने वालों के लिये एक वर्ग के रूप में तथा आर.डी.एक्स. तथा घातक हथियारों तथा इन जैसी वस्तुओं की तस्करी करने वालों ओर प्रतिदिन के आधार पर वस्तुओं की तस्करी करने वालों पर बिल्कुल अलग तरीके से मुकदमे चलाये जाने चाहिये। अधिक सख्त सजा की व्यवस्था होनी चाहिये। धारा 3 के अन्तर्गत एक वर्ष और धारा 9 के अन्तर्गत दो वर्ष की सजा अपर्याप्त है। अतः दूसरा सुझाव है कि तस्करी किये जा रहे माल को ध्यान में रखते हुए, सजा का निर्धारण किया जाना चहिये।

पिछले अनेक वर्षों में मामूली आधारों पर निवारक आदेशों को रद्द किया जाता रहा है। मैं सलाह के तौर पर यह बात कह रहा हूं। आदेश रद्द करने के आधार क्या हैं? यह एक तकनीकी कानून है। कभी कभी आदेश रद्द करने के कारण बहुत मामूली होते हैं जैसे कि अस्पष्ट प्रतियां दिया जाना, यथाशीघ्र सम्भव अवसर पर अभ्यावेदन पर विचार न किया जाना आदि। अब बनाये जा रहे विधान में यह बात सुनिश्चित की जानी चहिये कि हमें प्रक्रिया के आधार पर और सारभूत आधार पर आदेश रद्द किये जाने में विभेद करना चाहिये। जहां तक प्रक्रिया के आधार पर आदेश रद्द किये जाने का सम्बन्ध है, हमें विधेयक में सुरक्षा को व्यवस्था करनी चाहिये और उसके बाद नियमों को इस प्रकार पढ़ा जायेगा कि यदि नजरबन्द अथवा उसके वकील द्वारा दस्तावेजों की जांच की मांग की जाती है तो उसकी मांग को स्वीकार करना चाहिये। आजकल होता यह है कि वकील दस्तावेजों का अनुरोध नहीं करते क्योंकि विभागों पर काम का भारी बोझ होता है वे सब दस्तावेज देने की स्थिति में नहीं होते। कभी-कभी एक दस्तावेज का सप्लाई न किया जाना भी आदेश रद्द किये जाने का पर्याप्त आधार होता है। अतः इस विधान द्वारा इस प्रकार की प्रक्रिया और तकनीकी आधार को समाप्त किया जाना चाहिये ताकि न्यायालय एक पृष्ठ के ये आदेश पास न करें कि कानून में की गई व्यवस्था के अनुसार नजरबन्द को सप्लाई किये गये दस्तावेज अस्पष्ट हैं और इसलिये आदेश रद्द किया जाता है। इसमें कोई तुक नहीं है। विभाग

द्वारा इन अपराधियों को पकड़ने के पूरे प्रयास किये जाते हैं और यदि इन मामूली तकनीकी और प्रक्रिया सम्बन्धी औपचारिकताओं के कारण अपराधियों को छोड़ दिया जाता है, तो मेरे विचार से कानून का मुख्य प्रयोजन ही व्यर्थ हो जायेगा। अतः नजरबन्दी के सारभूत आधार की पृथक व्यवस्था होनी चाहिये। केवल उन्हीं आधारों पर न्यायालयों को नजरबन्दी आदेशों को रद्द करने की अनुमति होनी चहिये, प्रक्रिया के आधार पर नहीं कानून में यह व्यवस्था होनी चाहिये कि यह सुनिश्चित किया जाये कि न्यायालयों को इन पहलुओं पर ध्यान देने की विवेक शक्ति नहीं होनी चाहिये। बड़ी मछलियों को पहले ही यह पता लग जाता है कि उनके विरुद्ध 'कोफीपोसा' सम्बन्धी आदेश जारी किये जा रहे हैं। मैं केवल दो मिनट का समय और लूंगा, सभापति महोदय। मुझे पता है आप कुछ अशान्त लग रही हैं। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं जिससे कानून सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी।

सभापति महोदय : निसन्देह इसलिये मैंने आपको नहीं रोका। लेकिन आपने बहुत अधिक समय ले लिया है।

श्री पिनाकी मिश्र : मैं केवल दो मिनट का और समय लूंगा अमीर अपराधियों को अक्सर यह पता लग जाता है कि उनके विरुद्ध 'कोफीपोसा' आदेश जारी किया जा रहा है। वे भूमिगत हो जाते हैं। विभिन्न उच्च न्यायालयों से अनेक स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये जाते है। एक विशेष उच्च न्यायालय, आपको पता होगा, स्थगन आदेश दिलवाने के लिये बहुत प्रसिद्ध रही है क्योंकि किसी देश में किसी भी न्यायालय द्वारा पास किये गये नजरबन्दी आदेश इस न्यायालय में ले जाये जाते हैं और वे स्वतः ही स्थगित हो जाते हैं। अतः मेरा सुझाव है कि 'सेफेमा' जैसे कानून के उपबन्धों को, जो कि अत्यधिक निवारक है और जिसमें भगोड़े नजरबन्द व्यक्ति की सम्पत्ति स्वतः ही जब्त करने का प्रावधान है, को अधिक शक्तिशाली बनाया जाना चाहिये। इस कानून का यह सुनिश्चित करने के लिये कठोरता से पालन किया जाना चाहिये कि 'कोफेपोसा' के अन्तर्गत व्यक्ति को शीघ्रता से गिरफ्तार किया जा सके। यदि अवैध धनराशि से निर्मित उनकी सम्पत्ति जब्त कर ली जाती है तो वे शीघ्रता से आत्मसमर्पण करेंगे।

मेरा अन्तिम मुद्दा यह है। दुर्भाग्य से वित्त मंत्री इस आधार पर मेरे से सहमत नहीं है। मैंने गत रात्रि उन्हें टेलीविजन पर सुना था। उन्हें राजक्षमा योजना में विश्वास नहीं है। उनका विश्वास है कि उक्त योजना से देश का अधिक भला नहीं हो सकता।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं काले धन को सफेद धन में बदलने के खिलाफ हूं।

श्री पिनाकी मिश्र : मैं इस मामले में माननीय वित्त मंत्री से सहमत नहीं हूं क्योंकि यदि इस उपबन्ध को 'कोफेपोसा' जैसे विधान में शामिल कर लिया जाता है और अपराधी तस्करी को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लेता है, तो उसकी सजा कम हो सकती है। यदि अपराधी सच बोलता है और अपनी सम्पत्तियों अथवा आस्तियों की अथवा अवैध रूप से एकत्र की गई सम्पत्तियां अथवा आस्तियों की घोषणा स्पष्ट रूप से करने का साहस करता है तो इसके लिये एक जांच समिति का गठन किया जाना चाहिये। इस समय यह बहुत अस्पष्ट स्थिति में है। समिति को नजरबन्दी आदेश की पुनः जांच करने का अधिकार होगा और जिस नजरबन्दो को दो वर्ष अथवा तीन वर्ष की सजा मिली होगी, यदि वह चाहे कि उसके लूट के माल को जब्त कर लिया जाये और उसे जेल न भेजा जाये, तो मैं आशा करता हूं कि इससे सरकार के स्त्रोतों में वृद्धि होगी तथा अपराधों की संख्या में भी कमी आयेगी।

मैं बोलने का अवसर दिये जाने के लिये धन्यवाद करता हूं। मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री मेरे द्वारा सदन में उठाये गये मुद्दों की ओर ध्यान देंगे और सुनिश्चित करेंगे कि उनमें से कुछ को भविष्य में बनाये जाने वाले विधान में शामिल किया जाये।

श्री पी. चिदम्बरम : धन्यवाद, सभापति महोदया। मैं विधेयक का समर्थन करने के लिय माननीय सदस्यों का आभारी हूं। संशोधन करने वाला विधेयक एक छोटा सा विधान है। हमारा इससे आशय यह है कि कानून में जो उपबन्ध है उसके जारी रखते हुए हम सलाहकार बोर्ड को जायें बिना किसी व्यक्ति को बढ़ी हुई अवधि तक नजरबन्द रख सकें। सलाहकार बोर्ड की राय जानने के लिये अवधि बढ़ाना, नजरबन्दी की अवधि बढ़ाना। इस मामले में दो राय हैं। एक यह है कि आप इसे कानून का स्थायी अंग क्यों बनाना चाहते हैं और दूसरा यह, जिसके बारे में श्री गिरधारी लाल भार्गव ने उल्लेख किया है, कि आप इसे तीन वर्ष के लिये क्यों बढ़ाना चाहते हैं। यह दो वर्ष के लिये बढ़ाया जाना चाहिये। ऐसे मामलों पर हमेशा दो राय होती हैं। लेकिन एकबात याद रखे कि निवारक नजरबन्दी कानून एक असाधारण कानून है जिसका संविधान की धारा 2 के अन्तर्गत समर्थन किया गया है। यह निवारक नजरबन्दी कानून है अतः इसे बड़े सुदृढ़ ढंग से बनाया जाना चाहिये और इसे असाधारण स्थिति का असाधारण ढंग से मुकाबला करने में सक्षम होना चाहिये। अन्यथा कानून को न्यायालयों द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा। समस्त देश को अतिसंवेदनशील घोषित न करने का यह कारंण है कि इससे यह छोटे से कानून का समस्त देश में बिना सोचे समझे विस्तार होता। इसलिए हमने अतिसंवेदनशील क्षेत्रों को बड़ी सावधानी से परिभाषित किया है। हमें इसमें केवल उन्हीं क्षेत्रों को शामिल करना है जो वास्तव में अतिसंवेदनशील क्षेय है। इसके अलावा हम इस कानून को स्थायीरूप से कानून की पुस्तिका में नहीं रख सकते। इन कानूनों को थोड़ी अवधि के लिये लाया जा सकता है और इनकी समय समय पर पुनरीक्षा की जानी चाहिये ताकि यदि स्थिति में सुधार हो तो हम कानून की पुस्तिका से इन्हें निश्चित रूप से निकाल सकें।

यह कानून 1984 से लागू है। इसे हर बार तीन वर्ष के लिये बढ़ाया गया है। अतः मैं इसे सभा में तीन वर्ष की अवधि क लिये बढ़ाने के लिये लाया हूं।

इस बारे में अनेक प्रश्न, विशेष कर अन्तिम वक्ता द्वारा उठाये गये हैं। मैं इस बारे में संक्षिप्त रूप से उत्तर दूंगा क्योंकि एक अन्य विधेयक भी आज पारित करना है।

महोदय, इस विधेयक की उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य तस्करी को रोकना है। इस विधेयक को कानून पुस्तिका में तब शामिल किया गया था जब अर्थव्यवस्था को हालत बहुत खराब थी। हम माल को आने की अनुमति नहीं दे रहे थे। रुपया का विनियमसाध्य नहीं था।

अपराह्न 2.00 बजे

अतः उस समय विदेशी मुद्रा को संरक्षण और तस्करी पर रोक को विशेष दृष्टि से देखा जाता था। अब मैंने ऐसी वस्तुओं की सूची तैयार की है जिनकी तस्करी होती है तस्करी करने वाले ऐसे ही व्यक्तियों के विरुद्ध यह अधिनियम बनाने का उद्देश्य है। हमें क्या पता लगा? हमें पता लगा कि सोना, चांदी, बिजली का समान और विदेशी मुद्रा की तस्करी होती है। जो लोग विदेशी मुद्रा में प्रतिकारक भुगतान करते हैं, वे विदेशी मुद्रा की तस्करी करते है। वह एक प्रकार के अपराधी हैं।

दूसरी प्रकार के अपराधी वह हैं जो अयात-निर्यात नीति विशेषकर निःशुल्क लाइसेंसों जैसे 'वाबल' और 'क्यूबल' का दुरुपयोग करते हैं। इस बारे में मेरा तर्क का आधार क्या है? मेरा कहने का आशय यह है कि इन सब बातों का सम्बन्ध सामान की मात्रा पर लगे प्रतिबन्धों से है। यदि हम देश में अबाध रूप से सोने के आयात की अनुमति दे दें तो कोई भी सोने की तस्करी नहीं करेगा। हमने इस बारे में शुरूआत की है। हमने देश से छः महीने बाहर रहने वालों को विशेष आयात लाइसेंस दर के माध्यम से सोने की आयात करने की अनुमति दी है। इससे सोने की तस्करी लगभग आधी रह गई है। देश में सोने की वार्षिक मांग लगभग 450 टन है। मैं लोगों की संस्कृति, व्यवहार और आदतों में परिवर्तन नहीं ला सकता। अब लगभग आधा सोना वैध माध्यम से आता है। इससे पूर्व वैध माध्यम से बिल्कुल भी सोना नहीं आता था और सारा सोना तस्करी से आता था। आज लगभग आधा सोना वैध माध्यम से आता है और आधे सोने की तस्करी की जाती है। लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन ऐसा आयेगा जब हम यह कहने में समर्थ होंगे कि, जैसाकि विश्व के अधिकांश देश कह सकते हैं, जो भी व्यक्ति सोना लाना चाहे वह सोना ला सकता है। उस दिन सोने की तस्करी रूक जायेगी। उस दिन चांदी की तस्करी रूक जायेगी। जैसे कि हमने मात्रा का प्रतिबन्ध हटा दिया है और हम अपने सब आयात पर शुल्क लगाते हैं। आप विलासिता की वस्तुओं पर अधिक शुल्क लगा सकते हैं। इसे 'सिनटैक्स' कहते हैं। लेकिन जैसे ही हम मात्रा का प्रतिबन्ध हटा लेंगे और अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बना देंगे, तस्करी कम हो जायेगी। उस दिन हमें इस प्रकार के कानून की आवश्यकता नहीं होगी।

कानून का उल्लंघन करने वालों का एक ऐसा वर्ग भी है जो विदेशी मुद्राओं का क्रय-विक्रय करता है। ऐसा इस लिये होता है कि विनियम दर में परिवर्तन होता रहता है। विनियम दर में परिवर्तन से विदेशी मुद्रा का क्रय-विक्रय का व्यापार लाभ का व्यापार है। ऐसे लोग हमेशा रहेंगे। वे लोग उस दिन समाप्त हो जायेंगे जिस दिन भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी सुदृढ़ हो जायेगी कि रुपये का पूंजीगत खाते में परिवर्तन हो सके। ऐसा दिन आज अथवा कल नहीं बल्कि पांच वर्ष बाद आ सकता है। चालू खाता परिवर्तनीयता के परिणामस्वरूप, विदेशी मुद्रा सौदों के उल्लंघन में बहुत कमी आई है। इसी वजह से आज लोग यात्रा के लिये विदेशी मुद्रा ले सकते हैं। वे शिक्षा के लिये विदेशी मुद्रा ले सकते हैं। वे चिकित्सा व्यय के लिये विदेशी मुद्रा ले सकते हैं। वे व्यापार प्रयोजनार्थ विदेशी मुद्रा ले सकते हैं। अतः विदेशी मुद्रा सम्बन्धी अनेक अपराध कम हो गये हैं।

तीसरी श्रेणी में लोभी प्रवृत्ति के लोग आते हैं। हम लोगों को निःशुल्क लाइसेंस देते हैं। हम उन्हें 'वाबल' और 'क्योबल' देते हैं। फिर भी वह चुटकी में धन कमाना चाहते हैं। अतः वे इन सुविधाओं का दुरुपयोग करते हैं और विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन करते हैं। उन्हें सजा दी जानी चाहिये और उन्हें सजा दी जा रही है। ऐसा इसलिये है कि हमारी अर्थ व्यवस्था आंशिक रूप से उदारीकृत है। हमें अभी भी विदेशी मुद्रा के संरक्षण की आवश्यकता है और हमने अभी भी बहुत सी वस्तुओं की मात्रा पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ है क्योंकि उनकी अभी भी तस्करी हो रही है। हमारा कानून इस प्रकार का होना चाहिये। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऐसा कानून स्थायी हो। मुझे पूरा विश्वास है कि पांच अथवा दस वर्ष में हमारी अर्थव्यवस्था पूर्णतया उदार पवृत्ति की हो जायेगी। अतः हमें तब 'क्योबल' और 'वाबल' की आवश्यकता नहीं होगी। ये सब भूतकाल की बातें हो जायेंगी।

हथियारों, नशीली दवाइयों आदि अनेक वस्तुओं की तस्करी की जाती है। इसके लिये अलग से कानून बनाये जाने चाहिये। मेरे विचार से तीन वर्ष की अवधि बढ़ाने सम्बन्धी संशोधन पर्याप्त है और वर्तमान स्थिति से निपटने में सक्षम है। मैं सलाहकार बोर्डों द्वारा निवारक आदेशों के बारे में लिये गये निर्णयों से प्रसन्न नहीं हूं। मैं इस बारे में अपने विद्वान मित्र से सहमत हूं। मामूली से आधारों पर आदेशों को रद्द कर दिया जाता है।

इस सम्बन्ध में दोष हमारा ही है। हम ऐसा कानून क्यों बनाते हैं जो विशिष्ट आधारों पर निरस्त किया जा सकता है। यदि अस्पष्ट प्रति देने के आधार पर आदेश रद्द किया जाता है तो इसमें दोष अस्पष्ट कापी देने वाले व्यक्ति का है। आज जब फोटो कापी करने के मामले में हम इतने आगे बढ़ चुके हैं तो अस्पष्ट प्रति देने का क्या अभिप्राय है?

अन्य चालें भी हैं जिनका ये लोग सहारा लेते हैं। कुछ लोग आते हैं और मुझे याचिका दे जाते हैं और मैं जब जाता हूं तो मेरे पास आधा दर्जन याचिकाएं होती हैं। लेकिन यह याचिका नजरबन्द व्यक्ति की पत्नी की होती है। और यदि यह याचिका सैकड़ों पृष्ठों में होती है और यह अंग्रेजी अथवा हिन्दी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में होती हैं और इसका अनुवाद करवाना होता है तो इस याचिका में दो तीन सप्ताह लग जाते हैं। सलाहकार बोर्ड द्वारा यह कह कर याचिका खारिज करने की सम्भावना बनी रहती हैं कि याचिका को प्रस्तुत करने में अधिक समय लगा। अन्य समस्याऐं भी हैं। हम तस्कर से एक कदम आगे जाते हैं लेकिन तस्कर हमारे से एक कदम और आगे जाता

है क्योंकि उसे प्रणाली में त्रुटियों की जानकारी होती है। हम त्रुटियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा इस सब मामले की पुनरीक्षा करने का विचार है। मैं आदेशों को रद्द किये जाने की प्रतिशतता से प्रसन्न नहीं हूं।

हमें पता लगा है कि न्यायालय, न्यायाधिकरण और सलाहकार बोर्ड लगभग 60 से 65 प्रतिशत दिये गये आदेशों को रद्द कर रहे हैं। यही कारण है कि अधिक आदेश दिये जाते हैं क्यों कि प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि वह यंह दिखाये कि उसका विभाग अधिक क्रियाशील है। अतः मेरे विचार से इन बातों पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। इस समय तो मैं माननीय सदस्यों से यही अनुरोध करूंगा कि वे इन संशोधनों का समर्थन करें और इस विधेयक को पारित करे। मैं मामले की पुनरीक्षा करूंगा मैं यह देखूंगा कि तस्करों के लिये उपबन्धों को और सख्त बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा सकती है।

श्री वी. धनन्जय कुमार : महोदय, तटवर्ती क्षेत्रों में उपचारात्मक उपायों के बारे में आपका क्या कहना है?

श्री पी. चिदम्बरम : जैसाकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि जब तक 'क्योवल्स' और अन्य प्रतिबन्ध लगे रहेंगे, तस्करी चलती रहेगी। उत्तर यही है कि किसी भी देश में तस्करी को पूर्णतया रोकने की व्यवस्था नहीं है। हथियारों और नशीली दवाइयों की तस्करी और तरह की बात है। इस सम्बन्ध में हमें बहुत सख्ती से काम लेना होगा। हम हथियारों नशीली दवाइयों की तस्करी की किसी कीमत पर अनुमति नहीं देंगे। कोई भी देश इसकी अनुमति नहीं देता। लेकिन अन्य मामलों में पुनः कानून बनाकर और अर्थव्यवस्था सम्बंधी नीतियों को उदार बनाकर इस समस्या को हल किया जा सकता है। जब तक हम उस अवस्था तक न पहुंचें हमें सतर्क रहना होगा। मैं सतर्क रहूंगा और सब मामले की समीक्षा करूंगा। मैं सब मामले की समीक्षा करूंगा, लेकिन इस बीच मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस विधेयक को पारित करें।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : सभा अब विधेयक पर खंडवार चर्चा करेगी।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : महोदय, मंत्री जी ने अच्छी-अच्छी बातें कही हैं। अब मुझे विश्वास हो गया है कि आगे इसको इस प्रकार से समय बढ़ाने के लिए नहीं लाएंगे, क्योंकि वित्त मंत्री जी से मुझे राजस्थान सरकार के लिए पैसा लेना है, अगर मैं उनका कहना नहीं मानूंगा तो मेरे राज्य का अहित हो जाएगा इसलिए मैं दबे मन से इसको वापस ले रहा हूं।...**(व्यवधान)** मैं इसको सदन की आज्ञा से और माननीय मंत्री जी के कहने से वापस ले रहा हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या सभा श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा प्रस्तुत संशोधन को वापिस लेने की अनुमति देती है?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड 2 विधेयक की अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

सभापति महोदय : अब माननीय मंत्री यह प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक पारित किया जाये।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.10 बजे

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : अब सभा मद संख्या 18 को लेगी।

वित्त मंत्री और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : सभापति महोदय, हाल ही के वर्षों में भारत को स्वापक औषधियों ओर मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार की गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। एक ओर गोल्डन क्रिसेंट जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान शामिल हैं। तथा दूसरी ओर ट्रायंगल जिसमें म्यांमार, थाईलैंड और लाओस शामिल है।, के स्वापक औषधियों के दो प्रमुख स्त्रोतों के बीच फंसा होने के कारण भारत इस अवैध व्यापार

के मामले में अत्यन्त संवेदनशील हो गया है। यद्यपि पहले भी विधायी, प्रशासनिक और निवारक उपाय, जैसे एन.डी.पी.एस. अधिनियम 1985 के अन्तर्गत निवारक दण्ड उपबन्धों और पी.आई.टी.एन.डी.पी. एस. अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत निवारक नजरबन्द उपबन्ध, किये गये हैं, फिर भी इनसे गम्भीर खतरा बना हुआ है।

इस अधिनियम में दो प्रकार के मामलों का उपबन्ध है जिसमें स्वापक औषधियों की तस्करी में लगे लोगों को पकड़ा जा सकता है। पहला अधिनियम की धारा 3(1) के अन्तर्गत जारी किये गये नजरबन्दी किये जाने के आदेशों से सम्बन्धित है जिसमें नजरबन्दी की अधिकतम अवधि एक वर्ष है। किसी व्यक्ति के पकड़े जाने के बाद, मामले को 35 दिन के भीतर सलाहकार बोर्ड को भेज दिया जाता है। बोर्ड में राय देने के लिये उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीश होते हैं। यदि सलाहकार बोर्ड की यह सिफारिश होती है कि नजरबन्दी न्यायोचित नहीं है, तो नजरबन्द व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। अन्य मामलों में नजरबन्दी के आदेशों की 90 दिन के भीतर पुष्टि हो जाती है।

दूसरे प्रकार के मामले उन व्यक्तियों से सम्बन्धित हैं, जो अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत 'अत्यन्त संवेदनशील' रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों में नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल हैं। इन क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, समुद्री पत्तन, अन्य देशों से लगी अन्तर्राष्ट्रीय सीमाएं, तटवर्ती क्षेत्र आदि शामिल हैं। यदि सक्षम प्राधिकरण अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत यह घोषणा करता है कि अमुक व्यक्ति 'अतिसंवेदनशील क्षेत्रों' में अवैध व्यापार में संलग्न है तो अधिकतम सजा अधिनियम की धारा 11 के अनुसार एक वर्ष से बढ़कर दो वर्ष हो जायेगी। ऐसे मामलों में सलाहकार बोर्ड की राय नजरबन्दी के छः महीने के भीतर आवश्यक होती है, तीन महीने की सामान्य अवधि के भीतर नहीं।

पूर्व अनुभव से यह पता लगता है कि अधिनियम की धारा 10 के उपबन्ध स्वापक औषधियों का अवैध व्यापार करने के लिए निवारक सिद्ध हुए हैं।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अतः यह आवश्यक समझा गया कि 31 जुलाई, 1996 के बाद भी अधिनियम की धारा 18 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी किये गये नजरबन्दी सम्बन्धी आदेश तीन और वर्ष तक जारी रहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य 'कोफेपोसा' अधिनियम के अन्तर्गत इसी प्रकार के उपबन्धों को पारित कर प्रसन्न हुए है। यह उपबन्ध इसी प्रकार का है। हम धारा 10 के उपबन्धों को और तीन वर्ष के लिये बढ़ाना चाहते हैं ताकि अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में नजरबन्दी दो महीने तक हो सके और सलाहकार बोर्ड की राय तीन महीने के भीतर प्राप्त की जा सके। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं।

> "कि स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

> "कि स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय को बोलने के लिये बुलाता हूं।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : यह विधेयक जो विचारार्थ है यह दंडात्मक प्रावधानों को लेकर है। इस विधेयक के द्वारा माननीय मंत्री जी स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ के अवैध व्यापार के नियंत्रण के संबंध में कुछ नये प्रावधान लेकर आए हैं। धारा 10 में संशोधन प्रस्तावित करते हुए उन्होंने यह दंडात्मक प्रावधान रख कर उसकी अवधि तीन वर्ष तक और बढ़ाने की बात कही है। मेरा इस संबंध में निवेदन है कि केवल दंडात्मक प्रावधान की अवधि बढ़ाने मात्र से इस समस्या का समाधान नहीं होता, अपितु जिनके हाथों में इस प्रकार के दंडात्मक प्रावधान को लेकर कार्यवाही करने का कार्य है वे यदि इसका समुचित उपयोग करें तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है अन्यथा इसका कोई समाधान नहीं है। देखा तो यह गया है कि इसमें जो अधिकारी लगे हुए हैं वे भी इन प्रावधानों का दुरुपयोग करते हैं और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि अधिकारी स्वयं आगे चल करके फंसाने का प्रयत्न करते हैं, जिनका इन बातों से कोई संबंध नहीं होता है। यह सही है कि दंड प्रावधान हो लेकिन उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।

मैं जो अभी निवेदन कर रहा था कि जैसा अभी आपने बताया कि इसी प्रकार की भाषा और इसी प्रकार की दो धाराएं है। जो कुछ समय पूर्व पारित विधेयक में थी।

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार में लगे हुए व्यक्तियों को निवारित करने के प्रयोजन के लिए कतिपय मामलों में उन व्यक्तियों के निवारक निरोध का उपबंध करता है। और अंत में लिखा में लिखा हुआ है कि उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 10 को 31 जुलाई, 1995 के बाद तीन वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने के लिए संशोधन का प्रस्ताव है।

अभी जो हमने विधेयक पारित किया गया है, उसमें भी करीब-करीब यही भावना और यही बात कही गयी है। मेरा निवेदन है कि जिन बातों और पदार्थों को लेकर के यह बात कही गयी है, निश्चित रूप से उन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आखिर होता क्यों है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 70 हजार अफीम उत्पादक लोग हैं। उन किसानों को कई बार अधिकारी लोग जान-बूझकर फंसाते हैं, अपना हित साधने के लिए छोटे-छोटे मामलों में अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं।

चाहे अफीम का कारखाना हो या अल्कोहलाइट फैक्टरी हो, वहां अधिकारी अपना नियंत्रण न रखते हुए या अपने प्रभाव का उपयोग करके, वहां से टनों अफीम निकल जाती है और कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं होती है। नीमच अफीम फैक्टरी से लगभग दो टन अफीम एक साथ चली गयी, अब तक उसका पता नहीं चला कि कहां गयी, कैसे गयी, कौन उसके अंदर अपराधी है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह अपराधियों और अधिकारियों की मिली-भगत का परिणाम हो सकता है।

ठीक इसी प्रकार से अल्कोहलाइट फैक्टरी से जहां पर कोडीन बनती है, जहां पर मारफीन बनती है, वहां पर भी ऐसे ही चलता है। कोडीन बनाने से हमारी विदेशी मुद्रा की उससे बचत होती है। हम चाहते हैं कि और अधिकाधिक मात्रा में कोडीन बने। एक पाली से हमने दो पाली लगाना हमने शुरू किया है। वर्तमान में अल्कोहलाइट फैक्टरी दो पाली में चलती है। लेकिन अगर कोई टैक्नीशियंस उसी फैक्टरी से मारफीन लेकर जाए और उस पर कोई कार्रवाई न हो, यह कैसा न्याय है। किसान को तो आप दंडित करने जा रहे हैं लेकिन उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मैंने एक पत्र द्वारा माननीय मंत्री महोदय का ध्यान भी आकर्षित किया है कि इस प्रकार की बातें वहां हो रही हैं। कृपया इस संबंध में कार्रवाई करने की कृपा करेंगे।

मैं एक निवेदन और आपसे करना चाहता हूं। क्या कोई नीतिगत निर्णय आप इस संबंध में लेते हैं तो उस क्षेत्र को जो रिप्रेजेंट करते हैं-जटिया साहब यहां पर नहीं हैं, उनका क्षेत्र भी उसमें आता है, जसवंत सिंह जी का क्षेत्र भी उसमें आता है, वसुंधरा जी का क्षेत्र भी उसमें आता है, दाऊ दयाल जी का क्षेत्र भी उसमें आता है। जहां-जहां पर अफीम का उत्पादन होता है उन क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को बुलाकर विचार-विमर्श तो वे कर ले। जब विचार-विमर्श नहीं होगा तो कहीं न कहीं खामियां अवश्य होंगी।

एक तरफ तो आप कहते हैं कि अफीम का हमारे पास इतना स्टॉक हो गया है कि हम उसको कंज्यूम करने में असमर्थ है और दूसरी तरफ नये-नये लाइसेंस देने की बात की जाती है। पिछले वर्षों में कई लोगों को नये लाइसेंस दिए गये और यह कहा गया कि विदेशों के साथ हमारा अनुबंध हुआ है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि विदेशों से जो हमारा अनुबंध हुआ था वह कितनी मात्रा का अनुबंध हुआ था। नये लाइसेंस किस आधार पर दिए गए। क्या उसके बारे में कोई प्रक्रिया अपनाई गयी या नही अपनाई गयी। मेरा ऐसा मानना है कि वहां के अधिकारी ने मनमाने तौर पर लाइसेंस दिए। किसी को 10 का किसी को 20 आरी का दे दिया, किसी को 40 आरी का दे दिया, किसी को एक बीघे का द दिया और यह कहकर दिया कि तुम्हें 45 किलो प्रति हैक्टेयर के हिसाब से तुमको उत्पादन देना पड़ेगा। लेकिन वे लोग उत्पादन देने में असमर्थ रहे। इसलिए जो पहले से उत्पादित करते चले आ रहे हैं, जिनके पास अच्छी जमीन है, जिनके पास अच्छे कुएं है, जो स्वयं खेती करते आ रहे हैं और जिनके ऊपर किसी प्रकार का आरोप नहीं है। यदि उन्हीं किसानों को आप उत्पादन के लिए आप और प्रोत्साहन देंगे, तो निश्चित रूप से आप लाभप्रद होंगे। उन लोगों को भी चाहे वे नये हों लेकिन जिनके पास अच्छी जमीन हो, पानी हो और खेती के संबंध में उनको जानकारी भी हो, ऐसे लोगों को भी आपको लाइसेंस देने चाहिए।

मैंने तो निवेदन किया था कि नीति-निर्धारित करते समय इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाएं और हमारे जो जन-प्रतिनिधि हैं उनको भी साथ लिया जाए और उनसे बैठकर चर्चा की जाए तो मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छा होगा, और हम अधिक अच्छा परिमाण दे सकते हैं। एक तरफ तो हमारे अधिकारी कहते हैं कि हमें अफीम के उत्पादन को घटाना है और दूसरी तरफ यह भी कहते हैं कि यह जो विदेशों से ज्यादा उत्पादन हुआ है। यह परस्पर विसंगति है, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूं।

नीमच में हमारी एक फैक्ट्री है, कोडिन और मार्फिन का उत्पादन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। औषधियों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कोडिन का उत्पादन करने के लिए यह फैक्ट्री वहां पर है। वहां करोड़ों रुपए की मशीनें पड़ी हुई हैं लेकिन वे मशीनें चलायी जा रही हैं क्योंकि उसके अन्दर डिफैक्ट है। अभी तक वह डिफैक्ट ठीक नहीं हो सका है। जर्मनी से और अन्य देशों से जो इसके जानकार हैं, उनको बुलाकर इसे ठीक करने हेतु कार्य किया, किन्तु बेकार रहा मशीनों को चलाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन मशीनें यथावत बंद पड़ी हैं। यहां पर मैंने जिन बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाया है, उनकी तरफ ध्यान देंगे तो ज्यादा ठीक होगा।

तस्करी के अन्दर जो आपकी नीतियां हैं, वह तस्करी बढ़ाने में सहायक होती हैं। पॉपी हस्क (डोडा चूरा) के लाइसेंस प्रति वर्ष दिए जाते थे ताकि किसान अफीम के बाद उसे बेच दे लेकिन इस बार लाइसेंस नहीं दिए गए इसके कारण पॉपी हस्क (डोडा चूरा) घरों में पड़ा रहा । अगर वह 31 जुलाई के बाद अपने घर में रखता है तो दंडनीय अपराध होता है। एक तरफ बाजार में किसान को बेच नहीं सकता। उसे लाखों रुपए की हानि हो रही है, लाइसेंसेज दिए नहीं जा रहे हैं। सरकार को भी लाइसेंस से आमदनी हो सकती है। ऐसे में वह चोरी-छिपे धंधा करने के लिए प्रेरित होता है। किसान से पूछताछ होती है कि उसने 31 जुलाई के बाद अपने घर में हस्क पॉपी क्यों रखा क्योंकि यह एक अपराध है। लाइसेंस की प्रथा है तो लाइसेंस क्यों नहीं दिए गए। इसके ऊपर मैंने पहले भी माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित किया था।

हमारे अधिकारो चाहे नारकोटिक्स इंस्पैक्टर हो, चाहे उपायुक्त हों या दूसरे हों, उनको जो भी अधिकार दिए जाएं, उनका दुरुपयोग न हो। वे अपने अधिकारों का ठीक से इस्तेमाल करें जिससे तस्करी न हो। बड़े-बड़े तस्कर जो इस धंधे में लगे हुए हैं चाहे वे हेरोइन का धंधा करते हों, चाहे मार्फिन का धंधा करते हों, चाहे अफीम का धंधा करते हों, वे लोग बच जाते हैं लेकिन किसान के घर में एक ग्राम अफीम भी कहीं निकल जाए तो उस निर्दोष किसान को फंसाया जाता है। जैसाकि मैंने पहले भी निवेदन किया कि अल्कालाइट और

ओपियम की फैक्ट्री के कुप्रबंध का ठीक किया जाए और वहां की व्यवस्था सुधारी जाए। वहां पर चोरियां न हों। यदि वहीं से टनों अफीम चली गई और कार्यवाही नहीं हुई तो निश्चित रूप से दूसरों को दंड देने की बात होती है। यह ठीक नहीं है वहीं से मार्फिन चोरी होकर चली जाए तो उससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता है। मैं चाहूंगा कि आप इसे रोकें और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें।

आपने एडवाइजरी बोर्ड की बात की है, वहां समस्त प्रकरण जाना चाहिए और वहां जल्दी से जल्दी निपटारा होना चहिए, यह ठीक है, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। जितना कड़ा से कड़ा दंड होगा, उतना अच्छा है लेकिन इसमें निर्दोष किसानों को फंसाया जाता है, उनकी तकलीफें निश्चित रूप से दूर होनी चाहिए और अफीम उत्पादन के मामले में एक नीति निर्धारित की जानी चाहिए ताकि किसान को पता रहे कि हमें कितनी उपज पैदा करनी है। कई बार पाला पड़ता है। कई बार शीत लहर आती है, कई बार ओले गिरते हैं और कई बार ऐसी बीमारियां लग जाती है। जिसके कारण वह निर्धारित उपज देने में असमर्थ होता है। यह मेरे क्षेत्र के किसानों की पीड़ा है। आप खेत में जाकर देख सकते हैं। किसानों का स्वाभाविक रूप से नुकसान होता है। अधिकारी लोग 15-20 दिन तक किसानों की हालत वहां जाकर नहीं देखते हैं। इस बीच में उनका सब चौपट हो जाता है। उसे कहा जाता है कि सारी फसल नष्ट कर दो। इसमें करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। इस मनमानी को रोका जाना चाहिए। मैं फिर जोर देकर कहना चाहता हूं कि इस बारे में जन प्रतिनिधियों से निश्चित रूप से सलाह ली जानी चाहिए, इनकी कठिनाइयां देखी जानी चाहिएं। औसत के हिसाब से किसान उसको देने के लिए तैयार हैं। आपने खेत के आसपास 10-10 कांस्टेबल बैठा दिए, सब-इंस्पैक्टर बैठा दिए, वे बंदूकें तानकर बैठे रहे, उन्होंने अफीम का उत्पादन ले लिया। अफीम का उत्पादन 40 किलो आया तो कहेंगे कि इसका तो 40 किलो आया लेकिन वह 45 किलो अफीम कहा से लाकर दे जबकि आपके संरक्षण में निकाले जाने वाली अफीम की मात्रा 40 किलो ही थी, वह 45 किलो कहां से लाकर देगा। इसका मतलब यह हुआ कि वह पहले से ब्लैकमार्किट में जाकर खरीदे। आप उसे इस बात का प्रोत्साहन देते हैं लेकिन अधिकारी इसमें मिले रहते हैं। अधिकारी स्वयं आकर कहते हैं कि हम पूर्ति करवा देंगे, आप आएं, आपका लाइसेंस नहीं कटेगा। इन बातों को रोका जाना आवश्यक है। मैंने विधयेक से संबंधित अन्य बातों को कहने का प्रयत्न किया है ताकि आप आवश्यकता को समझें। झगड़ करवाने में भी आपके अधिकारी शरीक होते हैं। मैंने देखा कि किसी एक अधिकारी के किसी मकैनिक के यहां गाड़ी खड़ी की। मकैनिक ने देखा कि गाड़ी की डिकी मे अफीम रखा था। उसने अधिकारी से कहा कि अफीम तो लेते जाएं। अगर उसने देखा नहीं होता तो शायद उसे ही चोर बनाया जाता। जो यह काम करते हैं, उनके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए1

इसमें दंडात्मक प्रावधान निश्चित रूप से होना चहिए लेकिन मेरे सुझावों पर निश्चित रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। किसानों की वास्तविक कठिनाइयों को भी हल किया जाना आवश्यक है। आप नीति बनाते समय जन प्रतिनिधियों को आहूत कीजिए। आने वाली फसल के अन्दर किसानों का जो औसत निर्धारित कर रहे हैं, वह 40 किलो प्रति-हैक्टेयर से अधिक न हो अफीम का कीमत बढ़ाई जाये नए लाइसेंस इस आधार पर दिए जाएं कि प्रक्रिया ठीक से हो, जिससे इसका ठीक से उत्पादन हो सकें। जो व्यावहारिक ज्ञान रखते हों, उनके सुझाव भी लिए जाएं।

यदि आपने विदेशों से अनुबंध किया है तो अनुबंध किस प्रकारे का है, कितना अफीम अनुबंध के अनुसार देना चाहते हैं, उस अनुबंध के अनुसार मंदसौर व रतलाम जिलों में कितने नए लाइसेंस देंगे और उत्तर प्रदेश में कितने नए लाइसेंस देंगे, यह बात भी स्पष्ट करने की कृपा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस (इदुक्की) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो मंत्री महोदय यहां लाये हैं उसका स्वरूप बहुत तकनीकी है। धाराएं भी बहुत तकनीकी है, क्योंकि उनमें कहा गया है कि वर्तमान विधेयक केवल 31 जुलाई, 1996 तक ही वैध है। यद्यपि वित्त मंत्री इस विधेयक के माध्यम से केवल विधेयक की अवधि बढ़ाना चाहते हैं।

मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। लेकिन मेरी एक शिकायत है और वह यह कि माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में केवल टुकड़ों में विधान बना रहे हैं। मुख्य अधिनियम 1988 का है। लगभग आठ अथवा नौ वर्ष बीत गये हैं और इस अवधि में अवैध व्यापार के लिये अनेक नये तरीके प्रयोग में लाये जाने लगे हैं। लेकिन वर्तमान कानून द्वारा इनमें से किसी भी तरीके को रोका नहीं जा सका। अतः माननीय मंत्री से यह अनुरोध है कि वह इस सम्बन्ध में व्यापक विधेयक लायें।

जैसाकि मेरे मित्र ने बताया है कि विदेशी मुद्रा संरक्षण के लिये भी हमें व्यापक कानून बनाने की आवश्यकता है। लेकिन इस मामले में हमें और गम्भीर और व्यापक कानून बनाने की आवश्यकता है। भारत की भौगोलिक दृष्टि से स्थिति बहुत विकट है। यह तीन ओर से समुद्र से घिरा है और एक ओर से कुछ ऐसे देशों से घिरा है जो इन बातों के लिये संवेदनशील हैं। हिमालय म्यांमार और अन्य स्थानों के बहुत निकट है।

नशीली दवाइयों और अन्य पदार्थों का अवैध व्यापार बड़ी आसानी से किया जा सकता है। हमें इस विषय पर गम्भीरता से सोचना होगा। सोना, समान और अन्य बातों की हानि होती है। लेकिन इसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य और चरित्र का नाश हो रहा है और युवा शक्ति बिगड़ रही है। इस बारे में गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये और इस सम्बन्ध में व्यापक अध्ययन की आवश्यकता है। मेरी यह बात अब तक समझ में नहीं आता कि अधिनियम की धारा 10 में होना चाहिये? सब स्थान ही संवेदनशील हैं। ऐसा नहीं है कि जिन स्थानों में लोगों को पकड़ा जाये अथवा गिरफ्तार किया जाये वे स्थान संवेदनशील है और अन्य स्थान संवेदनशील नहीं है। इसमें यह कहा

गया है। मैं उद्धृत करता हूं।

> "अवैध व्यापार के लिए सहजमेघ किसी क्षेत्र में उस क्षेत्र से बाहर, उस क्षेत्र में से या उसके भीतर स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार में लगना संभाव्य है और ऐसे व्यक्ति के विरोध के पांच सप्ताह के भीतर उस आशय की घोषणा करता है।"

> "इस विधेयक में अत्यन्त संवदेनशील स्थानों की गणना की गई है। यदि किसी व्यक्ति को इन अत्यन्त संवदेनशील क्षेत्रों से टनों नशीली औषधियों के साथ गिरफ्तार किया जाता है, तो वह नहीं बच सकता और उसे पकड़ा जायेगा। मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन यह धारा अन्य स्थानों पर लागू नहीं होगी।"

श्री पी. चिदम्बरम : यह बढ़ाये जाने की अवधि में है। यह एक वर्ष के लिये लागू होगा।

श्री ए.सी. जोस : ऐसे मामले में यदि एक व्यक्ति नशीली दवाइयों का अवैध व्यापार असंवेदनशील क्षेत्र में करता है और वह असंवेदनशील क्षेत्र में पकड़ा नहीं जाता, तो क्या होगा? भारत में सभी स्थान ऐसे हो सकते हैं। विशेषकर मणिपुर और पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्रों में ऐसी ही स्थिति है। ये क्षेत्र अन्य देशों जैसे म्यांमार के निकट अथवा उससे जुड़े हैं, जैसाकि मेरे मित्र उस क्षेत्र के हैं।

मेरा सुझाव यह कि संवेदनशीलता को ध्यान में न रखते हुए, कानून सब के लिये समान होना चाहिये। हम इस देश में संवेदनशीलता का मामला क्यों उठाते हैं? यह तस्करी के प्रयोजन के लिये ठीक हो सकता है। लेकिन इस मामले मं आपको एक सामान्य मानदण्ड अपनाना है जिसमें यह कहा गया है कि इस देश में कोई भी स्थान समानरूप से संवेदनशील है।

अतः मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि इस मामले में अत्यन्त तकनीकी विचारधारा न अपनाकर उन्हें इसके ऊपर सोचना चाहिये। मेरी समझ में संवेदनशीलता और असंवेदनशीलता की बात नहीं आई। हमें इस ओर ध्यान देना चाहिये।

हमारा एक लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश में निर्धारित कानून हैं। प्रत्येक नागरिक को कानून के अन्तर्गत संरक्षण किया जाना चहिये। लेकिन कुछ मामलों में हम इस प्रक्रिया अथवा सिविल प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम में इसका पालन नहीं करते। इनमें अभियुक्त पर अपने को निर्दोष करने का दायित्व होता है। यहां तक कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को संरक्षण के मामले में, यदि अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध किया जाता है तो प्रमाण देने का दायित्व अभियुक्त पर होता है और उसे यह सिद्ध करना होता है कि वह निर्दोष है। अन्य मामलों में यह इसके विपरीत है। तदनुसार इस बात पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये। स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ के अवैध व्यापार के बारे में और गम्भीरता को निर्दोष सिद्ध करने का दायित्व अपराधी पर होना चाहिये।

सारांश में यह कहना चाहता हूं इस मामले में व्यापक और विस्तार से विचार करना चाहिये। मेरे मित्र ने भी ऐसे ही विचार व्यक्त किये हैं। इस विधेयक में अनेक त्रुटियां हैं। तस्करी जारी है। केवल कुछ मामले ही पकड़े जाते हैं। लेकिन अनेक मामलों में लोग साफ बच जाते हैं, लेकिन तस्करी के मामले में माल लाने ले जाने वाले व्यक्ति ही पकड़े जाते हैं जबकि वास्तविक तस्कर जिनके पास सभी प्रकार के आधुनिक उपकरण हैं, अपने घर बैठे हुए तस्करी को नियंत्रित करते हैं। सामान लाने ले जाने वाले व्यक्ति को, विशेषकर, विदेशी मुद्रा लाने सम्बन्धी वर्तमान उदारीकरण योजना के अन्तर्गत पकड़ा जाता है।

लोग रोज जाते और आते हैं। वे माल वाहक बन जाते हैं। वे बहुत कम मात्रा में नशीली औषधि लाते हैं और वे इसे कहीं भी छिपा लेते हैं। अतः मेरी माननीय मंत्री से अनुरोध है इन मामलों पर हमें बहुत ध्यान से विचार करना होगा।

अनेक समितियां का अध्ययन भी किया है। लेकिन वर्तमान कानूनों ओर इन बातों को रोकने के लिये बनाये गये कानूनों, में इन रिपोर्टों को शामिल नहीं किया गया है। अतः इन सब बातों पर विचार किया जाना चाहिये। चूंकि हमने 'वैस्टमिनस्टर प्रणाली अपनाई है, इसलिये हमारे देश में कानून बनाने की प्रक्रिया धीमी है। इस देश में हम सब इस बात से सहमत हैं कि यह एक ऐसा मामला है जो हमारे देश और विशेषकर युवकों को प्रभावित करता है आप नशीली दवाइयों के विरूद्ध कितना ही प्रचार क्यों न करें लेकिन जब यह खुले आम कालेज और होस्टलों के निकट उपलब्ध है तो युवकों के लिये इसकी आदत डालना बहुत आसान है। अभी भी बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयों का अवैध तस्करी और बिक्री जारी है। इस कुरीति को नियंत्रित करने के लिये सरकार को विशेष सैल गठित करने चाहिये। अनेक राज्यों में पुलिस ने नशीली दवाइयों पर नियंत्रण करने सम्बन्धी सैल बनाये है।। यह भी तथ्य है कि चूंकि भारत एक बहुत विशाल देश है, नशीली दवाइयों की तस्करी, खेती, निर्माण आदि का बहुत अधिक सम्भावनाएं हैं। मैं ऐसे जिले से आया हूं जहां गांजे की बड़े आराम से खेती की जा सकती है। बहुत से लोग इसकी खेती कर रहे हैं। पुलिस प्रतिदिन छापे मारती है और उनको गिरफ्तार करती है। लेकिन हमारी विश्वसनीय व्यवस्था के साथ हमारी कानून व्यवस्था अभी भी न्यूनाधिक पुरानी है। इस मामले में हमे बहुत व्यापक कानून की आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत के खिलाफ एक रैकेट बनाया गया है, भारत में रहने के लिए एक गिरोह संगठित है। यह दुर्भाग्य का विषय है कि भारत में थाइलैण्ड, हांगकांग, सिंगापुर और नेपाल से बहुत बड़ी तादाद में तस्करी हो रही है। सारे विश्व में 3 हजार 7 सौ मीटरिक टन अफीम की खेती होती है और उसमें से तीन सौ मीटरिक टन अफीम से हेरोइन

बनाई जाती है। जहां तक अफीम की खेती होती थी, उस पर सख्ती के आधार पर जो रोक होती थी, वहां तक तो ठीक था। लेकिन आज जिस प्रकार से अफीम के विकल्प के रूप में जो हेरोइन, स्मैक, ब्राउन शुगर बाजार में बढ़ी है और भारत के मार्किट को कैप्चर किया है वह अत्यंत चिंताजनक बात है। तेजी से सीमावर्ती क्षेत्र में पाकिस्तान ने भी और आई.एस.आई. ने भी टैक्नीक बदली है। शस्त्र के बजाय अफीम, स्मैक आदि को तेजी से भेजकर और यहां के लोगों को किस प्रकार से कृश बनाया जा सकता है, कैसे बहादुर लोगों को नकारा बनाया जा सकता है, यह एक सोची-समझी पाकिस्तान की चाल है। बड़ी तादाद में सीमा क्षेत्रों में आज जिस प्रकार से नशीले पदार्थ आ रहे हैं वह सब देशवासियों के लिए चिंता का विषय है। माननीय मंत्री जी जो बिल लाये हैं उसको कहीं भी कोई विरोध नहीं करेगा। मेरा निवेदन यह है आखिरकार नशीले पदार्थ से यह जो बाजार अटा पड़ा है, आज जिस प्रकार से बच्चों के अंदर स्मैक की आदतें पड़ी हैं, उसके कारण सारा देश आज चिंतित है। पाकिस्तान की तो सारी अर्थव्यवस्था ऐसा लगता है कि अवैध शस्त्र और अवैध नशीले पदार्थों के आधार पर खड़ी हुई है। पाकिस्तान की 25 प्रतिशत समानान्तर अर्थव्यवस्था नशीले पदार्थों के आधार पर चल रही है। आज पाकिस्तान में जहां पिछली बार एक सर्वे के आधार पर इन नशीले पदार्थों की तस्करी से जो दस अरब पांच मिलियन डॉलर की आय होती थी, वह अब बढ़कर पचास मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है।

यह बड़े दुख की बात है। अभी पिछले वर्ष हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के अधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया गया था और उनकी बैठक में निर्णय लिया गया था कि नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिये समुचित व्यवस्था की जाएगी लेकिन आज तक न तो कोई व्यवस्था हुई और न इस दिशा में कोई प्रभावी कार्यवाही की गई। सलाऊद्दीन अहमद जो पाकिस्तान के एक मेजर थे और पाकिस्तान में नार्कोटिक्स सचिव भी थे, उनके साथ हमारे नार्कोटिक्स सचिव की वार्ता हुई थी जिसमें पाकिस्तान इसे रोकने की बात करता था लेकिन आज तक पाकिस्तान के द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने की दिशा में ठोस कार्यवाही नहीं हुई।

मेरा निवेदन है कि तस्करी पर नियंत्रण करने के लिये जितनी कार्यवाही की गई उसका कोई प्रभावी असर नहीं हुआ जिसके परिणामस्वरूप कि देश में दिन-प्रतिदिन तस्कर बड़ी तादाद में पकड़े जा रहे हैं। भारतवर्ष में वर्ष 1993 में 13,724 तस्कर और 1994 में 14,452 तस्कर नशीले पदार्थ लाते हुए पकड़े गये लेकिन इस साल सक्रियता न बरतने के कारण उनकी संख्या घटकर 13,312 रह गई।

उपाध्यक्ष जी, राजस्थान बॉर्डर पर अमूमन यह सुनने में आता है बड़ी मात्रा में हिरोइन तस्करी के माध्यम से आती है, अभी कुछ दिन पहले 63 करोड़ रुपए की हिरोईन बीकानेर में पकड़ी गई लेकिन हिरोईन तो पकड़ ली गई मगर हीरो बच निकला, जो उसका मालिक था, हिरोईन लाने वाला था, अपराधी बचकर निकल गया। अमूमन ऐसा होता है कि नशीले पदार्थ तो हमारे देश में तस्करी के माध्यम से आते हैं लेकिन तस्कर भाग खड़े होते हैं। ऊंटों पर लादकर हिरोईन भारत में लाई जाती हैं और सुरक्षा कर्मचारियों को देखते ही, तस्कर ऊंटों को जंगल में छोड़ देते हैं जिससे अधिकारियों द्वारा ऊंट तो पकड़ लिये जाते हैं परन्तु अपराधी तस्कर बच निकलते हैं।

मेरा निवेदन है कि तस्करों को पकड़ने के लिए तेज गति से प्रभावी कार्यवाही हो। कौन नहीं जानता कि नेपाल के रास्ते से भारत में गांजा और चरस नहीं आते लेकिन बिहार में उनकी भारी मात्रा में तस्करी होने के बावजूद वहां होने वाली गिरफ्तारियों की संख्या अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत नगण्य है। बिहार में नशीले पदार्थों की तस्करी करते हुए 1993 में 126 तस्करों को पकड़ा गया, 1995 में 198 तस्कर गिरफ्त में आए लेकिन इस साल केवल 31 आदमी ही पकड़े जा सके। सारा हिन्दुस्तान जानता है कि नेपाल बॉर्डर से चरस, गांजा आदि भारी मात्रा में आता है लेकिन ऐसा लगता है कि राजनीतिज्ञों और तस्करों के बीच कोई सांठ-गांठ है, ये दोनों मिले हुए हैं जिसके कारण नेपाल बॉर्डर से आने वाला चरस, गांजा, अफीम, भांग सारे हिन्दुस्तान में बेचा जाता है। मेरा निवेदन है कि इसे रोकने के लिए सरकार कड़ी कार्यवाही करे।

अंत में, मेरा निवेदन यह है कि अवैध नशीले पदार्थों को डैस्ट्राय करने में भी बहुत बड़ा करप्शन होता है। आपने एक सिस्टम बना रखा है लेकिन तस्करी में पकड़ा गया कितना माल जलाया गया, कितना डैस्ट्रॉय किया गया, उसके लिए समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता है, देख-रेख करने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि इस मामले में प्रभावी कार्यवाही आपके माध्यम से हो और सख्त नियम बनाए जाएं ताकि डैस्ट्राय करने में किसी तरह की अनियमितता न हो और आपका विभाग चुस्त बने। मेरी मान्यता है कि हिरोईन लाते हुए अगर कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो आज के प्रावधानों के अनुसार उसे 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और इसमें भी हल्का नशा और तेज नशा करके नशे को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। मेरा निवेदन है कि सख्त सजा नशीले पदार्थों के अपराधियों को मिलनी चाहिए। मेरी मान्यता है कि देश में स्मैक का धंधा करने वाले व्यक्ति को फांसी की सजा भी अगर दी जाए तो कम है। यदि इस धंधे को रोकने के लिए हमने सख्त कानून नहीं बनाए तो एक दिन यह देश को बर्बाद कर देगा, स्मैक के कारण देश का सर्वनाश हो जाएगा। आज देश के हर मैडिकल स्टोर मं इसके इंजैक्शन आपको मिल जाएंगे। यदि पुलिस छापा डाले भी तो कहां डाले। इंजेक्शनों के बढ़ते व्यापार के कारण पूरा देश चिन्तित है। मैं चाहता हूं कि इस मामले पर हम सब लोग बैठकर कोई निर्णय करें और सख्त से सख्त सजा का प्रावधान करें। इसके लिए सदन में आप एक बिल लेकर आईये और हम सर्व सर्वसम्मति से, एकमत से उसे पास करें।

फांसी की सजा स्मैक बेचने वालों को दी जाए तो देश बच सकता है। यह हमारे देश पर एक अन्तर्राष्ट्रीय हमला है। हम पाकिस्तान से युद्ध में नहीं हार सकते, लेकिन स्मैक के द्वारा हमारी युवा पीढ़ी खत्म हो सकती है। यदि राजपूतों को, गुर्जरों को, जाटों को स्मैक पिलाकर खत्म कर दिया गया तो देश तबाही के कगार पर पहुंच जाएगा। इसलिए मेरी मांग है कि आप सख्त से कानून लाएं तो हमारा दल भी

आपका समर्थन करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : उपाध्यक्ष महोदय, अपराध की गम्भीरता को रोकते हुए, मैं माननीय मंत्री द्वारा पुरःस्थापित विधेयक का समर्थन करता हूं। यह तथ्य है और यह चिन्ता का विषय है कि इस विधेयक से सम्बन्धित अपराधों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को किसी प्रकार रोका जाना चाहिये और अपराधियों से सख्ती से निपटा जाना चाहिये। हमारा अनुभव यह बताता है कि इन अपराधों के पीछे कोई शक्तिशाली गिरोह सक्रिय है। ये गिरोह आर्थिक रूप से और सामाजिक दृष्टि से भी शक्तिशाली हैं। व्यवहार में कुछ लोगों ने कुछ एजेंटों को नियुक्त किया हुआ है और उनकी गरीबी का लाभ उठाकर वे उनसे राष्ट्र विरोधी कार्य और अपराध करवा रहे हैं।

कानून को लागू करने वाले प्राधिकरण और कार्यकारी प्राधिकरण दोनों को ही अधिकार प्राप्त होंगे। इस अधिनियम को लागू करने से पूर्व, सरकार को इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए। कि किसी निर्दोष व्यक्ति को न पकड़ा जाये, निर्दोष व्यक्ति की नागरिकता का हनन न हो। कार्यकारी अधिकारियों को अधिनियम को लागू करने से पूर्व इस सम्बन्ध में सावधानी बरतनी चाहियें और सलाहकार बोर्ड को पुनरीक्षा के समय किसी व्यक्ति के लचीले पहलू पर विचार नहीं करना चाहिये। लेकिन उन्हें ऐसे मामलों को यथाशीघ्र निपटाना चाहिये।

हमारे देश में ऐसी बातें चल रही हैं। ऐसे अपराधों की संख्या में अधिनियम में त्रुटियां होने के कारण वृद्धि हो रही है। कुछ लोगों को इन मामलों की जांच करने, इन्हें टोकने और इन्हें निपटाने की कानून द्वारा शक्तियां प्रदान की गई हैं। और उन लोगों से सांठ-गांठ करके ये लोग इस प्रकार की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं।

अतः सरकार को ऐसे व्यक्तियों के प्रति सावधानी से काम लेना चाहिये जिन्हें इन मामलों की जांच करने के लिये शक्तियां प्रदान की गई हैं। उन्हें इस बात के अवसर नहीं दिये जाने चाहिये कि वे दोषियों अपराधियों और अभियुक्तों को छूट दे सकें।

एक ऐसा व्यक्ति, जिसे मामले की जांच का अधिकार दिया गया है, यदि अपने कर्तव्य का उल्लंघन करता है तो उसे सजा दी जानी चाहिये और यदि वह उचित रूप से कार्य करता है तो उसे पुरस्कृत किया जाना चाहिये। अन्य विद्वान सहयोगी बहुत उत्तेजित हैं। लेकिन मैं इस मामले में उत्तेजित नहीं हूं।

देश के हित को ध्यान में रखते हुए, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे आशा है कि सभी माननीय सदस्य मेरे विचार से सहमत हैं।

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : माननीय उपाध्यक्ष जी, व्यापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण (संशोधन) विधेयक, 1996 के बारे में हम यहां विचार कर रहे हैं। नशीले पदार्थों का निर्माण, इनका व्यापार और इनका प्रभाव विशुद्ध रूप से घातक है। अफीम का नाम सबने सुना होगा, लेकिन यह किस प्रकार की काश्त होती यह सबकी जानकारी में नहीं आता है। अफीम की खेती में विशेष प्रकार की दक्षता लगती है और विशेष प्रकार की मिट्टी में इसकी उपज अच्छी होती है। ऐसी मान्यता है। मध्य प्रदेश का मालवा प्रान्त और उससे लगते राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ जिले भी इसकी काश्त के लिए प्रसिद्ध रहे हैं और वर्ष प्रति वर्ष इसकी काश्त की जाती रही है।

प्रारंभ में इसकी काश्त के बारे में कुछ कहने-सुनने को नहीं था, लेकिन जैसे-जैसे टैक्नौलोजी विकसित होती गई, इसका व्यापार बढ़ना शुरू हो गया। जब तक सरकार इसके दाम ठीक प्रकार से अदा करके इसको खरीदती रही, तब तक तो यह ठीक रही। यह जो काश्त होती है वह बहुत ही मुश्किल से होती है। इसकी काश्त बड़ी सावधानी से की जाती है। जैसे बच्चे का लालन-पालन माता-पिता करते हैं। वैसे ही किसान इसकी खेती करता है इसका डोडा जब आ जाता है, तो उसमें सुबह-सुबह चीरा लगाया जाता है और उसमें से दूध निकलता है, तो गाढ़ा बनकर अफीम बन जाता है। और इसको गर्मी ज्यादा होने से पहले ही इकट्ठी कर लेते हैं। इसके बाद सूखे डोडे से दाना निकलता है, जिसको बाजार में बेच दिया जाता है और जिसका प्रयोग भारत के विभिन्न भागों में पकवान बनाने के लिए किया जाता है। जो छिलका निकलता है, वह भी बाजार में बेच दिया जाता है। इस प्रकार ये यह बहुआयामी फसल है। बहुत प्रकार से लाभ पहुंचाने वाली फसल है जिसके कारण एक विशेष प्रकार की फसल कहा जाता है।

जहां तक नियमों का, प्रावधानों का और विधि-विधानों का संबंध है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। आपत्ति उस पर हो सकती है 31 जुलाई 1996 के बाद बढ़ाने की बात की जा रही है। जिस प्रकार से आपने नियम और प्रावधान बनाए हैं उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु कारण के निवारण के बारे में भी यदि हम चिन्ता कर लेंगे, तो बाकी की बातें ठीक हो जाती हैं। क्योंकि जड़ पर ध्यान नहीं जा रहा है। उसकी शुरूआत कहां से होती है, यदि उस पर ध्यान चला जाए, तो निश्चित रूप से मामला ठीक हो जाता है जिस प्रकार से किसान का दाम मिलने चाहिये, वे नहीं मिलते हैं और उसके कारण जो लालच के अंदर जो उसका व्यापार करने वाले लोग हैं और तस्कर लोग हैं वे उन किसानों से उस अफीम को ले जाते हैं। जो नशा करने वाले आदमी होते हैं, यह अफीम फिर उनके काम आने वाली बात नहीं है या एक ग्राम या दो ग्राम अफीम की बात नहीं हैं, फिर यह क्विंटलों में जाती है और वह विदेश में जाती है। तब इसके दाम बहुत बढ़ जाते हैं और इसके जो बायोप्रोडक्ट कोकीन फास्फेट आदि बनते हैं, वे बहुत घातक होते हैं।

मार्फिन, हेराईन, ब्राउनशुगर आदि ये सब चीजें उससे निकलने वाले और उससे जुड़े हुए पदार्थ हैं। इस सारी चीजों का व्यापार लाभ कमाने के लिए किया जाता है। तस्करी तो हम समझते हैं। लेकिन तस्करी तो बहुत सारी चीजों की होती है जैसे सोने की, चांदी की,

बहुमूल्य पदार्थों को अगर किसी चीज के दाम एक जगह कम हैं और दूसरो जगह ज्यादा हैं तो उसकी तस्करी हो जाती है किन्तु यह बहुत खतरनाक और घातक भी है। इसमें पैसा तो मिलता है लेकिन जहां भी यह तस्करी होती है वहां वे अपने साथ विनाश, विपन्नता, दुख और कष्ट साथ लेकर आती है। यह तस्करी बहुत घातक है। इसके लिए आपने जो प्रावधान किया है उसका कड़ाई से पालन करना चाहिए। इसके साथ जो बाकी की बातें हैं, जिसका उपयोग करना आपके हाथ में है। उसके लिए आप जितना कड़ा विधान बनायेंगे उतनी ही आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्योंकि अगर किसी के यहां से एक ग्राम, दो ग्राम या पांच ग्राम भी अफीम मिल गयी तो उसके वही दो साल की सजा मिलने वाली है, दो लाख का जुर्माना होने वाला है। आपस में झगड़े होने के कारण, वैमनस्य होने के कारण, बदला लेने की भावना बनाकर या मिलीभगत के कारण उसको नुकसान पहुंचाने का कार्य किया जाता है। यह निश्चित रूप से कष्टप्रद है। इस पक्ष को भी ध्यान देना चाहिये कि किस प्रकार से, किन परिस्थितियों में यह होता है। तस्करी का जो काम है, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए उपाय करने की बहुत आवश्यकता है और जो उपाय आप करते हैं, उसको ठीक प्रकार से लागू करने की बात होनी चाहिए।

मेरा कहना है काश्त का जो लाइसेंस देने की प्रणाली है, पट्टा देने की प्रणाली है, वह धीरे-धीरे कम करते चले आ रहे हैं। उज्जैन जिले में अफीम काश्त को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। मेरा जो संसदीय क्षेत्र है, उसमें अभी अफीम की काश्त होती है। उसको पहले कहा जाता है कि तुम अपनी काश्त पैदा कर लो, वह उसमें नयी पैदावार लगा देता है। जब पैदावार लगा लेता है तो उस पर जांच करने के लिए वही लोग आ जाते हैं। अगर उसने एक-आद पंक्ति ज्यादा लगा ली या ज्यादा आरी लगा ली हो तो वे उसके आधार पर उसको डरा-धमका कर पैसा लूटा जाता है। इस प्रकार से जो काश्तकार अफीम पैदा करता है, उसके प्रति सम्मान का भाव नहीं किया जाता। खेती करने वाले आदमी को अपमान बर्दाश्त करने के लिए बाध्य किया जाता है।

मेरा आपसे यह कहना है कि इसकी लाइसेंसिंग प्रणाली इस प्रकार की हो कि सभी काश्तकारों को समान रूप से उस काश्त का लाभ मिल सके और वह जितना परिश्रम करता है, उसका फायदा उसको मिले, ऐसी नीति निर्धारण करने की आवश्यकता है। नीति निर्धारण करते वक्त भी जैसे कि मेरे पूर्ववक्ता ने कहा, उस बात को मैं दोहराना नहीं चाहता किन्तु उत्पादन की जो लिमिट है जैसे 40 किलो, उसको 45-50 मनवाना है, वह कर देते हैं इसके कारण भी उनको काले बाजार से खरीदकर उसकी पूर्ति करनी पड़ती है, वह कष्टप्रद होता है। मेरा यह कहना है कि जो नीति निर्धारण है, उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करके, जैसे उत्तर प्रदेश में भी अफीम होती होगी, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में होती होगी, उसके औसत को ठीक क्षेत्रवार करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइसेंस देना चाहिये। अगर ये बातें हम ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से किसान का हित सुरक्षित रहेगा। और जो तस्कर हैं, उसके प्रति कठोर कार्यवाही की जा सकेगी उसको प्रतिबंध करने के लिए आप जो उपाय करने वाले हैं, वे प्रभावी हो सकेंगे।

[अनुवाद]

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका (तेजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वापक औषधियों के अवैध व्यापार में गत वर्षों में चिन्ताजनक वृद्धि हुई है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस सामाजिक कुरीति से तुरन्त निपटने की आवश्यकता है।

यह सभा इस विधेयक में संशोधन करना अथवा धारा 10 को 31 जुलाई, 1996 से बढ़ाकर 31 जुलाई, 1999 तक लागू रखने के मामले में सर्वसम्मत है। इस सम्बन्ध में एक समस्या है जिसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। वह आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित समस्या है।

अपराह्न 3.00 बजे

आज हम देखते हैं कि जहां कहीं भी आतंकवाद व्याप्त है वह स्थान स्वापक औषधी के अवैध व्यापार का सहज मार्ग बन जाता है। इस विधेयक में जिन संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्तर में पता लगाया गया है, जहां से में चुनकर आया हूं। वे आतंकवाद से बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में आतंकवाद और आतंकवादियों के बने रहने के क्या कारण हैं? उन्होंने अपने को आधुनिकतम हथियारों जैसे एके-47, ए.के.-56, राकेट लांचर्स तथा अन्य हथियारों से सुसज्जित कर लिया है। इनके लिये उनके पास धनराशि कहां से आई? क्या उन्होंने यह राशि देश में लोगों को डरा-धमका कर प्राप्त की है अथवा यह राशि भारत विरोधी देशों से प्राप्त की गई है अथवा यह राशि यह स्वापक औषधि के अवैध व्यापार द्वारा प्राप्त की गई है। अतः इस मामले पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि यह मात्र संयोग की बात नहीं है कि आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां स्वापक औषधि का अवैध व्यापार करने वाले फल-फूल रहे हैं।

इसके साथ-साथ आई.एस.आई. जैसी एजेंसियां ऐसे कई नाजुक क्षेत्रों में आतंकवादियों की सहायता से अवैध कार्यों में लिप्त व्यापारियों की स्वापक औषधि के अवैध व्यापार में सहायता और सांठ-गांठ कर रही है और सहज रूप से अपना कार्य कर रही है। अतः इस बुराई पर यदि प्रभावशाली ढंग से नियंत्रण करना है और इसका प्रभावशाली ढंग से मुकाबला करना है तो आतंकवाद के इस पहलु पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि इसके बिना इस बुराई से भी सफलतापूर्वक मुकाबला नहीं किया जा सकता।

दुर्भाग्य से कश्मीर को संवेदनशील क्षेत्रों के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। अब हम देखते हैं कि हवाला मामले में भारी मात्रा में धनराशि हवाला संचालकों के माध्यम से आतंकवादियों के पास पहुंच रही है। अतः यह स्पष्ट है कि काश्मीर क्षेत्रों में भी आतंकवादियों द्वारा हथियारों की खरीद के लिये स्वापक औषधि के अवैध व्यापार से अर्जित धनराशि भेजी जा रही है। आशा है सरकार कश्मीर के भी

संवेदनशील क्षेत्रों में शामिल करने पर विचार करेगी, जैसाकि इस विशेष धारा में उल्लिखित है।

अंत में मैं यह कहूंगा कि वित्त मंत्रालय इस विषय को देखता है। स्पष्टतया, ऐसा इसलिये है कि सीमा शुल्क विभाग वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत है और इस विषय को, जो स्वापक विभाग के अन्तर्गत है, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अन्तर्गत रखा गया है। लेकिन यदि इस विषय को वित्त मंत्रालय पर छोड़ दिया जाता है तो वह इस समस्या का केवल राजस्व सम्बन्धी पहलू ही देख पायेगा और इसके सामाजिक और सुरक्षा संबंधी पहलू अथवा रोकथाम की ओर ध्यान नहीं दिया जा सकेगा अतः इस बारे में भी सरकार को विचार करने की आवश्यकता है-कि इस मामले को वित्त मंत्रालय के क्षेत्राधिकार से लेकर इसे गृह मंत्रालय के अधीन रखा जाये क्योंकि मेरे विचार से स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ के अवैध व्यापार की समस्या से निपटने के लिये गृह मंत्रालय ही उपयुक्त है।

इन शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित संशोधनों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : अध्यक्ष जी, जिस कानून पर यहां बहस हो रही है, उस पर बात करते समय देश के पूर्वांचल की ओर हमारी नजर जाना बहुत आवश्यक है। यह बहुत आसान बात है कि कौन विदेशी ताकत किस तरह से नारकोटिक्स का इस्तेमाल हम लोगों के यहां करना चाहती है, इस तरफ नारकोटिक्स को भेजना चाहती है। लेकिन हिन्दुस्तान का जो पूर्वांचल का इलाका है, वह आज इस व्यापार का अति महत्वपूर्ण इलाका है, ऐसा मैं मानता हूं।

इसका अर्थ यह नहीं है कि हम लोग कोई हेरोइन वगैरह पैदा करने की क्षमता रखते हैं या उस काम में हमारे लोग हुए हैं। लेकिन सीमा के उस पार बर्मा का एक राज्य शान है, जहां के लोग केवल नारकोटिक्स पर ही जा रहे हैं। इसे बाहर भेजने का जो मार्ग है वह हिन्दुस्तान के पूर्वांचल में मणिपुर राज्य है और उसका जो मेरे कस्बा है, वह बर्मा के साथ लगा हुआ सीमावर्ती कस्बा है। उस मार्ग से उसका यहां आयात होता है, यह कहिए या भारत के अंदर से दुनिया के बाजार में बेचने का वह रास्ता है, यह कहिए। लेकिन रास्ता बना हुआ है।

हम पूर्वांचल के बारे में हर चीज को लेकर लापरवाही बरतते हैं। नारकोटिक्स के बारे में तो कुछ सोचते ही नहीं हैं और न सुनना चाहते हैं। हिन्दुस्तान के सुरक्षा बल कैसे पूर्वांचल में इस नारकोटिक्स के व्यापार में लगे हुए हैं, यह बताने का यहां मौका नहीं है। कैसे हमारे बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को पटना के पास ट्रकों में भरकर सीमा के उस पार से लाई हुई हेरोइन पकड़ी गई, उस पर सदन में भी चर्चा हुई थी, जब यह मामला यहां उठा था। तब हमने मुकदमे वगैरह की बात सुनी थी, लेकिन क्या हुआ, यह नहीं मालूम। बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ट्रकों में माल आता है और उनके पीछे सुरक्षा के लिए उनकी गाड़ियां रहती हैं। जो हमारे बंदूकधारी जवान सुरक्षा के लिए सीमा पर तैनात हैं, वे किस प्रकार से ऐसा काम करते हैं, यह मामला कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं।

पूर्वांचल में नारकोटिक्स के साथ-साथ जो दूसरा बुरा असर होता है वह एड्स का है। वह भी बड़ी मात्रा में हमारे यहां आ रही है। पूर्वांचल बहुत दूर है और वहां लोक सभा की सीट्स भी ज्यादा नहीं है, इसलिए एकाध बड़े राजनैतिक दल को छोड़कर अन्य किसी दल को फिक्र नहीं है। एक सीट के पीछे कौन दौड़ेगा, और ऐसा भी माना जाता है कि दिल्ली में जिसकी सरकार बनेगी, पूर्वांचल की सारी सरकार यहां आ जाएगी और सांसद भी आ जायेंगे। इस तरह का मानस हम लोगों का बन गया है। अगर हम उस इलाके में जाकर उन लोगों की हालत देखें, एड्स और ड्रग्स इन दो चीजों का असर उस इलाके के जन-जीवन पर और आर्थिक हालत पर कहां तक पड़ा है, इसको हमारे मित्र मुंशी जी जरूर जानते हैं। मगर इसकी बहस यहां पर नहीं होती। मंत्री जी इस विधयेक को यहां पर लाए हैं। मेरी उनसे प्रार्थना है कि पूर्वांचल की तरफ भी हमारी नजर जाए। हम चाहेंगे कि इस सदन के, जो कि एक नया सदन है और काफी लोग नए आए हैं, आठ-दस सांसदों की टोली पूर्वांचल के राज्यों में जाए, तो ड्रग्स ने वहां के लोगों को किस लाचारी में लाकर खड़ा किया है, कितनी तबाही की है और एड्स कहां तक घुसपैठ कर चुकी है, इसकी कल्पना हो सकती है। इन मुद्दों पर यहां खुलकर बहस होनी चाहिए, क्योंकि यहां हमें आज मौका मिला है।

उपाध्यक्ष महोदय : उसके लिए कोई उपाय और सुझाव हो तो बताएं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : वहां की सीमा पर बर्मा के साथ हमारा खुला व्यापार है, जो कि पहले नहीं था। यह दो साल पहले शुरू हुआ है। हमने अपनी सीमाओं को पूरा खोल दिया है। इसलिए खोल दिया है कि हमने कहा कि बर्मा राष्ट्र के साथ हम लोगों को व्यापार बढ़ाना चाहिए।

मैं चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी इसकी तरफ ध्यान देंगे जो सैकड़ों करोड़ रुपए का माल उस तरफ से आ रहा है, वह चीन में बना हुआ है। वे सब चीजें बर्मा में बनी हुई नहीं है। बर्मा से हेरोइन आता है, एड्स निर्यात होता, कपड़े और इलेक्ट्रानिक चीजें से सड़क के मार्ग से होते हुए मुरे तक आती हैं, एक प्रकार से इनकी तस्करी हो रही है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सीमा को मजबूत बनाए रखा जाए। हमारे पड़ोसी देश में जो चीजें हो रही हैं, इसके लिए अपनी सीमा पर कड़ी नजर रखी जाए। मैं साथ ही यह भी कहूंगा कि वहां पर मिलिट्री का शासन है और जब किसी देश में मिलिट्री का शासन रहता है तो इस प्रकार के धंधे वहां पर कैसे फैल जाते हैं, वह सारी दुनिया के लोग अनुभव कर चुके हैं, चाहे वह दक्षिण अमरीका हो। जहां जब-जब मिलिट्री या तानाशाही का प्रशासन रहा तब-तब वहां पर बड़े पैमाने पर ड्रग्स से पैसा बनाकर उस पैसे से लोगों को दबाए रखने की परिस्थिति हमने इतिहास में देखी है और आज के ताजा इतिहास

में भी हम लोग इसका अनुभव कर रहे हैं। अमरीका के भारत के साथ तो बहुत अच्छे संबंध हैं। अमरीका ने बर्मा में ड्रग्स का व्यापार खत्म हो, ड्रग्स की पैदावार पर रोक कैसे लगाई जाए, इस एक लक्ष्य को सामने रखकर बर्मा के आज के मिलिट्री के शासकों के ऊपर जितना दबाव डाला है। उसकी कल्पना करना मुश्किल है। पिछले कई सालों से उनका प्रयास चल रहा है। सबसे बड़ा ड्रग्स का जो लॉट था, वह 8-10 महीने पहले उन्होंने सरकार की शरण में दे दिया। लेकिन उन लोगों ने भी अमरीका से एक सौदा कर दिया कि यह शरण में आए हैं लेकिन इनको गिरफ्तार करके इनके ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा, ऐसा सौदा करके उन्होंने निजी पलटन को भी बर्खास्त कर दिया। लेकिन वह मिलिट्री की सरकार में बहुत आराम से उस पैसे को लेकर वहां पर बैठा है। इसलिए मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा और मेरा सरकार से आग्रह है कि बर्मा की सरकार के साथ इन चीजों के बारे में बात करिए। चीन के माल को बर्मा के मार्ग से भारत में लाने के लिए जो सीमाएं हैं, उन पर और कड़ी नजर रखी जाए और यह ड्रग्स तथा एड्स का मामला पूर्वान्चल के लोगों को जो तबाह कर रहा है, उससे इस देश को बचाने के लिए सरकार कुछ कदम उठाए वरना वह कानून जिसमें हम केवल पश्चिम की ओर देखें और कौन विदेशी यहां क्या हालात बना रहा है, केवल वही तक सीमित रखें तो जहां असली खतरा है, वहां हमारी नजर नहीं जाएगी। इसलिए सरकार से मेरी प्रार्थना है कि इस मौके पर उस पूर्वान्चल का ख्याल करके बर्मा के साथ बात करके इस मामले को हल करने की दिशा में आगे बढ़ा जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो कुछ जार्ज फर्नान्डीज जी ने कहा है, यह बहुत गंभीर मामला है। मैं यह चाहूंगा कि सरकार इसको गंभीरता से लें और इस संबंध में प्रभावी कदम उठाए।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है। जैसाकि मैंने अपनी प्रारम्भिक टिप्पणी में कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों में व्यक्तियों और उनकी गतिविधियों के मामले में नजरबन्दी की अवधि को बढ़ाना है।

मैं सर्व प्रथम इस बारे में व्याप्त गलतफहमी को दूर करना चाहता हूं। यह निवारक नजरबन्दी सम्बन्धी कानून है। एक अन्य कानून है-स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1995-यह सारभूत कानून अपराधियों और अपराधों के लिये उनको दी जाने वाली सजा से है। वास्तव में इस कानून में अपराधों के लिये मृत्यु दंड तक की व्यवस्था शामिल है। अतः यह बहुत सख्त कानून है। यह उतना सख्त नहीं है जैसा सिंगापुर में है। यह उतना सख्त नहीं है। जैसा मलेशिया में हैं। लेकिन हमारा कानून अत्यधिक सख्त है। गत छः अथवा सात वर्षों से जब से हमने न्यायपालिका को इस कानून का सख्ती से पालन करने के लिये कहा इस कानून के अन्तर्गत सामान्य सजा दस वर्ष अथवा सात वर्ष की दी गई है। यहां तक कि इस कानून में मृत्यु दण्ड की भी व्यवस्था भी है। यह कानून सजा सम्बन्धी नहीं है। यह निवारक कानून है। यदि कोई व्यक्ति नशीली औषधि के साथ पकड़ा जाता है, चाहे वे उसके अपने उपभोग के लिये हो अथवा उनका अवैध व्यापार करने के लिये हो, तब उसे एन.डी.पी.एस. कानून के अन्तर्गत सजा दी जाती है। यह निवारक कानून है जो कि तस्कर अथवा अवैध व्यापार में लगे लोगों को पकड़ने के लिये हैं। अतः इस कानून का परीक्षा और उपयोग अलग तरीके से करना होगा। इस कानून का संविधान की धारा 22 के अन्तर्गत उपयोग करना होगा। एक दूसरा कानून हैं। मैं माननीय सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में व्यक्त किये गये कुछ पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, इस कानून में कुछ संशोधन प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उदाहाणार्थ, यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत कम मात्रा में नशीली औषधि पकड़ी जाती है, तो क्या उसे सजा दी जानी चाहिये? मैं सभा में इस सम्बन्ध में कुछ संशोधन प्रस्तुत करूंगा। लेकिन यह कानून नजरबन्दी कानून है। महोदय, जैसाकि मैंने पहले विधेयक पर बोलते हुए बताया था कि स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ के बारे में सख्ती से कार्यवाही की जानी चाहिये। इन पदार्थों की अवैध व्यापार और इनसे सम्बन्धित अपराधों के बारे में सख्ती से निपटना चाहिये। जैसाकि मैंने बताया कि भारत की भौगोलिक स्थिति अवैध व्यापार के लिये विशेष उपयुक्त है क्योंकि हम गोल्डन ट्रियाएंगल और गोल्डन क्रिसेंट के मध्य स्थित है। हम अपना भूगोल नहीं बदल सकते ना ही हम अपने पड़ौसी देशों के कानून अथवा प्रशासन में परिवर्तन ला सकते हैं। हमें अपनी सुरक्षा करनी है इसलिये हम मनःप्रभावी पदार्थ कानून और निवारक कानून के बारे में बहुत सख्त है।

मुझे इस बात की जानकारी है कि देश में स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ की भारी अवैध व्यापार हो रहा है। इसलिये इनका व्यापार बड़े अन्तर्राष्ट्रीय माफियाओं-अन्तर्राष्ट्रीय 'कार्टेल' द्वारा किया जा रहा है। इस व्यापार में विनियोजित धनराशि मन को झकझोरने वाली हैं। इस व्यापार में भारी मात्रा में धनराशि अन्तर्ग्रस्त है। वास्तव में, यह अनुमान है कि इसमें लगी धनराशि.अनेक छोटे देशों में जी.डी.पी. में लगी राशि से अधिक है। इसी प्रकार के माफिया निषिद्ध औषधि और नशीली दवाइयों का अवैध व्यापार करते हैं। इस सम्बन्ध में हमने काफी कुछ किया है। अन्य कानून से अलग, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था, इस कानून में न्यायालयों द्वारा हमारे नजरबन्दी आदेशों को उचित करार देने का अनुपात बहुत संतोषजनक रहा है। उदाहरणार्थ 1993 में, 107 नजरबन्दी आदेश जारी किये गये और 90 लोगों को नजरबन्द किया गया। न्यायालयों में 55 मामलों को वैध करार दिया गया वर्ष 1994 में 189 आदेश जारी किये गये और 158 लोगों को नजरबन्द किया गया और न्यायालयों द्वारा 63 प्रतिशत आदेश वैध करार दिये गये। वर्ष 1995 में 111 आदेश जारी किये गये और 87 व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया और 70 मामलों को वैध करार दिया गया जून 1996 में अब तक 45 आदेश जारी किये गये, 41 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और 39 मामलों में आदेश वैध करार दिये गये। इस प्रकार सफलता की प्रतिशता 95 प्रतिशत है।

हमने कुछ क्षेत्रों को अतिसंवदेदनशील घोषित किया है। ये घोषणाएं स्थिति की आवश्यकतानुसार की गई हैं। हमने बड़ी मात्रा में अफीम माफीन, हेरोइन, गांजा, हशीश, मेथाकवालोन बरामद की है। लगभग 40 से 50 प्रतिशत मेथाक्वालोन और हेरोइन अति संवेदनशील क्षेत्रों से बरामद की गई है। इसलिये सब क्षेत्रों और अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में भेदभाव करने की आवश्यकता है और अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों में अधिक अवधि के लिये नजरबन्दी का प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है। विश्व में केवल हमारा ही देश एक ऐसा देश है जहां अफीम की खेती करने की कानूनी रूप से अनुमति है। अन्य किसी देश में इसकी अनुमति नहीं है। अन्तराष्ट्रीय समुदाय ने हमें इसकी अनुमति मुख्यालय औषधीय प्रयोजन के लिये दी है। देश में एक बड़ी हेक्टेयर भूमि पर अफीम की खेती करने का लाइसेंस दिया गया है। उदाहारणार्थ, मध्य प्रदेश में 14200 हेक्टेयर, राजस्थान में 9922 हैक्टेयर और उत्तर प्रदेश में 227 हेक्टैयर भूमि पर अफीम की खेती की अनुमति दी गई है। इसके लिये जारी किये गये लाइसेंसों की संख्या भी अधिक है। मेरे विचार से हम इस एकड़ अनुपात से कहीं अधिक लाइसेंस जारी कर रहे हैं, मैं इसकी समीक्षा करना चाहता हूं। न्यूनतम निर्धारित उपज प्रति हैक्टेयर 46 किलोग्राम है। मैंने माननीय सदस्य द्वारा कही गई इस बात की ओर ध्यान दिया है कि इस बारे में कुछ कठिनाई है और न्यूनतम निर्धारित मात्रा सम्बन्धी उपबन्ध का कुछ दुरुपयोग हो रहा है।

अपराह्न 15.20 बजे

(श्रीमती गीता मुखर्जी पीठासीन हुई)

जिन सब क्षेत्रों में अफीम की खेती की अनुमति दी गई है उन सब क्षेत्रों को अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। अतः नई संशोधित धारा 10 उन सब क्षेत्रों पर लागू होगी जिन्हें अफीम की खेती के लिये लाइसेंस दिये गये हैं।

मुझे इस बात की भी जानकारी है कि कानून लागू करने वाली कुछ एजेंसियां तस्करी और नशीले पदार्थों के व्यापार में लगी हैं। इस सम्बन्ध में सबसे कुख्यात मामला अधिकारियों और अर्ध-सैनिक बल के हमारे अधिकारियों का है जिन्होंने पूर्वोत्तर से नशीली दवाइयों की तस्करी की थी और उन्हें बिहार में गिरफ्तार किया गया था। यह बहुत शर्म की बात है। यदि बाज ही खेत को खाने लगे तो हम देश को इस अन्तर्राष्ट्रीय माफिया, जो औषधी और नशीले पदार्थों की तस्करी में लिप्त हैं, से कैसे रक्षा कर सकते हैं? हमने इनके साथ बहुत सख्ती से काम लिया है। उन्हें इस अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया और उन पर इस अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जा रहा है। मैंने इस बात के निर्देश भी जारी किये हैं कि इस बात की जांच की जाये कि संविधान की धारा 311 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध क्या और सख्त कार्यवाही की जा सकती है। इस बात की जांच की जा रही है।

बजट सम्बन्धी कार्य पूरा हो जाने के बाद मैं अपने मंत्रालय के कुछ अन्य पहलुओं पर भी ध्यान दूंगा। उनमें से एक पहलू है 'कोफेपोसा', 'सैफमफोफा' और एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत निवारक नजरबन्दी सम्बन्धी कानून की समीक्षा करनी है। इन कानूनों की समीक्षा करते समय मैं इस बात की भी समीक्षा करूंगा कि इन कानूनों को लागू करने के लिए कौन-कौन से प्रशासनिक उपाय किये जाने की आवश्यकता है। मैं माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये सुझावों के बारे में धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इन सुझावों के बारे में धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इन सुझावों को ध्यान में रखूंगा। मेरा यह अनुरोध है कि इस विधेयक, जिसमें धारा 10 के अन्तर्गत अवधि बढ़ाने का उपबन्ध है, की अवधि तीन वर्ष और बढ़ाई जाये। सरकार को यह पता लगा है कि यह घाटा समूचे देश में और विशेष रूप से अति संवेदनशील क्षेत्रों में निषेद्ध औषधी और नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा खंडवार विचार करेगी। श्री गिरधारी लाल भार्गव।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय सभापति जी, मेरा इतना कहना है कि माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है यह कानून ठीक है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसको थोड़ा सख्त बनाया जाना चाहिये। इसको थोड़ा और देख लें और मेरा यह भी कहना है कि इसमें सजा का प्रावधान ज्यादा हो।...**(व्यवधान)** हमारे देश में स्मैक पीने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और इससे नौजवानों का काफी नुकसान हो रहा है। हमारे देश के नौजवान तथा अन्य लोग भी इसको दबाकर लेते हैं और उसके बाद वे मस्ती में रहते हैं। स्कूल और कालेज के बच्चे भी इसको ले रहे हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि इस कानून को सख्त बनाएं, यह मेरी माननीय मंत्रीजी से प्रार्थना है। एक बार इसका फैसला हो जाए, क्योंकि बार-बार अमेंडमेंट लाने से क्या फायदा है।

इसलिए मैंने कहा है कि 99 के बजाए 98 का ही चक्कर रह जाए तो अच्छा रहेगा। इसके लिए माननीय मंत्री जी मान जाएं तो अच्छा रहेगा। मंत्री जी, आप 99 के चक्कर में न पड़ें, यह मेरी आपसे प्रार्थना से, बाकी वह क्या करने वाले हैं यह मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि अभी इनकी नयी सरकार बनी है।

मैं तो उनकी और देश की भलाई की बात कर रहा हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या आप उन्हें वापिस ले रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : हां, इसे मुझे मजबूरन विड्रा करना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी जो उत्तर दे रहे हैं उसे मुझे मानना पड़ेगा। मैं इसे विड्रा कर रहा हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव ने अपना संशोधन वापिस ले लिया है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आपकी आज्ञा और माननीय मंत्री जी के उत्तर से असंतुष्ट होते हुए भी मैं इसे विड्रा कर रहा हूं।

[अनुवाद]

सभापित महोदय : यह आपकी बड़ी कृपा है। मेरे तथा माननीय मंत्री के लिये क्या सभा माननीय सदस्य को उनका संशोधन वापिस लेने की अनुमति देती है?

अनेक सदस्य : जी, हां। संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री रमाकान्त डी. खलप : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापित महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 15.28 बजे

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम मद संख्या 19 लेते हैं। अब माननीय मंत्री विधयेक प्रस्तुत करेंगे।

विधि कार्य, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री जी.एम. बनातवाला (पून्नानी) : उन संशोधनों का क्या हुआ जिनका हमने सुझाव दिया था और जो अभी तक परिचालित नहीं किये गये हैं? हम नहीं जानते संशोधन क्या है?

सभापति महोदय : क्या वे आपके पास नहीं है?

श्री जी.एम. बनातवाला : कुछ संशोधनों को पारिचालित नहीं किया गया है।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, आप पहले बोलें। श्री बनातवाला आप निश्चित रूप से इस पर बोल सकते हैं।

श्री जी.एम. बनातवाला : इससे पूर्व हमें अब तक किये गये संशोधनों को ध्यान से रखते हुए विधेयक पर चर्चा करनी चाहिये।

सभापति महोदय : इससे पूर्व, माननीय मंत्री को वास्तव में बोलना है।

अब मैं मद संख्या 19 को लेती हूं।

मंत्री महोदय विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री रमाकान्त डी. खलप : मैं यह बात सभा पर छोड़ता हूं कि क्या हमें मद संख्या 19 और 20 पर साथ-साथ चर्चा करनी चाहिये क्योंकि मद संख्या 19 बहुत मामूली मामले से सम्बद्ध है, इस पर वास्तव में चर्चा की आवश्यकता नहीं है। यह वास्तव में चुनाव सम्बन्धी सुधारों का एक भाग है।

सभापति महोदय : समस्या यह है कि क्रम-सूची में ऐसा कोई उपबंध नहीं है। इसे अलग से देना पड़ता है।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : पहले 28 नं. आइटम लें ले तो अच्छा है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं इस बात पर आ रहा हूं। दो विकल्प हैं। हम या तो इन दोनों को अलग-अलग ले सकते हैं अथवा हम पहले मद संख्या 20 और 22 साथ-साथ ले सकते हैं और उन पर चर्चा समाप्त करने के बाद मद संख्या 20 को ले सकते हैं।

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़) : इस मामले में दोनों मदों को अलग अलग लिया जाना चाहिये क्योंकि दोनों का क्षेत्र पृथक है।

मद संख्या 20 चुनावों में सुधार से सम्बन्धित है। मद संख्या 19 केवल कर्नाटक और उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित है। अतः दोनों को अलग-अलग लिया जाना चाहिये।

सभापति महोदय : यह केवल तकनीकी मामला नहीं है। इनकी विषयवस्तु भी भिन्न है।

श्री रमाकान्त डी. खलप : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

महोदय, यह विधेयक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में संशोधन की चौथी अनुसची में संशोधन करने के उद्देश्य से लाया गया है। राज्य विधान परिषद के चुनावों के प्रयोजन के लिये स्थानीय प्राधिकरण वाले निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचन मंडल में उस स्थानीय प्राधिकरण के सदस्य जिन्हें उस निर्वाचन क्षेत्र की सीमा के भीतर किसी स्थान अथवा क्षेत्र में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की चौदहवीं अनुसूची में निर्दिष्ट अधिकार प्राप्त हो, शामिल होंगे। इस समय चौदहवीं अनुसूची उल्लिखित कर्नाटक राज्य से सम्बन्धित स्थानीय निकाय हैं नगरपालिका मंडल पंचायत, छावनी बो , अधिसूचित क्षेत्र समितियां और जिला परिषदें और इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य में नगरपालिकाएं, जिला परिषदें, जिनमें शामिल है अन्तरिम जिला परिषद, छावनी बोर्ड, नगर क्षेत्र समितियां, अधिसूचित क्षेत्रीय समिति और क्षेत्र समितियां हैं।

संविधान तिहत्तरवां (संशोधन) अधिनियम, 1992 और संविधान चौहत्तरवां (संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रवर्त्तन में आने के परिणामस्वरूप कर्नाटक और उत्तर प्रदेश ने स्थानीय निकायों से सम्बन्धित विधि को संशोधित किया। तदानुसार इन दो राज्यों में पूर्व स्थानीय निकायों का स्थान नये स्थानीय निकायों ने ले लिया है और इसलिये इन राज्यों से सम्बन्धित चौदहवीं अनुसूची में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

कर्नाटक राज्य ने यह सिफारिश की है कि वर्तमान निकायों के स्थान पर ये निकाय अर्थात् नगर के नगर निगमों, नगर की नगर परिषदों, कस्बा नगर परिषदों, कस्बा पंचायतों, जिला पंचायतों, ताल्लुका पंचायतों और छावनी को प्रस्तावित किया जाये।

इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश राज्य ने यह सिफारिश की है कि वर्तमान निकायों के स्थान पर ये निकाय अर्थात नगर निगम, नगर परिषदें, जिला पंचायतें, नगर पंचायतें, क्षेत्रीय पंचायत और छावनी बोर्ड स्थापित किये जायें।

कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश सरकारों द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार ही इस विधेयक द्वारा संविधान की सातवीं अनुसूची में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

चूंकि विधेयक में पूर्व निकायों के स्थान पर नये निकाय प्रतिस्थापित करने के लिये चौथी अनुसूची में संशोधन करने का प्रस्ताव है, मुझे आशा है कि विधेयक को सभा में सबका समर्थन प्राप्त होगा।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : आदरणीय सभापति महोदया, मैं इस बिल का समर्थन तो करता हूं लेकिन खलप जी का कोई दोष नहीं है, यह सरकारी तंत्र का दोष है। जब तक उत्तर प्रदेश का 73वां और 74वां अमेंडमेंट संसद ने स्वीकार नहीं किया था तब तक लोकल बॉडीज के साथ बड़ा भारी चुनावों के लिए खिलवाड़ होता रहा। अभी जबकि इलैक्शन कमीशन का कंट्रोल है तो भी लैजिस्लेटिव कॉसिल के साथ वहां बड़ा भारी खिलवाड़ हो रहा है। अनेक क्षेत्र हैं जिन के अन्तर्गत एम.एल.सीज. के चुनाव होने हैं लेकिन वे नहीं किए गए। जिस लोकल बॉडीज के चुनाव क्षेत्र से एम.एल.सीज. के चुनाव की बात हो रही है, वे स्थान भी रिक्त पड़े हैं और वे लोग रिटायर हो गये। इस प्रकार का लोकल बॉडीज में रिप्रेंजेंटेशन जो लैजिस्लेटिव कॉसिल में होना चाहिए था,

अपराह्न 3.35 बजे

(श्री चित्त बसु पीठासीन हुए)

उससे वहां की जनता, स्थानीय निकाय, लैजिस्लेटिव काउंसिल में प्रतिनिधित्व से वंचित हो गई और उनके हितों का संरक्षण जो लोकल बॉडीज का प्रतिनिधि करने वाला था, उससे वह वंचित हो गए।

मैं दो बातें इसमें और जोड़ना चाहूंगा। एक तो यह कि इसको और अधिक कंप्रीहेन्सिव बनाया जाए और कंप्रीहेन्सिव बनाने के लिए ग्राम पंचायत इसमें और जोड़ दिया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुझे यह घोषणा करनी है कि श्री पी.एम. सुधीरन द्वारा प्रस्ताव पर विचार करने के सम्बन्ध में एक संशोधन प्रस्तुत करना है। मेरे विचार से वह सभा में उपस्थित नहीं है।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : मैं खलप जी से अनुरोध करूंगा कि उत्तर प्रदेश के मामले में ग्राम पंचायत इसमें और जोड़ दिया जाए जिससे ग्राम प्रधान जो हमेशा से इलैक्शन में वोट देते आए हैं, वे और उनके साथ चुने हुए ग्राम पंचायत के नये सदस्यों को भी वोटिंग राइट मिल जाए जिससे और अधिक प्रभावी रिप्रजेंटेशन हो सके।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी उन्होंने जो सूची पढ़कर सुनाई थी कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन-इन इंस्टीट्यूशंस को शामिल करने के लिए भेजा है, मुझे आशंका है कि उत्तर प्रदेश सरकार के किसी आई.ए.एस. अधिकारी ने किसी झोंक में पुराने अनुभव के आधार पर कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम गलत लिखा दिये हैं। वहां जिला परिषद् नाम की अब कोई चीज नहीं है और न अंतरिम जिला परिषद है। उसका नाम वहां जिला पंचायत हो गया है। मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। यह क्लेरिकल मिस्टेक है। किसी

ब्यूरोक्रेट ने पुराने को लिखकर भेज दिया है। म्यूनिसिपल कार्पोरेशन वहां नहीं रहे हैं। अब उनका नाम नगर निगम हो गया है। म्यूनिसिपल काउंसिल्स भी नहीं रहे हैं। उनका नाम नगर परिषद् और नगर पंचायत है। नगर पंचायत तो उन्होंने लिखा है लेकिन नगर परिषद नहीं लिखा है। अगर यहां से यह करेक्शन होकर जाए तो उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को ज्ञान भी मिलेगा और अपनी नेग्लीजेन्स का हल्का सा अहसास भी होगा। आपने जिला पंचायत तो लिख लिया है इसलिए ठीक है, लेकिन इसके साथ ग्राम पंचायत और ज़ोड़ने की बात मैंने आपसे शुरू में कही थी जिससे ज्यादा कंप्रीहेन्सिव रिप्रजेंटेशन मिल सके।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि यह चुनाव सही समय पर होना चाहिये था। इस तरह से चुनावों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और जब 73वां और 74वां संशोधन आ गया और यह बॉडीज कांस्टीट्यूशनल रैक्वायरमेंट बन गई, उसके बाद भी एम.एल.सी. के चुनाव में डिले होना अच्छी बात नहीं है और उत्तर प्रदेश सरकार को इसके लिए कहा जाना चाहिए। पर उत्तर प्रदेश में तो राष्ट्रपति शासन के रूप में केन्द्र की सरकार है और पिछले आठ महीने से है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार को कहूंगा कि उनको सावधानी बरतनी चाहिए थी। इस कमी के लिए केन्द्र सरकार ही दोषी है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सत्यपाल जैन : सभापति जी, अभी माननीय मंत्री जी ने यह बिल प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह बहुत साधारण सी बात है और बड़ा सामान्य सा बिल है। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे विश्वास है कि सदन के सभी वर्ग इसका समर्थन करेंगे। जहां तक लोकल बॉडीज में कुछ संस्थाओं को शामिल करने का प्रश्न है। उसके संबंध में तो शायद कोई मतभेद नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें दो गंभीर समस्याएं है, दो गंभीर आपत्तियां हैं। एक तो अभी श्री भगवान शंकर रावत जी ने जो बात कही कि कुछ नामों में 73वां संशोधन होने के बाद, संविधान में संशोधन होने के बाद एक परिवर्तन आया है, वह एक पक्ष है। लेकिन दूसरा जो विषय महत्वपूर्ण है, इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि लोकल बॉडीज के अंदर, चाहे आप उसे ग्राम पंचायत कहे, आप उसे नगर पंचायत कहें, आप उनके लोगों को पंचेज या ग्राम पंचायत कहें, जो उसके इलेक्टिड पंचेज और सरपंच हैं, वे लोकल अथॉरिटी का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। म्युनिसिपल कमेटीज में तीन टायर सिस्टम् हैं जहां सबसे छोटी नगर पंचायत, नगर पालिका है, उसे नगर पंचायत बोलते हैं दूसरे स्तर पर नगर काउंसिल बोलते हैं और म्यूनिसिपल कारपोरेशन बोलते हैं। ऐसा ही ग्राम साइड पर आकर पहले ग्राम पंचायत है। उसके बाद ब्लॉक समिति लेवल पर एक संस्था है और फिर जिला स्तर पर अलग से संस्था है। लेकिन इसके अंदर जैसे उन्होंने कहा मुझे लगता है कैसे यह गलती हुई। सबसे लोयस्ट यूनिट ग्राम पंचायत है। न तो उसके मैम्बर वोट डालने के अधिकारी हैं और न ही वहां के सरपंच को इसमें शामिल किया गया है। सभापति महोदय, मैं विनती करना चाहता हूं कि जब लोकल अथॉरिटी की बात करते हैं, तो जनरल क्लाजेज एक्ट के अंतर्गत भी जहां लोकल अथॉरिटी डिफाइन की गई है, उस ब्लॉक अथॉरिटी के अंदर ग्राम पंचायत, म्युनिसिपल कमेटी और नगर पालिका भी इसके अंदर शामिल हैं। लेकिन इस बिल के अंदर आप देखें यह दोनों क्लॉज नहीं है। क्लॉज दो में कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के मामले में जो सबसे छोटे यूनिट हैं, ग्राम पंचायत भी उसके अंदर शामिल नहीं है। उसका प्रधान भी उसके अंदर शामिल नहीं है। मैंने इस संबंध मं अमेंडमेंट भी भेजा है और मेरे को आज जो हमारे कर्नाटक के मैम्बर हैं श्री अनंत कुमार, उन्होंने भी इस संबंध में अमेंडमेंट भेजा है।

उन्होंने मुझे यह बात बताई थी और उन्होंने कहा है कि कर्नाटक के अंदर सभी प्रमुख पार्टियां, चाहे कांग्रेस के लोग हैं, चाहे बी.जे. पी. के लोग हैं, उन लोगों ने यह मांग की है कि कर्नाटक के मामले में ग्राम पंचायत को भी शामिल किया जाना चाहिये। उन्होंने यह भी कहा कि वहां सभी पार्टियों के लोग रूलिंग पार्टी को छोड़कर विधान सभा में और विधान परिषद में धरने पर बैठे हुए हैं और ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इससे ऐसा भी आभास होता है कि जैसे वहां जो लोकल अथॉरिटी के चुनाव हैं, एम. एल.सीज. के लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, या तो हम उन्हें जानबूझकर अधिकार नहीं देना चाहते हैं तो हमारी पार्टी का इस बारे में विरोध है। हमारा मत है कि जो ग्राम का पंच है, ग्राम का सरपंच है, वह भी वोट डालने का अधिकारी होना चाहिए। कहा गया कि कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि अगर सभी पंच और सरपंच को इसमें वोट का अधिकार देंगे तो यह इलेक्टोरेट क्लॉज बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमें इस बात पर नहीं जाना चाहिए कि पंच और सरपंच को शामिल करने से उनकी संख्या बढ़ेगी। हमें उनका इनवोल्वमेंट बीच में करना चाहिए ताकि वह लोकल अथॉरिटी के चुनाव में पूरी तरह से शामिल हो सके। कर्नाटक के संबंध में अनंत कुमार जी ने अमेंडमेंट दी है और मेरा भी इस पर यह संशोधन आया है। इतनी सी बात हम शामिल करवाना चाहते हैं कि इन दोनों कैटेगरी के अंदर एक प्रकार से दोनों इलेक्टोरेट क्लॉज के अंदर पंच और सरपंच, जो हर प्रदेश में अपने सबके अलग-अलग नॉमनक्लेचर हैं। दोनों में जो भी उसका नॉमनक्लेचर हैं, लॉयस्ट पंचायत लेवल है। उसके इलेक्टिड मैम्बर्स कहीं पांच हैं, कहीं सात हैं, कहीं नौ हैं और उनका अध्यक्ष है। इस समय जो यह शामिल आपने नहीं किया है यह जानबूझकर हुआ है या वैसे गलती हुई है इसके बारे में आप वैरीफाई करवा लें और दोनों अथॉरिटी को आप शामिल कर लें। इसमें किसी को आपत्ति वाली बात नहीं होगी।

दूसरी बात कह कर मैं समाप्त कर रहा हूं कि अक्सर देखने में यह आता है कि जहां-जहां इलेक्शन ड्यू होता है, बहुत लम्बे अरसे तक, किसी न किसी बहाने से उनका चुनाव नहीं करवाया जाता। चुनाव में ए. ग्रुप जीतता है, बी. ग्रुप जीतता है, यह आज का विषय नहीं है परन्तु एक लम्बे अरसे चुनाव न करवाना यह एक अपने आप में उन्हीं उनके अधिकार से उनको वंचित करने वाली बात है। उनका चुनाव अधिकार डिनाई करने वाला नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि

आप इस संबंध में इतना आश्वासन दें कि बिल पास होने के बाद आप जल्द चुनाव करायेंगे और जल्द से जल्द लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर देंगे। इन शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : धन्यवाद सभापति जी, बिल तो बहुत छोटा सा है पर उसका भी अपना एक विशेष महत्व है। 73-74 संविधान संशोधन के कारण यह परिवर्तन लाना पड़ा और मैं समझता हूं कि यह परिवर्तन पहले भी आ सकता था और परिवर्तन न आने की वजह से यह चुनाव इतने समय तक नहीं हो पाये। यह चुनाव सामान्यतः इनडायरेक्ट चुनाव कहे जाते है। अब हमारे पूर्व के वक्ताओं ने जो बात कही है, इस संदर्भ में और जो इसमें संशोधन दिये हैं, हम यह चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से ग्राम पंयाचतों को शामिल किया जाए।

पहले इन चुनावों में प्रधानों की भूमिका रहती थी और प्रधान इसमें सक्रिय भागीदारी करते थे लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत इसमें प्रधानों का कोई स्थान नहीं होगा। मैं इसी संदर्भ में एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं क्योंकि इसके बाद जो बिल आने वाला है, उसमें वे सारी बातें आ रही हैं परन्तु इनडायरेक्ट चुनावों में धन और ताकत का भारी दुरूपयोग होता है और यह सबकी जानकारी में है कि कैसे मतदाताओं को लोग बंद कर लेते हैं, उन्हें पैसा देते हैं, प्रलोभन देते हैं और दबाव डालकर उनसे वोट डलवा लेते हैं। इसमें सबसे ज्यादा अगर अनियमितता देखने को मिलती है तो इन्डायरेक्ट चुनावों में देखने को मिलती है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि जहां चुनाव सुधार के मामले में यह सरकार रूचि प्रदर्शित कर रही है, यद्यपि उसके रूख से ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि उसकी जो नीतियां हमारी समझ में आ रही हैं, उसे कायदे में एक काम्प्रिहैंसिव बिल सदन में लाना चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है कि इतनी ज्यादा अनियमितताएं चुनावों में होती हैं जिनका वर्णन मैं यहां नहीं कर सकता। ब्लाक प्रमुखों के चुनावों, में आप किसी से पूछ सकते हैं कि कितना लेन-देन होता है और किस तरह गलत वादे करके लोगों से वोट ले लिए जाते हैं। आने वाले समय में ये समस्याएं सामने आयेंगी। मेरा सुझाव है कि चुनावों में सही प्रक्रिया अपनाई जाए, सही तरीके से चुनाव हों, इसके लिये ग्राम पंचायत यूनिट को भी इसमें जोड़ लिया जाए। हर ग्राम पंचायत में 10 से 15 के बीच सदस्य होते हैं और उनका पूरा इलैक्टोरल कालेज हो जाएगा। यदि 5000 या 6000 मतदाताओं के बीच में चुनाव होगा तो निश्चित रूप से बेईमानी की संभावनाएं कम होंगी और अगर 500 मतदाताओं के बीच चुनाव होगा तो निश्चित रूप से बेईमानी होगी। इसे रोकने के लिए ग्राम पंचायतों का जोड़ना आवश्यक है।

इस बिल के संदर्भ में और अधिक न कहते हुए, मैं इसका समर्थन करता हूं और मंत्री से आग्रह करूंगा कि इन्डायरेक्ट चुनावों में इस बात का ध्यान रखा जाए कि चुनाव फेयर तरीके से हों, सही तरीके से हों और सही दिशा में चुनाव की प्रक्रिया को हम ले जा सके जो बहुत अच्छी बात होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : सभापति महोदय, यह जो विधान मंत्री-महोदय पारित करना चाहते हैं यह कर्नाटक राज्य में भारी विवादास्पद रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि वहां राज्य विधान सभा में सत्तारूढ़ दल को छोड़कर, सब दलों ने इसका विरोध किया था क्योंकि इसके परिणामस्वरूप 25,000 से अधिक ग्राम पंचायत सदस्य विधानपरिषद के चुनाव में अपने मताधिकार से वंचित रह जायेंगे। इसीलिये, यहां भी उस राज्य के सदस्यों ने प्रधान मंत्री से भेंट की थी और इसका क्षेत्र बढ़ाने का अनुरोध किया था। उसका क्या हुआ? पूर्व में, वहां मंडल पंचायतें थीं और विधान परिषद में चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त था। लेकिन जब इसे ग्राम पंचायत का नाम दिया गया तो इस विधान के कारण सदस्य अपना मत देने से वंचित रह गये। अतः मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह स्थिति पर पुनः विचार करे क्योंकि किसी भी स्थिति में 85,000 से अधिक ग्राम पंचायत सदस्यों को विधान परिषद् चुनावों में मत देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : यह विषय कार्यसूची में शामिल नहीं था। कल हमें इस बारे मे नहीं बताया गया। मैं बैठक में मौजूद था। हमें केवल चुनाव सुधारों के बारे में बताया गया। आप यहां उपस्थित दूसरे सदस्यों से पूछ सकते हैं। यह कैसे हुआ कि इस बारे में मुझे पता नहीं लगा। मैंने नहीं देखा। यह मेरा दोष है। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप इसे प्रवर समिति को भेज दें क्योंकि कर्नाटक में इस मामले पर तीन दिनों तक गतिरोध बना रहा तब मैंने प्रधान मंत्री से अपने संसद सदस्यों से मिलने का अनुरोध किया। उन्होंने उनसे मुलाकात की और कहा कि वे इस ओर ध्यान देंगे और इसकी जांच करेंगे। इसके बाद हमें पता नहीं क्या हुआ। यह विधेयक कैसे लाया गया? उन्होंने जो कुछ कहा है। वही मेरे विचार हैं।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : मेरा विचार है कि सरकार इस विधेयक को सलेक्ट समिति को भेज दे यह बहुत आवश्यक है। आप अपनी तरफ से अमेंडमेंट लाईए।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : आप इसे प्रवर समिति को भेज दें। यदि आप इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे तो हमें इसके विरूद्ध मत देना होगा।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मुझे माननीय सदस्यों की बात सुन लेने दें

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल जैन : मैं इस सम्बन्ध में पहले ही संशोधन प्रस्तुत कर चुका हूं। इससे कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। संशोधन केवल त्रुटि को हटाने से सम्बन्धित है...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : हमें इस चरण तक पहुंचने दीजिये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, कृपया प्रतीक्षा करें। एक और वक्ता बोलना चाहते हैं। श्री सुधीर गिरि, आपको बुलाया गया था, परन्तु आप सभा में उपस्थित नहीं थे।

श्री सुधीर गिरि (कन्टाई) : जी, हां। मैं उस समय सभा में उपस्थित नहीं था। मुझे खेद है। महोदय, भारत को विश्व का सबसे बड़े लोकतंत्र होने का गर्व है। लेकिन बाहुबल और धन शक्ति दो बातों ने देश में निर्वाचन प्रक्रिया को बिगाड़ दिया है। अतः निर्वाचन प्रक्रिया को सीधा मार्ग दर्शाने के लिये विभिन्न समितियों का गठन किया गया था, अनेक गोष्ठियां आयोजित की गई थीं। मुख्यतया गोस्वामी समिति...**(व्यवधान)** मैं इस विषय पर आ रहा हूं ...**(व्यवधान)** महोदय, मुझे दुख है। मैं मद संख्या 20 पर बोलना चाहता हूं। चूंकि चर्चा मद संख्या 19 पर हो रही है, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय :,

श्री रमाकान्त डी. खलप : महोदय, मैं छोटा सा वक्तव्य दूंगा। उद्देश्य और कारण विवरण में यह बताया गया है। मैं उद्धृत करता हूं :

> "संविधान (तिहत्तरवां-संशोधन), 1992 और संविधान (चौहत्तरवां-संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रवर्तन में आने के परिणामस्वरूप कर्नाटक और उत्तर प्रदेश राज्यों में स्थानीय निकायों से सम्बन्धित विधि में संशोधन किया था। कर्नाटक राज्य ने सिफारिश की थी कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1958 को चतुर्थ अनुसूची में वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्न लिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी..."

वे अब अनुसूची में हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य ने सिफारिश की थी कि उसमें दिखाई गई प्रविष्टियां विधेयक में शामिल की जायें। अतः मूलतः यह सम्बद्ध राज्य सरकारों से सिफारिश के रूप में प्राप्त हुई। लेकिन चूंकि यह मामला सदन के विभिन्न सदस्यों द्वारा उठाया गया है, मैं यह अनुरोध करूंगा कि यदि सभा अनुमति देती है और अध्यक्ष पीठ मुझे अनुमति दें, तो इस विधेयक पर विचार दो अथवा तीन दिन के लिये स्थगित कर दिया जाये। तब हम सभा के विभिन्न वर्गों की राय जान सकते हैं और सभा में इसे पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं।...**(व्यवधान)**

श्री सत्यपाल जैन : हमें इस बारे में कोई आपत्ति नहीं है। कृपया दो मुद्दों पर राय लें।

पहले, क्या निम्नतम इकाई, ग्राम पंचायत को इसमें शामिल किया जाये अथवा नहीं।

दूसरे, इस बारे में संदेह है। तिहत्तरवें संशोधन के अन्तर्गत, एक संसद सदस्य नगर निगमों समितियों का पदेन सदस्य होता है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या एक संसद सदस्य और विधान सभा सदस्य को चुनाव में मतदान का अधिकार होगा अथवा नहीं। इस विषय को प्रधान मंत्री द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिये। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह सब राजनीतिक दलों के नेताओं की एक बैठक बुलायें। वे इस मामले को बैठक में हल करें।

श्री रमाकान्त डी. खलप : मैं माननीय सदस्यों का सुझाव स्वीकार करता हूं।

श्री सत्यपाल जैन : सब दलों के नेताओं की बैठक बुलाकर आप इस मामले को स्पष्ट कर सकते हैं।

श्री रमाकान्त डी. खलप : इसमें कोई प्रतिष्ठता का प्रश्न नहीं है। हम देश के हित में जो होगा वह कर सकते हैं। यदि अध्यक्षपीठ अनुमति दें, तो हम इसे कुछ दिनों के लिये स्थगित कर सकते हैं।

सभापति महोदय : हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे।

श्री संतोष मोहन देव : हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रक्रिया क्या है। अब यह सभा की सम्पत्ति है, मंत्री की नहीं, सभा का क्या राय है। मेरे विचार से हम सभा से इसको स्थगित करने की अनुमति ले सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मेरे विचार से वह विधेयक वापिस नहीं ले रहे हैं।

श्री संतोष मोहन देव : तब वे क्या कर रहे हैं?

सभापति महोदय : मेरे विचार से वह विधेयक पर चर्चा स्थगित करना चाहते हैं।

श्री संतोष मोहन देव : क्या नियमों में इसकी अनुमति है और यदि हां, तो किस सीमा तक? उन्हें गतिरोध पैदा नहीं करना चाहिये। उन्हें ऐसा उचित रूप में करना चाहिये। इस बारे में प्रक्रिया क्या है? क्या इसे स्थगित करने की अनुमति है...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मेरे विचार से वह विधेयक को वापिस लेने का अनुरोध नहीं करेंगे। विधेयक सभा की सम्पत्ति है। यदि इसे वापिस लेना है तो यह सभा की अनुमनि से ही वापिस लिया जा सकता है। लेकिन ऐसा मामला नहीं है। मामला यह है कि माननीय मंत्री चाहते हैं और अनेक सदस्य भी यह चाहते हैं कि इस विशेष विधान पर विचार करना कुछ समय के लिये स्थगित किया जाये।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल जैन : सभापति महोदय, अभी कल ही हमने सन्निर्माण कर्मकार विधेयक पर चर्चा स्थगित की थी...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कुछ भी हो, इस बारे में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री सत्यपाल जैन : उसे अगले सप्ताह तक स्थगित कर दिया जाना चाहिये ताकि संशोधन समय पर प्राप्त हो सके। इसे वर्षों तक

स्थगित नहीं किया जाना चाहिये। इसे निश्चित समय के लिये स्थगित किया जाना चाहिये। यह समय एक सप्ताह हो सकता है।

श्री जी.एम. बनातवाला : मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि यह सरकार की गलत भावना का परिचायक है। यह दूसरा विधेयक है जिस पर विचार करना स्थगित हुआ है। सभा को मजाक बना लिया गया है। सरकार को कोई भी मामला सभा में प्रस्तुत करने से पूर्व उसके बारे में उचित अध्ययन करना चाहिये। यह कोई तरीका नहीं है। मैं अनेक बार निर्वाचित होकर यहां आया हूं और मैं यह देखता हूं कि सरकार किसी मामले पर सोती रहती है और फिर उन्हें अपना गृह कार्य उचित रूप से करना चाहिये। अब जिस विधेयक पर विचार किया जा रहा है, उसे स्थगित किया जाना चाहिये। एक सप्ताह में यह दूसरा विधेयक है जिस पर चर्चा स्थगित की गई है। सरकार मामले का उचित अध्ययन नहीं करती। मेरी समझ मे नहीं आता कि वह कैसे सभा में आते हैं...**(व्यवधान)** वास्तव में यह एक अच्छा विधेयक है और मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन मैं कहूंगा कि सरकार को इस सम्बन्ध में सब मामलों पर ध्यान देना चाहिये था।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : महोदय, श्री बनातवाला सभा के वरिष्ठ सदस्य हैं। माननीय सदस्यों की इच्छानुसार हम इस मद को स्थगित कर रहे हैं जो कि आज की कार्यसूची में शामिल है। यह बात नहीं है कि सरकार ने इस मामले में अध्ययन नहीं किया है। सरकार ने अध्ययन किया है। लेकिन माननीय सदस्यों की इच्छानुसार हम इसे स्थगित कर रहे हैं और दूसरा विधेयक चर्चा के लिये ले रहे हैं। दूसरे विधेयक के बारे में सचिवालय में कठिनाई यह है कि माननीय अध्यक्ष संशोधन एक बजे तक ही स्वीकार करते हैं। संशोधन अभी परिचालित किये जाने हैं। उन्हें अभी तक परिचालित नहीं किया गया है।

अतः मैं अध्यक्ष पीठ से अनुरोध कर रहा हूं कि हम अगले मद को लें। वह है सांविधिक संकल्प। चुनाव सुधारों के बारे में सब दल सहमत हैं। संशोधनों के परिचालित होने के तुरन्त बाद हम चुनाव सुधार सम्बन्धी विधेयक पर चर्चा करेंगे। संक्षिप्त में यही मामला है। मैं आशा करता हूं श्री बनातवाला स्थिति को समझेंगे।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : सभापति महोदय, मुझे इस बात पर आपत्ति है। रात को दस बजे यह तय हुआ था कि 12 बजे तक लिये जायेंगे। तब ये सर्कुलेट क्यों नहीं हुए। लिस्ट ऑफ बिजनेस में दिया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हम इसको देखेंगे।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : हम तो आइटम न. 28 के लिये प्रिपेयर होकर आये थे, न कि 21 या 22 के लिये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हम कार्यसूची में शामिल सभी मदों के लिये तैयार हैं। हमें प्रस्तावित संशोधनों को परिचालित करने की प्रतीक्षा करनी चाहिये।

श्री श्रीकान्त जेना : हम चर्चा आरम्भ कर सकते हैं। इस बीच संशोधन परिचालित किये जा रहे हैं...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : एक निश्चय कीजिये।

श्री श्रीकान्त जेना : हम तैयार है। बात सिर्फ यह कि चर्चा आरम्भ की जा सकती है और संशोधन परिचालित किये जा रहे हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, भ्रम इसलिये है कि केवल एक पृष्ठ परिचालित किया गया है। यह वास्तव में तकनीकी त्रुटि है... **(व्यवधान)**

अपराह्न 4.00 बजे

श्री रमाकान्त डी. खलप : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

> "कि लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1996 पर चर्चा आगामी सप्ताह के लिये स्थगित की जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1996 पर चर्चा आगामी सप्ताह के लिये स्थगित की जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.01 बजे

लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

श्री रमाकान्त डी. खलप : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय :

(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला (पून्नानी) : महोदय, संशोधनों का क्या हुआ?

श्री श्रीकान्त जेना : संशोधन लाये जा रहे हैं। उन्हें परिचालित किया जा रहा है। उन्हें लाया जा रहा है।...**(व्यवधान)**

श्री जी. एम. बनातवाला : हम यह जाने बिना चर्चा कर रहे हैं कि संशोधन क्या है और कौन माननीय सदस्य उन्हें प्रस्तुत करने वाले हैं?...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मुझे बताया गया है कि कुछ माननीय सदस्यों को पहले ही संशोधन परिचालित कर दिये गये हैं।

श्री जी. एम. बनातवाला : वे भाग्यशाली हैं। लेकिन हमने क्या किया है? संशोधन कुछ सदस्यों को परिचालित कर दिये गये हैं जबकि कुछ सदस्यों को परिचालित नहीं किये गये हैं यह भेद-भाव क्यों? सभा में इस बारे में भ्रम क्यों है?...**(व्यवधान)**

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, कृपया मेरी बात सुनें। इसमें कोई भ्रम नहीं है। कल सारी रात अनेक सदस्य रेलवे बजट पर बोलना चाहते थे। अनेक सदस्यों ने निर्णय लिया कि उन्हें अन्य सदस्यों को सुनने की आवश्यकता नहीं है। ये वही सदस्य हैं जो भ्रम में हैं...**(व्यवधान)** अतः हमें ऐसा नहीं कहना चाहिये। क्योंकि विलम्ब अधिक हो गई थी। कुछ सदस्य इस बात की अनुमति चाहते थे कि संशोधान दिये जाने का समय बढ़ाया जाना चाहिये। इसीलिये यह समय बढ़ाया गया है। इसीलिये संशोधनों को परिचालित करने में कुछ विलम्ब हुआ। यह कहना ठीक नहीं होगा कि सरकार अजीब ढंग से कार्य कर रही है...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री आई. डी. स्वामी (करनाल) : सभापति जी, सुबह भी यह बात आई थी। हम से कहा गया था कि काउंटर से ले लो। जब हम काउंटर पर लेने गये तो वहां नहीं था। कल भी नहीं था, परसों भी नहीं था और आज भी नहीं था।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : सभापति महोदय, ऐसा पहला अवसर नहीं है जब विधेयक पर चर्चा के दौरान भी संशोधनों को अध्यक्ष पीठ द्वारा अनुमति दी जा रही है। हम चर्चा आरम्भ कर सकते हैं। संशोधन बाद में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। मंत्री महोदय केवल यही वक्तव्य दे रहे हैं कि सभा इस विधेयक पर चर्चा क्यों करे। आप कृपया उसे सुनें. ..**(व्यवधान)** संशोधन प्रस्तुत किये जा रहे हैं। यदि आप कोई संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आपको इसकी अनुमति है। यह सर्वसम्मत विधेयक है। इसका श्रेय केवल सरकार को ही नहीं जाता। हम सबने इस बारे में मिलजुल कर प्रयास किया है और यह चुनाव सुधार सम्बन्धी विधेयक लाने का निर्णय लिया है। अतः मैं यह अनुरोध कर रहा हूं कि इस पर चर्चा अब आरम्भ कर दी जाये।...**(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : मंत्री महोदय, इस बात पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि चर्चा के दौरान संशोधन यहां प्राप्त हो जायेंगे।

श्री श्रीकान्त जेना : वे आपको मिल जायेंगे।

श्री संतोष मोहन देव : आप आश्वासन देते हैं...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मुझे बताया गया है कि कुछ संशोधन पहले ही प्राप्त हो चुके हैं और परिचालित किये जा चुके हैं। अन्य संशोधन परिचालन की प्रक्रिया में हैं

(व्यवधान)

श्री मधुकर सर्पोतदार (मुम्बई-उत्तर-पश्चिम) : अभी तक एक भी संशोधन की प्रति परिचालित नहीं की गई है।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कार्यालय अंग्रेजी में संशोधन परिचालित करने को तैयार है। हिन्दी में अभी यह काम पूरा नहीं हुआ है

(व्यवधान)

डा. सत्यनारायण जटिया : मैंने हिन्दी में संशोधन दिया है।

सभापति महोदय : आपको भी वह मिल जायेंगे। हमें इस बारे में सहमत होना चाहिये। अब माननीय मंत्री चर्चा आरम्भ करें।

श्री रमाकान्त डी. खलपः सभापति महोदय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है जो सभा में विचार के लिये प्रस्तुत किया जा रहा है। सरकार चुनाव सुधारों के प्रति वचनबद्ध है। यह विधेयक चुनाव प्रक्रिया में सुधार और उसे सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से लाया गया है। सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह आश्वासन दिया गया था कि चुनाव में सर्वसम्मति से सुधार सम्बन्धी विधेयक प्राप्त हो गया है और इसे ग्यारहवीं लोक सभा के बजट सत्र में पुरःस्थापित किया जायेगा।

लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1996 के पुरःस्थापित किये जाने के साथ सरकार ने अपनी वचनबद्धता को पूरा कर लिया है।

माननीय सदस्यों को विदित होगा कि सरकार ने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की 23 जुलाई, 1996 को एक बैठक आयोजित की थी और लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1996 इस बैठक में हुई आम सहमति पर आधारित है।

सरकार का यह मानना है कि चुनाव सुधार निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है और सरकार का यह प्रयास रहेगा कि वह चुनाव सुधार सम्बन्धी ऐसे सुझावों को आगे भी क्रियान्वित करे पर विभिन्न राजनीतिक दलों में समय-समय पर सहमति होती रहे। इस बारे में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से निकट भविष्य में बैठक किये जाने का प्रस्ताव है।

मैं इस विधेयक के खंडों के बारे में संक्षिप्त में उल्लेख करूंगा। खंड 1 में विधेयक का संक्षिप्त नाम है तथा यह प्रारम्भिक खंड है। खंड 2 में निर्वाचन सूची तैयार करते समय सरकारी कर्तव्य का उल्लंघन करने वालो के लिये दण्ड बढ़ाने की व्यवस्था है। इसमें वर्तमान 500 रुपये की सजा के अर्थदण्ड से लेकर और कम से कम तीन महीने की सजा का प्रावधान जिसे बढ़ाकर दो वर्ष की सजा और जुर्माना किया जा सकता है। खंड 3 में यह प्रावधानहै कि राष्ट्र-गौरव अपमान-निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 2 अथवा धारा 3 के अन्तर्गत दोषी पाये गये व्यक्ति को दोष सिद्ध हो जाने की तिथि से 6वर्ष की अवधि के लिये अयोग्य घोषित कर दिया जाये।

खंड 4 में निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों को सांविधित शक्तियां प्रदान करने की व्यवस्था है। इस समय निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों को निर्वाचन कार्य पर निगरानी रखने के लिये विधायी शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। पर्यवेक्षकों को निर्वाचन अधिकारी को

निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी समय परिणाम घोषित किये जाने से पूर्व मत गणना रोकने अथवा परिणाम न घोषित करने का अधिकार दिया जाना चाहिये, यदि उसकी यह राय है कि बड़ी संख्या में मतदान केन्द्रों आदि पर कब्जा किया गया है अथवा मतपत्र निर्वाचन अधिकारी के कब्जे से अवैध रूप से छीन लिये गये हैं अथवा उन्हें छेड़ा किया गया हो। ऐसे मामलों में जहां पर्यवेक्षक ने यह निर्देश दिया हो कि मतगणना का कार्य रोक दिया जाये अथवा परिणाम की घोषणा न की जाये, तो वह ऐसे मामलों की सूचना निर्वाचन आयोग को देगा और निर्वाचन आयोग अधिनियम के उपबन्धों के अंतर्गत उचित निर्देश जारी करेगा। इस खंड के अन्तर्गत पर्यवेक्षकों के मतदान केन्द्रों पर कब्जा आदि करने की स्थिति में शीघ्र कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त होगा।

खंड 5 में यह प्रावधान है कि उम्मीदवार द्वारा अपना नाम वापिस लिये जाने तथा चुनाव की तिथि के बीच समय सीमा 20 दिन से घटाकर 14 दिन कर दी जाये। इसका उद्देश्य चुनाव प्रचार में व्यय की जाने वाली राशि में कमी लाना है। खंड 6, किसी भी व्यक्ति को दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव के लिये उम्मीदवारी का नामांकन भरने से रोकता है। इस खंड में यह भी व्यवस्था है कि मान्यता प्राप्त दल द्वारा खड़े न किये गये उम्मीदवार को चुनाव के लिये तब तक वैध रूप से नामनिर्दिष्ट स्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक उसके प्रार्थना पत्र पर निर्वाचन क्षेत्र के दस मतदाताओं ने हस्ताक्षर न किये हो। खंड 7 में उम्मीदवार द्वारा चुनाव के लिये वर्तमान जमानत राशि को बढ़ाकर 5000 रुपये करने का प्रावधान है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिये यह राशि 2500 रुपये होगी।

खंड 8 में यह व्यवस्था है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में उम्मीदवारों के नाम निम्न लिखित क्रम में होंगे :—

(क) सर्वप्रथम, मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किये गये उम्मीदवारों के नाम।

(ख) दूसरे, पंजीकृत राजनीतिक दलों के उम्मीदवार।

(ग) तीसरे, निर्दलीय उम्मीदवारों और प्रत्येक वर्ग में उम्मीदवारों के नाम वर्णाक्रमानुसार रखे जायेंगे।

महोदय, जमानत राशि में वृद्धि, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा खड़े न किये गये उम्मीदवारों के लिये दस प्रस्तावों के हस्ताक्षरों की आवश्यकता और निर्दलीय उम्मीदवार का मतपत्र के अन्त में नाम रखा जाना कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे चुनाव लड़ने को गम्भीरता से न लेने वाले उम्मीदवार हतोत्साहित होंगे।

खंड 9 में यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने पर चुनाव रद्द नही किया जायेगा और ऐसे मामले में चुनाव को आगे तारीख के लिये स्थगित कर दिया जायेगा और तारीख की घोषणा बाद में की जायेगी। उस मान्यता प्राप्त दल, जिसके उम्मीदवार की मृत्यु हुई होगी, को उक्त निर्वाचन के लिये चुनाव आयुक्त द्वारा उसे जारी किये गये नोटिस के सात दिन के भीतर दूसरे उम्मीदवार को नामनिर्दिष्ट करने की अनुमति होगी,

महोदय, चुनाव प्रचार की सीमा को 14 दिन तक करने से चुनाव खर्च कम होने में मदद मिलेगी।

खंड 10 में यह व्यवस्था है कि चुनाव आरम्भ होने के लिये निर्धारित 48 घंटे से पहले जन सभाएं आयोजित करने पर लगाये गये प्रतिबन्ध को और व्यापक बनाया जायेगा। खंड 11 में चुनाव सभाओं में गड़बड़ी करने के लिये तीन महीने की सजा अथवा 1000 रुपये के जुर्माना अथवा दोनों को बढ़ाकर 6 महीने की सजा अथवा जुर्माना, जो 2000 रुपये तक हो सकता है अथवा दोनों की व्यवस्था की गई है। इस खंड के अन्तर्गत इस अपराध को संज्ञेय माना गया है। खंड 12 में मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक ले जाने के लिये अवैध रूप से किराये पर वाहन लेने अथवा वाहन हासिल करने के लिये वर्तमान सजा 1000 रुपये के जुर्माने को बढ़ाकर तीन महीने की सजा और जुर्माना कर दिया गया है। खंड 13 में यह प्रावधान है कि इस खंड में निर्दिष्ट व्यक्ति के अलावा किसी भी व्यक्ति को मतदान केन्द्र के पास जाने पर प्रतिबन्ध होगा। खंड 14 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 में 'कपटपूर्ण' शब्द के स्थान पर "अप्राधिकृत रूप से" शब्द रखे जाने की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य मतपत्रों को अवैध रुपये से हटाये जाने को रोकना है खंड 15 में मतदान केन्द्र पर कब्जा करने के अपराध के लिये सजा और सख्त करने की व्यवस्था है। इस समय मतदान केन्द्र पर कब्जा करने की सजा, सरकारी कर्मचारी के अतिरिक्त, अन्य व्यक्ति के लिये कम से कम छः महीने है। सरकारी कर्मचारी के लिये यह सजा कम से कम एक वर्ष है जिसे बढ़ाकर तीन वर्ष और जुर्माना किया जा सकता है। इस खंड में सरकारी कर्मचारी के अतिरिक्त, अन्य व्यक्ति के लिये, यह सजा कम से कम एक वर्ष लेकिन उसे बढ़ाकर तीन वर्ष और जुर्माना किया जा सकता है। जबकि सरकारी कर्मचारी के लिये यह सजा कम से कम तीन वर्ष है जिसे बढ़ाकर पांच वर्ष और जुर्माना किया जा सकता है। मतदान केन्द्र पर कब्जा करने के अपराध को संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 में इसके क्षेत्राधिकार में वृद्धि करने के लिये 'व्याख्या' में अभिव्यक्ति में कुछ परिवर्तन किया गया हैं, जिसमें मतदान केन्द्र पर कब्जा करने को निर्दिष्ट किया गया है। महोदय, विधेयक के खंड 11, 13, 14 और 15 का उद्देश्य बाहुबल के प्रयोग को रोकना है।

विधेयक के खंड 16 में यह व्यवस्था है कि चुनाव वाले दिन सभी प्रौद्योगिक उपक्रमों अथवा प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को वेतन सहित अवकाश प्रदान किया जायेगा। उसका उल्लंघन करने वाले मालिक को 500 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है। इस खंड में यह भी व्यवस्था है कि कोई मादक, नशा पैदा करने वाला अथवा उन्मादक द्रव्य अथवा अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री, वितरण निर्वाचन क्षेत्र में किसी होटल अथवा दावे आदि में नहीं की जायेगी। यह प्रतिबन्ध चुनाव होने के लिये निर्धारित 48 घंटे की अवधि के दौरान जिसमें चुनाव समाप्ति की एक घंटा भी शमिल है। उन मतदान केन्द्रों पर लागू होगा, जहां चुनाव होने हैं। खंड में इसका उल्लंघन करने के लिये दण्ड की व्यवस्था है। खंड 17 में व्यवस्था है कि किसी भी सीट के रिक्त हो जाने की स्थिति में 6 माह के अन्दर उपचुनाव करा दिये जायेंगे।

इसका अपवाद यह है कि जब या तो रिक्तता की अवधि एक वर्ष से कम रह गई हो अथवा उपरोक्त अवधि में उपचुनाव करवाने कठिन हों।

महोदय, क्योंकि विधेयक में दिये गये सुझावों पर कोई मतभेद नहीं है और राजनीतिक दल पहले ही इन सुझावों के बारे में सहमति प्रकट कर चुके हैं, मुझे विश्वास है कि विधेयक को सदन से सर्वसम्मति से स्वीकृति मिलेगी।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह विधेयक दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशों पर आधारित है। कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गई सिफारिशों पर भी ध्यान दिया गया है। उन्होंने पहले भी कुछ विधेयक प्रस्तुत किये हैं। हमने सभी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श किया है। इस विधेयक का श्रेय केवल संयुक्त मोर्चा सरकार को है। इसका श्रेय प्रेस को भी जाता है, जो इसके बारे में उल्लेख करते रहे हैं। इसका श्रेय जनता को भी जाता है व्यापक चुनाव सुधार विधेयक लाने की दिशा में यह मात्र पहला कदम है. अभी केवल शुरूआत है। अतः मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि यह जो अच्छी दिशा में शुभ कार्य आरम्भ किया गया है और जिसे सदन का समर्थन भी प्राप्त है भविष्य में भी जो कार्य इस दिशा में करने की आवश्यकता होगी, उसे शीघ्र किया जायेगा।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक को सभा में विचार के लिये प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : सर्वप्रथम, मैं डा. जयन्त रंगपी का आभार प्रकट करता हूं। परम्परा के अनुरूप वह प्रथम वक्ता होने चाहिये थे। लेकिन मैंने उनसे अनुमति ले ली है और आपकी अनुमति से मैं बोलना चाहता हूं।

माननीय मंत्री ने अपने भाषण में स्पष्ट किया है कि विधेयक का उद्देश्य चुनाव प्रणाली में सुधार लाना है। जब कभी अपमिश्रण होता है तो उसमें शुद्धिकरण आवश्यक है। स्वयं यह बात स्वीकार की है।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमें इस बात पर गर्व है। भारत की चुनाव प्रणाली अन्य पड़ौसी देशों जैसे पाकिस्तान, बंगला देश और नेपाल की तुलना में कहीं बेहतर है। इस बात में कोई संदेह नहीं है। लेकिन अनुभव यह बताता है कि इस प्रणाली में सुधार किये जाने का आवश्यकता है। यह बात 10 अथवा 15 वर्ष से सब राजनीतिक दलों द्वारा अनुभव की जा रही थी। समय-समय पर निर्वाचन आयोग ने विभिन्न तरीके अपनाने तथा इस सम्बन्ध में सिफारिशें की है। एक सरकार के बाद दूसरी सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों से इस बारे में विचार किया है। इस बारे में कुछ एक राय हैं। कुछ मामलों में आपत्तियां भी हैं। कुछ चुनाव सुधार, जैसे चुनाव प्रचार की सीमा 21 दिन से घटाकर 14 दिन करना, विभिन्न पार्टियों की सहमति से अध्यादेश द्वारा किये गये हैं। जब असम में चुनाव हुए थे तो असम युवाओं, ए.ए.एस.यू. ने इसका पूरा बहिष्कार किया था। अब हमारे वे मित्र असम गण परिषद के केन्द्र मंत्री हैं। उस समय राज्य से बाहर के चुनाव अधिकारी और मतगणना करने वाले एजेंट वहां भेजे गये थे। अतः इस प्रकार की अनेक बातें होती हैं। हमारे अन्य मित्र विधेयक पर बोलेंगे। मैं इस बारे में विस्तार से नहीं जाऊंगा।

आज सुबह हमारी पार्टी की बैठक हुई थी। पार्टी में हमारे विरुद्ध पूर्णतया विद्रोह था। हम आशा करते थे कि विधेयक आज ही पारित हो जाये। ऐसा दो कारणों से था। श्री श्रीकान्त जेना जानते हैं कि स्थानीय संयुक्त मोर्चा के हमारे भागीदार यह घोषणा करना चाहते थे कि हम एक विधेयक ला रहे हैं और हम अपने वचन का पालन कर रहे हैं। यह उनका वचन था जिसका हमने भी समर्थन किया था। आज सुबह मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी से भी मिला था और उन्होंने भी कहा कि वे विधेयक का समर्थन करेंगे। यदि इसमें कोई प्रसिद्धि मिलती है अथवा इसमें कोई त्रुटि होती है तो हम सब मिलकर इसमें भागीदार होंगें। यद्यपि हम विधेयक स्वीकार करेंगे लेकिन अनेक सदस्य इस सम्बन्ध में सुझाव देंगे। इस सम्बन्ध में हमें खुले दिमाग से काम लेना होगा क्योंकि हम सब दलों के साथ इस विधेयक को स्वीकृत दे चुके हैं। लेकिन इस विधेयक का मूल उद्देश्य है चुनाव में सुधार लाना।

अतः इस ओर अथवा उस ओर से जो भी सुझाव आये वे खुले दिमाग से दिये गये और तब इस बारे में कोई निर्णय लिया जाये। इस सम्बन्ध में जल्दबाजी में काम नहीं लिया जाना चाहिये तथा इसे प्रतिष्ठता का प्रश्न नहीं बनाया जाना चाहिये। हमें यह भी नहीं सोचना चाहिये कि हमने जो सुझाव दिये हैं उन्हे अवश्य अमल में लाया जाना चाहिये।

हमारी बैठक में जिस विषय पर चर्चा की गई वह था राष्ट्रीय दलों के नामांकन पत्र मैं बैठक में उपस्थित था। सर्वप्रथम, कांग्रेस, बी.जे. पी., जनता पार्टी और अन्य दलों को चुनाव आयोग ने मान्यता प्रदान की।

इसके बाद पंजीकृत और क्षेत्रीय पार्टियों का नम्बर था। इसके बाद निर्दलीय। कुछ माननीय सदस्यों का मत था कि इसे कानून की अनुमति नहीं मिलेगी। जब दलों की बैठक में हमें बताया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में अपनी यह राय व्यक्त की थी कि ऐसी बात की जानी चाहिये। उच्चतम न्यायालय ने यह भी इच्छा व्यक्त की है कि चुनाव को गम्भीरता से न लेने वाले उम्मीदवारों के बारे में विचार किया जाना चाहिये। आप जमानत की राशि 10,000 अथवा 5,000 रुपये करने की बात यहां कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह राशि संसद और विधान सभा के लिये 10,000 और 5000 रुपये होनी चाहिए। यदि यह विधान सभा के लिये हैं, तो कुछ लोगों का यह मत है कि यह राशि बहुत अधिक है। उनका कथन है कि संसद और विधान सभा के लिये अलग अलग जमा राशि होनी चाहिये। यह एक सुझाव है।

दूसरा सुझाव संचालन प्रक्रिया की तुलना में प्रेक्षकों की भूमिका के बारे में है। मेरा इस से अभिप्राय किसी राजनीतिक दल, के मुख्य

मंत्री, किसी कांग्रेस अध्यक्ष, अथवा गैर-कांग्रेसी अध्यक्ष और अन्य किसी व्यक्ति पर आक्षेप लगाने से नहीं है। सामान्य भावना यह है कि प्रेक्षकों की शक्ति इस प्रकार बढ़ाई जानी चाहिये कि वे राज्य के तंत्र से दूर रहकर स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। यदि कोई प्रेस किसी राज्य में जाता है, यह निर्भर करता है-चाहे मुख्यमंत्री बीजू, लालू या कोई अन्य हो कुछ मामलों में वह वहां के अधिकारियों के साथ किस प्रकार कार्य कर सकता है। इस बारे में शिकायत यह है कि कुछ राज्यों मे प्रेक्षक निष्पक्ष होते हैं और कुछ अन्य राज्यों में प्रेक्षकों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है कि उनके लिये काम करना बहुत कठिन हो जाता है। मैं इस बारे में विस्तार से नहीं कहूंगा। मैं इस बारे में किसी विशेष राज्य अथवा क्षेत्र का उल्लेख नहीं करूंगा।

दूसरा मुद्दा यह है। हमारा अनुभव यह बताता है कि यद्यपि मतगणना निष्पक्ष और स्वतन्त्र रूप से की जानी चाहिये, तथापि दुर्भाग्यवश मतगणना ऐसे नहीं की जाती है। होता यह है कि यदि किसी राज्य में किस पार्टी के पास 40 स्थान है, तो समस्त राज्य में इस प्रकार का वातावरण पैदा किया जाता है कि अन्य स्थानों पर गणना मतदान के आधार पर न हो। अतः मतगणना करते समय मतपत्रों में गड़बड़ी को अवश्य रोका जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में और कठोर नियम बनाये जाने चाहिये। ऐसा कुछ राज्यों में हुआ है। उदाहाणार्थ, एक आतंकवादी ने मतगणना केन्द्र के एजेंट और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों पर नियंत्रण कर लिया और उम्मीदवारों को मतगणना केन्द्र से बाहर फेंक दिया। ऐसा हुआ है। अपने अनुभव से हम बता रहे हैं। समाचार पत्र और रेडियो घोषणा करते हैं कि इन-इन जिलों में मतदान 50 प्रतिशत हुआ है। जब परिणाम आते हैं तो पता लगता है कि मतदान 70 प्रतिशत रहा है। ये 20 प्रतिशत मत पत्र कहां से आये? यह बात कोई नहीं जानता...**(व्यवधान)** क्यों? मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन ऐसा हो रहा है। चूंकि माननीय मंत्री चुनाव सम्बन्धी सुधार करने जा रहे हैं, तो उन्हें इन बातों पर ध्यान देना चाहिये। उन्हें अब यह अवश्य करना चाहिये। हम यह आश्वासन चाहते हैं कि माननीय सदस्यों द्वारा प्राप्त सुझावों पर विचार किया जायेगा और उन्हें परिचालित किया जायेगा। और सब दलों की एक बैठक बुलानी चाहिये और उसमें यह निर्णय लेना चाहिये ताकि वह यह कह सकें कि सरकार खुले दिमाग से कार्य कर रही है। ऐसा करना सुधार लाने और कार्यनिष्पादन के लिये आश्वश्यक है।

हमारी बैठक में यह बताया गया था कि इस सम्बन्ध में कुछ नियम होंगे। अभी कल ही यह बताया गया कि यदि किसी उम्मीदवार को भविष्य में चुनाव में भाग लेने से रोकना है तो उसे प्राप्त मतों की प्रतिशतता की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। यदि यह 10 प्रतिशत अथवा 5 प्रतिशत होती है तो उसे चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिये। अब प्रश्न यह उठता है और उचित भी है, कि ऐसे चुनाव में यहां तक कि विजेता उम्मीदवार को 500 मत मिल सकते हैं। ऐसा आसाम में हुआ। एक व्यक्ति मात्र 284 मत प्राप्त करने पर मंत्री बन गया। ऐसा कभी कभी होता है। इसे हटा दिया गया है। यह अच्छी बात है।

अगला विषय मतदाता सूची से सम्बन्धित है। श्री खलप, मतदाता सूची का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मतदाता सूची कुछ निश्चित प्रक्रिया के अनुसार बनाई जाती है। लेकिन हमारा अनुभव यह रहा है कि चुनावों से 48 घंटे पूर्व 500 नामों को मतदाता सूची में निकाल दिया जाता है और यह कहा जाता है कि यह निर्वाचन अधिकारी का अधिकार है। अधिकार का उपयोग नियमों के अन्तर्गत किया जाना चाहिये। जब अन्तिम मतदाता सूची प्रकाशित हो जाती है तो मतदाता सूची से किसी का नाम निकालने का अधिकार किसी को नहीं होता चाहे वह चुनाव आयोग हो अथवा जिलाधिकारी यहां तक कि यदि कोई त्रुटि होती है, तो आप उसको गिन नहीं सकते। कभी कभी एक मतदाता जो चुनाव में खड़ा होता है, उसका नाम ही मतदाता सूची में नहीं होता। वे कहते हैं आपका नाम वैद्य है लेकिन अन्य 500 व्यक्तियों के नाम निकाल दिये जाते हैं। हमें इस बारे में कुछ करना चाहिये।

मैंने इस विषय पर कल चर्चा की थी। मैंने विशेषरूप से इस बारे में बीजू पटनायक से उल्लेख किया था। मैं उड़ीसा चुनावों का अधिकारी था और हमें अति विशिष्ट व्यक्तियों की बैठक बुलाने में बहुत कठिनाई हुई थी। श्री बीजू पटनायक ने कृपा कर मुझे इस बारे में आगे कार्यवाही जारी रखने को कहा। उन्होंने डिप्टी मजिस्ट्रेट और अन्य व्यक्तियों को अन्य राजनीतिक दलों को अवसर देने के निर्देश दिये। यह उनकी महानता है। लेकिन होता क्या है। कभी-कभी बैठकों का आयोजन करना बहुत कठिन हो जाता है। चुनाव आयोग कभी-कभी कहता है कि आप अपने साथ लोगों को बैठक में नहीं ले जा सकते! कभी-कभी वह कहता है कि वाहनों को प्रयोग न किया जाये। उम्मीदवार मंच पर नहीं आ सकते। मेरा नेता मेरे लिये मंत्र पर जाये और मेरे लिये बोले और मुझे मंच के नीचे खड़ा रहना पड़े। राजनीतिक दलों जैसे मार्क्सवादी दल का कहना है "देखिये, प्रधान मंत्री को उम्मीदवार पसन्द नहीं है इसलिये उसे नीचे उतरने और वहां बैठने को कहा गया है।" वे इस बात का प्रचार करते हैं कि आतंक इतना अधिक है। यह उचित नहीं है।

अगला विषय विमानों के उपयोग से सम्बन्धित है। वे कहते हैं प्रधान मंत्री उपयोग कर सकते हैं, अन्य व्यक्ति उपयोग नहीं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री विमान का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सरकारी विमान का नहीं। मेरा कहना का अभिप्राय यह है कि राष्ट्रीय स्तर के नेता अथवा स्थानीय और राज्य स्तर के नेता सरकारी विमानों का उपयोग धनराशि का भुगतान कर सकते हैं। चुनाव आयोग इसके लिये मनाही क्यों करता है? वह कहता है कि आपको वही विमान अन्य दलों को भी देना पड़ेगा। मैं अपनी जनता के सहयोग से मुख्य मंत्री निर्वाचित हुआ चुनाव आयोग अथवा अन्यों के सहयोग से नहीं। अन्य व्यक्ति मुख्य मंत्री अथवा प्रधान मंत्री क्यों नहीं हो गये, उसे यह क्यों दिया जाना चाहिये। अतः इस बारे में ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

पर्यवेक्षकों को शक्ति दिये जाने का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी मांग है कि ऐसा किया जाना चाहिये। मान लीजिये, यदि एक व्यक्ति 50 मतों से हारता है तो, मतों की दुबारा गणना की अनुमति नहीं है। लेकिन यदि एक व्यक्ति 5000 मतों से हारता है तो मतों की दुबारा गिनने की अनुमति है। यह क्या है? इस बारे में अकेले पीठासीन अधिकारी निर्णय लेता है। हमारा सुझाव यह है कि इस बारे

में कोई सीमा होनी चाहिये। यदि कोई व्यक्ति 5000 अथवा 10,000 से कम मतों से हारता है, यदि वह चाहे, तो वह दुबारा मत गणना की मांग कर सकता है। वह कड़ी मेहनत से पांच वर्ष बाद चुनाव लड़ता है। यदि मतगणना दुबारा नहीं होती है, तो वह अपने घर असन्तुष्ट होकर जाता है, लेकिन यदि आप इसकी सीमा 5000 नहीं निर्धारित करना चाहते यह सीमा 3000 की जा सकती है। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की सीमा अव्यय निर्धारित की जानी चाहिये जिससे उसे चुनाव अधिकारी से न्याय मिल सके।

अन्तिम विषय बहुत विवादास्पद विषय है। मुझे नहीं पता कि इसकी अनुमति दी जायेगी अथवा नहीं। इस मामले पर प्रत्येक पार्टी में मतभेद है। और वह यह कि मतपत्रों की गड्डियां बना कर गिना जाना। यहां एक मत की गणना अलग से नहीं की जाती। इन्हें साथ-साथ लिया जाता है और मिलाया जाता है और फिर गणना की जाती है। यह महसूस किया जाता है कि यह प्रक्रिया अच्छी है क्योंकि हरिजन और गिरजन चुनावों के बाद होने वाले विभिन्न अत्याचारों से बच जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मत है कि इसके परिणामस्वरूप बहुत शक्तिशाली राजनीतिक दलों, जिसके मुख्यमंत्री बहुत शक्तिशाली हैं, को रात में, बक्से बदलने और उन्हें मिलाने तथा उन्हें मतगणना केन्द्रों पर लाने का अवसर मिल जाता है। यह तथ्य है। ऐसा अनेक बार अनेक चुनावों में हुआ है। हो सकता है ऐसा केरल में न हो, लेकिन ऐसा देश के कुछ भागों में होता है और इस सम्बन्ध में विभिन्न मामले लम्बित पड़े हैं। मैं इस विचार से पूर्णतया सहमत नहीं हूं मतपत्रों को मिलाया जाना चाहिये। मैं इस बात से सहमत हूं कि हरिजनों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

प्रो. मधु दण्डवते ने मुझे एक बार बताया था कि जब वह सरकार में थे और जनता पार्टी की सरकार के मंत्री के रूप में बेल्ची गये थे। जब वे वहां उतरे और लोगों से पूछा कि क्या हुआ और कैसे हुआ तो उन्होंने बताया कि 48 वर्ष के बाद उन्होंने पहली बार मतदान किया और उनको इसका यह पुरस्कार मिला। यह मेरा वक्तव्य नहीं है, यह श्री दण्डवते की वक्तव्य है। उन्होंने मुझे यह व्यक्ति रूप से बताया था जब हम समिति के सदस्य थे।

एक बार मैं एक उप चुनाव में बुलन्दशहर गया। मैंने एक गांव का दौरा किया। लोगों ने हमसे बात करने में इंकार कर दिया वे डरे हुए थे। वे कभी दायें और कभी बायें देख रहे थे कि क्या किसी विशेष राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति उनकी तरफ तो नहीं देख रहा है अथवा उनकी बात तो नहीं सुन रहा है। अतः इस बारे में मेरी कुछ सीमाएं हैं। लेकिन मेरा विचार है कि आज की बैठक और अन्य राजनीतिक दलों की बैठक में चर्चा के जो परिणाम निकले हैं वह यह कि इस मामले पर गम्भीरता से विचार किया जाना आवश्यक है। विधि मंत्री, चुनावों के अधिभारी मंत्री और अन्यों को सब राजनीतिक दलों के संसद सदस्यों से मिलना चाहिये और उनकी बात सुननी चाहिये क्योंकि वे बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं और वे कुछ अच्छे सुझाव दे सकते हैं। श्री जेना, मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूं। हमने अपनी पार्टी के लोगों को आप जो आज विधेयक ला रहे हैं उस पर चर्चा सुनने के लिये बड़ी से राजी किया। अतः आप इसे अपनी ही नहीं हमारी भी सफलता समझें। कांग्रेस पार्टी में इस बात की आलोचना है कि यदि कोई अच्छी बात होनी है तो उसका श्रेय संयुक्त मोर्चा सरकार को जाता है और यदि कोई बुरी बात होती है तो इसके लिये कांग्रेस और शायद भाजपा पार्टी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिये। आपको इस बात पर विचार करना चाहिये कि यदि 140 और 160 जो मिलकर 300 होते हैं, एक साथ आते हैं, तो आपको उनका सम्मान करना चाहिये। अतः एक मत बनाने का प्रयत्न करें। एक मत का अभिप्राय निर्णय थोपने से नहीं है। एक मत का अर्थ है राष्ट्र के हितों की रक्षा करना और सब राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां आपसे सहयोग करेंगी। आपने स्वीकार किया है कि आप वाजपेयी जी के पास गये थे। मैंने उनसे पूछा था कि क्या वह विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा था "हां, संतोष हम समर्थन कर रहे हैं" उनकी भी अपनी सीमाएं हैं। वे और सुधार चाहते हैं, जैसे राज्य द्वारा धनराशि दिया जाना। आपको इस बारे में निर्णय लेना होगा चूंकि हम इसके विरुद्ध नहीं है।, यदि आप चुनाव के लिये धनराशि देते हैं। यह अच्छी बात है। लेकिन कितनी सीमा तक? कुछ लोग कहते हैं केवल मतपत्र अथवा मतदाता सूची देनी चहिये। कुछ कहते हैं चार माइक दिये जाने चाहिये। यह कुछ नहीं है।

एक अन्य मामला आज जो सदस्यों ने उठाया है, और वह ठीक भी है वह है चुनाव खर्च का हिसाब रखना। चुनाव खर्च का हिसाब रखना एक बात है और चुनाव लड़ना दूसरी बात है। यदि मुझे प्रतिदिन रात्रि को चुनाव आयोग को चुनाव खर्च का ब्यौरा देकर संतुष्ट करना होगा और फिर सोने के लिये जाना होगा और अगले दिन यदि चुनाव अधिकारी यह पूछते हैं कि उम्मीदवार कहां हैं, तो मैं यह सोचता हूं कि यह अति होगी। मेरा पहला उद्देश्य प्रचार करना और चुनाव जीतना है। चुनाव तंत्र को संतुष्ट करना नहीं। उन्हें इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिये। वे मेरे खाते पन्द्रह दिन अथवा एक महीने बाद देख सकते हैं। लेकिन चुनाव के बाद मुझे अपने खाते प्रतिदिन चुनाव इंस्पेक्टर को क्यों प्रस्तुत करने चाहिये? कुछ इंस्पेक्टर अच्छे होते हैं; कुछ इंस्पेक्टर बुरे होते हैं। कुछ, कुछ बातों में रूचि लेते हैं। यह उचित नहीं है। अनुभव से हमें पता लग जाता है कि सब बातें उचित नहीं होती।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि इसमें कोई गलत बात नहीं है यदि पर्यवेक्षकों और ऐसे ही अन्य व्यक्तियों को सर्किट हाऊस में स्थान उपलब्ध कराया जाये। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिये कि संयुक्त सचिव स्तर की एक अधिकारी विशिष्ट व्यक्तियों के लिये निर्धारित कमरे में ठहरे जबकि श्री वाजपेयी अथवा श्री आडवाणी अथवा श्री पटनायक अथवा श्री गौड़ जैसे नेता कमरा सं. 5 में ठहरे। सर्किट हाउस के अधिभारी यह कहे "मुझे दुख है, महोदय वह पर्यवेक्षक है।" मैं चुनाव के समय उड़ीसा गया था। मैं कालाहांडी में एक अथिति गृह में गया। मुझे एक कमरे में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि उस कमरे में टेलिविजन और अन्य सुविधाओं के साथ पर्यवेक्षक ठहरे हुए थे। अतः मुझे बरामदे में ठहरना पड़ा। मुझे तब बहुत आश्चर्य हुआ जब एक व्यक्ति, जो मेरे मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत था और जो मेरे साथ आया था, वह कमरे में बैठा हुआ था और मैं

बाहर बरामदे में बैठा हुआ था। वह व्यक्ति मेरे पास आया और कहा, महोदय, मुझे दुख है मैने आपको नहीं देखा था। अब मैं कमरे में जा रहा हूं क्योंकि कोई हमें साथ-साथ देख लेगा तो वह कहेगा कि इस अधिकारी और संतोष मोहन देव के बीच कोई सांठ-गांठ है। यह अति है।

चुनाव आयोग ने श्री टी. एन. शेषन और दो चुनाव आयुक्तों के साथ मिलकर प्रशंसनीय कार्य किया है। मैं उनमें से एक व्यक्ति था जो प्रारम्भ में चुनाव आयोग की आलोचना करता था। जब मैं चुनाव के दौरान कर्नाटक गया तो मुझे यह देखकर अप्रसन्नता हुई कि दिवारों पर पोस्टर लगाने की भी अनुमति नहीं दी गई थी। मैंने सोचा था कि इस कारण मतदान की औसत बहुत कम रहेगी। हम वहां चुनाव हार गये। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं हुआ। लेकिन मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वहां 60 से 80 प्रतिशत के बीच मतदान हुआ था। लोगों ने चुनावों को पसन्द किया था लेकिन सख्ती की भी एक सीमा होनी चाहिये।

मैं आस्ट्रिया में था। मैं वहां जब गया था। मैं मंत्री था। उस समय वहां चुनाव हो रहे थे। प्रत्येक सड़क पर उनकी सरकार ने कुछ अस्थायी बोर्ड लगाये हुए थे और प्रत्येक पार्टी के लिये एक निश्चित स्थान दिया गया था। वे उस स्थान पर अपने पोस्टर लगा सकते थे। लेकिन हम यहां क्या करते हैं? कलकत्ता में वह कहते हैं "कि कल तक सब दिवारों को पोत दिया जायेगा और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं आपको देख लूंगा...**(व्यवधान)**

आस्ट्रेलिया में मैने यह भी देखा कि जब वहां चुनाव होते हैं तो सरकार मंच तैयार करवाती है और उम्मीदवार अपना भाषण देते हैं। यह अच्छी बात है। हां, वास्तव में भीड़ आपको एकत्र करनी होती है, सरकार को नहीं। हम इस विधेयक का समर्थन कर रहे है। लेकिन हम इसको सशर्त समर्थन दे रहे हैं। वह इस प्रकार कि आज आप जो विधेयक लाये हैं हम उसका समर्थन करते हैं लेकिन शर्त यह है कि आप व्यापक विधेयक लाने का आश्वासन दें। हम विधेयक को समर्थन देने के इच्छुक हैं।

अगला मुद्दा यह है। आप अपनी प्रशंसा स्वयं न करे। सबकी बात सुनने का प्रयास करें। आप ऐसा काश्मीर और उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले करना चाहते हैं। माननीय सदस्यों को गृह सचिव के इस तर्क की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये कि पिछली बार 500 से कुछ अधिक स्थानों के लिये 48,000 उम्मीदवार थे। अतः वह चुनाव को गम्भीरता से न लेने वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकना चाहते हैं। इसलिये जब हम यह विधेयक प्रस्तुत करना चाहते थे तो हमारे सदस्यों ने कहा कि इस बारे में जल्दी क्या है। जल्दी इसलिये है कि काश्मीर में कानून और व्यवस्था की समस्या है।

यदि उम्मीदवार वास्तविक होंगे तो सुरक्षा बलों पर कम दबाव पड़ेगा।

इसलिये हम सहयोग कर रहे हैं। लेकिन हमारे सहयोग को हमारी कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिये। हमारे सहयोग को इस दृष्टि से देखा जाना चाहिये कि हम आपको जीवित रखना चाहते है, लोकतंत्र को जीवित रखना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि अच्छी बातें जारी रहें। इन शब्दों के साथ मै विधेयक का समर्थन कर रहा हूं।

चूंकि मैं जा रहा था इसलिये मैंने सोचा है कि मैं बोलूं। मैंने अपने लोगों को संदेश दिया था कि हम विधेयक का पीछे से समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जो सुझाव आयेगा वह आपके विधेयक को रोकने के आशय से नहीं आयेगे। श्री पी.आर. दासमुंशी : जैसे माननीय सदस्य मौजूद हैं। उन्हें बहुत अधिक अनुभव प्राप्त है। वे जख्मी सिपाही हैं। उनकी बात सुनें।

अन्य दलों के सदस्यों को भी बोलना है। मैं सुझाव दूंगा कि यदि मेरे संशोधन की आवश्यकता हो कृपया इसे शामिल कर लें। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं अपने मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज का पुनः धन्यवाद करता हूं। हम इस प्रकार धीरे-धीरे सहयोग करेंगे।

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़) : सभापति जी, इलेक्टोरल रिफार्म्स के बिल के संबंध में बोलते हुए भी संतोष मोहन देव जी ने सरकार को धमकी तो नहीं दी लेकिन एक वार्निंग जरूर दी है और आज दिन में जो घटनाएं हुई हैं, दो स्थानों पर सत्तारूढ़ को जो उनके सहयोगी दल हैं, उनके कारण जो स्लिपरी स्थिति का सामना करना पड़ा है, मैं समझता हूं कि इसका अहसास उनको होना चाहिये और आने वाले दिनों में देश की राजनीति क्या करप्ट हो सकती है, इसका भी अहसास देश की जनता को होने लगा है।

अभी कुछ दिनों तक प्रेस में चर्चा थी कि यूनाइटेड फ्रंट की सरकार इलैक्टोरल रिफोर्म्स के बारे में कंप्रीहेन्सिव बिल ला रही है, चुनाव सुधार कर रही है। हमें खुशी थी क्योंकि चुनाव सुधार में संबंध में यदि कोई पार्टी एकमत होकर कंसिसटेंसी के साथ निरंतर सुधार की बात करती रही है तो शायद वह भारतीय जनता पार्टी है। दिनेश गोस्वामी कमेटी, जिसमें माननीय लाल कृष्ण अडवाणी भी सदस्य थे, उन्होंने जो योगदान दिया और बाकी सदस्यों ने जो योगदान दिया वह अत्यन्त सराहनीय है। उसके बाद 14 पेज की रैकमंडेशन दिनेश गोस्वामी कमेटी की आई थी। उससे लग रहा था कि यह सरकार जब चुनाव सुधार के सबंध में बिल लाएगी तो जो सारी पार्टीज के कनसेंसस से रैकमंडेशस हैं, उनको सरकार मानेगी, लेकिन इस बिल को देखने लगा कि आवश्यकता से बहुत कम चीजें सरकार लाई हैं। हम बिल का समर्थन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि चुनाव सुधार है। लेकिन यह सुधार बहुत कम है। इससे काम चलने वाला नहीं है। जैसा कहा गया कि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जम्मू-कश्मीर में चुनाव है। इससे पहले सरकार कुछ कदम उठाना चाहती है। हमारी मांग है कि इसमें जिसने भी कदम सरकार उठाएगी, उस दिशा में वह सराहनीय है। मैं दो-तीन बातें आपके ध्यान में लाना चाहता हूं जिनके संबंध में लगभग सभी पार्टियों में सहमति लेकिन फिर भी इनका कोई जिक्र इसमें नहीं है। दिनेश गोस्वामी समिति ने भी बहुत विस्तार से स्टेट फंडिंग ऑफ इलैक्शंस के बारे में चर्चा की है और चार मुद्दे उन्होंने लिखे थे जिनके संबंध में सब पार्टियों में सहमति थी। इस बिल में उस वर्नीज को लाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। क्योंकि हमारा मत है कि चुनावों में देश की राजनीति में जो भ्रष्टाचार आ रहा है, उसमें काला धन एक

बहुत बड़ा कारण है। चुनाव में जो पैसे का प्रयोग बढ़ रहा है, काले धन का दुरुपयोग बढ़ रहा है वह बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहा है। यह बात सही है कि पैसे की जितनी सीमा है, उसमें कोई भी संसद सदस्य चुनाव जीतकर नहीं आता। लेकिन यह भी सत्य है कि अगर आप ईमानदारी से उस लिमिट को मानेंगे, तो आपके मुकाबले में आया हुआ कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए ऐसी परेशानी पैदा कर सकता है जिसके लिए आप दाएं-बांए से रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। आप भले ही सदन में खड़े होकर कहें कि मैं पूरी ईमानदारी जीतकर आया हूं, मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन मैं जानता हूं। मैं भी पेशे से वकील हूं। लोगों की इलैक्शन पैटीशन लड़ता रहा हूं और आगे भी लड़ता रहूंगा। मुझे पता है कैसे उसका रास्ता निकाला जाता है। इस सदन में जब हम बात करें तो अच्छा होगा हम ईमानदारी से बात करें, सही तरीके से बात करें। कुछ ऐसी कमजोरियां हैं जो सबकी होती हैं, किसी एक का उसमें प्रश्न नहीं है। इसलिए हमारी उम्मीद थी कि स्टेट फंडिंग के बारे में भी इसमें आना चाहिये था। परन्तु सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया

दूसरी बात यह है कि पोलिटिकल पार्टीज के अकाउंट की ऑडिटिंग होनी चाहिए और जांच-पड़ताल होनी चाहिए। जो पोलिटिकल पार्टी अपना अकाउंट है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस बिल में इसका कोई जिक्र नहीं है।

सभापति जी, दिनेश गोस्वामी समिति में यह बात कही गई थी कि जो इलैक्टोरल ऑफिसर होगा, संतोष मोहन देव जी ने इशारा किया कि वह फुल टाइम ऑफिसर होगा। आज किसी स्टेट के अधिकारी को आप इलेक्टोरल ऑफिसर बना दें। वह सरकार जहां मुख्य मंत्री लंबे अरसे तक रहने वाला हो, जहां लगता है कि इनकी पार्टी की सरकार दोबारा जीतकर आएगी, वह आई.ए.एस. ऑफिसर उतने इंडीपेंडिट तरीके से काम नहीं कर सकता।

भले ही आप उसको परटीकुलन कुछ दिनों के लिए एटोनोमी दे दें लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता, फुल टाइम होना चाहिए। महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात आई और सब पार्टियों में सहमति है। रूलिंग पार्टी के अंदर सभी 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात हुई है। इस बिल के अंदर उसका कोई जिक्र नहीं है। हालांकि कुछ दिनों पहले रूलिंग पार्टी ने अपनी सरकार ने ऐसी मांग की थी। फोटो आइडेंटिटी कार्ड इंट्रोड्यूस हो गया। सबने इसका स्वागत किया, लेकिन उसके बारे में भी बहुत बार कंसेशंस आते जाते रहे कि इस बार उचित नहीं होगा, अगली बार उचित नहीं होगा। हमारा यह मत है कि फोटो आइडेंटिटी कार्ड जितनी जल्दी से इंट्रोड्यूस करेंगे उतना जल्दी इनपरसोनेशन और बोगस वोटिंग चैक करने सहायता मिलेगी और बूथ केपचरिंग को चैक करने में आइडेंटिटी कार्ड इंटोड्यूस करने से आसानी रहेगी।

सभापति महोदय, दिनेश गोस्वामी समिति ने यह भी रिकमेंड किया था कि केंडीडेट का चुनाव लड़ने की जो उम्र है, राज्य सभा के केस में 35 साल से कम करके 25 साल की जाये और लोक सभा के केश में 25 साल से कम करके 21 साल की जाये। इसके सम्बन्ध में इसके अन्दर कोई जिक्र नहीं है।

सभापति महोदय, इलेक्शन पिटीशन के बारे में जहां चुनाव में डिसप्यूट होते हैं उसके सम्बन्ध में कोई विवाद आज पार्टियों में आपस में नहीं है, सबसे से सहमति है। पांच साल की टर्म होती है और कई जगह इलेक्शन पिटीशन का ट्रायल एक साल, दो साल तीन साल, चार साल, पांच साल से भी उसके केस का निपटारा नहीं होता है।

[अनुवाद]

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 116, के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय में अपील करने का आपको अधिकार है। एक बार जब आप उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करते हैं तो उसे स्वतः ही स्वीकार कर लिया जाता है और सशर्त स्थगन दे दिया जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि "आपको अपनी उपस्थिति लगाने का अधिकार है लेकिन आप सभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते। आप यात्रा भत्ता दैनिक भत्ता ले सकते हैं लेकिन आप मतदान में भाग नहीं ले सकते आदि।" यह सामान्य आदेश है। कोई भी न्यायालय इस पर हस्ताक्षर कर यह आदेश आपको दे सकता है। जब तक इस मामले में निर्णय होता है पांच वर्ष की अवधि समाप्त हो चुकी होती है। मुझे ऐसी अनेक चुनाव याचिकाओं की जानकारी है जिनके बारे में अभी तक प्रारम्भिक आधार भी निर्णय नहीं लिया गया है। अतः दिनेश गोस्वामी समिति की रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया था कि चुनाव याचिकाओं की सुनवाई के लिये तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी चाहिये और उन्हें यह निर्देश दिये जाने चाहिये कि इन याचिकाओं को छः महीने अथवा नौ महीने अथवा एक वर्ष में निपटा दें वर्तमान अधिनियम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

सभी संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य और सभी राजनीतिक पार्टियां दल-बदल विरोधी कानून के बारे में चिन्तित हैं। इसमें एक बहुत सुस्पष्ट खंड है और उस पर भी दिनेश गोस्वामी समिति ने विचार किया था। एक खंड में कहा गया है कि यदि दल में विभाजन होता है और विभाजन को एक तिहाई सदस्यों का समर्थन प्राप्त होता है, तो आप अयोग्यता से बच जाते हैं। आपका शब्द 'विभाजन' से क्या अभिप्राय है। क्या इसका अभिप्राय मूल राजनीतिक पार्टी से है-जिस पार्टी ने आपको टिकट दिया है और उस पार्टी से आप विजयी हुए हैं-अथवा इसका अभिप्राय विधायक दल में विभाजन से है। आज यह हो रहा है कि यदि किसी पार्टी के 15 सदस्यों में से 5 सदस्य जो लोकसभा अथवा विधान सभा के लिये निर्वाचित हुए हैं किसी विशेष समूह में शामिल होने का निर्णय लेते हैं और विभाजित ग्रुप का गठन करते हैं, और मूल पार्टी में विभाजन किए बगैर एक एक अलग समूह गठन कर लेते हैं और अन्य ग्रुप को समर्थन देते हैं। लेकिन इससे यह आशय नहीं है। जब तक पार्टी शीर्ष अथवा निम्नस्तर पर विभाजन न हो जब तक मूल पार्टी जिससे आप चुनकर आये हैं, उसमें शीर्ष अथवा निम्नस्तर पर विभाजन नहीं होता, आप नहीं कह सकते कि पार्टी में विभाजन हुआ है। यहां तक कि एक तिहाई संसद सदस्य अथवा विधान सभा सदस्य एक पार्टी से अलग होकर दूसरी राजनीति पार्टी में शामिल भी क्यों न हो जायें। इस खंड के संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अनेक राज्यों में दलबदल अधिनियम के

अन्तर्गत उचित नियम नहीं बनाये गये हैं। यद्यपि यह बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन कानून बनाने के लिये कोई प्रयास नहीं किये गये हैं।

अब मैं मतदान और मतगणना की बात करूंगा। श्री संतोष मोहन देव ने ठीक ही कहा कि इसमें कुछ त्रुटियां हैं। वर्तमान कानून के यदि आपकी जमानत की राशि भी जब्त हो जाती है तो भी आप विधान-मंडल के लिये चुने जा सकते हैं क्योंकि जमानत जमा राशि जब्त होने के लिये कुल मतदान से एक छियाही से कम मत प्राप्त करने होते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के लिये कोई सीमा नहीं है। माननीय सदस्य कुछ अन्य राज्यों का उल्लेख कर रहे थे। मेरे अपने राज्य पंजाब में पिछले विधान सभा चुनाव में एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र में एक विधान सभा सदस्य 419 मत प्राप्त करने पर भी चुन लिया गया था और वह व्यक्ति सरकार में मंत्री भी हो गया था। वह व्यक्ति पंचायत में पंच भी चुना नहीं जा सकता। अकाली दल ने चुनावों का बहिष्कार किया था और इसके कारण विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग वोट डालने नहीं आये। शहरी क्षेत्रों में मतदान अच्छा रहा। अतः स्वर्गीय श्री बेअन्त सिंह की सरकार में केवल 10 प्रतिशत मतदान हुआ और उसने 87 अथवा 89 स्थान जीते। आप यह बात भूल जाइये की जीतने वाला 'क' था अथवा 'ख'। इस समय यह विचार का विषय नहीं है। वर्तमान कानून में इसके लिये कोई रोक नहीं है। हमें इस समस्या का समाधान करना चाहिये। यदि पुनः मतदान भी होता है तो जब तक किसी उम्मीदवार को कुल मतदान के 50 प्रतिशत से अधिक मत नहीं मिलते, उसे निर्वाचित घोषित नहीं किया जाना चाहिये। इस खंड की अवश्य जांच की जानी चाहिये। यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी उम्मीदवार उक्त अवस्था को पार नहीं करता है, तो आप पुर्नमतदान की घोषणा कर सकते है। दो सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के बीच पुनः मतदान होना चाहिये। लोगों को इन दोनों में से एक को चुनना चाहिये। मेरे विचार से इस खंड की जांच की जानी चाहिये।

श्री बी.के. गढवी : हम यह संशोधन क्यों न करें कि केवल पंजीकृत पार्टी ही चुनाव करवाए?

श्री सत्यपाल जैन : आप यह संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं :

विधेयक में अनेक खंड हैं और मैं कुछ खंडों के बारे में अपने दल के रुख के बारे में स्पष्ट करूंगा। मैं विधेयक के पृष्ठ 3, खंड 6 का उल्लेख करूंगा।

> "परन्तु कोई अभ्यर्थी, जो किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा नहीं किया गया है किसी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिये सम्यक रूप से नामनिर्देशित किया गया नहीं समझा जायेगा, जब तक कि नाम निर्देशन पत्र दस ऐसे प्रस्थापकों द्वारा जो निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हो, हस्ताक्षर न किये गये हो।"

मैं इस खंड में व्याप्त एक त्रुटि की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। नामांकन पत्र में प्रस्तावक के पिता का नाम भरने का कोई खंड नहीं है। प्रस्तावक के पिता का नाम भरने की व्यवस्था नहीं है। मान लीजिये आप श्री रामलाल से नाम प्रस्तावित करवाते हैं। राजनीति में ऐसी बातें होती हैं। कुछ दिन बाद वह यह कह सकता है कि उसने आपके नाम का प्रस्ताव नहीं किया बल्कि किसी अन्य रामलाल ने आपके विशेष नाम का प्रस्ताव किया है। मेरे सामने ऐसी चुनाव याचिका आई थी। अतः मेरा सुझाव है कि नामांकन पत्र में किसी उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति के पिता का नाम अवश्य अंकित होना चाहिये ताकि प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति की उचित रूप से पहचान की जा सके।

श्री बी.के. गढ़वी: ऐसा मतदाता सूची में है।

श्री सत्यपाल जैन : यह मतदाता सूची में है, लेकिन मैं नामांकन पत्र को बात कर रहा हूं।

श्री अनिल बसु (आराम बाग) : चुनाव फार्म में आपको भाग संख्या और आपको उस भाग और क्रमांक संख्या के प्रस्तावक का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होता है।

श्री सत्यपाल जैन : लेकिन इसमें प्रस्तावक के पिता का नाम नहीं है। अतः यदि एक गांव में एक ही नाम के दो व्यक्ति हों तो कुछ भ्रम उत्पन्न हो सकता है। इसलिये धारा 38 में उल्लेख किया गया है कि हमें तथ्यों की जांच करनी चाहिये। हमें स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये। हमें यह जानना चाहिये कि प्रस्तावक कौन है। सभी नामांकन पत्रों में, चाहे वे पंचायत के लिए हो अथवा नगर निगम के लिए हो, प्रस्तावक के पिता के नाम का उनमें उल्लेख किया जाता है। मेरे विचार से यहां भी ऐसा ही किया जाना चाहिये।

इस समय संख्या के सम्बन्ध में निर्धारित नहीं है और एक उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव दस व्यक्ति कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, यदि एक मतदाता एक ही निर्वाचन क्षेत्र से 10 व्यक्तियों के नाम का प्रस्ताव करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है। इस बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। वर्तमान कानून के अन्तर्गत एक स्थान के लिये एक मतदाता पांच अथवा दस व्यक्तियों के नाम का प्रस्ताव कर सकता है।

श्री बी.के. गढ़वी : एक सदस्य केवल एक व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव कर सकता है, अन्यथा नाम का पंजीकरण नहीं होगा।

श्री सत्यपाल जैन : आप जांच कर सकते हैं। ग्राम पंचायत अथवा नगर निगम के चुनावों में ऐसी व्यवस्था है लेकिन राज्य सभा अथवा लोक सभा के लिये ऐसा उपबन्ध नहीं है। आशय यह है कि एक व्यक्ति को दस व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त हो। यदि दस व्यक्ति हैं, तो वे पांच, दस अथवा बारह उम्मीदवारों के नाम का प्रस्ताव कर सकते हैं। अतः आप कृपया इस खंड में संशोधन करें और यह स्पष्ट करें कोई भी व्यक्ति चुने जाने वाले व्यक्तियों की संख्या से अधिक नामों का प्रस्ताव नहीं कर सकता यदि केवल एक स्थान है, तो आप केवल एक व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव कर सकते हैं। इन बातों में संशोधन होना चाहिये।

जहां तक खंड 7 का सम्बन्ध है, इस समय यह व्यवस्था है कि एक ही सदन के लिये एक व्यक्ति एक साल दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। हमारी पार्टी का यह मत है कि ऐसी व्यवस्था

नहीं होनी चाहिये। किसी भी व्यक्ति को एक सदन के लिये एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दो जानी चाहिये। वर्तमान सदन में तीन राष्ट्रीय नेता सर्वश्री वाजपेयी, बीजू पटनायक, और नरसिम्हा राव ऐसे व्यक्ति है जो दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गये हैं। अब उन्होंने तीनों स्थान खाली कर दिये हैं। अब सारी प्रक्रिया फिर से आरम्भ करनी पड़ेगी। फिर से खर्च करना पड़ेगा। आपको चुनावों पर लाखों रुपये खर्च करने पड़ेंगे। भारी राशि और ऊर्जा व्यर्थ गई। अतः हमें यह निर्णय लेना चाहिये कि किसी भी व्यक्ति को एक सदन के लिये एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमत्ति नहीं दी जायेगी। इस बारे में प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये।

श्री अनिल बसु : आप किसका विरोध कर रहे हैं?

श्री सत्यपाल जैन : मैंने कहा है कि तीन नेता दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों चुने गये हैं। हमारे दल का मत है कि इस व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिये। कानून के अन्तर्गत इस पर रोक लगाई जानी चाहिये। किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

खंड 8, मतपत्र में उम्मीदवार के नाम के बारे में है। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी मतपत्र में उम्मीदवारों के नामों का चार श्रेणियों में वर्गीकरण अर्थात् राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों के उम्मीदवार, राज्य स्तर के राजनीतिक दलों के उम्मीदवार, पंजीकृत राजनीतिक दलों के उम्मीदवार और निर्दलीय उम्मीदवार। लेकिन विधेयक में केवल दो श्रेणियों के बारे में ही उल्लेख किया गया है-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल और पंजीकृत राजनीतिक दल और इन श्रेणियों में राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के दलों को शामिल किया गया है। इस बारे में स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिये। राष्ट्रीय स्तर के मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के नामों को सर्वप्रथम दिया जाना चाहिये और फिर राज्य स्तर के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के नामों को दिया जाना चाहिये और उसके बाद पंजीकृत राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के नाम होने चाहिये। यदि उन्हें वर्णक्रमानुसार छापा जाता है, तब भी राज्य स्तर के राजनीतिक दलों के नाम सबसे ऊपर दिए जाने चाहिये। इसका उद्देश्य यह है कि मतदाताओं का इस बात का पता चल सके कि कौन से उम्मीदवार राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों के हैं और कौन से उम्मीदवार राज्य स्तर के दलों के हैं इत्यादि। इन सब बातों को खंड 8 में और स्पष्ट किया जाना चाहिये। विधेयक के पृष्ठ 5 पर खंड 9 में उम्मीदवार की मृत्यु होने पर चुनाव स्थगित किये जाने के बारे में उल्लेख किया गया है। लेकिन इस बारे में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यह स्पष्ट की जानी चाहिये। यदि किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है, तो राजनीतिक दल को उसके स्थान पर दूसरे उम्मीदवार के नाम का सुझाव देने के लिये सात दिन का समय दिया जाना चाहिये। पुनः चुनाव करवाने के लिये एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।

जहां तक विधेयक के पृष्ठ 8 पर खंड 17 का सम्बन्ध है, यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर पुनः चुनाव नहीं हो सकते, तो चुनाव आयोग को केन्द्रीय सरकार की सलाह से इसे प्रमाणित करना चाहिये। चुनाव स्थान रिक्त होने के तीन महीने के भीतर होना चाहिये, यदि उस अवधि के भीतर चुनाव नहीं हो सके, तो चुनाव आयोग द्वारा चुनाव स्थगित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में विवाद को टालने के लिये यह उचित होगा कि इस खंड में यह जोड़कर संशोधन कर दिया जाये कि यदि चुनाव आयोग यह अनुभव करता है कि चुनाव करवाना सम्भव नहीं है, तो आयोग को इस बात के लिये कारण बताना चाहिये। यह चुनाव आयोग का मनमाना निर्णय नहीं होना चाहिये। केवल एक लाइन का यह आदेश नहीं आना चाहिये कि क्योंकि चुनाव आयोग चुनाव करवाने में असमर्थ है, इसलिये चुनाव नहीं कराया जा सकता।

अन्य सुझाव मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9 ख में संशोधन के सम्बन्ध में देना चाहता हूं। सदस्यों की जानकारी के लिये मैं इस बारे में एक रोचक तथ्य का उल्लेख करूंगा। दो चुनाव याचिकाओं के आधार पर उच्च न्यायालय ने मतों की पुनः गणना की। पुनः गणना के बाद यह पता लगा कि जो उम्मीदवार जीता था उसे हारने वाले उम्मीदवार की तुलना में अधिक मत प्राप्त हुए थे। लेकिन चूंकि जीतने वाले उम्मीदवार ने धारा 9 ख के अन्तर्गत प्रत्यभियोग याचिका दायर नहीं की थी, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ने कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को राज्य विधान सभा के लिये विजयी घोषित कर दिया। जस्टिस सुधांशु मुखर्जी ने इस निर्णय से अपनी असहमति प्रकट की है और कहा है

"कि हम कानून को मजाक बना रहे हैं"

अपराह्न 5.00 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मैंने स्वयं देखा है कि एक ऐसे उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया गया जिसे कम मत प्राप्त हुए थे क्योंकि ऐसा तकनीकी त्रुटि के आधार पर किया गया क्योंकि विजयी उम्मीदवार ने प्रत्याभियोग याचिका, जो विरोधी याचिका होती है, दायर नहीं की थी। इस विशेष मामले में चुनाव में जिस उम्मीदवार को अधिक मत प्राप्त हुए थे उसका चुनाव अवैध घोषित कर दिया गया ओर जिस उम्मीदवार को कम मत प्राप्त हुए थे उसे विजयी घोषित कर दिया गया उच्च न्यायालय द्वारा इस बारे में 1994 में निर्णय दिया गया था। बाद में हरियाणा में भागमल मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय की पुष्टि कर दी। मुझे बताया गया है कि यह मामला अब बड़ी पीठ को स्थानान्तरित कर दिया गया है। फिर भी, कानून में संशोधन करने की आवश्यकता है। मेरा यह अनुरोध है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की इस विशेष धारा में संशोधन करना चाहिये और इसमें यह व्यवस्था होनी चाहिये कि दोबारा मतगणना होने पर भी, जब तक किसी उम्मीदवार को कुल पड़े वैध मतों में अधिक मत प्राप्त हैं, तो इस बात पर ध्यान दिये बिना कि उसने प्रत्याभियोग दायर किया है अथवा नहीं उसे विजयी घोषित नहीं किया जाना चाहिये। मैं माननीय सदस्यों और माननीय विधि मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे उक्त निर्णय को देखें। उपाध्यक्ष महोदय को शायद याद होगा क्योंकि यह बात उनके

निर्वाचन क्षेत्र में हुई थी और उच्चतम न्यायालय ने निर्णय की पुष्टि की थी और यह भी कहा था कि अधिनियम में खामियां हैं अतः इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया जा सकता।

ये कुछ सुझाव मैंने अपने दल की ओर से दिये हैं। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि कृपया इस मामले में राजनीति में न पड़े। जब तक चुनाव प्रणाली से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो जाता कोई भी सुधार सफल नहीं होगा और इसका कोई भी अच्छा परिणाम निकलने की सम्भावना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव सुधार के प्रति कृतसंकल्प है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं। कि वह चुनाव सुधारों की ओर ध्यान दे। जहां तक चुनाव सुधारों का सम्बन्ध है, हम यथा सम्भव विधेयक का समर्थन करेंगे और हम यह चाहेंगे कि विधेयक पारित किया जाये। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री बीजू पटनायक (कटक) : मैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। मैं ये चुनाव पिछले 45 वर्षों से देख रहा हूं। मुझे चुनाव रद्द किये जाने के बाद में चिन्ता है। मेरा विचार है कि माननीय विधि मंत्री इस बारे में भविष्य में ध्यान देंगे।

सर्वप्रथम, क्या हम प्रत्येक मतदाता के लिये मत डालना अथवा प्रत्येक मत का उपयोग इस दण्डात्मक खण्ड के साथ अनिवार्य कर सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मतदाता होने पर मत नहीं देता है, तो उसे जुर्माने की भारी राशि अदा करनी पड़ेगी। तब आप इसमें यह जोड़ सकते हैं कि चुनाव में विजयी होने के लिये आपको 50 प्रतिशत मत प्राप्त करना आवश्यक है। चाहे पुरुष मतदाता हो अथवा महिला मतदाता प्रत्येक के लिये मतदान करना अनिवार्य होना चाहिये।

दूसरे, किसी व्यक्ति को चुने जाने के लिये उसे 50 प्रतिशत मत प्राप्त करना आवश्यक होना चाहिये।

तीसरे, जब इस बात की चर्चा हो रही है कि सरकार चुनाव का खर्च वहन करे, जिस की मांग भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य दल भी कर रहे हैं, तो यह नितांत अनिवार्य है कि धन की शक्ति पर पूर्ण रोक लगायी जाये। मुझे पता है कि मेरे मित्रों ने चुनाव में जीतने के लिये कितनी अधिक धनराशि खर्च की है। कुछ ने तो धनराशि का अत्यधिक उपयोग किया है। उन्होंने इस सदन के लिये चुने जाने के लिये करोड़ों रुपये खर्च किये हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है। इस पर कोई रोक नहीं है। अतः सरकार द्वारा चुनाव का खर्च वहन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है, चाहे यह राशि 1000 करोड़ रुपये हो अथवा 2000 करोड़ रुपये हो, अथवा जो भी हो।

काश्मीर तक लाइन बिछाने के लिये हमने 200 करोड़ अथवा 500 करोड़ रुपये खर्च किये हैं।

मैं इसका कोई कारण नहीं देखता कि मतदाताओं की सुरक्षा, इस निर्वाचित सदन अथवा विधानमंडलों की सुरक्षा और अखंडता के लिये सरकार द्वारा चुनाव खर्च वहन क्यों न किया जाये। यह देश की अखंडता के लिये नितान्त आवश्यक है। सरकार द्वारा खर्च वहन किये बिना ऐसा नहीं हो सकता। धन की थैलियों के साथ लेन-देन की एक कड़ी जुड़ जाती है। प्रत्येक दल धनराशि ले सकता है और कह सकता है कि हमने धनराशि लेनी है। अनेक व्यक्ति इसका लाभ उठाते हैं। चाहे यह उड़ीसा का ठेकेदार हो अथवा राजनीतिज्ञ हो, जो भी हो धन बांटता, वह लाभ उठाता है। अतः यदि वह एक रुपया देता है तो वह सरकार से दो रुपये का लाभ उठाता है, चाहे जो भी शक्ति क्यों न हो।

मैंने जब श्री जेना से सरकार द्वारा चुनाव खर्च वहन किये जाने की स्थिति के बारे में पूछा था तो उन्होंने कहा था कि इस मामले पर दूसरे चरण में विचार किया जा सकता है। मैंने कहा था कि माननीय विधि मंत्री जो विधेयक लाये हैं। उस पर विचार करना समय नष्ट करना होगा। यह मजाक है। इसमें मुख्य बातों का उल्लेख नहीं किया गया है। क्या मतदाता को मतदान करने के लिये बाध्य किया जा सकता है एक व्यक्ति को विजयी होने के लिये 50 प्रतिशत मत अवश्य प्राप्त होने चाहिये-चाहे उसे विधान सभा के लिये अथवा संसद के लिये विजयी होना हो। क्या आप चुनाव खर्च को सरकार द्वारा वहन किये जाने अथवा अन्य ऐसे तरीके ढूंढ सकते हैं जिससे चुनाव प्रक्रिया में धनराशि के प्रवेश को रोका जा सके। यदि ऐसा नही हो सकता तो चुनाव प्रक्रिया में विद्यमान गंभीर खामियों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता।

मैं यह अनुरोध करूंगा कि सभा को विस्तार में जाने और विभिन्न प्रकार की कानूनी पहलुओं पर विचार करने की अपेक्षा अपना दिमाग दो अथवा तीन ऐसे मुद्दों पर विचार करने पर लगाना चहिये जिससे हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा की जा सके।

श्री सुधीर गिरि (कन्टाई) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने पर गर्व है, यद्यपि देश में अशिक्षा और पिछड़ापन विद्यमान है। अन्य बुराईयां भी मौजूद हैं। चुनाव के दौरान धनराशि और बाहुबल की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। राजनीति का तेजी से अपराधीकरण, मतदान केन्द्रों पर कब्जा, हेराफेरी, हिंसा, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग, चुनाव के प्रति जो उम्मीदवार गम्भीर नहीं हैं उनका चुनावों में भाग लेना, जैसी अनेक बुराइयां हमारे समाज में चुनावी समस्याओं का मूल कारण हैं। उस उद्देश्य से अनेक सुधारात्मक उपायों का प्रस्ताव और कुछ अपनाये भी हैं। लेकिन हमारे समाज को इस समस्या की विकरालता को दूर करने में सफलता नहीं मिल सकी है तथापि कुछ सीमा तक चुनाव सुधार किये जाने के विभिन्न प्रयास किये गये हैं। मुख्य प्रयास न्यायमूर्ति तारकुंडे समिति की सिफारिशें थीं। विभिन्न गोष्ठियों और ग्रुपों आदि द्वारा की गई सिफारिशें चुनाव जागृत करने में सहायक हुई है।

अन्त में श्री दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी नई दिल्ली में 1988 में एक बैठक का आयोजन किया था। दिनेश गोस्वामी समिति का गठन केन्द्र सरकार ने किया था। चर्चा के आधार पर, गोस्वामी समिति ने मुख्य सिफारिशें की हैं। मुख्य सिफारिशें यह हैं कि एक व्यक्ति को दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ना चाहिये। राजनीतिक दलों और स्वतन्त्र उम्मीदवारों का पंजीकरण तथा उन्हें

मान्यता प्राप्त हो। जो उम्मीदवार चुनाव लड़ने के बारे में गम्भीर नहीं हैं। उनके बारे में नियम भी तैयार किये जाने चाहिये।

महोदय, उन्होंने आदर्श आचार संहिता का भी सुझाव दिया था। इन सब के बावजूद राजनीतिक दल और स्वतन्त्र उम्मीदवार चुनावों में भारी व्यय करते हैं। और यदि यह व्यय सार्वजनिक रूप से न किया जाये तो यह किसी भी व्यक्ति, यहां तक कि प्रेक्षकों के लिये भी यह पता लगाना कठिन है कि कितनी ऐसी असमान्य राशि खर्च की गई और किस प्रकार खर्च की गई।

अतः विभिन्न राज्यों में इन समितियों की सिफारिशों में मैं यह कहना चाहूंगा कि वर्तमान विधेयक में उनमें से कुछ उपबन्धों को शामिल किया गया है। इस बात की व्यवस्था की गई है कि प्रेक्षकों की नियुक्ति की जाये और वे निष्पक्ष हो। लेकिन वर्गों के आधार पर विभाजित समाज में इस प्रकार के प्रेक्षकों से पूर्णतया निष्पक्षता किसी एक पक्ष का पक्ष लेंगे और इन परिस्थितियों में प्रेक्षकों पर भी उचित निगरानी रखनी आवश्यक है।

प्रचार की अवधि 20 दिन से घटाकर 14 दिन कर दी गई है। यह सच है लोगों को राजनीतिक शिक्षा राजनीतिक प्रचार के माध्यम से प्राप्त होती है। यदि चुनाव प्रचार की अवधि को कम किया जाता है, तो मेरे विचार से वर्तमान समाज में विद्यमान राजनीतिक स्थिति के बारे में पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकेगी।

महोदय, जमानत राशि में वृद्धि की गई है। एक सामान्य उम्मीदवार के लिये इसे बढ़ाकर 5000 रु. और अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिये बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है ताकि चुनाव को गम्भीरता से भाग न लेने वाले व्यक्ति चुनाव में खड़े न हो। हमारे समाज के कुछ लोगों के लिये यह सीमा कुछ भी नहीं है। वे अपनी इच्छानुसार किसी भी सीमा तक खर्च कर सकते हैं और इसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। यदि वे लोगों और पेक्षकों की जानकारी में लाये बिना खर्च करते हैं तो हम उसका पता कैसे लगा सकते हैं? हम उन्हें अथवा उनकी गतिविधियों को कैसे रोक सकते हैं? लेकिन विधेयक में इस बारे में कोई उपबन्ध नहीं है। इसके पृष्ठ 5 खंड 52 में संशोधन किया गया है और मैं उद्धृत करता हूं :

"यदि किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी की—

(क) नामनिर्देशन करने की अंतिम तारीख को 11 बजे पूर्वाह्न के पश्चात् किसी समय मृत्यु हो जाती है और उसका नाम निर्देशन धारा 36 के अधीन संवीक्षा पर विधि मान्य ठहराया जाता है; या

(ख) जिसका नाम निर्देशन धारा 36 के अधीन संवीक्षा पर विधिमान्य पाया गया है और जिसने धारा 37 के अधीन अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली है, मृत्यु हो जाती है, और दोनों में से प्रत्येक दशा में, उसकी मृत्यु की रिपोर्ट धारा 38 के अधीन निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के प्रकाशन के पूर्व किसी समय प्राप्त हो जाती है..."

यहां बताना होगा कि किसी उम्मीदवार की मृत्यु की सूचना के बाद, नई प्रक्रिया आरम्भ होगी लेकिन जिस उम्मीदवार ने नाम वापिस ले लिया होगा वह चुनाव में भाग लेने योग्य नहीं होगा।

मैं इस बारे में एक उदाहरण देना चाहूंगा। 'क' एक राजनीतिक दल का उम्मीदवार है और 'ख' भी एक राजनीतिक दल का उम्मीदवार है। 'ख' ने अपना नामांकन पत्र भर दिया है, क्योंकि यदि कोई दुर्घटना हो जाती है, यदि 'क' उम्मीदवार के नामांकन पत्र रद्द कर दिये जाते हैं तो 'ख' उम्मीदवार रह जाता है। मान लीजिये सूची को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व 'ख' नाम वापिस ले लेता है और नई प्रक्रिया आरम्भ हो जाता है तो 'ख' को उम्मीदवार क्यों नहीं रहना चाहिये? इस मामले पर विचार करें इस मामले का अध्ययन करें और यदि आवश्यक हो, तो इस सम्बन्ध में उचित संशोधन लाये जाने चाहिये।

तथापि सब दलों की इस सम्बन्ध में एक राय होने के आधार पर में विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : उपाध्यक्ष जी, इस विधेयक की आवश्यकता के बारे में दो राय नहीं हैं। लेकिन उम्मीद थी कि विधेयक पर तेजी से काम शुरू होगा और संयुक्त मोर्चा की सरकार एक व्यापक विधेयक लाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि इस विधेयक में कुछ जल्दबाजी हुई है। भले ही पांच-छः दिन पहले सभी राजनैतिक दलों के नेताओं की इस पर डेढ़ घंटा बातचीत हुई और एक आम सहमति बनी, लेकिन इस आम सहमति के बावजूद इसमें कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिनमें संशोधन की आवश्यकता मैं महसूस करता हूं। इसलिए मैं व्यापक चुनाव सुधार कानूनों में क्या सुधार होने चाहिए, इस पर नहीं जाऊंगा। मंत्री जी ने कहा है कि शीघ्र ही सभी राजनैतिक दलों की फिर बैठक होगी और एक व्यापक विधेयक सदन के सामने आएगा। हमने इसमें संशोधन दिए हैं। मेरी सोच है कि इसमें और सुधार होना चाहिए और वह मैंने अपने संशोधनों में बताया है।

सबसे पहले 1950 के कानून में जहां 500 रुपये के जुर्माने का प्रावधान था और तीन साल की सजा का भी प्रावधान था, जो कि दो साल की भी हो सकती है, उसके साथ ही जुर्माना भी होगा, यह जो संशोधन है, इसमें तीन महीने को हटाकर दो साल किया है। एक महीने या दो महीने की जेल लिख दी जाती है, इसका कोई असर नहीं होता। हममें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो काफी समय तक जेलों में रहे हैं। ऐसी जेलों में नहीं जहां आराम से बैठे हों, बल्कि हमने जो मजदूर आंदोलन चलाया था और जेल गए थे, तो वहां गड्ढे खोदने का भी काम किया था। सख्त मजदूरी जिसको रिग्रेस इम्प्रेजनमेंट कहा जाता है, सहन की है।...**(व्यवधान)** कुछ लोगों की अभी भी इच्छा है कि हमें जेल में भेज देना चाहिये। बड़ौदा डायनामाइट केस को फिर से खोलना चाहिए और जेल भेजना चाहिये, ऐसी मांग आ रही है। लेकिन इसकी कोई बहस नहीं है। हम जेल की बात कर रहे हैं।

तो जेल को जानते हुए और जेल में पांच साल बिताए हुए व्यक्ति के तौर पर मैं यह प्रस्ताव कर रहा हूं कि यह महीने दो महीने के लिए जेल नहीं होती है। सजा अगर होनी है तो वह सख्त सजा होनी चाहिए और इसीजिए हमने संशोधन की बात की है। क्लॉज 3 में एक नया सब-क्लॉज डालने की बात आई है। इसमें कहा गया है;

[अनुवाद]

"राष्ट्रीय-गौरव अपमान-निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 2 (भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या भारत के संविधान का अपमान करने का अपराध) या धारा 3 (राष्ट्रगान के गायन को रोकने का अपराध"

[हिन्दी]

मैंने प्रस्ताव किया है कि इसको हटाया जाए। यह मामला अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट में आया था। राष्ट्रीय ध्वज अर्थात् राष्ट्रीय सिम्बल्स के प्रति अनादर व्यक्त करने संबंधी मामला तीन साल पहले सुप्रीम कोर्ट में आया था, उसमें यह था कि अगर कोई झंडा जला देता है तो उसको गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। अब उसके पीछे जो तर्क था, उसके पीछे मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, नीचे की अदालत का फैसला नहीं है। इसे यहां पर रखने में कोई दिक्कत है, मुझे नही लगता लेकिन फिर भी हमें जरा सोचना चाहिए, क्योंकि आज स्वयं सरकार में ही ऐसे मंत्री भी हैं जिन्होंने संविधान को ही जलाने की बात कही थी लेकिन उससे देश का कुछ नहीं बिगड़ा और यह केवल गुस्सा व्यक्त करने की बात है, और ऐसे लोग यहां पर कानून बनाएंगे और ऐसे लोग भी इस कानून को बनाने में मदद करेंगे जिनको चुनाव में कानूनी तौर से कोई मतलब ही नहीं है। हम यह नहीं कहते कि राजनैतिक मकसद से उन्होंने ऐसा काम किया है। भले ही उन्होंने गुस्से में किया हो तो उस व्यक्ति को 6 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ने देंगे। कानून बनाने वालों में ऐसे लोग भी रहे हैं कि जो स्वयं जिस ईमानदारी से चुनाव होना चाहिए, उससे न चलते हुए यहां पर बैठकर ऐसे लोग कानून बनाएंगे तो मुझे यह बात नैतिक और कानूनी ढंग से नहीं जचती। यह जो आब्जर्वर का मामला है, 20 "बी" में एक नयी क्लॉज जोड़ रहे हैं, उसमें मुझे आपत्ति है।

[अनुवाद]

"उपधारा (1) के अधीन नामनिर्देशित प्रेक्षक को निर्वाचन-क्षेत्र के या ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों में से किसी के जिसके लिए उसे नामनिर्देशित किया गया है, रिटर्निंग आफिसर को, यह निदेश देने की शक्ति होगी कि वह परिणाम की घोषणा के पूर्व किसी भी समय मतों की गणना रोक दे या परिणाम को घोषित न करे यदि प्रेक्षक की राय में बहुत से मतदान केन्द्रों में या मतदान के लिए नियत स्थानों में या मतों की गणना के लिए नियत स्थानों में बूथों का बलात ग्रहण किया गया है या किसी मतदान केन्द्र में या मतदान के लिए नियत किसी स्थान में प्रयुक्त मतपत्र रिट आफिसर को अभिरक्षा से विधिविरुद्धत बाहर ले जाए गए हैं या दुर्घटनावश या साशय नष्ट कर दिए गए हैं या गुम कर दिए गए हैं या उन्हें उस सीमा. .."

आगे का जो हिस्सा है मैं उसको हटाने के लिये कह रहा हूं।

"तक नुकसान पहुंचाया गया है या बिगाड़ दिया गया है कि उस मतदान केन्द्र या स्थान पर मतदान का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।"

इसका अर्थ यह है कि यदि रिजल्ट के ऊपर उसका असर नहीं पड़ता है तो बूथ लूटना ठीक है।

केवल जब इससे परिणाम पर प्रभाव पड़ता हो।

सिद्धांत रूप से लूट स्वीकार्य है। मतपत्र लेकर भागना सिद्धान्त रूप में स्वीकार्य है। लेकिन इस सीमा तक नहीं करें कि इससे उस उम्मीदवार के परिणाम पर प्रभाव पड़े जिसके विरुद्ध यह बातें की गई हैं।

इस तरह से जिस बात को आपने रखा है, वह मुझे नहीं जंचती क्योंकि कुकर्म को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन इतना कुकर्म मत करो कि किसी के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो जाए। इसलिए मुझे यह बात नहीं जचती। इसमें जल्दबाजी की बात नजर आ रही है। हम लोग इस बात को नहीं चाहेंगे कि एक महीने में रखें और एक व्यक्ति का खून करना ठीक है, लेकिन चार-पांच लोगों के साथ मत करो। इसलिए इस क्लाज के बारे में आपको फिर से सोचना होगा और मंजूर करने से पहले इसमें सुधार करना होगा।

जहां तक प्रचार का सवाल है, इसका समय आपने 20 दिन से 14 दिन करने की बात कही है, लेकिन इसमें भी एक बहुत अन्तर-विरोध है। मुझे लगता है कि इस पर भी कुछ सरकार द्वारा सोच नहीं हुआ है। आप इलैक्शन को स्टैगर कर रहे हैं। आपका इलैक्शन दो महीने तक चलता है। एक दिन नोटिफिकेशन होता है और एक दिन नोमिनेशन होता है, लेकिन चुनाव अगले महीने की 15 तारीख तक चलता है। पिछले दो-तीन आम चुनाव इसी प्रकार चले हैं, चाहे वह विधान सभा के चुनाव हों या लोक सभा के चुनाव हों। इसलिए जो चौदह दिन की बात लिखी गई है, वह किसके लिए लिखी गई है? इससे ऐसा लगता है कि जिसकी तकदीर से सबसे आपने स्टैगर किया है, चूंकि आपके पास सुरक्षा बल नहीं है या कोई और परेशानी है या किसी क्षेत्र में तनाव हो, तो आपको वहां विशेष ख्याल रखना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उन सभी लोगों के लिए 14 दिन की बात लागू नहीं होती है और मुझे लगता है कि इसमें भी जल्दबाजी हुई है। चूंकि यह सबके लिए लागू होने वाली क्लाज नहीं है, इसलिए इसमें भी सुधार कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि इस बारे में मंत्री जी सोचें, लेकिन हम यह जरूर चाहेंगे, पसन्द करेंगे कि 14 दिन के प्रचार के बाद ही मत देने का मौका मिले। इस विधेयक को पढ़ने से 14 दिन वाली बात बैठती नहीं है।

श्री बीजू पटनायक (कटक) : दस दिन कर दो।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जितना भी हो।

श्री मनोरंजन भक्त : इस बारे में आपका क्या सुझाव है?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हम तो कहने की स्थिति में नहीं हैं। अगर स्टैगर किए बगैर आप चुनाव नहीं करा सकते हैं और सरकार का यही निष्कर्ष है, तो इसमें कुछ कहने का मतलब नहीं हैं। 14 दिन के लिखने का कोई मतलब नहीं है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : मैक्सिमम 21 दिन लिखा जा सकता है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मिनिमम 14 दिन और मैक्सिमम 21 दिन ...**(व्यवधान)** अगर ऐसा है तो आपको नई क्लास बनानी पड़ेगी, तब हो सकता है कि उसका कुछ अर्थ हो। लेकिन आज की परिस्थिति में उसका कोई मतलब नहीं है। यही मुझे आपसे नम्रता से निवेदन करना है।

इस विधेयक में प्रपोजर और पब्लिक होलीडे के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। इसमें जो प्रोवीजो है, वह मेरी समझ में नहीं आया है। हो सकता है कि इसके बारे में मेरा ज्ञान कम हो। इसमें लिखा है

[अनुवाद]

> "परन्तु यह भी स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र स्नातक निर्वाचन क्षेत्र या शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की दशा में "निर्वाचन क्षेत्र में के निर्वाचकों द्वारा प्रस्थापक के रूप में" के प्रति निर्देश का यहां यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचकों के दस प्रतिशत द्वारा या ऐसे निर्वाचकों द्वारा इनमें से जो भी कम हो, प्रस्थापकों के रूप में," प्रति निर्देश हैं।

[हिन्दी]

आपने इसमें लिखा है - दस प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र से - यह स्थिति किस चुनाव में होगी, लोकल बाडीज के चुनाव में या विधान परिषद के चुनाव में? अभी तो विधान परिषद् के चुनाव की बात हो रही है, तो कौन सी लोकल बाडीज में आपको प्रपोजर देने की जरूरत पड़ती है। दस प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन हो, जोभी कम हो। मैं इसका मतलब नहीं समझ पा रहा हूं।

श्री मनोरंजन भक्त : मतलब दस होगा।

एक माननीय सदस्य : एसेम्बली से काउन्सिल के लिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : दस होगा, तो दस परसेंट क्यों आ रहा है?

श्री सत्य फल जैन : जैसे हरियाणा में 90 सदस्य हैं तो नौ से काम हो जाएगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने पहले ही कहा, हमारी समझ में यह बात नहीं आई थी। विधान सभा से राज्य सभा में आने वालों को यह स्थिति है, तो फिर जैसा आपने लिखा है, वह उसमें बैठता नहीं है। साथ ही क्लाज 3 से 11 तक आपने कहा है कि दो से अधिक स्थानों से नहीं लड़ना चाहिए। इस बारे में हमने कहा है कि एक से अधिक नहीं होना चाहिए। एक से अधिक जगहों पर लड़ने की बात से हमारी आपत्ति है।

सबसे पहले मेरी आपत्ति है कि मतदाताओं के साथ बड़ा जुल्म है। जैसे अभी यहां पर एक माननीय सदस्य ने तीन नेताओं का जिक्र किया, जिनमें से बीजू पटनायक जी यहां पर मौजूद हैं। उन्होंने अटल जी की ओर राव जी की चर्चा की। अब ये तीनों हमारे माननीय नेतागण एक-एक क्षेत्र से हटे हैं और दूसरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आज इस सदन में नहीं है तो वह मतदाताओं के साथ जुल्म एवं अन्याय हो रहा है। उस क्षेत्र की करोड़ों जनता का रोजमर्रा के सवालों पर प्रतिनिधित्व नहीं है और न ही किसी और चीज पर है। उस मतदाता ने क्या अन्याय किया, जोकि कई महीनों से अनाथ होकर बैठी है और हो सकता है कि और 6 महीने के लिए अनाथ होकर बैठ जाए। इसलिए यह इस मतदाता के साथ सीधा अन्याय है। दूसरा अन्याय यह है कि जनता जो टैक्स देती है, चूंकि एक लोक सभा का चुनाव, एक क्षेत्र का चुनाव चलाने के लिए इलैक्शन कमीशन कितना पैसा खर्च करता है, जोकि टैक्स पेयर का पैसा है। हम लोग सरकारी पैसा भले ही कहें लेकिन अंततोगत्वा देश के सबसे गरीब द्वारा दिया हुआ वह पैसा है तो वह पैसा हम में से कुछ लोग 2-2, 3-3 या 5 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए ले जाएं और उस टैक्स पेयर का पैसा ख्वामख्वाह हम लोगों पर खर्च हो जाए, यह बात मुझे नहीं जचती है। इसलिए इसमें हमें दो तर्क परेशान करते हैं। हम चाहते हैं एक से अधिक जगह पर, कोई भी जगह पर, चाहे वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो, असेम्बली हो या लोक सभा हो।...**(व्यवधान)**

श्री बीजू पटनायक : जी, हां। मैं इससे सहमत हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : धन्यवाद। इसलिए हम इसमें आग्रह कर रहे हैं कि इस संशोधन को भी मंत्री जी स्वीकार कर लें। उसके साथ हो यह जो फाइन है, इसके लिए मैंने पहले ही कहा हे कि मुझे यह तीन महीने, छः महीने और पांच सौ वगैरह जचता नहीं है इसलिए हमने कई जगहों पर इस फाइन को और इस सजा को बढ़ाने की बात कही है।

महोदय, क्लाज नं. 8 में जो लिखा है, उस मुद्दे पर हम लोगों की जो मीटिंग कुछ रोज पहले हुई थी उसमें काफी बहस हुई थी कि यह जो रजिस्टर्ड पोलिटीकल पार्टी है, यानी एक तरफ रिकोगनाइज पोलिटीकल पार्टी, फिर रजिस्टर पोलिटीकल पार्टी, अब पोलिटिकल पार्टी की इस समय मेरे पास इलेक्शन कमीशन की किताब नहीं है, मैं समझता हूं कि आज के दिन तक लगभग साढ़े छः सौ, सात सौ रजिस्टर पोलिटीकल पार्टियां हैं।

हमने इस रजिस्टर पोलिटिकल पार्टियों का थोड़ा-बहुत अध्ययन किया है, यह देखने के लिए कि कौन पार्टी है, क्यों बनती है, कितना वोट लाती है। आम तौर पर यह जो रजिस्टर पोलिटीकल पार्टी इलेक्शन कमीशन के रजिस्टर में, रिकार्ड में जिनका नाम है वह एक-एक लोकसभा की सीट कहीं न कहीं लड़ने के लिए रजिस्टर हुई है यानी जिसको भी टिकट मिल गया उसको चुनाव लड़ना है। इसमें

एक-आध अपवाद हो सकता है और वह इसमें है। वोट कितना पाया है, औसतन वोट कुछ सौ पाया है। कहीं पांच सौ है, सात सौ है, आठ सौ है, कहीं 12 सौ है, कुल सौ वोट पाए हैं। पार्टी को रजिस्टर करने के लिए केवल एक सूची बना करके देनी है कि यह अध्यक्ष है, यह उपाध्यक्ष है, यह मंत्री है यह कोषाध्यक्ष है और यह दफ्तर की जगह है तथा यह उसका कांस्टीट्यूशन है। बस इतना करके आप दीजिए तो पार्टी रजिस्टर हो गई। अब इससे उस व्यक्ति को, उस समूह को क्या लाभ मिलता है यह मैं नहीं जानता हूं। लेकिन यह रजिस्टर पोलिटीकल पार्टी का मुझे कोई औचित्य नहीं दिखाई देता है। पार्टी हो तो वह लोगों के बीच में काम करने वाली, संघर्ष करने वाली, अनेक सवालों को लेकर लड़ने वाली कोई जमात हो तो वह मैं समझ सकता हूं। लेकिन यह खामखाह रजिस्टर करा कर और फिर उनको इस प्रकार की मान्यता किसी भी कानून में दी जाए यह बात मुझे जचती नहीं है। मैं मानता हूं कि कानून पार्टियों को रजिस्टर करने के लिए बना है। कानून में चुनाव के लिए विभिन्न दलों को रजिस्ट्रेशन करने का प्रावधान है लेकिन उसका यह अर्थ नहीं हो सकता है कि सात लोग मिल कर एक पार्टी को घोषित करें, एक सीट के लिए कहीं लड़ें और तीन सौ वोट पाएं और उसमें भी हम लोग उसको मान्यता दें, यह बात मुझे जचती नहीं है। इसलिए मैंने दलों के विभिन्न उम्मीदवारों के रजिस्ट्रेशन को हटाने के लिए आग्रह किया है।

अध्यक्ष जी, एक-दो बातें जो इसमें जुड़ी हैं वह मैं और कहना चाहता हूं। एक तो सजा वाली बात मैंने कही थी। मैंने 500 रुपए और 3 महीने की सजा वाली बात कही थी। इसमें यदि हमसे कोई यह कहे कि यह कोई बड़ा अपराध नहीं है। यह तो केवल नाम लिखते समय धांधली हो गयी। लेकिन हम कई ऐसे मामलों को भी जानते हैं जहां 12-14 साल के बच्चों का नाम बड़े आग्रह से लिखाया जाता है और कुछ यह दिखाने के लिए भी कि हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए चुनाव के साथ इस प्रकार का मजाक चलने नहीं देना चाहिए। अध्यक्ष जी, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि सख्ती हो। हर अपराध को रोकने के लिए सख्ती हो। अगर हम चुनावों को ईमानदारी के साथ चलाना चाहते हैं तो हमें जो खामियां इसमें नजर आती हैं उनको दूर करके इसे पास किया जाए। लेकिन मंत्री जी ने हमें शुरू में कहा कि उनका वचन कोई बहुत लम्बे समय के लिए नहीं है, क्योंकि आपने कहा था कि पहले सत्र में ही कानून लाएंगे और वह आ गया। लेकिन अब इंतजार करना होगा। लेकिन बहुत ज्यादा इंतजार करना ठीक नहीं होगा। संतोष मोहन जी तो यहां से चले गए लेकिन उन्होंने जो इशारा किया है उसे दोनों तरफ के लोग समझ गए होंगे। इसलिए इसमें देरी न करते हुए अगली जो किश्त है जिसमें कम्प्रीहैंसिव रिफोर्म की बात है, उसको अगर आप लाएंगे, तो बहुत अच्छा होगा और देश को मजबूत बनाए रखने में मदद होगी।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझती हूं, और जैसा प्रत्येक सदस्य ने टिप्पणी की है कि इस विषय पर एक व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिये। यह इसी दिशा में कुछ विशिष्ट मुद्दों पर उठाया गया कदम है। अतः चर्चा का क्षेत्र व्यापक विधेयक अथवा ये खंड होने चाहिये। मैं यहां उठाये गये कुछ मुद्दों के बारे में ठोस सुझाव दूंगी। इससे पूर्व मैं अपने सहयोगी माननीय श्री सुधीर गिरि द्वारा की गई इस टिप्पणी से पूर्णतया सहमत हूं चाहे आप कोई भी कानून बना लें परन्तु जब तक हम धनबल, बाहुबल और राजनीतिक अपराधीकरण के विरुद्ध संघर्ष नहीं करते तब तक ये बातें जारी रहेंगी। मेरा विश्वास है कि सभी हृदय से इस बात से सहमत है। मैं ये बातें इसलिये कह रही हूं क्योंकि आप कोई भी कानून बनायेंगे, वह केवल कुछ समय के लिये ही होगा। सर्वसम्मति के आधार पर कुछ सीमित खंडों पर ही विचार किया जाना है और उनको प्रभावी बनाने के लिये जब तक लोगों द्वारा लगातार अभियान नहीं चलाया जाता और राजनीतिक दल लगातार अपने दिलों को नहीं टटोलते हैं। मेरे विचार से हमारी कार्यवाही सफल नहीं होगी। मैं आशा करती हूं कि ऐसा नहीं होगा।

मेरा निजी विचार है कि इस सरकार ने अन्य सभी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास किया है। श्री संतोष मोहन देव ने संकेत दिया है-मेरा उनकी आलोचना करने का आशय नहीं है। लेकिन जैसा मुझे पता लगा है और उन्होंने तीन बार संकेत भी दिया है-कि चूंकि कश्मीर और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, इसलिये सरकार यह चाहती है कि वह यह दिखाये कि वह कुछ कार्य कर रही है।

इसलिये अन्य दलों की उपेक्षा की जा रही है। मेरी निजी राय है कि ऐसी बात नहीं है। सब दलों के नेताओं के साथ बातचीत की गई थी और केवल सरकार के साथ शामिल दलों ने ही ऐसा नहीं किया है।

दूसरे, मेरे विचार से कश्मीर और उत्तर प्रदेश के चुनावों को हल्के रूप से नहीं लिया जाना चाहिये। यहां से कुछ ऐसा संदेश वहां जाना चाहिये चाहे वह सीमित दायरे का ही हो कि हम इन चुनावों को वास्तविक लोकतांत्रिक चुनाव बनाना चाहते हैं। इसलिये मैं कश्मीर और उत्तर प्रदेश में चुनावों को गलत नहीं समझती हूं। इसलिये मैं वास्तव में प्रसन्न हूं कि इस सम्बन्ध में पहल की गई है और अन्य लोग भी इस सम्बन्ध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये पहल कर रहे हैं।

इससे पहले कि मैं संशोधनों और कुछ खंडों के बारे में कुछ कहूं, मैं यह कहूंगी कि मेरा यह विश्वास है कि संसद के इस सत्र में महिलाओं के लिये 30 प्रतिशत आरक्षण सम्बन्धी कानून पास होना है और यदि यह कानून बन जाता है तो इसको अपना हां कुछ उलझनें होंगी जिससे कुछ खंडों मे फिर से संशोधनों की आवश्यकता होगी। इस समय, इस बात को ध्यान में रखते हुए, मैं यह कह सकती हूं। मेरे विचार से इसलिये हमें इस कानून को शीघ्रता से पास करना चाहिये ताकि इन सब बातों पर इस संदर्भ में विचार किया जा सके।

मैं यह समझती हूं कि यह जो प्रचार का समय कम किया गया है इसके पीछे यह पृष्ठभूमि है कि हम, चाहते थे कि दिनेश गोस्वामी की रिपोर्ट के अनुसार सरकार चुनावों का खर्च वहन करे। हम 33 दिन तक बैठकें करते रहे हैं। हमारे जैसे देश में हमें यह सोचना चाहिये

कि क्या हम इसके लिये और सरकार द्वारा चुनाव के लिये धनराशि खर्च करने के मामले में इतना अधिक समय ले सकते हैं। शायद ये दोनों बातें साथ साथ नहीं चलेगी। चूंकि, मौजूदा विधेयक मैं सरकार द्वारा चुनाव खर्च वहन करने की व्यवस्था नहीं है हम कुछ समझौता कर सकते हैं। मैं अपने उन मित्रों से अनुरोध करूंगी जो प्रचार का समय कम करने के बारे में आपत्ति कर रहे हैं कि वह इस पहलू पर भी विचार करें।

भारतीय जनता पार्टी के मेरे कुछ सहयोगियों ने उम्मीदवारों की आयु के बारे में उल्लेख किया है। उनका कहना है कि जब हम इस आयु मैं मत देने का अधिकार देते हैं, तो उन्हें चुना क्यों नहीं जायें? मैं अन्य राज्यों के बारे में नहीं जानती लेकिन हमारे राज्य में दो ऐसे मामले हैं जिनमें बिना किसी बात के दो अति उत्तम उम्मीदवारों को बदलना पड़ा। मेरे विचार से जब हम किसी व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार देते हैं तो हमें उसके मतदान करने के अधिकार की बौद्धिक क्षमता पर विश्वास होता है।

तब उसे उन मतों को प्राप्त करने और लोकतांत्रिक ढंग से काम करने का अधिकार क्यों न हो?

दूसरे, जमानत की राशि बढ़ाई जानी चहिये। हम वास्तविक राशि इस बारे में किसी अस्थायी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। लेकिन मेरे विचार से इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिये। हम इस राशि को 250 रुपये नहीं रख सकते। इसका निर्धारण कब किया गया था? इसका निर्धारण वर्ष 1952 में किया गया था और अब हम वर्ष 1996 चल रहा है। अतः इस राशि को जो इस समय 500 और 250 रुपये है बढ़ाया जाना चाहिये। मेरे विचार से इस बारे में विचार किया जाना चाहिये।

जहां तक राष्ट्रीय सम्मान का प्रश्न है, मेरे विचार से यह राष्ट्रीय सम्मान का खंड जारी रखा जाना चाहिये क्योंकि यह किसी व्यक्ति की गलती का मामला नहीं है। हमारा सारा सैनिक बल कश्मीर में कार्य कर रहा है और उन्हें ऐसा मजबूरी में करना पड़ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिये। लेकिन यदि यह आशा करते हैं कि एक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार मतदान करेगा तो हमें उससे यह भी आशा करनी चाहिये कि वह राष्ट्रीय सम्मान का पालन करेगा। मेरे विचार से यह बहुत महत्वपूर्ण खंड है।

जहां तक मतदान का बहिष्कार करने का प्रश्न है, किसी व्यक्ति को बहिष्कार करने के लिये सजा देना गलत होगा। आप उस एजेंसी को सजा दें जिसने बहिष्कार का आह्वान किया है। बहिष्कार दो प्रकार से किये जाते हैं। स्थानीय बहिष्कार होता है तो अन्य बात है। लेकिन यदि कोई मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल अथवा राज्य में स्थानीय दल बहिष्कार आयोजन करते हैं तो वे इसके लिये जिम्मेवार हैं अतः हमें इन दलों के विरुद्ध बहिष्कार करने के लिये कोई कानूनी उपाय करने चाहिये। मैं इस बारे में कुछ कानूनी उपाय किये जाने का सुझाव देना चाहूंगी, लेकिन मैं कह नहीं सकती कि इतने थोड़े समय में मै ऐसा कर सकूंगी अथवा नहीं। चुनाव प्रचार के दौरान प्रेस का व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रेस को कैसा व्यवहार करना चाहिये? क्या वे सकारात्मक रूप में व्यवहार करता है? प्रेस परिषद ने इसका प्रयास किया परन्तु इस सम्बन्ध में शोघ्र कार्यवाही नहीं कर सकी। जस्टिस सामन्त ने इस बारे में सबसे राय मांगी थी और इस बारे में एक प्रश्नावली परिचालित की गई थी कि प्रेस किस प्रकार सकारात्मक रूप से व्यवहार करे। यदि वह ऐसा नहीं करती है तो क्या किया जा सकता है, मेरे विचार से इस पहलू पर भी विचार किया जाना चाहिये।

चुनाव में गड़बड़ी पैदा करने वालों को दण्ड दिया जाना चाहिये।

यदि प्रेस द्वारा पूर्णतया पक्षपात से काम लिया जाता है अथवा कुछ बड़े घरानों की सहायता से कुछ राजनीतिक दलों का खूब बढ़ा-चढ़ाकर प्रचार किया जाता है अथवा कुछ राजनीतिक विचारों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, जो हमेशा संविधान के अनुसार न हो, तो क्या हमें चुप बैठना चाहिये? अतः इस सम्बन्ध में कुछ आचार संहिता होनी चाहिये। लेकिन मैं कह नहीं सकती कि इतने कम समय में क्या हम ऐसा कुछ कर पायेंगे। लेकिन व्यापक विधेयक पर विचार करते समय इस पहलू पर विचार किया जाना चाहिये।

अन्त में, मैं प्रेक्षकों और मतगणना के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। मतगणना के बारे में हमारा अनुभव ठीक नहीं रहा बंगलौर में प्रेक्षकों के लिये कुछ समस्याएं पैदा की गई थीं। लेकिन पश्चिम बंगाल में कुल मिलाकर प्रेक्षक निष्पक्ष रहे। यह मेरा विचार है। मेरे विचार से यही सबकी राय भी होगी क्योंकि इससे न केवल प्रेक्षक के रूप में संयुक्त सत्तारूढ़ दल को बल्कि सबको लाभ मिला है, लेकिन हमारे राज्य में चुनाव आयोग द्वारा गणना की पद्धति के बारे में सवाल उठाया गया है। यदि इस प्रकार का मानदण्ड होगा तो न्यायोचित मत गणना सम्भव नहीं है। केवल तीन दिन मतगणना होती है और मतगणना ऐजेंटों का केवल एक सैट होता है। अतः यदि कुछ दल मिल जायें और अपनी कार्यसूची बनाये तो यह अलग बात है। लेकिन सामान्यतया प्रत्येक दल का अपना एजेंट होता है। क्या कोई एजेंट तीन दिन में 12 मेजों पर मतपत्रों की मतगणना कर सकता है? क्या यह सम्भव है? मतगणना में अनेक गलतियां होंगी, जानबूझकर नहीं। यदि इस प्रकार की मतगणना होती है तो इसके परिणाम वह नहीं होंगे जो होने चाहिये। अतः मैं चुनाव आयोग को इन चुनावों से पहले यह सुझाव दे रहा हूं कि मतगणना किये जाने के बारे में विचार किया जाना चाहिये ताकि मतगणना शीघ्रता से सावधानी से हो सके और इसके उद्देश्य की पूर्ति हो सके। कम से कम इस प्रकार की दो दिनों की इस मतगणना में कि वही व्यक्ति उसी मेज पर मतगणना करे मतगणना का उचित तरीका नहीं होगा। इसके लिये हमें उचित तरीका पता करना होगा।

इन शब्दों के साथ मैं यह कहूंगी कि कुल मिलाकर यह एक अच्छा प्रयास है। यह हो सकता है कि यहां वहां कुछ संशोधन कर, सर्वसम्मति के लिये एकत्रित होकर हमें विधयेक को पारित करना चाहिये क्योंकि इससे देश को यह संकेत मिलेगा कि यह संसद सरकार की पहल और अन्य सब दलों के सहयोग से यह संकेत दे रही है कि देश में विभिन्न प्रकार के चुनाव होने चाहिये उन में से एक कठिन स्थान कश्मीर है। हम इसका आरम्भ वहीं से करें और सबसे अधिक लोकप्रिय राज्य उत्तर प्रदेश का भी यही उद्देश्यात्मक आधार हो।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी पिछले कई वर्षों से चुनाव सुधार की बात करती है और पूरी गंभीरता से हम लोग इस राय के थे कि इस काम को बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, लेकिन लगता है कि जो दल सत्ता में रहा उसने सब काम अपने स्वार्थ से किए। इसीलिए दिनेश गोस्वामी समिति की रिपोर्ट अब तक लागू नहीं हो पाई और अब भी शायद दलों को यह लगाकि अगर चुनाव सुधार नहीं हुए तो उनका राजनैतिक रूप से नुकसान हो जाएगा। इसलिए कॉम्प्रेहेन्सिव बिल लाने की बात न करके उत्तर प्रदेश और कश्मीर के चुनाव को ध्यान में रखकर कुछ बातों पर सहमति के आधार पर यह बिल लाया जा रहा है। मेरी पार्टी के एक पूर्व वक्ता ने दिनेश गोस्वामी रिपोर्ट और उसके संदर्भ में बहुत सी बातों की जानकारी दी। मैं चाहूंगा कि उन पर विचार किया जाए, लेकिन कुछ बातों पर विचार जरूर करना पड़ेगा। हमें ध्यान है कि कुछ वर्ष पहले इलैक्ट्रोनिक मशीनें बनी थीं, करोड़ों रुपये इसमें खर्च हो गए, लेकिन इलैक्ट्रोनिक मशीनें हर जिले में धूल खा रही है। लगता है कि उनका कोई अर्थ नहीं है।

बहुउद्देश्यीय फोटो पहचान पत्र हर जिले में बन गए, अब वे सही बने या गलत, वह बात अलग है, दिल्ली के बारे में मैं नही कह सकता लेकिन बाकी जगहों पर फोटो पहचान पत्रों का क्या उपयोग हो रहा है, हम सब लोग जानते हैं। कुछ मामलों पर सभी दलों को दलीय स्तर से ऊपर उठकर फैसला करना पड़ेगा। आजादी मिलने के बाद व्यक्तिगत क्वालिटी के आधार पर उम्मीदवारों का चयन होता था लेकिन आज जाति, धर्म, सम्प्रदाय और बिरादरी के आधार पर उम्मीदवार तय होते हैं। इससे ऊपर उठकर कोई भी राजनैतिक दल विचार नहीं कर पाता।

मैं यहां दो-तीन बिन्दुओं के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये सारी बातें तो सही हैं कि चुनाव प्रचार की अवधि कम की जाए, सजा किस हिसाब से दी जाए परन्तु यह मेरी समझ में नहीं आया कि कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी प्रभावी उम्मीदवार खड़े कर देते हैं जिनका बाद में दुरूपयोग किया जाता है। इसे आप कैसे तय करेंगे क्यों कि जब आपने 5 हजार रुपए फीस तय कर दी, जिसके पास नम्बर दो का पैसा है, वह 10-15 उम्मीदवार आसानी से खड़े कर सकता है। इससे दिक्कत हम जैसे लोगों को होगी। हमने एक अमैंडमेंट भी दी है और मेरा सुझाव है कि लोक सभा और विधान सभाओं के लिए यद्यपि आपने 5 हजार रुपए का प्रावधान किया है, लेकिन उसे बदलकर लोकसभा के लिए 10 हजार रुपए और विधान सभाओं के लिये 5 हजार रुपए की राशि कर दी जाए और मैं चाहूंगा कि मंत्री इस सुझाव पर गम्भीरता से विचार करें।

एक बात जिस पर सभी दलों के सदस्य विचार करें क्योंकि सारी बातें तो हमने कर ली लेकिन चुनाव वाले दिन की व्यवस्था कैसे की जाएगी, अगर पोलिंग बूथ पर मेरा प्रभाव है, दबाव है, 10 बाहुबली लोग मेरे पास हैं तो मैं भी पोलिंग बूथ पर कब्जा कर सकता हूं और कब्जा करके उस बूथ के सभी वोट अपने पक्ष में आसानी से डलवा सकता हूं। इसकी रोकथाम क लिये सरकार ने कौन सा कदम उठाया है ताकि पोलिंग वाले दिन सभी मतदाता सही तरीके से वोट डाल सके। इसके अलावा मतदाता सूची में, पोलिंग स्टेशन की सूची में, पोलिंग बूथ के बारे में क्या नीति है, किस हिसाब से उन्हें बनाया जाए। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां महिलाओं के वोट डालने के लिए अलग जगह तथा पुरुषों के वोट डालने के लिए दूसरी जगह बनाई गई और दोनों जगह लोग वोट डालने नहीं गए। एक ही परिवार की बहन और माताएं एक स्थान पर वोट डालने जाएं तथा पुरुष दूसरे स्थान पर वोट डालने क्यों जाएं। जब इसके बारे में कुछ कहते हैं तो उत्तर मिलता है कि जो कुछ हो गया, उसमें अब बदलाव या परिवर्तन नहीं हो सकता। ग्रामीण इलाकों में तो हालत इससे भी खराब है। अभी भी आपको ऐसे स्थान मिलेंगे जहां 4-4 या 5-5 किलोमीटर दूर वोट डालने के लिए पैदल जाना पड़ता है। सवारी हम इसलिए उपलब्ध नहीं करा सकते क्योंकि इस बार आपने देखा होगा कि गाड़ियों में पंक्चर हो गए। इस बारे में अभी तक कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है। हमारी पार्टी ने चुनाव के दिन की व्यवस्था को नियमित करने के लिए सरकारी मशीनरी को सक्रिय बनाने की बात कही है ताकि ये सारी व्यवस्थाएं सरकार करे। अगर सरकारी मशीनरी विचार करके वोट डलवाने की व्यवस्था कराए, हम उसे चैक करें तब तो ठीक है, अन्यथा फर्जी वोट पड़ेंगे। यह बात सही है कि इसमें 50 परसेंट वोट ही पड़ेंगे। अगर ईमानदारी से देखें तो उसमें भी 10-15 परसेंट वोट फर्जी होते हैं।

आज मतदाताओं की रुचि वोट के प्रति उतनी नहीं रह गई है बल्कि मतदाता वोटिंग से दूर होता जा रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था हो जिससे मतदाता वोट से जुड़ सके। हम ऐसा कोई काम न करें जिससे मतदाता वोट से दूर हो जाए। इस दिशा में हम लोग चिन्ता कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि चुनाव वाले दिन की प्रक्रिया पर सबको मिलकर विचार करना चाहिये कि किस तरह चुनाव के दिन मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक पहुंचाकर उससे वोट डलवाएं जाएं। पोलिंग बूथ के प्रति अब उसकी रुचि नहीं रही है।

अभी मुझसे पहले संतोष मोहन देव जी यहां कह रहे थे कि बहुत से नजदीकी स्थानों पर पोलिंग बूथ के इंतजाम किए जाते हैं। हमारे यहां गांव में एक स्कूल है, लेकिन उस स्कूल में पोलिंग बूथ नहीं बनेगा बल्कि किसी दूसरी जगह टैम्परेरी बूथ बनाया जाएगा। अगर इस बारे में हम जिला प्रशासन को कोई सुझाव देते हैं तो मैं चाहता हूं कि उन्हें ऐसे अधिकार दिए जाने चाहिए ताकि आवश्यकता के अनुसार इस व्यवस्था में परिवर्तन किए जा सकें तभी सही दिशा में हम आगे चल पाएंगे।

जैसा अभी मुझसे पूर्व वक्ता ने कहा कि 14 दिन का समय क्या होता है। मुझे वह दिन याद है जब राजीव गांधी जी की दुखद हत्या हुई थी और उसके तुरन्त बाद हमें दूसरे दिन चुनाव लड़ने जाना पड़ा। फिर सवाल आता है कि चुनावों में एक सीमा में खर्च किया जाए। हमारे यहां जब पहली बार चुनाव हुए थे तो सीमा कम थी लेकिन दोबारा और तीसरी बार चुनाव होने पर वह सीमा बढ़ती गई। इससे भी ज्यादा मजेदार बात यह है कि एक महीने बाद वोटों की गणना की जाती है। उस एक महीने के दौरान जो हमारा खर्च होता है, उसका क्या

हिसाब-किताब रहेगा। यदि मतदान आज होता है तो उसके ठीक एक महनी बाद कार्उटिंग क्यों हो रही है। यह बात भी मेरी समझ में नहीं आती कि पोलिंग बूथ के सभी इकट्ठे कर दीजिए लेकिन उसमें झगड़ा हो जाएगा कि कहां से वोट मिले या नहीं मिले।

अपराह्न 6.00 बजे

इलैक्ट्रोनिक मशीन से यह व्यवस्था की जाएगी और पोलिंग बूथ पर ही कार्उटिंग हो जाएगी, पता चल जाएगा कि कहां कैसे वोट मिले हैं। आखिर प्रधानी के चुनाव भी तो होते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : छह बज चुके हैं। अभी सात माननीय सदस्य बोल चुके हैं, सातवें बोल रहे हैं और 12 सदस्यों का नाम अभी बाकी है। अगर हाउस चाहे तो कम से कम एक घंटा और बढ़ा दिया जाए।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : आज तो सबकी इच्छा स्थगित करने की है। कल रात भर काम हुआ था। स्टाफ भी परेशान है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हाउस की क्या ओपिनियन है?

[हिन्दी]

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : महोदय, लोक सभा सचिवालय का विचार है कि यह मामला मानव अधिकार आयोग को सौंप दिया जायेगा...**(व्यवधान)**

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : समयोपरि भत्ते की एक सीमा होती है।

उपाध्यक्ष महोदय : एक बात का ध्यान कर लीजिए। करना तो आपकी मर्जी से ही है। लेकिन इस बिल को जल्दी पास करना है। राज्य सभा में भी पास करना है। अगर आज कुछ लोग बोल लेते हैं तो उस पर मिनिस्टर जवाब दे दें और बाद मे ...

(व्यवधान)

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : सारी समस्या यह है कि हम इस बात पर सहमत हो गये हैं। आज हम विधेयक की अवधि बढ़ा सकते हैं और सब बातों पर चर्चा कर सकते हैं। हम इस पर 30 तारीख को भी चर्चा कर सकते हैं क्योंकि इसे पारित करना है और इसे राज्य सभा भेजना है। मुख्य उद्देश्य यह है कि हमें इसे जम्मू और कश्मीर और उत्तर प्रदेश चुनावों के लिये अधिसूचना जारी करने से पहले पारित करना है अन्यथा इसका कोई अर्थ नहीं रह जायेगा। यदि आवश्यक हुआ तो हम संशोधनों पर चर्चा करने के लिये सब दलों की बैठक भी बुला सकते हैं। सरकार इसके लिये तैयार है। अतः जो भी सुझाव प्राप्त होंगे हम उन पर एक घंटे बैठकर चर्चा कर सकते हैं। सरकार का दिमाग खुला है।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : 30 को पास करा लीजिए।

श्री श्रीकान्त जेना : 30 को रेलवे बजट पास करना है, ऑर्डिनेंसेज पर भी टाइम नहीं मिलेगा। आज एक घंटा बैठकर हम बात कर लेंगे।

श्री आई.डी. स्वामी (करनाल) : इसमें आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? यह महत्वपूर्ण बिल है। सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि जम्मू-कश्मीर व यू.पी. में इलैक्शन होने हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : यह जल्दी नहीं है। यह 10 साल का रिजल्ट है। गोस्वामी कमेटी की रिपोर्ट आई और उस पर चर्चा हुई। यह 10 साल से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम सुबह बनाकर शाम को ले आए है। ऑल पार्टीज की मीटिंग में इस पर 20 बार चर्चा हुई है। यह सलैक्ट कमेटी में गया था और सलैक्ट कमेटी में भी चर्चा हुई। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही ले आए...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : कल सारी रात और आज सुबह सात बजे तक सभा की बैठक चलती रही।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रश्न यह है कि 30 तारीख को हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हमारे पास समय नहीं है। हम इसे आज पारित नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम इस पर केवल चर्चा कर रहे हैं। सदस्य चर्चा में एक घंटे और भाग ले सकते हैं। हम इस पर सात बजे तक चर्चा कर सकते हैं।

श्री आई.डी. स्वामी : 30 को एक दो घंटा रख लीजिए।

[हिन्दी]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : 7 बजे तक चला लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, एक घंटा बढ़ाया जाता है। सात बजे तक चलेगा 12 माननीय सदस्य बाकी हैं। जरा कम समय लें।

श्री राजीव प्रताप रूडी : 5-5 मिनट का समय तय कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, 5-5 मिनट बोलकर अपनी बात समाप्त करें।

श्री संतोष कुमार गंगवार : उपाध्यक्ष जी, वास्तव में यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और इसको पास किए जाने की सबकी मंशा है। हमारी पार्टी तो पूर्ण रूप से सहमत हैं। जो बातें पूर्व में आ चुकी हैं उनके लिए मैं समय नहीं लूंगा। यह बात सही है कि एंटी-डिफैक्शन बिल का मजाक बनाया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि इस संबंध में गंभीरता से निर्णय लिया जाए और उसके हिसाब से फैसला किया जाए। क्योंकि जिस ढंग से हमारी छवि खराब बनती है उसके ऊपर भी विचार कर सकें।

एक बात और है। चुनाव की जो बात आई है, आदरणीय जॉर्ज साहब को मालूम है, जो इलैक्शन पिटीशन होती है उनमें बहुत समय लगता है। मेरे खिलाफ भी इलैक्शन पिटीशन रही और उसमें पांच साल का समय लगा।

महोदय, इसके बारे में अलग से एक बैठक करें और चुनाव के दिनों में चुनावों जो मशीनरी है वह इलैक्शन कमीशन के नियंत्रण में काम करे, इसकी चिन्ता होनी चहिए। परिणाम के बारे में जैसा कहा गया, बिना कारण के परिणाम न रोका जाए और रोका जाए तो इस हिसाब से रोका जाए कि जिन विषयों से वास्तव में रिजल्ट प्रभावित हो, नहीं, तो कभी-कभी स्थिति खराब हो जाती है।

मैं इस निवेदन के साथ कि इस विधेयक की बहुत सी बातें जो अभी आनी बाकी हैं और जिनके ऊपर सभी लोग सहमत हैं, उनके ऊपर राजनीति से ऊपर उठकर फैसला करें, तो जनसामान्य के सामने हमारे बारे में जो राय बन रही हैं, उसको हम दूसरी दिशा में ले जाकर दिखा सकेंगे। धनबल और बाहुबल का जो प्रयोग होता है उसको हम किस प्रकार से रोक सकते हैं इसका भी हम ध्यान रखें। इन्हीं शब्दों शब्दों के साथ मैं उपाध्यक्ष जी अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं विधेयक का समर्थन इसलिये करता हूं क्योंकि समयानुसार इसकी अत्यन्त आवश्यकता है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यह विधेयक व्यापक नहीं है। यह लोगों के मांगों के अनुरूप नहीं है विशेषकर लोकतांत्रिक मांगों के सम्बन्ध में और यह देश के लाखों लोगों की आंकाक्षाओं से पूर्णतया मेल नहीं खाता। यह उचित दिशा में उठाया गया एक कदम है। लेकिन यह कार्यवाही अधिक कठोर नहीं है। यह हिचकिचाहट में लिया गया कदम है, यह कदम त्रुटिपूर्ण है, आगे सामने आने वाली समस्याओं को देखते हुए यह कदम बहुत मामूली है।

इससे भारत जैसे देश में चुनाव सुधार की सम्पूर्ण धारणा प्रतिम्बित नहीं होती। हमें गर्व है कि विश्व के इस भाग से हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाये रखा है। लोकतंत्र परिपक्व हो गया है लेकिन इसे पूर्णतया परिपक्व होना चाहिये। इस प्रयोजनार्थ चुनाव प्रक्रिया को स्वच्छ बनाया जाना चाहिये, उसमें सुधार लाना चाहिये और उसमें सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। यह धनराशि, बाहुबल प्रयोग, राजनीति में अपराधीकरण, अन्य बुराइयां जो हम चुनाव के दौरान देखते हैं, के विरुद्ध है। अतः मेरा यह विचार है कि यद्यपि यह विधेयक उचित दिशा में एक उचित कदम है लेकिन यह टुकड़ों में लाया गया है। यह भ्रामक है। हमें ऐसे विधेयक की आवश्यकता है। जिसमें व्यापक चुनाव सुधार की भावना निहित हो।

मैं श्री संतोष मोहन देव के इन विचारों से पूर्णतया सहमत हूं कि इस विधेयक को प्रस्तुत करने का श्रेय केवल एक विशेष दल अथवा मंत्री अथवा आज सरकार को चला रहे संयुक्त दलों को नहीं है। यह हममें से अनेक लोगों के प्रयास का परिणाम है। यह सभा की विद्धता का प्रतीक है। देश में लोकतंत्र के हित में इसका और विस्तार किया जाना चाहिये। माननीय मंत्री ने इस प्रस्ताव की प्रशंसा करते हुए कहा था कि चुनाव सुधार स्वयं में ही प्रक्रिया नहीं हैं। यह स्वयं में अन्त नहीं है। यह प्रक्रिया का आरम्भ है इसके कुछ परिणाम अवश्य निकलने चाहिये। मेरी सरकार से शिकायत है कि चाहे प्रक्रिया लम्बी हो लेकिन प्रक्रिया का कुछ परिणाम निकलना चाहिये। मुझे यह याद करते हुए प्रसन्नता होती है कि यह प्रक्रिया बहुत पहले हो आरम्भ हो चुकी थी। प्रक्रिया दस वर्ष से अधिक समय पूर्व आरम्भ की गई थी। उस समय की सरकार के कारण ऐसा हुआ। चाहे सरकार की कुछ भी स्थिति हो, लेकिन उसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी, उसका एक विशेष हित की ओर झुकाव जैसे अनेक कारण थे जिनके परिणामस्वरूप सरकार इस विधेयक को गत कुछ दशकों के दौरान भी उचित रूप नहीं दे सकी। इसका आरम्भ गोस्वामी समिति की रिपोर्ट से हुआ। अनेक सदस्य, जिनमें मैं भी शामिल हूं, चुनाव में व्यापक सुधार चाहते हैं । शब्द 'व्यापक' की भी अवधारणा होनी चाहिये। एक विशेष शुद्ध अथवा विशेष वाक्यांश का तब तक कोई अर्थ नहीं होता जब तक कोई उदाहरण न हो। यह गोस्वामी समिति की सिफारिशों का एक महत्वपूर्ण भाग है। चुनाव में सुधार किये जाने का हमारा वास्तविक अर्थ क्या है। मै। इसका उल्लेख नहीं करूंगा क्योंकि मुझे समय की कमी का बोध है।

मैं यह चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने विशेष पैराग्राफ का अध्ययन करें वह है 19(12)। इसमें 14 मुद्दों की घोषणा की गई है। इसका अभिप्राय उन 14 पहलुओं से है जो व्यापक चुनाव सुधार का एक अंग है। भारत के संदर्भ में, अन्य देशों के संदर्भ में नहीं यह 14 अन्तर सम्बन्धी मुद्दे व्यापक चुनाव सुधार की समेकित भावना है। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि इस विधेयक में व्यापकता की पूर्ण भावना नहीं है। अतः इसे मैं चुनाव व्यापक चुनाव सुधार विधेयक की संज्ञा नहीं दे सकता। गोस्वामी समिति ने चुनाव सुधारों के बारे में जो संकल्पना की थी, यह विधेयक उसका अंश मात्र भी नहीं है।

मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि गोस्वामी समिति एक ऐसी समिति थी जिसमें सभा के सभी वर्ग कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के प्रतिनिधि शमिल थे। नामों का उल्लेख करना अनावश्यक होगा। ये संसद के प्रतिभावान और बुद्धिजीवी सदस्य हैं जिन्होंने इस समिति की रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने में अपना पूरा योगदान दिया। यह सर्वसम्मत रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के बारे में कोई विगत टिप्पणियां नहीं है। व्यापक चुनाव सम्बन्धी ये 14 मुद्दे हैं। इस बारे में चुनाव आयोग की अन्य सिफारिशें भी हैं। इस सदन में और दूसरे सदन में भी इन पर आधारित टुकड़ो में विधान पुरःस्थापित किये गये हैं।

मेरा यह कथन है कि हमें एक उचित निश्चित अवधि में एक ऐसा व्यापक विधेयक लाना चाहिये जिसमें चुनाव आयोग, गोस्वामी समिति द्वारा की गई सामान्य सिफारिशों और स्थायी समिति अथवा संयुक्त स्थायी समिति की एक मत से दी गई सिफारिशों को शामिल किया जाये। यदि ऐसा होता है तो मेरे विचार से इस विधेयक की बहुत प्रशंसा की जायेगी और यह चुनाव की लड़ाई में इस समय व्याप्त बुराइयों का मुकाबला करने के लिये एक सुदृढ़ आधार होगा।

महोदय, चुनावी लड़ाई भी एक महत्वपूर्ण लड़ाई का मैदान है जिसके द्वारा सच की स्थापना हो सकती है।

इससे देश का भविष्य बनाया जा सकता है। इन शब्दों के साथ मैं सरकार, विशेष रूप से नये विधि और न्याय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह सदन को आश्वासन दे कि वह कुछ अवधि पश्चात एक नया विधान लायेंगे जिसमें वे सब सुझाव निहित होंगे जो माननीय सदस्यों ने अब तक दिये हैं। यदि आप ठीक समझे तो मेरा सुझाव भी इस विधेयक में शामिल किया जा सकता है क्योंकि अनेक सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों को विधेयक में शामिल करना ही एक उचित तरीका होगा। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री मनोरंजन भक्त : उपाध्यक्ष महोदय, जिस विधेयक पर चर्चा की जा रही है उसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख किया है। जहां तक वर्तमान विधेयक का सम्बन्ध है इसका उद्देश्य बहुत सीमित है।

हमने चुनाव सुधार के बारे में अनेक माननीय सदस्यों के विचार सुने। इस विषय पर लम्बे समय से विभिन्न मंचों पर विचार होता रहा है। इससे पहले भी इस विधेयक पर सभा में चर्चा करने का अवसर आया था जब विधेयक पुरःस्थापित किया गया था लेकिन पारित नहीं किया जा सका था।

आज हम सीमित विधान पर चर्चा कर रहे हैं। विधेयक में जिस मुद्दे पर अधिक बल दिया गया है उसका मुख्य सम्बन्ध ऐसे उम्मीदवारों की संख्या से है जो चुनाव लड़ने के प्रति गम्भीर नहीं है। केवल चुनाव लड़ने के प्रति गम्भीर उम्मीदवारों को ही बिना किसी बाधा के ये सुविधाएं उपलब्ध होंगी और चुनाव को गम्भीरता से न लेने वाले और चुनाव में गड़बड़ी पैदा करने वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से वंचित रखा जायेगा। इसका एक उद्देश्य चुनावों में उम्मीदवारों की संख्या कम करना है, चाहे वे चुनाव संसद के हों अथवा राज्य विधान सभाओं के।

माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दों के बाद, मैं समझता हूं कि मेरे पास कहने को अब बहुत कुछ नहीं बचा है। जमानत की राशि बढ़ाई जानी चाहिये, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। मेरे विचार से यह राशि संसद के चुनाव के लिये 10,000 रुपये और विधान सभा चुनावों के लिये 5,000 रुपये होनी चाहिये। अन्यथा विधेयक का उद्देश्य ही पूरा नहीं होगा।

प्रेक्षकों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रेक्षक और रिटर्निंग आफिसरों को जब राज्यों में भेजा जाता है तो वे सम्बद्ध राज्य सरकारों की दया पर निर्भर रहते हैं जब तक आवश्यकता पड़ने पर उन्हें कुछ अधिकार देने की व्यवस्था नहीं होगी। प्रेक्षकों की व्यवस्था करने सम्बन्धी कानून बनाने का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। संशोधन 41 में उल्लेख किया गया है :

> "प्रेक्षकों को निर्वाचन का संचालन करने के लिये मतदान कार्मिकों के पुर्नियतन की मतदाता सूची से फर्जी मतदाताओं के नाम हटाने की शक्ति होगी।"

श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा दिये गये संशोधन 47 में यह उल्लेख है :

> "प्रेक्षक को चुनाव प्रक्रिया से संबधित किसी अधिकारी अथवा अधिकारियों को निर्वाचन कदाचार में संलिप्त पाये जाने अथवा मतदान केन्द्र का बलात्‌ग्रहण करने अथवा ऐसे किसी कृत्य, जो स्वतन्त्र, निष्पक्ष और भयरहित चुनाव कराने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने में संलिप्त पाये जाने पर हटाने, निलंबित करने की शक्ति होगी।"

> प्रेक्षक को किसी ऐसे मतदान केन्द्र अथवा मतदान केन्द्रों की, मतों की गणना जहां कि वास्तव में डाले गये मतों की संख्या प्रश्नगत मतदान केन्द्र पर डाले गए कुल मतों की संख्या के सम्यक है, अथवा जहां कि डाले गये कुल मत पत्रों अथवा बहुत प्रतिपर्णों पर मतदाताओं के केवल अंगूठे का निशान है, को रद्द करने की शक्ति होगी।"

> "प्रेक्षक को किसी ऐसे विशेष मतदान केन्द्र के ऐसे सभी मतपत्रों की जिनपर निर्वाचन अधिकारी के केवल अद्यहस्ताक्षर हैं और वे निर्वाचन अधिकारी के वास्तविक हस्ताक्षर, जैसे कि रिकार्ड में रखे गये हैं, से मेल नहीं खाते हैं, गणना को रद्द करने की शक्ति होगी।"

> पेक्षक को किसी विशेष मतदान केन्द्र पर ऐसे मतपत्रों को रद्द करने का अधिकार होगा जिन पर पीठासीन अधिकारी के छोटे हस्ताक्षर होंगे और वे पीठासीन अधिकारी के वास्तविक हस्ताक्षरों से मेल नही करते होंगे।"

महोदय मैं समय के प्रति सचेत हूं। आपको मेरी पार्टी के प्रति भी न्याय करना चाहिये। है। लोकसभा में हमारे 142 सदस्य हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी ने कुछ और सदस्यों के नाम दिये हैं।

श्री मनोरंजन भक्त : आप युक्तियुक्त आधार पर समय दे सकते हैं।

दूसरा मुद्दा यह है कि मतगणना के समय मतगणना हाल को भी शामिल किया जाना चाहिये। मतगणना हॉल में एक नई प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई है। यदि मतदाता सूची में कुछ चुनावी कदाचार होता है तो प्रेक्षक को कदाचार नियंत्रण करने के लिये अनधिकृत व्यक्ति आदि को प्रवेश से इंकार करने का अधिकार होना चाहिये।

एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा जो मैं उठाना चाहूंगा-इस विषय में अधिकांश माननीय सदस्य बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इस बारे में वे खुलकर नहीं बोले हैं- वह है चुनाव में उम्मीदवार बनना जैसे कोई अपराध हो चुनाव आयोग अथवा उच्चतम न्यायालय अथवा किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निर्देश जारी किये जाते हैं, जैसे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों ने कोई अपराध किया हो और उन्हें कैसे रोका

जाना चाहिये। यह एक बहुत गम्भीर मामला है। प्रत्येक प्रतिष्ठित व्यक्ति को चुनाव के दौरान किये जाने वाले ऐसे व्यवहार पर आत्मग्लानी होती है। मैंने अपने लम्बे राजनीतिक जीवन के दौरान एक बार भी ऐसा नहीं देखा कि चुनाव प्रक्रिया आरम्भ होने के सात अथवा दस दिन बाद परिपत्र जारी किये जाते हैं। चुनाव आयोग अथवा न्यायालय चुनाव प्रक्रिया आरम्भ होने से पूर्व निर्देश जारी करते हैं ताकि प्रत्येक उम्मीदवार उनका पालन करें। प्रत्येक उम्मीदवार अपना चुनाव आरम्भ करने के लिये पहले से ही अपनी कार्य प्रणाली तैयार कर लेता है। अतः यदि 10 अथवा 15 दिन बाद उम्मीदवार को यह पता लगता है कि कोई परिपत्र जारी किया गया है और उसे उनका पालन करना है, तो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिये समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। उसके बाद एक और परिपत्र जारी कर दिया जाता है जिसमें उन्हें इसका पालन करने का निर्देश दिया जाता है। अतः इस प्रकार उम्मीदवारों को परेशान किया जाता है। किसी भी सदस्य ने यह मुद्दा नहीं उठाया है। यह विस्तृत चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय है। और सभा में इस बारे में सब सहमत हैं-लगभग सभी सदस्य इस विषय पर बोले हैं- कि चुनाव सुधार सम्बन्धी एक व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिये जिसमें सरकार द्वारा चुनाव पर होने वाले खर्च को वहन करने की व्यवस्था होनी चाहिये अथवा कोई अन्य व्यवस्था होनी चाहिये अथवा अपराधीकरण की रोकथाम के लिये व्यवस्था होनी चाहिये। राजनीति में जो भी कुछ है, इन सब बातों पर विचार किया जाना चाहिए।

एक महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह कि जब तक सब राजनीतिक दल विभिन्न चुनाव सुधार सम्बन्धी मामलो पर चर्चा करने के लिये एक नहीं हो जाते, इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया जा सकता। राजनीतिक में अपराधीकरण इतनी अधिक सीमा तक बढ़ गया है कि कोई भी दल इससे बचा नहीं रह सका है। इसलिये सब दलों को इस बुराई को दूर करने के लिये प्रयास करने चाहिये। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इस अवसर पर सब दलों से विचार विमर्श करे और इस बात का निश्चय करे कि राजनीति को किस प्रकार निष्पक्ष स्वच्छ बनाया जा सके जो जनता को स्वीकार्य है।

अपराह्न 6.24 बजे

(श्रीमती गीता मुखर्जी पीठासीन हुईं)

अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा यह है जिसका श्री बीजू पटनायक ने उल्लेख किया है कि किसी उम्मीदवार को 50 प्रतिशत मत प्राप्त होने पर ही उसे विजयी घोषित किया जाना चाहिये। यदि ऐसा होता है तो आपको अनिवार्य रूप से मतदान करने के लिये एक अन्य विधेयक लाना पड़ेगा। जब तक नहीं होता यह करना सम्भव नहीं है ...**(व्यवधान)** तब आप इसको पूरा करने की बात सोच भी नहीं सकते।

मतदान केन्द्र ऐसी जगह होने चाहिये जो बहुत दूर स्थित न हों। मान लो मतदान केन्द्र पांच किलोमीटर की दूरी पर है तो चुनाव आयोग यह निर्देश देता है कि किसी भी उम्मीदवार को वाहन का उपयोग नहीं करना चाहिये उम्मीदवार द्वारा परिवहन अथवा वाहन की व्यवस्था नहीं करनी चाहिये। यदि मतदान केन्द्र दूर हो तो या तो सरकार को मतदान केन्द्र तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करनी चाहिये या सरकार को उम्मीदवारों को मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक ले जाने की अनुमति देनी चाहिये। विशेषकर दूर-दराज के क्षेत्रों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, इसके विरोध करने का कोई प्रश्न हो नहीं उठता। यह इसलिये क्योंकि सब दलों की बैठक में इस बारे में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था।

मैं सरकार से अपने दो संशोधनों-41 और 47 पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। चुनाव प्रचार की अवधि में लचीलापन होना चाहिए। इस समय चुनाव प्रचार की अवधि 14 दिन है, इसे बढ़ाकर 21 दिन किया जाना चाहिये। जैसाकि श्री जार्ज फर्नान्डीज और श्री बीजू पटनायक ने भी सुझाव दिया है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विषय पर बोलने का अवसर दिये जाने के लिये आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री जी.एम. बनातवाला (पून्नानी) : सभापति महोदय, मैं कुछ शर्तों के साथ विधेयक का समर्थन करता हूं। सरकार ने शुरू में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि यह व्यापक विधेयक नहीं है। इस विधेयक में उन्हीं मुद्दों को शामिल किया गया है जिन पर सब राजनीतिक दलों ने सहमति दे दी है।

विभिन्न खंडों की आलोचनात्मक दृष्टि से जांच करने से पूर्व मैं सरकार को सब दलों की विधेयक पर सहमति प्राप्त करने सम्बन्धी नीति और फिर उस पर अमल करने के लिए धन्यवाद करता हूं। वास्तव में हमें चुनाव आयोग से सिफारिशें प्राप्त हुई थी। हमें गोस्वामी समिति से सिफारिशें प्राप्त हुई थीं। हमें स्थायी समिति आदि से भी सिफारिशें प्राप्त हुई थीं। लेकिन केवल आयोगों और स्थायी समितियों की सिफारिशों के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। विभिन्न राजनीतिक दलों के विचार जानने और उनके बीच सहमति पैदा करने की यह सरकार की स्वस्थ नीति है। मैं इसके लिये सरकार को मुबारक देता हूं। यह प्रशंनीय नीति है।

मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूं कि प्रस्तुत विधेयक यद्यपि व्यापक नहीं है न ही इसे व्यापक बनाने का प्रयास किया गया है-इससे सरकार की चुनाव सम्बन्धी सुधार लाने की ईमानदारी और वास्तविक इच्छा का बोध होता है। यह विधेयक वास्तविक स्थिति का प्रतीक है।

अध्यक्ष महोदया, विधेयक के सम्बन्ध मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। सर्वप्रथम मैं मान्यता प्राप्त पार्टियों जैसे राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों और पंजीकृत पार्टियों के बीच भेदभाव करने का जोरदार विरोध करता हूं। यह भेदभाव अनुचित, अन्यायपूर्ण और असंवैधानिक है। हमें बताया जाता है कि देश में अनेक पंजीकृत पार्टियां हैं। हमें बताया जाता है कि इनका गठन आसानी से किया जा सकता है। अतः उन्हें दण्डित किया जाना

चाहिये। मुझे शंका है कि कोई भी राष्ट्रीय पार्टी अथवा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी और कोई भी पार्टी चुनाव लड़ने को गम्भीरता का मूल आधार नहीं है। पंजीकृत पार्टियों की ईमानदारी और गम्भीरता को आप कैसे चुनौती दे सकते हैं? मैं यह अवश्य कहूंगा कि ऐसा करना उदण्डता होगी और इसकी भर्त्सना की जानी चाहिये। एक समय था जब राष्ट्रीय पार्टियां कहने वाली ये पार्टियां इस तथ्य के बारे में बहुत दम्भी थी कि हम राष्ट्रीय पार्टियां हैं हमारी राष्ट्रीय भविष्य है और ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनका कोई राष्ट्रीय भविष्य नहीं है। लेकिन आज यह सिद्ध हो गया है कि इन क्षेत्रीय पार्टियों का राष्ट्रीय भविष्य तथाकथित राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों से अच्छा है। अतः आज हमारे सम्मुख यह स्थिति है। पहले आप पार्टियों को अनुमति देते हैं और फिर उनके पंजीकरण की व्यवस्था करते हैं और फिर उन्हें समाप्त कर देते हैं। इसे मैं आडम्बर कहूंगा।

अधिनियम में दो उपलब्ध हैं। एक खंड 6 है जिसमें मान्यताप्राप्त उम्मीदवारों को छोड़कर दूसरे उम्मीदवारों के लिये दस प्रस्तावकों की आवश्यकता है। सब पार्टियों के लिये दस प्रस्तावक होने चाहियें। ये राष्ट्रीय पार्टियां दस प्रस्तावकों के मुद्दे पर पीछे क्यों हट रही है? मेरी यह बात समझ में नहीं आती। इस भेदभाव के क्या कारण हैं? राष्ट्रीय पार्टियां दस प्रस्तावक लाने की स्थिति में नहीं हैं। निसन्देह पंजीकृत पार्टी के लिये दस प्रस्तावक लाने में कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन इस प्रकार का भेदभाव विद्यमान है। उनके दिल में यह भावना है कि "हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम मान्यताप्राप्त पार्टी है और हमारा भविष्य है"

सभापति महोदय, मुझे इस बात की पूरी जानकारी है कि मान्यताप्राप्त पार्टियों द्वारा चुनाव को गम्भीरता से न लेने वाले उम्मीदवार खड़े करने के अनेक उदाहरण हैं। वे एक विशेष उम्मीदवार को एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र में खड़ी करती है जिसका निहित स्वार्थ होता है। लेकिन यह कहना उम्मीदवारों को दस प्रस्तावकों की आवश्यकता है और तथाकथित राष्ट्रीय पार्टियां यह कहने की उदण्डता करती हैं कि "हमें समस्त निर्वाचन क्षेत्र में दस प्रस्तावकों की भी आवश्यकता नहीं है।" इस उदण्डता अथवा इस प्रकार के वर्गीकरण को, मुझे पूर्ण विश्वास है, हमारे देश में न्यायालय अस्वीकार कर देंगे।

खंड 9 में मान्यताप्राप्त किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु होने पर मतदान को स्थगित करने की व्यवस्था है। मैं स्वतंत्र उम्मीदवार की बात समझ सकता हूं और उसके स्थान पर दूसरा उम्मीदवार खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन एक पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार की मृत्यु एक गम्भीर मामला है। यदि आप पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार की मृत्यु पर मतदान स्थगित नहीं करते हैं, यदि आप मृतक उम्मीदवार के स्थान पर दूसरे उम्मीदवार को खड़े होने की अनुमति नहीं देते हैं, तब आप उस पंजीकृत पार्टी को चुनाव लड़ने से पूर्णतया वंचित रखते हैं।

मेरी यह बात समझ में नहीं आती कि ये राजनीतिक पार्टियां इन पंजीकृत पार्टियों से इतना डरती क्यों हैं और उन्हें चुनाव लड़ने से बाहर रखना क्यों चाहती हैं। पंजीकृत पार्टी एक गम्भीर पार्टी हो सकती है और एक गम्भीर उम्मीदवार खड़ा कर सकती है और यदि उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो उस पंजीकृत पार्टी को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जाना चाहिये और उस मृतक उम्मीदवार के स्थान पर अन्य उम्मीदवार खड़ा करने की अनुमति दी जानी चाहिये। इसका उम्मीदवार की गम्भीरता अथवा गैर-गम्भीरता से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्राकृतिक कारण से उसकी मृत्यु हुई और इसके स्थान पर अन्य उम्मीदवार खड़ा करने की अनुमति दी जानी चाहिये। अतः यह पूर्णतया आधारहीन तर्क है।

संविधान की धारा 14 में प्रत्येक व्यक्ति के लिये कानून द्वारा समान संरक्षण की व्यवस्था है और उम्मीदवार को कानून के अन्तर्गत समान संरक्षण देने से इंकार करना भेदभाव होगा। मुझे इस बात की पूरी जानकारी है कि धारा 14 में वर्गीकरण का सिद्धांत निहित है। लेकिन वर्गीकरण का सिद्धान्त कुछ सीमाओं, प्रतिबन्धों और कसौटियों पर आधारित है...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप कृपया अगले विषय पर आयें क्योंकि आप इस विषय पर बोल चुके हैं।

श्री जी.एम. बनातवाला : मुझे दुख है कि आप इसे सहन नहीं कर पा रहीं। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। चुनाव भी सम्पूर्ण प्रक्रिया ही समाप्त हो जायेगी...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री बनातवाला जी, आप कल यहां नहीं थे और मैं यहां सारी रात मौजूद थी।

श्री जी.एम. बनातवाला : इसलिये, मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं और मैंने इस बात पर नेताओं की बैठक में भी जोर दिया था। आपके निर्देश का आदर करते हुए मैं खंड 5 के बारे में उल्लेख करूंगा तब नेताओं की बैठक में माननीय गृह मंत्री ने यह यद्यपि अधिक सदस्यों ने बैठक में यह विषय नहीं उठाया था। अतः मैं सभा से यह अनुरोध करता हूं कि इस विशेष वर्गीकरण और भेदभाव का कोई आधार नहीं है।

सभापति महोदय, खंड 5 में प्रचार की अवधि 20 दिन से घटाकर 14 दिन करने की व्यवस्था है। श्री जार्ज फर्नान्डीज ने, जिन्हें मैंने कुछ मिनट पहले नाराज कर दिया था, इस विषय पर काफी कुछ कहा है। उनके द्वारा उठाया गया यह विशेष मुद्दा वैद्य मुद्दा है। जब मतदान टुकड़े-टुकड़े में होता है और विभिन्न तारीखों को होता है, तब जो लोग मतदान में पहले जाते हैं, जिन उम्मीदवारों का चुनाव पहले होता है, वे अन्यों की तुलना में अलाभ में रहते हैं। इस बात पर विचार किया गया है। मैं इस विषय पर और कुछ नहीं कहूंगा। किन्तु यहां मतगणना का प्रश्न भी है। मतगणना के सम्बन्ध में कृपया पूर्व रिपोर्टों और सिफारिशों पर विचार करें। लगभग सभी भूतपूर्व आयोगों और समितियों ने तुरन्त मतों की गणना पर जोर दिया है। श्री जार्ज फर्नान्डीज को याद होगा कि जब वह बम्बई से ससंद का चुनाव लड़ रहे थे और मैं उनके साथ महाराष्ट्र विधान सभा का चुनाव लड़ रहा था तो उन्होंने कहा था कि मतदान बक्सों को सावधानी से सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिये। मुझे याद है कि जिस भवन में बक्से रखे

गये थे उसके दरवाजे पर सेवक नियुक्त किये गये थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि मतदान होने के एक सप्ताह, अथवा दस दिन अथवा 15 दिन अथवा एक महीने बाद तक हमें मतगणना के लिये इन्तजार करना पड़ता है। इस स्थिति पर अवश्य विचार किया जाना चाहिये।

अब मैं जमानत राशि से सम्बन्धित खंड का उल्लेख करूंगा। आप जमानत राशि की संख्या तथा राशि में वृद्धि कर इसे 5000 रुपये कर सकते हैं लेकिन यदि इसका आशय चुनाव को गम्भीरता से न लेने और उम्मीदवारों को बाहर रखना है तो मुझे इस बात में पूरी शंका है कि इस राशि को 10000 अथवा 5000 रुपये करने से कुछ लाभ होगा। लेकिन मैं सर्वप्रथम यह कहूंगा कि एक उम्मीदवार को केवल एक स्थान से ही चुनाव लड़ने की अनुमति होनी चाहिये। लेकिन, यदि किसी व्यक्ति को दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाती है तो उसे एक क्षेत्र से अधिक जमानत राशि जमा करनी होगी। उसे अधिक से अधिक जमानत राशि जमा करनी होगी और जिस निर्वाचन क्षेत्र से वह बाद में जाता है, उस निर्वाचन क्षेत्र के लिये जमा जमानत की राशि को जब्त कर लिया जाना चाहिये। यदि आप कुछ लोगों को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की विशेष सुविधा देना चाहते हैं तो इस मामले में अवश्य विचार किया जाना चाहिये।

खंड 3 में इस बात का प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष अपराध का दोषी पाया जाता है त.. उसे छः वर्ष के लिये अयोग्य करार दे दिया जाता है। यह बहुत अच्छा खंड है। राष्ट्र के प्रति अनादर करने वाले दूसरे अपराधों को भी इसके अन्तर्गत लाया जाना चाहिये। आप इसमें और जितने चाहे अपने इच्छानुसार शामिल कर सकते हैं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

लेकिन मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं वह विभिन्न अपराधों की सिद्धी के लिये विभिन्न अधिनियमों में की गई व्यवस्था के क्रियान्वयन पर गम्भीरता से विचार करे। उदाहरणार्थ, इस सदन में हमने पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम, 1991 को पारित किया था।

सभापति महोदय : कृपया उसका उल्लेख न करे।

श्री जी.एम. बनातवाला : यह अधिनियम पारित कर दिया गया था। यह अधिनियम अभी भी विद्यमान है। इस खंड 3 में किसी व्यक्ति को छः वर्ष तक अयोग्य करार देने की व्यवस्था है। लेकिन मैं केवल इतना ही कहूंगा कि 1991 से 1996 तक इस अधिनियम का कभी भी पालन नहीं किया गया है। लोग दण्डाभाव के कारण इस अधिनियम को चुनौती दे रहे हैं, दण्डाभाव के कारण पूजास्थलों को बदलने की बातें की जा रही हैं और फिर भी एक भी मुकदमा अथवा एक भी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया गया है। यदि आप किसी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाते हैं, उसके विरुद्ध दोष सिद्ध नहीं कर पाते तब यह पूरा खंड ३ विधेयक में सजावट की वस्तु और मात्र संतोष की वस्तु रह जायेगी।

खंड 2 में चुनाव ड्यूटी करने से इंकार करने के लिये सजा बढ़ाने की व्यवस्था है लेकिन तभी यह उपबन्ध की व्यवस्था है जिसमें कहा गया है "बशर्ते इंकार करने का उचित आधार हो" अब शब्द 'उचित' बड़ा लचीला है। यह बहुत अस्पष्ट है अतः इस खंड को लागू करते समय उचित सावधानी की आवश्यकता है।

मैं अपना भाषण यह कहते हुए समाप्त करूंगा कि चुनाव सुधार के लिये अनेक क्षेत्र हैं। यह दुख की बात है कि यद्यपि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तथापि मत देने का अधिकार और उम्मीदवार को खड़े होने के अधिकार को मूलभूत अधिकारों के अन्तर्गत नहीं लाया गया है। ये केवल कानूनी अधिकार लोकतंत्र का आधारभूत ढांचा है। लेकिन यह मूलभूत अधिकार नहीं है। मैं सरकार से यह अवश्य अनुरोध करूंगा कि वह मतदान के अधिकार, चुनाव में भाग लेने के अधिकार को संविधान में संशोधन कर मूलभूत अधिकार में शामिल करे।

उचित मतदाता सूचियों का भी प्रश्न है। वर्तमान मतदाता सूची दोषपूर्ण है। बड़ी संख्या में नाम छूट जाते हैं। बड़ी संख्या में लोगों के नामों को निकाल दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में मैं यह कह सकता हूं कि कुछ भागों में मतदाता सूची में यह लिखा है "उम्मीदवार शून्य" इसका अभिप्राय यह है कि गलियों में बड़ी संख्या में लोग हैं लेकिन कोई भी मतदाता नहीं है। यह कैसा मजाक है कम से कम मतदाता सूची तैयार करते समय यह देखा जाना चाहिये कि क्या मतदाता सूची उचित प्रकार से तैयार की गई है। यदि गलत नाम शामिल किये जाते हैं, तो गलती को दूर किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर जब कभी मतदाता मेरे पास आता है तो मैं अपना नाम गुलाम मुहमूद बताता हूं। वे नहीं समझते। मैं उनको बताता रहा कि गलती हो गई है। जो कुछ भी गलती हो गई हो, उसे ठीक किया जाना चाहिये और इसके लिये हम सबको सहयोग करना चाहिये।

आप गणनाकार नियुक्त करते हैं। जब अब गणनाकार को एक विशेष क्षेत्र में भेजते हैं तो उन्हें इस क्षेत्र के बारे में अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिये ताकि मतदाता सूची में कम से कम गलतियां हों। यह बड़ी संख्या में नामों के काटे जाने और अन्य बातों के अलावा है।

हमारे यहां बहुमत की व्यवस्था है। जिस उम्मीदवार को अधिकतम मत प्राप्त होते हैं। वह चुन लिया जाता है। अब यह पद्धति पुरानी हो गई है। हमें मतदान के मामले में समानुपातिक प्रणाली अपनानी चाहिये। अनेक प्रणालियां हैं। मैं इस बारे में विस्तर से उल्लेख नहीं करूंगा। इस समानुपातक प्रणाली से एक ऐसी सभा का गठन होगा जिसमें समूचे राष्ट्र की झलक दिखाई देगी। विशेष क्षेत्रों में सख्त कदम उठाने का समय आ गया है। आज सूची प्रणाली के साथ समानुपातिक मतदान प्रणाली की आवश्यकता है इससे चुनाव के प्रति गम्भीर अथवा गम्भीर न रहने वाले उम्मीदवारों, स्वतन्त्र और पार्टी उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त है और पंजीकृत पार्टी उम्मीदवारों सम्बन्धी अनेक समस्याओं का समाधान हो जायेगा।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे आशा है कि सरकार और सभा मेरे द्वारा दिये गये सुझावों पर उचित ध्यान देंगी।

मैं सरकार को चुनाव सुधार सम्बन्धी विधेयक को उचित दिशा में ले जाने के लिये मुबारकबाद अवश्य दूंगा। मैं आशा करता हूं और सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि सरकार राजनीतिक पार्टियों में इस विधेयक के सम्बन्ध में और सहमति पैदा करने का प्रयास करेगी और अधिक व्यापक चुनाव सुधारों के बारे में निरन्तर प्रयास करती रहेगी।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, अभी भी 13 सदस्यों के नाम बाकी हैं जिन्होंने चर्चा में भाग लेना है। अतः मुझे आपसे अनुमति लेनी है। जैसाकि हमने पहले किया था, प्रत्येक सदस्य पांच मिनट बोलेगा

(व्यवधान)

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) : (प.बं.) तब आपको सभा का समय बढ़ाना पड़ा था...**(व्यवधान)**

श्री आई.डी. स्वामी (करनाल) : जब कोई नया सदस्य बोलने को उठता है-चूंकि उसे कोई पहचानता नहीं-घंटी बज जाती है और मुश्किल से उसे बोलने के लिये लगभग एक मिनट का समय दिया जाता है। लेकिन जब पुराने सदस्य बोलने के लिये खड़े होते हैं तो वे 30 अथवा 40 मिनट तक लगातार बोलते रहते हैं और कभी-कभी उनका भाषण विधेयक से तर्क संगत नहीं होता...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी चर्चा करने के लिए जल्द करने से बात नहीं बनेगी और इतनी जल्दी आज हमें नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आज पारित हो जायेगा तो कल से लागू करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अच्छी चर्चा करने के लिए, अच्छा समय चाहिए। समय के बिना बात नहीं होगी और बात नहीं होगी तो आखिर जिस बात को हम करना चाहते हैं चुनाव सुधार के लिए, वह चुनाव सुधार करने से पहले विचार बहुत आवश्यक है तभी लागू कर पायेंगे और इसलिए आधा-अधूरा बिल तो ऐसे भी हैं, उससे कुछ बनने वाला भी नहीं है। कुल मिला करके हम अपने आपको छलावा दे रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हमें कम से कम इस बात पर सहमत होना होगा कि जब तक ये सदस्य अपने भाषण समाप्त नहीं कर लेते, तब तक हमें सभा का समय बढ़ाते रहना होगा और मैं उनसे अपील करती हूं कि यथासंभव संक्षेप में भाषण दें।....

(व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय कल हम सारी रात बैठे थे। आपको यह देखना चाहिये सचिवालय के कर्मचारी कल से काम कर रहे हैं।

सभापति महोदय : इन नामों के बारे में क्या किया जाये? चर्चा समाप्त करनी है। इसके बाद पार्टियों के नेताओं को संशोधनों के बारे में विचार करना है। अतः समय नहीं बचेगा। क्या ऐसा नहीं है?

श्री मनोरंजन भक्त : कितने सदस्यों को बोलना है?

सभापति महोदय : तेरह।

श्री आई.डी. स्वामी : मेरा सुझाव यह है कि आगामी किसी कार्यकारी दिवस पर एक घंटे का समय और इसके लिये आवंटित किया जाये ताकि इस विषय पर उचित चर्चा की जा सके। यदि सुझावों पर चर्चा ही नहीं की जाती तो उन्हें विधेयक में किस प्रकार शामिल किया जायेगा।...**(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : वास्तव में हमें और अधिक समय तक चर्चा करने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रश्न यह कि इस विषय पर गत पांच, सात अथवा दस वर्ष से लगातार चर्चा हो रही है। यह विधेयक चयन समिति को भेजा गया था। इस पर चयन समिति ने सिफारिशें की थी और इसके बाद सब पार्टियों की दो बैठकें हो चुकी हैं।

सब पार्टियों की बैठक के बाद जिन विषयों पर सर्वसम्मति से सहमति हुई है उन्हीं विषयों का चर्चा के लिये यहां लाया गया है। अभी चर्चा समाप्त नहीं हुई है।

श्री आई.डी. स्वामी : तब हम अपना हाथ उठाते हैं और कहते हैं पारित हो गया। हम इस प्रकार कर सकते हैं। हमें चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री श्रीकान्त जेना : जैसाकि माननीय सदस्यों ने कहा है कि जहां तक चुनाव सम्बन्धी सुधारों का प्रश्न है, यह एक व्यापक विधेयक नहीं है। सरकार की भी यही राय है कि विधेयक अभी सम्पूर्ण नहीं है। जिस बात पर भी सहमति हुई है कम से कम उसे विधेयक में शामिल किया जाना चाहिये। बाकी विषयों पर अन्य राजनीतिक दलों से चर्चा जारी रहेगी। यह केवल सरकारी कार्य नहीं है क्योंकि इस विषय पर सब राजनतिक पार्टियों ने सहमति व्यक्त की है। इस मामले में शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए, मैं सभा को केवल याद दिलाना चाहता हूं कि ...**(व्यवधान)** मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि सदस्य जो सुझाव देना चाहे, दें, जो बोलना चाहे, बोलें। उन्हें अपने सब सुझाव देने चाहिये। संशोधनों के बारे में मैं विधि मंत्री को सुझाव दूंगा, यद्यपि सोमवार अवकाश है, तथापि सब दलों की बैठक कर सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं, ताकि चर्चा के बिना मंत्री इसका उत्तर देंगे और हम विधेयक पास कर सकते हैं और इसे राज्य सभा भेजा जा सकता है क्योंकि राज्य सभा में इस पर चर्चा में कुछ समय लगेगा 31 जुलाई से पहले, हम चाहते हैं कि यह विधेयक पारित कर दिया जाये। सरकार की यही राय है। कल हम सब सुबह 7.20 तक सभा में थे। मैं यह नहीं कह रहा कि हमें एक-दो घंटे और बैठना चाहिये। लेकिन जितना भी समय हम बैठ सकते हैं, उतना समय बैठे, कम से कम आधा घंटा और। इस अवधि में तीन-चार सदस्य बोल सकते हैं। तब हम चर्चा समाप्त कर सकते हैं और इस पर 31 तारीख को फिर चर्चा कर सकते हैं। यही मेरा अनुरोध है।

डा. सत्य नारायण जटिया : अभी 13 सदस्यों को बोलना है तीन या चार नहीं।

श्री मनोरंजन भक्त : आप एक बात कर सकते हैं। आप किसी दल के एक अथवा दो ऐसे सदस्यों को बोलने का अवसर दे सकते हैं, जिन्हें अभी तक बोलने का अवसर नहीं दिया गया है।

डा. सत्यनारायण जटिया : नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। हम बोलने के लिये काफी समय से यहां बैठे हैं।

सभापति महोदय : अच्छा हम चर्चा आरम्भ करते हैं फिर देखेंगे।

श्री आई.डी. स्वामी: इससे पूर्व सदस्य तीस से पैंतालीस मिनट तक बोले हैं लेकिन अब आप केवल उन बारह सदस्यों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहती हैं जो बोलने के लिये बाकी रह गये हैं। आप उनसे कह रही हैं कि आप एक मिनट अथवा आधा मिनट बोलकर घर जायें। यदि आपकी यही राय है कि पहले ही से इस पर विचार किया जा चुका है और सब दलों की इस पर सहमति हो चुकी है, तो इस चर्चा की क्या आवश्यकता है और सभा का समय बर्बाद करने की क्या आवश्यकता है?...**(व्यवधान)** हम कुछ सुझाव देना चाहते हैं। आप हमें आगामी कार्य दिवस पर चर्चा के लिये समय दे सकते हैं। एक घंटे का समय अधिक नहीं होता है। हम किसी और मामले में यह कमी पूरी कर सकते हैं।

सभापति महोदय : नहीं, मंत्री महोदय ने बताया है कि तकनीकी रूप से यह सम्भव नहीं है। उन्होंने बताया है कि चर्चा बाद में भी चलती रहेगी। चुनाव सुधारों पर यह चर्चा का अन्तिम दिन नहीं है।

अब हमें चर्चा आरम्भ करनी चहिये। मैं सब माननीय सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि वे अपना भाषण संक्षिप्त में दें।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का समय देने के लिये महोदया मैं आपका धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी पार्टी आर.एस.पी. की ओर से विधेयक का सामान्यतया समर्थन करता हूं। लेकिन कुछ विशेष मुद्दों पर मैं इसका विरोध करता हूं और मुझे एक विशेष मामले में समय को 21 दिन से घटाकर 14 दिन करने पर आपत्ति है। महोदया, मैं आपकी अनुमति से विधेयक के पृष्ठ 3 पर धारा 30 के संशोधन के बारे में खंड 5 से उद्धृत करना चाहता हूं :—

> "1951 के अधिनियम की धारा 30 के खंड (घ) में, "बीसवें दिन" के स्थान पर "चौदहवें दिन" शब्द रखे जायेंगे।"

मुझे इस खंड के बारे में आपत्ति है। मेरा सुझाव है कि शब्द **'बीसवें दिन'** बना रहे और उसे शब्द "चौदवें दिन" के स्थान पर रखा जाये।

मेरे मित्र और मेरे दल के सहयोगी सदस्य श्री एन. के रामचन्द्रन ने धारा 33 में संशोधन के बारे में नोटिस दिया है। आपकी अनुमति से मैं विधेयक से उद्धृत करता हूं :

> "परन्तु कोई अभ्यर्थी, जो किसी मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा नहीं किया गया है किसी निर्वाचन क्षेत्र से निर्बाचन के लिये सम्यक् रूप से नाम निर्देशित किया गया नहीं समझा जायेगा जब तक कि नाम निर्देशन पत्र पर दस ऐसे प्रस्तावकों द्वारा जो निर्वाचन क्षेत्र, के निर्वाचक हों, हस्ताक्षर न किये गये हों।"

इस विषय पर मुझे अपनी स्थिति स्पष्ट करने दें। इस बात की आशंका है कि कोई राजनतिक दल जिसे एक बार मान्यताप्राप्त हो जायेगी। अन्य राज्य में उसका राजनीतिक सम्बन्ध समाप्त हो जायेगा। एक मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल अथवा पंजीकृत दल द्वारा किसी ऐसे स्थान के लिये उम्मीदवार न खड़ा करना उचित होगा। यह कहना उचित होगा कि स्वतंत्र उम्मीदवार अपनी इच्छा से नामनिर्दिष्ट नहीं हो सकेंगे और यदि नामांकन पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं, तो इसके लिये दस अथवा अधिक प्रस्तावकों की आवश्यकता होगी।

एक महत्वपूर्ण विषय चुनाव का खर्च सरकार द्वारा वहन करने के बारे में है। हमने दिनेश गोस्वामी समिति की रिपोर्ट का अध्ययन किया है। चुनाव खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाना इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा और चुनाव खर्च सरकार द्वारा वहन किये जाने के परिणामस्वरूप हम अपने आदर्शों को पूरा कर सकेंगे।

अन्य विषय राजनीति में अपराधीकरण के सम्बन्ध में है। यह दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने पहले अपने शासन काल में राजनीति में अपराधीकरण धन शक्ति और बल प्रयोग की अनुमति दी थी और धन और बल का प्रयोग आज चुनाव में आम बात हो गई है ...**(व्यवधान)**

श्री मनोरंजन भक्त : आप सब जगह कांग्रेस की बात करते हैं। इस बात की कोई सीमा होती है...**(व्यवधान)**

श्री प्रमथेस मुखर्जी : यह इसलिये कि आप 1947 से सत्ता में थे और गत 50 वर्ष के दौरान, जिस अवधि में आप सत्ता में रहे, ऐसा ही किया जाता रहा। इसलिये मैंने ऐसा किया...**(व्यवधान)**

श्री ए.सी. जोस (इडुक्की) : बंगाल के बारे में आपका क्या मत है?

सभापति महोदय : प्रश्न अपराधीकरण के बारे में है। उनका यह अनुरोध है कि देश में अपराधीकरण को रोका जाना चाहिये। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

(व्यवधान)

श्री प्रमथेस मुखर्जी : यह अलग बात है...**(व्यवधान)**

श्री प्रदीप भट्टाचार्य (सेरमपुर) : महोदय, यह बात नहीं है कि हम यहां आये और चुपचाप बैठे रहें। हम सब सुन रहे हैं। वह जो कह रहे हैं वह सही नहीं है।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : हम इन सब बातों में क्यों उलझ रहे हैं? प्रश्न अपराधीकरण के बारे में है और इस पर हम सबने अपने विचार व्यक्त किये हैं। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री ए.सी. जोस : बंगाल में वामपंथी दलों ने किसी को कभी राजनीति से नहीं जोड़ा है।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : इसलिये आप राजनीति में लोकतंत्र लाना चाहते हैं

(व्यवधान)

श्री प्रमथेस मुखर्जी : विधेयक में इस बात को शामिल किया जाना चाहिये।...**(व्यवधान)**

मैं प्रेक्षकों की नियुक्ति के बारे में बोलना चाहता हूं, जो विधेयक का एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्रेक्षक की नियुक्ति के बारे में सांविधिक आधार होना चाहियं। मैं इस तथ्य से सहमत हूं। गत चुनावों में मुझे इस बारे में बहुत कुछ अनुभव हुआ है। पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और वाशिंगटन में भूतपूर्व राजदूत श्री सिद्धार्थ शंकर रे मेरे विरूद्ध लड़ रहे थे...**(व्यवधान)**

श्री प्रदीप भट्टाचार्य : आप फिर नाम ले रहे हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? आपको नाम नहीं लेना चाहिये।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। वह ऐसे व्यक्ति का नाम यहां नहीं ले सकते जो यहां नहीं आ सकता हो और उत्तर नहीं दे सकता हो। उनका नाम नहीं लिया जाना चाहियं।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : वह चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार थे।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, उनके नाम को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला जाना चाहिये।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : वह मेरे विरूद्ध उम्मीदवार थे। मैं मतगणना के दौरान प्रेक्षकों के व्यवहार के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं।

समापति महोदय : तब आप बाहर के किसी व्यक्ति का नाम न लें।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : जी, हां महोदया। वह मेरे विरुद्ध उम्मीदवार थे। जब मुझे पता लगा कि मेरे विरुद्ध चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार 25,000 मतों से पीछे चल रहा है, मैंने कुछ नहीं कहा।

अपराह्न 7.00 बजे

इस प्रकार समाचार का उल्लेख करने में मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। लेकिन मैं उस घटना का उल्लेख कर रहा था। जब मेरे विरुद्ध चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार 24,000 मतों से पीछे चल रहा था तो अचानक इस प्रेक्षक ने मतगणना रोक देने की घोषणा की, जिसका कोई भी कारण नहीं था। मैंने इस बारे में पूछताछ की। मैं इस बात का सभा में इसलिये उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रेक्षक को इतने अधिक अधिकार नहीं दिये जाने चाहिये। उसे निरंकुश अधिकार नहीं दिये जाने चाहियं। मेरा कहने का आशय यही है।

विधेयक का एक महत्वपूर्ण पहलू उम्मीदवार द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि है। यह न्यायोचित है कि जमानत राशि बढ़ाई जानी चाहियं। इसे 5000 रुपये तक अथवा इससे अधिक बढ़ाया जा सकता है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के मामले में यह राशि 2500 रुपये होनी चाहिये इससे अधिक नहीं। इस बारे में मेरा यह विनम्र सुझाव है। मैं व्यापक विधेयक लाने का समर्थक हूं और यदि आवश्यक हुआ तो हम इस विषय में एक मत होने के लिये सुझाव देंगे।

श्री आई.डी. स्वामी : सभापति महोदया, यद्यपि मेरे दल और मैं इस विधेयक का समर्थन करने को मजबूर हूं क्योंकि इस विधेयक के मामले में राजनीतिक दलों में सर्वसम्मति हो चुकी है। मैं यह कहूंगा कि बेदिलो से किया गया यह प्रयास किसी को भी संतुष्ट नहीं करता है। मैं 1956 से 1987 तक रिटर्निंग अधिकारी रहा हूं और मेरा अनुभव यह रहा है कि आप चाहे उन्हें कितनी शक्ति दे दें लेकिन जब तक एक व्यापक विधेयक जिसमें सब कुछ शामिल न किया जायेगा तब तक कुछ लाभ नहीं होगा। रिटर्निंग अधिकारियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1958 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत पहले ही अधिकार प्राप्त हैं। अब यह संशोधित विधेयक भी लाया जा रहा है। यह भी वायदा किया गया है कि एक अन्य व्यापक विधेयक लाया जायेगा। अभी भी हम आचार संहिता के बारे में निर्णय नहीं ले सके हैं क्या इसे सांविधिक बनाया जाये अथवा नहीं और क्या फोटो पहचान पत्र को अनिवार्य किया जाये अथवा नहीं। जहां तक फोटो पहचान पत्र का सम्बन्ध है इस कार्य पर देश को बड़ी राशि पहले ही बेकार खर्च की जा चुकी है। सरकार को इस बारे में सोच विचार कर निर्णय लेना होगा कि क्या इस प्रक्रिया को रोका जाये। सब राज्यों में इस कार्य पर करोड़ों रुपये पहले ही व्यय किये जा चुके हैं। इसके अलावा यह निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है क्योंकि जैसे ही एक व्यक्ति 18 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा, उसके नाम को मतदाता सूची में शामिल करना पड़ेगा। हर छः महीने बाद मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना पड़ेगा जब कभी चुनाव अथवा उप-चुनाव होंगे फिर से मतदान सूची का पुनरीक्षण करना पड़ेगा। प्रत्येक वर्ष पहली जनवरी को मतदाता सूची का पुनः पुनरीक्षण करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि फोटो पहचान पत्र द्वारा मतदान केन्द्रों पर कब्जा नहीं रोका जा सकता। यह व्यावहारिक भी नहीं है क्योंकि उन गांवों में, हम देश के उन भागों में और राज्य के उन भागों में जहां बाहुबल का बहुत अधिक उपयोग होता है किया यह जाता है कि भूपति और मालिक गरीब और दलित वर्ग के लोगों को चौपाल में बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। उनको कहना पड़ता है

[हिन्दी]

जो आप चाहेंगे, जैसा आप चाहेंगे हम तो वैसा करना चाहते हैं। वोट तो आपको ही देना है और वे कहते हैं कि ठीक है, वोट आपका आ गया।

[अनुवाद]

इससे उन्हें मत देने का अनुचित अधिकार प्राप्त हो जायेगा क्योंकि वे उनका फोटो पहचान पत्र प्राप्त कर लेंगे और कार्ड को अपने पास रख लेंगे और गरीब लोग इस बारे में सब कुछ भूल जायेंगे, चूंकि फोटो पहचान पत्र के बिना वे मतदान नहीं कर सकेंगे। अतः इस फिजूल खर्ची को बन्द किया जाना चाहिये।

आचार संहिता का क्या हुआ? इस बारे में अभी यह निर्णय लिया जाना है कि क्या आचार संहिता को सांविधिक बनाया जाये अथवा नहीं। जहां तक प्रेक्षक का सम्बन्ध है, मैं यह कहूंगा कि यहां तक कि प्रेक्षक-आई.ए.एस. अधिकारी अथवा अन्य लोग उसी राज्य से तैनात किये जाते हैं, तो इसका कोई लाभ नहीं। उच्चतम और उच्च न्यायालय का अनुभव हमें है। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के

न्यायाधीशों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानान्तरण कर रहा है और इसके परिणाम अच्छे रहे हैं।

इसी प्रकार यदि सभी प्रेक्षकों को भेजना पड़े, तो उन्हें भारत सरकार से अथवा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भेजा जाना चाहिये। अतः यदि राज्य से प्रेक्षक भेजे जायेंगे तो वे उसी राज्य में अधिक प्रभावशाली नहीं होंगे।

सभापति महोदय : चूंकि निर्धारित समय समाप्त हो गया है हमें सभा का समय और आधे घंटे बढ़ाना चाहिये।

अनेक सदस्य : जी, हां।

श्री आई.डी. स्वामी : मतगणना के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। मतगणना के बारे में हमारा अनुभव है कि कभी-कभी एक चुनाव में यह निर्देश दिये जाते हैं कि मतगणना मतदान केन्द्रवार की जानी चाहिये। दूसरे चुनाव में चुनाव आयोग से निर्देश आते हैं कि गिनती दो बार होगी और मतगणना मतपत्रों को मिलाकर की जायेगी। इसका अभिप्राय यह हुआ कि सब लोग 18 से 24 घंटे तक बैठे रहेंगे। मुख्य कठिनाई उम्मीदवार और उसके एजेंट की होती है। मतगणना एजेंट के हस्ताक्षरों की फोटो कापी रिटर्निंग आफिसर के सामने लेनी पड़ती है। यह बहुत लम्बी प्रक्रिया है और इसमें बहुत समय लगता है। मतगणना एजेंटों की नियुक्ति होने पर वे 24 अथवा 48 घंटे से अधिक नहीं बैठ सकते। किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतगणना लगातार 48 घंटे तक चलती है। जहां तक मतगणना प्रेक्षकों, सरकार के मतगणना सहायक और कर्मचारी का सम्बन्ध है उन्हें आठ घंटे अथवा दस घंटे बाद बदला जाता है। किसी भी व्यक्ति के लिये शारीरिक रूप से यह कैसे सम्भव है कि वह 48 घंटे तक बैठा रहे। यदि आपको इन स्थानों को देखने का अवसर मिला हो-मतगणना हॉल जहां मतगणना एजेंटों को बैठना पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि वह चिड़ियाघर में बैठे हों, और ये मतगणना एजेंट, एक के बाद एक कूदते रहते हैं और दूर से देखते रहते हैं क्योंकि इन मतगणना एजेंटों के सामने कांटेदार तार लगे होते हैं। अतः सरकार को इस बारे में हमेशा के लिये कोई निर्णय लेना चाहिये।

मतगणना से पहले मतपत्रों को मिलाने के बारे में यह दलील दी जाती है कि इससे लोगों को यह पता नहीं लगेगा कि किस विशेष वर्ग ने किस व्यक्ति अथवा उम्मीदवार के लिये मतदान किया है। लेकिन राजनीतिक प्रक्रिया में 1952 में देश में पहला चुनाव लड़ा गया था और अब तक हम अनेक चुनाव लड़ चुके हैं अभी भी हमें इस बात का भय है कि इस बात का पता लग जायेगा कि किस वर्ग और लोगों ने हमारे पक्ष में अथवा किसी विशेष उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया। मैं यह बात अवश्य कहना चाहूंगा कि यह राजनीतिक प्रक्रिया का स्वरूप है। जो लोग इस राजनीतिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें यह जानने का अधिकार है कि वह कहां राजनीतिक दृष्टि से कमजोर हैं जहां उसे जनता की स्वीकृति प्राप्त नहीं है और आगामी चुनाव में उसे अपने चुनाव के अवसरों में सुधार लाने के लिये क्या करना चाहिये। न केवल उसे उसके चुनावी अधिकार से वंचित रखा जाता है बल्कि सरकारी तंत्र पर अनावश्यक रूप से भार डाला जाता है और उम्मीदवार और उसके चुनाव एजेंटों को भी लगातार 48 घंटे तक बैठना पड़ता है। यदि संसदीय चुनाव में रिटर्निंग अफिसर दिये गये विवेक का प्रयोग करता है और कहता है कि मतगणना दुबारा करने की अनुमति दी जाती है तो इसका यह अर्थ होगा कि 48 अथवा 72 घंटे उम्मीदवार और एजेंटों को और बैठना पड़ेगा। मतगणना में यह मुख्य कठिनाई है।

मैं अब एक मुख्य मुद्दे का उल्लेख करूंगा। यद्यपि इस बारे में न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यदि हम उम्मीदवारों की संख्या कम करना चाहते हैं तब जमानत की राशि 5000 अथवा 10,000 बढ़ाने का कोई लाभ नहीं होगा। इन्हीं लोगों के कारण, जो उम्मीदवार यह सोचते हैं कि उनके राजनीतिक एजेंट, उनके मतगणना एजेंट, उनके मतदाता एजेंट, एक से अधिक होने चाहिये, आधे दर्जन लोग वहां होने चाहिये, नकली उम्मीदवार सब पार्टियों द्वारा खड़े किये जाते हैं, तो उन्हें 5000 अथवा 10,000 रुपये जमानत की राशि जब्त भी हो जाती है तो वे इसे बर्दास्त कर लेंगे। लोकतांत्रिक प्रणाली में, यदि राजनीतिक दलों को मुख्य भूमिका अदा करनी है, चाहे वे मान्यताप्राप्त पार्टियां हों, अथवा अखिल भारतीय पार्टियां हों, तब राजनीतिक पार्टियों को उम्मीदवार खड़ा की अनुमति दी जानी चाहिये और स्वतंत्र उम्मीदवारों को खड़े होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। इस विधेयक को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। स्वतंत्र उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से इंकार किया जा रहा है। हमें इस बारे में अवश्य किसी उपाय पर विचार करना चाहिये। धारा 14 की सहायता ली जायेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है। इसके साथ ही जमानत राशि 5000 से 6000 रुपये और 500 से 1000 रुपये करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं।

जहां तक उम्मीदवारों की सूची तैयार करने का प्रश्न है यह एक बड़ी मामूली बात है। हमारे एक माननीय वरिष्ठ सदस्य ने मान्यता प्राप्त दलों और अखिल भारतीय दलों का उल्लेख किया है। मेरे विचार से यह केवल वर्णाक्रमानुसार उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के लिये है। अन्य किसी प्रयोजन के लिये यह संशोधन नहीं लाया जायेगा। सर्वप्रथम वे अखिल भारतीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को लेंगे और फिर अन्य दलों को। यही केवल एक मात्र तरीका है जिससे आप चुनाव के लिये उम्मीदवारों की उचित वर्णाक्रमानुसार सूची तैयार कर सकते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज ने एक मुद्दा उठाया है। मतदान का परिणाम मतदान केन्द्र पर सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। यह धारा 20(ख) है। उनका कहना है कि यदि छोटा अपराध भी किया जाये तो इसके लिये सजा दी जानी चाहिये। इस बारे में हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रत्येक अपराध के लिये सजा दी जानी चाहिये। अपराध के लिये सजा देने हेतु सख्त उपबन्ध बनाये जा रहे हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि जो न केवल एक मतगणना मेज पर कुछ मतपत्र नष्ट करते हैं बल्कि इसके लिये एक व्यक्ति का चयन भी करते हैं। उसे इसके लिये पकड़ा जा सकता है। उसे जेल नहीं भेजा जाना चाहिये क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया बहुत सुस्त और लम्बी है और अन्ततः वह रिहा हो सकता है और एक मतगणना मेज पर कुछ मतपत्र नष्ट कर वह सारी प्रक्रिया

बेकार कर सकता है क्योंकि वह यह जानता है कि वह चुनाव हार रहा है। अतः यद्यपि रिटर्निंग आफिसर अथवा प्रेक्षक को यह करने का अधिकार है उसे यह अवश्य स्वयं संतुष्ट होना चाहिये कि यदि परिणाम का प्रतिकूल अथवा बुरा प्रभाव होने की सम्भावना है और यदि यह सुनिश्चित करना सम्भव न हो कि कौन सा उम्मीदवार जीत रहा है, तभी केवल परिणाम रोका जाना चाहिये और मतगणना रोकी जानी चाहिये अथवा पुनः मतगणना रोकी जानी चाहिये अथवा पुनः मतगणना का आदेश दिया जाना चाहिये। अन्यथा प्रत्येक उम्मीदवार जिसे यह पता लग जायेगा कि वह चुनाव हार रहा है, तो वह जैसे कि हमारे देश में परम्परा है, मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने के लिये असामाजिक तत्वों को किराये पर लेगा। किराये पर लिया गया एक गुंडा एक अथवा दो मतगणना मेजों पर कुछ मतदान केन्द्रों को नष्ट कर देगा और उसकी थोड़ी सी शरारत से सरकार, उम्मीदवार, उनके एजेंट और लोगों के सारे प्रयास बेकार हो जायेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि मेरे दल ने इसका समर्थन किया है। मैं बोलने का अवसर दिये जाने के लिये, यद्यपि बहुत रात में दिया गया है, आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री एस.के. कारवेंधन (पलानी) : महोदया, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं विधि मंत्री द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम सम्बन्धी संशोधनों को पुरःस्थापित करने की कार्यवाही का स्वागत करता हूं।,

मैं, सर्वप्रथम धारा 20(ख) के अन्तर्गत चुनावों और मतगणना के लिये प्रेक्षकों की नियुक्ति का स्वागत करता हूं।

धारा 33 और 34 में उम्मीदवारों को कम करने के लिये नये संशोधन किये गये हैं। मैं इस बारे में एक उदाहरण देना चाहूंगा। हाल ही के चुनावों में तमिलनाडु में 1000 से अधिक स्वतंत्र उम्मीदवार चुनाव लड़े थे। चुनाव स्थगित करना पड़ा था। धारा 33 और 34 में स्वतन्त्र उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की व्यवस्था है।

धारा 34 के बारे में मेरा सुझाव है कि उम्मीदवार के नामांकन के लिये 5000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपये किया जाना चाहिये। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मामले में यह राशि 2500 रुपये होनी चाहिये। अधिकांश सदस्यों ने यह स्वीकार कर लिया है। लेकिन मेरा विचार है कि इसे भी कम किया जाना चाहिये। धारा 52 के बारे में भी संशोधन का प्रस्ताव है। अब किसी उम्मीदवार की मृत्यु के कारण चुनाव को स्थगित नहीं किया जाना चाहिये। मैं इस संशोधन का स्वागत करता हूं। अधिकांश दलों के उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने के लिये बड़ी धनराशि खर्च की होती हैं। यदि किसी उम्मीदवार की मृत्यु के कारण चुनाव स्थगित कर दिया जाता है तो इससे सब उम्मीदवारों के अवसर समाप्त हो जाते हैं। मैं इस संशोधन का भी स्वागत करता हूं।

धारा 127 के बारे में भी कुछ संशोधन दिए गये हैं। पहली धारा में कहा गया था "तीन महीने अथवा जुर्माना, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है।" इस संशोधन अपराध को संज्ञेय अपराध माना गया था और एक अधिकारी कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता था। मेरा यह अनुरोध है कि इसमें संशोधन किया जाना चाहिये ताकि ऐसे व्यक्ति को जेल भेजा जा सके। मैं चुनावों में राजनीतिक अपराधीकरण के बारे में उल्लेख नहीं करूंगा। धारा 126 के बारे में बहुत संशोधन दिये गये हैं। मेरा अनुरोध है कि सभी उम्मीदवारों और मान्यताप्राप्त दलों को टेलीविजन पर बोलने का अवसर दिया जाना चाहिये। इससे खर्चे में कमी आयेगी। विदेशों में सभी उम्मीदवारों के टेलीविजन अथवा अन्य मीडिया पर चुनाव घोषित होने से पहले बोलने का अवसर देने की प्रक्रिया है। ऐसा अवसर भारत में भी दिया जाना चाहिये। इससे खर्चे में कमी आयेगी।

अतः मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इसमें कुछ संशोधन किये जाने की आवश्यकता है। यदि मुझे अपने दल की ओर से अवसर मिला तो मैं यह कहूंगा कि मैं उसका अवश्य उपयोग करूंगा और अपने दल के विचार व्यक्त करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : सभापति जी,

"एक ओर प्रजा, दूसरी ओर तंत्र और तीसरी ओर इंसाफ का लगा रखा है यंत्र।" लग रखा है यंत्र, इंसाफ यंत्रवत् होगा तो तंत्र किसके भरोसे चलेगा? इसलिए इस लोकतंत्र को सार्थक करने के लिए जो कुछ हम प्रयास कर रहे हैं, वे केवल ऊपरी-ऊपरी हैं। लोकतंत्र तो सार्थक तब होगा जब हम व्यवस्था को लागू करने के लिए, देश में स्वतंत्रता लाने के लिए जितने संघर्ष हुए, उसके परिणामस्वरूप हमारे यहां के प्रत्येक व्यक्ति का उद्धार हो सके, प्रत्येक व्यक्ति भी स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को आजादी का एहसास हो सके जो कि हमारे भारत के संविधान के प्रीएम्बल में साफ लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी ताकि प्रत्येक व्यक्ति को लोकतंत्र का एहसास हो सके। लोकतंत्र का एहसास प्रत्येक को होना चाहिये किन्तु हम देख रहे हैं कि पिछले पचास वर्षों में लोकतंत्र का लगातार ह्रास हो रहा है और जब लोकतंत्र का ह्रास हो रहा हो तो हो जाए, तो हम प्रसन्न हो रहे हैं कि कोई सरकार में हो जाता है। जो सरकार में हो जाता है, वह असरदार हो जाता है और जो सरकार से बाहर हो जाता है, उसका असर समाप्त हो जाता है। लेकिन इससे बात चलने वाली नहीं है और इसलिए सरकार बनाने वाले जो लोग हैं, जिनके कारण सरकार बनती है, उनके लिए भी यदि हमने चिन्ता नहीं की तो क्या किया? उनकी स्थिति में क्या बदलाव आया?

"क्या बदला जब मानवता की पीर वही, तस्वीर वही,
बदल गया है कुछ लोगों का जीवन।"
किन्तु आंसू पीने वालों का परिवार वही है।"

इसलिए हमें उन लोगों के लिए स्वतंत्रता लानी चाहिये। यदि हम उनके लिए स्वतंत्रता लाना नहीं चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस देश

की भलाई होने वाली नहीं है। जो कुछ व्यवस्थाएं सुझाई गई हैं, वे व्यवस्थाएं तो केवल व्यवस्थाओं के लिए हैं पत्थर से बदतर हो गए हैं कि :

"पत्थर से पत्थर का रिश्ता होता नहीं है,
और पत्थरों के दर्द पर कोई रोता नहीं है,
पत्थर ने कब दिखाया पत्थरों को रास्ता,
और पत्थर ने कब रखा है पत्थरों से वास्ता।"
"पत्थर के राज को जानता है पत्थर,
किन्तु पत्थर से बने सीमेंट से जुड़कर पत्थर हो जाता है पत्थर, यह आदमी ही है कि आदमियत से जुड़ता नहीं है, ऐसा लागत है कि पत्थर से भी बदतर हो गया है आदमी।"

आदमी को आदमीयत का एहसास हो जाए, इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। इसलिए जो कुछ भी सुझाव दिए गए हैं या जो कुछ भी प्रस्ताव दिए गए हैं, उन पर आपको विचार करना चाहिए। हमने चुनाव प्रणाली पेचीदा बना दी है और जहां तक मतदाता सूची की बात है, मतदाता सूची में दायित्व होना ही चाहिये। अनिवार्य रूप से मतदान कर सके, इस प्रकार का प्रत्येक नागरिक का योगदान लोकतंत्र में होना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि जो ज्यादा समझदार हो जाता है, वह वोट डालते नहीं हैं और जो इस समझ का नहीं होता है, उसको वोट डलवाने के लिए हम लेकर जाते हैं या जो भी व्यवस्था होती है। ऐसे में उसको समझ नहीं आता है कि उसको वोट का क्या करना है। जब यह स्थित है, तो उनको एजुकेट करने वाला कौन है। इसलिए जिस तरह से जो 50 बरसों से लोकतंत्र को चला रहे हैं, वह लोकतंत्र सही मायनों में लोकतंत्र नहीं है। इसलिए जब तक व्यक्ति को अपने मन से वोट डालने का अधिकार आ नहीं जाता है, तब तक इस व्यवस्था को कोई लाभ नहीं है। इसके लिए मतदान केन्द्रों की दूरी को कम करना चाहिए। शहरों में तो एक किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और गांवों में वोट डालने की नजदीक व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि वह जाकर वोट डाल सके।

जहां तक अमानत राशि की सीमा को बढ़ाने की बात है, सीमा को बढ़ाने के लिए हम जो उपबन्ध करने वाले हैं; उसमें ऐसा लगता है कि इसको बढ़ाने से कुछ होने वाला नहीं है। चुनाव व्यय की सीमा बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। खर्च का हिसाब तो हम ही रखते हैं। हिसाब ऐसा होता है, जैसा जरूरी होता है। तब हिसाब-किताब बनाकर हम को कुछ देना ही है, तो फिर ऐसा हिसाब-किताब किस लिए होता है। ऐसा बनाया हुआ हिसाब-किताब लोकतंत्र के साथ छलावा करते हैं और नियमों के साथ भी छलावा करते हैं। घोषणा करते हैं कि हमने जो हिसाब दिया है, वह मर्यादा से उतना ही दे दिया है। वास्तव में किस-किस ने कितना खर्च किया है, उसका हिसाब नहीं होता है। इसलिए इस लोकतंत्र को बचाने के लिए खर्च की व्यवस्था सरकार करे। उम्मीदवार न करे। ऐसी व्यवस्था करने की ओर निश्चय करना चाहिए।

प्रचार की अवधि को आप 14 दिन करने जा रहे हैं। 14 दिन से कुछ नहीं होने वाला है। एक संसदीय क्षेत्र के प्रचार में चुनाव प्रसार के लिए 14 दिन कुछ नहीं है, 25 दिन भी कुछ नहीं है और 60 दिन भी कुछ नहीं हैं। इसलिए नाम वापसी होने के बाद एक सप्ताह में मतदान हो जाना चाहिए। यदि कोई निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, तो वह अपनी परिस्थितियों के अनुसार चुनाव जीत कर आ जाएगा और यदि कोई पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, तो वह उसके प्रोग्राम के कारण चुनकर आने वाला है। इसलिए कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे लोकतंत्र के अन्दर भरोसा बढ़े। मसल पावर मनी-पावर 'मेनुपुलेशन एस्टीमेट' किया जाए, तब जाकर लोकतंत्र शुद्ध होगा। वैसे यह एक शुरूआत अच्छी है, परन्तु इस शुरूआत को आगे तक बढ़ाने के लिए समूचा संकल्प होना चाहिए। हमने एक कोशिश की है कि हम इस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। हम सब का आगे बढ़ने का इरादा है और यह जो कोशिश है, वह ईमानदारी से होनी चाहिए। ईमानदारी से कोशिश हो सकती है, तो लोकतंत्र सार्थक हो जाएगा। इस लोकतंत्र को ठीक प्रकार से सार्थक करने के लिए जिस दिशा में कदम बढ़ाया है, उस दिशा में कदम बढ़ाया जाना चाहिए।

यह कदम बढ़े, वह कदम बढ़े, हम कदम बढ़ायें मंजिल तक।
यह पौध लगे, वह पौध लगे, बढ़ जायें छाए मंजिल तक।
सब दुनिया दोस्त हमारी है, हर कली-कली फुलवारी है।
क्या बात बड़े या छोटे की, हर कोई मूरत प्यारी है।
इनको प्रणाम, उनको सिजदा, सौ-सौ आशायें मंजिल तक।

हमारा लोकतंत्र सफल हों, इन्ही शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : सभापति महोदय, मैं विस्तृत रूप से इस चर्चा में जाना चाहता था, लेकिन समय कम होने के कारण मैं समझता हूं कि विस्तार से जाना उचित नहीं होगा। विधेयक पर विचार-विमर्श हो रहा है और चुनाव सुधार के संदर्भ में हम सब मन्तव्य जाहिर कर रहे हैं। यदि हम चाहते हैं कि हम इसके मूल में पहुंचें और इसका निदान निकाला जाए तथा देश भर में चुनाव प्रक्रियाओं में होने वाली धांधलियों को रोकने के लिए हम चुनाव प्रक्रियाओं में परिवर्तन लाना चाहते हैं, इसमें यदि हम व्यवहार के मुद्दे को समझ लें कि चुनावी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार किस रूप में प्रविष्ट कर चुका है और किस प्रकार से व्यवहार में चुनावी धान्धलियां होती हैं, यदि हम इसका निदान कर देंगे, तो मैं समझता हूं कि जो चुनाव सुधार की रणनीति जो आप तैयार करना चाहते हैं, उसमे आप पूर्णतः सफल हो सकते हैं।

अब मैंने जो संशोधन दिए हैं, उनके बारे में कहना चाहता हूं। विशेषकर मैंने पर्यवेक्षक के संबंध में संशोधन दिया है कि उनकी भूमिका क्या होनी चाहिये। हाल-फिलहाल जैसा हम लोगों ने चुनाव कार्यक्रमों में देश में पर्यवेक्षक जाते हैं परन्तु उनके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं रहता। वे सिर्फ वहां से निर्देश दें सकते थे और चुनाव आयोग से संबंध स्थापित करने के बाद ही कोई कार्यक्रम आगे बढ़ा सकते थे।

इस विधेयक में जो संशोधन लाए गए हैं इसमें मैंने विशेष रूप से चुनाव ऑबजरवर्स को अधिक अधिकार देने के लिए कहा है। खास

करके बिहार जैसे प्रांत में मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं द्वारा मत डालने की जो प्रक्रिया है वह कल्पना से बाहर है। हम यहां व्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं कि जहां लोग लाइन लगाकर वोट डालने जाते हों, जहां इमपर्सनेशन की बात होती हो वहां तो पोल रिफार्म्स की बात समझ में आती है, लेकिन उस परिस्थिति में जहां मतदान केन्द्रों पर लोग जाते नहीं और वहां सौ फीसदी वोट डाले जाते हैं। हमारे सभी माननीय सदस्य यहां उपस्थित हैं। देश में प्रजातंत्र हैं लेकिन जो व्यवस्था आज बिहार में कायम है।...**(व्यवधान)** सब लोग इसी तरह से जीतकर आए हैं और बिहार के मामले में जो मुद्दे उठ कर आते हैं, माननीय मंत्री जी यहां उपस्थित हैं अगर आप चाहते हैं कि प्रजातंत्र जीवित हो, अगर आप चाहते हैं कि देश में परिवर्तन का कोई आधार लाएं तो आप बिहार की अलग से समीक्षा कराइए। उसकी स्टडी करवाएं और उसके बाद पोल रिफार्म्स लाइए। अगर आप बिहार को दुरूस्त करा देंगे तो देश में सभी इलैक्टोरल रिफार्म्स आपके सफल हो सकते हैं। मतदान केन्द्रों पर तीन-चार व्यक्ति जाकर यह निर्णय करते हैं कि पूरे गांव का वोट कहां जाए। बिहार राज्य में अधिकारी जाकर तय करते हैं कि कैसे मतदान हो।

मैं आपको उदाहरण के लिए बता सकता हूं कि जिसकी राज्य सरकार होती है वह तय करती है कि बी.एस.एफ. का डिप्लॉयमेंट किस बूथ पर होगा, जिलास्तर के पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किस बूथ पर होगा, कौन से पदाधिकारी कहां जाएंगे, इस पर निर्णय किया जाता है। अगर असेम्बली कांस्टीट्यूऐंसी हो, जहां ढाई सौ, तीन सौ मतदान केन्द्र हों, डेढ़ सौ मतदान स्टेशन हों, अगर आप 30 से 40 मतदान केन्द्रों पर पदाधिकारियों के माध्यम से, असामाजिक तत्वों के माध्यम से उसको मैनेज कर लेते हैं तो असेम्बली में पहुंचना और इसी तरह से संसदीय क्षेत्र में एक हजार बूथों में आप प्रशासकीय पदाधिकारियों के माध्यम से डेढ़-दो सौ बूथों को मैनेज कर लेते हैं। तो आप सांसद भी बन सकते हैं। पहले क्या होता है। अगर दारोगा आपके खिलाफ आपको असेम्बली में है तो धारा 107 के अंतर्गत आपके कार्यकर्ताओं को रात में पकड़ कर बंद करता है। फिर अगले दिन वहां फोर्स लगा देता है और आप मतदान केन्द्र पर नहीं जा सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि बहुत सारे मतदाता इसमें आते हैं।

मैंने चुनाव पर्यवेक्षकों के लिए अधिक अधिकार देने के लिए विशेष रूप से संशोधन दिया है। उसमें यह भी कहा है कि जो पदाधिकारी चुनाव की प्रक्रिया में प्रवेश कर-कर के खुद बूथ कैपचरिंग करते हों, जो पोलिंग बूथ पर जाकर मतदाताओं को डरा-धमका कर मतदान केन्द्र से दूर भगाते हों, वैसे पदाधिकारियों के लिए कड़े से कड़ा संशोधन लाना चाहिए ताकि पदाधिकारियों की जो मनमानी इस ब्यूरोक्रेसी में होती जा रही है और वह भी चुनावी प्रक्रिया में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं, वैसे लोगों पर भी अंकुश लगाने के लिए इसमें प्रावधान होना चाहिए, इस संशोधन को मैंने भी दिया है।

दूसरा मेरा कहना यह है कि अब आप कैसे पता लगाएंगे कि यहां बूथ कैपचरिंग हुई है या नहीं? मैं उत्तर बिहार के बारे में बता सकता हूं। आप पोलिंग स्टेशन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक हजार वोट में 999 वोट एक बूथ पर पड़े हैं। देश में क्या कभी भी यह संभव हो सकता है और उसमें भी 999 वोट का ठप्पा लगा हुआ है। आपके पास जो काउंटर फाइल आती है उसमें 999 में ठप्पा लगा हो सकता है। माननीय मंत्री जो यहां उपस्थित हैं आप बताइए कि आप किस पोल रिफार्म्स की यहां पर चर्चा कर रहे हैं, जब इन मूल मुद्दों पर आप विचार करके उसका निराकाण नहीं कर सकते हैं। प्रीसाइडिंग आफिसर तक के हस्ताक्षर जाली किए जाते हैं। इस सब परिस्थिति को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं, यह इसलिए आवश्यक हो गया है क्योंकि इन सब पर विचार करना जरूरी है। वैशाली जो सबसे पुराना बिहार में गणतंत्र था आज उसी गणतंत्र का सबसे बड़ा विनाश हुआ है। इस पूरी व्यवस्था में जिस तरह से वहां पर यह घाव फैलता जा रहा है यह पूरे देश में फैल जाएगा और आपका यह जो ऊपरी प्रस्ताव है, जिस तरह से पोल रिफार्म्स की बात आप ऊपरी स्तर पर कह रहे हैं यह सब विफल हो जाएगी। आज यह परिस्थिति बिहार में है, कल केरल में होगी, परसों कर्नाटक में होगी और फिर पूरे देश में फैल जाएगी। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी का तथा इस सदन का ध्यान इस तरफ आकृषित कर रहा हूं कि अगर आप बिहार के इस मामले का निराकरण कर सके तो अच्छा होगा। आज जिस तरह से मतदान केन्द्रों पर बूथ कब्जा होता है, जिस तरह से इस कार्य को किया जाता है इस समस्या को यदि आप दूर करेंगे तो आप इस पूरे अभियान में सफल हो पाएंगे।

महोदय, मैं काम्प्रीहेंसिव बिल की बात सुना करता था लेकिन जिस बिल को हम यहां देख रहे हैं यह ऊपरी स्तर पर इसके निराकरण की बात की गई है। यह भविष्य के लिए, प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, अपने आने वाले भविष्य की रक्षा के लिए, देश के भविष्य के लिए आवश्यक है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए और विशेष रूप से बिहार को एक उदाहरण के रूप में मानते हुए इसमें संशोधन का प्रस्ताव लाया जाए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, कृपया आज की कार्यवाही यहीं समाप्त करें। कर्मचारियों का भी ख्याल करें।

श्री ए.सी. जोस : अब कोई समयावधि न बढ़ायी जाये।

सभापति महोदय : हम केवल 15 मिनट के लिये समय बढ़ायेंगे। मुझे आपका और कर्मचारियों का पूरा ख्याल है। अभी दो अथवा तीन वक्ता बाकी हैं।

[हिन्दी]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैडम आप नहीं समझ रही हैं। एम्पलाइज में बड़ा बुरा रिएक्शन है।...**(व्यवधान)**

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह (औरंगाबाद) : माननीय सभापति महोदय, एक सुझाव मेरा इसमें है। जिन बूथों का बहिष्कार हो जाता है, जिसमें एक भी वोट नहीं है, वहां दुबारा मतदान की व्यवस्था होनी चाहिए। मेरे क्षेत्र में 80 बूथों का बहिष्कार हुआ और मात्र पांच बूथों

पर दुबारा मतदान कराया गया। दुबारा जब मतदान कराया गया तो वहां लोग मत देने गए। इसलिए दुबारा मतदान रखना चाहिए।

दूसरा सुझाव यह है कि जो दो जगह से चुनाव लड़ने की बात की जा रही है यह लोकतंत्र और जनता का अपमान है क्योंकि सांसदों को एक जगह से रिजाईन देना पड़ता है।

तीसरा मेरा सुझाव यह है कि जिस राज्य के आप मतदाता हैं, उसी राज्य से आपके चुनाव लड़ने का प्रावधान होना चाहिए। दूसरे राज्य से चुनाव लड़ने के सिस्टम को बंद कीजिए।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : यह नहीं होगा।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : नहीं होगा तो न हो। मैं विशेष कुछ न कहते हुए इस बिल के समर्थन में धन्यवाद देता हूं। जयहिंद।

श्री विजय गोयल (सदर-दिल्ली) : सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि काफी देर हो चुकी है। आज हम लोक प्रतिनिधित्व दूसरा संशोधन विधेयक 1996 के ऊपर विचार कर रहे हैं। सरकार जिस प्रकार से यह बिल लाई है, यह एक आधा-अधूरा कदम है। गीत की दो पंक्तियां किसी ने कही हैं "यह उथल-पुथल उत्ताल लहर, पत्ते न डिगाने पाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी, आएगी। यह जो एक कदम उठा है उसके बाद मुझे लगता है कि सरकार इसके ऊपर और भी विचार करेगी। मैं संक्षेप में अपनी दो-तीन बातों को आपके सामने रखना चाहता हू। यदि कानून मंत्री को ठीक लगे तो उन पर विचार कर लें। इस बिल के अंदर इस बात पर भी कुछ नही कहा गया है कि एक चुनाव लड़ने वाले की शैक्षिणिक योग्यता क्या होगी? इस देश के अंदर किसी को चपरासी की नौकरी चाहिए होती है उसके लिए भी कम से कम शैक्षिक योग्यता रखी जाती है, किंतु एक संसद सदस्य बनने के लिए, उसका चुनाव लड़ने के लिए कोई भी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहीं रखी गयी है।

एक माननीय सदस्य : यह जनतंत्र-विरोधी सुझाव है।

श्री विजय गोयल : इसलिए मैं चाहता हूं कि कम से कम इस ओर हमें विचार करना है कि एक न्यूनतम शैक्षिणिक योग्यता सांसदों के लिए रखी जाए। दूसरा मेरा कहना यह है कि चुनावों के अंदर नामांकन पत्रों की जांच का जो कार्य है उसकी कोई महत्ता नहीं रह गयी है। जो सांसद इतना बड़ा चुनाव लड़ता है, अपने क्षेत्र में लोकप्रियता अर्जित करता है उसको केवल जांच के आधार पर रिजेक्ट कर दिया जाए, इस पर विचार करना चाहिए। यह ठीक है कि नामांकन की शर्तें होनी चाहिए लेकिन सामने ऑफिसर बैठकर नामांकन भरवा सकता है और जब तक वह ठीक नहीं होगा, उसको वह करेक्ट कर सकता है।

किन्तु 4-5 नामांकन भर रहे हैं। नाम लिखते समय त्रुटि रह जाए या जन्म तिथि लिखने में त्रुटि रह जाए, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए।

तीसरा यह कहना है कि राज्यों द्वारा कोष की व्यवस्था की जानी चाहिए। हरेक उम्मीदवार को इस बात का मौका दिया जाना चाहिए कि वे टी.वी. में डिबेट कर सकें। हर निर्वाचन क्षेत्र की अलग डिबेट होनी चहिए और उसमें सभी उम्मीदवार रहने चाहिए।

आपने 14 दिन का समय दिया है। 14 दिन में मेरे जैसे छोटे संसदीय क्षेत्र में...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यह प्वांइट हो गया है।

श्री विजय गोयल : मैं उम्मीदवारों के पास नहीं पहुंच सकता। इसके अन्दर इलैक्शन कमीशन ही उन मीटिंग्स को आर्गेनाइज कराए।

अंत में उम्मीदवार कितने ही वोट से हार रहा हो, उसको इस बात का अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह रिकाउंटिंग के लिए कहे। मैं यह सुझाव अपने चुनावों के आधार पर रख रहा हूं। होता यह है कि पूरी काउंटिंग पूरी रात चलती है उसके ऊपर सामने वाला उम्मीदवार कोई आपत्ति नहीं करता है किंतु जैसे ही उसे पता चलता है कि वह 1600 या दो हजार वोटों से हार रहा है तो तुरन्त आता है और कहता हू कि काउंटिंग ठीक नहीं हुई थी। इस बात को देखना चाहिए कि वह बाद में आपत्ति न कर सके।

मैंने पेज 3 सैक्शन 33 में एक जगह कहा है, कानून मंत्री ध्यान देंगे। इसमें कहा है कि

[अनुवाद]

> "इसमें यह आगे व्यवस्था है कि रिटर्निंग ऑफिसर को अवकाश के दिन कोई नामांकन पत्र सौंपे नहीं जायेंगे।"

[हिन्दी]

मेरा यह कहना है कि आप कैंडिडेट को सलाह मत दीजिए। अपने यहां पर संशोधन करिए।

[अनुवाद]

> "इसमें यह भी व्यवस्था है कि रिटर्निंग ऑफिसर कोई भी नामांकन पत्र उस दिन प्राप्त नहीं करेगा।"

[हिन्दी]

अगर वह संशोधन ही रिसीव नहीं करेगा तो उसको देने की बात नहीं है।

दूसरा यह कहना है कि जमानत की राशि को जमानत की राशि मत रखिए। इसको चुनाव की फीस का नाम दिया जाना चाहिए क्योंकि सारे प्रोसैस में बहुत समय लगता है कि किस के कितने वोट हुए। आज जबकि चुनाव लाखों रुपए में आ गए हैं और स्वयं इलैक्शन कमीशन ने इसमें चार लाख पन्द्रह हजार की लिमिट रखी है, वहां पांच हजार रुपए रखना और जमानत की राशि के ऊपर वापस करने की बात का ज्यादा महत्व नहीं रह जाता है।

मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि एक सदस्य को एक ही जगह से चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए।

अंतिम सुझाव है कि बोगस उम्मीदवारों को चैक करने के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। अभी रिकोग्नाइज्ड पार्टी का एम.एल.ए. या रिकाग्नाइज्ड पार्टी का ऑफिस बियरर जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है,

उसका काउंटिंग एजेंट बना हुआ है या उसका पोलिंग इंचार्ज बना हुआ है या पोलिंग आफिसर बना हुआ है। ऐसे केसों को छांट कर कुछ न कुछ ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। इसी के साथ मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

श्री कल्पनाथ राय : महोदय, मैं कुछ राय देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं इस बिल का तहेदिल से समर्थन करता हूं। मेरी राय है कि 10 हजार रुपए से कम सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए।

पूरे देश में एक लोक सभा क्षेत्र 40 लाख का है, दूसरा लोक सभा क्षेत्र 3 लाख और 2 लाख का है। ऐसे में आप कैसे व्यवस्था चलाऐंगे? अगर देश 90 करोड़ लोगों का है ओर 543 मैम्बर पार्लियामेंट होने वाले हैं तो 16 लाख पर कैंडिडेट पड़ेगा। जनसंख्या के आधार पर मैम्बर पार्लियामैंट तय होने चाहिए।

साढ़े चार लाख रुपए की राशि बिल्कुल गलत है। 21 दिन से कम किसी कीमत पर चुनाव की प्रक्रिया खत्म नहीं होनी चाहिए। 10 लाख, 12 लाख या 15 लाख मतदाताओं से कोई भी व्यक्ति कैसे सम्पर्क स्थापित कर सकता है। 21 दिन की प्रक्रिया नेहरू जी और दूसरे बड़े-बड़े लोगों ने जो तय की थी, वह वही रहनी चाहिए और चुनाव जनसंख्या के आधार पर होने चाहिए। मैं चुनौती के साथ यह कहना चाहता हूं कि कोई मैम्बर पार्लियामैंट साढ़े चार लाख में चुनाव जीत कर लोक सभा में नहीं आ सकता है।

अब चौदह दिन के अंदर जो हिन्दुस्तान में एम.पीज. बन जाएंगे चाहे वे सी.पी.एम. के हों, सी.पी.आई. के हों, कांग्रेस के हों या बी.जे.पी. के हों। हम खुद इतने स्वार्थी हो गए हैं कि इस पार्लियामेंट के अंदर उठते, बैठते, सोते-जागते अपने स्वार्थ की बात सोचते हैं। मेरी मान्यता है आज एम.पीज. असैम्बली के मैम्बर्स या राजनीति करने वालों से ज्यादा ईमानदार हिन्दुस्तान में किसी जगह का कोई व्यक्ति नहीं है। अगर इस पर बहस हो तो मैं साबित कर दूंगा कि इनसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि 1989 में चुनाव हुए थे, जिसमें 75 प्रतिशत एम.पी. हार गए थे। फिर 1991 में चुनाव हुए उसमें जो जीते उसमें से भी 75 प्रतिशत हार गए। अबकी बार जो चुनाव हुए हैं इसमें 330 एम.पीज्. हार गए हैं। सारी जिंदगी दुख, तकलीफ, कुर्बानी, राष्ट्रभक्ति का काम करते-करते जिंदगी बीत जाती है तो 90 परसेंट व्यक्तियों में एक बार या दो बार कोई एम.पी होता है। यानी 90 परसेंट तो एक बार के बाद ही हार जाते हैं। तीन टर्म या चार टर्म तो मुश्किल से इन्द्रजीत गुप्त, सोमनाथ चटर्जी या जॉर्ज फर्नान्डीज जैसे लोग हैं, जो मुश्किल से दो परसेंट होंगे और जिनकी संख्या 15-20 होगी।...**(व्यवधान)** या 25 होगी जो एम.पी. बन जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस सदन में रोजाना जो हमें मौका मिलता है, रात-दिन बिलकुल गलत बातों पर बहस होती है। चार-चार, छह-छह दिन चुनाव सुधार आयोग की बात की जाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब तक आप ईमानदारी से सीमा निर्धारित नहीं करते हैं कि कितना रुपया हमारा चुनाव पर खर्च होगा। मैं कहना चाहता हूं कि सी.पी.एम. के लोग ही भारत के गरीब वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं एक कमेटी बनाएं और तय करें, उसको हम मान लेंगे। या एक सर्वदलीय कमेटी बनाकर तय कर लें, उसको भी हम मान लेंगे।

दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि हम 12 लाख, 15 लाख लोगों के प्रतिनिधि है...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : हाउस के दो मिनट और हैं। मैं और एक्सटेंड नहीं करूंगी।

श्री कल्पनाथ राय : चुनाव सुधार आयोग के संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर एक बड़ी बहस तीन-चार दिन या एक हफ्ते तक होनी चाहिए और एक-एक सदस्य अपनी-अपनी राय दे और उस राय के आधार पर जो राष्ट्रीय मतैक्य बने। कृपा करके उसी के अनुरूप चुनाव सुधार किया जाए। धन्यवाद।

सभापति महोदय : रघुवंश प्रसाद सिंह जी का एक स्टेटमेंट है, वह अभी होगा नहीं।

श्री श्रीकान्त जेना : 30 तारीख की सुबह लेंगे।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अतः मैं सभी माननीय सदस्यों और विशेषरूप से सचिवालय के कर्मचारियों का धन्यवाद करती हूं जिन्होंने कल और आज इतनी अधिक देरी तक बैठने का कष्ट उठाया।

अब सभा मंगलवार, 30 जुलाई, 1996 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिये स्थगित होती है।

अपराह्न 7.45 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 30 जुलाई, 1996/8 श्रावण, 1918 (शक) के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई